(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] षष्टम् विधान सभा के चतुर्थ सत्र का 46वां दिवस संख्या [संख्या 15

बुधवार

दिनांक 15 नवम्बर, 1978

विधान सभा की बैठक म. पू. 11-02 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री लक्ष्मणसिंह, अध्यक्ष, पदासीन)।

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री जयनारायण सालोदिया ।

प्रधानाध्यापकों के प्रमोशन में अनुसूचित जाति व जन-जाति का आरक्षण

391. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में जून, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक जो 349 प्रधानाध्यापकों के प्रमोशन किये गये थे उनमें अनुसूचित जाति व जन-जाति के कितने अध्यापकों को प्रमोशन दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इन प्रमोशनों में अनुसूचित जाति व जन-जाति के निर्धारित रिजर्व कोटे को पूरा नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या इन प्रमोशनों में निर्धारित रोस्टर प्रणाली को काम में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार अनुसूचि जाति व जन-जाति के कर्मचारियों की अलग से सीनियोरिटी लिस्ट बना कर निर्धारित रिजर्व कोटे को पूरा करना चाहती है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली): (1) किसी को नहीं । क्योंकि ऐसे व्यक्ति पात्रता सूची में उपलब्ध नहीं थे ।

(2) प्रथम खंड में उत्तर दे दिया गया है ।

(3) जी हां ।

(4) अलग से वरीयता सूची बनाना फिलहाल संभव नहीं है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाव दिया वह तथ्यों से परे है । यह गलत जवाव है । 350 के करीव लोगों का प्रमोशन किया गया है उनमें एक भी शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स के व्यक्ति को नहीं लिया गया है । मंत्री महोदय जो कह रह हैं यह तथ्य से परे है । वे सदन को धोखा दे रहे हैं । शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के व्यक्ति उपलब्ध हैं । मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं इन्होंने

(श्री जयनारायण सालोदिया)
कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को छोड़ा है और उनको प्रमोशन नहीं दिया है। मैं यह सिद्ध कर सकता हूं यदि गलत हो तो मैं सदन से त्याग-पत्र देने को तैयार हूं। यह जो जवाब मंत्री महोदय ने दिया है, वह गलत है।

श्री अध्यक्ष : क्या यह सही है ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सूचना है, उससे शत प्रतिशत निश्चय के साथ यह कह सकता हूं कि जो प्रमोशन किए गए हैं वे सब रोस्टर प्रणाली के अनुसार ही किए गए हैं। जो जोन ऑफ एलेजिबिलिटी बनता है, एक पोस्ट के पीछे पांच का कन्सीडरेशन करने का, तो उसके अनुसार एक पोस्ट पर पांच व्यक्तियों को कन्सीडर किया गया है। जोन ऑफ एलेजिबिलिटी के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का कोई व्यक्ति प्रमोशन के लिए अवेलेबल नहीं था इसलिए उनको प्रमोशन नहीं मिला है। जो प्रमोशन हुए हैं वह रोस्टर प्रणाली के अनुकूल ही किये गये हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के व्यक्ति उपलब्ध नहीं होने के कारण उनको नहीं लिया जा सका है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इनके लिए जो कोटा होता है और रिक्त स्थान रखे जाते हैं, वह रिक्त स्थान इनके लिए ही रखे गये हैं ?

श्री महबूब अली : अध्यक्ष महोदय, रिक्त स्थान तो नहीं रखे जाते हैं लेकिन इनको कैरी फार्वर्ड किया जाता है। जो एलेजिबिलिटी जोन के अन्दर प्रमोशन में नहीं आते है उन स्थानों को कैरी फार्वर्ड किया जाता है। यह तीन साल के लिए होता है उसके बाद लैप्स हो जाता है।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब जो प्रमोशन हुए हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के कई लोगों को प्रमोशन मिला है। पहले जो हुए उनमें क्यों नहीं मिला ? इसका क्या कारण है ?

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक गंभीर आरोप लगाया है। क्या मंत्री महोदय इस सदन के सदस्यों की एक समिति इस बात की जांच कराने के लिये गठित करने का आश्वासन देंगे ? माननीय सदस्य ने इसको चैलेन्ज किया है और गलत होने पर सदन से त्याग-पत्र देने की बात कही है। क्या मंत्री महोदय इस सारे मामले की सदन की समिति से जांच कराने को तैयार हैं ?

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क) : माननीय सालोदियाजी ने जो बात कही है वह गंभीर बात है।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं वह सुन लीजिए।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक और प्रश्न करना चाहता हूं। इन्होंने जो प्रमोशन किए हैं उनके लिए आठ लिस्टें निकाली हैं। एक-एक महीने में चार-चार लिस्टें निकाली हैं। यह जो जोन ऑफ एलेजिबिलिटी पांच की है, इसमें अलग-अलग पीस मील में प्रमोशन किया गया है। इस कारण शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग प्रमोशन से वंचित रह गये हैं। यदि एक साथ ही प्रमोशन किए जाते तो इन लोगों के साथ न्याय हो पाता। मैं चैलेन्ज करता हूं।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

(व्यवधान)

एक-एक महीने में 8 लिस्टें क्यों निकाली गयीं ? जब शिक्षा मंत्री ललित किशोर चतुर्वेदी थे उनके कार्यकाल में यह किया गया है। यह उनका फाल्ट है। उन्होंने टुकड़ों में लिस्ट निकाली है। एक महीने में पांच-पांच का जोन बना कर निकाली हैं इससे यह लोग प्रमोशन से वंचित रह गये हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह सरासर धोखा है।

एक माननीय सदस्य : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि 22 जून, 1977 के बाद शिक्षा विभाग में कितनी पदोन्नतियां की गई ? माननीय ललितकिशोरजी चतुर्वेदी जब शिक्षा मंत्री थे, उनके कार्यकाल में और जब से श्री भंवरलाल शर्मा, शिक्षा मंत्री बने उनके कार्यकाल में कितने शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को पदोन्नति दी गई ? मंत्री महोदय कृपया सदन को यह जानकारी दें।

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की सर्विसेज के बारे में सरकार ने विस्तृत रूप से विचार किया है:....

(व्यवधान)

सुन तो लें . . .

श्री अध्यक्ष : कृपया मंत्रीजी का उत्तर पूरा होने दें।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह गलत कह रहे हैं। विचार तो बहुत दिनों से चल रहा है। यह तो निर्णय साफ है। इस पर कार्यवाही होनी चाहिए थी। विचार, निर्णय तो पहले ही हो चुका है। यह तो हम लोग बहुत सुन चुके हैं। सरकार क्या करना चाहती है ? कुछ नहीं करना चाहती है ? सरकार में भाई भतीजावाद है, घटकवाद है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूराम।

श्री नाथूराम (बागीदोरा) : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष जो प्रमोशन हुए और इस साल शिक्षा विभाग में जो प्रमोशन किए हैं, वह रिजर्व कोटा के आधार पर नहीं किये गये हैं ? क्या इसकी जांच कराने का मंत्री महोदय आश्वासन देंगे ?

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने उत्तर में बताया है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग इसलिए नहीं लिए गए हैं कि कोई योग्य उम्मीदवार नहीं था तो क्या हम उनको ऐसे योग्य उम्मीदवारों, व्यक्तियों की लिस्ट दें जो प्रमोशन के योग्य हैं, लायक हैं ?

(व्यवधान)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को पदोन्नति के लिये . .

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रीजी, शिक्षा मंत्रीजी से एक बात पूछना चाहताहूं। राजस्थान में विधान सभा में पूरा कोटा अवेलेबल है,

Page No 4

(4)

(श्री बजरंग लाल शर्मा)
शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पूरा कोटा अवेलेबल है, पार्लियामेंट में पूरा कोटा अवेलेबल है तो शिक्षा विभाग में पूरा कोटा कैसे अवेलेबल नहीं है जब कि वर्षों से लगातार समाज कल्याण का कार्य चल रहा है ?

दूसरी बात सालोदियाजी ने बहुत गंभीरता से कही है, उनका कहना है कि वे विधान सभा से त्याग-पत्र देने को भी तैयार हैं। तो क्या माननीय मंत्रीजी स्वीकार करेंगे कि एक समिति सारे मामले की जांच करे और मामले की रिपोर्ट सदन की मेज के सामने रखे ?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेगी कि राज्य सरकार के जो सुरक्षित स्थान हैं उनको कानून कायदे के मुताबिक पूरा नहीं किया जाय। अभी जो माननीय सदस्यों ने संकेत दिया है कि कानून कायदे को बाई पास करके प्रमोशन देते हैं। मुझे स्वीकार है कि कमेटी बना दी जावे जो सारे मामले को देख ले।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपाल पचेरवाल।

नाहरी का नाका, जयपुर में सरकारी भू-खण्डों की नाजायज बिक्री

392. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जून, 1978 के बाद जयपुर नगर में नाहरी का नाका क्षेत्र के समीप क्या कुछ व्यक्तियों द्वारा सरकारी भूमि के भू-खण्ड काट कर विक्रय कर दिये जाने की शिकायत पर संबंधित पुलिस थाने में केस दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो यह रपट किन-किन के खिलाफ दर्ज की गई है ? सूची मय नाम, पिता का नाम, पता आदि विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त रपट किसके द्वारा दर्ज कराई गई है और सरकारी भूमि का बेचान करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने क्या कार्यवाही की है ?

(3) उक्त सिवाय चक भूमि तहसील जयपुर के किस ग्राम में है, भूमि का खसरा नम्बर, क्षेत्रफल तथा किस्म जमीन क्या है ?

(4) क्या उक्त सिवाय चक भूमि को समतल करने वाले ट्रेक्टर, बुलडोजर आदि को सीज करने की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो यह कार्यवाही किस प्रशासनिक अधिकारी द्वारा की गई थी तथा उस तिथि को क्या-क्या चीजें कब्जे में ली गई थीं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : (1) पुलिस थाना शास्त्री नगर में नगर विकास न्यास, जयपुर के अतिक्रमण निरीक्षण अधिकारी द्वारा यह रपट दर्ज कराई गई थी कि न्यास की भूमि को अनधिकृत रूप से ट्रेक्टरों द्वारा समतल कराया जा रहा है व इस पर गोपाल पुत्र रोड़राम, जगदीश पुत्र रोड़राम व किशना पुत्र रोड़राम, जाति जाट, निवासी रामपुरा तहसील सांगानेर के खिलाफ रपट दर्ज हुई।

(2) रिपोर्ट श्री कन्हैयालाल, कार्यवाहक अतिक्रमण निरीक्षक अधिकारी, नगर विकास न्यास द्वारा कराई गई है। पुलिस ने मुकदमा नं० 119 दफा 447, ता० हि० 21-7-78 को दर्ज किया है। तफतीश

(श्री सम्पतराम)
जारी है।

(3) उक्त भूमि जयपुर तहसील के ग्राम किशनबाग की खसरा नं० 118, रकबा 18 बीघा 7 बिस्वा, किस्म बंजड़ दोयम है।

(4) जी हां, जब्ती की कार्यवाही थाना प्रबंधक, शास्त्री नगर द्वारा की गई थी उक्त तिथि को ट्रैक्टर नं० (1) आर०-आर० एम० 5449 (2) सी०पी० आर०8170 और (3) यू०पी०एस० 3409 जब्त किये गये हैं।

श्री गोपाल पचेरवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों ने कोई जयप्रकाशजी के नाम से समिति बना रखी है? क्या उस समिति के पदाधिकारी जमीन लेने वाले को यह जमीन आवंटित करते हैं और उसके नाम से 300 रुपये जमा करके बेचाननामे की रसीद नहीं देते हैं ?

दूसरा प्रश्न यह है कि सोहनलाल, ओमकाश ने क्या अखबार में बयान दिया था कि जयप्रकाशजी के नाम की समिति कायम करेंगे और 300) रु० जमा करेंगे और पट्टे दिलवा देंगे ? क्या ऐसा बयान दिया है ?

श्री सम्पतराम : जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, उस जमीन पर कब्जा करने वाली कोई पार्टी अथवा एसोसियेशन नहीं है जो अतिक्रमण करके बेच रही हो।

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या यह सही है कि नाहरी का नाका में जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और उसमें जिन लोगों को बसाया गया है उनको निश्चित तौर से योजनाबद्ध तरीके से प्लाट काट कर पैसे लेकर बसाया गया है ?

श्री सम्पतराम : अध्यक्ष महोदय दरअसल यह सवाल नगर न्यास से संबंधित है और रेवेन्यू विभाग से संबंधित है। मेरी इसमें जानकारी यह है कि दरअसल इसमें कुछ घोटाला जरूर हुआ है। राजस्व विभाग और नगर न्यास के स्टाफ ने कुछ गड़बड़ी की है, ऐसा समझ में आता है लेकिन इस समय मामला कोर्ट में पेंडिंग है। यह मामला जांच का है। इसमें जांच बैठाई जायेगी और दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाएगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह जांच कब तक पूरी हो जाएगी ?

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि 300-300 रुपया जमा करा कर प्लाट काटे गये और प्लाट दे दिये गये ?

श्री सम्पतराम : यह मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन किसी जगह ऐसा किय गया हो . . .

श्री गुल मोहम्मद : सरकारी जमीन को अलॉट किया गया और आप अभी तक कार्यवाही नहीं कर सके।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वहां बुलडोजर चलते थे वे किसके नाम से किराये पर लिये गये थे इसकी आपको अच्छी तरह से जानकारी है। अभी श्री गोपाल पचेरवाल ने कहा है कि 300 रु० लेकर प्लाट के अधिकार दिये जाते हैं। बुलडोजर सरकार के नाम से किराये पर गये।

श्री सम्पतराम : यह बिल्कुल गलत बात है। आप डिबेट कर लीजिये।

Page No 6

(6)

श्री मूलचन्द डांगा : कौन व्यक्ति है जिसने 300) रु० में प्लाट दिये ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय फर्मा रहे हैं तो इस पर आधे घंटे की चर्चा रख दीजिये।

श्री सम्पतराम : यह जमीन जुलाई, 1969 के बीच जयपुर न्यास को दी गई ताकि योजनाबद्ध तरीके से शहर का विकास किया जाय। इसमें खसरा नं० 118 भी शामिल है और जमीनें भी शामिल है। दुर्भाग्य की बात यह है कि 1969 में जमीन नगर विकास न्यास की हुई लेकिन उसका म्यूटेशन बहुत दिनों तक नहीं हुआ। म्यूटेशन 1975 में किया गया लेकिन तस्दीक स्वीकार किया गया 1977 में। इसी दौरान एक व्यक्ति ने असिस्टेन्ट कलेक्टर के यहां अपील की। उसने दूसरी प्रताप वगैरह पार्टी है उसके हक में निर्णय दे दिया। सरकार उस निर्णय के खिलाफ राजस्व विभाग में गई। राजस्व विभाग ने असिस्टेन्ट कलेक्टर के फैसले को निरस्त कर दिया। उसके बाद म्यूटेशन न्यास के नाम हुआ तो फिर इससे नाराज व्यक्ति राजस्व मण्डल में गये। अब यह मामला राजस्व मण्डल के विचाराधीन है। इसका निर्णय राजस्व मण्डल से होगा।

श्री अध्यक्ष : 393।

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : उस पर कब्जा किसका है, अध्यक्ष महोदय ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में है कि रातों रात बुलडोजर फिरा कर सैंकड़ों गज जमीन का अतिक्रमण हुआ। इतना बड़ा काण्ड हुआ और ये कहते हैं कि रेवेन्यू विभाग का मामला है। काफी बड़ा घोटाला हुआ, वास्तव में घोटाला हुआ है, इस पर आधा घंटा चर्चा करने की अनुमति दी जाय ताकि यह सामने आ सके कि इतनी बड़ी जमीन, इतनी कीमती जमीन को साजिश के कारण सेव नहीं कर सके।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर आधा घंटे की चर्चा के लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप उचित समझें तो इसको आज ही उसके लिए रख लें। जैसा कि मंत्री महोदय का बयान है, इससे साफ है कि इसमें घोटाला है। इसमें लीगल आस्पेक्ट इतने हैं कि इसको इस तरह से छोड़ा नहीं जा सकता है। आधा घंटे की चर्चा में सारी बातें सामने आ जायेंगी कि इतनी बड़ी साजिश कैसे हुई ? यह राजधानी में कैसे हुई और सरकार की आंखों के नीचे कैसे हुई है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं उस व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूं।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जमीन पर कब्जा करने देने से गलत परम्पर बनेगी। सरकार की जमीन को ही कोई व्यक्ति ले ले तो दूसरों की जमीन की रक्षा सरकार क्या करेगी ? इस तरह से तो जो सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जा करते हैं उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। नाजायज कब्जा करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेने से लोगों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस पर आधा घंटे की चर्चा की जानी चाहिये। आप इसको मंजूर करें। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि इसको आधा घंटे की चर्चा के लिए रख लिया जाय।

श्री बजरंगलाल शर्मा : राजधानी जयपुर

Page No 7

(7)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
में सरकार की आंखों के नीचे, गृह मंत्रीजी के बंगले के पास, सिविल लाइन्स के पास की जमीन का इतना बड़ा अहम सवाल है, निश्चित तौर से इस पर आधा घंटे की चर्चा रखी जाय। इसको आप स्वीकार करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसको आधा घंटे की चर्चा के लिए रख लिया जाय तो सारे तथ्य सामने आ जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है।

माननीय सदस्य, खास तौर से जो कि जयपुर नगर से चुनकर सदन में आये हैं, उनकी ओर से जो आपत्ति उठाई गई है उस संबंध में मैंने विचार किया है। मैंने यह भी विचार किया है कि आज आखिरी दिन है, इस सत्र का एवं आधा घंटे की चर्चा सदन में सुविधाजनक रूप से नहीं हो पायेगी। अगर इसमें अनियमितताएं हुई हैं, जैसा कि माननीय सदस्यों की ओर से जानकारी दी गई है कि बुलडोजर काम में लिये जा रहे हैं, मौके की जगह है और लम्बी चौड़ी जगह है, उसके ऊपर बुलडोजर आपरेट करते रहे हैं, आदि, आदि। अगर ऐसी स्थिति है तो अगले सत्र में इस पर चर्चा हो सकती है। It is continuing process of corruption. इस सदन में 10-10 वर्ष पुराने मामले आते रहे हैं तो आधा घंटे की चर्चा इस प्रश्न पर रखने की आवश्यकता समझते हैं तो अगले सत्र में रख लें।

मैं माननीय सदस्यों को यह सूचना देते हुए नैक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह रेवेन्यू का मामला था लेकिन जब फौजदारी हुई तो आपकी पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गुल मोहम्मद : माननीय अध्यक्ष, जब सरकार अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं कर सकती तो जनता की सुरक्षा कैसे करेगी ?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात, माननीय सदस्य मैंने सुनी। मेरी सहानुभूति है लेकिन मेरी विवशता है।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : अध्यक्ष महोदय, नियमों में यह स्पष्ट है कि सरकारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। जो कब्जा किया गया है यह बिना साजिश के, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी शह के नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट घोषित करता है कि कोई न कोई साजिश है। इसको बन्द करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : इसके बारे में 3-3 प्रश्न हो चुके हैं फिर भी कब्जे हो रहे हैं। उनके बारे में मैं शिकायतें करती रही हूं। अगर इस पर आधा घंटे की चर्चा नहीं हुई, तो उचित नहीं रहेगा। आपकी व्यवस्था के आगे हम नतमस्तक हैं।

श्री अध्यक्ष : आपकी उद्विग्नता का निर्मूलन कर दिया गया है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा।

झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र का विद्युतिकरण

393. श्री **निर्मल कुमार सकलेचा** (झालरापाटन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकृत गांवों से लगने वाले एक किलोमीटर की दूरी पर कितने ग्राम आते हैं ?

Page No 8

(8)

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)

(2) इन ग्रामों में बिजली देने की राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(3) इन ग्रामों को कब तक बिजली प्रदान कर दी जायेगी ?

विद्युत मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी) : (1) झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकृत ग्रामों से लगने वाले एक किलोमीटर की दूरी पर लगभग 29 ग्राम आते हैं।

(2) व (3) विद्युतीकरण के लिए उपलब्ध आर्थिक प्रावधान, क्षेत्रीय असंतुलन एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर ऐसे ग्रामों पर विचार किया जा रहा है तथा सब ग्रामों का विद्युतीकरण उपरोक्त आधार पर होना संभव नहीं हो सकेगा। अतः इनका विद्युतीकरण कब होगा, कहना अभी संभव नहीं है ?

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष, पहला मेरा प्रश्न यह है कि जनता सरकार के आने के बाद झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में कितने गांवों को बिजली दी गई ? अभी आपने बताया है कि 29 ग्राम मेरे क्षेत्र में एक किलोमीटर की दूरी पर आते हैं, इन गांवों को आर्थिक साधन उपलब्ध होंगे तब बिजली देंगे। अधिक आर्थिक साधनों की व्यवस्था करके इस क्षेत्र के गांवों को कितने समय में बिजली उपलब्ध करा देंगे ? यह समय बताने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : मेरा जवाब आने दें। मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़) : 50 लाख का प्रोवीजन किया गया है, उस प्रोवीजन के अन्दर झालरापाटन क्षेत्र में निश्चित रूप से कितने गांवों को कब तक बिजली दी जा सकती है, यह तो बता सकते हैं।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : दूसरा निवेदन मेरा यह है कि एक किलोमीटर की दूरी में जितने भी गांव आते हैं उनको शीघ्र ही बिजली दे दी जाय। माननीय विद्युत् मंत्री ने अभी तक घोषणा नहीं की है, वह घोषणा कर दें।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : पहले का जवाब तो आने दें।

श्री बालचन्द आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि झालावाड़ जिले में 1 किलोमीटर की दूरी के गांवों को बिजली देने का कार्यक्रम है, उसमें कितने गांवों का विद्युतीकरण होगा और कब तक बिजली दे देंगे ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक करोड़ रुपया एक किलोमीटर की दूरी के गांवों को बिजली देने के लिए रखा गया है। झालरापाटन विधान सभा क्षेत्र में 378 गांवों के विद्युतीकरण के लिए 43-44 लाख की योजना 73-74 में बनी थी, इस संबध में मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें बकानी क्षेत्र है जिसमें 378 गांव हैं, उनमें से 176 गांवों यानी 50 पर्सेन्ट क्षेत्र को बिजली पहले ही दे दी गई थी। दूसरी ओर उसी झालावाड़ जिले में जाएंगे तो 1.73 लाख . . . .

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : मंत्री महोदय से मैंने यह नहीं पूछा है कि कितने गांवों को बिजली दी है। मैंने यह पूछा है कि

Page No 9

(9)

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)
बाकी के गांवों को कब देंगे ? आप गलत जवाब न दें। उन गांवों को बिजली पिछली सरकार ने दी है। आपने मेरे क्षेत्र में कितने गांवों को दी है, यह मैं पूछना चाहता हूं ?

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि कोटा में जब मंत्रिमण्डल की बैठक हुई थी तो मंत्रीजी ने कोटा में आश्वासन दिया था। झालावाड़ जिले में मनोहर थाना और पिड़ावा पंचायत समितियों में आज तक केवल नाम मात्र की बिजली है। उस क्षेत्र के गांवों में बिजली देने की घोषणा करने के लिए मैंने निवेदन किया था और कहा था कि यह घोषणा की है इस पर कार्यवाही कब से प्रारम्भ कर देंगे। उस वक्त आपने कहा था कि मोड़क के अन्दर जैसे ही 32 के० वी० की लाइन आयेगी आप इन गांवों में विद्युतीकरण करेंगे। मोड़क में बिड़ला का सीमेंट का कारखाना लग रहा है। कब तक पिड़ावा और मनोहर थाना में बिजली दे देंगे, यह स्पष्टीकरण करने की कृपा करें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए एक किलोमीटर की दूरी वाले गांवों को बिजली देने में प्रायोरिटी दी जायेगी। मैंने सारा नक्शा झालावाड़ जिले का आपके सामने इसलिये रखा ताकि उसके अनुसार कितने झालरापाटन क्षेत्र के गांवों को बिजली और देनी है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मैंने कहा कि इतना प्रावधान अभी नहीं है।

श्री ईश्वरचन्द्र : पिड़ावा का बता दें।

श्री ओंकारलाल चौहान : अध्यक्ष महोदय उन्हें बताने में क्या मुसीबत है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर्ता।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की जो अवधि बची है, क्या उसमें बिजली दे देगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : राजस्थान में डेढ़ करोड़ रुपया है। इसलिये इस बार देने की गुंजाइश नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : इसका अर्थ यह हुआ कि नहीं देंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत): आपको यह कैसे पता चला कि जनता सरकार पांच साल तक कायम रहेगी ?

श्री मदनसिंह दांता : आप लोग तो ऐसा नहीं कहते हैं।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : मैंने यह पूछा है कि जनता सरकार की जो अवधि बची है, उसमें दे देंगे क्या ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने निवेदन कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : फिर तो आपने यह तय कर लिया है कि एक किलोमीटर दूरी के ग्रामों को लिया जाएगा। क्या यही सवाल है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : एक किलोमीटर के लिये 100 करोड़ चाहिये।

श्री अध्यक्ष : मैं डिस्कशन की इजाजत नहीं दे सकता।

श्रीमती सुमित्रासिंह : आप मुझ प्रश्न पूछने की इजाजत दे चुके थे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल द्वारा सिन्धी लिपि की पुस्तकें छपवाने में विलम्ब

394. **श्री नवलराय बच्चाणी** (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की ओर से सिन्धी लिपि में तीसरी और पांचवी कक्षा की पुस्तकें प्रेस में छपवाने के लिए कब दी गई थीं ?

(2) कक्षा तीन और पांच की पाठ्य पुस्तकें प्रेस से छप कर कब आई ?

(3) राज्य के कौन-कौन से जिलों में कितनी-कितनी पुस्तकें कब भेजी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) छठी, सातवीं एवं आठवीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकें छपवा कर कब उपलब्ध कराई जावगी ?

(5) सिन्धी लिपि में अन्य विषयों की पुस्तकें अनुवाद करा कर कब तक उपलब्ध कराई जावेंगी ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री महबूब अली) : (1) कक्षा 3 व 5 की सिन्धी अरेबिक लिपि की भाषा की पाठ्य पुस्तकों की पाण्डुलिपि क्रमश : 27-11-76 व 14-8-75 को प्रेस में दी गई।

(2) कक्षा 5 की भाषा की पाठ्य पुस्तकें छपकर 12-1-76 से 31-1-76 तक प्राप्त हुई। कक्षा 3 की भाषा की पुस्तकें छप चुकी हैं तथा इसके वितरण निर्देश मुद्रक को 16-10-78 को दिये जा चुके हैं।

(3) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) अगले वर्ष क्रमिक योजना के अनुसार कक्षा 6 की सिन्धी भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाने का यथासम्भव प्रयत्न किया जावेगा।

(5) राज्य सरकार इस संबंध में विचार कर रही है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

श्री नवलराय बच्चाणी : माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 वर्ष तक सिंधी अरबी लिपि की पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई। उत्तर के दूसरे खण्ड में बताया गया है कि 16-10-78 को मुद्रक को निर्देश दिये जा चुके हैं। यह व्यवस्था कितनी अधूरी रही है यह देख कर मुझे बड़ी दया आती है। इस बीमारी के बारे में किसी से भी जाकर बात करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती है। मेरा निवेदन है कि पुस्तक जल्दी ही उपलब्ध कराई जायें।

श्री महबूब अली : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि छपने म विलम्ब हुआ है ।

(व्यवधान)

जो जानकारी मुझे मिली है, उसके आधार पर मैं निवेदन करता हूं कि 200 किताबें छप गई थीं । इसकी छपाई मुश्किल से होती है । बाड़मेर के एक पब्लिशर को दी थी । उसके चित्र उसके साथ चले गय थे । मैंने यह मोटे तौर से बताया है। मैं माननीय सदस्य से निवदन करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से विलम्ब हुआ है । भविष्य में विलम्ब नहीं होने दिया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या उर्दू भाषा के विकास के लिए कोई कार्यक्रम हाथ में लिया जा रहा है ?

श्री नवलराय बच्चाणी : अरबी भाषा के लिए सूची नहीं बनाई गई है। आप अध्यापकों आदि को बैठाकर इस कार्य को पूरा करायें। खण्ड 5 का उत्तर दिया गया है, "राज्य सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है।" विचार कब तक परा कर दिया जावेगा ?

श्री अध्यक्ष : जहां तक सम्भव होगा, पूरा कर दिया जाएगा, यह मुझे विश्वास है।

अब मैं मेरे स्थगित प्रश्न लूगा । यह अन्तिम दिन है । मैं स्थगित प्रश्नों को पूरा करना परम आवश्यक समझता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बाऊदयाल जोशी (दीगोद) : पुस्तकें साढ़े तीन रुपये में बेची हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । स्थगित प्रश्न shall have precedence. प्राथमिकता उनको मिलेगी ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : सदन को मछली बाजार बना दिया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह व्हिप का काम है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सत्ता पक्ष के लोग इस सदन को मछली बाजार की संज्ञा देना चाहते हैं । ये मछली बाजार बनाना चाहते हैं । इसको रोकिये ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई: वह अपनी ड्यूटी अदा नहीं करते हैं । यह क्या तरीका है।

श्री अध्यक्ष: सदन में अब शान्ति हो गई है । स्थगित प्रश्न ।

श्री शंकरलाल ।

श्री मूलचन्द डागा : यह क्वश्चन..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको अधिकार नहीं है, शंकरलालजी का प्रश्न पूछने का ।

(व्यवधान)

श्री **मूलचन्द डागा** : श्रीमान् मेरे को लिखकर दिया है, मैं उसको भूल गया हूं।

(12)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को लिया जाय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न जिस दिन स्थगित किया गया था उस दिन माननीय सदस्य यहां पर थे। यह हाउस की प्रोपर्टी बन चुका है और सदन में आ चुका है। सदन की राय और आपकी आज्ञा से इस प्रश्न को स्थगित किया गया था। यह निर्णय लिया गया था कि इस प्रश्न का इसी सत्र के अन्दर जवाब दिया जायगा, यह वायदा किया गया था। किसी कारणवश माननीय सदस्य नहीं आये हैं...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : चार-पांच सदस्यों की इच्छा है तो मैं इसकी अनुमति देता हूं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 9-10-78 व 8-11-78)

राज्य में आयोग एवं जांच समितियों का गठन

115. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) [श्री **शंकरलाल** (जैतारण) की अनुपस्थिति में]: क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में नई सरकार का गठन होने के पश्चात् कितने आयोग व जांच समितियां किन-किन कार्यों हेतु गठित की गयीं और उन पर कुल कितना खर्चा हुआ ?

(2) इन आयोगों व जांच समितियों द्वारा किन-किन मामलों में क्या-क्या अंतिम निर्णय लिए गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

खनिज मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) राज्य में नई सरकार के गठन के पश्चात् निम्नलिखित एक जांच आयोग व 5 जांच समितियों का गठन किया गया है:—

1. बेरी जांच आयोग।

2. तथ्यान्वेषण समिति (कानसिंह समिति)।

3. विधान सभा के सदन में सन 1962 से 1977 तक लगाये गये आरोपों की जांच के लिये तीन तथ्यान्वेषण समितियां।

4. राजस्थान आपातकालीन ज्यादतियां जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच कर राज्य सरकार को सुझाव देने के सम्बन्ध में समिति।

5. राजस्थान नहर परियोजना में हो रहे घोटालों की जांच हेतु एक सदस्यीय तथ्यान्वेषण प्राधिकरण (श्री रामसिंह, रिटायर्ड आई०ए०एस०)।

बेरी जांच आयोग

राजस्थान के निर्माण के समय से कृषि भूमि के बनामी प्रकृति के समनुदेशनों सहित भूमि के आवंटन, अनुदान, विनियमितीकरण, अर्जन, दान विनिमय, विभाजन अथवा अंतरण के मामलों में की गई अविधिपूर्ण कार्यवाहियों, अनियमितताओं, अनौचित्यपूर्ण कार्यवाहियों की अथवा दिखाये गये पक्षपात के मामलों में जांच करना।

कुल खर्चा—रु. 2,31,329.50 पैसे (दिनांक 31-10-78 तक)।

श्री मूलचन्द डागा : इतने लेन्दी सवाल का रिटन में रिप्लाई होना चाहिए।

(व्यवधान)

Page No 13

(13)

श्री रतनलाल वर्मा : आप दूसरों को सुनने दें, माननीय सदस्य ।

श्री कैलाश मेघवाल : तथ्यान्वेषण समिति (कानसिंह जांच प्राधिकरण) ।

आपातकाल के दौरान हुई ज्यादतियों के सम्बन्ध में 28 मई, 1977 को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के पैरा 2 क (1) से (5) में यथानिर्दिष्ट अभिकथन और घटनाओं की श्रृंखलाएं प्राप्त करने, जांच करने और कार्यवाही करने के लिए। तथ्यान्वेषण समिति संजय गांधी की राजस्थान यात्रा पर अपव्यय आदि की जांच के साथ-साथ अब राजसमन्द झील में मछली का ठेके देने में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है ।

कुल खर्चा—रु० 5,72,785-42 पैसे (दिनांक 31-10-78 तक) ।

विधान सभा के सदन में 1962 से 1977 तक लगायें गये आरोपों की जांच के लिए तीन तथ्यान्वेषण समितियां

प्रथम : सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ), सिंचाई, विद्युत, जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, राजस्थान नहर परियोजना विभाग के सम्बन्ध में लगाये गये भ्रष्टाचार इत्यादि के विभिन्न आरोपों की जांच ।

द्वितीय : गृह, यातायात, जनसम्पर्क, जल, वित्त, आबकारी एवं कर, कृषि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन, कार्मिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, भेड़ व ऊन, उद्योग एवं खान विभाग के सम्बन्ध में लगाय गये विभिन्न भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोपों की जांच ।

तृतीय : राजस्व, अकाल व सहायता विभाग, देवस्थान, वक्फ बोर्ड, वन भू-प्रबन्ध, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता एवं शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में लगाय गये भ्रष्टाचार इत्यादि के विभिन्न आरोपों की जांच।

कुल खर्चा—तीनों ही समितियों का दिनांक 31-10-78 तक रु० 12,012.02 पै० ।

राजस्थान आपातकालीन ज्यादतियां जांच प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच कर राज्य सरकार को सुझाव देने के सम्बन्ध में समिति

श्रीमती महेन्द्र कंवर, अलवर द्वारा अपने पति स्व० श्री प्रतापसिंह की मृत्यु की जांच के संबंध में की गई शिकायत पर आम सुनवाई करके कानसिंह जांच प्राधिकरण ने जो रिपोर्ट दी है उस पर तथा इस तरह की आम सुनवाई करके दी गई अन्य रिपोर्टों को देखकर आगे की जाने वाली कार्यवाही के लिये राज्य सरकार को सुझाव देना ।

कुल खर्चा– विभाग ने सूचित किया है कि समिति के सदस्य अपने कार्य के अतिरिक्त इस कार्य को करते हैं अत: अतिरिक्त व्यय का प्रश्न नहीं उठता है ।

राजस्थान नहर परियोजना में हो रहे घोटालों की जांच हेतु एक सदस्यीय तथ्यान्वेषण प्राधिकरण (श्री रामसिंह, रिटायर्ड आई० ए० एस०)

राजस्थान नहर परियोजना एवं सिंचित क्षेत्र विकास के निर्माण में हुई अनियमितताओं व घोटालों की जांच करना ।

कुल खर्चा—रु० 12,491.12 पैसे (दिनांक 31-10-78 तक) ।

Page No 14

(14)

(श्री कैलाश मेघवाल)

तथ्यान्वेषण समिति (कानसिंह जांच प्राधिकरण) ने निम्नलिखित मुद्दों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। अभी तक राज्य सरकार ने अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

1. आपातकाल में मीसा के अन्तर्गत बन्द किये गये व्यक्तियों के मामले में अन्तरिम रिपोर्ट।

2. परिवार नियोजन।

3. पद एवं शक्ति का दुरुपयोग।

4. मीसा व डी० आई० एस० आई० आर० दुर्व्यवहार व अत्याचार।

5. तोड़-फोड़।

6. मीसा के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों के विषय में पूरक रिपोर्ट।

उपरोक्त समिति के अलावा किसी, भी समिति अथवा आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जो प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं उन पर राज्य सरकार कब तक निर्णय ले लेगी, इसको स्पष्ट करने का कष्ट करें?

श्री सुरेशकुमार (भरतपुर) : माननीय मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि जब राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के घोटालों की जांच करने के लिये सुरेश कुमार समिति पहले बनाई गई थी तो फिर रामसिंह तथ्यान्वेषण समिति नाने की क्या जरूरत पड़ी?

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, नसीराबाद से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न किया है इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र इन पर कार्यवाही करने का निर्णय लिया जा रहा है।

भरतपुर से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न किया, उसके बारे में निवेदन है कि सुरेश कुमार समिति, विधान सभा के पटल पर उस विभाग के बारे में 62 से 77 तक जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उसके बारे में जांच करने के लिये और दूसरे भ्रष्टाचार और गबन घोटालों के जो मामले सामने आये हैं उसकी जांच करने के लिये रिटायर्ड आई० ए० एस०, श्री रामसिंह आयोग का गठन किया गया है। दोनों का क्षेत्र और टर्म्स ऑफ रेफरेन्स अलग-अलग हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि किसी जांच समिति की रिपोर्ट अभी आई नहीं है। तो क्या आपके शासनकाल में आने की उम्मीद रखते हैं?

मंत्री, संसदीय कार्य (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : आ जायेगी।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्ट्री है।

श्री अध्यक्ष : क्या मंत्री महोदय माननीय श्री श्योपतसिंहजी के प्रश्न का उत्तर देने की इच्छा रखते हैं? क्या आपके शासन काल में चार वर्ष में कोई निर्णय लिया जायगा?

श्री कैलाश मेघवाल : इस बारे में हनुमानगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनता की भावनाओं के अनुरूप जनता

(श्री कैलाश मेघवाल)

सरकार शीघ्रातिशीघ्र इन बातों पर निर्णय लेगी।

(व्यवधान)

श्री दाऊदयाल जोशी : अलवर महा-राजकुमार की हत्या के मामले में प्राइमरी रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें श्री हरिदेव जोशी को अपराधी घोषित किया गया है। उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मंत्रीजी ने कहा है कि हम जल्दी ही जनता की इच्छा के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने बहुत सुन्दर जवाब दिया है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, जो तथ्यान्वेषण समितियां बनाई गई हैं उन्हें अभी तक विधान सभा का कार्य विवरण ही उपलब्ध नहीं करवाया गया है, तो वह करेंगी क्या ? यह तो मिली भगत है जनता सरकार की और पुरानी सरकार की।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : विधान सभा के माननीय सदस्यों की जो तीन समितियां बनाई गई हैं, वह कौन से कानून के अन्तर्गत बनाई गई हैं ? क्या उन्हें कोई अधिकार है कि किसी विटनेस या किसी डाक्यूमेंट को तलब करवा सके।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न ऐसा है जो कि आईन्दा सदन में भी आ सकता है और पूछा जा सकता है। अब समय की कमी है और मंत्री महोदय का उत्तर पर्याप्त है।

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा।

श्री मूलचन्द डागा : कानसिंह आयोग पर अब तक पांच लाख रुपया खर्च हो चुका है। उसकी एक भी रिपोर्ट आपके सामने आई है क्या ?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दूसरा प्रश्न कॉल कर लिया अध्यक्ष महोदय ने, अब आप बैठिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश चन्द्र शर्मा।

श्री रामजी लाल महामना।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता।

श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र : माननीय जगदीश चन्द्र शर्मा यहां बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री जगदीश चन्द्र शर्मा खड़े नहीं होते हैं।

कई **माननीय सदस्य** : खड़े हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : क्षमा कीजिये।

श्री जगदीश चन्द्र शर्मा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस बात का क्या सबूत है कि माननीय सदस्य ही जगदीश चन्द्र हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : आपका क्या सबूत है कि आप श्योपतसिंह ही है ?

(स्थगित प्रश्न दिनांक 6-11-78)

आपातकालीन ज्यादतियों के विरुद्ध शिकायतें

208. **श्री जगदीशचन्द्र शर्मा** (रतनगढ़): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार

(श्री जगदीशचन्द्र शर्मा)
के पास आपातकाल में की गई ज्यादतियों के लिये कुछ अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के खिलाफ और क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसी शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात् भी कुछ अधिकारियों की पदोन्नतियां हुई हैं ? यदि हां, तो किस-किस अधिकारी की पदोन्नति की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) आपातकाल में की गई ज्यादतियों की प्राप्त शिकायतों पर कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई और क्या-क्या दण्ड दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

सहकारिता मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल): (1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) इस बारे में स्थिति संलग्न सूची के कालम 4 में अंकित कर दी गई है।

श्री **अध्यक्ष** : बहुत अच्छा। नैक्स्ट क्वेश्चन।

(व्यवधान)

क्या आपको उत्तर से सन्तोष नहीं है ?

श्री **जगदीशचन्द्र शर्मा** : कतई नहीं है।

श्री **अध्यक्ष** : पूछिये।

श्री **कौशल किशोर जैन** : संतोष होने का सवाल ही नहीं है।

श्री **बजरंग लाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने जो सूची दी है, अगर वह सही है, तो हमारी सरकार गलत है। जो कुछ भी सदन में बोले हैं, वह झूठ है।

श्री **जगदीशचन्द्र शर्मा** : मंत्री महोदय ने जो सूची सदन के पटल पर रखी है, उसके अनुसार 51 अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 25 के लिये लिखा है कि निर्दोष साबित हुए तो इन्दिरा गांधी की सरकार और मौजूदा सरकार के उत्तर एक से ही हैं। आपात काल में कोई ज्यादतियां नहीं हुई इससे बढ़ कर झूठी सूचना सदन में नहीं दी जा सकती।

(व्यवधान)

श्री **कौशल किशोर जैन** : आपात काल के अन्दर उदयपुर जेल में एस. पी., श्री भरत ने 100 बार लाठी चार्ज करवाया।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। कृपया आसन को सहयोग दें। मैं इस पर दस मिनट की चर्चा की अनुमति देता हूं। एक-एक कर पूछिये।

(व्यवधान)

श्री **कौशल किशोर जैन** : आप हत्यारे हैं।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप मेरी बात पर विचार करिये।

(व्यवधान)

श्री **कौशलकिशोर जैन** : आपातकाल लगाने वाले हत्यारे हैं ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य । मैं यह चाहता हूं कि सप्लीमेंट्रीज सर्वाधिक रूपेण पूछे जायें, चर्चा सर्वाधिक रूपेण हो ।

(व्यवधान)

विपक्ष की बात भी मैं सुनूंगा । मेरा यह संकेत है कि माननीय सदस्य एक-एक करके सप्लीमेंट्री पूछें ।

(व्यवधान)

श्री **रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर): जनता आपको निकाल देगी ।

श्री **मूलचन्द डागा** : यह जांच रिपोर्ट बताती है कि जनता पार्टी के सदस्य...

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है । यह स्थगित प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है । आपको मेरा नम्रतापूर्वक पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि एक-एक कर सप्लीमेंट्री पूछें।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : इस प्रश्न को आधा घंटे की चर्चा के लिए रखता हूं ।

श्री **कौशलकिशोर जैन** : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह सत्य है कि बांसवाड़ा जिले के अन्दर ...

(व्यवधान)

श्री **भंवरलाल ऐरन** : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि आधा घंटे की चर्चा के लिये आज ही रखा जाये ।

श्री **ओंकारलाल चौहान** : आज ही रख लीजिए आधा घंटे की चर्चा ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं, मैं क्या निर्णय दे सकता हूं ?

श्री **कौशलकिशोर जैन** : मेरा निवेदन है कि यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है । इसके ऊपर आधा घंटे की चर्चा आज ही रखी जाये ।

(व्यवधान)

श्री **स्योपतसिंह मकासर** : अध्यक्ष महोदय, इनकी कोई व्यवस्था करें । इनको तो शर्म नहीं आती है । हमें शर्म महसूस होती है । यह जो हालत देख रहे हैं इनकी, इससे तो शर्म ही आती है ।

श्री **एच०एन० शर्मा** (बेगू): शर्म आ रही है तो बैठ जाओ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आधा घंटे की चर्चा आज ही रखी जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** : सही जवाब नहीं देकर ...

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, नियमों के अन्तर्गत सम्भव है तो मैं इस प्रश्न को स्टडी कर लूंगा । अगर आवश्यक हुआ और नियम इजाजत देते हैं तो आधा घंटे

(श्री अध्यक्ष)
की चर्चा आज हो सकेगी। ऐसा मैं प्रयास करूंगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : लेकिन इस प्रयास में कामयाब नहीं होने देंगे ।

श्री अध्यक्ष : कोई आश्वासन देने की स्थिति में अभी नहीं हूं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसके महत्व को देखते हुए ..

(व्यवधान)

श्री एच० एन० शर्मा : बैठ जाओ ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : हम बैठे है, अध्यक्ष महोदय ।

मंत्री, संसदीय कार्य (श्री सूर्यनारायण चौधरी) : मैं एक मिनट के लिए अर्ज कर देता हूं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा इतना निवेदन है कि इस प्रश्न की गम्भीरता को देखते हुए और सदन की भावनाओं को देखते हुए आपको पावर्स हैं रूल्स को रिलेक्स करने की । हो सके तो रूल्स को रिलेक्स करके इस प्रश्न को आज ही आधा घंटे की चर्चा के लिए रखा जाये । आपको पावर्स हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : ऐसा कोई नियम नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : इनको बोलने का हक नहीं है जिन्होंने इमर्जेन्सी में अत्याचार किये हैं ।

(व्यवधान)

श्री एच०एन० शर्मा : खूनी और हत्यारे बैठ जाओ ।

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए सम्भवतः शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होने की सम्भावना को देखते हुए यह आधा घंटे की चर्चा आज हो सके ऐसी व्यवस्था मैं करूंगा ।

(व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय डागाजी ने तीन दफा अंगूठा दिखाया है ...

श्री श्योपतसिंह मकासर : बिलकुल गलत है ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : तीन बार मुझे अंगूठा दिखाया है ..

श्री कौशलकिशोर जैन : यह माननीय सदस्या का घोर अपमान है। डागाजी को इस सदन से बाहर निकाला जाये ।

श्री बालचंद आर्य : डागा जी को बाहर निकालें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : इनको सदन से बाहर निकाला जाये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ..

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है ।

श्री कौशलकिशोर जैन : प्रश्न काल

(श्री कौशल किशोर जैन)
समाप्त नहीं हुआ। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : 15 महीने में जांच नहीं हुई तो आधा घंटे में चर्चा कैसे हो जायेगी?

श्री ईश्वरचन्द्र : प्रश्न संख्या 233 हरिजनों का सवाल है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही जब चल रही हो तो क्या कार्यवाही के बीच में कोई सदस्य किसी सदस्य को अंगूठा दिखा सकता है?

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, डागाजी को शर्म आ रही है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां दिखाया है? सदन में दिखाया है या कहां दिखाया है?

श्री अध्यक्ष : मैं तो चिल्ला-चिल्ला कर भी थूकने पर आ गया, माननीय सदस्य।

(व्यवधान)

प्रश्न संख्या 233.

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, डागाजी ने जो अंगूठा दिखाया है उसकी कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए।

श्री मदनसिंह दांता : इसका जवाब यही है कि सदन का हर सदस्य आपकी तरफ देखें, डागाजी की तरफ नहीं देखें।

श्री नूरा : क्या आप अंगूठे की तरफ भी ध्यान देती हैं?

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम क्लेरीफिकेशन चाहते हैं। यह अंगूठा कहां दिखाया? सदन में दिखाया या बाहर दिखाया?

(व्यवधान)

राज्य में बन्दूकों के लाइसेन्स

233. **श्री रामजीलाल महामना** (बैर),

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत),

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान में बन्दूकों के कितने लाइसेन्स सन् 1977-78 में जारी किये गए हैं? एम० एल० गन, राइफल व बारह बोर की अलग-अलग सूची व लाइसेन्सधारियों की सूची नाम व जाति सहित देने की कृपा करें।

(2) उक्त सूची में कितने हरिजन हैं, जिन्हें उक्त शस्त्रों के लाइसेन्स 1977-78 में दिए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री सम्पतराम) : विवरण संलग्न है ..

श्री ईश्वरचन्द्र : मुझे विवरण प्राप्त नहीं हुआ। सप्लीमेन्ट्री क्या पूछूंगा, जब तक आप मुझको सूची नहीं देंगे।

श्री बालचन्द आर्य : यह हरिजनों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगित प्रश्न का उत्तर नहीं है यह सरकार की विफलता का द्योतक है ...

श्री सम्पतराम : मेरे पास सारी सूचना है। मैं उत्तर दे सकता हूं।

श्री अध्यक्ष : उत्तर दीजिये, मंत्री महोदय।

श्री सम्पतराम : (1) विवरण संलग्न है। चूंकि लाइसेंस के लिये निर्धारित प्रार्थना-पत्र में जाति के उल्लेख का कोई कालम नहीं है, अतः सबके बारे में जाति की सूचना देना संभव नहीं है।

(2) प्रश्न (1) के उत्तर में वर्णित स्थिति को देखते हुए, हरिजनों की निश्चित संख्या देना संभव नहीं है।

मैं एक बात सदन के समक्ष निवेदन करना चाहता हूं। इसके कायदे-कानून पहले के बने हुए हैं, शायद माननीय सदस्य का यह मानना है कि वीकर सेक्शन को लाइसेन्स देने में जितना लिबरल होना चाहिये उतने नहीं हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट्स मजिस्ट्रेट्स को आदेश देंगे कि जहां वीकर सेक्शन एप्लाई करें, लिबरल एटीट्यूड अख्तियार करें।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री ईश्वरचन्द्र : कब तक दे देंगे ?

श्री बालचन्द आर्य : अब तक कितने लाइसेन्स दे दिये हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आर्म्स एक्ट को देख लीजिये। लाइसेन्स का पर्पज सो करना चाहिये। जो कोई जंगल में रहता है, जहां तक मैं समझता हूं कि उस गरीब के यहां न तो डाका पड़ता है..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इस प्रश्न को फिर रख सकते हैं। सरकार को जो कुछ कहना था वह कह दिया।

श्री ईश्वरचन्द्र : राजस्थान के हर कोने में बल्कि हिन्दुस्तान भर में हरिजनों पर सुनियोजित हमले हो रहे हैं। इसलिये सरकार की सामयिक नीति क्या है ? आज हरिजनों को गांवों में पानी नहीं भरने दिया जाता। सरकार की क्या नीति है हरिजनों की सुरक्षा के बारे में ? उन्हें आर्म्स दें ताकि वे खुद अपनी सुरक्षा कर सकें।

(व्यवधान)

क्या सरकार इस बारे में लाइसेन्स देने का विचार रखती है ? अगर रखती है तो साल भर में, दो साल में, कब तक अमल करेगी ?

श्री बालचन्द आर्य : मैं यह कहना चाहता हूं उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप नियमों में संशोधन करेंगे ? हरिजन को अपनी रक्षा के लिये, अपनी जान और माल की हिफाजत के लिये, अपनी औरतों पर बलात्कारी हमले रोकने के लिये ऐसे शस्त्र और बन्दूकें देने का नियमों में प्रावधान करेंगे..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य; इस

(श्री अध्यक्ष)

सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिय है। लॉ एण्ड ऑर्डर की समस्या पर भी चर्चा हो चुकी है। मेरा यह अनुमान है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है उससे राजस्थान की स्थिति कई गुणा ठीक है। अगर इसमें कुछ कमी है तो सरकार सजग है। सजगता के द्वारा, यह निश्चित रूप से आपको आश्वासन देना चाहूंगा, शनैः शनैः स्थिति के अन्दर इम्प्रूवमेंट और सुधार आयेगा।

प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री मूलचन्द डागा : केन्द्रीय सरकार ने यह स्टेटमेंट दिया है कि हरिजनों पर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती सुमित्रासिंह : मेरा एक स्थगित प्रश्न है, वह बाकी है।

श्री अध्यक्ष : इस सूची में जो स्थगित प्रश्न आये थे वे भी अभी रह गये हैं। मुझे खेद है। मैं इजाजत नहीं दे सकता। मैं विवश हूं। क्षमा कीजिये।

श्रीमती सुमित्रासिंह : इसी आसन से....

श्री अध्यक्ष : I am very very sorry.

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार निरोधक सैल

345. श्री **किशनसिंह भाटी** (बेसलमेर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विभिन्न सरकारी विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने हेतु परम्परागत प्रणाली से हट कर क्या राज्य सरकार ने कोई योजना अथवा प्रणाली अपनायी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या राजस्थान नहर बोर्ड, जल प्रदाय विभाग, राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान विद्युत मण्डल, राजस्थान परिवहन निगम, राजस्थान उद्योग एवं खनिज विभाग में भ्रष्टाचार निरोधक सैल कायम करने की राज्य सरकार की कोई मंशा या योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का पुनर्गठन किया गया है। उसमें चार नई जांच इकाइयां स्थापित की गई हैं। इसके अतिरिक्त गुप्तचर शाखा को भी सुदृढ किया गया है। इसी प्रकार जिला सतर्कता समितियों की बैठकें नियमित रूप से बुलाने के आदेश दिये गये हैं ताकि भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायतें जिला सतर्कता समितियों के समक्ष समय पर प्रस्तुत की जा सकें।

(2) इन विभागों में अलग से भ्रष्टाचार निरोधक सैल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

उच्चाधिकारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही

346. श्री **ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य सरकार द्वारा 22 जून, 1977 के

(श्री ईश्वर चन्द्र)
बाद राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आर.ए. एस.), भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.), राजस्थान पुलिस सेवा (आर. पी. एस.), भारतीय पुलिस सेवा (आई. पी. एस.) के अधिकारियों के विरुद्ध अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा कार्य अक्षमता के कारण कोई कार्यवाही अमल में लाई गई ? यदि हां, तो किन-किन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? पूर्ण विवरण के साथ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

लोकायुक्त कार्यालय

347. **श्री शंकरलाल** (जैतारण) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में लोकायुक्त कार्यालय पर वार्षिक कितना खर्चा होता है ? स्थापना के बाद से अभी तक कुल कितना खर्चा हुआ ?

(2) लोकायुक्त द्वारा कितने व कौन-कौन से मामलो में, क्या क्या निर्णय, कब-कब दिये गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना से दिनांक 30 सितम्बर, 1978 तक कुल खर्चा रु. 17.01 लाख हुआ है जिसका वर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:—

1973-74	2.49 लाख
1974-75	3.05 लाख
1975-76	3.10 लाख
1976-77	3.34 लाख
1977-78	3.37 लाख
1978-79	1.66 लाख (30-9-78 तक)

(2) लोकायुक्त द्वारा 7 मामलों में अन्वेषण क्रिया जाकर, 5 मामलों में निर्णय दिया गया। तीन मामले जो एक ही पटवारी के विरुद्ध थे, आवश्यक जांच के पश्चात् नत्थीबद्ध कर दिये गये क्योंकि सक्षम अधिकारी ने विभागीय जांच के दौरान आरोपित लोक सेवक को निर्दोष पाया। एक मामले में संबंधित सक्षम अधिकारी को लोक सेवक पर निकट भविष्य में निगाह रखने की अभिशंसा की गई तथा एक मामले में सक्षम अधिकारी को लोक सेवक के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विस (सी. सी. ए.) रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही कर समुचित दण्ड देने की अभिशंसा की गई। 2 मामलों में सक्षम अधिकारी द्वारा विभागीय जांच की जा रही है जिनमें निर्णय जांच की समाप्ति पर किया जायगा। सूची सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं है।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित परिवारों को सुविधा

348. **श्री चिरंजीलाल गर्ग** (पुष्कर) : क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अजमेर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने परिवार चुने गये हैं ?

(2) उनमें से कितने परिवारों को ऋण एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करा दी गई है ?

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

(3) शेष परिवारों को कब तक ऋण एवं सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेगी ?

(4) शेष परिवारों को ऋण एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने में विलम्ब का क्या कारण है ?

(5) अन्त्योदय परिवारों को अन्य क्या सुविधाएं देने का राज्य सरकार का प्रस्ताव है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में 7217 परिवारों का चयन किया गया है।

(2) इन चयनित परिवारों में से 3727 परिवारों को दिनांक 30-9-78 तक ऋण एवं अन्य सुविधाओं के द्वारा लाभान्वित किया गया है।

(3) शेष परिवारों में से ऐसे परिवारों को जो ऋण या अन्य सुविधाओं को लेने के इच्छुक होंगे यथा सम्भव शीघ्र लाभान्वित कर दिया जावेगा।

(4) विलम्ब का कारण चयनित परिवारों पर पूर्व का बकाया होना, ऋण लेने से इन्कार करना, वान्छित आइटम का उपलब्ध न होना एवं अन्य का उपलब्ध न होना आदि आदि हैं।

(5) राज्य सरकार ऋण व अन्य साधनों से अन्त्योदय के परिवारों को लाभान्वित करने के अलावा, उनके बच्चों को शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधायें एवं उनके पशुओं को पशु चिकित्सा प्रदान करने पर विचार कर रही है।

राज्य के नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या

351. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, हायर सैकण्डरी और साक्षर बेरोजगार पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या 1976-77 व 77-78 की सालवार अलग-अलग क्या थी ?

(2) कितने पंजीकृत बेरोजगारों को उपरोक्त श्रेणियों के अन्दर साल वार काम दिलाया गया ?

(3) इनमें अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति 1976-77 व 1977-78 में कितने पंजीकृत थे और इन अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने पंजीकृत व्यक्तियों और नियोजित व्यक्तियों को काम दिलाया गया ?

(4) क्या राज्य सरकार इन नियोजन कार्यालयों के क्रियाकलापों में रद्दोबदल करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार से ?

उत्तर

(1) राज्य के नियोजन कार्यालयों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, हायर सैकण्डरी, मैट्रिक से कम आशार्थी जो रोजगार प्राप्त करने हेतु वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 में पंजीकृत

Page No 24

(24)

(रोजगार मंत्री)

हुए उनकी संख्या वर्षानुसार निम्न प्रकार है:—

शिक्षार्थी	1-7-76 से 30-6-77 तक	1-7-77 से 30-6-78 तक
1. पोस्ट ग्रेजुएट	2,635	2,806
2. ग्रेजुएट	17,760	24,859
3. हायर सैकण्डरी	27,471	33,029
4. मैट्रिक	28,517	30,961
5. मैट्रिक से कम	95,826	1,15,649
योग :	1,72,209	2,07,304

(2) राज्य के नियोजन कार्यालयों में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1976-77 एवं 1977-78 में पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट, हायर सैकेण्डरी और मैट्रिक से कम श्रेणी के आशार्थियों को रोजगार दिलाया गया के संबंध में वर्षानुसार आंकड़े निम्न प्रकार है :—

शिक्षार्थी	1-7-76 से 30-6-77 तक	1-7-77 से 30-6-78 तक
1. पोस्ट ग्रेजुएट	35	56
2. ग्रेजुएट	2,746	2,580
3. हायर सैकण्डरी	3,134	3,075
4. मैट्रिक	2,123	1,992
5. मैट्रिक से कम	10,129	9,561
योग:	18,167	17,264

(रोजगार मंत्री)

(3) राज्य के नियोजन कार्यालयों में वर्ष 1976-77 व 1977-78 में अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति पंजीकृत हुए एवं इस श्रेणी के आशार्थियों को नियोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार पर लगाया गया के संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :—

आशार्थी	पंजीकृत		नियोजित	
	1-7-76 से 30-6-77 तक	1-7-77 से 30-6-78 तक	1-7-76 से 30-6-77 तक	1-7-77 से 30-6-78 तक
1. अनुसूचित जाति	21,568	25,825	2,597	2,638
2. अनसूचित जनजाति	8,943	11,287	1,189	1,194

अल्प संख्यक पंजीकृत एवं नियोजित व्यक्तियों के संबंध में सूचना इस विभाग द्वार एकत्रित नहीं की जाती है।

(4) नियोजन कार्यालयों के क्रियाकलापों के संबंध में रीति-नीति का निर्धारण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। नियोजन कार्यालयों के क्रिया कलापों में रद्दोबदल केन्द्रीय सरकार इस विषय में गठित कार्यकारी दल में विचार-विमर्श के बाद ही करती है।

चित्तौड़गढ़ जिले में भूतपूर्व सैनिकों को आवंटित भूमि

352. **श्री रामप्रसाद लड्ढा** (माण्डल) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़ जिले की चित्तौड़गढ, निम्बाहेड़ा एवं बेगूं तहसीलों में सिंचित क्षेत्र में लगभग 5-7 वर्षों पूर्व कुछ भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिकों को कृषि भूमि का आवंटन किया गया था ?

(2) क्या यह सही कि उक्त आवंटन का मुख्य उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिकों को पुनर्स्थापन की सुविधा देने व उनके परिवारों को आजीविका प्रदान करना था ?

(3) क्या यह सही है कि आपातकाल के दौरान ऐसे सभी सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को भू-आवंटन रद्द करने के नोटिस, अतिरिक्त जिलाधीश (उपनिवेशन), चित्तौड़गढ़ द्वारा जारी किये गये थे ?

(4) अब तक इस प्रकार के कितने भू-आवंटन रद्द किये जा चुके हैं ?

(5) क्या राज्य सरकार का यह कदम सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रति अन्याय

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
पूर्ण नहीं हैं ?

(6) क्या राज्य सरकार सैनिक कल्याण के कार्यक्रम के अन्तर्गत मेजर कमाण्ड एरिया की भांति माइनर एवं मीडियम कमाण्ड एरिया में भी सैनिकों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भू-आवंटन की सुविधा नहीं दे सकती है ? क्या राज्य सरकार ऐसा आदेश या संशोधन जारी करने का विचार रखती है जिससे चित्तौड़ जिले के भूतपूर्व एवं कार्यरत सैनिकों के भू-आवंटन नियमित किये जाकर उन्हें व उनके परिवारों को न्याय प्रदान किया जा सके ? यदि हां, तो ऐसा आदेश क्यों नहीं शीघ्र जारी किया जाये ?

उत्तर

(1) जी हां, 44 सैनिकों व भूतपूर्व सैनिकों को आवंटन किया गया था।

(2) जी नहीं, क्योंकि राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिचन परियोजना में राजकीय भूमि आवंटन) नियम, 1968 में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि सैनिकों के पुनर्स्थापन की सुविधा व उनके परिवारों को आजिविका प्रदान करने का कोई विशेष उल्लेख हो। इन नियमों के तहत भूमिहीन सद्भावी कृषक ही इस प्रकार का आवंटन प्राप्त करने का अधिकारी है।

(3) जी हां, वह नहरी भूमि आवंटन वर्ष 1968 से 1976 तक हुआ और उसमें अनियमितताओं की शिकायत राज्य सरकार तक पहुंचने के फलस्वरूप इन आवंटन केसेज को पुनः खोलने (reopen) का निर्णय किया जाकर नियम 17(क), राजस्थान उपनिवेशन नियम, 1968 के तहत आवंटन की वैधता की जांच हेतु सब प्रकार के आवंटियों को न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश (उपनिवेशन) चित्तौड़गढ़ द्वारा नोटिस दिये गये, जिसमें 21 व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक या कार्यरत सैनिकों के मामले भी शामिल हैं। आपातकाल का इस जांच कार्यवाही से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) उपरोक्त जांच कार्यवाही अतिरिक्त जिलाधीश (उपनिवेशन), चित्तौड़गढ़ के न्यायालय से की जाकर सैकड़ों की तादाद में आवंटन निरस्त किये जा चुके, उनमें 4 सैनिकों के भी निरस्त हुए हैं।

(5) जी नहीं, यह कार्यवाही सैनिक या भूतपूर्व सैनिक किसी के भी प्रति अन्यायपूर्ण नहीं है, इन आवंटन नियमों में सैनिक या भूतपूर्व सैनिक के लिये कोई विशेष उल्लेख या preference या उपेक्षा नहीं है। यह जांच पड़ताल कार्यवाही सभी वर्ग के आवंटियों के बाबत चल रही है। काफी मामलों में निर्णय दिया जा चुका है और एक हजार से ऊपर मामले इस अतिरिक्त जिलाधीश (उपनिवेशन) के न्यायालय में पेन्डिंग हैं और नये मामले भी धीरे धीरे तहसीलों की रिपोर्ट के आधार पर दायर हो रहे हैं।

(6) प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

जो लोग अनियमित तौर पर भूमि आवंटन करा लेते हैं उनको बेदखल कर दिये जाने का नियमों में प्रावधान है।

सियाट-भैसाणा जलप्रदाय योजना

353. **श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):** क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने

(श्री माधवसिंह दीवान)
की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सियाट-मैसाणा, जिला पाली जलप्रदाय योजना की जिला आयोजना समिति ने सिफारिश की है। यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सुरायता के लोगों की पीने के पानी की बहुत समस्या है ? क्या यह भी सही है उपरोक्त ग्राम अजीतपुरा से जहां जलप्रदाय योजना चालू है वह 3 किलोमीटर ही पड़ता है ?

(3) क्या राज्य सरकार अजीतपुरा से सुरायता को पानी दिलाने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि ग्राम कंटालिया को इलेक्ट्रिफाई कर दिया गया है, फिर भी आज तक वहां की नल योजना को डीजल पम्प सैट से चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या डीजल पम्प सैट के कारण राज्य सरकार को नुकसान नहीं हो रहा तथा कब तक इसे बिजली के पम्प सैट में बदल दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सियाट को मैसाणा जिला आयोजना समिति द्वारा वर्ष 1977-78 में प्रस्तावित किया गया है। यह योजना स्वीकृत नहीं हुई है।

(2) ग्राम सुरायता में पानी विभाग के मास्टर प्लान के अनुसार खारा एवं फ्लोराइड-युक्त है। यह ग्राम अजीतपुरा से लगभग छः किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

(3) ग्राम सुरायता को वर्ष 1977-78 में जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित नहीं किया गया। अतः राज्य सरकार के पास इस ग्राम की योजना विचाराधीन नहीं है।

(4) जी हां, शीघ्र ही इस योजना को बिजली से चलाने की कार्यवाही की जावेगी।

अधिशासी अभियन्ता के पद पर की गयी पदोन्नति

355. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) विभाग में अधिशासी अभियंता (यान्त्रिक) के पद पर सन् 1973 से कितनी बार, कितने अधिकारियों की पदोन्नति की गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या किसी अनसूचित जाति तथा जनजाति के अधिकारी की पदोन्नति की गई? यदि हां, तो कितने की? यदि नहीं, तो क्यों नहीं? क्या राज्य सरकार इस हेतु प्रयत्न कर रही है?

उत्तर

(1) विभाग में अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) के पद पर सन् 1973 से चार बार कुल 6 अधिकारियों की पदोन्नति की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। नियमानुसार अनु-सूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारी को पदोन्नति दी जाती है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

बीकानेर जिले के देहाती गांवों में पेयजल का वितरण

356. **श्री उदाराम हटीला** (नोखा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

बीकानेर जिले के देहाती गांवों में, किन-किन गांवों को वाटर सप्लाई ट्यूब वेल के जरिये दी जा चुकी है ? तथा किन-किन गांवों में अब और दी जानी है ? पूरे जिले में कितने ट्यूब वेल हैं ?

उत्तर

बीकानेर जिले के जिन ग्रामों में जल ट्यूब वेल स्रोत से उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अब कराया जाना है उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है । उपलब्ध सूचना के अनुसार पूरे जिले में 97 नलकूप हैं ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

बून्दी जिले के कस्बों में पेयजल पहुंचाने हेतु डाली गयी पाइप लाइन

357. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी जिले के अन्तर्गत किन-किन बड़े कस्बों में पेयजल की समस्या को हल करने के लिए जलदाय विभाग द्वारा पानी पहुंचाने हेतु पाइप लाइन डाली गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त कस्बों की केशोरायपाटन, कापरेन, लाखेरी, बड़ा खेड़ा, झालीजी बराना की हरिजन बस्तियों में भी पेयजल की समस्या को हल करने हेतु पाइप लाइन डाली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार हरिजनों (मेहतरों) को पेयजल की समस्या से ग्रस्त रखना चाहती है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार प्राथमिकता के क्रम में मेहतर बस्तियों में, पेयजल पहुंचाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जिला बूंदी के बूंदी, लाखेरी, केशोरायपाटन, नैनवां के पेयजल की समस्या को हल करने के लिए जल योजना चलायी जा रही है ।

(2) जिला बूंदी के केशोरायपाटन, लाखेरी कस्बों में एवं ग्राम बड़ा खेड़ा, कापरेन, झालीजी बराना की हरिजन बस्तियों में पेयजल की समस्या हल करने हेतु पाइप लाइन डाली गई है ।

(3) जी नहीं, हरिजनों की पेयजल व्यवस्था हेतु राज्य सरकार उपलब्ध बजट के अनुसार समय समय पर कार्य करवाती है ।

नागौर जिले के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था

358. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले के पश्चिमी रेगि

(श्री बंशीलाल सारस्वत)
स्तानी क्षेत्र व खड्डी प्राप्त क्षेत्र जहां पानी खारा है या दूर तक उपलब्ध नहीं है, उन गांवों को प्राथमिकता देकर क्या राज्य सरकार पेयजल की व्यवस्था कर रही है ?

(2) यदि ऐसा है, तो राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(3) योजना में प्राथमिकता तय विभाग के अधिकारीगण कर रहे हैं या अन्य ऐजेंसीज से परामर्श ली जा रही है ?

उत्तर

(1) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार नागौर जिले के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र व खड्डी प्राप्त क्षेत्र के अधिकतर ग्रामों में पेयजल की समस्या है। राज्य सरकार समस्या ग्रस्त ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देती है।

(2) जिला आयोजना समिति से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समस्या ग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता देते हुये, योजनायें स्वीकृत की जाती है। विश्व बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु बनाई जा रही परियोजना में भी समस्या ग्रस्त ग्रामों को प्राथमिकता दी जा रही है।

(3) जिला आयोजना समिति द्वारा प्राथमिकता दर्शाते हुए योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाते हैं इन प्रस्तावों की तकनीकी जांच करने के पश्चात् प्राथमिकता एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर धन की उपलब्धि के अनुसार योजनायें स्वीकृत की जाती हैं।

राज्य पथ परिवहन निगम, जोधपुर डिपो की बसें

359. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर रीजन के राज्य पथ परिवहन निगम के डिपोज की ज्यादातर बसें पुरानी हैं एवं उनका ब्रेक डाऊन ज्यादा होता रहता है ? अगर हां, तो उनके सुधार के लिए निगम कब तक क्या कार्यवाही करेगा ?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम की ज्यादातर बसों में टूल्स बाक्स, स्टेपनी, फर्स्ट एड बाक्स एवं शिकायत बुकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ? अगर हां, तो क्यों एवं उक्त कमियों को कब तक दूर कर दिया जावेगा ?

(3) जोधपुर रीजन की, निगम की पुरानी यात्री बसों के बदले नई बसों की व्यवस्था सब डिपोज में कब तक करवा दी जावेगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि जोधपुर रीजन में आवश्यकतानुसार अभी तक यात्री बसों की निगम द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्यों तथा कमी कब तक दूर कर दी जावगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। निगम के जोधपुर क्षेत्र की वाहनों की यांत्रिक स्थिति संतोष-जनक है। ब्रेक डाउन की रेट अन्य सम्भागों के मुकाबले कम है।

(2) निगम के सभी वाहनों के साथ

यातायात मंत्री)

सामान्यतया शिकायत पुस्तिका उपलब्ध करायी हुई है। जेक, व्हीलपाना, स्टपनी तथा प्राथमिक चिकित्सा मंजूषा (First Aid Box) की कमी है जिनके क्रय करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

(3) जोधपुर संभाग में सात वर्ष की निर्धारित आयु से अधिक आयु की केवल 6 वाहनें हैं। जोधपुर सम्भाग टाटा गाड़ियों का है। टाटा मेक की वाहनें उपलब्ध होने पर जोधपुर सम्भाग को भी आवश्यकतानुसार नई वाहनें उपलब्ध करा दी जावेगी।

(4) जी नहीं। जोधपुर सम्भाग में आवश्यकतानुसार 281 वाहनें उपलब्ध हैं।

यातायात मार्गों का राष्ट्रीयकरण

360. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने सड़क यातायात राष्ट्रीयकरण की नीति में परिवर्तन कर दिया है? अगर हां, तो क्या? अगर नहीं, तो राष्ट्रीयकरण इतनी धीमी गति से क्यों किया जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने काफी प्राइवेट बसें किराए पर ली हैं? अगर हां, तो किस रेट पर एवं क्यों? प्राइवेट गाड़ियां किराये पर लेकर चलाने की नीति से पथ परिवहन निगम को क्या फायदा हुआ है?

(3) क्या यह भी सही है कि निगम द्वारा यात्री गाड़ियों के किराए को देखते हुए यात्रियों को कम सुविधाएं, अन्य राज्यों के मुकाबले दी गई हैं? अगर हां, तो क्यों तथा भविष्य में क्या-क्या सुविधाएं बढ़ाई जावेंगी?

(4) निगम द्वारा सारे राज्य में बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। छठी पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1979-80 से 1983-84) में प्रत्येक वर्ष 8 प्रतिशत की दर से राष्ट्रीयकरण प्रस्तावित है।

(2) जी हां। निगम ने वर्तमान में 88 प्राइवेट वाहनें रु. 1.20 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अनुबन्ध पर ली हैं। निगम ने ये वाहनें बसों की कमी पूर्ति हेतु ली हैं। इसमें लाभ-हानि का प्रश्न नहीं है।

(3) जी नहीं। राजस्थान पथ परिवहन निगम के 18 प्रमुख बस स्टेण्ड हैं जहां पर यात्रियों को बैठने के लिये यात्री शैड, प्याऊ, शौचालय, मूत्रालय व रोशनी आदि की व्यवस्था है। विभिन्न बस स्टेण्डों पर यात्री सुविधा का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है तथा सर्वे पूर्ण होने पर वित्तीय साधनों की उपलब्धता के अनुरूप अतिरिक्त सुविधायें जहां आवश्यक होंगी दिये जाने का प्रयास किया जावेगा।

(4) निगम द्वारा छठी पंचवर्षीय योजना में प्रति वर्ष 8 प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने का लक्ष्य प्रस्तावित किया है। शत प्रतिशत राष्ट्रीयकरण करने की अवधि निश्चित बताना संभव नहीं है।

सोजत-बिलाडा मार्ग का राष्ट्रीयकरण

361. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत):

Page No 31

(31)

(श्री माधवसिंह दीवान)
क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सोजत-बिलाड़ा मार्ग पर कितनी निजी बसों को परमिट दिए हुए हैं ? हर रोज कितनी-कितनी बसें किस किस समय चलती हैं ? सन् 1976-77 तथा 1977-78 में महीनेवार कितने यात्री कर की वसूली हुई ?

(2) क्या इस रूट पर पिछले दो वर्षों में कभी चैकिंग हुई ? यदि हां, तो कितनी बार, तथा कितनी सवारियां बिना टिकट पाई गई तथा कितना जुर्माना वसूल किया गया ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार उपरोक्त मार्ग का राष्ट्रीयकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही चल रही है? तथा कब तक पूरी होने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) क्या इस रूट को जल्दी से जल्दी राष्ट्रीयकृत कर जोधपुर-बिलाड़ा-सोजत-पाली-जोधपुर सरकुलर बस चलाने का राज्य सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सोजत-बिलाड़ा मार्ग पर निजी बसों को 22 परमिट दिये हुए हैं। प्रतिदिन संचालित बसों की समय सारिणी सदन के पटल पर रख दी गई हैं। इन वाहनों से वर्ष 1976-77 व 1977-78 में यात्री कर की निम्न वसूली हुई:—

1.	1976-77	65,652.00 रु.
2.	1977-78	85,609.00 रु.

(2) गत दो वर्षों में इस मार्ग पर 32 बार चैकिंग हुई जिसमें 202 सवारियां बिना टिकट पाई गई। इस संबंध में 31 चालान प्रस्तुत किये गये जिसमें 5 चालानों का फैसला होकर 518.10 पैसे शास्ति शुल्क व 200/- रुपये जुर्माने के वसूल किये गये। शेष 26 मामले अभी विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 68 (ग) के अन्तर्गत सोजत-बिलाड़ा वाया सड़िया अटपैड़ा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की प्रारूप योजना दिनांक 30-11-76 को प्रकाशित की जा चुकी हैं। इस योजना के विरुद्ध प्राप्त आपत्ति पक्षों की सुनवाई जारी है। योजना अनुमोदित हो जाने के उपरान्त इस मार्ग पर निगम द्वारा वाहन संचालन सम्भव हो सकेगा।

(4) उक्त मार्ग की योजना अनुमोदित हो जाने के उपरान्त ही निगम द्वारा वाहन संचालन सम्भव हो सकेगा।

(सारिणी के लिये कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

जयपुर शहर में दर्ज अपराध

362. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष जयपुर शहर के विभिन्न थानों में कितने अपराध दर्ज किये गये ?

(2) क्या यह सही है कि इस वर्ष अपराधों में बढ़ोत्तरी हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? गत तीन वर्षों में अपराधों की तुलनात्मक आंकड़ों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) वर्ष 1978 में माह अगस्त तक जयपुर नगर के थानों में 347 अपराध दर्ज हुए।

(2) जी हां। वर्ष 1978 के प्रथम आठ माह में गत वर्ष 1977 की इसी अवधि की तुलना में 308 अपराध अधिक पंजीबद्ध हुए हैं। गत तीन वर्षों के तुलनात्मक आंकड़ों की सूची संलग्न है।

(आंकड़ों के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

झूठे प्रमाण-पत्र पर दर्ज मामला

363. श्री **हनवन्तसिह राणावत** (ब.ग़ी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पीपलीया कलां, जिला पाली से बलात्कारियों को झूठे प्रमाण-पत्र दिये जाने पर पुलिस में मुकदमा दर्ज हुआ है?

(2) अगर हां, तो क्या केस नं. 39, दिनांक 23-8-77, पुलिस थाना रायपुर जिला पाली की फाइल कहां रुकी हुई है?

(3) क्या यह भी सही है कि इसमें कोई प्रभावशाली व पूंजीपति मुलजिम है?

(4) मुलजिमों की सूची सदन की मेज पर पेश करने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) इस अभियोग का अनुसंधान सी. आई. डी. (अपराध शाखा) द्वारा किया जा रहा है।

(3) इस अभियोग का अन्वेषण चल रहा है। अन्वेषण पूर्ण होने पर ही इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहा जा सकता है।

(4) अभियोग अभी अन्वेषणाधीन है, अतः प्रश्न पैदा नहीं होता।

मण्डावा में हुए अपराध

364. श्री **ओंकार लाल चौहान (अटरू)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) कस्बा मण्डावा (झुन्झुनूं) में वर्ष 1977 से अब तक कितनी चोरी आदि की वारदातें हुई?

(2) उक्त वारदातों में कितनी चोरियां पकड़ी गई और पुलिस की लापरवाही से कितनी चोरियों का पता नहीं चला है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ माह पूर्व उक्त कस्बे में एक आदमी की दिन दहाड़े हत्या करदी गई? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किन-किन व्यक्तियों का हाथ था और पुलिस ने अभी तक क्या कार्यवाही की है?

(4) कस्बा मण्डावा (झुन्झुनूं) में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) कस्बा मण्डावा में वर्ष 1977 में अगस्त, 78 तक नकबजनी व अन्य चोरी की 11 वारदातें हुई हैं।

(गृह मंत्री)

(2) आलोच्य अवधि में एक चोरी पकड़ी गई, 8 अदम पता रही, एक झूंठी पाई गई एवं एक अन्वेषणाधीन चल रही है। सूची संलग्न है।

(3) जी हां। इस मामले में श्री ओम प्रकाश कायस्थ नि. मन्डावा व हरलाल जाट निवासी लालासी को दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध न्यायालय में दिनांक 4-9-78 को चालान प्रस्तुत कर दिया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

(4) कस्बा मण्डावा में कानून व व्यवस्था पूर्ण नियंत्रण में है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

पुलिस थाना मोढपुर (कोटा) में दर्ज मामले

365. श्री **ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा अन्तर्गत पुलिस थाना मोढपुर में जून, 78 में कुल कितनी रपट दर्ज की गई है? क्या इन दर्ज रपटों में कुछ रपट ऐसी भी हैं जिनमें प्रार्थियों द्वारा अपने जीवन की रक्षा की याचना की गई है? यदि हां, तो किन-किन तिथियों को किन-किन व्यक्तियों द्वारा? रपटों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त रपटों में दिनांक 26 जून को एक हरिजन द्वारा भी अपने जीवन रक्षा के लिये रपट दर्ज कराई गई थी? यदि हां, तो यह रपट किस हरिजन ने किस के विरुद्ध दर्ज कराई थी और पुलिस द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या उक्त हरिजन द्वारा दर्ज कराई गई रपट पर की गई कार्यवाही के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया? यदि हां, तो किस तिथि को और उसके विरुद्ध आगे क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या इस संबंध में सदन के माननीय सदस्य, श्री गोपाल पचेरवाल द्वारा डी. आई. जी., पुलिस, कोटा को कोई पत्र लिखा गया था? यदि हां, तो किस तिथि को और उस पत्र में क्या लिखा था तथा उक्त पत्र के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जून, 78 में थाना मोढपुर, जिला कोटा में कुल 751 रिपोर्ट रोजनामचा आम में दर्ज की गई। इन रिपोर्टों में से 5 रिपोर्टों में प्रार्थियों द्वारा अपनी जान-माल का खतरा बतलाते हुए सुरक्षा हेतु निवेदन किया गया था। उनके नाम मय तिथि व प्रतिलिपि रिपोर्ट संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) माननीय सदस्य, श्री गोपाल पचेरवाल द्वारा दिनांक 15-9-78 को एक पत्र पुलिस उप-महानिरीक्षक, कोटा को लिखा गया था पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। इस पर सर्किल आफिसर, छबड़ा ने तथ्यों की जांच की तो परिवाद में अंकित तथ्य सही नहीं पाये गये। अतः कोई कार्यवाही का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(प्रतिवेदन के लिये कृपया परिशिष्ट 10 देखें)।

ग्राम पुर (सांचौर) के उप-सरपंच की हत्या का मामला

366. श्री **रघनाथ विश्नोई** (सांचौर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पुर तहसील सांचौर, जिला जालोर के उप-सरपंच श्री रतनाराम मेघवाल के कत्ल के मामले में पुलिस थाना सांचौर द्वारा मकतूल श्री रतनाराम के सगे भाई श्री दुर्गाराम मेघवाल एवं श्री भीखाराम विश्नोई को गांव की आपसी पार्टी बन्दी के कारण झूंठा फसाया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उप-सरपंच के कत्ल के मामले में कत्ल के षडयन्त्र का झूंठा आरोप लगाकर पुलिस थाना सांचौर एवं सर्किल आफिसर भीनमाल द्वारा विरोधी पार्टी से मिलकर कई निर्दोष व्यक्तियों को झूंठा फसाया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि झूंठे फसाए गए व्यक्तियों की ओर से पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध उच्च पुलिस अधिकारियों एवं राज्य सरकार को कई शिकायतें की गई थीं ? अगर हां तो उनके बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त कत्ल के मामले की निष्पक्ष तफतीश सी. बी. आई. को सौंपना उचित समझेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(5) क्या यह सही है कि डी. आई. जी. पी. जोधपुर रेंज ने सर्कल आफिसर भीनमाल तफतीश कुनन्दा को स्थानीय दोनों पार्टी से निष्पक्ष तफतीश कर असली कातिलों का पता लगाने के आदेश एवं रिमाइन्डर दिये थे ? अगर हां, तो कब-कब एवं उनके निर्देशों के अनुसार तफतीश क्यों नहीं की गई ? दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है एवं भविष्य में कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) शिकायतों को आवश्यक जांच हेतु जिला पुलिस अधीक्षक के पास भेजा गया है । जांच जारी है ।

(4) जी नहीं । केश में सी. आई. डी. (सी. बी.) तफतीश कर रही है । अत: सी. बी. आई. से कराने का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(5) जी हां । उप-महानिरीक्षक, जोधपुर रेंज द्वारा मौखिक निर्देश दिनांक 6-5-78 को घटनास्थल निरीक्षण के बाद तथा लिखित निर्देश दिनांक 12-5-78 के आदेश द्वारा दिए गए थे । इन निर्देशों की अनुपालना से पूर्व ही इस मुकदमें का अनुसंधान अपराध अनुसंधान विभाग को स्थानान्तरित हो गया । अत: कार्यवाही करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

विधान सभा सदस्यों में से आपातकाल में जेल गये सदस्य

367. **श्री शिवचरण सिंह** (बयाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य विधान सभा के कौन-कौन सदस्य आपातकाल में जेल गये

(श्री शिवचरण सिंह)

(2) इन सदस्यों में से कौन-कौन से सदस्य माफी मांग कर आये तथा किन-किन सदस्यों को पैरोल पर छोड़ा गया।

(3) उक्त समय में किन-किन सदस्यों के घर वालों को आर्थिक सहायता दी गई? तथा किन-किन सदस्यों को जेल में सुविधा दी गयी?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) पैरोल पर छोड़े गये सदस्यों की सूची संलग्न है। माफी मांग कर कोई सदस्य छूटना नहीं पाया जाता।

(3) जिन सदस्यों के घर वालों को आर्थिक सहायता दी गई उनकी सूची संलग्न है। जेल में चिकित्सा, मनोरंजन, पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधायें उपलब्ध की गई थीं एवं इसके अलावा सुविधाओं में दैनिक कार्य में काम में आने वाली वस्तुएं यथा टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथ ब्रुश, नहाने व कपड़े धोने का साबुन, गर्म व सूती वस्त्र, कारागृह में प्रदत्त श्रेणी के अनुसार भोजन आदि भी थी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

राज्य में घेराव, प्रदर्शन, आन्दोलन आदि से संबंधित मामले

368. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 22 जून, 1977 से पूर्व घेराव, आन्दोलन, प्रदर्शन आदि के कितने मामले (केस). दण्ड विधान की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत राज्य के न्यायालयों में विचाराधीन थे? सूची पूर्ण विवरण के साथ सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विचाराधीन मामलों में से कितने मामले (केस) राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिये गये और कितने मामले अभी भी दण्ड न्यायालयों में विचाराधीन हैं? पूर्ण विवरण के साथ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राज्य सरकार ने विचारधीन मामलों को अभी तक वापस क्यों नहीं लिया? क्या वापस लेने की कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो ये मामले (केस) कब तक वापस ले लिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) 131 मुकदमें राज्य के न्यायालयों में विचाराधीन थे। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) 85 मुकदमें राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिये गये हैं और 46 मुकदमें न्यायालयों में विचाराधीन हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) अभियुक्तों की ओर से इस आशय के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा केसेज को वापस लेने की कार्यवाही की जाती है। जिन मामलों में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं उन पर कार्यवाही विचाराधीन है। उन पर निर्णय जिलों से सूचना प्राप्त होने पर लिया जायेगा। जिन मुकदमों को वापिस लिये जाने के

(गृह मंत्री)
प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं हुये है जिन्हें वापस लेने के प्रश्न पर विचार किये जाने का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाएं ग्रामों में खोलने की योजना

369. **श्री बहादुर सिंह (नोहर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार सभी विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम लागू करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार सेन्ट्रल स्कूल, पब्लिक स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आदि उच्च स्तर की शिक्षण संस्थाएं बन्द करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाएं जो कि केवल शहरों में ही है से शिक्षा में असमानता नहीं है ? क्या राज्य सरकार ग्रामों में भी ऐसी संस्थाएं खोलने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के विद्यालयों एवं बोर्ड से मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में समान पाठ्यक्रम ही लागू है ।

(2) सैन्ट्रल स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आदि संस्थायें केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हैं, राज्य सरकार द्वारा नहीं । ऐसी दशा में राज्य सरकार द्वारा इन शिक्षण संस्थाओं को बन्द करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । पब्लिक स्कूल को बन्द करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है । पब्लिक स्कूलों के औचित्य के बारे में विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है ।

(3) जी हां। गांवों में राज्य सरकार समय-समय पर स्कूलें खोलती रहती है ।

डग विधान सभा क्षेत्र में खोले गये स्कूल

370. **श्री बालचन्द आर्य (डग)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झालावाड़ जिले के डग विधान सभा क्षेत्र में इस सत्र में सैकन्डरी स्कूल खोले गये ? यदि हां, तो कितने और कहां-कहां और किन-किन कस्बों में खोले गये ? यदि उपेक्षा की गयी तो क्या कारण है जब कि झालावाड़ जिले को पिछड़ा जिला घोषित कर रखा है और उसमें डग विधान सभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है ?

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कब तक कितने सैकन्डरी स्कूल व मिडिल स्कूल व प्राइमरी स्कूल खुल जायेंगे ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में किसी भी गांव की आबादी निर्धारित मानदण्ड के अनुसार नहीं होने से सैकन्डरी स्कूल नहीं खोला जा सका ।

(2) फिलहाल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

चालू वर्ष में खोले गये स्कूल

371. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चालू वर्ष में नये स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक क्राइटेरिया तय किया गया था ? यदि हां, तो वह क्या था तथा उसके अन्तर्गत राज्य में कितने स्कूल खोले गये ?

(2) क्या यह सही है कि इसके बाद कुछ नये स्कूल और खोलने का राज्य मंत्रिमण्डल ने निश्चय किया ? यदि हां, तो कितने स्कूल किस किस प्रकार के राज्य में खोले गये ? इनको खोलने का क्या क्राईटेरिया तय किया गया तथा क्या इसे स्ट्रिक्टली फालो किया गया ? नये स्कूल जहां खोले गये उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । नये स्कूल खोलने हेतु 1971 की जनगणना के अनुसार 3000 की आबादी पर सैकण्डरी, 2000 की आबादी पर मिडिल एवम् 400 की आबादी पर प्राइमरी स्कूल खोलने का मापदण्ड निर्धारित किया गया । रेगिस्तानी एवं जन-जाति क्षेत्रों के लिये आबादी क्रमश : 2750, 1750 एवं 350 रखी गई । सामान्यतया तथा उक्त मापदण्ड के आधार पर ही स्कूल खोले गये हैं। इस वर्ष में अब तक कुल 1780 स्कूल खोले गये हैं ।

(2) राज्य मंत्रिमण्डल ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया।

अनट्रेण्ड ग्रेजुएट अध्यापकों का चयन

373. **श्री नवरंग सिंह** (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 1957 से 31 अगस्त, 1961 तक शिक्षा विभाग के अनट्रेन्ड ग्रेजुएट ग्रेड में नियुक्तियां 100 प्रतिशत लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती से की जाती थीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस भर्ती के लिये समाचार पत्रों में विज्ञापन किया जाता था तथा कुछ फीस भी रखी जाती थी और साक्षत्कार आदि से ही चयन किया जाता था ?

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने पत्र एफ० 12(13) जून । 6411065 दिनांक 12-12-72 से कुछ व्यक्तियों को 1960 (बारह वर्ष पूर्व) में अनट्रेण्ड ग्रेजुएट अध्यापकों के रूप में चयनित घोषित किया था ? यदि हां तो इस चयन के लिये सूचना किस विज्ञापन संख्या से की गई ? इन चयनित व्यक्तियों की सूची एवं विज्ञापन प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(4) क्या इस गुप्त चयन से विज्ञापन के अभाव में राज्य सरकार के लिये फीस आदि के रूप में होने वाली पर्याप्त आय का नुकसान नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है और राज्य सरकार उसके खिलाफ क्या कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी हां । इस बीच में विभाग

(38)

(शिक्षा मंत्री)
द्वारा भी अप्रशिक्षित स्नातक श्रृंखला के पदों को सीधी नियुक्ति द्वारा तथा तृतीय श्रेणी के सेवारत अध्यापकों को पदोन्नत कर के भरा जाता रहा है।

(2) जी हां।

(3) यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या एफ० 12/13/जन•/64/1065, दिनांक 12-2-72, द्वारा 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60 के बी० एड० एवं बी० एड० के समतुल्य प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को दिनांक 7-6-60 से तथा 1960-61 के उपरोक्त प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों को 1-7-61 से चयनित मानते हेतु स्वीकृति प्रदान की गई थी। चयनित व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। विज्ञापन की प्रतिलिपि लोक सेवा आयोग कार्यालय देने में असमर्थ है क्योंकि नियमानुसार सम्बन्धित पत्रावली नष्ट की जा चुकी है।

(4) जी नहीं। विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग पदधारकों की उपयुक्ता आंकता है, जिसके अन्तर्गत आवेदन शुल्क लेने का प्रावधान नहीं है और न ही इस प्रक्रिया में विज्ञापन की आवश्यकता होती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राजस्थान विश्वविद्यालय में नये नियुक्त कर्मचारी

374. **श्री बन्शीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या अभी पिछले एक साल में राजस्थान विश्वविद्यालय ने किन्हीं अधिकारियों के फिक्सेशन तय किये? यदि हां, तो किन-किन के किये गये?

(2) क्या इस बारे में राज्य सरकार की अनुमति ली गई?

(3) इस अवधि में विश्वविद्यालय में कितने व्यक्ति नये सिरे से भर्ती किये गये हैं? इनमें से कितने व्यक्ति विश्वविद्यालय के अधिकारियों के सम्बन्धी हैं?

(4) क्या विश्वविद्यालय वित्तीय भार से दबा हुआ नहीं है?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय के अधिकारियों के फिक्सेशन राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित नवीन वेतनमान) के अनुसार दिये गये। सूची संलग्न है।

(2) जी हां।

(3) उस अवधि में विश्वविद्यालय में कुल 150 व्यक्ति नये सिरे से भर्ती किये गये हैं। विश्वविद्यालय में इस प्रकार का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है जिसमें इस बात का समावेश हो कि कौन कर्मचारी किसका रिश्तेदार है।

(4) जी नहीं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

नगर विकास न्यासों में मनोनीत अध्यक्ष व सदस्य

377. **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कुल कितने नगर विकास न्यास हैं ? क्या इन न्यासों में गैर सरकारी अध्यक्षों व सदस्यों का मनोनयन कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन का ? निम्न विवरण के साथ सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें:—

(क) नाम
(ख) आयु
(ग) सार्वजनिक सेवा की अवधि
(घ) पूरा पता

(2) क्या मनोनीत सदस्यों व अध्यक्षों में महतर जाति का भी कोई सदस्य अथवा अध्यक्ष है ? यदि हां, तो कितने ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या न्यासों के मनोनीत अध्यक्षों में कोई अध्यक्ष अनुसूचित जाति का भी है ? यदि हां, तो कितने व कौन ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 7 नगर विकास न्यास हैं। राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम 1959 के प्रावधान के अनुसार इनमें से 6 नगर सुधार न्यासों में गैर सरकारी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति दिनांक 8-9-78 को की गई है। गैर सरकारी अध्यक्षों एवं सदस्यों के सम्बन्ध में चाही गई सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 9 के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति के सदस्य नियुक्त किये गये हैं जिनके विवरण भी उपरोक्त सूची में अंकित कर दिये गये हैं। महतर जाति भी अनुसूचित जाति में समाविष्ट है।

(3) जी नहीं। भविष्य में यह विचार में रक्खा जावेगा।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

सोजत नगरपालिका को सड़क निर्माण के लिए दी गयी धनराशि

378. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सोजत नगरपालिका में सड़कों के निर्माण के फण्ड में सन् 73-74 से आज तक किस-किस समय कितनी-कितनी राशि जमा रही तथा इसी समय के दौरान कितनी नई सड़कों का निर्माण हुआ तथा किन-किन को किस-किस रेट पर उनका ठेका दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह रकम जरूरत से ज्यादा समय पड़ी नहीं रही ? यदि हां, तो उसके क्या कारण है तथा उसके लिये कौन-कौन जिम्मेवार हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि रकम होने के बावजूद सोजत शहर की अनेक मुख्य सड़कें आज भी कच्ची पड़ी हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी तथा

(श्री माधवसिंह दीवान)

इन्हें कब तक पक्की बना देने का राज्य सरकार का प्लान है ?

उत्तर

(1) सोजत नगरपालिका में सड़कों के निर्माण कार्य हेतु फण्ड में 73–74 से निम्न राशि बकाया रही:--

1973.74	रु०	329.40
1974.76	रु०	429.90
1975.76	रु०	13410.27
1976.77	रु०	118971.57
1977.78	रु०	176180.57

उपरोक्त समय में पालिका द्वारा कोई सड़क निर्माण का कार्य नहीं करवाया गया पालिका द्वारा समय-समय पर टेन्डर जारी किये गये किन्तु किसी का टेन्डर स्वीकृत नहीं हुआ। अतः ठेका नहीं दिया। अब दो सड़कों की स्वीकृति दे दी गई है।

(2) उत्तर भाग (1) में आ चुका है।

(3) कुछ सड़कें अभी तक कच्ची हैं। अब मोटावत भवन से कबूतरों का चबूतरा एवं चांदपोल दरवाजे से मालियों का चौक की सड़क का निर्माण कार्य करने की स्वीकृति दे दी गई है। एवं अन्य सड़कों के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग से एस्टीमेट प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जावेगी।

मकराना अस्पताल में सर्जन की नियुक्ति

379. श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

मकराना सरकारी अस्पताल में सर्जन की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी?

उत्तर

राजकीय अस्पताल मकराना में अलग से सर्जन का पद स्वीकृत नहीं है। सर्जन की व्यवस्था शीघ्र ही की जा रही है।

राज्य में जून, 77 से अब तक किये गये नसबन्दी आपरेशन

380. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जून, 1977 से आज तक विभिन्न जिलों में कितने नसबन्दी आपरेशन हुये ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार ने इस वर्ष यानी सन् 1978-79 में उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में कितने-कितने नसबन्दी आपरेशन करने के लक्ष्य निर्धारित किये हैं और उनमें क्या सफलता मिली है ?

उत्तर

(1) राज्य में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत जून, 77 के अगस्त, 78 तक विभिन्न जिलों में 16477 स्वेच्छिक नसबन्दी आपरेशन किए गये। जिलवार स्वेच्छिक नसबन्दी के आंकड़े संलग्न तालिका "अ" में दर्शाये गये हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1978-79 के लिये स्वेच्छिक नसबन्दी आपरेशन

Page No 41

(५१)

(चिकित्सा मन्त्री)
के जिलेवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। राज्य में अप्रेल, 78 से सितम्बर, 78 तक कुल 7,930 स्वेच्छिक नसवन्दी आपरेशन किये गए हैं जिसकी जिलेवार सूचना तालिका "अ" में दर्शाई गई है।

(तालिका के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

बाड़मेर चिकित्सालय में रोगी शैय्याओं की व्यवस्था

381. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में 150 रोगी शैय्याओं के कितने अस्पताल किन-किन स्थानों पर हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राज्य सरकार द्वारा उक्त रोगी शैय्याओं के अस्पताल के खोले जाने के लिये किन-किन आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है ?

(3) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर का चिकित्सालय उन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है ? यदि हां, तो उक्त शैय्याओं का अस्पताल बाड़मेर नगर में कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) राज्य में 150 रोगी शैय्याओं के चिकित्सालय निम्न स्थानों पर हैं :—

1) ब्यावर

2) धौलपुर

3) पाली

4) सीकर

5) डूंगरपुर

6) भीलवाड़ा

(2) जिला मुख्यालयों पर जन सहयोग से अतिरिक्त भवन उपलब्ध कराने के ठोस प्रस्ताव प्राप्त होना आवश्यक है तथा योजना मद में इन कार्यों हेतु वित्तीय प्रावधान होना आवश्यक है।

(3) जन सहयोग के अतिरिक्त आवश्यक भवन व्यवस्था उपलब्ध होने पर योजना मद में इस कार्य हेतु वित्तीय प्रावधान होने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

सांख्यिकी विभाग में पदस्थापित अधिकारी

382. श्री **राम प्रसाद लड्ढा** (माण्डल): क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले पांच वर्षों से राजस्थान सांख्यिकी सेवा के कौन-कौन अधिकारी किन-किन विभागों में किन-किन पदों पर कार्यरत हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन पदों पर कार्य करने लिए वे उचित पात्र हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार इतने वर्षों से एक ही पद पर कार्य करते आ रहे इन अधिकारियों का स्थानान्तरण करने का विचार रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार विभिन्न विभागों में ऐसे पदों पर सीधी भर्ती से योग्य

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
एवं उपयुक्त अधिकारी चयन करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो ऐसे प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के अधिकारी जो पिछले पांच वर्षों से एक ही विभाग में कार्यरत हैं की सूची संलग्न है ।

(2) जी हां ।

(3) राज्य कार्य की दृष्टि से जिन अधिकारियों का स्थानान्तरण करना आवश्यक समझा जावेगा स्थानान्तरण किया जावेगा ।

(4) आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियमों के अन्तर्गत सांख्यिकी अधिकारियों के पद पर 66 2/3 प्रतिशत सीधी भर्ती का प्रावधान है । शेष उच्च पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती करने का प्रावधान है ।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 14 देखें)

उदयपुर नगर की झीलें

384. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर में पानी लाने के लिए कोई योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितनी प्रगति हो चुकी है ?

(2) क्या यह सही है कि देवास योजना का द्वितीय एवं तृतीय चरण के पूरा नहीं होने से, जो योजना बनाई गई उसका लाभ प्राप्त नहीं सका ?

(3) देवास योजना को बीच में ही रोक देने का कारण क्या था ?

(4) क्या यह सही है कि इस योजना के अभाव में उदयपुर का विकास अवरुद्ध हो गया है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

देवास योजना स्टेज 1, 2, 3 के द्वारा उदयपुर नगर में पानी लाने के लिए योजना बनाई गई है । देवास स्टेज न. 1 (गोराना की ताल का) कार्य सन् 75 में बन गया था, और इसके कारण पानी पिछोला झील में आना शुरू हो गया है ।

(2) जी नहीं ।

स्टेज 1 के कार्य का लाभ प्राप्त हो रहा है ।

(3) यह योजना उदयपुर शहर में पानी की तकलीफ मिटाने के लिए है तथा जलदाय विभाग द्वारा वांछित धन राशि उपलब्ध न कराने के कारण यह कार्य नहीं लिया गया । यह कार्य सिंचाई मद के तहत नहीं है बल्कि जल दाय विभाग का डिपोजिट वर्क है ।

(4) जी नहीं ।

फलासिया क्षेत्र की पेयजल समस्या

385. **श्री लालू दास** (फलासिया) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की

(श्री लालू दास)
कृपा करेंगे:—

फलासिया क्षेत्र के गांवों में पेयजल की क्या सुविधायें प्रदान की जा रही हैं ? अगर नहीं, तो क्यों ? अगर प्रदान की जा रही हैं तो क्या वह पर्याप्त हैं ?

उत्तर

फलासिया तहसील के 2 ग्रामों में हैण्ड पम्पों द्वारा जल उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा 7 ग्रामों के लिये हैण्ड पम्प योजना वर्ष 78-79 में स्वीकृत की जा चुकी है। नई योजनायें धन की उपलब्धि अनुसार जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों में से तकनीकी उपयुक्तता एवं प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत की जाती है ।

पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़ के ग्रामों की लिफ्ट इरिगेशन योजना

386. श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ के तहत ग्राम जमुवारामगढ़ (कुआखेड़ा), झीकरा देवपुरा पर बनी लिफ्ट इरिगेशन पर राज्य सरकार द्वारा अब तक कितने लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं ?

(2) इन लिफ्ट इरिगेशन स्कीमों से कितनी एकड़ जमीन की सिंचाई होने की सम्भावना थी तथा असल में कितनी भूमि पर ही सिंचाई की जा सकी है ?

(3) क्या यह लिफ्ट इरिगेशन स्कीम ठीक प्रकार से कार्य कर रही है ? क्या इस लिफ्ट इरिगेशन का कार्य पूरा हो चुका है ?

(4) क्या इस वर्ष चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड के द्वारा लिफ्ट स्कीमों के लिए कोई धनराशि उपलब्ध कराई है जिससे अधूरे कार्य पूरे किये जा सकें ? अगर हां, तो किस स्कीम पर कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ?

उत्तर

(1) इन तीनों लिफ्ट सिंचाई योजनाओं पर मार्च, 78 तक 31,33,629/- रु. अक्षरे इकतीस लाख तैंतीसे हजार छः सौ उनतीस रुपये व्यय किये जा चुके हैं ।

(2) इन तीनों लिफ्ट सिंचाई योजनाओं का अनुमानित सिंचित क्षेत्र 1,754 एकड़ था । सन् 1977-78 के दौरान 240 एकड़ मात्र भूमि को इन लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत सिंचित किया गया है ।

(3) यह लिफ्ट स्कीम्स अभी पूर्ण नहीं कही जा सकती हैं, क्योंकि राणा प्रताप सागर-जलाशय का लेवल अप्रेल-मई तक 1,130 आर.एल. तक चला जाता है व फरवरी-मार्च में 1,140 तक चला जाता है । जब कि लिफ्ट से पम्पिंग लेवल 1,144 के लेवल तक ही अब तक किया जा सका है। अभी 1,144 के लेवल से 1,130 के बीच लेवल तक एप्रोच चैनल व पम्पिंग का इन्तजाम करना अभी शेष है। लिहाजा कार्य पूर्ण होने पर ही लिफ्ट स्कीमें अच्छी तरह से कार्य करना शुरू करेंगी ? इन लिफ्ट स्कीमों के कार्य को पूरा हुआ नहीं कहा जा सकता ।

(4). जी नहीं ।

इन स्कीमों के बकाया कार्य को पूरा कराने के लिए मध्य प्रदेश-राजस्थान अन्त-

(सिंचाई मन्त्री)
राजिय (सिंचाई एवं विद्युत) नियन्त्रण मण्डल, कोटा की ओर से कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है। परिवर्तित परियोजना प्राक्कलन, 1978 (राणा प्रताप सागर) में इन स्कीमों के बकाया कार्य को पूरा कराने हेतु आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखा गया है व प्राक्कलन परीक्षणाधीन है।

नये ग्रामों का विद्युतीकरण

388. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमुवा-रामगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इस वर्ष राज्य के नये ग्रामों में विद्युतीकरण किया जायेगा ?

(2) क्या राज्य के उन ग्रामों को विद्युतीकरण में स्वीकृत किया जावेगा जिनकी सीमा से तीन-चार पोल पर ही दूसरे ग्राम में विद्युतीकरण हो चुका है ?

(3) क्या उक्त प्रकार के सभी ग्रामों को विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्ष 1,800 नये ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है।

(2) विद्युतीकरण के लिये उपलब्ध आर्थिक प्रावधान, क्षेत्रीय असन्तुलन एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर ऐसे ग्रामों पर भी विचार किया जा रहा है।

(3) सब ग्रामों का विद्युतीकरण उपरोक्त आधार पर एक साथ संभव नहीं हो सकेगा।

डग विधान सभा क्षेत्र का विद्युतीकरण।

389. **श्री बालचन्द आर्य** (डग) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झालावाड़ जिले के डग विधान सभाई क्षेत्र के कितने गांवों में बिजली है और कितने गांवों को विद्युतीकरण में लिया जा चुका है? वहां कब तक कितने समय में बिजली पहुंच जावेगी ?

(2) नागेश्वर उन्हेल मंदिर में कब तक कितने समय में बिजली पहुंच जावेगी ?

(3) झालावाड़ जिले में कितनी हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण हो चुका है और कितनी बस्तियों में विद्युतीकरण करना बाकी है ? कब तक पूरा विद्युतीकरण हो जावेगा ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले के डग विधान सभाई क्षेत्र के 297 ग्रामों में से 32 ग्राम विद्युतीकृत हैं। इस क्षेत्र में ग्राम उन्हेल के अतिरिक्त अभी और किसी अन्य ग्राम का विद्युतीकरण विचाराधीन नहीं है। उन्हेल का विद्युतीकरण इस वर्ष के कार्यक्रम में सम्मिलित है।

(2) उन्हेल ग्राम के विद्युतीकरण के पश्चात् ही नागेश्वर मन्दिर में कनेक्शन के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के बाद ही कनेक्शन दिया जा सकेगा।

(3) झालावाड़ जिले में अक्टूबर माह तक 96 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 48 ग्रामों की हरिजन बस्तियां विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत हैं। इनकी औपचारिकतायें संबंधित ग्राम पंचायतों

(विद्युत मन्त्री)
द्वारा पूरी की जा रही है जिनके पूरे होते ही इनका कार्य पूर्ण किया जा सकेगा ।

लाडपुरा पंचायत समिति के ग्रामों का विद्युतीकरण

390. **श्री हरीशकुमार शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि लाडपुरा पंचायत समिति की रानपुर, बोरावास, काल्याखेडी, भवरियां, डोल्या, भादल्या कसार पंचायतों के समस्त गांवों को अभी तक भी विद्युत नहीं दी गई है? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सन्दर्भ में क्या तय किया है?

उत्तर

जी हां। लाडपुरा पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाने का कार्य चल रहा है।

बीकानेर जिले के ग्रामों के विद्युतीकरण पर खर्च की गई राशि

391. **श्री रामकृष्णदास गुप्ता** (कोलायत) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1977-78 में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया व इस वर्ष में कितने गांवों के विद्युतीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है?

(2) उपरोक्त सन्दर्भ में बीकानेर जिले का स्थान राज्य के अन्य जिलों की सूची में कौनसा है?

(3) पिछले वर्ष सन् 1977-78 में ग्रामीण विद्युतीकरण में कितनी राशि प्रत्येक जिले में खर्च की गई?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में वर्ष 1977-78 में तीन ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है व इस वर्ष (1978-79) में पंचायत समिति, लूणकरणसर की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम योजना के अन्तर्गत चार ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है।

(2) ग्रामों के विद्युतीकरण के प्रतिशत के हिसाब से राज्य में बीकानेर जिले का लगभग चौबीसवां स्थान आता है।

(3) विद्युतीकरण पर व्यय की गई राशि का हिसाब, मण्डल के वृत्त के आधार पर रखा जाता है। अतः जिलेवार आंकड़े देना संभव नहीं है।

माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

392. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, मांडलगढ़ के कोटडी तहसील के गांव पारोली (गेंला), सोपुरा, बोडियास, बोरखेडा, सोपूरया, सुठेका, जीत्या, नाहरगढ़, बडला, दोवनी, अडसीपुरा और माकल्या आदि गांवों में बिजली नहीं है?

(2) क्या यह सही है कि ये सब गांव बनास नदी के किनारे पर हैं जहां कुओं में बहुत सेझा है पर बिजली के अभाव में सेझे

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
का पूरा उपयोग नहीं होता और कुओं का पानी व्यर्थ पड़ा रहता है ?

(3) क्या यह सही है कि अधिक अनाज पैदा करना राज्य सरकार का खास मकसद है और अधिक अनाज पैदा करने की दृष्टि से उक्त गांवों को बिजलीयुक्त बनाना अधिक जरूरी है ? यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? इन गांवों को कब तक बिजली मिल जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इन गांवों के विद्युतीकरण की कोई योजना अभी स्वीकृत नहीं है।

केशवरायपाटन विधान सभा क्षेत्र को विद्युतीकरण योजना

393. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र केशवरायपाटन, जिला बूंदी में विद्युत समस्या को हल करने के लिए कुल कितने गांवों में विद्युतीकरण किया जा रहा है तथा विद्युतीकरण की पोकेट विलेज योजना में इन ग्रामों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पोकेट विलेज में प्रस्तावित गांवों में विद्युतीकरण का कार्य कब से आरम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र केशोरायपाटन, जिला बूंदी में अभी कोई योजना इस क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत नहीं है और न ही अभी किन्ही गांवों का किसी पोकेट विलेज योजना के अन्तर्गत चयन किया गया है अतः सूची सदन के पटल पर रखने का प्रश्न नहीं उठता है।

(2) अभी कोई गांव न तो प्रस्तावित है और न ही विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत है अतः क्रियान्विति के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

पंचायतों को दिये गये वर्षा मापक यंत्र

394. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को वर्षा मापक यंत्र दिये गये थे ?

(2) राज्य की कितनी ग्राम पंचायतें इस यंत्र (वर्षा मापक यंत्र) का उपयोग करती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि कई ग्राम पचायतें इन यंत्रों के उपयोग से अनभिज्ञ हैं ?

(4) इन यंत्रों के क्रय में राज्य का कितना पैसा व्यय हुआ है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) 153 ग्राम पंचायतें इन वर्षा मापक यंत्रों का उपयोग करती हैं।

(सिंचाई मन्त्री)

(3) जी नहीं । जिन ग्राम पंचायतों में वर्षा मापक यंत्र स्थापित किये जा चुके हैं वे यन्त्रों के उपयोग से अनभिज्ञ नहीं हैं। क्यों कि वर्षा मापक यंत्र स्थापित करते समय उन्हें प्रारंभिक प्रशिक्षण दे दिया गया था ।

(4) राज्य सरकार द्वारा इन यंत्रों के क्रय में रुपये 3,50,855I- व्यय किये जा चुके हैं ।

जनता वर्ष उपलब्धि व कल्प पुस्तिका का मुद्रण

395. श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : क्या जन सम्पर्क राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "राजस्थान में जनता वर्ष उपलब्धि व संकल्प" पुस्तिका की कितनी प्रतियां किन-किन भाषाओं में जन सम्पर्क विभाग द्वारा छपवाई गई हैं व इन पर कितना रुपया व्यय हुआ है ?

(2) क्या विभाग ने राज्य के हरिजनों के लिये किये गये कल्याणकारी कार्यों व भविष्य की योजनाओं हेतु कोई पुस्तिका छपवाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जन सम्पर्क विभाग द्वारा "संकल्प और उपलब्धियां" पुस्तिका की हिन्दी में 15,000 और अंग्रेजी में 5,000 प्रतियां छपवाई गई हैं । इनके मुद्रण संबंधी बिल राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय से अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं ।

(2) "अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण कार्य एवं परिवाद विस्तारण एक संक्षिप्त विवरण" शीर्षक के अन्तर्गत एक पुस्तिका समय-समय पर प्रकाशित की जाती है । अब तक इसके तीन संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं । इसके अलावा "जनजाति क्षेत्र का विकास" शीर्षक से एक फोल्डर भी प्रकाशित किया गया है ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामकृष्णदास, सदस्य, विधान सभा की ओर से भूमि विकास बैंक, सीकर, सिरोही व सवाई माधोपुर जिले के किसानों को पंम्पिग सैट का ऋण राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन से खरीदने पर ही देंगे, राज्य सरकार के इस निर्णय से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

(2) श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीनमाल नगर क्षेत्र में एक साधु को जमीन में गाड़ कर मरवा देने की घटना के विषय में।

(3) सर्वश्री मथुरादास माथुर, परस राम मदेरणा व खेतसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्व अभियान के तहत किये गये फैसलों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिये जाने के विषय में ।

(4) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से देश तथा प्रदेश में बढ़ते हुए साम्प्रदायिक तनाव को रोकने के लिये राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने की आवश्यकता के विषय में ।

(श्री अध्यक्ष)

(5) श्री ध्योपतसिंह मकासर, सदस्य, विधान सभा की ओर से चित्तौड़गढ़ के किले पर गरीब किसानों की काश्त योग्य भूमि का मुआवजा न दिये जाने के विषय में।

मैं इन स्थगन प्रस्तावों की स्वीकृति देने में असमर्थ हूं फिर भी इन्हें राज्य सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदन सिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मेरा स्थगन प्रस्ताव पहले है।

श्री जय कृष्ण शर्मा (राजगढ़) : मेरा भी एक स्थगन प्रस्ताव था। वह मैंने समय पर दिया था। ग्राम पंचायत, सांवलपुरा तंवरान के संबंध में। वह आया नहीं है। उस प्रस्ताव का क्या हुआ ?

श्री मदन सिंह दांता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगत प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसको देख लिया जायेगा।

श्री जय कृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा जरूरी प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रस्ताव सदन में रखा जाता है, उस पर बोलने दिया जाता है। कृपा करके उसको इन्क्लूड करें।

श्री मदन सिंह दांता : एक स्थगन प्रस्ताव था, जो कालेजों में 500 प्राध्यापक हटाये जा रहे हैं . . . .

(व्यवधान)

यह एक ऐसा विषय है कि आइन्दा भी सदन की इच्छा हो तो उठाया . . . .

(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 502 प्राध्यापक आज सड़क पर आ जायेंगे इनकी गलती के कारण। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है . . .

(व्यवधान)

मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है। इन्होंने ध्यान तो बराबर दिया नहीं है। आज 502 व्याख्याताओं को निकाल देंगे। इसके बारे में मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : अध्यक्ष महोदय, बैराठ तहसील के कत्ल के बारे में मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय राम करण सिंह, माननीय दांता, माननीय वृद्धि चन्द्र जी, आपको मैं समय दूंगा।

श्री मदन सिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : A point of order has come.

श्री मदन सिंह दांता : I have first raised the point of order.

(व्यवधान)

Page No 49

(49)

(श्री मदन सिंह दांता)

क्या बात है, मैं पाइन्ट ग्रॉफ ग्रॉर्डर रेज कर रहा हूं।

माननीय ग्रध्यक्ष महोदय, इस प्रजातंत्र में मैं समझता हूं यह भी परम्परा पुरानी पड़ती जा रही है इसलिये समग्र क्रान्ति जैसे नेता कहते हैं वैसे विधान सभा में भी समग्र क्रान्ति ग्रानी चाहिये . . .

श्री ग्रध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं माननीय मंत्री महोदय को भी इस बारे में सूचना दूं। उनका जो उत्तर प्राप्त हो, उस पर विचार करके इस सदन में चर्चा करने की इजाजत दे सकता हूं। इस तरह एटरेन्डम तो नहीं दे सकता हूं।

श्री मदन सिह दांता : नियम 127 की तरफ ग्रापका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री ग्रध्यक्ष : मैं बहुत विवश हूं। माननीय सदस्य, मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं। इस तरह के मामले 10-10 वर्ष तक इस सदन में चल हैं।

श्री मदन सिंह दांता : यह पहला मामला है, सदन से पूछ लीजिये।

श्री ग्रध्यक्ष : मुख्य मंत्रियों के भ्रष्टाचार के ग्रारोप 10-10 वर्ष चले हैं।

श्री मदन सिंह दांता : मुझे पाबन्द कर रहे हैं। मैं किसी पत्र पर बोलना चाहता हूं तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं मंत्रियों के भ्रष्टाचार के ग्रारोप के विषय में बोलना चाहता हूं तो बोलने नहीं देते हैं। मंत्री महोदय पर जयपुर क्रानिकल ने भ्रष्टाचार, व्यभिचार ग्रौर भाई-भतीजावाद के ग्रारोप लगाये हैं हम . . . .

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : कौन हैं ?

श्री मदन सिह दांता : सूर्य नारायण जी मंत्री के कारनामों का पत्र महीनों से प्रचार कर रहा है। इस पत्र के ऊपर कोई ग्रारोप नहीं लगाये हैं . . .

कई माननीय सदस्य शेम ! शेम !

(व्यवधान)

श्री मदन सिह दांता : ग्राप शेम शेम नहीं कह सकते हैं। मेरा सपोर्ट है, यह मेरा ग्रारोप नहीं है. . .

(व्यवधान)

सपोर्ट है। वे एक मंत्री के पद पर हैं। ग्रदालत के ग्रन्दर वकील के रूप में . . . .

(व्यवधान)

यह किस तरह इजाजत दी है कि वे मंत्री पद पर रह कर ग्रदालतों में जाकर खड़े हों। ग्रौर भी इसमें है या तो कोई कार्यवाही होती....

श्रीमती सुमित्रा सिंह: माननीय सदस्य को मैं सूचना देना चाहती हूं कि राज्य सरकार की ग्रोर से इस ग्रखबार जयपुर क्रानिकल पर केस चल रहा है। उन्होंने जो बात कही, शायद ग्रापको जानकारी नहीं है . . .

श्री मदन सिंह दांता: मुझे ध्यान है कोर्ट नं० 2 में इसलिये ले जाया गया . . .

श्री ग्रध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन सिह दांता : मानहानि का मुकदमा है। इन पर नहीं होता तो मैं बोलता

(50)

(श्री मदन सिंह दांता)

नहीं। अगर राजस्थान के मंत्री पर कोई आरोप है और व प्राइवेट जाकर पैरवी कर लें। जनता को कब समय मिलेगा . . . . .

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान . . . .

श्री मदन सिंह दांता : इस पत्र जयपुर क्रानिकल ने खुला-खुला कहा है। इस पर गवर्नमेंट चुप रही और चुपके से जाकर बिना केबिनेट की इच्छा अदालत में केस किया। क्या इस प्रकार पत्रकार जगत आजाद हो सकता है? बिना नोटिस, बिना जांच के वहां कटघरे में खड़ा कर दिया और दबाव दिया जा रहा है कि विथड्रा करें।

श्री सूर्य नारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय दांता जी ने जो प्रश्न उठाया है, ज्यादा अच्छा यह होता कि आप कृपापूर्वक मुझ से ही पूछ लेते तो मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर देता। मैं उस बकग्राउण्ड में तो नहीं जाना चाहता हूं लेकिन जो यह छपा है उस आधार पर मैंने आई०पी०सी० के अन्तर्गत राजस्थान सरकार के सामने एक प्रतिवेदन रखा है। एक मंत्री की हैसियत से आरोप लगाया है, जो असत्य है और बिलकुल निराधार है . . . .

श्री मदन सिंह दांता : आरोप क्या है?

श्री सूर्य नारायण चौधरी : सब प्रकार के आरोप हैं। उसमें किसी प्रकार का आरोप नहीं छोड़ा है। मैं पत्रकारिता के स्तर के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे पास इमीजियेट जो रेमेडी अवेलेबल थी वह यही थी कि मैं राजस्थान सरकार को प्रतिवेदन करूं। मैंने विधि मंत्री होने के नाते सक्षम होते हुए भी राज्य सरकार से राय मांगी। मैंने वह मुद्दा मुख्य मंत्री जी के पास विचार के लिये भेजा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस पर विचार किया। आई०पी०सी० और जो सरकार के नियम हैं उनके अनुसार मेरे प्रतिवेदन पर विचार करके राज्य सरकार ने यह इस्तगासा स्वीकार किया इसलिये इस पर बहस नहीं हो सकती है। यह सब-जुडिस होने के कारण आप न उठायें तो ज्यादा अच्छा होगा . . . .

श्री मदन सिंह दांता : अगर सब-जुडिस है तो मैं सवाल नहीं उठाऊंगा। यदि सिद्ध नहीं होता है तो मानहानि का दावा कर उस पत्रिका का मुंह बन्द करना चाहिये। हम तो सदन में यह पूछते हैं कि आप मंत्री नहीं थे और नागरिक थे, उस वक्त के आरोपों के लिये भी इजाजत ले ली . . . .

श्री सूर्य नारायण चौधरी : यह सरकार के देखने की चीज है।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल एक बात का है . . .

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, एक पत्र में उनके खिलाफ . . .

श्री सुरेश कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे स्वीकृति दे चुके हैं।

श्री मदन सिंह दांता : आप . . .

(व्यवधान)

अपने मंत्रियों पर . . . . .

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वे पाइन्ट

(श्री अध्यक्ष)
ऑफ आर्डर रेज करना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल का क्लेरिफिकेशन चाहता हूं । उसके बाद आप पूछ सकते हैं । क्लेरिफिकेशन में ही पाइन्ट आफ आर्डर हो गया . . . .

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : पाइन्ट आफ आर्डर जब आ गया है तो उसको पहले लेना पड़ेगा । अगर बाद में लिया जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : पाइन्ट आफ आर्डर हो सकता है लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मदन सिंह दांता : इस तरह से बीच में आकर मंत्री की बात को ढकना चाहते हैं....

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : अभी माननीय मंत्री महोदय ने एक बात कही है कि. . .

श्री सुरेश कुमार : अगर आप इस तरह बीच में व्यवधान करेंगे तो हम भी आपको नहीं बोलने देंगे । आपको कम से कम तौर-तरीका तो आता है । आप तो पुराने सदस्य हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम ले चुके हैं, मुझे पहले अपनी बात कहने दीजिए, उसके बाद आप जो कुछ कहना चाहें, कहें, लेकिन पहले मुझे अपनी बात तो कहने दें ।

श्री मदन सिंह दांता : यह परम्परा के खिलाफ है । अगर मिनिस्टर खड़े नहीं होते तो आप कह सकते थे । हम तो आसन से बात करना चाहते हैं । आसन ने . . .

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, परसों-तरसों आसन से दी हुई व्यवस्था की तरफ, अध्यक्षीय व्यवस्था की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह व्यवस्था दी थी कि जिन स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्ष ने निर्णय नहीं दिया हो अथवा जिन पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही हो उन पर सदन में चर्चा नहीं की जा सकती है । मैं, श्रीमान्, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्षीय व्यवस्था का दृढ़तापूर्वक पालन करावें ।

श्री मदन सिंह दांता : मैं स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर रहा हूं . : . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह मेरी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि माननीय सदस्यों को संकेत था उसके अनुसार ही सदन में कार्यवाही हो ऐसा प्रयास निरन्तर करता रहता हूं। माननीय सदस्यों का सहयोग भी उसमें अपेक्षित है ।

श्री सुरेश कुमार : हम आपको पूरा सहयोग देंगे, श्रीमान्, लेकिन कभी-कभी अध्यक्षीय व्यवस्था में ढिलाई होने से, गड़बड़ हो जाती है ।

श्री अध्यक्ष : जब सहयोग की मात्रा में कमी हो जाती है तो यह हो जाता है ।

Page No 52

(52)

श्री मदन सिंह दांता : यहां स्थगन प्रस्ताव की बात कर के हमारा मुंह बन्द करना चाहते हैं। उधर जनता हमसे कह रही है कि तुम बोलो और इधर हमें बोलने नहीं दें तो क्या हम मर जावें ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक क्लेरिफ़िकेशन चाहता हूं ।

मंत्री महोदय कहते हैं कि उनके खिलाफ किसी पत्र ने आरोप लगाया राज्य सरकार ने उसके खिलाफ दावा कर दिया मानहानि का । राज्य सरकार बीच में कैसे आ गई? अगर माननीय मंत्री महोदय पर कोई आक्षेप हैं तो मंत्री कोई सुपर पावर नहीं हो सकते हैं। वे भी जनता के ही एक अंग हैं । अगर मेरी मानहानि करते हैं तो मुझे अधिकार है, मुझे कोर्ट में जाना चाहिए था। यह सरकार बीच में कहां से आ गई ? सरकार के गृह मंत्री ने एक मिनिस्टर के खिलाफ पर दावा क्यों किया ? यह बहुत बड़ा मसला है कि राज्य सरकार एक मंत्री को बचाने का प्रयत्न कर रही है। राज्य सरकार अपने पास से खर्चा कर रही है जब कि इस प्रकार के मानहानि के मामले में मंत्री को खुद को जाना चाहिए ।

फिर यह क्वेश्चन आता है...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : Has he served the notice upon the editor, Sir? He should have served the notice first to the editor but he has not served it. He was called and this was done.

श्री श्योपत सिंह मकासर : किसी भी पत्रकार को दबाने के लिए . .

श्री मूलचन्द डागा : अगर किसी पत्रकार ने यह किया और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते थे तो क्या राज्य सरकार ने पहले उसको बुलाया, उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया और उसकी जांच की गई . . . .

(व्यवधान)

प्रोसीक्यूशन करने से पहले सरकार ने नोटिस देकर उसको बुलाया, उससे सबूत मांगा । वह झूठा साबित होने पर फिर उसको प्रोसीक्यूट किया । बिना उसका उत्तर लिए, बिना जांच किए ही केस दायर कर दिया ।

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहती हूं । माननीय मंत्री महोदय कृपया यह बतावें कि क्या तीस साल के इतिहास में किसी भी पत्र के खिलाफ इस तरीके से किसी मंत्री के खिलाफ कुछ भी लिख देने के फलस्वरूप मानहानि का दावा पहले भी किया गया है, या राजस्थान सरकार ने अपने मंत्री की प्रतिष्ठा के लिये पहली बार ही यह दावा दायर किया है ?

(व्यवधान)

क्या कभी भी किसी भी राज्य सरकार की तरफ से इस प्रकार का दावा अदालत में किया गया था ?

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा : राज्य सरकार की तरफ से पहले भी किया गया था। जब मैं सम्पादक था एक पत्र का तो इसी तरह के मामले में सरकार की तरफ से मुकदमा दायर किया गया था ।

श्री मदन सिंह दांता : अच्छी बात नहीं थी अगर किया गया था तो ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि पिछले तीस साल के इतिहास में जितनी भी राज्य सरकारें थीं, किसी भी सरकार ने अपने मंत्री को डिफेंड करने के लिये अपनी तरफ से कभी किसी अखबार पर मानहानि का मुकदमा दायर नहीं किया । इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपया माननीय मंत्री महोदय इतना और जवाब दें कि क्या संविधान का 44वां संशोधन विधेयक, जो पिछली पार्लियामेंट ने पास किया था प्रधान मंत्री, इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में और जो, जनता पार्टी हम पर इल्जाम लगाती थी कि हमने प्रेस की आजादी को खतम कर दिया था, प्रेस का मुंह बन्द कर दिया था, जो पार्टी प्रेस आजादी का ढिंढोरा पीटती थी, उसी ने भारत के संविधान के 44वें संशोधन विधेयक की आड़ ले करके अपने मंत्री को बचाने के लिए एक मामूली छोटे पत्रकार के विरुद्ध कोर्ट के अन्दर डिफेमेटरी सूट दायर किया है ? पहले तो आप इस संशोधन, को खतम करने की, इसे रिपील करने तथा नलीफाई करने की घोषणा करते थे, लेकिन आज उसी का सहारा लेकर सरकार की तरफ से मानहानि का दावा कर दिया । क्या यही प्रेस की आजादी का नमूना है ?

(व्यवधान)

श्री मदन सिंह दांता : आपके ऊपर चार्जेज क्या लगाए थे, यह आप भी नहीं कह सकते । यह कह दिया कि सब-जुडिस है । अगर गलत है तो कहने में क्यों डरते हो

(व्यवधान)

श्री सूर्य नारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक झुन्झुनूं से आने वाली माननीय सदस्या ने प्रश्न उठाया है, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं, कानून के अन्दर यह परिवर्तन हुआ कि किसी भी मंत्री के विरुद्ध, मंत्री के कार्यकाल के दौरान मंत्री पद का दुरुपयोग अथवा मंत्री पद के उपयोग से उत्पन्न कोई डिफेमेटरी मैटर होता है तो निश्चित रूप से राज्य सरकार प्रोसीक्यूशन कर सकती है । यह संशोधन विगत शासन काल में ही हुआ था ।

(व्यवधान)

मेरी पूरी बात सुन लीजिए । मैं कितना आपको सेटिस्फाई कर सकूंगा, मैं नहीं कह सकता कि मेरे स्पष्टीकरण से कितना आप सेटिस्फाई हो सकेंगे ।

(व्यवधान)

जहां तक कानूनी स्थिति है वह बिल्कुल स्पष्ट है । संविधान का जो आप हवाला, दे रही हैं यह उससे सम्बन्धित नहीं है । यह तो सीआर. पी. सी. और आई. पी. सी. से सम्बन्धित है ।

जहां तक यह प्रश्न उठाया गया कि तीस साल के कार्यकाल के अन्दर पहली बार ऐसा मौका हुआ है तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपके माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता, हूं कि पहले भी डिफेमेटरी मैटर्स अखबारों में छपते रहे हैं । एक आदत सी पड़ गई थी राजनीतिज्ञों की चैलेंज नहीं करने की । मैंने अपना पोलिटिकल कैरियर इसमें दाव पर लगाया है । आज जो स्वच्छ और स्वच्छन्द न्यायालय है उसके अन्दर जिस पत्रकार ने आरोप लगाये हैं वह साबित कर देते हैं

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
तो निश्चित रूप से मेरे पोलिटिकल जीवन पर एक बहुत बड़ा खतरा है। मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया है। पिछले मंत्रियों ने क्यों नहीं किया, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बात की नजीरें हिन्दुस्तान के अन्दर हैं कि इस कानून के अन्तर्गत अगर मंत्रियों के विरुद्ध इस प्रकार से आरोप लगाए गए तो राज्य सरकार ने प्रोसीक्यूशन किया है......

(व्यवधान)

मेरी पूरी बात तो सुनिये।

श्री **मदन सिंह दांता** : चार्जेज जो लगाये हैं, वे तो अदालत में हम प्रूव करेंगे कि आप भ्रष्ट हैं। यह तो बाद की बात है लेकिन जब आप मंत्री पद पर नहीं थे पहले ही हो गया उसको भी ले लिया है इसमें .....

श्री **सूर्य नारायण चौधरी** : पहले मेरी बात तो सुन लीजिए।

जो आई. पी. सी. के अन्तर्गत स्कोप है, कानून के अन्तर्गत स्कोप है उसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने मुद्दे रखे हैं तो निश्चित रूप से न्यायालय निर्णय देगा। यह तो न्यायालय के जुरिस्डिक्शन का प्रश्न है। मैं कह सकता हूं कि यह मामला उन्होंने पत्रकार महोदय ने इस प्रकार से जोड़ा है जिससे कि मंत्री पद के दुरुपयोग के आरोप मुझ पर लगाए जा सकते हैं या उनका कथन दूसरा हो सकता है। इसके लिए तो आपको खुशी होनी चाहिए......

श्री **मदन सिंह दांता** : खुशी तो तब होती जब आप इस पत्रकार को बुलाते। आप तो उसको दबा रहे हैं।

(व्यवधान)

अगर मंत्री की हैसियत से इनके ऊपर चार्जेज लगाए जाते हैं तो ये स्वयं जाते अदालत में, तो हम कुछ नहीं कहते।

(व्यवधान)

श्री **सूर्य नारायण चौधरी** : मुझे, अध्यक्ष महोदय, अपनी बात तो पूरी कहने दें।

माननीय दांता साहब ने फर्माया कि इसकी परमिशन की आवश्यकता नहीं थी, न राज्य सरकार की परमिशन की आवश्यकता थी। पत्रकार को कोई मारा नहीं जा रहा है, पत्रकार को कोई सजा नहीं दी जा रही है। अगर कोर्ट समझती है कि चरित्र हनन का मामला है तो law will take its own course. There is no denial. अगर कोई पत्रकार किसी का चरित्र हनन करता है, उनको चरित्र हनन करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो उनको कठघरे में भी खड़ा होना पड़ेगा। अगर वे अपने आपको निरपराधी साबित कर देते हैं तो फिर क्या दिक्कत है।

(व्यवधान)

श्री **श्योपत सिंह मकासर** : आप अपनी तरफ से क्यों नहीं करते? आपकी तरफ से राज्य सरकार क्यों पैरवी कर रही है? आपके खिलाफ इस तरह के आरोप हैं, तो सरकार उनको क्यों डिफेंड करेगी?

श्री **मदन सिंह दांता** : सरकार से पहले आप रिजाइन करो। रिजाइन करके फिर कोर्ट में खड़े हो।

श्री **सूर्य नारायण चौधरी** : कोई आव-

(श्री सूर्य नारायण चौधरी)
श्यकता नहीं है रिजाइन करने की ।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कोई पत्र इस सदन में अध्यक्ष के खिलाफ अपमानजनक लेख लिखे और हमारे अध्यक्ष की गरिमा को कम करे तो उस पर तो हमारी राजस्थान सरकार मुकदमा दायर नहीं करती है लेकिन दूसरा कोई पत्र राजस्थान सरकार के किसी मंत्री के खिलाफ कोई बात लिखता है तो यह सरकार यह समझती है कि इससे उसके मंत्री की गरिमा कम हो रही है, इसलिए उस पत्र पर, पत्रकार पर मुकदमा दायर कर दे । श्री हरिदेव जोशी, भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने जब विधान सभा भंग हो रही थी तब सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था । वह दावा राजस्थान सरकार की तरफ से किया गया और यह फैसला किया गया था कि किसी मंत्री के खिलाफ भी लिखा जाए पत्र में तो दावा मंत्री की तरफ से किया जा सकता है ....

(व्यवधान)

परन्तु यह दावा, जो माननीय मंत्री की गरिमा को बचाने के लिए किया गया है, सरकार की तरफ से किया गया है जब कि स्वयं मंत्री महोदय को यह दावा दायर करना चाहिए । सरकार की तरफ से यह दावा पेश नहीं होना चाहिए ....

(व्यवधान)

हमारी पार्टी प्रजातन्त्र के लिए कटिबद्ध है । प्रेस की फ्रीडम के लिए कटिबद्ध है । इस तरह छोटी-छोटी बातों पर दावा दायर किया जाता है तो फिर हमारे सिद्धांत, हमारा मेनीफेस्टो कहां जाएगा ? हमारी सरकार के द्वारा इन लोगों के खिलाफ इस प्रकार से दावा दायर किया जाएगा तो प्रजातन्त्र में प्रेस की स्वतन्त्रता की जो बात हमने कही है वह कहां जाएगी ? इसलिए मैं राज्य सरकार से यह निवेदन करूंगा कि पत्रकार के खिलाफ यह जो कार्यवाही की गई है यह जनता पार्टी की सरकार के लिए शोभनीय नहीं है ।

श्री बालकृष्ण थानवी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी अपने स्पष्टीकरण में यह कहा कि पहले की सरकार ने यह नियम बनाये थे कि मंत्री पर कोई आरोप लगे तो सरकार की ओर से अखबार वाले पर मुकदमा चलाया जा सकता है । कोई गलत संशोधन होने के कारण उसकी आड़ में हमारी सरकार को ऐसी कार्यवाही नहीं करनी चाहिए । मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को उदारतापूर्वक इस मुकदमे को वापस ले लेना चाहिए और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में उदारता का परिचय देंगे ।

श्री मदन सिंह दांता : इनके खिलाफ राज्य सरकार के अधिकारी ने लिखित में दिया है कि इन मंत्री महोदय ने बम्बई में घोटाला किया है । उसको क्यों दबा दिया ? मंत्री महोदय आज भी मौजूद हैं । मुख्य मंत्री ने यहां पर कहा था, ठाकुर साहब, इस तरह से आपको छोटी-छोटी बातें कहने की आदत पड़ गई है, कोई ठोस प्रमाण दीजिए । यह ठोस प्रमाण आपको दिया है कि आपने यह दबा दिया है । यह बात क्यों दबा दी ? इस पत्रकार के खिलाफ आप कोर्ट में चले गये । कल पैसा देकर उसको मना लेंगे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, माननीय दांता साहब ने बहुत सीरियस बात कही है ।

श्री मूलचन्द डागा : The matter is very serious. The letter has been addressed by the Commissioner. Let it be laid on the Table of the House.

श्री मदन सिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मंत्री को स्वयं ही दावा करना चाहिए । वे प्रोटेक्शन लेकर जनता के धन को नहीं बिगाड़ सकते ।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : माननीय अध्यक्ष जी, किसी अखबार वाले के लिखने से माननीय सूर्यनारायण जी को ठेस पहुंची । सरकार की ओर से उस अखबार वाले पर दावा कर दिया गया । राज्य सरकार को यह दावा वापस लेना चाहिए और मंत्री महोदय को ही दावा करना चाहिए, तब देखें कि पत्रकार सही है या माननीय मंत्री सही हैं

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री मदन सिंह दांता : हाउस की मंशा है...

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी थी तदुपरांत भी इतनी चर्चा हो चुकी है । अब चर्चा नहीं होगी ।

श्री मदन सिंह दांता : सत्ता पक्ष भी इस पर चर्चा चाहता है ।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इससे अखबारों की आजादी को खतरा हो गया है.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप बोल चुकी हैं ।

श्री श्योपत सिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता बोलना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष : दो-तीन दफा विरोधी दल के नेता महोदय खड़े हुए थे । आप लोगों ने उनकी अवहेलना की है । अब विरोधी दल के माननीय नेता बोलना चाहें तो बोलें ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लूंगा । मंत्री महोदय ने सरकार की तरफ से एक दावा पेश किया है । इसमें एक तो इस सरकार की मूलभूत नीति का प्रश्न है और दूसरा इसके साथ फ्रीडम आफ प्रेस का प्रश्न जुड़ा हुआ है । मंत्री के खिलाफ किसी अखबार के सम्पादक ने आरोप लगाए हैं । उन आरोपों को मंत्री महोदय अपने खिलाफ लगाए गए आरोप मानते हैं तो इसके लिए दूसरी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए । आरोप नहीं हैं और केवल मात्र तथ्यों का प्रकाशन है तो उसके लिए दूसरी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी । यदि मंत्री महोदय उन आरोपों को अपने खिलाफ आरोप मानते हैं तो यह उचित था, न्यायिक दृष्टि से मंत्री महोदय उन आरोपों के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री से कहते कि मेरे खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाये गये हैं; इन आरोपों की जांच आप विधान के अनुसार कमीशन आफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत करावें । जांच करवाने के बाद कमीशन की फाइन्डिंग आती, उनके आधार पर मंत्री महोदय और सरकार को यह अधिकार था, नैतिक दृष्टि से और कानून की दृष्टि से कि उस पत्र के खिलाफ सरकार अदालत में जाती । मैं इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं । सिद्धार्थ शंकर राय की केबिनेट के एक मिनिस्टर पर कुछ इसी प्रकार के आरोप लगाये गये थे । चीफ मिनिस्टर ने कमीशन आफ इन्क्वायरी

(श्री रामनारायण चौधरी)

एक्ट के तहत इन्क्वायरी बिठायी और इन्क्वायरी के अन्दर यह प्रमाणित हो गया कि आरोप बेसलेस हैं तब उस पत्रकार के खिलाफ मुकदमा बना। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह सवाल करना चाहता हूं कि जो फ्रीडम ऑफ प्रेस आपने दी है, उसके अन्तर्गत किसी सम्पादक ने कोई प्रकाशन तथ्यों का किया है तो आपने उन आरोपों को गलत कैसे मान लिया ? गलत आरोप मान कर आप सीधे ही अदालत में कैसे चले गये ? सरकार को नैतिक दृष्टि से ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आपको चाहिए था, आपका यह फर्ज था मंत्री महोदय, कि पहले आप मुख्य मंत्री से रिक्वेस्ट करते कि इन आरोपों की जांच कराई जाए, न्यायिक जांच करायी जाए और उस जांच के बाद सरकार का यह नैतिक और कानूनी अधिकार था कि वह अदालत में जाती। एक फैसला पहले हो जाता है कि आरोप सही हैं या नहीं हैं। परन्तु यह सरकार की आदत हो गई है कि कोई छोटा सा आरोप हो तो यह सरकार परेशान हो जाती है। इनके व्यवहार के बारे में, इनके काम के बारे में कुछ कहा जाता है तो जैसा ये जोश सदन में दिखाते हैं वैसा ही जोश सदन के बाहर पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दायर कर के दिखा रहे हैं। उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी गर्दन पर तलवार लटका दी है ताकि वे भयभीत हो जायं और वे लोकहित की बातों का प्रकाशन बंद कर दें। इस प्रकार यह सरकार फ्रीडम ऑफ प्रेस खतम कर रही है, सत्ता का खुला दुरुपयोग कर रही है। मान्यवर, जो मुकदमा दायर किया है उसके पहले मंत्री महोदय मुख्य मंत्री से रिक्वेस्ट करते कि मेरे खिलाफ ये आरोप अखबार वाले ने लगाये हैं इनकी आप न्यायिक जांच करवा लें। उसके बाद ही सरकार को यह अधिकार है कि वह न्यायिक कार्यवाही करे, मुकदमा चलावे।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, आधा मिनट।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नहीं। श्री राम कृष्ण दास गुप्ता।

एक माननीय सदस्य : इमर्जेन्सी में अखबारों का मुंह बंद कर दिया था उस वक्त आप कहां गये थे ?

श्री मदनसिंह दांता : इसीलिए ये हट गये। क्या आप भी ऐसा ही चाहते हो ?

(व्यवधान)

श्री राम रघुनाथ चौधरी (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था दौसा में लोगों को जमीन आवंटन करने के संबंध में.....

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था नहीं दी है, माननीय सदस्य।

श्री राम रघुनाथ चौधरी : माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था कर दें। मेरा इसलिये निवेदन है कि आखिरी दिन है। मैंने फोटो स्टेट कापीज प्रस्तुत कर रखी हैं।

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) : एक व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय। अभी डागा साहब ने जिक्र किया नाम लेकर के माननीय उद्योग मंत्री महोदय के खिलाफ और उस पर कहा गया कि ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस बारे में वार्ता नहीं होगी।

श्री राम करण सिंह : मैं तो व्यवस्था के लिये अर्ज कर रहा हूं। जो एक उच्चाधिकारी

(श्री राम करण सिंह)
हैं उन्होंने कोई एलीगेशन लगाये या नहीं, उद्योग मंत्री जी के खिलाफ वह सही हैं या गलत हैं, इस बारे में, माननीय अध्यक्ष जी, जब सदन में चर्चा आई है एक केबिनेट स्तर के मंत्री के खिलाफ, तो ऐसी चीज को दबाया नहीं जाय। जब सदन में चर्चा आ गई है तो इसके ऊपर व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष : मैंने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है। I have not made up my mind.

श्री राम रघुनाथ चौधरी : दौसा में भू-आवंटन में बहुत गड़बड़ी और भ्रष्टाचार हुए हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय !

श्री अध्यक्ष : मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। इस पर चर्चा नहीं हो।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता !

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा स्थगन प्रस्ताव राज्य सरकार के कृषि लोन से संबंधित है जिससे हजारों गरीब किसानों का नुकसान होगा। राजस्थान राज्य सहकारी विकास बैंक को जून, 79 तक सवाई माधोपुर में 82 लाख, सीकर में 24 लाख और सिरोही में 24 लाख के लोन एग्रीकल्चर के काम के लिये देने हैं। इतने बड़े-बड़े लोन भूमि विकास बैंक 3-3 जिलों में देगा। परन्तु राज्य सरकार के आदेश पर भूमि विकास बैंक ने फैसला लिया है कि एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के जरिये ही किसान लोग अपने ऋणों का उपयोग कर सकते हैं। इन 3 जिलों में जो किसान भूमि विकास लोन लेना चाहेंगे उनको एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन द्वारा दिये जाने वाले पम्प सैट ही मोल लेने होंगे। श्रीमान्, इस मामले में भ्रष्टाचार और बदमाशी राज्य के उच्च स्तर पर करने की योजना है। एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के पास में सिर्फ दो पंप सैट्स की एजेन्सी है किर्लोस्कर और वोल्टास। राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने 35 सैट्स की मान्यता दी हुई है। आई. एस. आई. के मापदण्ड से करीब 100 पंप सैट्स मार्केट में अवेलेबल हैं। राज्य सरकार ने 35 पंप सैट्स के नाम दिये हुए हैं जिन पर भूमि विकास बैंक का लोन दिया जा सकता है परन्तु राज्य सरकार ने ऐसा फैसला लिया है कि एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के पास जो पंप सैट्स हैं उन्हीं को लेने वाले ही भूमि विकास बैंक से विकास ऋण ले सकते हैं। हजारों किसानों के फायदे का मसला ह। श्रीमान्, जहां एक करोड़ रुपये से अधिक का लोन हो वहां एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के द्वारा सिर्फ किर्लोस्कर और वोल्टास देकर इन हजारों किसानों की आर्थिक हानि करना है। अगर किसान किर्लोस्कर के अलावा अन्य पम्प सैट्स मांगते हैं तो, श्रीमान्, एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन आज इस स्थिति में नहीं है कि किसी और प्रकार के पम्प सैट्स किसानों को उपलब्ध करा दे या किसानों की मांग के अनुसार उनकी आवश्यकता के अनुसार सप्लाई कर सके। ऐसा क्यों, अध्यक्ष महोदय ? संजय गांधी ने अपनी माता को डूबोया, मुख्य मंत्री, हरियाणा को उसके बेटे ने डबोया और हमारे देश के प्रधान मन्त्री को, अपने पिता मोरार जी भाई को कांति देसाई डूबोने में लगे हुए हैं। उनका, उनके परिवार का इस किर्लोस्कर कम्पनी से सम्बंध है। इस कारण एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन को किर्लोस्कर के पंप सैट्स ही खरीदवाये गये हैं। यह एक साजिश है कि कम से कम 2 करोड़ के पंप सैट्स इस साल राजस्थान

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

में बिकवाये जाय किर्लोस्कर कंपनी को अनड्यू प्राफिट देने के लिये । जब आई. एस. आई. के 100 पंप एप्रूव्ड हैं, लोग-बाग किर्लोस्कर से अधिक अन्य पंप सैट्स मोल ले रहे हैं । इस साल तो सवाई माधोपुर में किर्लोस्कर के पंप न लेकर किसानों ने दूसरे पंप लिये। अनिल के वहां 101 बिके, फील्ड मार्शल के 161-तीन गुना पंप, तीन गुनी संख्या में सवाई माधोपुर जिलों में किसानों ने मोल लिये । इस वर्ष एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन के द्वारा किर्लोस्कर के पंप सैट्स फोर्सफुली बिकवाने की नीति अपना कर मैं समझता हूं कि राज्य सरकार बेटे, बाप को राजस्थान में लेकर आई है और हजारों किसानों को आर्थिक नुकसान देने वाली है । किर्लोस्कर के पंप सैट आठ सौ रुपये अन्य पंप सैट्स से अधिक महंगे हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, आठ सौ रुपये किसानों को अधिक देने होंगे । यह सब प्रधान मंत्री के बेटे कांति देसाई संबंधी किर्लोस्कर फर्म को नाजायज फायदा देने के लिये एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन से निर्णय कराया गया है । उसके पास ये पंप हैं । कोटा में भी किर्लोस्कर पंप ही देंगे । वहां के जिलाधीश ने सरकार के, मंत्री महोदय के निर्देश पर 8 लाख के किर्लोस्कर के पंप बिकवाये हैं ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, हो गया । फिर वही बात दोहरा रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें । आपका जो कथन था वह हो गया ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : कोटा में मीटिंग बुलाई थी उसका विरोध नहीं है । किर्लोस्कर पम्प के बारे में तीन जिलों में जो आपकी नीति है उस नीति से एक कम्पनी की मोनोपोली को बढ़ावा दे रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं । अगर राज्य सरकार ने इस नीति को बनाये रखा तो निश्चित तौर से राजस्थान की सरकार पर यह आरोप सही होगा कि यह प्रधान मंत्री को खुश करने के लिए, उनके बेटे को खुश करने के लिए उसकी फर्म को नाजायज फायदा दे रही है ।

श्री कैलाश मेघवाल (सहकारिता मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय विधायक ने जो प्रश्न उठाया, उसका उत्तर देने की मैं इसलिए आवश्यकता समझता हूं कि पिछले दिनों राजस्थान के कोने-कोने से किसानों की ओर से और ऋण दिलाने वाली एजेन्सियों की ओर से अनेकानेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं । वह शिकायतें इस तरह की थीं कि जो प्राइवेट डीलर्स एन्जिन देते हैं उन एन्जिन के साथ वह एन्सीलियरीज बराबर नहीं देते हैं । प्राइवेट डीलर्स जो एन्जिन देते हैं वह भी कई बार ठीक तरह से नहीं देते हैं । जो एन्सीलियरीज एन्जिन के साथ दी जानी चाहिए, उन एन्सीलियरीज के बारे में भी गड़बड़ियों की शिकायतें थीं । इसको देखते हुए कुछ जगहों पर जांच कराने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि एग्रो इन्डस्ट्रीज कार्पोरेशन राज्य की संस्था है इसके द्वारा किसानों को एन्जिन उपलब्ध कराये जायं जिससे इस बात की निश्चित रूप से गारन्टी होगी कि एन्जिन उनको सही मिलेगा और एन्जिन के साथ में जो एन्सीलियरीज होती हैं वह सही ढंग की उन किसानों को मिल सकेंगी । इसी उद्देश्य को सामने रखते हुए यह निर्णय लिया गया ।

कोलायत से आने वाले माननीय विधायक को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसानों के हित में ही यह निर्णय लिया गया है । किसानों को प्राइवेट डीलर्स के द्वारा ठगा जा

(श्री कैलाश मेघवाल)
रहा था जिसके कारण सब लोग ऋणी हो रहे थे, उसपृष्ठ भूमि में यह किया गया है, किसी के सम्बन्धी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं। राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित को समझते हुए यह किया गया है। यदि आपको एग्रो इन्डस्ट्रीज सर्विस कार्पोरेशन की कार्य-प्रणाली या जिस तरह से वह किसानों को एन्जिन देते हैं उस प्रणाली में किसी प्रकार की गड़बड़ नजर आती है तो उसको व्यक्तिगत रूप से बतायें या लिख कर बता सकते हैं। दूसरे इस बात की कोशिश की जायेगी कि किसानों के साथ कोई ज्यादती न हो, इसकी पूरी निगरानी रखी जायगी। किर्लोस्कर पम्प के बारे में जो उन्होंने आरोप लगाये हैं उनको मैं कतई अस्वीकार करता हूं। यह आरोप माननीय सदस्य को नहीं लगाने चाहियें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरे आरोप सही हैं। आप इस सदन की एक समिति बनाकर उनकी जांच करा सकते हैं। एग्रो इन्डस्ट्रीज के पास में आई. एस. आई. से पास किये हुए पम्पों में से सिवाय इसके अन्य पम्प की कोई एजेन्सी नहीं है। आपको इन्डाइरेक्टली एक कम्पनी विशेष के पम्पों को बिकवाने का काम नहीं करना चाहिए। इसमें एग्रो इन्डस्ट्रीज आज अधिक सक्रिय है। इसीलिए मैंने गम्भीर आरोप लगाये हैं।

श्री कैलाश मेघवाल : मैं आपके गम्भीर आरोप को अस्वीकार कर रहा हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अभी तो मैंने एक ही मंत्री पर आरोप लगाये हैं, लेकिन मेरा अब सारी सरकार पर आरोप है, किर्लोस्कर [illegible] के बारे में यह नीति अपना कर एक कम्पनी के माल को बढ़ावा देना, क्या यह अपने आपमें मोनोपोली को बढ़ावा देना नहीं है? और वह मोनोपोली प्रधान मंत्री के बेटे से सम्बन्धित फर्म की है, इसलिए नाजायज है।

श्री माधोसिंह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इससे सम्बन्धित प्रश्न है। यह निर्णय आपने केवल तीन जिलों के लिए लिया है, तो सरकार की नीति तो सारे राजस्थान के लिए एक होनी चाहिए। क्या आप इन तीन जिलों के अलावा जो और किसान है उनके लिए इसको ठीक नहीं समझते? उनके लिए भी आप जल्दी से इस प्रकार का निर्णय लें। आपने फर्माया है कि यह किसानों की भलाई की योजना है, न कि किसी को खुश करने की। आप उनके आरोप को अस्वीकार करते हैं। मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि आपने मोनोपोली एग्रो इण्डस्ट्रीज सर्विस कार्पोरेशन को दे दी है। जो कुछ भी लाभ डीलर्स ले रहे थे तो कम से कम किसान मशीनें और औजार जल्दी से जल्दी उनसे प्राप्त कर सकता था। लेकिन वह अब एग्रो इण्डस्ट्रीज सर्विस कार्पोरेशन से कभी जल्दी मशीनें और औजार प्राप्त नहीं कर सकेगा। अगर आप इसके लिए कोई उदाहरण चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं सिरोही जिले का। आपने यह फर्माया कि कुछ शिकायतें आई थीं उनकी वजह से इन तीन जिलों के लिए यह निर्णय लेना पड़ा। यदि आपकी सरकार के द्वारा यह निर्णय लेना उचित है इन तीन जिलों के लिए और आपका यह निर्णय किसानों की भलाई के लिए है तो यह जोधपुर के किसानों के लिए भी, उदयपुर के किसानों के लिए भी हो। आप सारे राजस्थान के लिए

(श्री माधोसिंह)

एक ही निर्णय लें न कि केवल तीन जिलों के लिए यह निर्णय करें। इसके लिए आप फर्मायेंगे और कुछ जवाब देंगे कि आप केवल इन तीन जिलों के लिए ही करेंगे या पूरे राजस्थान के किसानों की भलाई के लिए करेंगे ?

श्री कैलाश मेघवाल : जो माननीय विधायक ने सुझाव दिया है उसमें एक कम्पनी के पास उपलब्धि की जो गुन्जाइश होगी उसके आधार पर जहां आवश्यकता ज्यादा होगी वहां प्राथमिकता के आधार पर एन्जिन दिये जा सकेंगे। मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा। यह नीति सही है और राजस्थान के सभी जिलों पर लागू करने का प्रयत्न करूंगा।

श्री माधोसिंह (रेवदर): तब तक यह तीन जिले सफर करेंगे। आप जब तक यह नीति सारे राजस्थान के लिए निर्धारित करते हैं तब तक इन तीन जिलों में भी छूट होनी चाहिए कि डीलर का कोई प्रश्न न हो। इसके नीचे दूसरी नीति है आपकी और उस नीति को हम सफल नहीं होने देंगे। इसको आप को हटा देना चाहिए, यदि आप किसानों की भलाई चाहते हैं और यह चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी लाभ मिले। एग्रो इण्डस्ट्रीज सर्विस सैन्टर दूसरों से मशीनें खरीदेगा उस पर वह अपना कमीशन अलग से लेगा और वापस किसानों को बेचेगा तो क्या किसानों को उससे फायदा हो जायेगा ? मैं डीलर्स की वकालत नहीं करता हूं, लेकिन डीलर उसको जल्दी से जल्दी सामान दिलाता है और आपके यहां पर समय पर प्राप्त नहीं होता है, इस कारण से बैंक जो उसको सहायता दे रही है उससे भी वंचित हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के जरिये गृह मंत्रीजी का इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भीनमाल नगर क्षेत्र के डी वाई० एस० पी०, श्री शंकरलाल कल्ला और परगना अधिकारी, भीनमाल, दोनों ने मिल कर नगरपालिका की भूमि में एक साधु को समाधि लगाने के लिए गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद कर उसके अन्दर साधु को बैठा कर उसको लकड़ियों से ढक दिया और बन्द कर दिया। उसके ऊपर डी० डी० टी० की बोरियां डाल कर उसको बन्द कर दिया। अध्यक्ष महोदय, आपको यह जान कर बड़ा भारी दुःख होगा कि तीन दिन के बाद साधु की वापस समाधि खोली गई तो साधु की सड़ी हुई लाश बाहर निकली। यह बड़ी खेदजनक घटना है। समाधि खोलने के वक्त डी वाई० एस० पी०, भीनमाल और एस० डी० ओ०; भीनमाल ने कलेक्टर और एस० पी० को टेलीफोन किया। 5 हजार के करीब आदमी नगर के वहां पर मौजूद थे। कलेक्टर और एस० पी० आये नहीं और उन्होंने कहा कि भाई, आप स्वयं ही यह काम कर लें। उन्होंने यह कह दिया, परन्तु क्या राज्य के कानून में यह लिखा हुआ है कि पुलिस के अधिकारी और सरकारी कर्मचारी मिल कर नगरपालिका की भूमि के क्षेत्र के अन्दर गड्ढा खोद कर एक साधु की समाधि लगवाने का कार्य करें ? यह माननीय गृह

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मंत्रीजी ही उपयुक्त समझेंगे । सड़ी हुई लाश निकली । समाधि में वह इतनी बुरी तरह से मरा है कि उसका भगवा जो चोला था उसको उसने नोच-नोच कर फाड़ा । वह खड्ढे में बैठ गया और उसका सांस नहीं चढ़ा तो सारे शरीर को उसने तोड़ा है और अपने कपड़े फाड़े हैं । चोला जगह-जगह से फटा हुआ और सारे शरीर पर खरोंचें लगी हुई उसका शरीर बाहर निकला ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब वह लाश निकली तो सरकारी कर्मचारियों के नीचे से जमीन खिसक गई । वह एक साधु को लेकर आये कि वह जल्दी से उसकी लाश को ले जायें । उन्होंने कहा कि हमको लाश क्यों देते हैं ? संस्कार करने के लिए क्या होगा ? इस घटना की सभी जगह रिपोर्टिंग हुई है । अखबारों में हुई है । वहां के अधिकारियों ने हस्ताक्षर कराने की कोशिश की है । लोगों को कहा कि तुम हस्ताक्षर करो । मैं गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि क्या वे उनकी जांच करायेंगे ? समाधि लगाने का गड्ढा खोद कर साधु को दबा दिया और मार दिया । पब्लिक ने उस लाश को स्वीकार नहीं किया । फिर उन्होंने लम्बा-चौड़ा जामा पहिना कर उसको कहा कि यह बाबा है तुम ले जाओ, कोई नहीं ले गया । उसके साथ जो और बाबा थे उन्होंने कहा कि इसको समय से पूर्व बन्द कर दिया गया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उसको ठीक से सांस नहीं लेने दी । जब तक सांस नाभि में नहीं आती है तब तक समाधि बन्द नहीं हो सकती है ।

श्री दिग्विजयसिंह : समाधि के नियम कौन से हैं ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : समाधि के भी नियम होते हैं । यह सब परम्परा में हैं । जैसे कि अपनी सदन की परम्परायें हैं ।

गृह मंत्री जी, अगर इसे और कोई पब्लिक का आदमी करता तो सरकार उसको कभी नहीं छोड़ती । मैं पूछना चाहता हूं, किस कायदे से वह गड्ढा खोदा गया । वह क्यों मरा और कैसे मरा ? वह अटेम्प्ट टू सुसाइड तो है नहीं । जिन्दा आदमी को कैसे गड्ढे में बन्द कर दिया है ? इस तरह से क्या गृह मंत्री जी आप समाधि लगाना पसन्द करेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

समाधि भी होती है तो पब्लिक के हिसाब से हो सकती है । गांव वाले उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं । लेकिन सरकारी अधिकारियों ने ऐसा काम क्यों किया है ? मैं निवेदन करूंगा कि सरकार इसकी जांच कराये । पब्लिक में इसके बारे में तरह-तरह की बातें फैली हुई हैं । वह क्यों मरा और कैसे मरा, इसके बारे में जांच कराई जानी चाहिए ।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय विश्नोई जी ने जिस घटना का उल्लेख किया है उसके बारे में मुझे अभी कोई जानकारी नहीं है । लेकिन जैसा उन्होंने कहा है उसकी जांच मैं एक डी० आई० जी० को दे दूंगा ? ताकि इसके बारे में सही जांच हो सके ।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक एडजोर्नमेन्ट मोश-

Page No 63

(63)

(श्री मथुरादास माथुर)

है । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने बड़ा ढिंढोरा पीट कर राजस्व अभियान कराया है । राजस्व अभियान का हवाला बेरी आयोग में नहीं है । कलेक्टर और रेवेन्यू आथोरिटीज और अन्य पदाधिकारियों को अभियान करने के लिए नियुक्त किया जाता है । मेरे पास भी बी० डी० ओ० और विकास अधिकारी, डीडवाना का खत पहुंचा । उसमें उन्होंने लिखा है कि 15 नवम्बर से 21 दिसम्बर, 78 तक यह रेवेन्यू अभियान किया जाएगा जिसमें आपका आना जरूरी है । उन्होंने पूरी पंचायत क्षेत्रों का करीब एक महीने का कार्यक्रम बना कर हमारे पास भेजा है । उन्होंने यह भी लिखा है कि एस० डी० ओ०, डीडवाना इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे । उसमें अन्त्योदय लोगों का चयन भी होगा । आप इस रेवेन्यू कम्पेन का बड़ा क्रेडिट लेते हैं । लाखों फैसले आपने कर दिये हैं । सदन में मुख्य मंत्री जी ने भी यह कहा है । अखबारों में कालम इससे भरे हुए हैं । मुझे दावतनामा मिला उसी दिन राजस्व अभियान के तहत हुए फैसलों के खिलाफ जयपुर बैंच हाई कोर्ट में गंगानगर जिले की सांगरिया मण्डी के 16 प्रार्थियों ने रिट पिटीशन की थी । न्यायाधीश महोदय ने जो राजस्व अभियान के तहत फैसले हुए थे, को अवैध घोषित किया है । उसमें यह लिखा है:--

"राजस्व अभियान के तहत किये गये फैसले अवैध!

राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मोहनलाल जोशी ने श्री गंगानगर के जिलाधीश द्वारा राजस्व अभियान कैम्प के तहत किये गये भूमि सम्बन्धी फैसलों को अवैध घोषित किया है ।

न्यायालय ने राजस्व अभियान को मजमा-ए-आम की संज्ञा देते हुए सांगरिया, गणेशगढ़ आदि के 16 प्रार्थियों की रिट याचिकाएं मंजूर कर लीं और जिलाधीश का फैसला अवैध घोषित किया ।

न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा है कि प्रार्थियों की सुनवाई नहीं कर मौके पर जो फैसले सुनाये हैं, वे अवैध हैं ।"

मेरा नम्र निवेदन यह है, राजस्व मन्त्री जी, आपके और राजस्थान सरकार के हम लोग, इस सदन के माननीय सदस्य, कई कमेटियों के मैम्बर हैं । कहीं अलॉटमेन्ट कमेटी है, कहीं कोई कमेटी है । कानून के नाते हमको उसमें जाना पड़ता है । ऐसा ही पंचायतों में भी है । अलॉटमेन्ट कमेटीका क्या एजेन्डा होगा ? अलॉटमेन्ट किस तरह से होगा । वहां से इतना तक नहीं आता है । हमको तो अपना पैट्रोल डाल कर ही जाना पड़ता है । वहां गांवों में सब इकट्ठे हो जाते हैं । वहीं पर दनादन फैसले होते हैं । जैसा कि न्यायाधीश महोदय ने लिखा है, वह मजमा-ए-आम ही हो जाता है । हमको अजेन्डा मालूम नहीं है । अलॉटमेन्ट कमेटी की मीटिंग होती है । खाली जमीन होती है । रकबा वगैरह हमें कुछ मालूम नहीं होता है । इस अभियान में सरकार का लाखों रुपया खर्च होगा । तहसीलदार, थानेदार, कलेक्टर और जिले के सभी अधिकारियों की गाड़ियां चलती हैं । पूरे जिले के अन्दर ोकर यह काम चलता है । लेकिन हाई

(श्री मथुरादास माथुर)
कोर्ट का निर्णय आ गया कि यह अवैध है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह मजमा-ए-आम बन्द करें। यह सही है कि आपकी बड़ी शोहरत है।

जनता पार्टी की सरकार बहुत ही शोहरत ले चुकी है, हमको भी तकलीफ देते हैं, नहीं जाते हैं तो मुश्किल, कहेंगे कि आपके एम० एल० ए० आते नहीं हैं। आपके आफिसरों की गाड़ियों में तो सरकार पैट्रोल डाल देगी लेकिन हमारी गाड़ियों में कौन डालेगा। अब गांवों में जायें तो लोग कहेंगे हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है। सवाल यह है कि रेवेन्यू लॉज बने हुए हैं उनके तहत किसी को नोटिस देना है और जो कुछ भी प्रोसेस है वह सब कुछ होना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस अभियान को बन्द करें, जो चीफ सेक्रेटरी ने निकाला है आर्डर उससे जो मजलिस-ए-आम और महफिल-ए-आम हो रही है उसको बन्द करें। इसके कारण एक महीने भर तक दूसरा काम नहीं होता। इसलिए यह जो हाई कोर्ट का जजमेन्ट है आप इसको और एग्जामिन कर लें।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : अच्छा आप भी बोलेंगे।

श्री परसराम मदरणा : अध्यक्ष महोदय, डीडवाना से आने वाले माननीय सदस्य ने मजमा-ए-आम के सम्बन्ध में बहुत कुछ कह दिया है इसलिए मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उससे यह सब अवैध घोषित कर दिया गया है। राजस्थान कोलोनाइजेशन एक्ट के नीचे अलॉटमेन्ट रूल्स बने हुए हैं, इसी प्रकार से राजस्थान कैनाल के अलग रूल्स हैं, भाखरा के अलग हैं, चम्बल के अलग हैं, जवाई के अलग हैं, इस तरह से जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, 113 के आस-पास, उनके अलॉटमेंन्ट रूल्स अलग हैं। पहले भी कोलोनाइजेशन एक्ट का वायोलेशन हुआ है और हाई कोर्ट ने उसको अवैध घोषित कर दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह याद दिला देना चाहता हूं कि सितम्बर के महीने में जब कम्पेन की बात सरकार ने कही, उस वक्त भी मैंने निवेदन किया था कि जो राज्य सरकार ने एग्जिक्यूटिव आर्डर निकाले हैं उसमें 18 पाइन्ट्स हैं उनमें एक पाइन्ट यह भी है कि सैक्शन 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से इण्टरफीयर नहीं कर सकता। मैं इस एडजोर्नमेन्ट मोशन के तहत आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि नोन-कालोनी एरिया के अन्दर जो भी अलॉटमेन्ट हुए हैं और अब जो कम्पेन चल रहा है, इसमें भी जो कन्सर्न्ड रूल हैं उन रूल्स की जबरदस्त वायोलेशन हुआ है, पहले भी हुआ है और अब आप और करने जा रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो 15 तारीख को सदन चल रहा है, हमको यह सूचना मिली है, उसमें लिखा है कि राजस्थान के अन्दर कौन-कौनसी तारीख को किस-किस पंचायत समिति में अलॉटमेन्ट होगा। उस पर मुख्य मंत्री जी की फोटो है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी रूल्स का वायोलेशन हुआ है। उसमें लिखा है कि

(श्री परसराम मदेरणा)

निम्नांकित ग्राम पंचायतों के लिये भू-आवंटन सलाहकार समिति की बैठक रखी गई है जिसमें आपकी उपस्थिति आवश्यक है। आगे लिखा है क्रम संख्या, नाम ग्राम पंचायत, बैठक का स्थान, बैठक की तिथि और बैठक का समय। केवल ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर पर अलाटमेन्ट करना चाहते हैं। मेरी कान्स्टीट्युएन्सी में वुड़किया में दो गांव हैं, देवातड़ा में चार गांव हैं, अरटिया में चार गांव हैं, बिराणी में चार गांव हैं। इन पर आप एक ही हैडक्वार्टर पर आवंटन करने जा रहे हैं। मैं राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू अलाटमेन्ट आफ लैण्ड फार एग्रीकल्चरल पर्पजेज रूल्स, 1970 है। नॉन-कालोनीज एरिया, जो राजस्थान का तीन-चौथाई से ऊपर है, में जो अलाटमेन्ट कर रहे हैं, इसमें इन रूल्स का वायोलेशन होगा। रूल 13(4) है –

"The allotment shall be made in the village in which the land proposed to be allotted is situated. .."

हर गांव में एक पंचायत में 10 गांव हैं जहां पर जाकर एडवाइजरी कमेटी को अलाटमेन्ट करना पड़ेगा, यह रूल्स में लिखा है–

"... The Sub-Divisional Officer and the members of the Advisory Committee shall visit each such village or allotment of land."

रूल 13(4) का वायोलेशन पहले भी हुआ है और अब भी वायोलेशन होने जा रहा है। इस किताब पर माननीय मुख्य मंत्री जी की फोटो है। प्रोपेगण्डा आप कितना ही करो, यह आपके सोचने की बात है। प्रोपेगण्डा करने का कांग्रेस सरकार को भी अनुभव है। लेकिन आप कानून को हाथ में लेकर यह काम करने जा रहे हैं। अभी जैसा बताया गया बाड़मेर के सम्बन्ध में निर्णय हुआ। राजस्व मंत्री जी क्या बात कह गये, मैं सुन रहा था, लेकिन सुनाई नहीं दिया। इसमें कन्फ्यूजन है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस कन्फ्यूजन को दूर करके रूल्स को पढ़िये, मेरे पास भी यह डिपार्टमेन्ट रहा है।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, House is competent.

श्री मथुरादास माथुर : तुम्हारे लिए हम कह रहे हैं।

श्री परस राम मदेरणा : मेरा कहने का मतलब है, रेवेन्यू मंत्री जी, जोधपुर डिविजन में जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, जोधपुर जिले के हर एक माननीय सदस्य के हाथ में यह किताब है। शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य के हाथ में है, बिलाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के हाथ में है, यह कार्यवाही आप गलत करने जा रहे हैं। इस को आप बन्द कीजिये, यह स्टे आर्डर दिया गया है। इसी प्रकार की कार्यवाही आप फिर करने जा रहे हैं, इस पर भी स्टे आयेंगे। रूल्स में यह है कि इसको कलेक्टर डिसाइड करेगा। खातेदारी अधिकार कलेक्टर देता है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के सैक्शन 15 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार का उल्लेख है। यह कम्पेन कन्टीन्यूअसली चला है। मैं पहले भी सदन में कह चुका हूं, 1969 से लगातार कम्पेन और इन्टेंसिव कम्पेन चला। आपने यह फोटो छपवाने का अच्छा तरीका

(श्री परसराम मदेरणा)
निकाल रखा है, आप कुछ भी करें, आपके सोचने की बात है। आपके डिस्क्रिशन की बात है लेकिन आप रूल आफ ला से मत आगे जाइए । मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं ।

कांग्रेस सरकार के जमाने में अलवर जिले में 1975 में अलाटमेन्ट हुआ, शिड्यूल्ड कास्ट्स कमीशन की रिपोर्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें अलाटमेन्ट के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी, आपने शायद पढ़ा होगा, कमीशन ने अलवर जिले में अलाटमेन्ट के बारे में कहा है कि कम्पेन के जरिए 20 दिन के अन्दर रूल्स का वायोलेशन किया है, अलाटमेन्ट नहीं किया गया, डीमार्केशन नहीं किया गया, नक्शा नहीं रखा गया । इसलिए जल्दी-जल्दी में कम्पेन चला कर गलत काम न करें । राजस्थान में पहले भी कम्पेन हुए हैं । जब कभी कम्पेन हुए हैं तो मई व जून में हुए हैं । अभी नवम्बर महीना चल रहा है, एक तरफ खरीफ की फसल कटी है, कुछ फसलें खराब हुई हैं । यह किसान का व्यस्त समय है । किसान काम में लगा हुआ है, ऐसे समय रेवेन्यू कम्पेन चला रहे हैं, मुझे आप पर तरस आता है । मुख्य मंत्री कहते हैं कि मुझे विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों का सहयोग चाहिए; लेकिन हमको आप पर दया आ रही है, आप दया के पात्र हैं । आप क्या करने जा रहे हैं ? मैं राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जोधपुर जिले में जो अलाटमेन्ट रूल्स, 1970 हैं उनके डायमेट्रीकल अपोज्ड काम हो रहा है । आप रोकना चाहें तो रोकें नहीं तो लिटिगेशन बढ़ेगा ।

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** (राजस्व मंत्री): मैं माथुर साहब व श्री परसराम मदेरणा से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री **गंगाराम चौधरी** : मैं दो मिनट के लिए बोलूंगा । एक विषय की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा ।

राजस्व अभियान के दौरान जो आवंटन होता है, उसके लिए नियमों में प्रावधान है कि एडवाइजरी कमेटी की जो राय है उसके मिनिट्स ड्रा किए जायं और उस पर एस० डी० ओ० व एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हस्ताक्षर करें । अगर सदस्यों में डिफरेन्स आफ ओपीनियन हो, तो मामला जिलाधीश को रेफर होता है । पिछले साल बाड़मेर जिले में जो कुछ हुआ मीटिंग में उसके मिनिट्स ड्रा किए गए । उसके बाद एस० डी० ओ० मीटिंग के स्थान से जब बाड़मेर आए तो उन्होंने सारे आदेश बदल दिए, मिनिट्स यूं के यूं रिकार्डेड हैं । एस० डी० ओ० के हस्ताक्षर हैं लेकिन उन्होंने बाड़मेर में आकर दूसरे नोट में लिखा है कि रेगुलेराइजेशन खारिज । एडवाइजरी कमेटी के खिलाफ एस० डी० ओ० आदेश करते हैं । आप नियमों के प्रावधान के अनुसार एस० डी० ओज० को गाइड करें । जब अलाटमेन्ट कमेटी के सदस्यों के सामने मामला आता है तो मंत्री महोदय ने कहा था कि उसमें माननीय सदस्य और दूसरे सदस्य भी होते हैं, उनकी राय के अनुसार वे काम करते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सारे सदस्य अलाटमेन्ट कमेटी के सदस्य होते हैं, उनकी राय मिनिट्स में रिकार्ड होती है । उसके बाद में एस० डी० ओ० आदेश बदल देते हैं तो फि

(श्री गंगाराम चौधरी)
माननीय सदस्यों को अलाटमेन्ट कमेटी का सदस्य बनाने का मकसद क्या रहा ?

मैं निवेदन करना चाहता हूं नियमों में प्रावधान है कि वहीं पर अलाटमेन्ट आर्डर्स किए जायें या रेगुलेराइजेशन आर्डर्स किए जायें और वहीं पर कब्जा दिया जाए। पटवारी को हिदायत की जाए कि मिनिट्स को ड्रा करने के बाद में आदेश बदल देते हैं, यह नहीं होना चाहिए।

श्री बालकृष्ण थानवी : हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र में जब सरकार ने जमीन देना बन्द कर रखा है तो पटवारी पैसे लेकर लोगों को जमीन बताते हैं। इसलिए अतिक्रमण बढ़ता ही रहता है, अतः आप मंत्री महोदय को निर्देश दें कि ऐसी गलत कार्यवाही को चलने नहीं दें।

श्री अध्यक्ष : जो मुद्दे उठाए गए हैं, मंत्री महोदय उनका निवारण कर रहे हैं।

श्री पुरुषोतम मंत्री (राजस्व मंत्री): माननीय मथुरादास माथुर व माननीय परसराम मदेरणा ने जो राजस्व अभियान चल रहा है उसके बारे में एक कानूनी आपत्ति उठाई है। उसके अन्तर्गत पंचायत मुख्यालय पर अलाटमेन्ट के लिए चर्चा की गई है कि यह नियमों के विरुद्ध है। मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि उन नियमों में संशोधन कर दिया गया है 20 दिन पहले और उसमें रख दिया है कि गांव के बजाय पंचायत हैडक्वार्टर्स पर आवंटन होगा। गजट में छप गया है, श्रीमान्, गलती नहीं हो सकती है।

श्री मूलचन्द डागा : सदन की मेज पर रखिए। Why don't you lay on the Table of the House when the House is in Session.

श्री पुरुषोतम मंत्री : मैं तारीख की नहीं कह सकता लेकिन संशोधन कर दिया गया है।

जहां-जहां भी इसमें प्रावधान रखा गया है लैण्ड अलाटमेन्ट के बारे में, लैण्ड रिकार्ड्स में संशोधन करने के बारे में तहसीलदारों को असिस्टेंट लैण्ड रिकार्ड अधिकारियों की पावर्स दी गई हैं। कानूनी औपचारिकतायें पूरी करने के बाद राजस्व अभियान का सर्क्यूलर जारी किया गया है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या महीना भर पहले किया है ?

श्री पुरुषोतम मंत्री : अभी किया है जिसके बाद यह सर्क्यूलर जारी हुआ है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो सर्क्युलर गलत हो गया।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : यह अभियान 20 तारीख से चलने वाला था, तय हुआ...

(व्यवधान)

श्री पुरुषोतम मंत्री: दूसरी बात कही गई है सांगरिया के बारे में। आप दोनों प्रतिष्ठित वकील रहे हैं, अगर कानूनी गलती की है नेचुरल जस्टिस के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है तो हाई कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। कानून की अवहेलना न की जाए, सारा कार्य कानून के अनुसार किया जाए, इस प्रकार की राय कलेक्टर्स व

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

दूसरे अधिकारियों को दी गई है। अगर किसी ने गलती की है तो ठीक हो सकती है।

तीसरी बात कही गई है कि सरसरी तौर पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए, गलतियां होती हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जखीरों मुकदमे तहसीलों के अन्दर खातेदारी वगैरह के वर्षों से पड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार चाहती है कि उनका जल्दी ही निपटारा किया जाये। इतने विद्वान और इतने अनुभवी सदस्य इस विधान सभा के हैं, आपका जब इसमें सहयोग रहेगा तो मैं यह मान कर चलता हूं कि कोई गलती इसमें नहीं होगी। फिर भी इन्सान गलती कर सकता है। वैसे कोई गलती होने की सम्भावना बिलकुल नगण्य है, यह मान कर मैं चलता हूं।

एक माननीय सदस्य मावली से आने वालों ने कहा। मेरे ध्यान में नहीं है कि 20 तारीख से राजस्व अभियान चलने वाला है। मेरे यहां से सर्क्यूलर जारी हुआ आज से करीब दो सप्ताह पहले कि राजस्व अभियान 15 तारीख से चलेगा। 20 का कब हुआ, मेरे ध्यान में नहीं है। 7 तारीख को पार्टी की मीटिंग थी और 7 को मैं यहां नहीं था, शाहबाद था। पीछे से कुछ हुआ हो तो पता नहीं, इसलिए मैंने निवेदन किया कि मेरे ज्ञान में नहीं है।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : अध्यक्ष महोदय, तहसीलों में पिछले डेढ़ साल से तहसीलदार ही नहीं हैं। पटवारी की शार्टेज है तो इसके बारे में आप इन्तजाम नहीं करेंगे तो कैसे राजस्व अभियान होगा ?

श्री **परसराम मदेरणा** : आज तो सदन सेशन में है। कल तक माननीय सदस्य यहां पर रहेंगे। 14 से शुरू कर दिया गया है और सदन के माननीय सदस्य 20 से चलने का कह रहे हैं। इसलिये जो भी तारीख है वह आप सब को बता दें कि कौनसी तारीख से राजस्व अभियान शुरू हो रहा है।

श्री **मंजूर अली** : अध्यक्ष महोदय, कुछ लीगल उलझनें मेरे भी ध्यान में हैं जो मैं सदन के सामने पेश करना चाहता हूं। एग्रीकल्चरिस्ट और दूसरे एग्रीकल्चरिस्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अलाटमेंट रूल्स में प्रतिबंध है कि कोई भी म्युनिसिपल एरिया या उसके तीन मील के रेडियस में एग्रीकल्चरल लैण्ड है तो उसको रेगुलेराइज नहीं किया जायेगा चाहे वह टाउन प्लानिंग स्कीम के बाहर है। तो ऐसे पचास केसेज शहरों में हैं जहां म्युनिसिपल एरिया के तीन मील के रेडियस में एग्रीकल्चरल लैण्ड है और उनका नामांकन नहीं किया जा रहा है। यह कान्ट्रडिक्टरी पोजीशन है। इसलिए मैं आपके जरिये से रेवेन्यू मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम कलेक्टर्स को स्पष्टीकरण आदेश भेजें कि जो एग्रीकल्चरल लैण्ड तीन मील के एरिया में है या इसी एरिया में है उसे दूसरे एग्रीकल्चरल लैण्ड से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाये और ऐसे तमाम केसेज का नियमन कर दिया जाय, नया अलाटमेंट चाहे नहीं किया जावे लेकिन नियमन के लिये इस प्रतिबन्ध को न रखा जाय।

श्री **रतनलाल वर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से . . . .

श्री **अध्यक्ष** : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं तो आवश्यक निवेदन कर रहा हूं कि जो झगड़े होते हैं इसका कारण क्या है ? जो जमीन दूसरों के कब्जे में है और जिसके संबंध में धारा 91 का मुकदमा चल रहा है उस जमीन का भी आवंटन कर दिया जाता है जब कि जिस नम्बर का आवंटन किया जाय उसका नोटीफिकेशन होना चाहिए कि यह आवंटन किया जायेगा, अगर किसी को एतराज है तो एतराज पेश करें, लेकिन ऐसा नहीं होता।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि दो खेतों की जमीन का खातेदारी अधिकार मिल जाना चाहिए। वह जमीन किसानों के कब्जे में होनी चाहिए। उन गरीबों को वह दो खेतों की जमीन का आवंटन कर दिया जाता है इसकी वजह से भी झगड़े होते हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स के गरीबों को बीच में फंसा दिया जाता है इसलिए शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों में और सवर्ण लोगों में अधिकतर झगड़े होते हैं। इसके कारण क्राइम्स बढ़ते हैं। इसका मूल कारण यह है कि कब्जे में दूसरे के है और अलाट कर दी जाती शिड्यूल्ड कास्ट्स वालों को। इस कारण आपस में मुकदमे होते हैं..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री मंजूर अली : अध्यक्ष महोदय, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब मेरी बात का क्लेरीफिकेशन दे दें।

श्री ईश्वरचन्द्र : बाड़मेर में 250 केसेज का राजस्व अभियान में नामांकन करेंगे या नहीं ?

श्री जयनारायण सालोदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में सेटलमेंट में इस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं कि किसी की जमीन कुए की सिवाय चक में निकाल दी है। एक तरफ तो आप राजस्व अभियान चला कर केसेज को निपटाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन किसानों पर मुकदमा चलाना चाहते हैं। एक पटवारी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है उसने एक चालाकी की है, मपाई में किसी की तीन बिस्वा, किसी की चार बिस्वा जमीन कम मापनी शुरू कर दी और सब में से जमीन निकाल कर नोटिस दे दिया। जमीन एक ही है लेकिन हर खेत में से दो-चार बिस्वा निकाल कर लोगों को नोटिस दे दिये . . .

श्री मूलचन्द डागा : जो जमीन गलत आवंटित हुई है, नियमों के विरुद्ध हुई है उसको भी कैंसिल करने की कार्यवाही राजस्व अभियान में होगी ?

श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या यह भी बतायेंगे कि नगरपालिका के आधे मील के एरिया में जो जमीन आती है जिस पर काश्तकार काश्त करते हैं उसका भी नियमन करेंगे ? और करेंगे तो किस कीमत पर करेंगे ? यह भी बताने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि लैण्ड डिस्प्यूट के मामले कन्टीन्युइंग प्रोसेस के हैं। अगर आप खड़े होकर उत्तर देंगे तो दसियों दूसरे प्रश्न आयेंगे। इसलिए चर्चा समाप्त हुई।

विरोधी दल के नेता।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने विचार व्यक्त करने से पहले

(श्री रामनारायण चौधरी)

माननीय सदस्य, ईश्वरचन्द्र से अनुरोध करूंगा कि कुछ बातें अंग्रेजी में हैं, हिन्दी के अखबारों में प्रकाशित नहीं हुई हैं।

कल मैंने देखा कि जम्मू-कश्मीर के मुख्य मंत्री, श्री शेख अब्दुल्ला ने पत्रकारों के समक्ष कहा वह इस प्रकार से है :—

"Mr. Abdullah asked the centre to convene a Conference of eminent persons deeply committed to the cause of secularism to evolve measures to fight communalism. The initiative for such a Conference, which should chalk out an action-oriented programme, should come from the Prime Minister himself. Disturbed by the recurrence of communal trouble in Aligarh, he said he was at the same time heartened by the way the press and the public in general had reacted against the trouble-makers."

यह एक विचार हमारे सामने कल 14 तारीख के अखबार पढ़ने से आया है। हिन्दी के अखबार में कहीं नहीं आया, इसलिये अंग्रेजी का कोट किया है। "Sheikh wants meet on communalism-" दूसरा अखबार पेट्रियट है, इसमें भी अंग्रेजी में है :

'Abdullah demands ban on fanatic organisations-'

"Sheikh's call for se ularists meet.'

यह एक महत्वपूर्ण मामला सामने आया है। देश के अन्दर पिछले महीनों में 152 कम्युनल डिस्टर्बेन्सेज और दंगे हुए। यह आंकड़े हमारे दल के हिसाब से कलेक्ट किये हुए हैं जब कि जनता पार्टी के ही भूतपूर्व मंत्री, श्री राजनारायण ने इन दंगों की संख्या 200 बताई है। दंगों की संख्या कितनी भी हो 152 हो या 200 हो, यह बुरी चीज है। देश के लिये बुरी चीज है फूट डालने की नीति अंग्रेजों ने पैदा की। आजादी के तीस साल बाद पिछले 1½ साल में, मान्यवर, भयंकर दंगे इस देश में हुए हैं। अलीगढ़ के बारे में इस सदन के अन्दर मकराना से आने वाले माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किये थे और कहा था कि राजस्थान सरकार को भी सतर्कता बरतनी चाहिये कि हमारे प्रदेश में यह न पनपने पाये . . .

श्री मूलचन्द डागा : चित्तौड़गढ़ में हुआ है, मान्यवर।

श्री दाऊ दयाल जोशी : यह आप लोगों की देन है।

श्री मूलचन्द डागा : चोर की दाढ़ी में तिनका।

श्री रामनारायण चौधरी : चित्तौड़गढ़ में हुए।

राजस्थान में हमारे पत्रकारों ने और प्रेस ने बड़ी मदद की है राजस्थान की जनता की और राजस्थान सरकार की कि प्रदेश के अन्दर इस प्रकार का वातावरण न बनने पाये लेकिन उदयपुर में जो घटना घटी, मान्यवर, वह घटना दो लड़कों के बीच की नहीं थी। एक लड़का होनहार युवक इस देश से चला गया और दूसरा युवक मरणासन्न है। यह घटना खिलाड़ियों की कही जा सकती है अखबारों के आधार पर लेकिन इसके अन्दर यही चीज थी जो दूसरी जगह कम्युनल

(श्री रामनारायण चौधरी)

डिस्टर्बेन्सेज होते हैं उसी शक्ल की थी। आज भी उदयपुर में स्थिति अशांत है। दैनिक पत्र में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उदयपुर में शांति बनाये रखने के लिये सेना की मदद ली। उदयपुर नगर में शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये जिला प्रशासन ने सेना की सहायता ली है। नगर के बाहरी हिस्से में सेना की छोटी-छोटी टुकड़ियां गश्त लगा रही हैं। जनरल हास्पिटल, जिलाधीश कार्यालय, बापू बाजार, स्टेशन रोड, विश्वविद्यालय मार्ग आदि क्षेत्रों में सेना के जवान घूमते दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान के पुलिस महानिरीक्षक, श्री गणेश सिंह से जानकारी चाहे जाने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट की। निषेधाज्ञा लागू किये जाने पर कल सायंकाल तक स्थिति नियंत्रण में थी। सायंकाल में कुछ लोगों द्वारा एक होटल में तोड़-फोड़ किये जाने पर तथा होटल के व्यवस्थापक की पिटाई किये जाने पर यह स्थिति पुनः बिगड़ गई। इस संबंध में पुलिस ने अब तक 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह स्थिति उदयपुर में हुई।

जयपुर में भी अभी इदुलजुहा का त्यौहार था। यहां के लोग भी, मान्यवर, इस त्यौहार को शांतिपूर्वक पूरे जोश के साथ नहीं मना सके। यहां भी क्या हुआ। राजस्थान सरकार के एक भूतपूर्व आई०ए०एस० अधिकारी, श्री अलाऊद्दीन खिलजी, जो जिलाधीश भी रहे हैं और आज कल कांग्रेस में माइनोरिटी सैक्शन के अध्यक्ष हैं, के साथ भी क्या हुआ। उन्होंने आज से तीस साल पहले नियमानुसार यू०आई०टी० से जमीन खरीदी थी। उसके ऊपर वे कुछ तामीर करवा रहे थे। त्यौहार की वजह से उनके आदमी गांव चले गये थे। वे स्वयं भी बाहर थे। पीछे से उनकी बनी हुई कम्पाउण्ड वाल को तोड़ दिया गया। वे लोग कौन थे, उनके पीछे किसका प्रोटेक्शन है मैं इस सदन में नहीं बताना चाहूंगा। आप सरकार को कहें आज जयपुर में इतना बड़ा काण्ड हुआ, किसी भी क्षण वह ऐसा रूप धारण कर सकता है कि यहां पर बड़ा नुकसान हो सकता है।

मान्यवर, तीसरा राजस्थान के अन्दर चूरू जिले के भालेरी गांव के अन्दर अल्पसंख्यक मुसलमानों की स्थिति बड़ी दयनीय है वहां के अल्पसंख्यकों को पूरी-पूरी पुलिस प्रोटेक्शन के अन्दर रहना पड़ता है। उनका जीवन नारकीय जीवन हो गया है। पानी पीने के लिये बाहर नहीं निकल सकते। जन जीवन अशांत हो गया है। वहां का एक लड़का, जो अभी वहां से आया है, को दो महीने के लिये पुलिस प्रोटेक्शन दिया था। दो आर्म्ड कान्सटेबल घूमते थे। 1,100 रुपये प्रति माह वह युवक अपने पास से देता था। मैंने पिछले दिनों इस बारे में इस सदन में एक छोटी सी सूचना दी थी। राज्य सरकार ने वह अधिकारियों के पास भेजी तो अधिकारी ने उद्वेलित होकर उस युवक को अपने खर्चे पर 1,100 रुपये में जो दो पुलिस कान्स्टेबल मिले हुए थे वह भी विथड्रा कर लिये। आज स्थिति यह है कि जयपुर के अन्दर वह एक होटल में छिपा बैठा है। किसी की जानकारी में नहीं है। उसका माल तो क्या उसकी जान भी सुरक्षित नहीं है। हम से मिलने के लिये रात को लेट आवर्स में आता है। किसी भी क्षण उसके ऊपर प्राण घातक हमला हो सकता है। यह कुछ प्रश्न ऐसे हैं मान्यवर, जिनके बारे में मैं आपका ध्यान इस प्रस्ताव के द्वारा आकर्षित इसलिये कर रहा था कि जम्मू

(श्री रामनारायण चौधरी)

और काश्मीर के मख्य मंत्री श्री शेख अब्दुल्ला साहब ने राष्ट्र के प्रधान मंत्री और केन्द्र सरकार से यह प्रार्थना की है कि यह एक राष्ट्रीय प्रश्न है। यह काम देश के प्रधान मंत्री का है। प्रधान मंत्री के पास शेख अब्दुल्ला की यह अपील यह रिक्वेस्ट पहुंच गई। 13 तारीख को कान्फ्रेंस थी श्रीनगर के अन्दर। भारत सरकार और देश के प्रधान मंत्री की इस बारे में कोई प्रतिक्रिया और रि-एक्शन नहीं हो, देश के लिये बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज न केवल राजस्थान के वल्कि सारे देश के करोड़ों अल्पसंख्यक असुरक्षित इसलिये महसूस कर रहे हैं कि देश के अन्दर इस प्रकार के दंगे हो रहे हैं। ज्यादा दुःख तो उनको इस बात का हुआ कि अलीगढ़ के अन्दर कम्यूनल डिस्टर्बेन्स हुआ। फौज और पुलिस वहां पर बड़ी तादाद के अन्दर लगी हुई है, 50-50 कदम के ऊपर फौज की टुकड़ियां लगी हुई हैं उसके बाद भी वहां की स्थिति काबू में नहीं आ रही है। दूसरी जगह का जिक्र नहीं करूंगा, पुरानी बात हो गई। आगे इस देश और प्रदेश के अन्दर कोई घटना इस प्रकार की घटित न हो जाय इसलिये शेख अब्दुल्ला साहब, जम्मू-काश्मीर के मुख्य मंत्री ने जो सुझाव केन्द्रीय सरकार को दिया है उस पर अमल किया जाना चाहिये। मान्यवर, उसके द्वारा ही देश के अन्दर साम्प्रदायिक एकता का वातावरण बनाया जा सकता है और इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है अन्यथा इस प्रकार का जहर हमारे देश के अन्दर और हमारे प्रदेश के अन्दर फैलना शुरू हो गया है। आज हमारे राजस्थान के अन्दर यह स्थिति है तो हमारे राजस्थान की जो सरकार है, वह यहां क्या महसूस करती है। मुसलमानों का होम मिनिस्टर साहब पर आरोप है, मैं नहीं लगा रहा हूं यहां के अखबारों में निकला है। जयपुर नगर के अनेक मुस्लिम संगठन के प्रतिनिधियों ने होम मिनिस्टर, सम्पतराम पर आरोप लगाया है कि कब्रिस्तान के गड़े मुर्दे उखाड़ कर कब्रों की छाती पर बनाये जाने वाले सिनेमा घर के मालिक को उनका आशीर्वाद प्राप्त है। मुसलमानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर शराब के ठेकेदार द्वारा बनाये जाने वाले इस निर्माणाधीन सिनेमाघर के सामने गृह मंत्री ने बैठ कर दो-तीन बार चाय पी..

एक माननीय सदस्य : अखबार का नाम बतायें, कौनसा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : जयपुर का दैनिक पत्र है। निर्माण कार्य की देख-रेख के लिये पुलिस के 10-12 आदमी वहां हरदम तैनात रहते हैं। मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों ने कल एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि गृह मंत्री की इस कार्यवाही से मुसलमानों में आतंक है। मौके पर संवादाताओं ने वहां पुलिस को तैनात भी देखा। जयपुर मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, कारी मोईनुद्दीन ने कहा कि मुसलमान कौम की भावनाओं के साथ इस प्रकार किये जाने वाले खिलवाड़ को हम कतई वर्दाश्त नहीं करेंगे। इस नापाक कार्य के विरुद्ध आन्दोलन करेंगे। यह स्थिति यहां के मुसलमानों की है। राजस्थान सरकार की क्या भावना है ? इस प्रकार के हालात में ये अल्पसंख्यक कहां जायेंगे ? अध्यक्ष महोदय, अब यह आपके पास आयेंगे तो कहेंगे सदन नहीं चल रहा है। सदन चलता तो हम स्थगन प्रस्ताव के जरिये आपको मौका दे सकते थे। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा शेख अब्दुल्ला, जो जम्मू और

Page No 73

(73)

(श्री रामनारायण चौधरी)

काश्मीर के मुख्य मंत्री हैं, ने प्रधान मंत्री और भारत सरकार से कहा है कि सम्प्रदायवाद की भावना नहीं बढ़ने पाये। धर्म निरपेक्षता के सिद्धान्त, जो हमारे संविधान में हैं, में किसी प्रकार का दखल न हो इसके लिये एक कांफेन्स सिटिजन्स की की जानी चाहिये। इस प्रकार की मांग जम्मू एण्ड काश्मीर के मुख्य मंत्री ने की है। मैं आपके जरिये से यह निवेदन करता हूं कि यह सदन भी ऐसी ही मांग करता है। इसलिये इस सदन की भावना भारत सरकार के गृह मंत्रालय को आपके मार्फत प्रेषित कर दें।

श्री मनी-राम (तारानगर) : माननीय अध्यक्ष जी, विरोधी दल के नेता महोदय ने जो सदन में प्रश्न उठाया है, यह मेरे क्षेत्र का सवाल है। मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था। उस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि ऐसा हुआ तो हम ऐसे आदमी को दण्डित करेंगे। जो चार बीघा चार विस्वा जमीन आबादी में थी उस आबादी भूमि में मुसलमानों के मकान बने हुए थे। उस जमीन का सारा किस्सा यह है कि पंजाब और इधर गंगानगर के स्थानीय ठाकुर ने मजमा लगा रखा है और इधर पुलिस की टुकड़ी मुसलमानों की रक्षा के लिये बैठी हुई है . . .

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा इम्पाटेन्ट इश्यू है। जनता पार्टी की कमजोरी है, सरकार की कमजोरी है।

श्री मनी राम : इस बात पर पूरा ध्यान दें। बहुत दिनों से कोशिश चल रही है। इस मसले को लेकर मैं माननीय मंत्री महोदय से कल मिला हूं। मैंने उनको सारी स्थिति से अवगत कराया है। मैं निवेदन करूंगा इस मसले पर ध्यान अवश्य दें। यह मसला आज का नहीं है। जब से हमारी असेम्बली चल रही है तब से यह मसला चल रहा है। चार बीघा, चार विस्वा में काफी मुसलमानों के मकान बने हुये हैं। वे उन मकानों को खाली करवाना चाहते हैं और वे छोड़ना नहीं चाहते हैं, मसला यह है।

श्री ईश्वर चन्द्र : अध्यक्ष महोदय, दिनांक 18-3-71 को माननीय अध्यक्ष ने जो राजस्थान विधान सभा में निर्णय दिया है, उसमें यह दर्ज है कि समाचार पत्रों के उद्धरण पर स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। उसमें आगे लिखा है, अखबार का उल्लेख एडजोर्नमेंट मोशन में नहीं आता है . . . .

"News papers are never to be quoted in the House."

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक सद्भाव के मामले में हमें नियंत्रित रहना चाहिये और थोड़ा संयम से बोलना चाहिये। समाचार पत्रों के आधार पर सदन में गलतफहमी पैदा करें, यह किसी प्रकार उचित नहीं होगा . . .

(व्यवधान)

श्री मदनसिंह दांता : पहले कलेक्टर खिलजी थे, ये भी मोरिजा ठाकुर साहब के थे . . .

(व्यवधान)

यह विवाद इसलिये नहीं है कि राजपूत और मुसलमानों का मामला है। आपसी टण्टा है। यह ठीक है कि कोई अत्याचार हो सकता है। पुलिस को ध्यान रखना चाहिये। मैं समझता हूं कि राजपूत और मुसलमानों की लड़ाई वो

(श्री मदनसिंह दांता)
बहुत पहले ही खतम हो चुकी है। यह सही हो सकता है कि वहां उनकी जान को खतरा हो और उन पर दबाव डाला जा रहा हो।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि कम्यूनल हारमोनी का प्रश्न बहुत बड़ा प्रश्न है और यह बहुत महत्वपूर्ण भी है। विरोधी दल के नेता और अन्य माननीय सदस्य किसी भी प्रश्न को उठायें, उठाने का हक है लेकिन उठाने से पहले उसकी वास्तविकता को देखकर उठायें तो अच्छा होगा। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि वे मुझसे कल मिले थे। यदि एक जमीन के टुकड़े को लेकर कोई कोर्ट में जाता है तो जब कोर्ट में चला जाता है तो उसके बाद कोर्ट की जिम्मेदारी हो जाती है। हां, यह ठीक है कि कोई माइनोरिटी को देखकर उसके जीवन को खतरे में डालता है तो सरकार का यह कर्त्तव्य है कि वह उसे संरक्षण दे। जिसके बारे में . . . .

श्री श्योपतसिंह मकासर : उनको 107 और 151 के तहत अन्दर क्यों नहीं कर दिया ?

(व्यवधान)

107 और 151 में जिन लोगों से खतरा है, उनको अन्दर क्यों नहीं रख देते हैं ? यह गलत है।

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम : इस तरह से प्रेशर डाल कर कोई कार्यवाही नहीं कराई जा सकती है। 107 और 151 में बन्द करने के कायदे कानून हैं। जब हम इस कानून को ला रहे थे तो मझे मालूम है उधर के कुछ माननीय सदस्यों ने आपत्ति की थी कि इसमें संशोधन न किया जाय। आज 107 में अन्दर कर देते हैं तो परसों वापस आ जाते हैं। कुल मिला कर मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रकार की बात हुई है। कल माननीय सदस्य मुझसे मिले थे। मैंने आश्वासन भी दिया था। मैंने यह भी कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से भी देख लूंगा कि हिन्दू-मुस्लिम की समस्या किसी भी प्रकार न बने। अभी खिलजी के बारे में भी विचार आया। वे प्रातः मुझ से मिले और मिलते ही कहा कि इस पर आर्डर कर दें। मैंने उनसे कहा कि आप तो सारे कानून को जानते हैं। यदि कोई मामला है तो आप पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दें। यह कागज मेरे पास आ गया है। अभी तो मैं असेम्बली जा रहा हूं लेकिन वहां से आने के बाद पूछूंगा कि क्या मामला है। मेरा यही निवेदन है कि केस को सबसे पहले रजिस्टर कराना चाहिये। यदि केस दर्ज नहीं करायेंगे तो पुलिस का वहां जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रामनारायणजी ने जो बात कही उसके बारे में उन्हें पता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसका मुझे दुःख है। रामनारायणजी कुछ जानकारी करके कहें तो विरोधी दल के नेता का मापदण्ड ऊंचा होगा। जिस जमीन के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उसका लाइसेंस इस सरकार ने नहीं दिया। पिछली सरकार ने वह लाइसेंस दिया था। वह जमीन अवाप्त की जा रही थी। अवाप्त करने के बाद पिछली सरकार ने उसको छोड़ा....

श्री रामनारायण चौधरी : आप गलत बयान दे रहे हैं। आप मंत्री होकर सदन के

(श्री रामनारायण चौधरी)

अन्दर गलत जानकारी नहीं दे सकते। आपकी सरकार ने, आपके जिलाधीश, श्री सिसोदिया ने उनको लाइसेंस दिया है। पुरानी सरकार ने जो कार्यवाही स्टे की की, वह राज्य सरकार का स्टे मौजूद है। उसके बाद आपकी सरकार ने और आपके जिलाधीश ने इजाजत दी। आप खुद भी चार दफा वहां पर गए हैं। आप ही नहीं, आपकी पुलिस भी वहां पर गई है। आपने खुद ने वहां जाकर चाय पी। प्रेस कांफ्रेंस की न्यूज है यह आपके सामने है। अगर यह सही नहीं है, अगर आप नहीं गए, यह सब गलत था तो इस बात को तो 15 दिन हो गए, 15 दिन पहले की यह घटना है, आप अब तक कान्ट्रेडिक्शन कर सकते थे।

श्री सम्पतराम: मैं आपको जो कुछ कह रहा हूं पूरी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। अब छोटे-मोटे अखबारों में कुछ भी लिख दें उसका स्पष्टीकरण दिया जाय यह जरूरी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, न तो मैं उस जगह पर गया हूं, न मैंने उस जगह को देखा है, न उस जगह पर जाकर चाय पी है, न उससे मेरा कोई सम्बन्ध है। यह आपको और अर्ज करता हूं कि न पुलिस में कोई केस रजिस्टर हुआ है और न ही कोई पुलिस लगाई है। हिन्दू हों या मुसलमान हों....

श्री जयकृष्ण शर्मा: आप फिर यह भी कह दीजिए कि न आप उनको जानते हैं, न पहचानते हैं....

(व्यवधान)

श्री सम्पतराम: अगर जानता भी होऊं, पहचानता भी होऊं तो क्या फर्क पड़ता है। बोलिये अब क्या करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ भी अर्ज करना चाहता हूं उसको शांति से सुनिये। मैं रामनारायणजी से फिर कह रहा हूं कि मेरी बात गलत हो तो कह दें।

एक बात और है, अध्यक्ष महोदय, जिलाधीश के द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है उसके खिलाफ अपील होम कमिश्नर को होती है। होम मिनिस्टर तक तो कागज भी नहीं आते हैं। फिर भी यह मेरी जानकारी है कि आपकी सरकार ने लाइसेंस दिया था। यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और रिकार्ड के आधार पर कह रहा हूं। मोहन मुखर्जी ने उस सारी आपत्ति को हटा दिया और कलेक्टर ने पूछा था कि जो भी निर्णय लिया हो वह उनको कम्युनिकेट कर दिया जावे। वह कम्युनिकेट कर दिया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, एक बात और अर्ज करना चाहता हूं जिसको मैं कहने से भूल गया था। बड़ी अजीब बात है कि कोई भी मामला हो, हरिजनों का मामला हो, मुसलमानों का हो, मायनोरिटीज का मामला हो इस तरह से पेश किया जाता है कि जिसमें हमारे राष्ट्र का, हमारे प्रान्त का सवाल आता है। अभी उदयपुर की घटना में हिन्दू-मुसलमानों का नाम लिया गया है। इसमें हिन्दू-मुसलमानों का कोई सवाल नहीं है। एक खेल हो रहा था जिसमें एक राजपूत था दूसरा मोहम्मडन था। दोनों में आपस में झगड़ा हो गया। झगड़े में एक मर गया, एक घायल हो गया जो अस्पताल

(श्री सम्पतराम)

में भर्ती है। गवर्नमेंट ने सारे प्रिकाशन लिए कि किसी तरह से कम्युनल सेप नहीं हो जावे इसमें किसी मुसलमान को मारने का कोई प्रश्न नहीं है। इस तरह से कम्युनल सेप देना उचित नहीं है। जो वास्तविक स्थिति थी वह मैंने आपके सामने रख दी।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : अध्यक्ष महोदय, बाडमेर जिले के....

श्री **रामनारायण चौधरी** : फिर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या किया ? अब आपकी क्या राय है ?

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : यह तो हमारे राजस्थान का सवाल हुआ। राष्ट्र के सवाल पर अपने विचार रखिये।

श्री **रामनारायण चौधरी** : राष्ट्र और प्रदेश दोनों का सवाल है।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : अब आप राष्ट्र के सवाल पर आइये। शेख अब्दुल्ला के बारे में क्या विचार हैं।

श्री **वृद्धिचन्द्र जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्थगन प्रस्ताव रखा है। बाड़मेर जिले की चौहटन तहसील और पिजराड़ पुलिस थाने के अन्तर्गत ग्राम भोजारिया में इसी महीने के प्रथम सप्ताह में, नवम्बर महीने में पाकिस्तान से दो व्यक्ति आए। वे रायफलों से लेस थ। उन्होंने एक जाट की ढाणी में प्रवेश किया और उसकी औरत, जिसका नाम नाजू है जो तीस वर्ष की है और शादीशुदा है, को अपहरण करके वे ले गए, पाकिस्तान में ले गए। ऐसी घटना मैंने पिछले 5 सालों में नहीं देखी। स्मगलिंग के मामले भी बोर्डर पर होते हैं, कैटल लिफ्टिंग के मामले भी होते हैं, परन्तु अपहरण का जो मामला हुआ है, जो अभी हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में हुआ है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में लोगों में बहुत ही असंतोष है। उनमें आतंक फैल गया है। इसकी प्रतिक्रिया यह भी हो सकती है कि इधर के लोग भी उधर पाकिस्तान में जाकर ऐसा करें। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटना हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान हिन्दुस्तान के सम्बन्ध अच्छे हों, और बोर्डर का डिस्प्यूट और संघर्ष किसी प्रकार से नहीं हो। यह भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह घटना हुई है उसके पहले हमारी तरफ से ऐसी घटना हो गई हो, बाड़मेर जिले में या जैसलमेर जिले से जाकर पाकिस्तान में ऐसी घटना की हो और उसके कारण री-एक्शन हुआ हो तो उसकी जांच करें। जांच करके जो एस० पीज० की कांफ्रेंस होती है पाकिस्तान के, सिंध के एस० पी. और अपने बाड़मेर के एस० पी० की कान्फ्रेंस हो। अगर आवश्यकता पड़े तो डी० आई० जी० से जिस प्रकार से बातचीत होती है हर महीने, उस तरह से बात कराकर इस डिस्प्यूट को तय करा दिया जाना चाहिए। अगर इस प्रकार के डिस्प्यूट को तय नहीं किया जाता है तो यह अशांति का कारण हो सकता है और लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। यह बहुत ही संगीन मामला है। पहले पाकिस्तान में एक डकती करके किशनदान और उनकी पार्टी आ गई। किशनदान को अरेस्ट किया। किशनदान जो पाकिस्तान से आया था उसको बाड़मेर की पुलिस ने अरेस्ट किया था परन्तु पासपोर्ट रूल्स के अन्तर्गत उसको छोड़ दिया गया,

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

यह जानते हुए भी कि यह डकैती करके आया है पाकिस्तान से। बहुत ज्यादा प्रेशर डालने पर केस रजिस्टर्ड हुआ है। इसी तरह से पाकिस्तान में घटना हुई है उसके लिये दोषी लोगों को दण्डित किया जाय। इस प्रकार से दण्डित करने पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पर भी असर पड़ता है, दोनों देशों पर असर पड़ता है। हम यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के रिलेशन्स अच्छे होने चाहिए, दोनों पड़ौसी देश हैं। हमारे बोर्डर की लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन खराब न हो, वहां पर किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, इसलिये इस सम्बन्ध में कोई न कोई हल निकालना चाहिए और शांति के साथ विवाद को सुलझाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा: श्रीमान्, मैं दो मिनट में....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: मैं चाहता हूं कि गृह मंत्रीजी इस सम्बन्ध में बयान दें।

श्री परसराम मदेरणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक मिनट के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

अभी बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया है कि बोर्डर पर एक महिला को उठाकर ले गए हैं। इस कारण इण्टरनेशनल, अन्तर्राष्ट्रीय बोर्डर के ऊपर काफी भय और आतंक है। मैं भी गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह बोर्डर डिस्प्यूट का सवाल न बने, इसलिए बोर्डर के एस०पीज० की मीटिंग में इस सवाल को निपटायें। जैसा मुझे बताया गया है उसके आधार पर मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि अगर हो सके तो जैसा पूर्व में होता रहा है, एस०पी० डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस सवाल को लिया जाना चाहिए। अगर इसको लाइटली लिया गया तो बोर्डर पर जबरदस्त डिस्टर्बेन्स होगा और कई प्रकार के काम्प्लीकेशन्स खड़े हो जायेंगे। क्या काम्प्लीकेशन्स होंगे उसमें मैं नहीं जाना चाहता। यह अन्तर्राष्ट्रीय मामला है, इसलिए मेरा निवेदन है राज्य सरकार से और खास तौर से गृह मंत्रीजी से, हालांकि वे नम्बर दो पर नहीं हैं...

श्री श्योपतसिंह मकासर: चार नम्बर पर हैं।

श्री परसराम मदेरणा: अभी मुख्य मंत्री जी यहां पर नहीं हैं। अभी प्रेस कांफ्रेंस की बात उठी थी। जनता पार्टी के लोगों ने ही आपको सर्टिफिकेट दे दिया आपकी कारगुजारी का, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मेरा निवेदन है, मेहरबानी करके इस मामले को राज्य स्तर पर लेकर और डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करके जल्दी से जल्दी सुलझायें। पब्लिक इम्पार्टेन्स का मामला होने से कृपया इस मामले को हाइएस्ट लेवल पर लें।

श्री श्योपतसिंह मकासर: अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी विषय पर रोशनी डालना चाहूंगा क्योंकि बोर्डर क्षेत्र में इस तरह की घटनायें बढ़ रही हैं। मेरे क्षेत्र में भी एक लाख रुपयों की चोरी करके चोर पाकिस्तान में भाग गए जिसके लिए सरकार भी बरायत जमा हो गई और पुलिस की बरायत जमा हो गई। ऐसे जितने केसेज हुए है ऐसी जितनी हमारे यहां पर घटनायें हुई हैं कितने केसेज पाकिस्तान में हुए हैं, दोनों तरफ के मुलजिमों को हमारी सरकार और पाकिस्तान

Page No 78

(78)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
सरकार एक-दूसरे को सौंप दे। इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, हमारे मुलजिम पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। इस आधार पर केन्द्रीय सरकार के साथ बैठ कर के विचार किया जाए। इस मसले को गंभीरता से लिया जाए वरना ये घटनाएं और बढ़ेंगी, कुछ लोग माल लूट लें जायेंगे, उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं होगा। इसलिए इस मसले को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: नियम 191 में मूव करें।

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावना को मानता हुआ....

श्री अध्यक्ष: यह विषय रूल 191 में था, वह लेप्स होने वाला था, इसलिए इसको ले रहा हूं।

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता, आपकी पार्टी के बोल चुके हैं। तीसरा अगर मौन व्रत धारण कर बैठा रहे..

श्री खेतसिंह राठौड़: अध्यक्ष महोदय; मेरा स्थगन प्रस्ताव उस विषय पर नहीं था।

श्री अध्यक्ष: आपका स्थगन प्रस्ताव वेग है।

श्री खेतसिंह राठौड़: मेरे को सुनेंगे तो एप्रिशिएट करेंगे।

श्री अध्यक्ष: असंख्य समस्याएं हैं। कोई समस्या तो होनी चाहिए। असंख्य समस्या है। असंख्य बात आप कहेंगे।

श्री खेतसिंह राठौड़: मैं असंख्य नहीं कहूंगा।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री खेतसिंह राठौड़: मुझे कब मौका मिलेगा?

श्री अध्यक्ष: मैं मौखिक रूप से आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं। फिर भी आपको मौका दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव यह है कि अभी हाल ही में सदन के माननीय सदस्य, मोहम्मद जहूर को कामां में आई बाढ़ को लेकर जो स्थिति पैदा हुई थी उसके लिए 21 सितम्बर, 1978 से लेकर 26 सितम्बर, 1978 तक सचिवालय के सामने बैठ कर भूख हड़ताल करनी पड़ी और मुख्य मंत्री महोदय को कड़ी भाषा में पत्र लिखना पड़ा। फिर कई माननीय सदस्यों को भी भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। ऐसी स्थिति में जो वातावरण बना, उसका कारण यह है कि न केवल माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद जहूर के प्रति उपेक्षा का व्यवहार रहा बल्कि कई माननीय सदस्यों की गरिमा और प्रतिष्ठा को खंडित करने की प्रवृत्ति का उग्र रूप सामने आया। सदन के नेता और माननीय सदस्यों के बीच शालीनता, गरिमा और लोकतान्त्रिक मूल्यों के आधार पर जो सम्बन्ध होना चाहिए उसके पूर्ण रूप से अभाव के कारण यह दुखद और हास्यास्पद स्थिति पैदा हुई। माननीय सदस्यों के सामने भविष्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा न हो तथा जो स्थिति पैदा हुई है उस पर विचार करने के लिए मैं प्रस्ताव करता हूं। आशा है कि अगले टाइम पर मुझे इस पर चर्चा करने का मौका देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री जयकृष्ण शर्मा।

श्री नवरंग सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। यह अहम् मसला है......

श्री अध्यक्ष: अभी इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी जिस प्रकार से इस देश में जनतन्त्र लाई है, जिस प्रकार से देश के नागरिकों को निर्भय बनाना चाहती है, उसका एक उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जनता पार्टी किस प्रकार का देश में लोकतन्त्र लाई है और किस प्रकार से वह इस देश के लोकतन्त्र को सुरक्षित रखना चाहती है इसका मैं, अध्यक्ष महोदय, उस इलाके का किस्सा कहना चाहता हूं जिस इलाके से हमारी सरकार के वरिष्ठ मंत्री, उद्योग मंत्री, यहां सदन में विराजमान हैं। उद्योग मंत्री संसदीय मामलात के मंत्री हैं, कानून के ज्ञाता हैं, विधि के विशेषज्ञ हैं, समाजवाद के चिन्तनशील व्यक्ति हैं। अगर सदन इस किस्से के डिटेल्स में जाएगा तो आप जान जायेंगे कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत राजनीति के अन्दर अन्धे हो जाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं कि ग्राम सांवलपुरा के सरपंच के खिलाफ एक अविश्वास का प्रस्ताव वहां की पंचायतों के पंचों, जिनको कि जनतन्त्र के अन्दर हक है कि एक सरपंच के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकें, ने एक 2-5-78 को कलेक्टर, सीकर के सामने प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने उसके लिए 24-5-78 की तारीख तय की। इस दौरान मंत्री महोदय का एक टेलीफोन पहुंचा कलेक्टर के पास कि यह तारीख स्थगित कर दी जाए। कलेक्टर ने फाइल पर लिख दिया कि मंत्री महोदय का टेलीफोन आया है इसलिए तारीख को स्थगित कर दिया जाए। परन्तु जो पंचायत विभाग के कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि सरकार के अलावा कलेक्टर या और किसी को तारीख कैंसिल करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि इस प्रकार का हाई कोर्ट का फैसला हो चुका है। तारीख तय हो चुकी थी इसलिये कलेक्टर, सीकर ने नीम का थाना तहसीलदार को उस मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त किया। तहसीलदार मौके पर गये। तहसीलदार जानते थे कि वहां पर अविश्वास का प्रस्ताव पेश होगा इसलिए उन्होंने वहां के डी-वाई० एस० पी० को भी अपने साथ लिया। उसके साथ तहसीलदार मौके पर पहुंचे। तहसीलदार के सामने प्रस्ताव आया। उस मीटिंग के अन्दर उस पंचायत के जो 13 पंच, सरपंच थे वे सब के सब उपस्थित थे। तहसीलदार ने उनसे बात की। उनमें से दस पंचों ने एक मत से कहा कि हम बंसीलाल शर्मा, सरपंच के अन्दर अविश्वास प्रकट करते हैं, वहां पर अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया। 13 में से 10 पंचों ने उस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया। परन्तु उस तहसीलदार, जो कि हमारे उद्योग मंत्री की छत्रछाया में काम कर रहा है, ने नीम का थाना के तमाम कर्मचारी चाहे वह डी-वाई० एस० पी० हो...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट, यह बहुत जरूरी है।

उन्होंने अपना प्रैशर लगाया। तहसीलदार ने लोगों से, पंचों से कहा कि दो महिलायें सहवृत हैं, ये महिलायें मत नहीं दे सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

अन्दर पंचायत का कोई ऐसा कानून अभी तक नहीं बना है कि सहवृत सदस्य वोट नहीं दे सकते । उस तहसीलदार ने उस अविश्वास के प्रस्ताव पर यह लिख दिया । जब प्रस्ताव पास हो गया तो उसने कहा कि ये दो महिला सदस्य, जो कि सहवृत है, मतदान में भाग नहीं ले सकती हैं । उन महिलाओं ने तहसीलदार को दरख्वास्त दी, पंचायत का कानून बता दिया । जो दरख्वास्त दी है उसकी प्रतिलिपि मेरे पास मौजूद है, अध्यक्ष महोदय, वहां पर 13 में से 10 ने अविश्वास का समर्थन किया । दो महिलाएं निकाल दें तो कुल सदस्य 11 रह जाते हैं तो भी 8 सदस्यों ने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया है । तहसीलदार, जो मिनिस्टर महोदय की छत्र-छाया में राजनीति के अखाड़े में उतर आया है, वह प्रस्ताव लेकर कलेक्टर के पास पहुंचा । कलेक्टर को वह फाइल पांचवें महीने में पेश हो गई थी, परन्तु कलेक्टर महोदय ने नवे, दसवे महीने तक उस फाइल को अपने वस्ताए-खामोशी में रख लिया । दसवें महीने में एक फैसला दे दिया कि इन महिलाओं को वोट देने का अधिकार था । चूंकि इनके वोट नहीं लिए गए, इसलिये मैं कोई निर्णय नहीं दे सकता और इस प्रस्ताव को निरस्त करता हूं । इस प्रकार उन्होंने उस प्रस्ताव को निरस्त कर दिया । महिलाओं ने वोट दे दिये उनको निरस्त कर दिया । परन्तु, अध्यक्ष महोदय, यह कहानी समाप्त नहीं हुई । किस तरह से जनता में अविश्वास पैदा करने के लिये मन्त्री महोदय काम करते हैं, उस पर ध्यान दीजिये । वहां के भूतपूर्व सरपंच, गेंदासिंह के खिलाफ नये सरपंच साहब ने मामूली दरख्वास्त दी । उस पर बड़ी जल्दी एक्शन लिया गया, तत्परता से एक्शन लिया गया । सरपंच साहब ने 11-11 रुपये लोगों से को-आपरेटिव लोन के लिये थे । उसके खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया । न उनके पास कोई रसीद है न उसके खिलाफ कोई प्रूफ है, परन्तु मंत्री महोदय ने कह दिया था कि चालान होना चाहिये इसलिये बन्द कर दिया । यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार बंशीधर, सरपंच ने एक दरख्वास्त दी कि मूवटी नाम की औरत ने मरते वक्त कहा कि उसके कुछ रुपये सरपंच में बकाया हैं उनको स्कूल में लगा दें । सरपंच साहब ने लगाये नहीं, इसलिये 420, 406 का मुकदमा दर्ज करके चेप दिया । अध्यक्ष महोदय, किससे रुपये आये, किससे वसूल हुए । आज अगर मिनिस्टर महोदय कहें तो मैं 50 लोगों के नाम गिना दूं जो यह कह देंगे कि हमने इनको रुपये दिये हैं । आखिर कोई सबूत तो होना चाहिये । जो विरोधी हों, जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आये उनके खिलाफ आपका डी० एस० पी० इस प्रकार की कार्य-वाही करे, क्या यह शोभनीय है ? यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो अविश्वास का प्रस्ताव लाये ये उन्हीं पंच, शैतानसिंह का बैग उड़ा लिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं । आई० जी० के पास दरख्वास्त दी । दो महीने बाद उस पर आई० जी० ने हस्ताक्षर किये तो वह थाने में केस रजिस्टर हुआ परन्तु आपके यहां तो न्याय की बात है ही नहीं । अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, माननीय उद्योग मंत्री जी की वेदना को मैं महसूस करता हूं । कई बार जमानतें जब्त कराने के बाद अब चूंकि वे चुन कर आये हैं और मसीहा बन बैठे हैं तो, अध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी में राजनारायण जी का विरोध कर रहे हैं । वे राजस्थान की विधान सभा में मंत्री बन कर बठ गये । इनके दिल की तकलीफों को मैं जान सकता हूं ।

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

इन्होंने अपने विरोधियों, जिन्होंने इनको राजनीति में हमेशा नुकसान पहुंचाया, को पहले क्या-क्या तकलीफें दीं ? अध्यक्ष महोदय; इस प्रकार की कार्यवाही वहां के तहसीलदार और डी० एस० पी० करें और प्रशासन देखता रहे । अध्यक्ष महोदय, आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि मैंने मुख्य मंत्रीजी को कहा था कि एक मंत्रीजी लोकतंत्र में अफसरों पर प्रभाव डालते हैं । परन्तु मुख्य मंत्रीजी समझते हैं कि अगर वे कुछ कहेंगे तो उनके दो मिनिस्टर्स ने पहले ही इस्तीफा दे दिया, अगर सूर्यनारायणजी ने इस्तीफा दे दिया तो राजस्थान की स्थिति बिगड़ जायेगी । मुख्य मंत्रीजी, यह आपका भ्रम है । यही तो इनकी वेदना है । ये आपके मंत्रिमण्डल को छोड़ने वाले नहीं हैं । ये आपके मंत्रिमण्डल में रहेंगे । आप सही काम करो । भूतपूर्व सरकार ने राजस्थान में राजनीतिक तौर पर यह किया । आप छोटे से केस में, एक सरपंच के मामले में ऐसा कर रहे हैं । कौनसी हुकूमत बदलने वाली थी कि आपको झूठे मुकदमे पैदा करने की जरूरत आई? यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, कई बार इन्होंने झूठे मुकदमे दर्ज कराये, और कहा कि मैं अपने विरोधियों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराऊंगा...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय बहुत हो गया ।

श्री जयकृष्ण शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

सरपंच ने लिख दिया कि फलां के नाम इन्तकाल दर्ज कर लिया जाय । बेटा 15 साल के बाद वापस आया तो बाप का इन्तकाल बेटे के नाम दर्ज होगा, परन्तु उसके नाम इन्तकाल दर्ज नहीं । उसने एक दरख्वास्त दे दी सीधे डी०एस० पी० को और डी०एस०पी० ने चालान कर दिया । इस प्रकार से कोई दरख्वास्त दे, जो राजनैतिक विरोधी रहे हैं उनके खिलाफ तो इससे, अध्यक्ष महोदय, जनता में जनतंत्र के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है । मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, इन छोटी-छोटी बातों से प्रजातंत्र का महत्व गिरता है । अगर आप चाहते हैं कि जनता के चुने हुए नुमाइन्दों की इज्जत बढ़े तो कुछ बातों में आंख मींचनी पड़ेगी । इसलिये, माननीय उद्योग मंत्रीजी, अध्यक्षजी के मार्फत आपको कहना चाहता हूं कि आप इस बात को मत सोचें । समय जाते देर नहीं लगती । वही सड़क होगी और वही रास्ता होगा । हो सकता है कि वह समय आये कि आपको अपैक्स, सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक की वकालत करनी पड़े इसलिये अपनी इज्जत को सोचते हुए आपको इस तरह की कार्यवाही करनी चाहिये जो जनता पार्टी के हित में हो । आप तो अपनी रक्षा करने में जुटे हुए हैं चाहे किसी पर भी हमला हो । क्या अकेले आप ऐसे पैदा हो गये हैं मंत्रिमण्डल में ? आपकी इमेज, आपकी छवि जनता के माध्यम से सुधरनी चाहिये । सरकार के माध्यम से छबि मत सुधारो । जनता के माध्यम से सुधरेगी तभी आपकी वह असली छबि होगी । इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं, जनता पार्टी का अहित करने वाले लोगो, जनता पार्टी को खतम करने वाले लोगो जनता पार्टी की दुहाई मत दो । क्रान्ति नाम की चीज आपके पास है ही नहीं । ज्यादा बातों में न पड़ कर मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को न्याय दें । मैं सरकार और गृह मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि जो डी० एस० पी० वहां

Page No 82

(82)

(श्री जयकृष्ण शर्मा)

है जो इस प्रकार के अनियमित केस दर्ज करता है, ऐसे डी०एस०पी० को सस्पेंड करें और ऐसे तहसीलदार, जिसको कानून का ज्ञान नहीं, जिसने इस प्रकार के कृत्य किये, को सस्पेंड करें। यही कह कर, अध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : जब आपको मालूम है कि वे मंत्री जी के इशारे से काम करते हैं तो यह क्यों नहीं इस्तीफा देते ? आपने मिनिस्टर पर आरोप लगाये हैं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, On a point of personal explanation. मैं दांता साहब की नाराजगी के कारणों को कहना नहीं चाहता. . . .

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, कोई कारण नहीं। मैं इनका दोस्त हूं। अलग बैठा हुआ दोस्त हूं। अगर आप कहे तो मैं आप पर और भी आरोप लगाऊं। इनसे बच नहीं पाओगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : माननीय जयकृष्ण जी जानते हैं और मुझे मालूम है कि यहां पूर्व में अविश्वास का प्रस्ताव आया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जयकृष्ण जी को जो सूचना दी गई है उसमें मुझे लपेटने की कोशिश की गई है वह सूचना तथ्यों से दूर है। जयकृष्ण जी मेरी कांस्टीट्यूएंसी के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने खुद ने चारों मुकदमों का जिक्र किया है। जो मुकदमे उनके मित्रों के खिलाफ लग रहे हैं उन मुकदमों को लेकर उनकी नाराजगी हो सकती है। मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह देता हूं कि मेरा जनतांत्रिक प्रणाली और पंचायती राज में पूरा विश्वास है। मैंने ऐसा काम नहीं किया जो आपने बताया और न किसी प्रकार के निर्देश दिये हैं। जहां तक मुकदमों का सवाल है उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने किसी डी० एस० पी० या किसी अधिकारी को नहीं कहा कि अमुक मुकदमे के अन्दर चालान करना चाहिये। यह बात कह कर आप मेरे साथ अन्याय करते हैं। मेरी कांस्टीट्यूएंसी के पास के ये एम० एल० ए० हैं, उनके लिये यह चीज उचित नहीं है। मैं इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह दांता : सदन में चूंकि मेरा नाम आया है कि मेरी नाराजगी क्यों है ? यह एक आरोप है, क्यों है नाराजगी, बोलिये।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बाद में बता दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : क्या मैंने कभी आपसे पैसा मांगा, आपसे कोई काम के लिये कहा ? This is very wrong. अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातों को कम से कम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। कभी आपसे मांग की नहीं, कभी काम करवाया नहीं।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : बाद में बता दूंगा। अलग से बता दूंगा।

श्री मदनसिंह दांता : अपने शब्दों को वापस ले, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: कृपया आपस में बात न करें।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरा आरोप है कि आपने टेलीफोन किया। कलेक्टर की फाइल्स पर आपका नाम है, यह मैंने कहा है।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : वह गलत है ।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : गलत नहीं है ।

श्री **सूर्यनारायण चौधरी** : अगर नाम का कहा है तो गलत है ।

श्री **जयकृष्ण शर्मा** : विधान सभा के अगले सत्र में वह फाइल देख कर आप मुझे बता दें तो मान लूंगा ।

श्री **मूलचन्द डागा** : कलेक्टर को सस्पेण्ड करिये ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करिये । माननीय श्री श्योपत सिंह ।

श्री **मूलचन्द डागा** : कलेक्टर ने आर्डर शीट पर यह नोट कैसे लगाया ?

श्री **अध्यक्ष** : हो गया । आप स्थान ग्रहण करिये । हो गया बस ।

श्री **श्योपत सिंह मकासर** (हनुमानगढ़): अध्यक्ष महोदय, बड़ी खुशी की बात है कि सत्ताधारी दल को हुकूमत मिली । सत्ताधारी दल को हुकूमत इसलिये मिली कि इमर्जेंसी में ज्यादतियां हुई । उसका लाभ सत्ताधारी दल को मिला, मगर जिन लोगों के साथ, जिन गरीबों के साथ ज्यादतियां हुई उनको आपने नहीं संभाला आपने उनकी बातों को नहीं सुना । मैं भी चित्तौड़गढ़ जाकर आया हूं । चित्तौड़गढ़ के किले के ऊपर सैंकड़ों छोटे परिवार खेती करते हैं, छोटे-छोटे टुकड़ों में उनके पास जमीन है । चित्तौड़गढ़ का सीताफल मेरे खयाल में राजस्थान में ही नहीं, हिन्दुस्तान में बेहतरीन फल है । उस क्वालिटी का कहीं सीताफल नहीं मिलेगा । छोटे-छोटे सैंकड़ों किसान वहां पर अपनी जिन्दगी बसर करते थे, सदियों से बाशिन्दा थे उस किले के ऊपर । दौरान इमर्जेन्सी पुरातत्व विभाग ने सारे खेत उन किसानों से ले लिये । अब तक हमने देखा है और सुना है कि अगर जमीन नहर में आती है तो मुआवजा दिया जाता है या उसके एवज में जमीन मिल जाती है, अगर जमीन किसी सड़क में या किसी दूसरे कार्य में आती है तो किसानों को सबसे पहले उसका मुआवजा दिया जाता है । उन लोगों को क्यों नहीं मुआवजा दिया गया ? आज तक उन किसानों को न तो आल्टरनेटिव जमीन दी गई, न उनको कोई मुआवजा दिया गया । यह बेदखली कानून खड़ा कर के आप क्यों ज्यादतियां चालू कर रहे हैं ? आप तो इमर्जेंसी के विरोधी रहे हैं । जिन लोगों के साथ इमर्जेंसी के अन्दर ज्यादतियां हुई हैं इस डेढ़ साल के अन्दर उनको आपने ठीक किया हैं । लेकिन वे लोग सब जगह रो आये हैं, सब जगह गये हैं और सब जगह अपनी दरख्वास्तें भेजी है उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं की गई । किस लिये ? उनकी जमीन ली गई उसकी क्या जरूरत है ? आप अपने पुरातत्व विभाग से पूछिये । कुछ मकसद हो, कुछ पुराने महत्वपूर्ण मकानात हों उनको आप रखें तो समझ में आएगा । आप सैलानियों के लिये 5–7 एकड़ बीघे में बाग का निर्माण करें लेकिन उस पर्पज के लिये किसानों के खेतों को क्यों हासिल करना चाहते हैं ? उन खेतों से आप उन किसानों को क्यो उजाड़ रहे है जो सदियों से वहां पर बैठे हुए हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक ही अपील करूंगा रेवेन्यू मंत्री महोदय से कि आप पुरातत्व विभाग से पूछें कि बागात वगैरह का निर्माण करना चाहते हैं; डवलप करना चाहते हैं तो कितने सैलानी वहां पर

(श्री श्योपतसिंह मकासर)
जाते हैं ? सैलानियों के आने का मतलब यह नहीं है कि देश के सैकड़ों गरीबों को उजाड़ दें। वह लोग किले पर बैठे हैं। उन्होंने अपने घर आज तक नहीं छोड़े मगर जनता सरकार के आने के बाद उन गरीबों को अपने घरों से बेदखल कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके इस बात पर विचार कीजिये। वहां के कलेक्टर से रिपोर्ट मांगें और पुरातत्व विभाग से पूछें कि वह किस पर्पज के लिये जमीन चाहते हैं ? उनको क्या आपत्ति है ? जो जमीन छुड़वाई गई उसमें से कितनी में डवलपमेंट हुआ ? जो जमीन उनसे छुड़वाई है, जो झोपड़े उनके उजाड़े हैं उसमें कोई डवलपमेंट नहीं हुआ तो क्या किसी आदमी को व्हिम आ जाएगी, किसी आदमी को सनक आ जाएगी तो आप लोगों को उजाड़ देंगे ? सीताफल वहां का बहुमूल्य फल है। वह उन लोगों की जिन्दगी का आधार है। मेहरबानी करके आप किसी से पूछें कि जमीन की क्या जरूरत है ? कितने काश्तकार उजाड़े हैं, उनको मुआवजा दिया गया या नहीं ? अगर नहीं दिया गया तो क्यों ? कौन जिम्मेदार हैं ? जितनी जरूरत है उतनी ही रखें। इमर्जेन्सी की बात है, इमर्जेन्सी में नौकरी से हटाये गये कई पटवारियों को आपने दुबारा लगा दिया। कई आफिसरों को वापस ले लिया। कोई जांच नहीं कराई। यह बात ठीक है, यह पुरअसर है, आपके समाज के लोग हैं, मुझे मालूम है। लेकिन जिन गरीबों को उजाड़ रहे हैं उनके लिये कुछ करें।

श्री **पुरुषोत्तम मंत्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री **एच. एन. शर्मा** : मेरा नाम है, मुझे बोलने दें।

श्री **मदनसिंह दांता** : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति का निर्णय नहीं दिया।

श्री **एच० एन० शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मुझे मौका दीजिये।

श्री **अध्यक्ष** : आपको अवश्य मौका दूंगा।

श्री **राम रघुनाथ चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, जनता राज की अन्तयोदय योजना यहां चलाइये।

श्री **अध्यक्ष**: आप संक्षेप में कहें।

श्री **राम रघुनाथ चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, जो ग्रामों में अंतिम गरीब व्यक्ति है उसको जनता पार्टी के राज्य में जीवन-यापन के लिये मदद मिलेगी। मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं, दौसा क्षेत्र में बड़ा गांव ग्राम पंचायत के अन्दर जो अन्त्योदयी थे उनको इस योजना के अन्तर्गत जमीन दिलाई गई। उसको देख कर यह आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह से गरीबों को जमीनों का आवंटन किया गया है, जो अन्त्योदय योजना चलाई गई है इस योजना में कितना अन्याय हो रहा है और सरकार द्वारा इन लोगों को किस तरह से धोखा दिया गया है, इसका उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बड़ा गांव ग्राम पंचायत से बेलारी गांव है वहां भूमि आवंटन के लिये लोगों को बुलाया गया और एक घोषणा-पत्र जारी किया गया 1-7-78 को कि आप लोगों को फलां तारीख को इन गांवों में जमीनों का आवंटन किया जायेगा। उस उद्घोषणा-पत्र के साथ ग्रामों का खसरा नम्बर दिया हुआ है। उसके बाद वहां के सरपंच को एस. पी. साहब ने बुलाया। उसने कहा कि यह जमीन हमें दे दो और उनको और जगह दे दो।

श्री **मदनसिंह दांता** : वाह माथुर साहब, वहां बड़े शोभायमान लग रहे हैं ।

श्री **ओंकार लाल चौहान** : वैसे तो वह लीडर आफ दी हाउस की सीट है ।

(व्यवधान)

श्री **मदनसिंह दांता** : वैसे वहां से मना करते हैं ।

श्री **राम रघुनाथ चौधरी** : पहले कहा कि हम आवंटन कर देंगे। एस० डी० एम० साहब ने जोर लगा कर पटवारी को भेजा कि लिस्ट बना कर लाओ । जब एस० डी० एम० ने यह देखा कि जो अन्त्योदय लोगों की लिस्ट है, उसमें उनका नाम नहीं है और जब एस० डी० एम० ने देखा कि अन्त्योदय योजना में उनको आवंटन नहीं किया जा सका है तो क्योंकि घोषणा की जाती है इसलिए उन्होंने 9-8-78 को कैम्प न्यायालय में यह घोषणा की कि वह जमीन डूब में आई है, वह साल भर डूबी रहती है, मार्च में निकलती है और फिर डूब जाती है ।

श्री **पुरुषोत्तम मन्त्री** : यह कहां का मामला है ? कौन से एस० डी० ओ० का है ?

श्री **राम रघुनाथ चौधरी** : दौसा का है । एस० डी० ओ०, दौसा । इतना ही नहीं, जब उन्हें ध्यान आया कि कहीं पोल न खुल जाये तो 23-8-78 को पटवारी को आर्डर दिया कि जो जमीन 9-8-78 को आवंटित की गई है, उसका कब्जा दिला दिया जाये । पटवारी को यह कहा गया कि तुम जाओ ताकि यह मालूम हो जाये कि अन्त्योदय योजना में आवंटन कर दिया । वहां के विधायक महोदय उपस्थित नहीं थे । उनको बुलाया नहीं गया ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, 23 तारीख को पटवारी का पत्र मिला कि जमीन तो तीन-चार फीट पानी में डूबी हुई है । हालात की जानकारी लेकर लिखा, जो जमीन आठ-दस महीने डूब में रहती हो उसका कब्जा कैसे दिया जा सकता है ? अध्यक्ष महोदय, मेरे पास फोटो स्टेट कापी है । पांच आदमी हैं, दो अन्य लोग हैं, जो बहुत गरीब हैं । मेरे पास कई फोटो स्टेट कापी हैं। सरपंच ने अपने भाइयों को जमीन दिलाई है कैम्प नागल बड़ागांव बांध में, वह अन्त्योदय योजना की है । वे गरीब आदमी हैं । इस पर यह तूफान हुआ है । मुझे अफसोस है कि ये किस प्रकार से गरीबों की मदद करना चाहते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं आपको यह फोटो स्टेट कापी प्रस्तुत कर रहा हूं ।

श्री **पुरुषोत्तम मन्त्री** : माननीय सदस्य, इसकी जांच करा ली जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

श्री **मदनसिंह दांता** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव है ।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आपने बहुत चर्चा की है । एक दफा चर्चा करने के बाद दूसरी दफा कर रहे हैं । कृपया स्थान ग्रहण करें ।

श्री **मदनसिंह दांता** : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री **अध्यक्ष** : किसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं ?

श्री मदनसिंह दांता : 502 विद्यार्थी हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के, उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं ।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । आज शिक्षा मंत्रीजी मौजूद हैं ।

श्री माधोसिह (रेवदर) : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव द्वारा शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आज मुझे एक आदमी मिला और जो चिट्ठी सरकार को भेजी गई है, उसकी प्रतिलिपि प्राप्त हुई उससे मालूम हुआ कि सिरोही और आबू रोड के विद्यार्थियों में बहुत असन्तोष है। सरकार द्वारा दिनों दिन स्थिति बिगाड़ी जा रही है । वहां के सारे विद्यालय और महाविद्यालय तीन दिन से बन्द हैं । सरकार इस प्रकार से ढुलमुल नीति से चलती है और बाद में जब कुछ करती है तब तक स्थिति कहीं की कहीं पहुंच जाती है । मेरा निवेदन है कि स्थिति को अधिक नहीं बिगाड़ें । विद्यार्थियों की जो मांग है, वह स्वीकार करें । स्थिति को बिगड़ने नहीं दें । आज उन्होंने रेलों का रोकना तय कर लिया है । स्थगन प्रस्ताव के द्वारा जिले की स्थिति आपके सामने है । वहां के जो विद्यार्थी हैं, वह 175 हैं। प्राइवेट ढाई सौ के करीब बैठते हैं । उनको सिरोही से फालना परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है । इसलिये एक तो आपके सामने यह मांग प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अभी परीक्षायें दूर हैं । अभी टूर्नामेण्ट हायर सैकण्डरी के हुए हैं जिले के स्तर के । इससे पहले सिरोही में हुए हैं। आबू रोड उनका रोज आना-जाना होता है । यह कह दिया गया था कि ऐसा होगा, लेकिन पहले से कन्ट्रोल नहीं किया । आखिर फुटवाल के मैच में विद्यार्थियों में आपस में मारामारी हुई । कइयों की यह हालत हुई कि अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा । रात को उनके पेरेन्ट्स भागे । अपने-अपने बच्चों को वह घर ले आये । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि परीक्षा केन्द्र आबू रोड में रखवाना चाहते हैं । वह वहां परीक्षा देने नहीं जाना चाहते हैं । वह चाहते हैं कि वह परीक्षा आबू रोड केन्द्र पर ही दें इसलिए मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो स्थिति है वह और भी गम्भीर होती चली जायगी और बिगड़ जायगी । इसलिए माननीय शिक्षा मन्त्रीजी से आश्वासन चाहता हूं । वे इस स्थिति पर कोई प्रकाश डालें।

श्री खेतसिह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया है . . .

श्री माधोसिह (रेवदर) : माननीय शिक्षा मन्त्री इस पर कुछ अपने विचार रखेंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय इस पर अपना वक्तव्य देना चाहते हैं, तो दे सकते हैं ।

श्री खेतसिह राठौड़ : मेरा स्थगन प्रस्ताव भी इसी से सम्बन्ध रखता है ।

श्री अध्यक्ष : दोनों पर वक्तव्य एक साथ हो जायेगा ।

एक माननीय सदस्य : फिर जीरो आवर खतम हो जायेगा । जीरो आवर के अन्दर.

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आज अन्तिम दिन है, जीरो आवर का निर्णय मैं करूंगा । फिर दो-तीन महीने बाद मिलेंगे । जो भी कार्यक्रम है वह

(श्री अध्यक्ष)

साधारण है और खास कार्य है उस पर चर्चा शायद नहीं होगी क्योंकि सदस्यों की इच्छा नहीं है ।

श्री रामनारायण चौधरी : सदस्य तो इन्ट्रेस्टेड हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि इस पर डिबेट हो ।

श्री अध्यक्ष : जब वह आवें उस समय आप अपने विचार व्यक्त करें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कॉलेज अपनी हैसियत का एक ही कालेज है । इसकी ख्याति राजस्थान में ही नहीं सम्पूर्ण भारतवर्ष में है । इसके तड़के और अडवाणी जैसे प्रिन्सिपल रह चुके हैं । इस कालेज में 85 पर्सेन्ट से कम नम्बर वालों को दाखिला नहीं मिल सकता । इस इन्जीनियरिंग कॉलेज का स्थान हमेशा ऊंचा रहा है लेकिन पिछले कुछ अर्से से राजनीतिक स्थिति जिस प्रकार की हो गई है उसके परिणामस्वरूप वहां के स्टाफ के अन्दर और छात्रों के अन्दर भी इस प्रकार का वातावरण बन गया है जिसके कारण से पूर्व में भी वहां के स्टाफ को स्ट्राइक करनी पड़ी थी । मान्यवर, इस इन्जीनियरिंग कालेज को चलाने के लिए एक सोसायटी बनी हुई है । इस सोसायटी का अध्यक्ष सरकार किसी को मुकर्रर किया करती है लेकिन भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री स्वयं उस सोसायटी के अध्यक्ष बन गये और उस इन्जीनियरिंग कालेज के चेयरमेन बन गये । अगर वे बने भी तो उनका यह फर्ज हो जाता है कि जब उनके पास यह पोर्ट-फोलियो नहीं रहा तो स्वतः ही उनको वह छोड़ देना चाहिए और वर्तमान में जो शिक्षा मन्त्रीजी हैं उनको उस पद पर बैठना चाहिए । यह पद इसलिये रखा है कि शिक्षा मन्त्री महोदय नजदीक से उस इन्स्टीट्यूशन की जो समस्यायें हैं उनको देख सकें और निर्णय ले सकें, लेकिन जो भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रीजी हैं वे इस पर जमे हुए हैं और वे हैं माननीय ललित किशोर जी जो आज कल सिंचाई मन्त्री जी हैं। वे इसलिए उसके अध्यक्ष बने हुए हैं और इन्ट्रेस्टेड हैं कि कोटा से श्री रामसहाय सक्सेना नाम के व्यक्ति को उसका प्रिन्सिपल बना कर लाये हैं । वे नान-टैक्निकल हैं और वे प्रिन्सिपल की कतई योग्यता नहीं रखते । ऐसे व्यक्ति को प्रिन्सिपल बनाने से इन्जीनियरिंग कालेज का जो शानदार स्तर है वह नीचे गिरेगा । इतना ही नहीं श्री रामसहाय सक्सेना अपने पुत्र को रीडर बनाने के लिए वहां पर राजनीति खेल रहे हैं । कोई मिस्टर शाह हैं उनको प्रोत्साहन देकर चाहते हैं कि उनके लड़के को रीडर मुकर्रर किया जाय। उनकी राजनितिक चाल है कि इन्स्टीट्यूशन के अन्दर अपने पुत्र को प्रोत्साहन देना चाहते हैं । जो टैक्निकल एजूकेशन में साउण्ड नहीं हैं ऐसे व्यक्ति को प्रोत्साहन देने से निश्चित तौर से आप यह मानिये कि इन्स्टीट्यूशन का स्तर गिरेगा और जो उपयुक्त प्रतिमायें हैं वे इस इन्स्टीट्यूशन में नहीं आयेंगी ।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर 35 महीने तक एक लेक्चरार, जिसका नाम दुघारिया है जिसने काम किया, जिसके खिलाफ कोई शिकायत भी नहीं थी, कोई चार्ज नहीं था उसको राजनैतिक अखाड़ेबाजी की वजह से बगैर चार्जशीट सर्व किये नौकरी से निकाल दिया गया । उसके लिए वहां का स्टाफ भी आपसे मिला और काफी प्रयास किये । आपने कहा मैं इसलिए इसमें नहीं पड़ना चाहता कि मेरे साथ में इस इन्स्टीट्यूशन के चेयरमेन हैं । यह दिक्कत है इसलिए मैं इसमें नहीं जाना चाहता ।

(श्री खेतसिंह राठौड़)

यह आपका दायित्व है क्योंकि यह डिपार्टमेन्ट आपके पास है। वे लोग आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको निष्पक्ष होकर निर्णय दें। जो राजनीति वहां पर चल रही है, जो नान-टैक्निकल प्रिन्सिपल वहां पर रखा हुआ है मेहरबानी करके आप उस पद के लिए एडवर्टाइजमेन्ट करके उपयुक्त व्यक्ति को वहां पर लगाइये और उनकी समस्याओं का समाधान करिये।

साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो राजकीय कालेज हैं उनके अन्दर लैक्चरार्स की कमी है। यह सुना है कि करीब पांच सौ लैक्चरार्स को सर्विस टर्मिनेशन का नोटिस दिया है। उनको आपने साल बर-साल भर्ती किया। कई सालों से वे काम कर रहे हैं, पांच-पांच छः-छः साल काम करते हो गये हैं। इतना अर्सा होने के बाद अब वे ओवर एज हो गये हैं, दक्षता में कोई कमी नहीं है। आपने इतना अर्सा होने के बाद उनको सर्विस टर्मिनेशन का नोटिस दे दिया इससे ज्यादा घोर अन्याय नहीं हो सकता। मैं निवेदन करूंगा कि उन टेम्प्रेरी लैक्चरार्स, जो सर्विस में लगे हुए हैं, को जो नोटिस दिया है कि 23 तारीख से सर्विसेज टर्मिनेट की जाती हैं, आप उन नोटिस को मेहरबानी करके वापस लीजिये और उनको कन्टीन्यू कीजिये। यह उनकी गलती नहीं है कि उनका सलेक्शन नहीं हुआ। तीन साल तक उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं जाने दिया तो इसमें उनका क्या दोष है? इसलिए जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी लैक्चरार्स के लिए स्क्रीनिंग कमेटी बनाई है उसी प्रकार से इनके लिए भी स्क्रीनिंग कमेटी विठाकर फैसला किया जाय। उनके अन्दर कई आदमी ओवर एज हो गये हैं।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पर निवेदन करना चाहता हूं। मैं वह बात नहीं कह रहा हूं जो माननीय तसिंह जी ने कही है, मैं नई बात कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जब भी आप मुझको समय देंगे तो मैं नई बात ही कहूंगा।

गवर्नर महोदय ने लैक्चरार्स की सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया है एक अध्यादेश के द्वारा। अब वह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया गया है इसलिए न तो वह मसला अब यहां रखा जा सकता है और न गवर्नर महोदय की आज्ञा की अवहेलना ही की जा सकती है। ऐसी चीज हमारे सामने आई है। अभी बात करके आया हूं, यह राज्य की गलती है कि गवर्नर महोदय ने आदेश दे दिये उसके लिए 502 आदमी सफर करें। सरकार का यह नियम है कि 240 दिन कोई सरकारी कर्मचारी अस्थाई रह जाता है तो नियमानुसार उसे स्थाई करते हैं। अब कानून में कोई व्यवस्था है या नहीं, उस बारे में विचार करने के लिये 4 बजे शिक्षा मंत्री ने दोनों तरफ के माननीय सदस्यों को बुलाया है। 200 आदमी और बैठे हैं जो नई लिस्ट में आने वाले हैं। 500 ये हैं और 200 और लेंगे, तो क्या आप 700 को ही लेंगे?

श्री राम नारायण चौधरी : शेरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, श्री खेतसिंहजी ने शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर खींचा है कि राजकीय कालेजों में जो 500 से अधिक लैक्चरार्स टेम्प्रेरी तौर से पिछले 4-5 सालों से काम कर रहे हैं उनको हटाने का प्रश्न सरकार ने अपने सामने रखा है और नोटिसेज भी दिए हैं। इसमें सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि अब लैक्चरार्स की क्वालिफिकेशन्स को चेंज कर दिया। वे 4-5 साल पहले उस समय के क्वालिफिकेशन्स के हिसाब से एलिजेबल थे।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उनका ठीक प्रकार से चयन किया गया था। राज्य सरकार ने अब चयन के लिए जो क्राइटेरिया फिक्स करके भेजा है उसमें 55 प्रतिशत मिनीमम मार्क्स पोस्ट-ग्रेजुएशन में और 55 प्रतिशत ग्रेजुएशन में कम्पलसरी होने की शर्त लगाई है। आज से 4 वर्ष पहले यह शर्त नहीं थी। इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से मांग करूंगा कि ये शर्तें 4 साल पहले के लेक्चरार्स पर लागू नहीं कर सकते। जैसा आपने यूनिवर्सिटीज के लक्चरार्स के चयन में धाधा धापी की है, कोई स्टेंडर्ड नहीं रखा है, कानून बनाकर उनको रेगुलेराइज किया है। इन प्राध्यापकों का मेरिट के आधार पर चयन हुआ था। इन्हें पी. एस. सी. के सामने जाने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि पोस्ट्स एडवर्टाइज नहीं हुई। अगर पी. एस. सी. को फेस कर लेते तो उनका चयन स्थाई तौर पर हो जाता।

अब नियमों में परिवर्तन करके क्वालिफिकेशन्स बढ़ाकर ऐसी रख दीं जो अधिकांश लेक्चरार्स पजेस नहीं करते तो उनका तो जीवन खतम हो गया। जो ओवर-एज हो गए, उनका क्या होगा? आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, यह मानवीय प्रश्न है। आपने जब यूनिवर्सिटी में मानवीय दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत किया है तो राजकीय कालेजों के लिए भी कर सकते हैं। आप एक स्क्रीनिंग कमेटी बिठाइये।

श्री **अध्यक्ष** : अब शिक्षा मंत्री उत्तर देंगे।

श्री **भवरलाल शर्मा** (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने अध्यापकों तथा विद्यार्थियों की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक समस्या जो आबू रोड की है उसके लिए माननीय सदस्यों से बात भी की थी। मैंने निवेदन किया था कि जब रात को मैं बाहर से आया तब तार मिला था कि हम हड़ताल करेंगे। मैंने पता लगाया तो आपने जो कारण बताया कि आगामी कालेज की परीक्षाएं जो मार्च या अप्रेल में होंगी उसके लिए आबू रोड को भी सेंटर कायम किया जाए, इस मांग को लेकर वहां हड़ताल चल रही है। मैंने आपसे निवेदन किया कि आप मुझसे मिल लीजिए। संबंधित अधिकारी से बात करनी होगी कि केन्द्र किस प्रकार से कायम किया जा सकता है। उसमें जो शर्तें हैं, वह पूरी होती होंगी तो निश्चित रूप से सेंटर कायम करने का प्रयत्न करेंगे। इसमें कोई आग्रह या दुराग्रह नहीं है।

श्री **माधोसिंह** (रेवदर): यह चीज कैसे पैदा हुई? आपस में विद्यार्थियों का झगड़ा हुआ और वे हड़ताल पर हैं। मैं आपसे मिलूंगा और आपसे निवेदन कर दूंगा। मुझे आशा है कि एक्शन भी आप लेंगे। आपसे अनुरोध है कि स्थिति न बिगड़े, उसके लिए सबसे पहले कुछ करें।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : मैंने निवेदन किया था इस समस्या के बारे में। आप मेरे विरोधी नहीं हैं। आप और हम साथ मिल कर जो भी हल हो सकता है वह निकालेंगे।

इसी प्रकार इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में इस विधान सभा में कई बार यह प्रश्न आया। अभी भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री राठौड़ साहब ने यह प्रश्न उठाया। यहां कहा गया कि भूतपूर्व शिक्षा मंत्री उसके चेयरमेन हैं। अध्यक्ष महोदय, प्रारम्भ में वह चेयरमेन थे नियमपूर्वक थे। उनकी नियुक्ति उनके नाम से हुई है, श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी, शिक्षा

(श्री भंवरलाल शर्मा)
मंत्री। जब विभागों में परिवर्तन हुआ तो उन्होंने इच्छा जाहिर की इस पद से अलग होने की। लेकिन मेरे आग्रह पर ही उन्होंने इस काम को संभाल रखा है। मेरा ख्याल था कि 6-8 महीने उन्होंने उसके काम को देखा और आप कहते हैं कि वह बड़ी संस्था है इसलिए कोई अनुभवी आदमी चलाये तो आपत्ति की बात नहीं है। राजनैतिक तौर पर आपको लाभ लेना है इसलिए आपने कहा है ...

(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, कोई भी मंत्री होता है वह अपने विभाग से संबद्ध कमेटी का चैयरमेन होता है, दूसरे विभाग की कमेटी का नहीं। यह नई परम्परा डाल रहे हैं, जो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। दूसरा मंत्री किसी कालेज का अध्यक्ष बना रहे यह ठीक नहीं है, एक्स-आफिशियो मेम्बर होकर चैयरमेन होना अलग बात है। इस तरीके से मंत्री को कहीं भी नियुक्त किया जाना उचित नहीं है।

श्री भंवर लाल शर्मा : माननीय सदस्या, यदि आप संविधान पढ़ लेतीं तो आपको आपत्ति नहीं होती। उनकी नियुक्ति कानून संगत है। अगर कानून संगत नहीं होती तो परिवर्तन किया जाता .....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : शिक्षा मंत्री होने के कारण ही वह चैयरमेन नामीनेटेड थे। उन्होंने अपना नाम ललित किशोर उसमें रख दिया बाकी होता यही है कि शिक्षा मंत्री उसका अध्यक्ष बनता है। शिक्षा विभाग उनके पास नहीं है, समस्याओं का समाधान तो शिक्षा मंत्री ही करेगा। आपने अपने मित्र को ओब्लाइज करने के लिए उनको बिठा दिया। यह कोई घर की दुकान नहीं है कि आप इस तरह से बिठा दें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति इस बात पर नहीं है कि श्री ललित किशोर को आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी का चैयरमेन क्यों बना दिया? मेरी आपत्ति इस बात पर है कि क्या किसी मंत्री को इस तरीके से किसी भी मैनेजिंग कमेटी का या निगम का या किसी भी स्टेचुटरी बाडी, जो उसके विभाग से सम्बन्धित नहीं है, का चैयरमेन बनाया जा सकता है? यह बिल्कुल गलत परम्परा डाली जा रही है। आपने केवल अपना मित्र होने के नाते, विशेष विचारधारा से संबंधित होने के नाते यह किया है। आपने शिक्षा जगत के साथ खिलवाड़ किया है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है।

श्री अध्यक्ष : आपने स्पष्ट उत्तर दे दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मुझे संतुष्ट नहीं किया गया। सदस्यों को इस बारे में आपत्ति है, जिज्ञासा है। मंत्री महोदय कृपया स्पष्ट करें कि क्या कोई दूसरा मंत्री मैनेजिंग कमेटी का इस तरह चैयरमेन रह सकता है?

श्री भंवरलाल शर्मा : और प्रश्नों का उत्तर तो मैं दूंगा और संतुष्ट करने की भी कोशिश करूंगा लेकिन माननीय सदस्या ने कहा कि मुझे संतुष्ट नहीं कर सके, शायद मैं कर भी नहीं सकूंगा। अगर आप स्वयं कानून को पढ़

(श्री भंवरलाल शर्मा)
लेतीं, संविधान पढ़ लेतीं, तो संतुष्ट हो जातीं। अब कृपा करके पढ़ लीजिए।

अब सवाल आता है 500 अध्यापकों का। मैं संख्या में नहीं जाना चाहता कि 500 हैं या 80 हैं, लेकिन एक निश्चित बात है कि हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अभी माननीय दांता साहब ने फर्माया था, मैंने कहा 4 बजे बैठ कर विचार करेंगे क्योंकि इसमें दोनों पक्ष हैं। कुछ अध्यापक ऐसे हैं जिनकी नौकरी लगने वाली है, कुछ अध्यापक पहले ही काम कर रहे हैं। ये क्वालिफिकेशन्स सरकार ने फिक्स नहीं की, यू. जी. सी. ने फिक्स की हैं। उस पर हमने तय किया है उसी योग्यता का व्यक्ति ही प्राध्यापक बनेगा। उस आधार पर सारा परिवर्तन हुआ है। सारा असंतोष इस कारण से हुआ है।

अब यह बात अवश्य है कि जो लोग यदि पांच-पांच और सात-सात साल से पढ़ा रहे हैं उन्होंने पी. एस. सी. को फेस नहीं किया इसलिये उनको परमानेन्ट नहीं किया, यह बड़े आक्रोश की बात है ......

श्री **रामनारायण चौधरी** : यू. जी. सी. ने बैक डेट से बाध्य नहीं किया है। यू. जी. सी. ने आगे के लिए कहा है।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : वह व्यवस्था निकालने वाली बात है। सात-सात साल तक पी. एस. सी. से पोस्ट्स एडवर्टाइज नहीं हुईं इसके लिए मुझे दोष मत दीजिए। थोड़ा अपनी तरफ भी देख लीजिए। इसके लिए मैं अकेला ही जिम्मेदार नहीं हूं। खेतसिंह जी, आप स्वयं देख लें ......

श्री **खेतसिंह राठौड़** : हमने तो 1976 में इन्टरव्यू कराये थे। उसके बाद में आप आ गए। आप ढील छोड़ कर बैठे हुए हैं।

श्री **अध्यक्ष** : पर्याप्त है, मंत्री महोदय।

श्री **मदनसिंह दांता** : आज से वह खतम हो रहे हैं। वह जाने वाले हैं।

श्री **अध्यक्ष** : तो बात कर लीजिए।

श्री **मदनसिंह दांता** : जब तक यह फ़ैसला नहीं देंगे तब तक नहीं निकालेंगे, यह कह दें।

श्री **खेतसिंह राठौड़** : हम इनके पीछे कहां-कहां घूमते फिरेंगे। यह तो इनका फर्ज है कि हमसे बात करें। हम कोई बात नहीं कहने जायेंगे। जो कुछ कहना है यहां कहें।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : जो बात करने नहीं आयेंगे उनको बुलाया भी नहीं जायेगा। उनको बुलाया है जो कि बात करना चाहते हैं। आपसे कुछ ज्यादा योग्य भी हैं। कुछ जिम्मेदार माननीय सदस्यों को बुलाया है। आप नहीं आयेंगे तो मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। 4 बजे मैं इसके ऊपर विचार करने वाला हूं।

श्री **मदनसिंह दांता** : अगर 4 बजे बुलाया है तो हमारे सामने कहें कि उनको नहीं निकालेंगे।

श्री **भंवरलाल शर्मा** : विचार करने के लिए बुलाया है।

श्री **रामनारायण चौधरी**: उसको सदन में नहीं बताना चाहते हैं। यहां से छिपा कर वहां बताना चाहते हैं। आप अध्यक्ष महोदय का सीधे अपमान कर रहे हैं और सदन का

Page No 92

(92)

(श्री रामनारायण चौधरी)

अपमान कर रहे हैं। यहां नीति की घोषणा नहीं करना चाहते हैं। निर्णय आपने पहले ही कर रखा है। यहां नहीं बतायेंगे और 4 बजे टीचर्स को बतायेंगे। यह इस सदन का घोर अपमान करेंगे। यह आज तक पिछले 27 वर्षों में नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, आप भी यहां बिराजे हैं। सरकार ने निर्णय कर रखा है उसे मंत्री महोदय यहां नहीं बताना चाहते हैं और कोठरी में टीचर्स को बताना चाहेंगे। इस आगस्ट बाडी से छिपा कर वहां बतायेंगे ? This is very bad.

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह नहीं कहा है कि निर्णय सुनाऊंगा। 4 बजे इस समस्या के ऊपर विचार करने के लिए मेरी मदद के लिए माननीय सदस्यों को बुलाया है। रास्ता निकालने के लिए 4 बजे बुलाया है। निर्णय होने के बाद आपको बताऊंगा।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष, मैं अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जरिये ...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह सदन का अपमान है। आपको इस विषय में ......

श्री अध्यक्ष : मैं ऐसा नहीं समझता, माननीय सदस्या।

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से राजस्थान सरकार के सभी मंत्रियों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं..

श्री अध्यक्ष : सभी मंत्रियों का ध्यान आकर्षित मत कीजिए। एक ही का कीजिए।

श्री एच. एन. शर्मा : सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा ही अहम प्रश्न पैदा हो गया है। हिन्दुस्तान को आजाद हुए तीस वर्ष हो गए, लेकिन आज भी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वह यह महसूस करते हैं कि अभी भी हम आजाद नहीं हुए। वे गुलामों से भी ज्यादा बदतर जिन्दगी बिता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सरकारी अधिकारी चाहे कलेक्टर हो या तहसीलदार हो, विकास अधिकारी हो, या कमिश्नर हो, डिप्टी सैक्रेटरी हो या सैक्रेटरी हो, या अधिशासी अभियन्ता हो, किसी भी अधिकारी को ले लें तो आप देखेंगे कि हर अधिकारी के घर पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू बेगार ली जाती है। घरेलू बेगार के रूप में उनसे 8 घंटे ही नहीं बल्कि दस-दस और बारह-बारह घंटे काम लिया जाता है। और तो और, अध्यक्ष महोदय, जब कभी किसी विभाग में हड़ताल हो जाती है तो घरेलू कर्मचारी, जो उनके घरों पर काम करते हैं, से लिखा लिया जाता है कि हम किसी श्रमिक संगठन से संबंधित नहीं हैं और न उसके सदस्य हैं। इस प्रकार से मजदूर आन्दोलनों पर कुठाराघात किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अगर सरकार यह समझती है कि सरकारी कर्मचारियों के द्वारा घरेलू काम करवाने से अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तो इस प्रकार का कोई कानून बना दे और उसके तहत सर्वेन्ट अलाउन्स या किसी प्रकार की पे में वृद्धि कर दें। जिस प्रकार से कार अलाउन्स दिया जाता है, दूसरे कई तरह के अलाउन्स दिये जाते हैं अगर अधिकारियों की कार्यकुशलता में किसी प्रकार की घरेलू बेगार से वृद्धि होती है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी यह मान्यता है कि सरकार उनको सर्वेन्ट अलाउन्स दे दे। अगर नहीं देना

(श्री एच. एन. शर्मा)

चाहती है तो नियत कर दे कि अधिकारियों में से चीफ इन्जीनियर को 3, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर को 2 और असिस्टेन्ट इन्जीनियर को 1 सर्वेन्ट श्रेणी के अनुसार देंगे जिससे कि कर्मचारी वर्ग, जो कि मजदूर वर्ग से है, के दिमाग में यह नहीं हो कि उनसे घरेलू बेगार ली जाती है।

मेरे पास, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सहायक कर्मचारी संघ से आंकड़े आये हैं। और तो और, माननीय अध्यक्ष महोदय, घरेलू बेगार नहीं करने पर जो सात-सात, दस-दस और पन्द्रह-पन्द्रह साल के कर्मचारी हैं उनको बेरोजगार कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मेरे पास और भी जगह से आंकड़े आये हैं। जालौर से मेरे पास आकड़े आये हैं। उन्होंने लिखा है कि प्रेमा राम नाम के एक कर्मचारी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जालौर के द्वारा 7 वर्ष की सेवा करने के बाद घरेलू बेगार से मना करने पर कार्य से निकाल दिया गया। इसी प्रकार मुख्य दण्डनायक, नागौर के पास जिस कर्मचारी को चार साल हो गए थे उसको निकाल दिया गया। कोटा में अधिकारियों के घरों पर 218 कर्मचारी घरेलू काम कर रहे हैं, जालौर में 53 कर्मचारी घरेलू काम कर रहे हैं और उनसे बेगार ली जाती है। यह हेड क्वार्टर्स आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। भीलवाड़ा हेड क्वार्टर पर 64 कर्मचारी घरेलू बेगार कर रहे हैं, झालावाड़ में 72 कर्मचारी घरेलू बेगार कर रहे हैं। इसी प्रकार से सारे राजस्थान में देखेंगे तो मैं दाव के साथ कह सकता हूं कि करीब 15 हजार कर्मचारियों से घरेलू बेगार ली जाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनकी हालत आज इतनी खराब है कि गुलामों से भी बदतर जीवन वह बिता रहे हैं। और तो और, माननीय अध्यक्ष महोदय, 12-12 और 14-14 घंटे काम करने के बाद भी उनको क्या मिलता है। बोनस के रूप में उनको गालियां मिलती हैं, थप्पड़ मिलते हैं, बीवियों की ताड़नायें मिलती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को निवदन करूंगा कि इस प्रकार की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू बेगार ली जाती है इस पर अविलम्ब रोक लगानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें।

श्री एच.एन. शर्मा : मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस साल अगले बजट में जो इस प्रकार के खर्चे हैं उनके अन्दर पूर्ण रूप से कटौती करें और घरेलू बेगार पर रोक लगायें। इसी के साथ मैं ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री बहादुर सिंह : मेरा भी दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण पर चर्चा नहीं होगी। चर्चा समाप्त हुई।

श्री हरीश शर्मा : दो मिनट दीजिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से बेगार के संबंध में मेरा भी प्रस्ताव है ....

श्री अध्यक्ष : हो गया, माननीय सदस्य।

श्री शिवचरणसिंह : यह तो अधिकारियों द्वारा बेगार लिये जाने पर बोलें और आप मंत्रियों द्वारा बेगार लिये जाने पर बोलेंगे। इसलिए इनको बोलने दीजिए।

श्री कौशलकिशोर जैन : आप भी तो मंत्री थे। तब आपनें भी बेगार ली थी क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरीश शर्मा।

श्री हरीश शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विकट समस्या सामने खड़ी हुई है। वे लोग जो आई. ए. एस. अधिकारी बन कर बैठे हैं उन्होंनें शोषण करने का ठेका ले रखा है। सन्ध्या को घर जाकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का शोषण करते हैं, घर में अपनी बीवियों के कपड़े धुलवाते हैं। यही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जब अपने घर वापस लौटता है तो भूखे बच्चों को देखता है। सवेरे जब बच्चा स्कूल जाता है तो वह स्कूल की फीस मांगता है। फीस देने के लिये उसके पास पैसे नहीं होते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़े लोगों के आराम के लिये पंखे लगे हुए हैं। वे बीमार न पड़ जायं इसलिये उनके लिये डाक्टर नियुक्त रहता है। परन्तु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी सरकार के प्रति कर्त्तव्य पालन करता है उसके साथ अन्याय हो रहा है। जनता पार्टी की सरकार ने अगर संविधान का प्रयोग करते हुए इस पर रोक नहीं लगाई तो एक नया वर्ग खड़ा हो जायेगा .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन लोगों को अनुसूचित जाति की तरह ऊपर उठाना चाहिये। नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक यह क्रम चल रहा है इसलिये चोर-चोर मौसेरे भाई होने की वजह से कोई कदम उठाना नहीं चाहते। यह समस्या गम्भीर होती चली जा रही है। ऐसा न हो एक भयंकर आग का रूप धारण कर ले। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा इस सदन से कि यह आग न भड़के इसके लिये आप व्यवस्थित कदम उठायें और रोक लगायें।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

श्री रतनलाल वर्मा: पैसा तो सरकार दे..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कुछ नियमों का भी ध्यान रखें। आसन की उदारता पर कुछ न कुछ सहानुभूति रखनी चाहिये।

श्री रतनलाल वर्मा : 15 सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष : नहीं, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। मंत्री महोदय द्वारा वक्तव्य।

शासकीय वक्तव्य

दौसा के अन्दर बड़ा गांव में भूमि आवंटन

श्री पुरुषोतम मंत्री (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, दौसा के अन्दर बड़ा गांव में आवंटन का सवाल उठाया था। परसों मैंने निवेदन किया था कि मैं इस विषय पर आज वक्तव्य दूंगा।

मामले के वजूहात इस प्रकार है कि ग्राम बड़ा गांव, तहसील दौसा में ख. नं. 731, रकबा 8 बीघा 2 बिस्वा का आवंटन दिनांक 27-7-63 को भू-आवंटन सलाहकार समिति की राय से श्री गोविन्द नारायण मांगीलाल, जाति ब्राह्मण, निवासी बड़ा गांव के नाम किया गया था। इस आवंटन के विरुद्ध कृषकों द्वारा दरख्वास्त पेश होने पर तत्कालीन उप-जिलाधीश ने दिनांक 8-8-63 को यह आवंटन रद्द कर दिया। इसके विरुद्ध आवंटन गोविन्द नारायण ने राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील की जिसका फैसला गोविन्द नारायण के हक में दिनांक

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

5-11-63 को हो गया। इस प्रकार गोविन्द नारायण को किया गया आवंटन बहाल रहा।

इस भूमि को लेकर पुनः वर्ष 1971 में विवाद हुआ और इसे जा. फौ. की धारा 145 के तहत कुर्क किया गया। इस मामले में भी दिनांक 22-7-74 को सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट ने फैसला गोविन्द नारायण के हक में किया। इसका रिवीजन अतिरिक्त जिला एवं सैशन जज के यहां पंचायत द्वारा किया गया, इसका फैसला भी दिनांक 1-12-75 को गोविन्द नारायण के पक्ष में रहा।

इसी दौरान 24-7-74 को पंचायत ने एक दावा इस्तकरार हक गोविन्द नारायण अलाटी के खिलाफ उप-जलाधीश के न्यायालय में पेश किया। इसमें ग्राम पंचायत ने गोविन्द नारायण के पक्ष में राजीनामा पेश कर दिया एवं दिनांक 31-7-78 को यह वाद भी गोविन्द नारायण के पक्ष में निर्णीत हो गया। जब यह विवाद चल रहे थे एवं धारा 145 के तहत रिवीज़न का भी फैसला गोविन्द नारायण के हक में हो चुका था तब सरपंच, ग्राम पंचायत ने इस भूमि को दिसम्बर, 1975 में आवासीय भू-खण्डों के रूप में 160 परिवारों को इस ख. नं. 731 में भू-खण्डों का आवंटन कर दिया। भू-खण्डों के इस आवंटन को गलत बताते हुये इसे निरस्त करने हेतु तत्कालीन उप-जिलाधीश ने फरवरी, 78 में जिलाधीश को लिख दिया। ग्राम पंचायत द्वारा भू-खण्डों के आवंटन की जो कार्यवाही की वह जिला अधिकारी के द्वारा की गई थी। यह मामले के वजूहात से विदित है।

इस्तकरार हक के इस दावे के दौरान न्यायालय उप-जिलाधीश ने दिनांक 3-9-74 को तहसीलदार, दौसा को एल. आर. ए. की धारा 212 के अन्तर्गत रिसीवर नियुक्त कर दिया था। फलतः भूमि तहसील के कब्जे में आ गई। तहसीलदार ने वाद का फैसला हो जाने के पश्चात् दिनांक 27-9-78 को इसका कब्जा गोविन्द नारायण को दे दिया। इस मामले में दिनांक 4-10-78 को श्री विरदा पुत्र भोमा बैरवा, निवासी बड़ा गांव ने एक एफ. आई. आर. थाना दौसा में गोविन्द नारायण एवं प्रभु नारायण के विरुद्ध दर्ज कराई, जिसका मुकदमा नं. 154, दिनांक 4-10-78, धारा 435 के अन्तर्गत दर्ज होकर पुलिस में जेर तफतीश है।

इस एफ. आई. आर. में गोविन्द नारायण एवं प्रभु नारायण नामजद हैं। इस स्थान का मौका दिनांक 22-10-78 को मैंने भी देखा था। वहां मैंने पाया कि कुछ स्थानों पर अलग-अलग जगहों पर पूले आदि को जला कर राख कर दिया गया था, और वहां पर किसी प्रकार के घर वगैरह ही नहीं थे। पत्थर व ईंट आदि भी तामीरात करने के कोई निशान वहां पर मौजूद नहीं थे। मैंने इस संबंध में दौसा के एस. डी. एम. एवं सरपंच ने भी मौके पर वार्तचीत की तो उन्होंने बताया कि वहां पर किसी प्रकार के घर बने हुये नहीं थे।

इन बैरवा परिवारों का रहवास का स्थान ग्राम में दूसरी जगह ख. नं. 439, क्षेत्रफल 3 बीघा 19 विस्वा में मौजूद है और अभी भी वहीं निवास करते हैं।

एक दूसरा ग्राम नीमेड़ा के बारे में है।

एक माननीय सदस्य : यह सदन की मेज पर रख दें आप।

Page No 96

(96)

श्री अध्यक्ष : आप सदन की मेज पर रख दीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : पढ़ दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप सुनना चाहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : बोल दीजिये।

ग्राम नीमेड़ा तहसील टोडा रायसिंह में भूमि आवंटन

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : ग्राम नीमेड़ा तहसील टोडारायसिंह के खसरा नम्बर 453, 488 एवं 526 में से दिनांक 19-11-75 को 21 व्यक्तियों को भूमि का आवटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया था। उन्हें 82 बीघा 5 बिस्वा भूमि आवंटित की गई थीं। आवंटित भूमि की किस्म चरागाह थी। इस आवंटन से असंतुष्ट ग्राम नीमेड़ा के कुछ व्यक्तियों नें आवंटन को निरस्त करने के लिये नियम 14 (4), राजस्थान भू-रजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ) भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत न्यायालय जिलाधीश में प्रार्थना-पत्र पेश किया। यह प्रार्थना-पत्र 21 में से 18 आवंटियों के विरुद्ध पेश हुआ था। जिलाधीश नें सुनवाई करके इन 18 व्यक्तियों को हुए आवंटन को निरस्त करने के आदेश दिनांक 30-5-77 को दे दिये एवं यह आदेश भी दिया कि भूमि को बदस्तूर चरागाह कायम रखा जावे। जिलाधीश के हुए आदेश के विरुद्ध राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के यहां अपील की गई। परन्तु इस अपील की मियाद नहीं मानते हुए दिनांक 1-3-78 को इसे खारिज कर दिया गया। इस प्रकार जिलाधीश का निर्णय बहाल रखा गया। जिलाधीश के फैसले के अनुसार इस भूमि को भू-अभिलेखों में पुनः चरागाह दर्ज कर दिया गया है।

मामले में ग्रामवासियों द्वारा चरागाह में इन लोगों को काश्त करने से रोकने की कार्यवाही करने के लिये एक आवदन-पत्र, उप-जिलाधीश मालपुरा को प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने तहसीलदार टोडारायसिंह को प्रेषित किया। इस पर तहसीलदार ने दिनांक 28-6-76 को प्रत्येक आवंटितों को व्यक्तिगत नोटिस दिया कि चरागाह भूमि में फसल न बोयें और यदि बोयेंगे तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। इस नोटिस के बावजूद मूल 18 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों ने चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने के बाद खरीफ की फसल बो ली। चरागाह के इस अतिक्रमण के विरुद्ध ग्राम की जनता में भारी रोष था। तहसीलदार ने इन लोगों के विरुद्ध धारा 91, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही कर उनको बेदखली के आदेश दिनांक 18-9-78 को देकर बेदखल कर दिया एवं उनकी फसल कुर्क करके नीलाम कर दी गई।

इस प्रकार इन 18 व्यक्तियों की बेदखली के लिये जो कार्यवाही की गई है वह नियमानुसार की गई है। आवंटन चरागाह भूमि में से किया गया था जिसे सक्षम न्यायालयों द्वारा खारिज कर दिया गया। चरागाह भूमि सार्वजनिक उपयोग की होने से मूल आवंटन एवं इसके निरस्त होने के पश्चात् भूमि पर किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध ग्रामीण जनता में बहुत असन्तोष एवं रोष था।

यह प्रयास किया जा रहा है कि इन व्यक्तियों को इस ग्राम से पृथक निकट के किसी ग्राम में यथासम्भव आगामी राजस्व अभियान

(श्री पुरुषोत्तम मंत्री)

के दौरान भूमि का आवंटन कर दिया जावे ।

अतः नीमेड़ा ग्रामवासियों तथा भू-आवंटियों दोनों पक्षों को सुन कर इस मामले पर निर्णय किया जायेगा ।

श्री **रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, इनको नियमानुसार तहसीलदार ने अलाटमेंट किया कृषि भूमि का तो अतिक्रमण किस प्रकार से हुआ ? नम्बर 1 और नम्बर 2, जब इस गांव में चरागाह भूमि वहां के मवेशियों को देखते हुए ज्यादा है तो हो सकता है कि कोई फार्मेलिटी आब्जर्व करने से रह गई हो। जिन लोगों ने जमीन का इम्प्रूवमेंट किया है, उनको अब बेदखल करके दूसरे गांव में जमीन देने का क्या औचित्य है, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है ।

एक तरफ तो सिवाय चक भूमि पर भी जिसने नाजायज तरीके से कब्जा कर लिया उसको भू-राजस्व अभियान में रेगुलेराइज कर रहे हैं और दूसरी तरफ 18 परिवार, जो शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं, जिनको कानूनी तौर से आवंटन किया है, जिनमें एक महाजन है और एक राजपूत भी है, को आप बेदखल कर रहे हो। अध्यक्ष महोदय, इस नीमेड़ा गांव में गोचर भूमि ज्यादा है । पशुओं की संख्या को देखते हैं तो अतिरिक्त चरागाह की भूमि वहां पर है । केलकुलेशन करने के बाद कलेक्टर से कोई स्वीकृति लेने से रह गई हो तो उसमें उन लोगों का क्या दोष है ? उनको राज्य सरकार से लोन मिला, पास-बुक इश्यू हुई फिर दूसरे तहसीलदार ने दफा 91 के तहत उनका किस प्रकार एनक्रोचमेंट माना है ? एनक्रोचमेंट तो तब होता जब जबरदस्ती कब्जा किया होता । इसलिये मैं चाहूंगा इनको बेदखल नहीं किया जाय । वहां पर गोचर भूमि ज्यादा है । गवर्नमेंट के हुक्म से जमीन का आवंटन हुआ है । अध्यक्ष महोदय, बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं जिनको रेगुलेराइज करना पड़ता है । यदि फार्मेलिटी में कोई कमी रह गई है तो वह पूरी कर ली जाय । जैसे आप अपने कानून को डिफेन्ड करने के लिये जजमेंट होने के बाद भी रेगुलेराइज करते हैं उसी प्रकार की घोषणा यहां करें । कोई आपकी फार्मेलिटी रह गई है तो उसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से पूर्ण करा लें और इनको रेगुलेराइज कर दें ।

श्री **रघुनाथ विश्नोई** : अध्यक्ष महोदय, जालौर जिले में भी माननीय विज्ञान मोदी जी बैठे हैं, उनको मालूम है, गोचर भूमि रिकार्ड में है उन पर कब्जा करा रहे हैं और जो काफी पुराने लोग काबिज हैं उनको आप बेदखल करने जा रहे हैं। क्या आप इसी तरह पब्लिक को बरबाद करते हैं ? कलेक्टर ने कहा, कब्जा देंगे तो कत्ल होंगे । पहले विज्ञान मोदी जी मंत्री थे, उनका जनता को आश्वासन था कि आवंटन रद्द कर देंगे । उनको पूछो वहां उनकी क्या पोजीशन रही है । वे स्टेटमेंट देकर आये हैं। अभी तक हजारों आदमी वहां बैठे हैं ......

(व्यवधान)

आपकी कथनी और करनी में फर्क है । एक बोली होनी चाहिये सरकार की ।

(व्यवधान)

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं...

श्री **खेतसिंह राठौड़** : मैं इसी विषय पर बोल रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दीजिये फिर आप पूछ लेना।

श्री बहादुर सिंह : एक मिनट में भी बोलना चाहता हूं। मेरा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

गंगानगर जिले में किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनकी जिन्दगी व मौत का सवाल है। आज हाउस का आखिरी दिन है इसलिये सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। मुझे दो मिनट का समय दिया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, उन 18 परिवारों को पास-बुकें दी हैं। उसके बाद केन्द्रीय सहकारी बैंक से उनके खाते खुलवा कर उनको लोन भी दिये हैं। उनके पास उनकी रसीदें भी मौजूद हैं। बीगोड़ी भी उस जमीन की बे बराबर दे रहे हैं। 75 से लगातार उस जमीन का लगान दिया है। काफी मेहनत करके जमीन का उन्होंने इम्प्रूवमेंट भी किया है। अब ना मालूम आपकी क्या नाराजगी हो गई ? आप यह भी मानते हैं कि गोचर भूमि ज्यादा है। कृपापूर्वक आप स्वीकार कर लीजिये और उनको मत निकालिये, उन पर दया कीजिय और वहीं रहने दीजिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, चरागाह जमीन में दिलचस्पी बड़े लोगों की, जमींदार लोगों की होती है। उनके पास जमीन होती है फिर भी वे चाहते हैं कि उनके मवेशियों के लिये चरागाह भी हो। जिस गांव में हरिजन हैं, और भूमिहीन हैं उनको चरागाह के बदले जमीन की ज्यादा भूख होती है वे चरागाह को अधिक महत्व नहीं देते हैं। यह पालिसी का मामला है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन बशर्ते भूमिहीन हैं तो उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। चरागाह में दिलचस्पी बड़े जागीरदारों की होती है। जानवर से अधिक महत्व मनुष्य को दिया जाना चाहिये, यह एक पालिसी का सवाल है।

श्री रतनलाल वर्मा : जिस अधिकारी ने चरागाह की जमीन अलाट कर दी, उस अधिकारी के खिलाफ क्या किया ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा किया उस अधिकारी ने कि भूमिहीनों को जमीन दी।

श्री रतनलाल वर्मा : उस अधिकारी के खिलाफ क्या एक्शन लिया ? यह तो बताया नहीं। चरागाह की जमीन उसने कैसे अलाट कर दी ? यह लॉ एण्ड आर्डर की समस्या जानकर करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह।

श्री बहादुर सिंह : मैं आपके माध्यम से सरकार को निवेदन करना चाहता हूं...

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, ग्राम नंमेड़ा में 16 नवम्बर, 75 को 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत 18 परिवारों को जमीनें दी थीं। इसमें उन काश्तकारों का कोई दोष नहीं है। अधिकारी की नीति भी सरकार के अनुसार ही थी। आज आप उनको तबाह करने की योजना बना रहे हैं। 16 हरिजन परिवार हैं, एक

(श्री रामनारायण चौधरी)

लैण्डलैस काश्तकार है और एक और लैण्डलैस मजदूर है—इस तरह 18 परिवारों ने उस जमीन का इम्प्रूवमेंट किया है। आज उनको बेदखल करने के लिये सरकार तुली हुई है। इसका कोई औचित्य नजर नहीं आता है जब कि दूसरी जमीन चरागाह की ज्यादा है। तो क्या आप, मंत्री महोदय, कैन्सिल नहीं कर सकते हैं या क्या है ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आप सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं .....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय को उत्तर तो देने दीजिए।

श्री श्रवणलाल : मैं तो एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष : आप नीमेड़ा की जमीन के बारे में कहना चाहते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री श्रवणलाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा .....

श्री परसराम मदेरणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंत्रीजी ने अभी तक यह एनोलोजी प्रस्तुत की है कि रूल्स आफ अलाटमेंट के रूल 14 (4) के अन्दर जिलाधीश किसी प्रार्थना-पत्र पर अलाटमेंट को कैंसिल कर सकता है। अगर कोई टैक्निकल ग्राउण्ड हो तो उस टैक्निकल ग्राउण्ड पर वह कैंसिल कर सकता है। जो टैक्निकल ग्राउन्ड में आते हैं वे हैं मजमा-ए-आम में खातेदारी नहीं दी गई ; हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट से कैंसिल कर दिया हो, प्रोपर एडवर्टाइजमेंट जिसका नहीं किया गया हो, सभी को बराबर इत्तला दी नहीं हो, खसरा नम्बर गलत दे दिया हो, नोटिस का हवाला नहीं दिया गया हो, ये सब मुद्दे हो सकते हैं जिनके ऊपर अलाटमेंट कैन्सिल करा जा सकता है। यह मामला ऐसा है कि कलेक्टर ने रूल 14 (4) में अलाटमेंट कैंसिल कर दिया है। उसको जुडिशियल डिसीजन मान कर सरकार आदेश नहीं दे सकती है। मैं भी वर्षों तक राजस्व मंत्री रहा हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि अलाटमेंट रूल्स के अन्दर किसी जगह पर ऐसा प्रावधान नहीं है कि राज्य सरकार इण्टरफियरेंस नहीं कर सकती, ऐसे मामलों में। सैक्शन 101 आफ दी लैंड रेवेन्यू एक्ट में भी प्रावधान नहीं है। गवर्नमेंट एक आदेश देती है कि फलां-फलां तारीख तक 1-7-75 तक के केसेज रेगुलेराइज कर दिये जावें। उसके लिए रूल्स में प्रोवीजन नहीं करती बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर देती है Government is the owner of the land. Tehsildar is owner और वह एक आर्डर से रेगुलेराइजेशन करता है। जो रूल 14 (4) में कार्यवाही हुई है इस पर सरकार को सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। यह ऐसा मामला है कि उसने लैण्ड इम्प्रूवमेंट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, उसके ऊपर काफी कर्जा हो गया है, कर्जा जमीन पर हो गया है, जमीन उसके हाथ से चली गई तो कर्जा अदा नहीं कर सकेगा। इसलिए इस कलेक्टर के आर्डर को रूल 14 (4) में फाइनल मान कर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें यह उचित नहीं है। इस तरह की लंगड़ी भाषा का इस्तेमाल करके गरीबों के हितों पर कुठाराघात मत करिये ...

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी: आप आज हमको उपदेश दे रहे हैं, जब राजस्व मंत्री थे तब क्या कर रहे थे......

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री: मैं जवाब दे रहा हूं।

श्री परसराम मदेरणा: आपको सुनना पड़ेगा। आप जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं तो आपको शांति से सुनना पड़ेगा। हम जब भी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो बीच में खड़े हो करके बोलने लग जाते हैं। यह कौनसा तरीका है........

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी: हम आपकी वकालत नहीं सुनेंगे।

श्री परसराम मदेरणा: आप हमेशा बीच में बोलते रहते हैं बैठे-बैठे, कुछ समझ में ही नहीं आता कि क्या बोलना चाहते हैं। आप उपाध्यक्ष हैं पार्टी इन पावर के, यह कोई तरीका है ...

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी: आप झूंठी बातें कहते रहें और हम सुनते रहें।

श्री परसराम मदेरणा: आपको सुनना पड़ेगा।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी: हम सही बात सुनेंगे। झूंठी बात का विरोध करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा: प्रोसीजर ले डाउन किया गया है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य! माननीय सदस्य! माननीय सदस्य!

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी: आज आप हमको उपदेश देते हैं। क्या आपने राजस्थान कैनाल पर जमीनें नहीं दी हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य!

श्री खेतसिंह राठौड़: हमने कानून की बात कही है। आप फिजूल की बात कह रहे हैं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पर्याप्त समय हो गया है, माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा: मैं बीस साल तक कोलोनाइजेशन मिनिस्टर रहा हूं। राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जो कि हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, मे आप अलाटमेंट करने की बात करते हैं। मैंने एक इंच जमीन अलाट नहीं की है। यह मैं सरकार को चेलेन्ज करता हूं। कोलोनाइजेशन मिनिस्टर स्वयं यहां पर बैठे हुए हैं एक्सचेंज ऑफ दी लैण्ड....

(व्यवधान)

श्री नरेन्द्रपालसिंह चौधरी: आपने जमीनें दी हैं।

श्री श्रवणलाल: इसका मतलब है कि जनता पार्टी ने जमीनें दी हैं वह वापस लेना चाहती है।

श्री अध्यक्ष: अब माननीय राजस्व मंत्री को उत्तर तो देने दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो माननीय सदस्यों को यह सूचना दे दूं कि 18-परिवारों में से हरिजन परिवार केवल तीन हैं। मैंने परसों ही एस. डी. ओ. को सारे कागजात लेकर बुलाया था। जो जानकारी मुझे मिली है उसके आधार पर निवेदन कर रहा था कि.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : भूमिहीन हैं या नहीं ?

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : आप पूरी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। यह बात कही गई कि 18 हरिजन परिवार हैं इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि तीन ही हरिजन परिवार हैं बाकी के सवर्ण हैं......

श्री रामनारायण चौधरी : 16 हरिजन हैं बाकी के 2 सवर्ण हैं।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मैं जो आपसे निवेदन कर रहा हूं वह फैक्ट के आधार पर कर रहा हूं। वहां पर जितने मवेशी हैं, एक मवेशी के पीछे नियमों के मुताबिक आधा बीघा चरागाह होना चाहिए। इसके हिसाब से ग्रामवासियों ने आपत्ति की, रूल 14(4) में प्रार्थना-पत्र दिया कलेक्टर को कि यह चरागाह मवेशियों की संख्या को देखते हुए पूरा नहीं है। यह उन्होंने दरख्वास्त दी। दूसरा एतराज यह था कि आपातकाल के अन्दर यह जमीनों का आवंटन बिना किस्म परिवर्तन के किया गया। आप जानते हैं कि सभी जगह पर चरागाह भूमि का किस्म परिवर्तन सरकार कर सकती है, कलेक्टर नहीं कर सकता परन्तु चूंकि इमर्जेन्सी में जल्दी-जल्दी में आवंटन करना था इसलिए बिना किस्म परिवर्तन किए ही यह आवंटन कर दिया। नियमों के विरुद्ध होने के कारण जिलाधीश ने उसको निरस्त कर दिया। अब रहा सवाल कि जो भूमिहीन लोग हैं, तीन हरिजन परिवार हैं जो इसमें आते हैं, उन लोगों को जमीन दें। चूंकि गांव वालों के मवेशियों की संख्या को देखते हुए चरागाह भूमि कम है, पूरी नहीं है इसलिए मैंने निवेदन किया कि उसी के पास दूसरी जगह उनको जमीन अलाट कर दी जावे। यह मैंने निवेदन कर दिया है...

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, आपने अभी सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक सूर्य पदक प्राप्त को जमीन अलाट की वहां से लाठियां खाकर आया वह जमींदार।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये जो लोग भूमिहीन हैं वास्तव में, उनको जमीन उसी गांव के पास दूसरे गांव में अलाट कर दी जावेगी। अलाटमेंट करने के आदेश दे दिए हैं।

श्री मूलचन्द डागा : यह गलत बात है, इसका मतलब है कि उनसे कब्जे की जमीन छुड़ा रहे हैं......

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : मुझे बोलने तो दें..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है।

श्री मदनसिंह दांता : क्या आप बैंक का रुपया उनसे वापस दिलायेंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अब दूसरा विषय नहीं है....

श्री मूलचन्द डागा : बिल्कुल गलत उत्तर दे रहे हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : भरतपुर जिले के अन्दर, अलवर जिले के अन्दर और सवाई माधोपुर जिले के अन्दर सभी जगह बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर, चरागाहों की जमीनें सारी की सारी अलाट कर दी भूमिहीनों को....

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : दो पोलिसी नहीं हो सकती हैं। जनता पार्टी की सरकार को यह तय करना चाहिए। अभी हरियाणा के अन्दर, दिल्ली के पास में हरियाणा के अन्दर चरागाह की जमीन का सवाल उठा तो जनता पार्टी की सरकार नें स्ट्रोंग स्टेप लिया हम उसको एप्रिशियेट करते हैं।

(व्यवधान)

श्री पुरुषोत्तम मंत्री मुझे बोलने तो दें..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अगर आप सदन की कार्यवाही आगे चलना नहीं देना चाहते हैं .....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य गण, अगर आप सदन की कार्यवाही को आगे चलाने नहीं देना चाहते हैं तो मैं 15 मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दूं ? आप कक्ष में आकर मंत्री महोदय से चर्चा कर लें। अगर नीति की बात है आखिरी दिन क्यों वातावरण को बिगाड़ते हैं ...

(व्यवधान)

मैं चाहता हूं कि चैम्बर में आकर के बात कर ले वरना ऐसे तो घंटों बीत जाएंगे चर्चा में। कोई अन्त नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं हम इनको दूसरी जगह पर जमीन देंगे। यह मानते हैं कि ये हरिजन हैं और भूमिहीन हैं ....

श्री अध्यक्ष : मेरा सुझाव है कि आप पहले मंत्री महोदय की बात तो सुन लें ताकि चर्चा समाप्त हो।

श्री रामनारायण चौधरी : बात सुनने की नहीं है। यह गलत जवाब दे रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जवाब तो ठीक आना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : ये अन्याय करना चाहते हैं। अपने लोगों को बसाना चाहते हैं। जब कि यह मानते हैं कि भूमिहीन हैं, हरिजन हैं यह कहते हैं कि दूसरी जगह इनको बसायेंगे। जिनकी दरख्वास्तें अब आई हैं उनको दूसरी जगह बसाओ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, चरागाह लैण्ड के कनवर्शन का 1974 में जब मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था तब अधिकार सरकार ने अपने पास लिया था। जहां पह

(श्री परसराम मदेरणा)

दो प्रकार के झगड़े थे वहां अब यह मंत्री महोदय के हाथ में है। एक मिनट में इसका परिवर्तन कर सकते हैं। इससे गरीबों का भला हो सकता है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, 1975 में एक अभियान के अन्तर्गत चरागाह की जमीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को दी गई थी। सवाई माधोपुर, टौंक, भरतपुर, अलवर में चरागाहों के अलाटमेन्ट किये गये थे और अलाटमेन्ट के बाद उनके पट्टे भी दे दिये गये थे। उनको किश्तों के रूप में रुपया भी दिया गया था। साथ में उनको बीज भी दिया गया था। अब अगर इन जमीनों के अलाटमेन्ट को कैन्सिल किया जाता है और दूसरी जगह जमीन दी जाती हैं तो दूसरी जगह से भी यह मांग आएगी और वहां के अलाटमेन्ट भी कैन्सिल होंगे। कोई भी चरागाह पर काश्त नहीं करने देगा और भूमिहीन हरिजन परविारों को मार-मारकर निकाल दिया जायगा। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस पर विचार करें और इन लोगों को भूमि से बेदखल नहीं किया जाए।

श्री अध्यक्ष : मेरी पूर्ण सहानुभूति है। मैंने इतनी देर चर्चा के लिए अनुमति इसीलिये दी कि यह चर्चा हरिजनों के प्रश्न को लेकर थी। जिनको अलाटमेन्ट हो गये हैं तो उन बापड़े हरिजनों का क्या कसूर है कि उन गरीबों को बेदखल किया जाए। मानवीय दृष्टिकोण से इस सम्बन्ध में कुछ तो करना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सरकार जवाब नहीं दे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। What is going to happen to those poor Harijans ?

आधे घंटे की चर्चा।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यहीं पर मंत्री महोदय फर्मा दें।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि इनको जमीन दी जाएगी।

श्री मदनसिंह दांता : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अन्याय है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : अध्यक्ष महोदय, यह अन्याय है इन हरिजन भूमिहीनों के साथ। वही भूमि इनके पास रहनी चाहिए।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत . .

श्री अध्यक्ष : नियमों के अन्तर्गत जो असन्तोष है वह व्यक्त हो गया। अब सदन की कार्यवाही को आगे चलने दें। चर्चा समाप्त हुई।

श्री मोहम्मद जहूर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत . . .

श्री मथुरादास माथुर : राजस्व मंत्री जी इस सवाल पर गंभीरता से सोचें। यह कोई 2-4 को बेदखल करने का सवाल नहीं है। इससे हरिजनों को तकलीफ होगी, परेशानी होगी। मेरा खयाल है मंत्री महोदय गंभीरता से इस पर विचार कर इन लोगों के हक में निर्णय लें।

श्री परसराम मदेरणा : यह निर्दयी और जुल्मी सरकार है इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा चाहे हम वाक आउट कर जाएं। इसीलिए इस मामले को यहां पर उठाया है। इस पर राजस्व मंत्री जी हंस रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विरोधी दल के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अब यह चर्चा समाप्त करें ।

श्री मदनसिंह दांता : क्या इसीलिए इनको लोन दिया था ? हजारों आदमी मरेंगे ।

श्री अध्यक्ष : अब चर्चा नहीं होगी ।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, वड़ा गांव, तहसील दौसा, जिला जयपुर में 15 हरिजन परिवारों को घर में आग लगा कर, तबाह कर के निकाल दिया ....

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता सदन में गलत बयानी कर रहे हैं । मैं दौसा क्षेत्र का हूं । एक भी हरिजन की झोंपड़ी, कुटिया नहीं जलायी गयी है । अगर वह बता देंगे तो मैं कीमत दूंगा, सदन से इस्तीफा दूंगा या ये त्याग-पत्र दें । माननीय मदेरणा साहब, माथुर साहब कोई भी दौसा चल कर इनको देख सकते हैं । इस प्रकार ये विरोधी दल के नेता की गरिमा को कम कर रहे हैं...

श्री दाऊ दयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता को इस चैलेन्ज को स्वीकार करना चाहिए ।

श्री कौशल किशोर जैन : आप विरोधी दल के नेता को ताड़ना दीजिए । ये हमेशा झूठ वोलते हैं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : विरोधी दल के नेता को माननीय सामरिया जी की चुनौती को स्वीकार करना चाहिए ।

श्री मदनसिंह दांता : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर ।

श्री अध्यक्ष : नो पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय रामनारायण जी चौधरी को सामरिया जी की चुनौती स्वीकार करनी चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी : या तो त्याग-पत्र दें या झूठ वोलना वन्द करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विरोधी दल के नेता की आदत हो गई है हर वात पर झूठ वोलने की, हर वात पर गलत वोलने की ।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अलवर, टौंक और जयपुर में जमीनें बांटी गईं..

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : वोलने के लिये मेरा नाम पुकारा गया है । विरोधी दल के नेता का फर्ज है कि बीच में व्यवधान डालने की कोशिश न करें । आपको चाहिये कि बीच में इंटरफियर न करें और रिगार्ड रखने का प्रयास करें ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप कृपा करके बैठ जाइये, बहादुर सिंह जी । यह मेरा.....

(व्यवधान)

श्री कौशल किशोर जैन : अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता झूठ बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

विरोधी दल के नेता कपोल शंख की परिभाषा में आ गये हैं । इनको जैसी फूंक

Page No 105

(105)

(श्री कौशल किशोर जैन):
लगा दी जाती है वैसे ही बोल जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह : गंगानगर के किसान ज्ञापन लेकर मिले...

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

विरोधी दल के नेता गंगानगर के काश्तकार हैं...

(व्यवधान)

तो गंगानगर के काश्तकार सीलिंग एक्ट...

(व्यवधान)

हो चुका है। 15 दिन से लगातार उनका स्वास्थ्य गिर चुका है। उनके पेशाब से खून निकल रहा है...

(व्यवधान)

पुलिस उठा कर ले गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, काश्तकरों की मांग पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारा इश्यू चल रहा है। मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं। बीच में....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जब सदस्य बोल रहे हैं तो विरोधी दल के नेता को बैठ जाना चाहिये। आप बैठ जाइये। आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। माननीय सदस्य, गंगानगर की बात कह रहे थे। उससे गंभीर कोई मसला नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

आप सदन के बहुत जिम्मेदार महानुभाव हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कोई उपदेश सुनना नहीं चाहता। मुझे उपदेश देने वाला कोई भी नहीं होता।

श्री रतनलाल वर्मा : यह सदन झूठी दलीलें देने के लिये नहीं है। झूठा वातावरण बनाने के लिये नहीं है।

श्री कौशल किशोर जैन : माननीय अध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम के बहाने सारे चरागाहों को खा जाने वाले लोग आज आंसू बहा रहे हैं। दुनिया भर के चरागाह खा गये, आज बात करते हैं छोटी सी बात पर।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस सदन में गरीब हरिजनों के बारे में चर्चा हो रही थी तो गंगानगर के लोग-बाग इतना हल्ला करके....

(व्यवधान)

श्री सूर्यनारायण चौधरी : गलत बात है।

श्री कौशल किशोर जैन : आप दुनिया भर के चरागाह खा गये 20 सूत्री कार्यक्रम के बहाने।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आज दुखी हरिजनों के बारे में जो बात हो रही है ।

(व्यवधान)

आप पर आरोप लगाया है, मंत्रीजी ।. .

श्री भंवरलाल ऐरन : बोलने का मतलब यह नहीं कि गलत आरोप लगायें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास जी, आप बैठ जाओ तो दूसरे सब बैठ जायेंगे ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करने की इजाजत चाहता हूं । ग्राम नीमेड़ा, तहसील टोडा रायसिंह के बारे में मैंने वक्तव्य दिया है इसके बारे में सदन के जरिये सब फैक्ट आपके समक्ष रखे हैं । दोनों पक्षकारों, ग्रामीणों और अलाटीज को बुलाकर और उनकी सुनकर इसका कन्वर्शन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए इसके बारे में निर्णय दूंगा ।

श्री अध्यक्ष : Thank you very much.

श्री रघुनाथ विश्नोई पहले ही कह देते ।

श्री बहादुर सिंह (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने ज्ञापन पेश किये हैं । डेपुटेशन कई बार मिले । जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने नोटिस दिया । उस नोटिस के साथ में उन्होंने यह मांगें रखी थी । सरकार को बार-बार चेतावनी दी, बार-बार मांगें रखीं इसके बावजूद सरकार ने कोई बात नहीं सुनी । अगर सरकार ने हमारी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो गंगानगर का किसान आमरण अनशन के लिए मजबूर हो जायगा, सत्याग्रह के लिए मजबूर हो जायगा । यह नोटिस देने पर भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया । उनकी सुनवाई नहीं की । अंत में गंगानगर के काश्तकारों को भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर होना पड़ा । चार गंगानगर में भूख हड़ताल पर बैठे हैं और श्री अमर सिंह सन्धु यहां गवर्नमेन्ट होस्टल के सामने 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं । बावजूद इसके सरकार को ज्ञापन दिये, डेपुटेशन में मिले और नोटिस दिये लेकिन उनकी भूख हड़ताल नहीं तुड़वाई गई है ।

माननीय अध्यक्ष, उन काश्तकारों की मांगें हैं – जमीनों के खातेदारी हकूक दिये जायं, रूई का जो नरमा है, कपास के भाव गिरते जा रहे हैं । इसके कारण से काश्तकार बरबाद हो रहा है । मंडियां करीब-करीब बन्द हो गई हैं । काटन कार्पोरेशन ने खरीद चालू नहीं की । इनके कारण हालत खतरनाक हो चुकी है । कपास की पैदावार खराब हो रही है किसानों की । व्यापारियों ने सांठ-गांठ कर रखी है । सरकार ने दो-तीन भाव तय कर रखे हैं उन भावों पर भी काटन कार्पोरेशन ने खरीददारी नहीं की । इसकी वजह से काश्तकार डूब रहे हैं । आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि काश्तकारों की मांगों को सरकार सुने और उनका समाधान किया जाये । उनकी मांगें नहीं मानी गई । मुख्य मंत्री यहां पर नहीं हैं, तो 1977–78 में जब किसान एजीटेशन हुआ, उन्होंने यह सुना होगा कि सरकार के घुटने टिक गए । आज उन्हीं मांगों को

(श्री बहादुर सिंह)
लेकर काश्तकार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब वे विरोधी दल में बैठे हुए थे तो इन मांगों के हिमायती थे और आज जब सरकार में आ गए तो उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह : मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

जब आपके हाथों में सत्ता है और समस्याओं का समाधान निकल सकता है तो क्या वजह है कि काश्तकार की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है? इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर काश्तकारों की मांगों को नहीं माना जाता है और काश्तकार जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उन काश्तकारों में से किसी की मौत हो गई तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सरकार पर होगी। मैं निवेदन करूंगा कि काटन कॉर्पोरेशन के द्वारा कपास की खरीददारी चालू की जावे।

गंगानगर में कई मंडियों के अन्दर जमीन की कीमतें जो पिछली सरकार ने 17 हजार रखी हुई थी, वह 17 हजार से 20 हजार हुई। पब्लिक का दवाव पड़ा तो पिछली सरकार ने जमीन की कीमतें फिर घटा दीं। आज सरकार ने उन जमीनों की कीमत एक लाख बीस हजार रुपये कर दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, समाजवाद की दुहाई देने वाले मंत्री यह जवाब दें कि जो गरीब हरिजन हैं, जो गरीब काश्तकार हैं, भूमिहीन हैं, वे अगर जमीन खरीदना चाहेंगे तो क्या एक लाख बीस हजार रुपया उस जमीन की कीमत दे सकेंगे काश्तकारी करते हुए? मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार से कि यह ज्यादती और जुल्म सरकार काश्तकार पर न करे और उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं उनकी हालत गंभीर होती जा रही है। गंगानगर में सेड जाटव की हालत गिर रही है। अगर उसकी मृत्यु हो गई तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। इसलिए इस पर गंभीरता से विचार करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यदि उसकी मृत्यु हो गई तो सरकार की जिम्मेदारी होगी। फिर ऐसा तूफान खड़ा हो जाएगा जिसको सरकार सम्भाल नहीं सकेगी।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : अध्यक्ष महोदय, यह गांव के लोगों की जिन्दगी और मौत का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : आप बाद में। श्रीमती उजला अरोड़ा।

आधे घंटे की चर्चा

जयपुर शहर में बच्चों के लिये पृथक अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

(तारांकित प्रश्न संख्या 207, दिनांक 6 नवम्बर, 1978)

श्रीमती उजला अरोड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 49 के अधीन दिनांक 6-11-78 को तारांकित प्रश्न 207 के अपर्याप्त उत्तर आने और उत्तर से असंतोष होने की स्थिति में, आपके

(श्रीमती उज्ला अरोड़ा)

माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न उठा रही हूं। मेरा निवेदन सीधा-सादा था। जो एस० एम० एस० हास्पिटल का बच्चों का वार्ड है उसमें बैड्स कम होने पर भी बैड्स नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। उसकी वजह से बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन यह था कि बच्चों के बैड्स की संख्या कम होने की स्थिति में अस्पताल में एक ही बैड पर संक्रामक रोगों से ग्रस्त तीन-तीन बच्चों को लिटाया जाता है। इससे एक-एक बच्चे को तीन-तीन बीमारियां हो जाती हैं। सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस तरह से एडमिशन अस्पताल में देते हैं लेकिन उसने अपनी मजबूरी यह जाहिर की है कि परिस्थितियों वश ही एडमिशन दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि 40 पर्सेंट बच्चों की संख्या है। 40 पर्सेंट बच्चों की संख्या को देखते हुए राजधानी में ही केवल एस० एम० एस० हास्पिटल में बाल चिकित्सा उपलब्ध है और बाल चिकित्सा विशेषज्ञ उपलब्ध है। इस हास्पिटल में बच्चों के वार्ड में चालीस बैड मेडिकल वार्ड के हैं और पचास बैड सर्जिकल वार्ड के हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि एक बैड पर एक निमोनिया का, दूसरा दस्त का और तीसरा किसी संक्रामक बीमारी का बच्चा लेटा हुआ है। एक-एक खाट पर तीन-तीन बच्चे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हम घरों पर तो यह निर्देश देते हैं कि किसी बच्चे को संक्रामक बीमारी हो जाती है तो अन्य बच्चों को उनके साथ न रखा जावे लेकिन अस्पताल में उन सब निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और वह केवल इसलिए नहीं किया जा रहा है कि बैड्स कम हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यह कहा जाता है कि दूर-दूर से किसान आते हैं तो मजबूरी से उनको भर्ती करना पड़ता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए मैंने कई बार सरकार के सामने यह सुझाव रखा कि यहां बच्चों का अस्पताल अलग से खोला जाना चाहिए। आज हालत यह है कि जिन बच्चों को 40-40, 50-50 बार टट्टी हो जाती है उनके कपड़ों को सुखाने के लिए जगह नहीं है। बच्चों को जगह नहीं मिल पाती है। कोई मां अपने बच्चे को गर्मी देकर कैसे ठीक कर सकती है। एक छोटे से बैड पर तीन माताएं कैसे आयेंगी। डाक्टर और चिकित्सक कहते हैं कि यह दवाई इस प्रकार से दी जाएगी। वहां पर इतनी भी जगह नहीं है कि दवाई रख सकें . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

वहां न दूध गरम करने की जगह है न अंगीठी जला सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यहां पर दूसरा नया अस्पताल बना है उसमें 200 खाटों को जनाना अस्पताल खोलने की बात कही जा रही है। अध्यक्ष महोदय, 400 बैड हैं। अगर उनको उस अस्पताल में शिफ्ट किया गया तो ठीक नहीं रहेगा। इस हिसाब से बच्चों का अस्पताल अलग से खोला जाये ताकि आने वाली पीढ़ियों की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके। मैं गम्भीरता से यह निवेदन करना चाहूंगी कि सरकार इस पर निर्णय ले और बच्चों के अस्पताल की व्यवस्था करे।

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, ये आदिवासी क्षेत्र के रहने वाले हैं। वहां के बारे में कुछ कहना चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह जयपुर का मामला है ।

(व्यवधान)

(434 म. प.)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जयपुर शहर का प्रश्न है लेकिन यह सारे राजस्थान के लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है । माननीय मंत्री महोदय को याद होगा जब चिकित्सा समारोह हुआ था तो उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया था कि जयपुर शहर में बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाया जाए । यह जो उत्तर मिला है, इसमें कोई अस्पताल की बात नहीं है । माननीय मंत्री जी, सदन में आपने बात कही है सदन में जो कहा है, उसका मूल्य है । इसलिए मैं कहूंगा, यह आपका उत्तर अपर्याप्त है और असन्तोषजनक है । 1960 में 50 बैड की व्यवस्था की गई थी। आपने यहां पर कहा कि इस प्रकार की स्थिति कभी-कभी होती है । मैं निवेदन करूंगा कि आप का हास्पिटल से सीधा सम्पर्क है । आप सवाई मानसिंह अस्पताल में जायेंगे तो आपको उलटी हो जाएगी । इस प्रकार की वहां पर स्थिति है । एक-एक बैड पर चार-चार बच्चे लिटाये जाते हैं । मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर में एक जिला अस्पताल बनाने की चर्चा तो बहुत समय से चल रही है । जनाना अस्पताल में 400 बैड हैं लेकिन 450 महिलाओं को लिटाया जा रहा है । 14 लाख रुपया दिया था तो सवाई मानसिंह अस्पताल के पास जो महिला अस्पताल बना है उसमें 250 बैड लगा लीजिए फिर भी बैड कम होंगे । जिला अस्पताल की आपकी योजना पूरी नहीं हो सकती है । जे. के. से मेरी बात हुई थी । उन्होंने कहा है कि मैंने रुपया दिया था वह पूरा खर्च हो गया है ।

(व्यवधान)

मेरी बात हुई तो सेठ जी ने कहा है कि सरकार अगर बच्चों का अस्पताल बना देती है तो यह बड़ी बात होगी । इसलिए अगर जनाना अस्पताल को बच्चों का अस्पताल बना दें तो जनता की एक समस्या हल हो जाएगी । परिवार नियोजन तो लागू नहीं है तो बच्चे होंगे ही । वर्तमान जनाना अस्पताल है........

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उसी को जनाना अस्पताल रखें । जो नया अस्पताल बनाया है, उसको बच्चों का अस्पताल घोषित कर दें तो बच्चों का अच्छा उपचार हो सकेगा । आपका अपूर्ण जवाब है इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह एक अच्छी प्रकार की बात होगी कि सवाई मानसिंह अस्पताल के पास जो नया जनाना अस्पताल बनाया जा रहा है, उसको आप बच्चों का अस्पताल बनाने की घोषणा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुल मोहम्मद ।

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में बच्चों का कोई अस्पताल नहीं है ।

(व्यवधान)

एक प्रकार से है ही नहीं । 1960 में जो 150 बैड एस. एम. एस . अस्पताल में

(श्री गुल मोहम्मद)
थे, आज भी वही हालत है। 1961 में जयपुर की जनसंख्या कितनी थी और आज कितनी है, दोनों आंकड़े उठाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ी है। कोई नया हास्पिटल नहीं खोला गया है। बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उपाध्यक्ष महोदय, बच्चों के ज्यादा बीमार होने के कारण तीन-तीन बच्चों को एक साथ सुलाया जाता है, उनको आपस में एक दूसरे की छूत की बीमारी लग जाती है। एक बीमारी को ठीक कराने के लिए आते हैं, वहां पर उनको नये प्रकार की बीमारी और लग जाती है। इस प्रकार से एक नयी असुविधा होने लगी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो नया हास्पिटल बनाया है, उसको बच्चों का अस्पताल बनाया जाये।

एक बात मैं यह भी कहूंगा कि इस समय जो जनाना हास्पिटल है, उसकी भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी एक स्थान पर व्यवस्था हो जाएगी तो अच्छा होगा। वहां पर 400 बैड की व्यवस्था है। ऐसी हालत में एक बच्चों का हास्पिटल बनाने की आवश्यकता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सभी के बच्चे होते हैं। आबादी बढ़ती जा रही है। इसके हिसाब से बैड्स नहीं बढ़ाये गये हैं। यह क्यों नहीं बढ़ाये गये हैं? जनसंख्या के हिसाब से बैड्स बढ़ाने की कृपा करें। मैं यही निवेदन करूंगा कि जो नया अस्पताल बनाया गया है, उसके लिए घोषणा की जाये कि वह बच्चों का हास्पिटल बना दिया जाएगा।

श्री दाऊदयाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट के लिये निवेदन करना चाहता हूं।

जयपुर में जे० के० वालों ने नया अस्पताल बना कर दिया है, मुझे पता लगा है कि पुराने अस्पताल को खाली करके शीघ्र ही नये अस्पताल में ले जाया जा रहा है। माननीय गिरधारीलालजी और उजला बहन को मालूम है कि जयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगा था तब सात दिन में 37 हजार मरीजों ने चिकित्सा कराई थी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि नये भवन में जाने के बाद पुराने भवन को आयुर्वेद भवन के लिये दे दिया जाय तो निश्चित रूप से रोगियों की महान सेवा हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दाऊदयालजी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दाऊदयाल जी शायद जयपुर की समस्याओं को पूर्णतया समझ नहीं पाये हैं इसलिये उन्होंने मौजूदा जनाना अस्पताल की बिल्डिंग को आयुर्वेद भवन बनाने की बात कही है। हम जयपुर के विधायक कतई इस बात से सहमत नहीं होंगे। हम जयपुर के विधायक जनता की समस्याओं को समझते हैं और जानते हैं इसलिए मेरा आसन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि जयपुर की नई बिल्डिंग में जनाना अस्पताल को शिफ्ट करके पुराने अस्पताल को बच्चों का अस्पताल घोषित कर दिया जाय।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट के लिये अर्ज करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर भी इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। झुन्झुनूं जिले की स्थिति भी बहुत खराब है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। इस तरह तो 26 जिलों की चर्चा हो जायगी और इसका कोई अन्त नहीं होगा।

प्रवर समिति का गठन

राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर प्रवर समिति

सदन को सूचित करना है कि राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978 को दिनांक 8 नवम्बर, 1978 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया था। उसके सदस्यों के नामों की सूची इस प्रकार है :-

(1) श्री बजरंग लाल शर्मा, सभापति
(2) श्री ईश्वरचन्द्र
(3) श्री परसराम मदेरणा
(4) श्री वंशीलाल सारस्वत
(5) श्री ओंकारलाल चौहान
(6) श्री गुलाबचन्द कटारिया
(7) श्री टीकमचन्द कान्त
(8) श्री गुल मोहम्मद
(9) श्रीमती सुमित्रा सिंह
(10) श्री रघुवीरसिंह कौशल
(11) श्री नवलराय बच्चाणी

श्री परसराम मदेरणा : कौनसा विधेयक ?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान के विश्वविद्यालय अध्यापक तथा अधिकारी (सेवा की विशेष शर्तें) (संशोधन) विधेयक, 1978।

माननीय चिकित्सा मंत्रीजी उत्तर देंगे।

जयपुर शहर में बच्चों के लिये पृथक अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

श्री त्रिलोकचन्द्र जैन (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या, उजला बहिन ने जो प्रश्न उठाया है उस प्रश्न को तीन दृष्टियों से देखा जा सकता है। इन्डियन मेडिकल कौंसिल की दृष्टि से सवाई मानसिंह अस्पताल एक असोसिएटेड मेडिकल कालेज के साथ है। इस दृष्टि से देखा जा सकता है, उसके साथ ही जो बीमार बच्चे सवाई मानसिंह अस्पताल में आते हैं उनके उपचार की जो व्यवस्था है उस दृष्टिकोण से देखा जा सकता हैं। तीसरे, राजस्थान में बच्चों की तीमारदारी की व्यवस्था सवाई मानसिंह हास्पिटल में उस दृष्टि से देखा जा सकता है।

जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इस समय 40 शैयाएं बाल सर्जिकल तथा 50 शैयाएं बाल चिकित्सा व 6 पलंग कार्डियो-फोरेन्सिक हेतु उपलब्ध हैं। बाल सर्जिकल के पलंग लगभग 1960 से हैं तथा बाल मेडिकल के पलंग जब से जयपुर में मेडिकल कालेज खुला है तब से स्वीकृत हैं। मेडिकल कौंसिल आफ इन्डिया के न्यूनतम मानदण्ड के अनुसार ही यह पलंग निर्धारित संख्या में स्थापित किये गये हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल में कुल 943 पलंग हैं अतः उस अनुपात से यह पलंग 10 प्रतिशत होते हैं। जहां तक कुल मरीजों की भर्ती का प्रश्न है, उसके अनुपात में बालकों की भर्ती 19 प्रतिशत होती है जिसका औसत 18 बच्चे प्रतिदिन आता है। मेडिकल कौन्सिल आफ इन्डिया के निर्धारित

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

न्यूनतम मापदण्ड में 100 मर्ती प्रति वर्ष के अनुसार किसी भी मेडिकल कालेज में कम से कम 700 बेड्स होने चाहियें जिनमें से 300 मेडिकल के पलंगों में से 50 बाल मेडिकल के तथा 190 जनरल सर्जरी के पलंगों में से 40 बाल सर्जिकल के लिये रखे गये हैं। अतः जहां तक मेडिकल कालेज के लिये आवश्यक पलंगों की संख्या का प्रश्न है, न्यूनतम निर्धारण के अनुसार सवाई मानसिंह अस्पताल में बच्चों के पलंगो की कमी नहीं है।

जयपुर नगर की आबादी इस समय 8 लाख हो चुकी है तथा इसमें 12 साल तक के उम्र वाले बालकों की संख्या 3 लाख 20 हजार के लगभग है। उनके लिये इस सुविधा को कम ही माना जा सकता है। छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार का लक्ष्य प्रति दो हजार की आबादी के ऊपर एक बेड उपलब्ध कराने का है। अतः इस लक्ष्य की पूर्ति हेतु 160 पलंग बालकों के जयपुर नगर के लिये होने चाहिए। इस समय 94 सवाई मानसिंह अस्पताल में हैं। 66 पलंगों की कमी है। वैसे ये पलंग जो हैं, इनकी कमी दूसरे अस्पतालों सन्तोकबा दुर्लभजी, ई. एस. आई. अस्पताल से पूरी की जा सकती है। किन्तु जैसा कि अभी माननीय सदस्यों ने कहा कि बच्चों का प्रेशर बहुत ज्यादा है इसलिये दो-दो बच्चों को एक-एक पलंग पर रखा जाता है। यह विवशता है और इसे नकारा नहीं जा सकता...

श्री एच.एन. शर्मा : यह विवशता नहीं, कमी है, व्यवस्था की कमी।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : इसमें रेल्वे हास्पिटल, मिलिटरी व आयुर्वेद के अस्पतालों के आंकड़े शामिल नहीं हैं। इससे स्पष्ट है कि आबादी की दृष्टि में बच्चों के पलंगों की जयपुर नगर में विशेष कमी नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक सौ विधायकों को मन्त्री का पद दे दिया जाय।

श्री गुल मोहम्मद : इसको क्या तुक है इस समय।

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मन्त्री महोदय जवाब दे रहे हैं। सुनिये।

श्री त्रिलोकचन्द जैन : राज्य सरकार इस ओर विशेष रूप से जागरूक है। यह प्रयत्न किया जायगा कि अधिक से अधिक संख्या में बालकों के लिये पलंग उपलब्ध कराये जायें। शिशु चिकित्सा चिकित्सा का एक अनन्य अंग है। इसी दृष्टि से छठी योजना के अन्तर्गत यह शामिल किया गया है कि राजस्थान के प्रत्येक जिले में बाल चिकित्सा की पूर्ण व्यवस्था उपलब्ध कराई जावे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार इस पर भी विचार कर सकती है कि जयपुर में एक अलग बाल चिकित्सालय स्थापित किया जाय। जे० के० वालों ने एक महिला अस्पताल 200 बेड्स का बना कर तैयार किया है जिसको अब राज्य सरकार द्वारा चलाने हेतु अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उनसे इस बारे में बातचीत चल रही है। अगर इजाजत दे देंगे, अपनी सहमति दे देंगे तो उस अस्पताल को बाल चिकित्सालय में परिवर्तित किया जाएगा और जो इस समय अव्यवस्था है वह दूर की जा सकेगी। मैं यू० आई० टी० चैयरमेन, श्री गिरधारी लाल जी से भी निवेदन

(श्री त्रिलोकचन्द जैन)

करूंगा कि जब इस अस्पताल को बाल चिकित्सालय में बदलते हैं तो हमें महिला चिकित्सालय के लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप हमारी मदद करें। आपकी मदद से महिला चिकित्सालय व बाल चिकित्सालय दोनों की व्यवस्था हो जाएगी।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ठीक है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मंत्री महोदय ने जो आश्वासन दिया है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देती हूं लेकिन मैं चाहती हूं कि आप आज ही घोषणा कर दें कि बाल चिकित्सालय खोल दिया जाएगा तो क्या आपत्ति है?

(व्यवधान)

श्री मनोहर सिंह मेहता : आधे घंटे की चर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष : इससे पहले कि दूसरी चर्चा आरंभ की जाय, श्री भैरवलाल अपनी याचिका प्रस्तुत करेंगे।

कई माननीय सदस्य : वह नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क, आप प्रतिवेदनों का उपस्थापन करें।

समिति का प्रतिवेदन
राजकीय उपक्रम समिति का तृतीय व चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री हरजीराम बुरड़क : मैं राजकीय उपक्रम समिति के वर्ष 1978-79 के दो निम्नांकित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :

(1) राजस्थान वित्त निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किए गए ऋणों एवं उनकी वसूली से संबंधित राजकीय उपक्रम समिति का तृतीय प्रतिवेदन, एवं

(2) राजस्थान स्टेट टैनरीज लिमिटेड से संबंधित प्रथम प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही से संबंधित समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अगर आप इजाजत दें तो चिकित्सा मंत्री बोलने के लिए खड़े हैं।

विधायी कार्य

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

श्री भंवर लाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार राजस्थान विश्वविद्यालय प्राध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक पारित किया गया था और संशोधन के साथ राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया गया था। लेकिन उन्होंने कुछ आपत्तियों के साथ वापस भेज दिया, उसके लिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि . .

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर पुनर्विचार

श्री परसराम मदेरणा : आन ए पाइंट आफ आर्डर। मुझे कुछ निवेदन करना है।

जिस बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उस प्रस्ताव के विरोध में मेरा पाइंट आफ

(श्री परसराम मदेरणा)

आर्डर है । रूल्स आफ प्रोसीजर के रूल 66 की ओर में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । किसी बिल को इन्ट्रोड्यूज करने के बाद प्रभारी मंत्री के सामने तीन आप्शन्स हैं . . .

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री सूर्यनारायण चौधरी (संसदीय कार्य मंत्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन की बैठक का समय आधे घंटे के लिय बढ़ा दिया जाय ।

(स्वीकृत)

बैठक का समय आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया ।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर पुनर्विचार

श्री परसराम मदेरणा : "When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely :—

(a) that it be taken into consideration, or

(b) that it be referred to a Select Committee of the House; or

(c) that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon."

यह बिल सदन में जब इण्ट्रोड्यूस हो गया उसके बाद प्रभारी मंत्री, जो शिक्षा मंत्री हैं, ने इस बिल को नियम 66 (ए) के अन्तर्गत कन्सीडरेशन में लेने का प्रस्ताव रखा । सदन ने उसको कन्सीडरेशन में ले लिया । उसके बाद इस बिल पर सदन के अंदर चर्चा हो गई, बिल पास हो गया । उसके बाद में रूल 93 के अन्तर्गत अध्यक्ष महोदय या उनकी जयपुर से अनुपस्थिति में आपको अधिकार है कि आप उस बिल को ओथेंटिकेट करेंगे । आपने ओथेंटिकेट कर दिया । उसके बाद रूल 93 के तहत राज्यपाल को भेज दिया । राज्यपाल के पास प्रजेंट होने के बाद में उन्होंने असेंट न देकर रूल 94 के तहत रीकन्सीडरेशन के लिए स्पेसिफिकली इस सदन को भेजा है । इसलिए इस पर रीकन्सीडरेशन यह सदन ही कर सकता है । प्रभारी मंत्री ने उस समय नियम 66 (बी) का इस्तेमाल न करके 66 (ए) का इस्तेमाल किया, उसको कन्सीडरेशन में लेने का प्रस्ताव रखा, कन्सीडर हो गया, बिल पास हो गया, ओथेंटिकेट हो गया, राज्यपाल के पास प्रस्तुत हो गया, वापस आ गया । उसके बाद नियम 94 स्पष्ट है, वह कहता है :

"When a Bill, which has been passed by the House is returned by the Governor for re-consideration, the point or points referred for reconsideration or the amendments recommended shall be put before the House by the Speaker, and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendment to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most convenient for their consideration by the House."

(श्री परसराम मदेरणा)

उन्होंने सदन के सामने नहीं रख कर, राज्यपाल का संदेश पढ़कर सुनाया। राज्यपाल के संदेश पर मैंने एतराज किया। हम सोचते थे कि सदन इसको रीकन्सीडर करेगा। यह पहला मौका है कि इस बिल को रीकन्सीडर नहीं किया जा रहा है। सरकार सदन से रीकन्सीडर नहीं कराना चाहती है। क्या राज्यपाल सोचते थे कि वाइस-चान्सलर की प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। यह वाइस-चांसलर की प्रतिष्ठा नहीं। नियम 94 के तहत राज्यपाल का वापस किया हुआ बिल सदन ही रीकन्सीडर कर सकता है, प्रवर समिति में कन्सीडर नहीं हो सकता। कलेक्टिव विस्डम इस सदन में है। पुनर्विचार करने की बात जो राज्यपाल ने कही है तो सदन रीकन्सीडर करे। राज्यपाल की रीकमण्डेशन्स न मानने काबिल है तो मंत्री को दुबारा आप्शन नहीं है। आज स्थिति यह हो गई है . . . .

श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर : इसमें लिखा है "or in such other way as the Speaker may consider most convenient."

श्री परसराम मदेरणा : मैंने देख लिया। बिल कन्सीडरेशन के अन्दर आ गया। मैंने संदेश देख लिया।

श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर : ......"or in such other way as the Speaker may consider most convenient......."

This includes its reference to the Select Committee also.

श्री उपाध्यक्ष : उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस हाउस को इस बिल को री-कन्सीडर करना चाहिए जो कि राज्यपाल महोदय द्वारा रिटर्न किया गया है। सलेक्ट कमेटी के सामने कोई मुद्दा नहीं है जिसके ऊपर कि विचार किया जाय। गवर्नर महोदय ने दो कारण दिये हैं वह ठीक हैं या नहीं, इस पर यह सदन विचार कर सकता है। इसलिए मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि यह बिल प्रभारी मंत्री जी सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के लिये जो प्रस्ताव लाये हैं वह रूल से कवर नहीं हो रहा है। इस हाउस में कन्सीडर करना चाहिए। वरना गवर्नर की गरिमा घटेगी। उसकी प्रतिष्ठा आप गिराने जा रहे हैं। गवर्नर द्वारा रिटर्न किये हुए बिल की पोजीशन यह हुई है कि 14 तारीख को वह लैप्स हो गया। यह टीचर्स की तकदीर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। 42 दिन की हाउस की सिटिंग है, 4 अक्टूबर को हाउस शुरू हुआ और कल उसको 42 दिन पूरे हो गए हैं। 42 दिन के अन्दर पास नहीं होता है बिल तो वह लैप्स हो गया। क्रिमिनल प्रासीजर का बिल भी आपने लैप्स कराया और अब यह लैप्स कराया है। इसलिए सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजकर, इसको यहां हाउस में ही कन्सीडर किया जाये।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, जो आपत्ति माननीय परसराम जी मदेरणा ने उठाई है मैं उसका समर्थन कर रहा हूं। श्री ईश्वरचन्द्र जी ने रूल 94 का हवाला दिया और बताया कि इसमें यह लिखा हुआ है : "या किसी ऐसी अन्य रीति से, जिसे अध्यक्ष सदन द्वारा उन पर विचार किये जाने के लिये, अत्यन्त सुविधाजनक समझें"। यह 94 का क्लाज, जो कि अपने नियमों में है, वास्तव में रिलेवेन्ट है। लेकिन सदन ने उस पर विचार कर लिया। लास्ट टाइम भी सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव लाये थे

(श्री शंकरलाल)

और आब्जेक्शन उठा था कि जो राज्यपाल महोदय द्वारा आपत्तियां उठाई गयी हैं और जिन रीजन्स के साथ बिल लौटाया गया है उसकी प्रति माननीय सदस्यों को भेजी जायं। तब अध्यक्ष महोदय ने इस क्लाज के ऊपर विचार किया और कहा कि इसकी प्रतियां माननीय सदस्यों को दे दी जायं। जो राज्यपाल महोदय ने आपत्तियां उठाई और यहां भेजीं उसकी सारी प्रतियां माननीय सदस्यों को मिल चुकी हैं। इसलिए अब सलेक्ट कमेटी को सौंपने में कोई तुक ही नहीं है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अध्यक्ष महोदय ने सलेक्ट कमेटी के प्रस्ताव को नहीं माना, सदन ने इस बात का निर्णय लिया और आपत्तियां माननीय सदस्यों को सरक्यूलेट हो गयीं तो उसके बाद माननीय सदस्यों की क्या राय है, राज्यपाल महोदय ने जिन आपत्तियों के साथ लौटाया उनके बारे में माननीय सदस्यों की क्या राय है, अब तो इस पर विचार करना है। अब वापस सलेक्ट कमेटी में देने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि आप अध्यक्ष महोदय की रूलिंग की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए जो माननीय परसराम जी मदेरणा ने आपत्ति उठाई है वह बिलकुल ठीक है। माननीय सदस्यों के पास सरक्यूलेशन में जो आपत्तियां आ गयी हैं, उनको देखते हुए सदन में ही विचार किया जाना चाहिए, यही उपयुक्त होगा और नियमों के अनुकूल होगा। सलेक्ट कमेटी को सौंपना नियमों के प्रतिकूल होगा और सदन ने जो पूर्व में निर्णय लिया है और अध्यक्ष महोदय ने रूलिंग दी है उसके भी प्रतिकूल होगा। इसलिए इस आपत्ति को मंजूर करके, इसको सलेक्ट कमेटी को नहीं सौंप कर, सदन में ही विचार करने का निर्णय करे यह सदन।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल ऐरन।

श्री भंवरलाल ऐरन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय परसराम जी मदेरणा ने जो आपत्ति उठाई है मेरे ख्याल से वह आपत्ति बिलकुल निर्मूल है। शायद उन्होंने रूल 94 को सही तौर पर नहीं पढ़ा है। रूल 94 में दो आल्टरनेटिव दिये हुए हैं। पहला आल्टरनेटिव यह है कि हाउस के सामने रिकन्सीडरेशन के लिए रखा जाये, और दूसरा आल्टरनेटिव यह है कि अध्यक्ष महोदय किसी भी अन्य रीति से जो भी वह अत्यन्त सुविधाजनक समझे। मैं आपकी अनुमति से इसको पढ़ रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मेरा देखा हुआ है।

श्री भंवरलाल ऐरन : इसलिए मेरी यह मान्यता है कि जो भी आपत्ति उठाई गयी है वह निर्मूल है और निरस्त की जानी चाहिए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल 94 की स्प्रिट से यह स्पष्ट है कि जिस तरह से बिल कन्सीडर किये जाते हैं उसी तरह से यह भी रीकन्सीडर किया जायेगा या फिर हाउस में उस तरह से विचार किया जायेगा जो कि स्पीकर महोदय कन्सीडर करें। तो स्पीकर महोदय चाहें तो रूल 94 के प्रासीजर को न अपना कर दूसरा कोई रास्ता सजेस्ट कर सकते हैं लेकिन उस पर विचार तो हाउस में ही होगा, न कि सलेक्ट कमेटी में। मेरा इतना ही कहना है कि जो परसराम जी ने कहा है वह बिलकुल सही कहा है। किसी भी कमेटी को इसे रेफर नहीं करके, इस आगस्ट बाडी में ही विचार किया जाना चाहिए।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उपाध्यक्ष महोदय, उस समय भी ऐसा ही मामला आया था। ऐसे मामले रेयर ही आते हैं। जब गवर्नर महोदय ने एक्ट को हाउस में प्रस्तुत करने के लिए भेज दिया है तो रूल 94 ही एप्लाई होगा। उसमें दूसरा है as the Speaker may 'consider' यह तो गवर्नमेंट के देखने की चीज है। मिनिस्टर ने तो सलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव हाउस के समक्ष अपने हिसाब से प्रस्तुत कर दिया है लेकिन वह रूल 94 में कवर नहीं होता है। आप ही इसके बारे में जो भी निर्णय देना चाहते हैं, जो भी प्रासीजर अडाप्ट करना चाहते हैं, यह आपके ही अधिकार की बात है। यह सलेक्ट कमेटी में जा चुका है और जाने के बाद पास हो गया है। गवर्नर की जो रिकमण्डेशन हैं वह हाउस के समक्ष है और स्पीकर महोदय ही डिसीजन ले सकते हैं।

श्री शंकरलाल : स्पीकर महोदय ने डिसीजन दे दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत कानूनी मुद्दे उठाये गये हैं। रूल 94 और 66 का हवाला दिया गया है। रूल 94 यह कहता है : "When a Bill which has been passed by the House is returned by the Governor for re-consideration, the point or points referred for re-consideration or the amendments recommended shall be put before the House by the Speaker, and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendment to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most convenient for their consideration by the House."

तो यह रीकन्सीडरेशन के लिये आया है। यह हाउस के सामने आ गया। अब यहां रूल 66 एप्लाई करेगा तो "When a Bill is introduced, or on some subsequent occasion, the member-in-charge may make one of the following motions in regard to his Bill, namely:-

Now this is subsequent occasion, that it should be considered or sent to the Select Committee. इसलिये इसको सलेक्ट कमेटी को भेजने में आपत्ति की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि सलेक्ट कमेटी में जाने के बाद फिर हाउस में आयेगा, फिर हाउस पास करेगा। इसलिये मेरे विचार में कोई अनियमितता नहीं है...

श्री परसराम मदेरणा : यह रूल 66 (ए) की स्टेज बता रहे हैं। रूल 68 (ए) की स्टेज कन्सीडरेशन की है, पास की नहीं है यह पास्ड बाई दी हाउस है।

श्री उपाध्यक्ष : रूल 66 ही बताया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : रूल 94 क्लियर है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : It should be considered by the House before it is sent to the Select Committee.

श्री भंवरलाल शर्मा : रूल 68 के लिये मैंने कहा ही नहीं है। 66 कहा है। उसका सब रूल (2) कहा है।

Page No 118

(118)

श्री परसराम मदेरणा : 66 (ए) या 66 (2)?

श्री भंवरलाल शर्मा : 66 (2) सब्सीक्वेंट ओकेजन है।

श्री परसराम मदेरणा : Rule 94 is very clear.

"When a Bill which has been passed by the House is returned by the Governor for reconsideration ..."

श्री भंवरलाल शर्मा : सब्सीक्वेंट एक्शन और पढ़िये।

श्री परसराम मदेरणा : कन्सीडरेशन के बाद पास हो गया। ओथेंटिकेट हो गया। गवर्नर ने 94 के तहत रिटर्न कर दिया। अब हाउस री-कन्सीडर करे। यह री-कन्सीडर करने का जो प्रोसीजर है यह इसी हाउस के अन्दर हो सकता है। दूसरा कोई प्रोसीजर हो उसको अडाप्ट करें तो हाउस कैसे कन्सीडर करेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यों ने जो विचार प्रकट किये हैं, मैंने ध्यानपूर्वक सुने हैं। मैं इस मत का हूं कि रूल 94 में स्पीकर के सम्मुख दो आल्टरनेटिव हैं। एक तो स्पीकर इस बात को तय करे कि हाउस उसको इस तरह डिस्कस करे जिस तरह से किसी बिल को अमेंडमेंट के रूप में कन्सीडर किया जाता है Rule is very clear. 94. says :

"When a Bill which has been passed by the House is returned by the Governor for re-consideration, the point or points referred for re-consideration or the amendments recommended shall be put before the House by the Speaker, and shall be discussed and voted upon in the same manner as amendment to a Bill or in such other way as the Speaker may consider most convenient for their consideration by the House."

श्री शंकरलाल : वह स्पीकर साहब ने कर दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : मैं स्वयं आसन पर था।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में जो माननीय सदस्यों ने एतराज उठाया था कि राज्यपाल महोदय ने जो सिफारिश की उससे माननीय सदस्य अवगत नहीं हुए थे और मैंने व्यवस्था दी थी, जैसे कि इन्ट्रोडक्शन में लिया गया है उसके अनुसार माननीय सदस्यों को उस सिफारिश की जानकारी होनी चाहिये जो बिल को रिटर्न करते वक्त दी है। उस वक्त कहा था कि राज्यपाल महोदय की सिफारिश सभी माननीय सदस्यों को अवगत करा दी जायेगी। शायद उसकी पालना भी हो गई है। बिल किस प्रकार से कन्सीडर किया जायगा उसके बारे में मैंने निश्चित अभिव्यक्ति नहीं दी थी। वह मैं आज देना चाहूंगा।

मैं यह मानता हूं कि जो बिल का अमेंडमेंट है उसमें अगर सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन किया जाता है तो

(श्री उपाध्यक्ष)
सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन एक-अमेंडमेंट का मोशन है । माननीय मंत्री महोदय यह एक तरह का मोशन प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाये । मैं यह मानता हूं कि इस बिल को ठीक तरह से कन्सीडर करने के लिये अगर माननीय मंत्री महोदय यह महसूस करते हैं कि इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाये तो मैं समझता हूं कि रूल 94 का उल्लंघन नहीं होता है । मेरे अधिकार में है और हाउस के अधिकार में है । मैं यह हाउस के अधिकार पर छोड़ता हूं इस मोशन को किस प्रकार से पारित करना चाहता है ।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत लौटाये गये राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978, खण्ड 8 पर विचार करने हेतु प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में पेश करे ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मंत्री महोदय का अमेंडमेंट अभी सर्क्यूलेट हुआ है ।

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले आ चुका है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उस दिन जो आपकी व्यवस्था थी, वह की वह स्टेज आज है । यह कल सर्क्यूलेट कर सकते थे, कार्य सूची में दे सकते थे । . . .

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मिनिस्टर इन्चार्ज अगर अमेंडमेंट लाना चाहते हैं तो समय की सीमा नहीं है । आसन का डिस्क्रीशन है कि परमिशन दे । मैंने परमिशन देने की अनुमति दे दी है । आप एतराज करना चाहते हैं तो एतराज कर सकते हैं । मंत्री महोदय, संक्षेप में टिप्पणी कर सकते हैं कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजने की क्यों आवश्यकता महसूस हुई ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसे पूरी तरह विचार करके पास किया गया है । राज्यपाल महोदय ने जो टिप्पणी दी है, उस पर गम्भीरता से विचार हो जाये, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । सदन का समय इतना अधिक नहीं है । सलेक्ट कमेटी में अपने ही सदस्य रहेंगे । पूरा चिन्तन होकर दुबारा अपने सामने आ जायेगा तो अच्छी बात रहेगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव रखा है, हाउस के कन्सीडरेशन के लिये, इसके संबंध में मेरा निवेदन है कि आपने यही कहा था सारे बिल के ऊपर चिन्तन करने के लिये । राज्यपाल महोदय ने जो सिफारिस दी है ...

श्री उपाध्यक्ष : रीकन्सीडर कर सकते हैं ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : और भी कोई सजेशन कर सकते हैं क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : सलेक्ट कमेटी का जो स्कोप होता है उसके अनुसार ही बिल पर विचार होगा ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : लिमिटेड स्कोप है।

श्री उपाध्यक्ष : लिमिटेड स्कोप है तो लिमिटेड होगा। पूरे बिल को एक्जामिन कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई: माननीय मंत्री महोदय ने केवल एक धारा के लिये कहा है। उसी को एक्जामिन करने के लिये कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : इस बिल पर इस हाउस ने विचार किया और पास किया। जो पास हो गया, उसको फिर रेफर नहीं कर रहे हैं। जिस बिन्दू पर गवर्नर साहब ने अपना सन्देश भेजा है केवल उसके लिये सलेक्ट कमेटी को रेफर करना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसमें सलेक्ट कमेटी क्या करेगी। जो आपने व्यवस्था दी है यह ठीक हो सकती है, लेकिन माननीय मन्त्री महोदय कह रहे है कि उसी बिन्दू पर विचार करे वह बिन्दू तो सामने है। हाउस उस पर विचार कर ले।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : लगता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय अपने मस्तिष्क में स्पष्ट नहीं हैं। ये भी धूल में लट्ठ मार रहे हैं. . .

(व्यवधान)

उप-कुलपति की प्रतिष्ठा के लिये सर्वोच्च हाउस के द्वारा पास किये हुए बिल को राज्यपाल महोदय ने लौटाया है तो एक तरफ तो सर्वोच्च हाउस के अधिकारों का प्रश्न है और दूसरी तरफ उप-कुलपति को प्रतिष्ठा का सवाल है। मेरा राज्यपाल के बारे में इतना निवेदन है कि उनको इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। राजस्थान विधान सभा ने जो पास किया है, उसको राज्यपाल महोदय के द्वारा लौटाये जाने का सवाल नहीं होता है। राज्यपाल महोदय किसी बिल को तभी लौटा सकते हैं जब किसी आर्टिकल के विपरीत हो या कोई कार्य ऐसा हो जो स्टेट सूची में नहीं आता हो, अन्यथा राज्यपाल महोदय को यह कतई अधिकार नहीं है कि इस बिल पर स्वीकृति रोकें। किसी अधिकारी का अधिकार कम हो रहा है और किसी के ज्यादा हो रहे हैं, इससे उनका ताल्लुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : रूल 67 का पार्ट (3) है। प्रोविजो यह दिया हुआ है कि सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय। प्रोविजो है, पढ़ना नहीं चाहूंगा। उसी तरफ ध्यान दिलाते हुए यह सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जा रहा है। यह सब इसमें दिया हुआ है।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसी बिन्दू पर विचार न करें, तब तो ठीक है। लेकिन मन्त्री महोदय कहते हैं कि एक ही क्लाज पर विचार करने के लिये रेफर करना चाहते हैं यह उचित नहीं है। हाउस ने इस बिल को पास किया है तो वापस हाउस ही इस क्लाज को पास करे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रघुनाथ विश्नोई जी ने जो पाइन्ट उठाया है वह ठीक है। गवर्नर साहब ने किसी कान्स्टीट्यूशनल पाइन्ट पर इसे रिटर्न नहीं किया है। यह नीति का सवाल है और एक प्रिंसिपल का सवाल है. . . .

(व्यवधान)

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

श्रीमन्, मेरा सबमिशन है राज्यपाल महोदय किसी कान्स्टीट्यूशनल पाइन्ट पर रिटर्न करते तो ठीक था। यह बिल हाउस के द्वारा पास किया हुआ है। कोई रूल्स का वायोलेशन होता या राज्य की सूची में न होता तब तो उनका लौटाना ठीक था। वाइस चान्सलर के अधिकार कम है या ज्यादा, इस पर विचार करने का राज्यपाल महोदय को कोई अधिकार नहीं है। यह पालिसी मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह चर्चा इस स्टेज पर उचित नहीं है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : इस बिल को सलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय, मैं इसके विरोध में हूं। प्रवर समिति को सौंपने का कोई कारण नहीं है, यह मेरा कहने का अधिकार है। अगर राज्यपाल महोदय ने कान्स्टीट्यूशनल पाइन्ट पर राय दी होती और रिटर्न किया होता तब तो ठीक था। इस हाउस को अधिकार है किसी बिल को पास करने या न करने का। राज्यपाल महोदय को इस पर विचार करने का अधिकार नहीं है कि वाइस चान्सलर के अधिकार कम होने चाहिये या ज्यादा होने चाहिये। इसलिये इसे सलेक्ट कमेटी को रेफर नहीं करना चाहिये। यह पालिसी मैटर है।

श्री उपाध्यक्ष : कान्स्टीट्यूशन का जिस तरह प्रपोजीशन कर रहे हैं, . . .

(व्यवधान)

श्री एच. एन. शर्मा : माननीय सदस्य धूल में लट्ठ चला रहे हैं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरी बदकिस्मती है कि जनता पार्टी में ऐसे विधायक आ गये हैं जिनको कानून का ज्ञान नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर . . .

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : जनता पार्टी की बदौलत जीत कर आये हैं। किसी और की बदौलत जीत कर नहीं आये है। . . .

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के समय में वृद्धि

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि हाउस का समय साढ़े पांच बजे तक के लिये बढ़ाया गया था अतः मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने सम्बन्धी चर्चा समाप्त न हो जाये तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की सम्मति है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने सम्बन्धी चर्चा समाप्त होने तक समय बढ़ा दिया जाय ?

(स्वीकृत)

सदन का समय राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को सुपुर्द करने सम्बन्धी चर्चा समाप्त होने तक के लिये बढ़ाया गया।

Page No 122

(122)

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी आधे घंटे की चर्चा के लिये समय देने को कहा था। मेरा निवेदन है, उसको क्यों छोड़ा जाय।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार : यातायात मंत्री को यहां से भिजवा दिया है ताकि इस पर चर्चा ही न हो।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थायी प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्यपाल महोदय ने संदेश में लिखा है और वे चान्सलर की हैसियत से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस अपील समिति का प्रावधान किये जाने से विश्वविद्यालय के परिप्रेक्ष्य में न केवल कुलपति की प्रतिष्ठा एवं व्यक्तित्व में कमी करना होगा वरन इस प्रावधान से उनमें निहित विश्वास पर संदेह प्रकट करना होगा। इस तरह वाइस चान्सलर की प्रतिष्ठा पर आघात लगेगा। उन्होंने यह संदेश चान्सलर की हैसियत से दिया है। नीति संबंधी निर्णय करने का अधिकार मंत्रिमण्डल को है। मंत्रिमण्डल की दी हुई राय को राज्यपाल महोदय को मानना पड़ेगा। मंत्रिमण्डल की राय नहीं मान कर उन्होंने इस बिल की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की है।

श्री ईश्वर चन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, आप इनको गलत बात कहने की क्यों इजाजत दे रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : आर्टिकल 200 में कोई प्रोवीजन नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं पूरा पैरा पढ़ कर सुना देता हूं—कुलाधिपति की हैसियत से मेरी यह मान्यता है कि कुलपति से वरिष्ठ एवं अधिक योग्यता वाले शिक्षाविद् का अपील समिति का सदस्य बनाने के लिये चयन करना भी बहुत कठिन होगा . . .

(व्यवधान)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्यपाल महोदय कुलाधिपति की हैसियत से विचार कर रहे हैं। उस हैसियत से मामला निपटाया है। चान्सलर की हैसियत से विचार किया है। चाहे स्वयं राज्यपाल महोदय ने किया हो लेकिन आर्टिकल 200 के तहत उसे नहीं माना जा सकता है। उस पर स्वीकृति नहीं देकर राज्यपाल महोदय अपने अधिकारों को खतम कर रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्षजी, यह सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का जो प्रस्ताव रखा है कि सलेक्ट कमेटी में इस पर विचार कर, यह क्यों रखा है? मामला बहुत सिम्पल है। राज्यपाल महोदय यह महसूस करते हैं कि अपील समिति बनाई जायेगी, उस कमेटी से वाइस चान्सलर की तौहीन होगी। वे समझते हैं कि यह वाइस चान्सलर की प्रतिष्ठा के खिलाफ होगा। रोज हम देखते हैं कि वाइस चान्सलर जो कुछ काम करते हैं सिन्डीकेट उसको उलटा कर सकती है तो उससे प्रतिष्ठा नहीं जाती है क्या? अगर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस किसी मामले में अकेला कोई फैसला देता है, फिर उसी मामले में यदि हाई कोर्ट के 3-4 जजेज बैठते हैं और कोई दूसरा फैसला दे देते हैं तो क्या उनकी प्रतिष्ठा गिरती है? यह गवर्नर की प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। हम सलेक्ट

(श्री मथुरादास माथुर)

कमेटी में करेंगे क्या ? उन्होंने डेफीनेट अपील की, अब उस पर हम क्या फैसला करेंगे ? सरकार को फैसला करना है। सरकार ने बिल बनाया है, सरकार ने अपील का प्रोवीजन रखा है या नहीं, यह वह देखे। हम सलेक्ट कमेटी में क्या करेंगे ? मेरी समझ में नहीं आता कि हम वहां पर बैठ कर एग्जामिन क्या करेंगे ? कोई फैक्ट्स की बात हो तो एग्जामिन करें। अगर सरकार गवर्नर साहब को राजी रखना चाहती है, चांसलर की बात रखना चाहती है तो वह उसको मान ले। अगर नहीं मानना चाहती है तो रिजेक्ट कर दे। जो आदमी स्क्रीनिंग कमेटी में सलेक्ट नहीं हुआ, वह अपील में जाना चाहता है तो गवर्नमेन्ट रेमेडी दे। गवर्नमेंट क्या करना चाहती है ? या तो गवर्नर की एडवाइस को माने या उसको रद्द करे। अगर आप इसको मानना चाहते हैं, कमेटी को चैंज करना चाहते हैं तो वह करें। फैसला तो आपको करना है। दो लाइन का अमेंडमेंट लाकर उसे पास कर दो। सलेक्ट कमेटी में हम क्या करेंगे। अगर गवर्नमेंट इस खामी को इवेड करना चाहती है, गवर्नर की बात नहीं मानना चाहती है तो इसको रिजेक्ट कर दो। हम बिल पास करते हैं। हमने तो पहले ही अमेण्डेड बिल पास कर दिया है।

व्यवस्था का प्रश्न

राज्यपाल द्वारा लौटाये गये विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव रखने का अधिकार

श्री मूलचन्द डागा : श्रीमान्, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह था कि हमने जो बिल पारित किया था, एज अमेन्डेड बिल पास किया था और जिस अमेण्डेड बिल को आपने गवर्नर के पास असेंट के लिए पेश किया था वह amended Bill as passed by the House is not before me.

श्री उपाध्यक्ष : यह पाइन्ट आफ आर्डर आपने बहुत लेट स्टेज पर उठाया है। मैंने अमेंडेड बिल मूव करने की इजाजत दे दी है।

श्री मूलचन्द डागा : लेकिन मेरे सामने एज अमेंडेड बिल नहीं है। It should have been sent to us.

श्री उपाध्यक्ष : I have already allowed it.

श्री मूलचन्द डागा : But I haven't the Bill before me as passed by the House. मेरे सामने बिल ही नहीं है। किसको कर रहे हैं सलेक्ट कमेटी को रेफर।

श्री उपाध्यक्ष : बिल हाउस के सामने है।

श्री मूलचन्द डागा : एज अमेंडेड नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जो बिल राज्यपाल महोदय द्वारा लौटाया गया है वह हाउस के सामने है।

श्री मथुरादास माथुर : सर्क्युलेट नहीं हुआ है। बिल की कापी हमारे सामने नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : बिल, जो कि एज अमेण्डेड बाई दी हाउस है, की कापी हमारे सामने नहीं। मेरे सामने वह बिल नहीं है जो आपने गवर्नर के पास भेजा था। मैं फिर अर्ज करना चाहता हूं कि जो अमेंडेड

(श्री मूलचन्द डागा)
बिल है, जो आप आज सदन के सामने लाये हैं उसके अन्दर रूल 71 में मैं फिर अमेण्डमेन्ट दे सकता हूं। रूल 71 में मुझे पावर है। मैंने तो आज उस अमेण्डेड बिल को देखा ही नहीं इसलिये I can't move the amendment.

श्री परसराम मदेरणा : Rule 93 is also very clear.

"*Authentication of Bill.*—When a Bill is passed by the House and is in possession of the House, the Bill shall be signed in duplicate by the Speaker and presented to the Governor." दो कापी रहती हैं। एक गवर्नर के पास भेजते हैं और एक स्पीकर के पास रहती है।

श्री मूलचन्द डागा : फिर उसमें कैसे अमेंडमेंट दे सकता हूं। I don't want that it should be sent to the Select Committee. I want that it should be circulated.

श्री ईश्वरचन्द्र : रूल 71 में क्लियर है......

श्री मूलचन्द डागा : आप चुप कर जाओ। हमें मालूम है कि आप नवनीतजी का पोर्टफोलियो खोस लोगे। मुझे मालूम हो गया है आपका सितारा चमकने वाला है....

(व्यवधान)

श्री गुलमोहम्मद : आप ऐसी बात कह कर माननीय सदस्य को चुप करना चाहते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे रूल 71 में जो अमेण्डमेन्ट देना है वह मैं कहां से दूंगा। जो मुझे अमेण्डमेन्ट देना है वह दे नहीं सकता। तो जो मेरे को पावर है उससे डेप्राइव करके तीन बजे यह प्रस्ताव रख देते हैं कि हम सलेक्ट कमेटी में इस बिल को ले जाना चाहते हैं Still I have a right to move an amendment in the amendment. अगर आप अमेंडेड बिल ला रहे हैं तो उस पर भी मैं अमेंडमेंट दे सकता हूं। यह मुझे पावर है। आप मुझे मेरी पावर से डेप्राइव करना चाहते हैं। आपने सात आदमियों को निकाल दिया आर्डिनेंस के जरिये उसको अपील करेंगे। उस पर बहस कर लीजिए, दस बजे तक बैठ जाइये, उस बिल को लाइए।

श्री खेतसिंह राठौड : शिक्षा मंत्रीजी, आप क्लाज 8 को पास करेंगे या को एक्ट है उसको पास करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : आज हाउस को एडजोर्न करिये। सारी गवर्नमेंट मौजूद है, आप अपनी पार्टी में विचार कर लीजिए। जनता पार्टी की छवि तो वैसे ही बिगड़ रही है और बिगड़ जायेगी।

(व्यवधान)

श्री एच.एन. शर्मा : आपका सितारा तो पहले ही डूब चुका है।

श्री भंवरलाल ऐरन : डागाजी की छवि तो पहले ही बिगड़ रही है। अब वे बूढ़े हो गए हैं इसलिए बात समझ में नहीं आती।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह बुढ़ापे की बात नहीं है। यह रूल 71 में....

श्री ईश्वरचन्द्र : रूल 72 (6) में यह दिया हुआ है:

"अध्यक्ष ऐसे संशोधन को प्रस्थापित करने से इन्कार कर सकेगा जो उसकी राय में तुच्छ या अर्थहीन हो।" इसलिए आपकी यह बात बिल्कुल तुच्छ और अर्थहीन है।

श्री कौशलकिशोर जैन : आपकी बात बिल्कुल अर्थहीन है।

श्री परसराम मदेरणा : हम आपके आभारी हैं, आसन के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि हमारा ध्यान रूल 67 की ओर आकर्षित किया और व्यवस्था दी कि अमेंडमेंट पेश करना चाहें तो कर सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सलेक्ट कमेटी को रेफर करने के प्रस्ताव के लिए जो आपने अपना डिस्क्रिशन एक्सर्साइज करके अनुमति दी। अब सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन ला रहे हैं। यह अमेंडमेंट लाया गया है इसको स्टडी करने का हमको समय नहीं मिला। हमारे सामने वह बिल भी नहीं है। जैसा अभी पाली से आने वाले माननीय सदस्य फर्मा रहे थे, अमेंडेड बिल हमारे सामने नहीं है। जो बिल गवर्नर को रेफर किया गया असेंट के लिए वह हमारे सामने नहीं आया है। रूल 67 के अन्दर यह प्राविजो दिया गया है कि मेम्बर चाहे तो ऐसा प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन सलेक्ट कमेटी को यह इन्सट्रक्शन दे कि पर्टीक्यूलर प्रोविजन या पर्टीक्यूलर इश्यू पर विचार किया जावे। बिल जो लौटाया गया है उसमें स्पेसिफिक इन्क्वायरी की है स्पेसिफिक इन्क्वायरी के साथ चांसलर ने बिल को वापस लौटा दिया है। अब आप वाउण्ड डाउन करना चाहते हैं। गवर्नर ने संदेश भेजा है कि क्लाज 8 को अमेंड किया जावे और आप सारे एक्ट को रेफर कर रहे हैं सलेक्ट कमेटी को, तो कौन से एक्ट को रेफर कर रहे हैं। एक्ट तो एक ही है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट बहुत बड़ा है। यह तो अभी तक बिल ही है। मिनिस्टर खद क्लियर नहीं हैं। प्रभारी मंत्री कन्फ्यूज्ड हैं वह क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। इसको लेप्स करा देंगे, तो यह तो इनकी मर्जी की बात है। गवर्नर ने अपनी पावर को एक्सर्साइज करते हुए अपनी असेंट को रोक दिया। आज जब कि हाउस एडजोर्न हो रहा है, आधा घण्टे पहले एक मोशन लाकर हाउस में पेश कर दिया कि इसको सलेक्ट कमेटी को निर्दिष्ट कर दिया जाय। मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि मझे विरोधियों की अक्ल पर तरस आता है परन्तु जो स्थिति आज सामने आई है उससे तो मुझे पूरी ट्रेजरी बैंचेज की अक्ल पर तरस आ रहा है। आपने गवर्नर की रिकमण्डेशन को नहीं माना। आप कह रहे हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट सलेक्ट कमेटी को रेफर कर रहे हैं। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी एक्ट रेफर कर रहे हैं या इस बिल को रेफर कर रहे हैं। किस पर सलेक्ट कमेटी में विचार करना चाहते हैं। यही नहीं गवर्नर के संदेश पर सरकार का कोई मन्तव्य नहीं है, सरकार की अपनी कोई ओपिनियन नहीं है, सरकार का कोई विचार नहीं है। फिर मैं निवेदन करूंगा; उपाध्यक्ष महोदय, आप अपना डिस्क्रिशन यूज करें, आपको अपना डिस्क्रिशन यूज करने का अधिकार है और डिस्क्रिशन एक्सर्साइज करने के बाद जो व्यवस्था अ

(श्री परसराम मदेरणा)
देते है वह भी हमको शिरोधार्य है। क्लाज 8 में अमेंडमेंट करने के लिये गवर्नर महोदय ने संदेश भेजा है। तो जो ओरिजिनल बिल पास हुआ उसकी कापी हमारे सामने नहीं है। बिना सैक्शन 8 में प्रोपर अमेंडमेंट लाये यह एक कागज सर्क्यूलेट कर दिया पांच या छः बजे। इसको सर्क्यूलेट करने के बाद कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने और पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अबरप्टली इस हाउस के अन्दर बिना पहले क्लाज 8 के अन्दर अमेंडमेंट किए यह मोशन कैसे ले आए। पहले अपना अमेंडमेंट हाउस के माननीय सदस्यों को सर्क्यूलेट कीजिये, फिर उस पर विचार कीजिए ताकि हम भी सदन में तैयार होकर आयें। पहले जब बिल आया था तब हम तैयार होकर आए, उसके अन्दर अमेंडमेंट लाए और अमेंडमेंट ला करके एज अमेंडेड बिल पास किया। गवर्नर ने उस बिल को वापस लौटा दिया। पिछले छब्बीस, साढ़े छब्बीस साल के राजस्थान के लेजिस्लेटिव इतिहास में यह पहला अवसर है कि जब इस प्रकार का तमाचा गवर्नर ने रखा है सरकार के गाल पर। तमाचा खाने के बाद भी सरकार अपनी राय नहीं बना सकी, अपना मंतव्य निर्धारित नहीं कर सकी, अपनी ओपिनियन फार्म नहीं कर सकी और यहां पर अबरप्टली कह दिया कि सलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जावे। किसको रेफर करना चाहते हैं? गवर्नर ने जो राय दी है, उसके अनुसार क्लाज 8 डिलीट हो या नहीं, इस पर आपका कोई विचार नहीं है। बाकी यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग कमेटी के बाद जो अपीलेट कमेटी है वह हो या नहीं हो, यह पोइन्ट सलेक्ट कमेटी को रेफर हो रहा है या पूरा बिल रेफर हो रहा? जब आपने रेफर करने का कारण पूछा तो मंत्रीजी लचर जवाब देकर बैठ गये। इसलिये रूल 67 में जो प्रोविजन है उसके अनुसार आप सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव रख रहे हैं तो हमको भी अमेंडमेंट रखने का राइट है, अदरवाइज अमेंडमेण्ट देने का अधिकार है। इसलिये गवर्नमेंट की इन लीपापोती की बातों को, अस्पष्ट प्रस्ताव को मानने में असमर्थ हैं। जब आप सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव कर रहे हैं तो हमें पावर है कि हम पब्लिक ओपिनियन के लिये इसे सर्क्यूलेट करने का या और किसी तरह का प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : 67 (बी) में अमेंडमेंट मैं मूव करूंगा। मेरे को अधिकार है अमेंडमेंट मूव करने का। उसके बाद फिर डिस्कशन होगा। I have every right to move an amendment under rule 67 (b).

श्री माणकचन्द सुराणा (योजना मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सदस्य माननीय श्री परसराम जी मदेरणा ने अभी खास तौर से....

एक माननीय सदस्य : डागा साहब का भी नाम लो।

श्री मथुरादास माथुर : नाम की जरूरत नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : क्या आप शिक्षा मंत्री की जगह बोल रहे हैं? क्या आप पार्लियामेंट्री अफेअर्स के मिनिस्टर हैं।

श्री माणकचन्द सुराणा : माथुर साहब आपके नजदीक जरूर बैठे हैं परन्तु समझा नहीं रहे हैं।

Page No 127

(127)

श्री मथुरादास माथुर : जनता पार्टी में भेज दूंगा ।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय मंत्रीजी ने जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव पेश किया है, वह प्रस्ताव स्पष्ट है, राजस्थान विश्वविद्यालय (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 जिस तरह से....

श्री शंकरलाल : डागाजी को जनता पार्टी में भेज रहे हैं। डागा जी, इसका आपने प्रतिवाद नहीं किया है । यह बात आपकी अंकित हो गई है ।

श्री माणकचन्द सुराणा : हम इतनी जल्दबाजी में लेने वाले नहीं हैं ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आपके कई इधर आयेंगे ।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुद्दा साफ है । आपने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, राजस्थान विश्वविद्यालय (अस्थायी अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 जिस तरह से सदन में पास किया है, वह पूरा का पूरा प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है । इस पर माननीय मदेरणाजी ने पूछा कि क्या पूरा का पूरा विश्वविद्यालय का एक्ट प्रवर समिति के सुपुर्द किया जा रहा है ? यह कोई प्रश्न नहीं है । राज्यपाल महोदय ने जो अपनी राय रेफर की है उस पूरी राय पर यह सदन विचार कर सकता है। जिस प्रश्न पर सदन विचार कर सकता है वह रूल 66 में साफ है कि किसी भी सब्सीक्यूएन्ट स्टेज पर सदन प्रस्ताव करने में सक्षम है कि वह उस पर विचार करे या सलेक्ट कमेटी को रेफर करे । सलेक्ट कमेटी हाउस की कमेटी है। सलेक्ट कमेटी में विचार होने के बाद उस की राय के साथ सदन बिल पर विचार करे। आप कृपया रूल 66 का मुलाहिजा कर लें । माननीय सदस्य इन्ट्रोडक्शन की बात कह रहे हैं। इन्ट्रोडक्शन के बाद आन सब्सीक्यूएंट आकेजन ...

श्री परसराम मदेरणा : It is not like that.

श्री माणकचन्द सुराणा : यह आपका व्यू है। विधेयक का इन्ट्रोडक्शन हो तब या उसके बाद में प्रस्ताव होगा। रूल 66 में अधिकार है प्रवर समिति को सुपुर्द करने का। प्रवर समिति को किसी भी स्टेज पर सुपुर्द किया जा सकता है ।

श्री शंकरलाल : Subsequent stage is before passing the Bill.

श्री माणकचन्द सुराणा : Rule 94: "Reconsideration of the Bills returned by the Governor." यह बिल पास हो गया। राज्यपाल महोदय के सिगनेचर के बाद यह बिल एक्ट बन जाता परन्तु राज्यपाल महोदय ने इसको पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब मुद्दा यह है कि राज्यपाल महोदय की राय के साथ इस पर सीधी चर्चा करें या उनकी राय पर प्रवर समिति के अन्दर चर्चा करें ...

श्री शंकरलाल : जिस मुद्दे पर राय दी है उस पर चर्चा करें या दूसरे जो हमने पास कर दिए हैं उन पर भी ...

श्री माणकचन्द सुराणा : उन्होंने जो

(श्री माणकचन्द सुराणा)
असेंट रिफ्यूज की है यह करने का उनका डिस्क्रिशन है लेकिन इस हाउस को...

श्री शंकरलाल : और पाइन्ट पर भी विचार होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : इसके खंड 8 पर विचार होगा ।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, आप ठीक कह रहे हैं ।

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो राजस्थान विश्वविद्यालय (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक है, इसकी धारा 8 में अपील का प्रावधान रखा है। अपील का प्रावधान संशोधित रूप में जिस तरह से सदन ने पास किया है वह है । अपील का प्रावधान है और राज्यपाल महोदय की राय है। इन दोनों बातों पर प्रवर समिति में विचार करने के लिए यह उसके सुपुर्द किया जा रहा है। प्रवर समिति की रिपोर्ट पर सदन विचार करेगा। इसमें मैं समझता हूं कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है । सदन की अनुमति हो तो इसको सदन प्रवर समिति के सुपुर्द कर सकता है । राज्यपाल महोदय की राय के सम्बन्ध में मैं बड़े अदब के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सदन राज्यपाल महोदय की राय को बड़ा वजन देता है लेकिन इस सदन को यह अधिकार है कि वह किसी स्टेज पर राज्यपाल महोदय की राय से इत्तफाक करे या न करे। सदन को यह जो अधिकार है यह सुरक्षित है । यह हमारे लिए कोई पाबन्दी नहीं है कि उनकी राय से इस क्लाज को डिलीट कर दें। यह जो आपका भ्रम है....

श्री मूलचन्द डागा : कहीं कोई भ्रम नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : भ्रम में नहीं हूं तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री शंकरलाल : जनता पार्टी में भ्रम है।

श्री मूलचन्द डागा : आपकी केबिनेट समय पर निर्णय नहीं कर पायी और अचानक यह ले आई। 6 दिन तक सोते रहे....

श्री माणकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाए।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यह राज्यपाल महोदय का सन्देश नहीं हैं। उन्होंने तो यह कहा है कि कुलपति की हैसियत से मेरे ये विचार हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके हर पाइन्ट का मंत्री महोदय उत्तर दें, यह आवश्यक नहीं है।

श्री माणकचन्द सुराणा : चांसलर की हैसियत से उन्होंने जो अनुभव किया है, वह उन्होंने राज्यपाल के सन्देश के रूप में भेजा है । इसको इनकारपोरेट कर दें । उन्होंने राज्यपाल के अधिकार का प्रयोग कर के इस सदन को दुबारा, पुर्नविचार करने के लिए यह भेजा है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राज्यपाल की हैसियत से विचार के लिए नहीं भेजा है। इस कारण से यह राज्यपाल का सन्देश नहीं है। यह तो चांसलर की राय है। मेरे विचार से चांसलर की राय राज्यपाल को यह अधिकार नहीं देती है । इसलिए यह आर्टिकल 200 का सन्देश नहीं है। हम किस प्रकार से इसको मानें ।

श्री माणकचन्द सुराणा : हैसियत है या नहीं, यह परिस्यिति नहीं है। मैं यह निवेदन करूंगा ..

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनका कानूनी मुद्दा है ।

श्री माणकचन्द सुराणा : हम दोनों बीकानेर के हैं ।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो मुद्दा राज्यपाल महोदय ने इस सदन को राय भेज कर उठाया है, मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा कि युनिवर्सिटी एक्ट में इस बात का प्रावधान है कि वाइस चांसलर की राय के के ऊपर चांसलर एक कमेटी विठा सकता है। इस तरह का कानून स्टेट्यू वर्तमान में मौजूद है। इस संशोधन द्वारा राज्य सरकार ने यही इनकोरपोरेट किया है जिन अध्यापकों का आमेलन नहीं हुआ है, सब्सटेंटिव अपाइन्टमेंट नहीं हुआ है उनके लिए चांसलर महोदय एक कमेटी का गठन करें। यह मूल मुद्दा है। यही धारा 8 में संशोधन के जरिए लाए हैं उन अध्यापकों को परमानेन्ट करने की दृष्टि से जिनको 8, 10, 12 साल नौकरी करते हुए हो गये हैं ....

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल अभी नहीं है ।

श्री माणकचन्द सुराणा : राज्य सरकार ने जो संशोधन रखा है उसकी यह साफ मंशा है कि जिनका सब्सटेन्टिव अपाइन्टमेंट नहीं हुआ है उन व्यक्तियों के मामले पर दुबारा विचार करने के लिये चांसलर महोदय एक कमेटी का गठन करें। यह धारा 8 की मंशा है। इसमें मेरा यह निवेदन है कि इस मुद्दे पर ज्यादा विचार हो सके इसलिये इसको प्रवर समिति को सुपुर्द करने का जो प्रस्ताव रखा गया है, उपाध्यक्ष महोदय, उसको स्वीकार किया जाये। पूरा विधेयक क्लॉज 8 का है ।

श्री मूलचन्द डागा : यह कहां है? यह नया कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री माणकचन्द सुराणा : यह सारा धारा 8 से संबंधित है ।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : धारा 8...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मदेरणाजी, डागाजी, कृपया विराजें ।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैंने पढ़ लिया है। क्लाज 8 है ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह विधेयक प्रवर समिति को जाएगा –

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा: आपके एडवोकेट ने क्या कहा है –

(व्यवधान)

उससे आप हमें अवगत कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, कृपया विराजें ।

श्री परसराम मदेरणा : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, डागाजी और हमारे सभी नये आने वाले माननीय सदस्यों ने डाउट एक्सप्रेस किया है। क्लाज 8 में स्क्रीनिंग कमेटी का प्रावधान किया गया है जो आर्डिनेंस

(श्री परसराम मदेरणा)

का है, मैं माननीय मंत्री महोदय के विचार सुन कर हतप्रभ हो गया। एक तरफ तो प्रभारी मंत्री और सरकार के व्यू हैं और दूसरी तरफ आयोजना मंत्री के हैं। जिस दिन संशोधित क्लाज 8 आया था उस दिन, योजना मंत्री-जी, आप नहीं थे।

श्री माणकचन्द सुराणा : मैं था और पूरी डिबेट में भाग लिया था।

श्री परसराम मदेरणा : आप योजना मंत्री नहीं, सदन के डिप्टी लीडर थे। सदन को आश्वासन देने की कोशिश की थी कि हम संशोधन ला रहे हैं। आप संशोधन ला रहे हैं या समस्या खड़ी कर रहे हैं। उस दिन आप डिप्टी लीडर थे और आज योजना मंत्री हैं। इस हिसाब से आपने यह बात स्पष्ट कर दी, आपने यह बात स्पष्ट तौर पर कह दी। ट्रेजरी बैंच के रेस्पांसिबल मिनिस्टर हैं आप। इसलिये मैं मानता हूं यह गवर्नमेंट का आथोरिटेटिव व्यू है। क्लाज 8 के ऊपर विचार नहीं होना चाहिये, तो फिर यह सदन में क्या प्रस्ताव रखने जा रहे हैं। गर्दन हिला रहे हैं शिक्षा मंत्रीजी, आप समझ नहीं सकते।

श्री मदनसिंह दांता : शिक्षा दी जा रही है।

श्री परसराम मदेरणा : शिक्षा देने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं क्लाज 8 पर विचार करने के लिये प्रस्ताव रखा है या पूरे बिल पर? गवर्नमेंट का क्या व्यू है? हम इन्कार करते हैं कि इसको सलेक्ट कमेटी का सौंपा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : डागाजी ने आपत्ति उठाई थी उसके बारे में मेरी व्यवस्था है कि जहां तक सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार हैं उनको अमेण्डमेंट मूव करने का अधिकार होना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं कि सलेक्ट कमेटी को रेफर करने का मोशन आता है तो उसमें दो तरह के अमेण्डमेंट होते हैं, एक तो पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्यूलेट करने का और दूसरा हाउस में कंसीडर करने का। रूल 66 में गवर्नमेंट की ओर से मोशन प्रस्तुत किया गया है कि इसको सलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाय। इसलिये कोई सदस्य प्रस्ताव कर सकता है कि इसको पब्लिक ओपिनियन के लिये भेजा जाय या हाउस स्वयं कंसीडर करे। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसको स्वीकार किया जाय। मैं यह जरूर मानता हूं कि इस प्रकार का कोई मोशन प्रस्तुत होता है तो अजेण्डा में उसका जिक्र होना चाहिये जिससे माननीय सदस्यों को जानकारी मिले और वे विचार करें कि उनको क्या व्यू बनाना है। मैं इस बारें में यह जरूर मानता हूं कि शिक्षा मंत्री महोदय ने बहुत जल्दी में मोशन प्रस्तुत कर दिया है। माननीय सदस्यों को पहले जानकारी नहीं दी। फिर भी रूल 285 की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। कोई इस संबंध में अमेन्डमेंट प्रस्तुत करें तो केवल दो ही अमेन्डमेंट प्रस्तुत कर सकते हैं या तो जनमत जानने के लिये सर्क्यूलेट किया जाय या हाउस में कन्सीडर किया जाय। ये दो मोशन हैं।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 पर सदन में विचार करने का प्रस्ताव

श्री मूलचन्द डागा : मेरा निवेदन है कि इसको विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : सलेक्ट कमेटी को न भेजा जाकर, सदन ही इस पर विचार करे।

श्री मदनसिंह दांता : यही मेरा विचार है Otherwise......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अमेण्डमेंट मोशन प्रस्तुत हुआ है। माननीय मंत्री महोदय, इसको स्वीकार करना चाहेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे निवेदन करूंगा, यह प्रस्ताव, जैसा मदेरणा साहब ने कहा, सलेक्ट कमेटी में इसको भेजने का रख रहे हैं तो पब्लिक ओपिनियन के लिये सर्क्यूलेट करने का अपोजिशन रखूंगा।

श्री मूलचन्द डागा : सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाय तो उसे भूला नहीं कहना चाहिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री) : माननीय डागाजी और सदस्यों ने जो अमेण्डमेंट दिया है इसको स्वीकार करने में मैं असमर्थ हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं अपना अमेण्डमेंट मूव करता हूं कि सलेक्ट कमेटी को यह न भेज करके सदन इस पर विचार करे और तर्क करे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जब आपने मोशन रखा, तब अपनी तरफ से डिबेट आरंभ नहीं की। इस समय माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया है।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मेरा अमेण्डमेंट है कि सदन इस पर विचार करे।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इस बारे में आप चाहें तो......

(व्यवधान)

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं भी प्रस्ताव रखता हूं...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मानता हूं कि यह मोशन किया उस वक्त आपको अधिकार था। आपने अधिकार वेव कर दिया। अब आपको यह अमेण्डमेन्ट रखने का अधिकार नहीं है कि चर्चा के लिये लिया जाय।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैंने अपने अधिकार को वेव नहीं किया। मैंने अपना प्रस्ताव दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा आरंभ करने के लिये मैं अनुमति नहीं दूंगा।

माननीय रघुनाथजी, माननीय सदस्यों को अमेंडमेंट रखने के लिए कहा गया था, तो केवल दो या तीन ही माननीय सदस्यों ने इसमें अमेंडमेंट रखे हैं, बाकी किसी ने अमेंडमेंट नहीं रखे। उनके द्वारा मूव करने के बाद ही मंत्री महोदय उनका उत्तर देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नहीं किये तो क्या हुआ, बोल तो सकते हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : इस पर तो बोल सकते हैं कि सलेक्ट कमेटी को नहीं भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जो व्यवस्था दे रहा हूं उसमें किसी तरह से विघ्न नहीं डाला जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हम अपने विचार तो रख सकते हैं कि इसको सलेक्ट कमेटी में नहीं भेजा जाय ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : उपाध्यक्षजी, यह सदन पहले रात के बारह बारह बजे तक बैठा, तो आज भी बैठेगा .....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्योपतसिंहजी, मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय ने जो मोशन मूव किया है आप उस पर एतराज कर सकते हैं । आप संक्षेप में टिप्पणी करें और बतायें कि सलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजा जाय । उस पर एतराज संक्षेप में करना चाहें तो कर सकते हैं ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे अमेंडमेंट पर बोलने का मुझे दो मिनट का समय दें ।

श्री उपाध्यक्ष : आपके अमेंडमेंट पर बोलने का वक्त नहीं रहा । पहले मंत्री महोदय का जो मोशन है उस पर आपको एतराज है और कुछ कहना चाहें तो कहें । मैं नहीं कह सकता कि आपको अधिकार दूंगा या बोलने की अनुमति दूंगा या नहीं दूंगा ।

श्योपतसिंहजी, आप बोल लें दो तीन मिनट ।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने बिल पास करके भेजा और उसको चांसलर महोदय, जो राज्यपाल महोदय हैं, ने वापस किया । उसमें उन्होंने जो रीजनिंग दी.....

श्री गुल मोहम्मद : गवर्नर ने भेजा है । He has sent it back, not as a Chancellor.

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन्होंने भेजा वापस तो उन्होंने एक बात कही वापस भेजते हुए कि जो विश्वविद्यालय है वह आटोनोमस बाडी है । मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसके अधिकारों में यह दखल है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चांसलर महोदय युनिवर्सिटी के सारे कर्त्ता धर्ता हैं, सर्व सम्पन्न ताकत उनके पास है । स्क्रीनिंग कमेटी को जो अधिकार नहीं दिए गए उन अधिकारों का उपयोग स्क्रीनिंग कमेटी ने किया, जिन प्रोफेसर्स के इंटरव्यू नहीं होने चाहिए थे उनके इंटरव्यू स्क्रीनिंग कमेटी ने लिए । टीचर्स और प्रोफेसर्स को बुलाया इंटरव्यू के लिए । अगर वह कानून भंग करते हैं, कानून को तोड़ते हैं तो उस वक्त कहां गए थे चांसलर महोदय ? उन्होंने इस बात का पता नहीं रखा कि यह आटोनोमस बाडी, जिसके वे संरक्षक हैं, कानून का उल्लंघन कर रही है । अगर उस वक्त चांसलर महोदय को इस बात का अहसास होता तो यह सवाल आज पैदा नहीं होता । वे अपने आप स्क्रीनिंग कमेटी के फैसले के खिलाफ एक कमेटी बना देते । उन्होंने अपना काम नहीं किया, वह हमने किया । यह विधान सभा का काम नहीं है । हमारे सामने यह लाया गया तो हमने सलाह दी कि अनधिकार चेष्टा कर रहे हैं खुद ही । विश्वविद्यालय की स्क्रीनिंग कमेटी ने जो व्यवस्था दी उसको उन्होंने चैक नहीं किया और हमने कानून जो बनाया उसको वापस भेज दिया । इस बात को हम बरदाश्त नहीं करेंगे। हम कहते हैं।

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

कि स्क्रीनिंग कमेटी ने गलत काम किया तो इसके ऊपर आप एक कमेटी बनाते जो ये चीजें देखती । अभी विश्वविद्यालय में लॉ के एडमिशन के अन्दर एक कमेटी बनाई गई है । वह आपने बनाई है तो इसमें कौन सा गुनाह हमने कर दिया, विधान सभा ने । हमने वही बात दर्शायी है । वहां पर कानून का उल्लंघन हुआ है उसको ठीक करने के लिए हमने सही काम किया है ।

श्री **ईश्वरचन्द्र** : बड़े क्रांतिकारी विचार हैं ।

श्री **श्योपतसिंह मकासर** : क्रांतिकारी आप नहीं हैं । अगर होते तो इसको सलेक्ट कमेटी में न भेज कर आज ही पास करके नक्की करते ।

वह प्रोफेसर्स कहां जायेंगे ? 9 प्रोफेसर्स आज अधर में लटके हुए हैं । उनके जीवन मरण का सवाल है । जोधपुर में तो बिल्कुल निकाल दिया । उन्होंने कहा कि जयपुर में रखे हैं तो हमको भी रख लें । तो उन प्रोफेसरों को वाइस-चांसलर ने कहा कि मैं वह गलती नहीं करूंगा । उसके लिए मैं पाबन्द नहीं हूं ।

श्री **उपाध्यक्ष** : कृपया समाप्त करें ।

श्री **मदनसिंह दांता** : इस पर दो मिनट बोलता हूं ।

इनकी बात मान कर इसको सलेक्ट कमेटी में भेज दें तो सलेक्ट कमेटी रिपोर्ट देंगी, वह हाउस में आयेगी और फिर हाउस विचार करेगा तो आज भी हाउस फुल है । जब तक सलेक्ट कमेटी में होकर वापस बिल आयगा उस वक्त तक लीगल पोजीशन क्या होगी ? क्या वह लोग सर्विस में रहेंगे या नहीं रहेंगे ? अगर नहीं रहते हैं तो उनकी क्या पोजीशन होगी, जिनके प्रति आपकी हमदर्दी हैं ? Have you announced that they will be absorbed ? ये सारे मुद्दे हैं । इसको सलेक्ट कमेटी में भेज रहे हैं, उसके बाद कितने दिन में इसको वापस पेश कर रहे हैं, यह नहीं बताया । सबसे पहला लीगल पोइन्ट तो यह आता है जो सब महसूस करते हैं कि इस बीच में पोजीशन क्या रहेगी ? उनकी मदद करने वाला कोई नहीं रहेगा । आपकी पोजीशन तो साउण्ड है ।

श्री **मूलचन्द डागा** : मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है । पहला तो सवाल इसमें यह है कि जो मोशन आपके सामने लाया गया है इस मोशन में स्पेसिफिक डेट होनी चाहिये कि कौनसी तारीख तक रिपोर्ट दे देंगे । वह इसमें है नहीं । एक तो यह गड़बड़ है । कौनसा मोशन है यह जो लाया गया है; "circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon b[y] a date to be specified."

There must be a specified da[te] यह डेट कहां है ? मुझे मालूम होनी चा[हिये] कि यह कब वापस आएगा । यह कौनसा [...] है जिसके ऊपर सदन के सामने विचार [...] जा सकता है । मोशन के अन्दर स्पे[...] डेट होनी चाहिये । इस मोशन को [...] टोकरी में डालना चाहिए । यह [...] तारीफ में नहीं आता है ।

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री गुप्ता [...]

श्री **रामकृष्णदास गुप्ता** [...] उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभारी [...] दी बोलने की ।

(134)

श्री मूलचन्द डागा : मेरे पाइन्ट आफ आर्डर का उत्तर नहीं आया। पाइन्ट आफ आर्डर का उत्तर दें, शिक्षा मंत्रीजी।

श्री उपाध्यक्ष : वह आपके पाइन्ट आफ आर्डर का जवाब दें, तब तक माननीय गुप्ताजी दो मिनट में अपने विचार समाप्त कर लेंगे।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टेक्निकल त्रुटि के कारण मैं पहले अपने विचार नहीं रख सका, वह अब रखूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने संदेश के अन्दर...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय गुप्ताजी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने आर्गुमेन्ट्स को रिपीट नहीं करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : खण्ड 8 विलोपित करने के लिए लिखा है उसका एक ही कारण लिखा है।

"न केवल कुलपति की प्रतिष्ठा एवं ...त्तित्व में कमी करना होगा वरन इस ...धान से उनमें निहित विश्वास पर सन्देह ... करना होगा।"

...रा मंत्री महोदय से आग्रह है कि ...ति की नियुक्ति कौन करता है। राज्य ... सुझाव पर उप-कुलपति को नियुक्त ... जो उप-कुलपति को चयन करने का ...कते हैं तो निश्चित रूप से अपील ...लिए भी प्रावधान कर सकते हैं। ...तिष्ठा की दृष्टि ही अधिक है। ...ति के आदेश हैं, उनको सिंडीकेट ... अधिकार से निरस्त कर सकती ... सी० गुप्ता को निकाल दिया ...डीकेट ने उनको पुनः नियुक्त ... अगर सिन्डीकेट वी०सी० के खिलाफ रिमार्क कर सकती है तो क्यों नहीं अपील करने के लिए कमेटी नियुक्त की जाये। धारा 3 के अन्तर्गत वी० सी० के खिलाफ या अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच कमेटी बैठ सकती है। जांच के लिए धारा 10(2) के अन्तर्गत वी० सी० जांच कमेटी नियुक्त कर सकते हैं। उसके अंतर्गत अगर वी०सी० अपनी राय से कमेटी नियुक्त करते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि इससे राज्यपाल महोदय की यह ध्वनि कैसे निकलती है कि अपील का प्रावधान होने से कुलपति की भूमिका एवं प्रभाव में भी कमी आये बिना नहीं रहेगी। उसमें लिखा है "चयन प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय का जो स्वरूप निहित है, वह अन्तिम न रह कर, अपील के लिए खुला रह जायेगा। जिसका लाभ उठाकर अनुवीक्षण समिति द्वारा अस्वीकार किये गये व्यक्ति हाईकोर्ट अथवा अन्य न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर अपनी नियुक्ति को निरन्तर बनाये रखने का भरसक प्रयास करेंगे।"

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्रीमान्, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

"इसके अतिरिक्त भविष्य में होने वाली चयन प्रक्रिया के लिए भी निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों द्वारा अन्य 'अपील समिति' भी गठित किये जाने हेतु मांग उठाई जायेगी।"

श्रीमान्, जहां पेनल का प्रावीजन है, वहां अपील का प्रावधान है। हमारे राज्यपाल महोदय अपील के प्रावधान को गलत मानते हैं। वह कहते हैं कि अपील का प्रावधान रखने से लेक्चरार्स हाई कोर्ट में जा सकेंगे। वह यह कहते हैं कि वह हाई कोर्ट में नहीं जायें। न्याय प्राप्त नहीं करें। इसलिए अपील का प्रावधान नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ

(श्री रामकृष्णदास गुप्ता)

कि राजस्थान के महामहिम राज्यपाल हाई-कोर्ट की स्थापना के विरुद्ध हैं। हाई कोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हमारी पार्लियामेंट और विधान सभाओं द्वारा पास किये कानूनों को अल्ट्रावायर्स करार देने की पावर्स हाई कोर्ट को हमारे संविधान ने दी हैं। इन्दिरा गांधी का राज इसलिये ही समाप्त किया था कि उन्होंने जनतन्त्र के अधिकारों को खतम किया था। एक ओर वह अधिकार दे रहे हैं और दिये हैं, इसी के लिए जनता सरकार ने पहला अमेण्डमेंट पेश किया था, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पुन: अधिकार दिये हैं, दूसरी ओर महामहिम राज्यपाल महोदय यह कहते हैं। यह नेचुरल जस्टिस के विपरीत है। यह नेशनल भावना के विपरीत है। महामहिम राज्यपाल महोदय हाई कोर्ट को नहीं मानते हैं तो मैं यह मांग करता हूं, वह राज्यपाल रहने के लायक नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, राज्यपाल महोदय के बारे में कृपया ऐसी टिप्पणी नहीं करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अदालत से स्टे आर्डर आना महामहिम राज्यपाल गलत मानते हैं तो साधारण नागरिक और राज्यपाल में क्या अन्तर रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामकृष्णदास गुप्ता, राज्यपाल महोदय के बारे में इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं महामहिम कह रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : वह मैं जरूर कहूंगा . . .

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : अगर वह राज्यपाल नहीं होते तो ऐसा आदेश कभी नहीं देते। मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं।

(व्यवधान)

यह सदन महामहिम राज्यपाल को सम्मान देता है। लेकिन कुलपति को तनिक भी सम्मान नहीं देता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कई बार कह चुका हूं।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : जहां वाइस-चांसलर रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, हाई कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, यह हाई कोर्ट का अपमान है। यह आटोनोमस बाडी की मान्यता को भंग करना है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति के फैसले एक बार नहीं, दो बार निरस्त हुए हैं। रद्द किये गये गये हैं। मिसेज सिंघवी, एक महिला वहां लगातार कई वर्ष से काम करने वाली थीं। उस महिला को स्क्रीनिंग कमेटी ने रिजेक्ट कर दिया। जहां ऐसे राज्यपाल, ऐसे वी० सी० हों, वहां घोर अन्याय होगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री डागाजी ने जो पाइन्ट आफ आर्डर उठाया है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रस्ताव सदन

(श्री उपाध्यक्ष)

के सामने रखा है उसमें यह सुझाव दिया है कि सलेक्ट कमेटी अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं मेंशन की है, विदिन थ्री मन्थ्स सलेक्ट कमेटी अपना प्रतिवेदन रख सकती है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव रखा है इसका मैं विरोध करता हूं। कारण उसका यह है कि जब हम कोई संशोधन प्रस्ताव रखते हैं तो माननीय मंत्री महोदय खड़े होकर जवाब देते हैं कि प्रवर समिति में भेजने से उसका पर्पज डिफीट हो जायेगा......

श्री मदनसिंह दांता : अमेण्डमेंट मूव कब किया है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : वह करने जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बारे में और भी माननीय सदस्य बोले हैं। मैं भी यह आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्रीजी यह बता दें कि आपका मकसद है संशोधन पास कराने का? जब हमने कहा था कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय तब आपने इसका विरोध किया था। अब इसको गवर्नर महोदय ने वापस कर दिया तो आप सलेक्ट कमेटी में

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसको सलेक्ट कमेटी में भेजना चाहते हो। आपका मकसद है अस्थायी अध्यापकों के आमेलन का, आपका आर्डिनेन्स तो लेप्स हो गया है। इसलिये मैं यह आग्रह करता हूं कि इसको इस सदन में विचार करके आज ही पारित किया जाय। आज ही इस पर विचार होना चाहिए। गवर्नर महोदय ने इसको वापस कर दिया है। अब सलेक्ट कमेटी को आप रेफर कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा, हमारी आपसे अपील है और उधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की भी यही मंशा है कि टेम्प्रेरी लेक्चरार्स को रिलीफ देना चाहते हैं तो इसको आज ही पारित कराया जाय। फरवरी में इस पर विचार किया जायेगा तो तीन महीने के पीरियड में अध्यापकों का क्या होगा ? इसलिए राजस्थान और यूनिवर्सिटी दोनों का हित इसमें है कि इसको पारित कराया जाय और इसको प्रवर समिति को नहीं भेजा जाय।

श्री मथुरादास माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, सब्सटेन्टिव अपाइंटमेंट आपने स्क्रीनिंग कमेटी की रिकमण्डेशन पर कर डाले, अब आपका आर्डिनेन्स लेप्स हो गया और एक्ट नहीं बना तो विदाउट आथोरिटी आफ ला हो गया। आपने यह कहा कि टेम्प्रेरी लेक्चरार को स्क्रीनिंग करने के बाद क्लाज 5 के नीचे यह कहा गया कि सब्सटेन्टिव अपाइन्टमेंट हो जायेंगे अगस्त से पहले। यह कहा गया कि राजस्थान युनिवर्सिटीज टीचर्स (एब्जॉर्प्शन आफ टेम्प्रेरी लेक्चरार्स) अमेण्डमेंट बिल, 1978 के तहत सब्सटेन्टिव अपाइन्टमेंट माने जायेंगे। वह आपका एक्शन था आर्डिनेन्स के माध्यम से। अब 42 डेज निकल गये, बिल एक्ट नहीं बना इसलिए एक्शन विदाउट आथोरिटी आफ लॉ हो गया। इसलिए जितने भी सब्सटेन्टिव अपाइन्टमेंट किये गये हैं वे सब खतम हो गये। जिनके सब्सटेन्टिव अपाइन्टमेंट हो गये थे वह सब टेम्प्रेरी हो गये। अपाइन्टमेंट की

(श्री मथुरादास माथुर)
बात तो छोड़ दीजिये, सब टेम्प्रेरी हो गये उस बिल के तहत । आपने जो यह एक्सर्साइज सदन में हमसे करवाई, वह सब फ्यूटाइल हो गई । वह विदाउट एनी आथोरिटी है । अब आपने और पोस्ट क्रिएट कर ली । मेरा निवेदन है, गवर्नर महोदय की बात मान लें और प्रवर समिति को नहीं भेजें, क्योंकि वे सारे मारे-मारे फिरेंगे । इसलिये मेहरबानी करके इसको प्रवर समिति को मत भेजिये । वैसे आपको अधिकार है । ऐसे बीस-पच्चीस काम आप करो, हम तो यहीं चाहते हैं, लेकिन इसमें सदन की बदनामी भी होती है । गवर्नर महोदय ने बिल को वापस भेज दिया और अब आप इसको प्रवर समिति को भेज रहे हैं हम भी इसमें शामिल हैं क्योंकि असेम्बली में बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ।

श्री भंवरलाल शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है यह प्रवर समिति में अगर भेज दिया जाता है तो आर्डिनेन्स के अन्तर्गत जो काम किया गया है वह भी वैधानिक नहीं होगा ।

श्री मथुरादास माथुर : कौन कहता है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जो लीगल प्रोवीजन हैं कान्स्टीट्यूशनल, उन पर अपनी राय देते हैं तो कृपया सोच समझ कर दीजिये । इससे माननीय सदस्य मिसलीड होते हैं......

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : This is a reprimand from the Chair.

श्री भंवरलाल शर्मा : Yes, I own it.

मैंने जो कहा है वह लीगल एडवाइज कही जा सकती है ।

श्री मथुरादास माथुर : Advocate General should be called to the House.

श्री मूलचन्द डागा : We want to examine the Advocate General on this point.

हम चाहते हैं तो गवर्नमेण्ट एडवोकेट भी यहां आ सकते हैं और उनको एग्जामिन कर सकते हैं । हमें कोई परवाह नहीं है 12 बजे तक चले हाउस ।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा निवेदन है, इस हाउस में, इस समय जो विचार का बिन्दु है वह यह है कि इस बिल का जो सैक्शन 8 है उस पर विचार करने के लिये इसे प्रवर समिति में भेजा जाय या नहीं भेजा जाय ।

माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किया है, उसमें राज्यपाल महोदय ने जो कुछ कहा है उसको भी विचार का विषय बनाया है । अपन ने उसको मेरिट्स पर विचार के लिये नहीं रखा है, मेरिट्स पर बहस नहीं हो रही है । हम केवल सोच रहे हैं कि प्रवर समिति को विचार के लिए भेजा जाय या हम विचार करें....

श्री मूलचन्द डागा : उसका आधार यही होगा ।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए बहुत बड़ा स्कोप विचार के लिए नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री भंवरलाल शर्मा)
राज्यपाल ने जो बिल वापस किया है, जो अपना रिमार्क दिया है, उस पर चर्चा हो गई और एक माननीय सदस्य ने उसे फाड़ कर फैंक दिया। मेरा निवेदन है कि इस समय विषय यह है कि राज्यपाल महोदय ने जो रिमार्क दिया है उस पर सदन विचार करे या हम कमेटी बना कर विचार के लिए पेश करें। मैंने प्रस्ताव किया है कि सदन द्वारा विचार करने के स्थान पर इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय, डिटेल में वहां डिस्कशन्स होंगे। उसके बाद जब लौट कर आएगा तो जो बात आप रखना चाहते हैं उसके मेरिट्स पर उस समय रख सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : बीच में क्या होगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : भावुकता का प्रश्न नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : गवर्नमेन्ट का क्या दिमाग है ? वापस क्यों भेजा है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : पहले बता चुका हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप हमसे क्या चाहते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : जो राज्यपाल महोदय ने रिमार्क दिया है उस पर गंभीरता से विचार करने की मन्शा हमारी है। उसके लिए समिति गठित हो और वह विचार करके अपना प्रतिवेदन दे।

श्री मदनसिंह दांता : आपके लीगल हैड को बुला रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : उन व्यक्तियों की पोजीशन क्या रहेगी, जो टेम्प्रेरी लेक्चरार्स हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : एक तरफ स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग आर्डिनेन्स के जरिए हुई, वह आर्डिनेन्स आज नहीं है तो वैक्यूम क्रियेट हो गया। इसलिए जो एक्शन्स लिए गए, जो कार्यवाही आर्डिनेन्स के अन्तर्गत की गई वह बिल बन गया। अब बिल एज अमेन्डेड प्रवर समिति में जाएगा, इसलिए जिन टीचर्स को आप जस्टिस देना चाहते हैं, उनके साथ इनजस्टिस होगी।

दूसरी बात, वाइस चांसलर की प्रतिष्ठा और टीचर्स के साथ अन्याय, इन दोनों के बीच, डेविल एण्ड डीप सी के बीच सरकार मौन है। शिक्षा मंत्री स्थिति स्पष्ट कर दें। आप कोई बात नहीं कह रहे हैं। आपने खुद मोशन रखा है। जब गवर्नर महोदय ने केवल 8 पर पुनर्विचार करने के लिए वापस भेजा है, इसका मतलब है गवर्नर के सन्देश का हाउस विरोध करे या नहीं ? आप प्रवर समिति को भेजना चाहते हैं, इससे टीचर्स के साथ खिलवाड़ होगा। वाइस चांसलर ने आक्रोश में कार्यवाही कर दी, तो यह दलील शिक्षाविदों की है कि हाई कोर्ट के दरवाजे खुल जायेंगे। मुख्य मंत्री रोज कहते हैं कि हाई कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए थे। चीफ जस्टिस को वाइस चांसलर बना दिया तो वह चीफ जस्टिस नहीं रहा। उनको 62 साल की उम्र में वाइस चांसलर बना दिया। वह अब चीफ जस्टिस नहीं रहे। जो कुछ स्थिति सरकार ने सदन के सामने उत्पन्न कर दी है, वह दुखद है, शोचनीय है। इस सरकार का भगवान ही मालिक है।

विशेषाधिकार हनन प्रश्न पर व्यवस्था

राजस्थान पत्रिका के दिनांक 6 अक्टूबर, 1978 का सम्पादकीय

श्री उपाध्यक्ष : इससे पूर्व कि शिक्षा मन्त्री

(श्री उपाध्यक्ष)

के प्रस्ताव पर या डागाजी ने जो संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उस पर सदन की मैं सहमति लूं, मैं डागाजी के एक विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय ने जो व्यवस्था दी है, उसको सदन में रखने की आज्ञा चाहता हूं :

"मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा ने दिनांक 26-10-78 को एक विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना दी थी जिसका संबंध राजस्थान पत्रिका के दिनांक 6-10-78 के एक सम्पादकीय लेख से था।

माननीय अध्यक्ष ने इस प्रश्न पर विचार किया और इसे नियम 157 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं माना। अतः इसे सदन में रखने की अनुमति नहीं दी जाती है।"

अब जो प्रस्तुत चर्चा हुई है उसके आधार पर पहले डागाजी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा, उसे विचारार्थ लिया जाए। उस पर सदनकी सहमति लूंगा।

प्रश्न यह है कि श्री मूलचन्द डागा और अन्य सदस्यों द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 पर सदन में विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत संशोधन कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाए, स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई अध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 को प्रवर समिति को निर्विष्ट करने का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री ने प्रस्तुत विधेयक को प्रवर समिति को सुपुर्द करने हेतु जो प्रस्ताव रखा है..

श्री मदनसिंह दांता : अमेंडमेंट के साथ रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : शिक्षा मंत्री से मैं पूछना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव सदन के सामने आया है, वैसा ही प्रस्ताव सदन के समक्ष....

श्री भंवरलाल शर्मा : नामों सहित। मैं फिर पढ़ता हूं :

मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत लौटाया गया राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यापक (अस्थाई प्राध्यापकों का आमेलन) विधेयक, 1978 खंड 8 पर विचार हेतु एक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाए जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे।

सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं....

श्री परसराम मदेरणा : प्रस्ताव की प्रति नहीं दी गई है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसकी प्रति नहीं दी गई है। यह प्रस्ताव शिक्षा मंत्री ने सदन के समक्ष ही पढ़ा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : श्री महबूब अली।

श्री मथुरादास माथुर
सुश्री पुष्पा
श्री गंगाराम चौधरी
श्री रामनारायण चौधरी
श्री प्रद्युम्न सिंह
श्री जगदीश चंद्र शर्मा
श्री मदनसिंह दांता
श्री अयूब खां
श्रीमती श्यामा कुमारी
श्रीमती उजला अरोड़ा

श्री मदनसिंह दांता : Once I have opposed this thing. I will not sit in the Committee.

श्री मूलचन्द डागा : आपको पहले कन्सेन्ट लेनी चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं उनके स्थान पर दूसरा नाम प्रस्तावित करता हूं—श्री उगम राज मेहता।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न है कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी का प्रस्ताव स्वीकार किया जाये ?

(ध्वनि मतदान)

श्री मदनसिंह दांता : डिविजन हो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसको आवश्यक नहीं मानता। जो हां पक्ष में माननीय सदस्य हैं वह बहुमत में हैं।

श्री मथुरादास माथुर : We have got a right to claim division and get it on record.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माथुर साहब नियमों में इस प्रकार का भी प्रावधान है कि विरोधी पक्ष के द्वारा डिविजन की मांग करने पर भी अगर अध्यक्ष उचित समझते हैं कि डिविजन आवश्यक नहीं है तो वह उसको रूल आउट कर सकते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सत्ता पक्ष के लोग हमारे साथ आयेंगे अगर आप डिविजन करायेंगे तो।

(व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : आपका डिस्क्रिशन है लेकिन डिविजन भी क्लेम कर सकते हैं हम। हमारा राइट है।

कुछ माननीय सदस्य : डिविजन करा लो।

श्री कौशलकिशोर जैन : एक बार डिविजन भी कराके देख लो, इनकी भी इच्छा पूरी हो जायेगी।

श्री मूलचन्द डागा : रूल 286 (सी) है। हम चाहते हैं कि डिविजन रेकार्ड किया जाये।

(व्यवधान)

श्री कौशलकिशोर जैन : आप नहीं जीतोगे।

श्री मूलचन्द डागा : हम तो आपको जगाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को अधिकार है डिविजन क्लेम करने का। मैं यह आवश्यक समझूं कि बिना डिविजन कराये ही बहुमत का पता लग सकता है तो ऐसा कर सकता हूं। अब मैं हां पक्ष और ना पक्ष को खड़ा होने के लिए कहूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : इसके लिए पहले घंटी तो बजाइये।

श्री उपाध्यक्ष : आवश्यक नहीं है घंटी बजाना।

(मत गणना उपरांत)

मैंने सदस्यों की गिनती कर ली है हां पक्ष के माननीय सदस्यों का बहुमत है।

Page No 141

(141)

श्री मदनसिंह दांता : कितने हैं जब आपने गिनती कर ली है तो ?

श्री उपाध्यक्ष : मुझे बताना आवश्यक नहीं है कि कितनी गिनती है । बहुमत हां पक्ष का है ।

(स्वीकृत)

विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया ।

अब क्योंकि आज की कार्यवाही समाप्त हो गयी है अतः सदन की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.45 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित की गई ।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न सख्या 394 की सूची)

सिंधी रीडर (अरेबिक) कक्षा 5

वितरण केन्द्र का काम	प्राप्ति तिथि	संख्या
जयपुर	12-1-76	1000
सीकर	19-1-76	200
जोधपुर	19-1-76	400
बांसवाड़ा	19-1-76	200
उदयपुर	22-1-76	200
सवाई माधोपुर	22-1-76	200
सिरोही	24-1-76	200
चूरू (सरदार शहर)	21-1-76	200
अजमेर	16-1-76	800
पोकरण	22-1-76	200
भरतपुर	27-1-76	200
कोटा	21-1-76	200
अलवर	23-1-76	200
भीलवाड़ा	21-1-76	200
नागौर	29-1-76	200
पाली	27-2-76	160
श्री गंगानगर	12-2-76	200
धौलपुर	17-1-76	200
बीकानेर	31-1-76	200

सिंधी रीडर (अरेबिक) कक्षा 3

16-10-78 को निम्न डिपो पर भेजने के लिये वितरण आदेश दे दिये गये हैं—

वितरण केन्द्र का नाम	संख्या
अजमेर	2500
बाड़मेर	500
बीकानेर	500
उदयपुर	750
जोधपुर	750

ह0

सचिव,
राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल,
जयपुर।

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूची)

आपातकाल में जिन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुईं उनकी सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी व पद	शिकायत का विषय	शिकायत का परिणाम
1	2	3	4
1.	श्री महेन्द्र सुराणा, आर. ए. एस.	सोजत सिटी में मकान तुड़वाने के संबंध में	इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है।
2.	श्री राधेश्याम दायमा, जिला रसद अधिकारी, टोंक।	रिश्वत व परिवार नियोजन विषयक ज्यादती	इस सम्बन्ध में जांच करने पर आरोप साबित नहीं हुए।
3.	श्री डो. के. मिश्रा, शिक्षा अधिकारी, भरतपुर	जबरन सेवा निवृत्ति	इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
4.	श्री आर. एन. चौधरी, भू. पू. निदेशक, कालेज शिक्षा।	स्थानान्तरण के सम्बन्ध में ज्यादतियां	इस सम्बन्ध में जांच करने पर आरोप साबित नहीं हुए।
5.	तत्कालीन प्रधानाध्यापक, रा. मा. वि., कुम्भवास।	जबरन त्याग-पत्र लिखवाने बाबत	,,
6.	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, झुंझुनूं	,,	,,
7.	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर	नसबन्दी के मामले में ज्यादतियां	,,
8.	तत्कालीन उप-निदेशक, शिक्षा, उदयपुर	स्थानान्तरण द्वारा परेशानी	,,
9.	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, उदयपुर	परिवार नियोजन, स्थानान्तरण एवं निलम्बन संबंधी ज्यादतियां।	इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
10.	तत्कालीन प्रधानाध्यापक, पूनम निवास, गांधी चौक, फुलेरा।	जबरन कार्य मुक्त एवं स्थानान्तरण	इस सम्बन्ध में जांच करने पर आरोप साबित नहीं हुए।
11.	तत्कालीन प्रधानाध्यापक, भासलपुर	नसबन्दी के मामले में ज्यादतियां	इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।

1	2	3	4
12.	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर	नसबन्दी के मामले में ज्यादतियां	इस संबंध में जांच करने पर आरोप साबित नहीं हुए।
13.	जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा	स्थानान्तरण में ज्यादतियां	,, ,, ,,
14.	संयुक्त निदेशक प्रा. एवं मा. शिक्षा, जयपुर	,, ,,	,, ,, ,,
15.	तत्कालीन उप-निदेशक, महिला, जोधपुर	जबरन सेवा मुक्त करने सम्बन्धी	इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
16.	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, चूरू	नसबन्दी एवं स्थानान्तरण	,, ,, ,,
17.	तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी, बाड़मेर	निलम्बन सम्बन्धी ज्यादतियां	इस सम्बन्ध में जांच करने पर आरोप सिद्ध नहीं हुए।
18.	डा. दलपतसिंह हरकावल, कृत्रिम गर्भाधान प्रसार अधिकारी, कांकरोली।	पत्नी के अधूरा बच्चा होने पर भी अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया।	,, ,, ,,
19.	श्री एस. एम. तंवर, तत्कालीन परियोजना अधिकारी, जालोर।	जबरन नसबन्दी करने बाबत	इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
20.	तत्कालीन परियोजना अधिकारी, भू-जल विभाग, जालोर	,,	,, ,, ,,
21.	तत्कालीन सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग, जालोर।	,,	,, ,, ,,
22.	तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, भू-जल विभाग, उदयपुर।	पक्षपात तथा अत्याचार	,, ,, ,,
23.	तत्कालीन सहायक अभियन्ता, भू-जल विभाग, उदयपुर।	,,	,, ,, ,,
24.	श्री मोहनसिंह पारीक, पुलिस अधीक्षक, सीकर	फर्जी कार्यवाही करने के संबंध में	,, ,, ,,
25.	श्री ओ. पी. सक्सेना, पुलिस अधीक्षक, पाली	मीसा एवं डी. आई. आर. के अन्तर्गत गिरफ्तार कर तंग करने के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में जांच करने पर आरोप साबित नहीं हुए।
26.	श्री एल. पी. एस. राठौड़, जयपुर	जनता को अनावश्यक रूप से तंग करने के संबंध में	,, ,, ,,

27. श्री सीताराम, खान व्यवस्थापक, डेयरी	विभाग के कर्मचारियों के अनावश्यक रूप से तंग करने के सम्बन्ध में।	इस सम्बन्ध में जांच करने पर आरोप साबित नही हुए ।
28. श्री एच. सी. भण्डारी, परीक्षक, निधि अंकेक्षण विभाग, जयपुर ।	नसबन्दी के लिए बाध्य करना।	,,
29. श्री के. डी. भार्गव, भूतपूर्व निदेशक, बीमा विभाग ।	राजस्थान सेवा नियम के नियम 244 (2) के अन्तर्गत सेवा नियुक्ति करने के संबंध में,	इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है ।
30. श्री आई. एस. कावडिया, भू. पू. जिलाधीश, कोटा ।	यू. आई. टी. फण्ड का दुरुपयोग । लेबर व मेटीरियल को निजी कार्य में लाना ।	इस संबंध में जांच करने पर आरोप सिद्ध नहीं हुए ।
31. श्री डी. पी. एन. सिंह, रेन्ज कार्यालय, उदयपुर	नसबन्दी के लिए बाध्य करना	,,
32. श्री आनन्द प्रसाद, एस. डी. ओ., पाली	गरीब मजदूरों व किसानों को बेघर किया व परेशान किया ।	,,
33. श्री मन्नालाल गोयल, भूतपूर्व जिलाधीश, बीकानेर ।	गरीब जनता को तंग करना व पद का दुरुपयोग	इस संबंध में जांच करने पर आरोप साबित नहीं हुए ।
34. श्री गजेन्द्र हल्दिया, एस. डी. ओ., रायसिंहनगर	जबरन नसबन्दी और मण्डी विजयनगर में जनता को तंग करना।	,,
35. श्री भवानी शंकर, एस. डी. एम., नैनवा	जमाखोरों को बढ़ावा देना, लेवी में उल्टे-सीधे कार्य करना ।	इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
36. श्री आर. पी. निडर, उप-जिलाधीश, टोंक	भूमि आवंटन में गलत कार्य करना	,,
37. श्री नाथा राम शर्मा, एस. डी. ओ., खेतड़ी	रात के समय हथकड़ी डाल कर थाने में ले जाना व परेशान करना।	,,
38. श्री वी. एस. परमार, प्रिंसिपल, आई. टी. आई. जयपुर ।	राज्य सरकार के धन को स्वयं के उपयोग में लेना	,,
39. श्री आई. एस. अग्रे, अतिरिक्त निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान ।	नर्सों के साथ अभद्र व्यवहार करना व फर्जी सर्टिफिकेट देना।	,,

Page No 146

146

1	2	3	4
40.	श्री पुखराज, एस. डी. ओ., जोधपुर	नाजायज भूमि हड़पना	इस सम्बन्ध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
41.	श्री शरद कुमार, लहरी, एस. डी. ओ., धोलपुर	जनता के साथ न्याय न करना, रिश्वत लेना, कार्यालय समय पर न आना व भूमि आवंटन में अनियमितता करना।	,,
42.	श्री सी. डी. देवल, एस. डी. ओ., पाली	फर्जी व्यक्तियों के नाम पर जमीन हड़पना	,,
43.	श्री भरत कुमार परमार, एस. डी. ओ., बाली	पटवारियों से रिश्वत लेकर नियुक्ति करना	इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
44.	श्री पी. सी. सिंघवी, सिटी मजिस्ट्रेट, बीकानेर	बिना नोटिस दिये सैकड़ों हरिजनों को हटाना, सीमेंट ब्लैक किया, च. श्रे. कर्मचारियों से घर का कार्य लिया, नियुक्ति में रिश्वत।	,,
45.	तत्कालीन विद्युत निरीक्षक, जयपुर	तानाशाही एवं धांधलीबाजी कर गलत नियुक्तियां	जांच करने पर आरोप साबित नहीं हुए।
46.	श्री हर्ष नारायण शर्मा, एस. डी. ओ., रामगंजमण्डी	बिना सूचना 50 हजार की लागत के मकान तुड़वाना।	इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
47.	श्री किरण बाबू माथुर, निदेशक, रोजगार कार्यालय, जयपुर।	रिश्वत लेकर कर्मचारियों को स्थायी करना व नाजायज स्थानान्तरण करना।	,,
48.	श्री बहुतराम यादव, एस. डी. ओ., सीकर	रिश्वत लेकर पासपोर्ट बनाना व मुकदमे व जमीन कुड़क करने में रिश्वत लेना।	जांच करने पर आरोप साबित नहीं हुए।
49.	श्री सुदर्शन सिंह चौहड़ा, प्रशासक, नगर परिषद्, बीकानेर।	उपनिवेशन विभाग में अनियमित भूमि आवंटन की गई व अपने आदमियों को ठेका दिलाना।	इस संबंध में जांच की जा रही है। जांच प्रतिवेदन अपेक्षित है।
50.	श्री रामनारायण शर्मा, एस. डी. एम., चूरू	पद का दुरुपयोग, नसबन्दी में जबरदस्ती	,,
51.	श्री एम. के. सेठी, सचिव, नगर विकास न्यास, जयपुर।	धन का खुल कर दुरुपयोग, तानाशाही, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी व मकानों की तोड़-फोड़।	

परिशिष्ट 3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

सिंचाई विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची

395. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** (किशनपोल बाजार) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता वृत्तों के आधार पर है ? यदि हां, तो इस से राज्य सरकार को क्या लाभ है तथा वृत्तो के आधार पर वरिष्ठता नियमों का सही पालन किया जा रहा है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मंत्रालयिक कर्मचारियों की वरिष्ठता राज्य स्तर पर करने हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा पत्र व्यवहार किया गया ? यदि हां, तो आज तक राज्य स्तर पर वरिष्ठता प्रसारित क्यों नहीं की गई ? इस का दोषी कौन है ? क्या राज्य सरकार राज्य स्तर पर वरिष्ठता प्रसारित करने में असमर्थ है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि वरिष्ठता सही न होने के कारण पदोन्नतियां रुकी हुई हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इस प्रकार पद कब तक रिक्त रहेंगे ? पदोन्नति न करने का कारण क्या है ?

उत्तर

(1) मंत्रालयिक सेवाओं से सम्बन्ध एवं कनिष्ठ लिपिकों की वरिष्ठता, स्थाईकरण कार्य हेतु खण्डीय स्तर पर व वरिष्ठ लिपिकों के पद पर पदोन्नति व स्थाईकरण हेतु वृत्त स्तर पर इसमें उच्च पदों की वरिष्ठता परियोजना संगठन अथवा राज्य स्तर पर रखी जाती हैं । नियमों का सही पालन किया जा रहा है ।

(2) जी हां । यह मामला अभी तक राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

(3) जी नहीं । रिक्त स्थानों को भरने हेतु पदोन्नतियां समय-समय पर की जा रही हैं ।

अजमेर में पेय जल की समस्या का हल

396. **श्री कल्याणसिंह सांखला** (अजमेर पूर्व) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष वर्षा कम होने के कारण अजमेर नगर में पीने के पानी के जल स्त्रोतों का स्तर काफी घटा हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि जनवरी, 1979 तक अजमेर नगर की जल समस्या भीषण रूप धारण कर लेगी ? यदि हां, तो विभाग ने इस संबंध में पीने के पानी को उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई है ?

(3) क्या यह सही है कि अजमेर नगर के पीने के पानी की मूल योजना के लिए केन्द्रीय सरकार ने धन की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो वह धन कहां खर्च किया गया ?

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जनवरी तक स्थानीय फाईसागर में जल खत्म हो जाने की सम्भावना है। अजमेर को तत्काल राहत देने की दृष्टि से अन्य स्त्रोतों बनास, बनेड़ा, भावता से अतिरिक्त जल प्राप्त करने एवं स्थानीय नये कुए भी चलाने की तैयारी की जा रही है।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा 8.73 करोड़ रुपये की मूल योजना का नियमों के अन्तर्गत तकनीकी अनुमोदन किया गया है। केन्द्र ने योजना के लिये कोई अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है।

भरतपुर क्षेत्र के गांवों का विद्युतिकरण

397. **श्री सुरेश कुमार** (भरतपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के जिन 55 गांवों का विद्युतिकरण नहीं हुआ है उनका विद्युतिकरण कब तक पूरा हो जायेगा ?

(2) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के किन-किन गांवों में इस समय विद्युतिकरण का कार्य चालू है ? यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

उत्तर

(1) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के शेष 55 अविद्युतिकृत ग्रामों के विद्युतिकरण की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(2) भरतपुर निर्वाचन क्षेत्र के किसी गांव के विद्युतिकरण का कार्य इस समय चालू नहीं है। जो 71 ग्राम विद्युतिकृत किये जा चुके हैं उनमें मांग के आधार पर कनेक्शन देने का कार्य चालू है।

केन्द्रीय फार्म सूरतगढ़ की लीज

399. **श्री गुरुशरण छाबड़ा** (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सूरतगढ़ तहसील में स्थित केन्द्रीय राज्य फार्म की लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है ?

(2) क्या इसके बावजूद अभी तक निगम का यह फार्म राज्य सरकार की भूमि पर चल रहा है और राज्य सरकार इस फार्म की 30 हजार एकड़ भूमि को केन्द्र सरकार के माध्यम से निगम को बेचने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या राज्य सरकार जिला श्री गंगानगर में 25 हजार से भी अधिक भूमिहीनों की दरख्वास्तें जो सक्षम करार की हुई हैं, पैंडिंग होते हुए भी क्या फार्म की भूमि को बेचना उचित समझती है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस फार्म की 30 हजार एकड़ भूमि को भूमिहीनों, घग्गर बाढ़ में आई भूमि तथा सैनिक छावनी में अवाप्त की गई भूमि के बदले में किसानों को देगी ?

उत्तर

(1) जी हां। अवधि 16-8-71 को समाप्त हो चुकी है।

(2) जी हां। भारत सरकार ने फार्म के लिय राजस्थान सरकार से लीज पर भूमि ली थी परन्तु उन्होंने यह भूमि स्टेट फार्म

(उपनिवेशन मंत्री)

कारपोरेशन को दे दी है और इस समय उक्त भूमि पर स्टेट फार्म कार्पोरेशन का कब्जा है। यह सही नहीं है कि राज्य सरकार इस भूमि को स्टेट फार्म कार्पोरेशन को बेचना चाहती है बल्कि राज्य सरकार चाहती है कि यह भूमि केन्द्रीय सरकार बाजार भाव से खरीद ले या यह भूमि राजस्थान सरकार को लौटा दी जावे। यह भावना इस समय सूरतगढ़ फार्म मूल्यांकन कमेटी के समक्ष विचाराधीन है। उस कमेटी को पांच विचारणीय विषय दिये गये हैं जिन पर वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी इसके पश्चात् कोई निर्णय लिया जावेगा।

(3) राज्य सरकार ने उपरोक्त कमेटी के सामने अपना पक्ष बताते हुए यह कहा है कि सरकार के सामने भूमिहीनों की समस्या भी है जिनके लिये हम इस भूमि को वापस लेना चाहते हैं। कमेटी की रिपोर्ट मिलने पर इस विषय में निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया जावेगा।

परीक्षाओं में अनुचित साधनों के प्रयोग

400. श्री **गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष उदयपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने पर कितने विद्यार्थियों को पकड़ा गया? उनके नामों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के नियमानुसार क्या प्रावधान हैं?

(3) क्या इन प्रावधानों के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई?

(4) क्या यह सही है कि एक विद्यार्थी श्री महेन्द्र माथुर का अनुचित साधनों के प्रयोग करने पर परीक्षाफल रोक रखा था और अब एक्जीक्यूटिव कमेटी (वि.वि.) की बैठक में कार्यवाही तक परीक्षाफल प्रोविजनली घोषित कर दिया गया है? यदि हां, तो यह किन नियमों के अन्तर्गत किया गया?

(5) क्या अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले अन्य विद्यार्थियों के परीक्षाफल भी प्रोविजनली घोषित किये गये हैं?

उत्तर

(1) इस वर्ष उदयपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 37 विद्यार्थियों को पकड़ा गया। उनके नामों की सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

(4) उदयपुर विश्वविद्यालय के स्टेच्यूट संख्या 10 (5) के अन्तर्गत गठित परिणाम समिति (रिजल्ट कमेटी) ने श्री महेन्द्र माथुर के मामले पर योग्यतानुसार निर्णय लेकर परीक्षाफल घोषित करने की अनुशंसा की एवं उसका परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया है।

(5) उपरोक्तानुसार 33 मामलों पर रिजल्ट कमेटी ने निर्णय ले लिया है।

Page No 150

(150)

UNIVERSITY OF UDAIPUR, UDAIPUR

List of Candidates who were alleged to have used unfair means at the various examinations of the University held in 1977-78.

S. No.	Roll No.	Name of Candidates	Name of Examination
1.	28/76	Shri Mahendra Mathur	M. Sc. Chemistry (Third Semester)
2.	48/75	Shri Hemant Kumar Joshi	M. Sc. Physics (First Semester)
3.	53/75	Shri Rajendra Pancholi	M. Sc. Physics (First Semester)
4.	40/76	Shri Vinod Kumar Doshi	M. Sc. Chemistry (Third Semester)
5.	268/77	Shir Tej Singh Modi	M. Com. Busi. Adm. (First Semester)
6.	27	Shri Gopal Singh Rathore	LL.B. Second Year 1st Term)
7.	139	Shri Nawal Ram Meghwal	LL. B. First Year (1st Term)
8.	937	Shri Ashok Kumar Sharma	First Year TDC Arts
9.	195	Shri Shanti Lal Jain	First Year TDC Science
10.	531	Shri Vivek Sharma	First Year TDC Science
11.	350	Shri Prathvi Bhupendra Singh.	First Year TDC Science
12.	400	Shri Ajay Kumar Handa	First Year TDC Commerce
13.	551	Shri Kamlendra Singh Ranawat.	First Year TDC Commerce
14.	721	Shri Rupendra Kumar Chaudhary.	First Year TDC Commerce
15.	794	Shri Vishnu Shanker Shukla	First Year TDC Commerce
16.	467	Shri Chandra Singh Nahar	First Year TDC Commerce
17.	467	Shri Pankaj Jain	Second Year TDC Commerce
18.	457	Shri Lalit Kumar Kachhara	Second Year TDC Commerce
19.	487	Shri Shiv Narayan Sisodia	Second Year TDC Commerce
20.	101	Shri Shabbir Ali Bohra	Second Year TDC Commerce
21.	267	Shri Krishan Prakash Agrawal	Second Year TDC Commerce
22.	175	Shri Chandan Lal Kodia	Second Year TDC Commerce
23.	572	Shri Shyam Lal Jain	Second Year TDC Commerce
24.	6	Shri Ashok Kumar Chauhan	Second Year TDC Commerce
25.	11	Shri Ajit Shah	Second Year TDC Commerce
26.	210	Shri Kesri Mal Jain	Final Year TDC Commerce
27.	329	Shri Sushil Kumar Agrawal	Final Year TDC Commerce
28.	339	Shri Veerendra Kumar Taya	Final Year TDC Commerce
29.	343	Shri Vrij Mohan Bhanawat	Final Year TDC Commerce
30.	116	Shri Suresh Kumar Bhadiya	Final Year TDC Commerce
31.	8	Shri Karan Singh Rathore	B. A. Hons. Part-1
32.	12	Shri Shiv Prasad Joshi	B. A. Hons. Part-1
33.	68	Shri Ishwar Lal Taloo	Final Year TDC Science
34.	696	Shri Rishabh Kumar Jain	Second Year TDC Arts
35.	685	Shri Pradeep Kumar Sethi	Second Year TDC Arts
36.	7	Shri Prahlad Mantri	Second Year TDC Science
37.	12	Shri Santosh Kumar Kothari	Second Year TDC Science

UNIVERSITY OF UDAIPUR, UDAIPUR

REVISED RULES FOR DEALING WITH THE CASES OF UNFAIR MEANS AT THE UNIVERSITY EXAMINATION APPROVED BY COUNCIL OF DEANS & EXECUTIVE COMMITTEE HELD ON 12-3-76 & 20-3-76 RESPECTIVELY

1. Unfair means shall include the following:—

(i) Communicating or attempting to communicate with the Registrar of the University or any person of his office or Superintendent of examination or any person connected with the conduct of examination or with any paper setter or examiner with the object of finding out the name and address of the paper setter or examiner for finding out the questions that have been set in by the paper setter or examiner or with the object of influencing an examiner in the award of marks or with the object of unduly influencing any of them in the discharge of his duties in connection with the examination.

(ii) Giving or receiving assistance in answering the question paper to or from any other candidate/person in the examination hall or out side the examination hall.

(iii) (a) Having in possession during examination time any paper books or notes which have relevance to the examination concerned.

(b) Any thing written on the Ink-pot cover, scale or any other instrument, or on any kind of furniture with which he is concerned which may have relevance to the examination concerned.

(c) Any thing written or signs made on the body of the candidate, on clothes/garment, on the paper excluding the answer book (s) or on any substance which may have relevance to the examination concerned.

(iv) Using or attempting to use any other unfair means during the examination or in connection with the examination.

(v) Smuggling in or out an answer book or impersonifying a candidate, or helping thereof.

(vi) Copying actually from the material not to be used in the examination.

2. The following shall be the procedure for dealing with the cases of candidates found using or suspected of using unfair means in connection with the examination:—

(i) Where a candidate is suspected of using unfair means as defined above, the Invigilator or the Centre Superintendent shall search the candidate or cause the candidate to be searched by any person. Where any written material is found in his possession in consequence of the search, the candidate shall be dealt with according to these rules.

(ii) The Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in cases of grave misconduct or indiscipline.

All such cases of grave misconduct will be reported to the University forth with for further action.

Explanation:—Grave misconduct or indiscipline will include walkouts, instigation to walkouts, physical violence, tearing of the answer books, intimidation of the examination authorities, examinees and the like.

(iii) As soon as a candidate is suspected, found or reported to have resorted to unfair means, his/her answer books shall be seized alongwith the material recovered and a fresh answer book given to him/her to answer the remaining questions of the question paper. Both the answer books (marked as I and II) will be sent by the Centre Superintendent to the Registrar of the University by name together with the material recevered and duly signed by the candidate, the Invigilator and Centre Superintendent.

(iv) The Invigilator shall give his/her report in writing in the form prescribed by the University. The Invigilator's report shall be immediately brought to the notice of the candidate who shall be

required to give his/her explanation in the above form.

(v) If the candidate refuses to give his/her statement on the spot or runs away from the Centre, his/her case shall be decided by the University in *absentia*, on the basis of the report of the Invigilator and Centre Superintendent.

(vi) After the punishment is determined by the appropriate body an opportunity to show cause in writing shall be afforded to the candidate concerned as to why the same be not confirmed. If no reply is received within the time given the punishment shall stand confirmed.

(vii) In no case the candidate shall be allowed to represent himself/herself by an Advocate.

3. *Norms of Punishment.*—Schedule attached at Appendix 'A'.

4. (i) Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations then his/her examination in which the candidate has been found using unfair means will be cancelled, and, the candidate shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which the candidate is debarred.

(ii) If a candidate appearing in particular Semester/Term along with examination in course (s) of other Semester/Term is found using unfair means then the particular semester examination in which the candidate was found using unfair means will be cancelled and the candidate shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which the candidate is debarred.

5. Students found using unfair means during tests shall be awarded zero in the paper.

6. In the case of employee candidates using unfair means and resorting to violence and misbehaviour, their cases will be reported to the concerning officers of the department besides the punishment provided under rules.

7. Cases not covered under any of the above categories will be decided by the committee on their merits.

NORMS OF PUNISHMENT

	Nature of unfair means	Punishment to be awarded under Graduate and Post Graduate (trade)	Semester/Term Exam
(a)	Where a candidate is in possession of some material (but not found actually copying) or guilty of unfair means as given in clauses 1(i) to (iv).	The present examination of the candidate shall be cancelled.	Present Semester/Term examination shall be cancelled and he/she shall further be debarred for subsequent Semester/Term examination.
(b)	Where a candidate is found actually copying or smuggling in or out answer-books or being impersonified or obeting in the commission of these offences.	The present examination of the candidate shall be cancelled and he/she shall further be debarred from one subsequent examination.	Present Semester/Term examination shall be cancelled and he/she shall further be debarred for 3 subsequent Semester/Term examinations.
(c)	A candidate indulging in any misbehaviour on being caught using unfair means shall be awarded further punishment in addition to what will be given to him/her in clauses (a) & (b) above.	The quantum of such additional punishment shall be determined in accordance with the gravity of his/her misbehaviour.	

रामगंज मंडी में विश्राम गृह का निर्माण

401. श्री **हरिश शर्मा** (रामगंज-मण्डी) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में क्या यह निर्णय लिया गया था कि रामगंजमंडी में विश्राम गृह बनाया जायेगा ?

(2) क्या उसकी घोषणा भी की जा चुकी थी ?

(3) क्या यह सही है कि इस सन्दर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) कोई कार्यवाही अपेक्षित है।

राज्य में आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम

402. श्री **राम प्रसाद डडढा** (माण्डल): क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा लगभग दो वर्ष पूर्व राजस्थान सांख्यिकी सेवा के नाम से जानी जाती थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि आज भी राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा मुख्यत: राजस्थान सांख्यिकी सेवा के रूप में ही संगठित है क्योंकि इस वर्ग में कर्मचारियों व अधिकारियों की भर्ती केवलमात्र सांख्यिकी सहायक संगणक एवं सांख्यिकी सेवा अधिकारियों के पदों के लिये ही की जाती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में राज्य के विभिन्न विभागों में आर्थिक अनुसंधान मूल्यांकन एवं प्रबन्ध के विभिन्न पदों पर राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा के अधिकारी कार्यरत हैं जो पहले कभी सांख्यिकी सहायक या सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर कार्यरत थे ?

(4) क्या राज्य सरकार यह मान कर चलती है कि आर्थिक अनुसंधान अध्ययन प्रबंधक व मूल्यांकन जैसे विशिष्ट एवं विशेषतापूर्ण कामों के लिये इन अधिकारियों के पास पर्याप्त शैक्षणिक पृष्ठभूमि व योग्यता है।

(5) क्या राज्य सरकार यह स्वीकार करती है कि पिछले वर्षों में राज्य में आर्थिक सेवाओं का भारी विस्तार हुआ है और भविष्य में भी इसके विस्तार की विस्तृत संभावना है ? यदि हां, तो क्या संघ सरकार की भांति राज्य में भी सांख्यिकी सेवा और आर्थिक अनुसन्धान सेवा अलग-अलग गठित की जाने का विचार राज्य सरकार रखती है ताकि प्रत्येक सेवा में विशिष्ट योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को सेवा करने का अवसर मिल सके और केवलमात्र सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ पदों पर चयनित व्यक्तियों को वरिष्ठता के आधार पर महत्वपूर्ण आर्थिक सेवा पदों पर पदोन्नति करने के स्थान पर सीधी भर्ती से उच्च योग्यता प्राप्त नव अधिस्नातकों एवं शोध कर्ताओं आदि को चयनित किया जा सके ?

(आर्थिक एवं सांख्यकी मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 13-8-75 से पूर्व राजस्थान सांख्यिकी सेवा नियम, 1958 के नाम से जाने जाते थे तथा दिनांक 13-8-75 से राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958 के नाम से प्रभावित हैं।

(2) राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा नियम, 1958 से राजपत्रित पद जैसे निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक, सहायक निदेशक एवं सांख्यिकी अधिकारी के पद प्रभावित होते हैं। राजस्थान सांख्यिकी अधिनस्थ सेवा नियम, 1971 अराजपत्रित कर्मचारियों के पद जैसे सांख्यिकी सहायक, सांख्यिकी निरीक्षक एवं संगणक, प्रगति सहायक के पद प्रभावित होते हैं। इस प्रकार दोनों नियम पृथक-पृथक हैं।

(3) मूल्यांकन संगठन विभाग के कुछ राजपत्रित वर्गों के पद पर राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा वर्ग के अधिकारी नियुक्त हैं तथा इसी प्रकार उक्त सेवी वर्ग के कुछ अधिकारी अन्य विभागों में भी प्रतिनियुक्ति पर हैं।

(4) जी हां।

(5) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

पलाना में थर्मल पावर प्लांट की योजना

403. **श्री रामकृष्णदास गुप्ता** (कोलायत): क्या विद्युत मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार के समक्ष पलाना थर्मल पावर प्लान्ट की योजना विचाराधीन है ?

(2) क्या राज्य सरकार को विशेष से इस विषय में प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कितने मेगावाट का प्लान्ट प्रस्तावित किया गया है ? यह किस लागत का होगा और उस पर कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाली गई है जिसमें 2 इकाई (प्रत्येक) 60 मेगावाट के लगाने का प्रस्ताव है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 65 करोड़ रुपये है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा।

भ्रष्टाचार की जांच करने हेतु बनाई गई समितियों द्वारा की गई कार्यवाही

404. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछली सरकार के द्वारा या उनके सहयोग या विना सहयोग के कारण जिन-जिन लोगों ने भ्रष्ट कार्य किये, उनके आरोपों की जांच करने के लिये राज्य सरकार ने जो समितियां बनाई हैं, वे कौन-कौन सी हैं और उनके क्या-क्या अधिकार हैं और वे क्या-क्या काम कितने-कितने समय में पूरा कर पायेंगी ?

(2) उन कमेटियों की कितनी-कितनी बैठकें किन-किन तारीखों को हुईं और उनमें से प्रत्येक कमेटी पर आज तक कुल

(श्री मूलचन्द डागा)
कितना खर्चा हो गया ? इन सब का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार की आज्ञा संख्या 7 (37) प्रेस /5 /78, दिनांक 26-6-78 द्वारा राजस्थान विधान सभा सदन में सन् 1962 से 1977 तक लगाये गये आरोपों की जांच हेतु विधान सभा सदस्यों की निम्न तीन तथ्यान्वेषण समितियों का गठन किया गया जिसका कार्य क्षेत्र उनके सामने अंकित है :—

समिति प्रथम:—इस समिति का कार्य क्षेत्र राजस्थान विधान सभा में सन् 1962 से 1977 तक सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन व पथ) सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान नहर परियोजना के संबंध में लगाये गये भ्रष्टाचार इत्यादि के विभिन्न आरोपों की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

समिति द्वितीय:—इस समिति का कार्य क्षेत्र राजस्थान विधान सभा में 1962 से 1977 तक गृह, यातायात, जन-सम्पर्क, जेल, वित्त, आबकारी एवं कर, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद, समाज कल्याण, सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, भेड़ व ऊन, उद्योग एवं खान विभाग के संबंध में लगाये गये विभिन्न भ्रष्टाचार इत्यादि के आरोपों की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।

समिति तृतीय:—इस समिति का कार्य क्षेत्र राजस्थान विधान सभा में सन् 1962 से 1977 तक लगाये गये राजस्व, अकाल व सहायता विभाग, देवस्थान, वक्फ बोर्ड, वन, भू-प्रबन्ध, सामुदायिक विकास एवं पंचायत विभाग, खाद्य विभाग, सहकारिता एवं शिक्षा विभाग के संबंध में लगाये गये आरोपों की जांच करना एवं सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।

इन तीनों समितियों का कार्य-काल 6 माह है जो दिनांक 25-12-78 को समाप्त होगा । ये समितियां अपना कार्य कितनी अवधि में पूरा कर पायेंगी यह बताना अभी संभव नहीं है ।

(2) इन तीनों समितियों की क्रमशः 17, 23 व 21 बैठकें अब तक हुई हैं ।

इन तीनों समितियों पर दिनांक 31-10-78 तक कुल खर्चा रु. 12,012.02 पैसे हुआ है ।

वे तारीखें जिनको समितियों की बैठकें हुई हैं अभी विदित नहीं हो पाई हैं ।

मकराना के मारबल उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को टी. बी.

406. श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि मकराना में मारबल उद्योग मजदूरों को टी. बी. हो जाती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वहां टी. बी. के इलाज को युद्ध स्तर पर करने की योजना बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

मारबल उद्योग में लगे मजदूरों में क्षय रोग के रोगी पाए गये हैं। क्षय रोग के पीड़ित रोगियों को क्षय रोग निवारण केन्द्र, नागौर के माध्यम से निदान व बचाव उपचार दिये जाने की व्यवस्था है। सर्वेक्षण करवा कर उपचार की समुचित व्यवस्था करवाई जावेगी।

राज्य में जलदाय योजनाओं के लिये चयनित ग्राम

408. श्री आर. डी. यादव (चौमू) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में इस वर्ष जलदाय योजना के लिए कुल कितने ग्रामों का चयन कर स्वीकृति दी गई है तथा जिले अनुसार कितना-कितना धन आवंटित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या जयपुर जिलान्तर्गत ग्राम इटावा भोपजी में जलदाय योजना स्वीकार करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है? अगर हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) इस वर्ष कुल 466 ग्रामों के लिए 154 योजनाएं स्वीकृति हेतु चयन की गई एवं कुल 99 योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है जिसमें लगभग 243 ग्राम लाभान्वित होंगे। जिलेवार आवंटित राशि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) इटावा भोपजी जिला आयोजना समिति, वर्ष 1978-79 द्वारा प्रस्तावित नहीं है अतः फिलहाल इस ग्राम की योजना के संबंध में कोई अग्रिम कार्यवाही संभव नहीं है।

प्रश्न संख्या 1 की सूची

वर्ष 1978-79 में स्वीकृत की गई योजनाओं पर जिलेवार आवंटन की सूची:—

क्र. सं.	नाम जिला	आवंटित राशि (लाख रु. में)
1.	अजमेर	3.30
2.	अलवर	4.75
3.	बांसवाड़ा	2.20
4.	भरतपुर	3.50
5.	भीलवाड़ा	8.75
6.	बूंदी	2.92
7.	बीकानेर	3.30
8.	चित्तौड़गढ़	5.05
9.	चूरू	11.20
10.	डूंगरपुर	3.15
11.	गंगानगर	2.80
12.	जयपुर	8.55
13.	जैसलमेर	0.50
14.	जालौर	1.30
15.	झालावाड़	4.05
16.	जोधपुर	4.00
17.	झुन्झुनूं	2.75
18.	कोटा	10.20
19.	नागौर	1.00
20.	सवाई माधोपुर	3.30
21	सीकर	8.80
22.	सिरोही	1.20
23.	टौंक	3.50
24.	उदयपुर	10.80

फलासिया क्षेत्र में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाएं

409. **श्री लालूवास** (फलासिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य के फलासिया क्षेत्र में प्राथमिक, मिडिल व हाई स्कूल इस सत्र में कितने खोले गये ? क्या यह सभी स्कूल राज्य सरकार की नई नीति के अनुसार खोले गए हैं ? अगर हां, तो क्या यह पर्याप्त है ?

उत्तर

इस क्षेत्र में शिक्षा विभाग द्वारा 15 प्राइमरी व एक मिडिल स्कूल निर्धारित मानदण्ड के अनुसार खोले गए। इसी के साथ जन-जाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा भी 8 प्राइमरी स्कूल खोले गए।

सोजत शहर में पीने के पानी की व्यवस्था

410. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सोजत शहर के पीने के पानी के लिये पहिले मंडला में दो ट्यूब वैल खुदवाए गए थे ? क्या यह भी सही है कि उनका पानी खराब हो जाने के बाद ग्राम घंघेड़ी में कुए खुदवा कर आज कल वहां से पानी सप्लाई किया जा रहा है ?

(2) क्या यह भी सही है कि अब इन कुओं का पानी भी खराब हो गया है तथा इस पानी के सप्लाई किये जाने से सोजत की जनता में भारी असंतोष है ? उसकी केमिकल अनेलेसिस की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या पानी की क्वालिटी सुधारने के लिये राज्य सरकार बिलावास के आस-पास या फूल नारायण आश्रम के आस-पास कोई ट्यूब वैल खोदने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सर्व प्रथम 1968 में 2 कुए घंघेड़ी में बनाकर सोजत नगर में जल वितरण चालू किया गया था तत्पश्चात् 1972 में एक और कुआ बनाकर जल वितरण बढ़ाया गया। तत्पश्चात् 1973 में 3 ट्यूब वैल मंडला में खोदे गये परन्तु जल में टी. डी. एस. की मात्रा अधिक हो जाने के कारण मंडला ट्यूब वैलों का उपयोग बन्द कर दिया गया। वर्तमान में मात्र तीन खुले कुओं से जल वितरण किया जा रहा है।

(2) जी हां। केमिकल अनेलेसिस की रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जल की क्वालिटी सुधारने व मात्रा बढ़ाने हेतु इस वर्ष 7 लाख रु. की लागत की योजना स्वीकृत की गई है जिससे सूकड़ी नदी में खुले कुए का निर्माण करवाया जावेगा एवं इस कुए में पानी पीने योग्य व उचित मात्रा में उपलब्ध होने पर सूकड़ी नदी में सरप्लस बेरियर का निर्माण किया जायेगा तथा एक और खुले कुए का निर्माण किया जायेगा।

(160)

307 परिशिष्ट—15 नवम्बर, 1978—परिशिष्ट

PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT
REGIONAL LABORATORY, JODHPUR, RAJ.

REPORT OF THE CHEMICAL EXAMINATION OF WATER

No. Lab/Tech. ( ) 1970-7/91 dated 30-5-78

To

The Executive Engineer,
Water Works Division,
Pali Marwar.

Reference : Letter No. 1756/26-5-78.

Date of collection —
Date of Receipt 27-5-78
Date of Examination 27 to 29-5-78

Particulars	Name of the Source	:	Well No. 1, 2, 3
Lab, Sample No. 216	Name of the village	:	Sojat City

Note:—All results except PH are in mg/l.

1.	PH	8.3
2.	Turbidity (Silica Scale)	—
3.	Colour	—
4.	Odour	—
5.	Tempt: °C	—
6.	Alkalinity Phenopthlein (CaCO3)	10
7.	Alkalinity Methyl Orange (CaCO3)	280
8.	Total Hardness (CaCO3)	450
9.	Calcium Hardness	210
10.	Magnesium Hardness	240
11.	Carbonate Hardness	280
12.	Non-carbonate Hardness	170
13.	Chlorine as Cl.	730
14.	Sulphates as SO4	221
15.	Nitrites (N)	—
16.	Nitrates as NO3	121
17.	Oxygen absorbed in 4 hrs. (Tidy's test)	—
18.	Total Solids	—
19.	Total Dissolved Solids	1344
20.	Suspended Solids	—
21.	Residual Chlorine	—
22.	Fluorides	0.5
23.		—

Remarks: The nitrate contents of the water sample is beyond the permissible limits.

Sd/-
Junior Chemist,
Jodhpur, Rajasthan.

बाड़मेर जिले के तहसील मुख्यालयों में विद्युत व्यवस्था

411. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के बाड़मेर सब-डिविजन के मुख्यालय बाड़मेर के अलावा किसी भी तहसील एवं पंचायत समिति के मुख्यालय पर विद्युत की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो उक्त उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

(2) क्या यह सही है कि बाड़मेर नगर से बायतू को विद्युत से जोड़ने के लिये कवास तक विद्युत का विस्तार किया गया था ? यदि हां, तो बायतू को जोड़ने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि बाड़मेर जिले के बाड़मेर उप-खण्ड में कोई भी पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय, बाड़मेर स्वयं के अतिरिक्त विद्युतीकृत नहीं है। वर्तमान विद्युत प्रसारण व्यवस्था से दूरी के कारण आर्थिक तथा तकनीकी दृष्टि से साध्य योजनायें नहीं बन सकी हैं। इस कारण इस उप-खण्ड के दूसरे तहसील और पंचायत समिति मुख्यालयों का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं हो सका है।

(2) जी नहीं। बाड़मेर से उत्तरलाई वायु सेना प्रतिष्ठान और कवास ग्राम के विद्युतीकरण की योजना वर्ष 1971-72 में स्वीकृत की गई थी जिसमें बायतू का विद्युतीकरण प्रस्तावित नहीं था। तथापि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले दो वर्षों में सभी पंचायत समिति मुख्यावासों का विद्युतीकरण कर दिया जावे। तदनुसार सिणदरी को इस वर्ष एवं बायतू का वर्ष 1979-80 में विद्युतीकरण कर दिया जायगा।

अतिरिक्त निदेशक, जन-सम्पर्क विभाग का पद

412. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या जन-सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) राज्य के जन-सम्पर्क विभाग के निदेशक का किन यात्राओं पर जाना आवश्यक होता है तथा वे आवश्यक कारण क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विभाग के अतिरिक्त निदेशक के पास कोई काम नहीं है ? यदि हां, तो उनका पद बचत में क्यों नहीं समाप्त किया जा रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि अतिरिक्त निदेशक जातिवाद से विभाग में काम करते हैं और उसी के आधार पर पत्रकारों और कर्मचारियों में भेद करते हैं ?

(4) क्या यह यही है कि "हमारा वतन" साप्ताहिक ने अतिरिक्त निदेशक के विरुद्ध आरोप लगाये हैं ?

(5) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उनकी अक्षमता के कारण ही उन्हें जन-सम्पर्क विभाग को लौटाया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पद को खत्म कर के खर्च में कटौती करेगी ?

उत्तर

(1) विभागीय दायित्व के निर्वहन के लिये निदेशक को यात्राओं पर जाना आवश्यक होता है।

(जन-सम्पर्क मन्त्री)

(2) यह सही नहीं है ।

(3) यह सही नहीं है ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं ।

ब्यावर क्षेत्र के गावों का विद्युतीकरण

413. श्री **उगम राज मेहता** (ब्यावर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राज्य सरकार ब्यावर ग्रामीण क्षेत्र के जालीया प्रथम, दुर्गावास, किसनपुरा, देवाता, रावतमाल, तारागढ़, बड़ा खेड़ा, बंजारी, बरासन, आसन एवं ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक चालू किया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि ब्यावर में लघु उद्योगों, किसानों को पावर कनेक्शन व घरेलू कनेक्शन देने पेंडिंग पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने कनेक्शन्स पेंडिंग पड़े हैं और किस कारण से इन्हें नहीं दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । ग्रामीण क्षेत्र ब्यावर के ग्राम जालिया प्रथम, दुर्गावास, किसनपुरा तथा रावतमाल का सर्वेक्षण कर लिया गया है तथा ग्राम देवता, तारागढ़, बड़ाखेड़ा, बंजारी, बरासन एवं आसन ग्रामों का सर्वेक्षण किया जा रहा है । विद्युतीकरण की स्वीकृति राज्य स्तरीय प्राथमिकता के आधार पर निर्भर करेगी ।

(2) जी हां । ब्यावर (ओ. एण्ड एम.) उप-खण्ड कार्यालय में इस समय 270 प्रार्थना-पत्र विभिन्न श्रेणी के कनेक्शनों के पेंडिंग हैं जिन पर कार्यवाही जारी है । इनकी कारणों सहित श्रेणीवार सूची 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है ।

सूची 'अ'

(तारांकित प्रश्न संख्या 63 या० म० की सूची)

क्रमांक	ग्राम/ वस्ती का नाम	कुल पेंडिंग आवेदन-पत्र	जिनके एस्टीमेट बनाये जा रहे हैं	जिनको पैसा जमा कराने के लिए डिमाण्ड नोटिस दिये गये हैं	जिन्होंने डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करा दी है	जिन्होंने राशि अभी जमा नहीं कराई है	जिन्होंने फिटिंग करा कर एल फाम दे दिया है	जिन्होंने एल फार्म नहीं दिये हैं	जिनकी लाइन सर्विस डालने का कार्य किया जा रहा है	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	घरेलु विद्युत	137	60	77	52	25	30	22	30	
2.	घरेलु ताप	8	—	8	5	3	3	2	3	
3.	मध्यम उद्योग	3	3	—	—	—	—	—	—	
4.	लघु उद्योग	30	14	16	12	4	2	10	2	
5.	कृषि	22	15	7	7	—	1	6	1	
6.	गर घरेलु विद्युत नान-डोमेस्टिक	70	31	39	20	19	8	12	8	
	कुल योग ..	270	123	147	96	51	44	52	44	

बून्दी जिले की सैकण्डरी स्कूलों में कृषि विज्ञान विषय

414. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बून्दी जिले के एक सैकन्ड्री स्कूल में कृषि विज्ञान की कक्षायें चलती हैं ? यदि हां, तो अन्य सैकण्ड्री स्कूल में कृषि विज्ञान खोलने का क्या राज्य सरकार का इरादा है ?

उत्तर

बूंदी जिले के दो सैकण्ड्री स्कूलों में कृषि विज्ञान पढ़ाने की व्यवस्था है। राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति को देखते हुए अन्य स्कूलों में कृषि विज्ञान खोलने के सम्बन्ध में फिलहाल निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

पेयजल समस्या के निराकरण हेतु विशेष योजना

415. **श्री बहादुर सिंह** (नोहर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार पेयजल समस्या का समाधान विशेष योजना बना कर करना चाहती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) गंधेली साहवा पेयजल योजना राज्य सरकार कब तक पूरा कर देगी तथा इसमें कुल कितने तथा कौन-कौनसी तहसीलों के कौन-कौन से गांव शामिल किये जावेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार नोहर तहसील के पल्लू ग्राम तथा आस-पास के गांवों के लिए कोई पेयजल योजना बनाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार पेयजल समस्या के समाधान हेतु योजनाबद्ध कार्य कर रही है।

(2) गंधेली साहवा योजना के जो भाग स्वीकृत हुए हैं उनका कार्य वर्ष 1980-81 तक पूर्ण होने की संभावना है। पूर्ण-वृद्ध योजना में जो ग्राम सम्मिलित कर दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जिला आयोजना समिति, गंगानगर, वर्ष 1978-79 में पल्लू एवं आस-पास के ग्रामों की योजना प्रस्तावित की है। इन प्रस्तावों पर वर्ष 1979-80 में विचार किया जावेगा एवं प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धि के अनुसार योजनाओं का चयन किया जावेगा।

Page No 165

(165)

List of the Problem Villages, Tehsil Taranagar
Proposed to be covered in I Phase

Village		Population 1971
1	2	3
1.	Punsisar	1692
2.	Somsisar	555
3.	Ramiya Tunda	2338
4.	Dheerwas	3229
5.	Kalwas	1271
6.	Dabri	628
7.	Jharsan Gangia	190
8.	Meghsar	706
9.	Radi	734
10.	Bhadang	904
11.	Bhurawas	784
12.	Sarayan	1378
13.	Thelana	372
14.	Punras	994
15.	Biliya	79
16.	Jharulri	601
17.	Jharsar Kandhlani	1083
18.	Bain	2686
19.	Jhotera	641/61
20.	Shyopura	182
21.	Pandiriya Tiba	781
22.	Banra	711
23.	Bhanin	1896
24.	Dulheri	334
25.	Bhalan	1265
26.	Kalas	703
27.	Nethwa	570
28.	Raiwasi	359
29.	Karnisar	15
30.	Lunas	380
31.	Gudhana	649
32.	Kohina	1483
33.	Galgati	148
34.	Lakhanwas	165
35.	Raitana	190

1	2	3
36.	Bhaleri	1661
37.	Togawas	970
38.	Khartwar	422
39.	Buchawas	2960
40.	Sulchwasi	198
41.	Pandiriyatal	370
42.	Ghalso Anguna	326
43.	Rojani	72
44.	Chongoi	1602
45.	Jagsana Tal	568
46.	Sghaniya	251
47.	Jagsana Tiba	435
48.	Mahatma	76
49.	Gagutiya Chanal	467
50.	Gagutiya Kachawatan	285
51.	Gagutiya Puttachangoi	66
52.	Balia	168
53.	Karanpura	306
54.	Godas	482
55.	Annand Singhpura	917
56.	Chaldoi Bikan	347
57.	Chaldoi Kinchdan	97
58.	Kharuwasiya	292
59.	Gogatiya Bauwater	293
60.	Bigram	139
61.	Dahmapata Santhiya	412
62.	Dhani Kumharan	913
63.	Anyala	493
64.	Rampura	506
65.	Santhya	3182
66.	Rajpura	2692
67.	Dhani Punkya	345
68.	Abhipura	211
69.	Northal	574
70.	Jharasarbara	351
71.	Hadiyal	1302
72.	Dhani Motisingh	262
73.	Dhana Pata Rajpura	256
74.	Dheengi	812
75.	Rangheri	479
76.	Ludriya	467

1	2	3
77.	Bassarayan	486
78.	Bhamra	440
79.	Madawas	301
80.	Gujiwas	804
81.	Dhana Bhakran	224
82.	Ghasla Altun	107/61
83.	Mookhala	638
84.	Jharsar Chota	485
85.	Deosar (Sardasher)	473

List of the Problem Villages, Rajgarh Tehsil
Proposed to be covered in II Phase

86.	Birami Palla	311
87.	Dayawath	475
88.	Malawas	655
89.	Sidmukh	3486
90.	Dhani Chhoti	200
91.	Dhani Badi	970
92.	Sadpura	665
93.	Rajpuria	342
94.	Bhimsana	741
95.	Chumbkiyagarh	5372
96.	Ramsara Tiba	180
97.	Kisanpura	271
98.	Tunda Khedi	204
99.	Ramsara Tal	824
100.	Galar	1706
101.	Taba Khedi	814
102.	Dhaninath Badi	1364
103.	Nagal Choti	746
104.	Nagal Badi	837
105.	Dumki	1044
106.	Harisiyawas	1157
107.	Dhigarala	1524
108.	Chainpura Bada	912
109.	Bhiramikhalasa	752
110.	Dantali	345
111.	Charawala	87
112.	Jodhawas	192

1	2	3
113.	Bhanlhada	265
114.	Kasurni	149
115.	Lilaki	750
116.	Ghanau	1437
117.	Kalal Kotala	222
118.	Dhana	710
119.	Kyali	867
120.	Bhagela	1359
121.	Guwalisar	943
122.	Ghota Badi	1138
123.	Indasar	527
124.	Shepura	331
125.	Dnithi	742
126.	Bhatoda	297
127.	Pahasar	1063
128.	Dhadhal Lekhu	437
129.	Marwasi	686
130.	Kishanpuriwas	663
131.	Chanana	496
132.	Bungi	901
133.	Mithadi	479
134.	Mahlana Utrada	792
135.	Mahlana Dhikhanada	750
136.	Dholiya	536
137.	Dadarewa	2916
138.	Nyangli	353
139.	Lakhalana	907
140.	Dhadhal Kata	152
141.	Dhadhal Shera	230
142.	Gulpura	683
143.	Ludi Khuba	114
144.	Ludi Khuba Badi	215
145.	Lutan Raju	68
146.	Lutan Magani	117
147.	Lutan Sadasukhi	115
148.	Lutan Amichand	120
149.	Lutan Purana	227
150.	Lalsedi	588/61
151.	Ghota Chhoti	547
152.	Sadan	584
153.	Than Mathur	530

1	2	3
154.	Bhamkaran	641
155.	Ragha Badi	949
156.	Kanadaran	857
157.	Gagora	489
158.	Khemana	333
159.	Jangali	93
160.	Bhamsi	671
161.	Bhuwadi	1683
162.	Amarpura	599
163.	Mundi Bari	205
164.	Mundi Bari Tal	862
165.	Ratanpura	1467
166.	Kalodi	389
167.	Jaipuriya Khalsa	325
168.	Dokawa	1034
169.	Khedi	420
170.	Devipura	502
171.	Khasiya	244
172.	Kalana	636
173.	Rantal	217
174.	Naganan	222
175.	Bagawa	686
176.	Karawasi	368
177.	Berasar Bada	210
178.	Kalori	1070
179.	Bhijan	1081
180.	Bas Bhawand	375
181.	Kirtan	619
182.	Rampura	2085
183.	Bheasali	1079
184.	Bhamasid	530
185.	Bagdawa	293
186.	Sardarpura	983
187.	Dandansultansingh	330
188.	Baskirtan	466
189.	Rawatsar Kunjala	1148
190.	Rabudi	369
191.	Sama Turuali	686
192.	Sanakhaltal	1017
193.	Narangpura	1553
194.	Budawas	640

1	2	3
195.	Nuhanad	1805
196.	Basmundi (entouta)	215
197.	Kaman	482
198.	Inderpura	396
199.	Basasar Gumana	362
200.	Harpaluramsukh	15
201.	Harpalu Kubadi	637

List of Entouta village of Nohar Tehsil proposed to be covered up in Taranagar scheme, II Phase.

202.	Maliya	962
203.	Aradki	1266
204.	Doonasar	305
205.	Garkhana	1304
206.	Chanpura	668
207.	Lakhasar	1060
208.	Santhiya	465
209.	Mandarpura	1486
210.	Bacchusar	465
211.	Ranisar	227
212.	Nanu	1459
213.	Karamsana	415
214.	Bhaguanasar	1043
215.	Thirana	801
216.	Neemla	782
217.	Khuiyan	1110
218.	Kolasar	104
219.	Nimakdasar	114
220.	Surjansar	439
221.	Seerangsar	1378
222.	Dhanisya	1483
223.	Surpura	642
224.	Bhograna	1903
225.	Nahrana	613
226.	Bhagguli	496
227.	Meghana	1450
228.	Khopura	524
229.	Durgana	812
230.	Nagramri	726
231.	Lalaniya	679
232.	Kharsandi	717

1	2	3
233.	Shorani	750
234.	Balasar	623
235	Tidiyasar	1165
236.	Ratusar	447
237.	Jabrasar	1379
238.	Jokhasar	351
239.	Udasar	338

सरपंच घमडिया को भूमि का आवंटन

416. **श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा):– क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री राम नारायण पुत्र श्री रती राम सुथम साकिन सरदारपुरा सरपंच ग्राम पंचायत घमडिया रायसिंह नगर उपनिवेशन तहसील पुख्ता आवन्टन समिति का सदस्य था ? अगर हां, तो कब से कब तक ?

(2) क्या श्री राम नारायण सरपंच, को बतौर भूमिहीन जी० एम० डी० चकों में कोई पुख्ता आवन्टन हुआ है ? अगर हां, तो कितनी भूमि आवन्टित हुई है ?

(3) क्या उक्त आवन्टन के आवेदन-पत्र में वांछित भूमि के खरीद-फरोख्त एवं भूमि धारण सम्बन्धी सभी सूचनाएं निर्धारित परिपत्र में घोषित कर दी गई थीं ? अगर हां, तो कहां-कहां कितनी भूमि घोषित की ? अगर नहीं, तो क्या राज्य सरकार उसकी सारी भूमि की जांच करने की सोच रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस प्रकार भूमि हड़पने वालों के खिलाफ कोई फौजदारी मामला दर्ज करवाने की सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री राम नारायण सरपंच घमड़िया उपनिवेशन तहसील रायसिंह नगर की पुख्ता आवंटन समिति की बैठक जब से प्रारम्भ हुई तब से ही सरपंच होने के नाते सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं और अब भी सरपंच होने के नाते उक्त समिति के सदस्य हैं ।

(2) श्री राम नारायण सरपंच को दिनांक 28-12-72 को चक नम्बर 7 जी० एम० डी० में 19 बीघा 8 बिस्वा भूमि स्थायी आवंटित हुई है ।

(3) श्री राम नारायण ने 29-1-71 को सहायक आयुक्त श्री विजय नगर को जो आवेदन-पत्र दिया था उसने निर्धारित प्रपत्र के मद संख्या 4 में स्वयं अथवा अपन कुटुम्ब के अन्य किसी सदस्य द्वारा 15-10-55 के पश्चात् किसी भू-सम्पत्ति के विक्रय या अर्जित करने सम्बन्धी कोई सूचना अंकित नहीं की । विभाग द्वारा अब शिकायत आने पर श्री राम नारायण की व कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की भूमि धारण की व विक्रय आदि की जांच करवाई जा रही है । सहायक

(उपनिवेशन मंत्री)
आयुक्त सूरतगढ़ को जांच के आदेश दे दिये गये हैं ।

(4) रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

राज्य में न्यूनतम मजदूरी की दर

417. **श्री एच. एन. शर्मा** (वेगूं) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकारी विभागों, ठेकेदारों एवं प्राइवेट प्रतिष्ठानों में न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत ही दी जा रही है ?

(2) क्या ऐसे भी सरकारी प्रतिष्ठान या विभाग हैं जिनमें न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम है ? अगर हां, तो वे कौन कौन से विभाग हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या राज्य सरकार भविष्य में इस न्यूनतम वेतन अधिनियम की पालना कड़ाई से करवाने का विचार रखती है ? अगर हां, तो राज्य सरकार इस बारे में क्या उपचार करने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, सभी अनुसूचित नियोजनों में दी जा रही है ।

(2) जी नहीं । केवल अकाल राहत कार्यों हेतु सहायता विभाग को न्यूनतम वेतन से 30-9-1978 तक छूट दे रखी थी ।

(3) इस दिशा में पूर्व से ही ऐसे निर्देश दिये हुये हैं और उनकी सक्रिय पालना की जा रही है ।

कृष्णा मिल ब्यावर में वर्कर्स की कमेटी के चुनाव

418. **श्री नूरा** (मसूदा) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या कृष्णा मिल, ब्यावर में वर्कर्स कमेटी के चुनाव के बारे में कोई नियम बने हुए हैं ? यदि हां, तो उन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । यदि कोई नियम नहीं बने हुए हैं, तो अब तक नहीं बनने के क्या कारण हैं ?

(2) वर्कर्स कमेटी का पिछला चुनाव कब हुआ ? क्या यह सही है कि प्रबन्धकों ने जानबूझकर चुनाव नहीं कराए ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(3) क्या यह सही है कि चुनाव सम्बन्धी नियमों के अन्तर्गत दो वर्ष के अन्दर अन्दर वर्कर्स कमेटी का चुनाव कराना जरूरी है ? यदि हां, तो अब तक चुनाव न कराने के सिलसिले में दोषी मिल के अधिकारियों के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्कर्स कमेटी के चुनाव के बारे में सरकार द्वारा बनाए नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है ।

(2) अंतिम चुनाव सन् 1965 में हुआ । इसके पश्चात दिनांक 6-11-67 के

(श्रम मंत्री)
समझौते के अनुसार वदली कमेटी कार्य करने लगी थी और वर्कर्स कमेटी के चुनाव हेतु श्रमिकों ने भी रुचि नहीं दिखाई ।

(3) जी हां । नियोजक को 28-10-78 को चुनाव करवाने का नोटिस दे दिया गया है । तदुपरान्त प्रबंधक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी ।

PART VII

Works Committee

38. *Constitution.*—Any employer to whom an order made under sub-section (1) of section 3 relates shall forthwith proceed to constitute a Works Committee in the manner prescribed in this part.

39 *Number of members.*—The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and classes of workmen engaged in, and the sections, shops or departments of the establishment:

Provided that the total number of members shall not exceed twenty :

Provided further that the number of representatives of the workmen shall not be less than the number of representatives of the employers.

40. *Representatives of employer.*—Subject to the provisions of these rules, the representatives of the employer shall be nominated by the employer and shall as far as possible be official in direct touch with or associated with the working of the establishment.

41. *Consultation with trade unions.*—(1) Where any workmen of an establishment are members of a registered trade union, the employer shall ask the union to inform him in writing—

(a) how many of the workmen are members of the union; and

(b) how their membership is distributed among the sections, shops or departments of the establishment.

(2) Where an employer has reason to believe that the information furnished to him under sub-rule (1) by any trade union is false, he may, after informing the

union, refer the matter to the Conciliation Officer concerned for his decision and the Conciliation Officer after hearing the parties shall decide the matter and his decision shall be final.

42. Group of workmen's representatives—On receipt of the information called for under rule 41, the employer shall provide for the election of workmen's representatives on the Committee in two groups—

(1) those to be elected by the workmen of the establishment who are members of the registered trade union or unions; and

(2) those to be elected by the workmen of the establishment who are not members of the registered trade union or unions;

bearing the same proportion to each other as the union members in the establishment bear to the non-members:

Provided that where more than half the workmen are members of the union or any one of the unions, no such division shall be made:

Provided further that where a registered trade union, neglects or fails to furnish the information called for under sub-rule (1) of rule 41 within one month of the date of the notice requiring it to furnish such information, such union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided further that where any reference has been made by the employer under sub-rule (2) of rule 41, the election shall be held on receipt of the decision of the Conciliation Officer.

43. *Electoral Constituencies.*—Where under rule 42 the workmen's representatives are to be elected in two groups the workmen entitled to vote shall be divided into two electoral constituencies, the one consisting of those who are members of a registered trade union and the other of those who are not:

Provided that the employer may, if he thinks fit, subdivide the two electoral constituencies and direct that workmen shall vote in either by groups, sections, shops or departments.

44. *Qualification of candidates for election.*—Any workmen of not less that 19 years of age and with a service of not less than one year in the establishment may if nominated as provided in these rules be candidate for election as a representative of the workmen on the Committee:

Provided that the service qualification shall not apply to the first election in an establishment which has been in existence for less than a year.

45. *Qualifications for voters.*—All workmen other than casual employees, who are not less than 18 years of age and those who have put in not less than 6 months service in the establishment shall be entitled to vote in the election of the representative of workmen.

46 *Procedure for election.*—(1) The employer shall fix a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as workmen's representatives on the Committee.

(2) For holding the election, the employer shall also fix a date which shall not be earlier than three days and later than ten days after the closing date for receiving nominations.

(3) The dates so fixed shall be notified at least seven days in advance to the workmen and the registered trade union or unions concerned. Such notice shall be affixed on the notice board or given adequate publicity amongst the workmen. The notice shall specify the number of seats to be elected by the groups, sections, shops or departments and the member to be elected by the members of the registered trade union or unions and by the non-members.

(4) A copy of such notice shall be sent to the registered trade union or unions concerned.

47. *Nomination of candidates for election.*—(1) Every nomination shall be made on a nomination paper in Form G copies of which shall be supplied by the employer to the workmen requiring them.

(2) Each nomination paper shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group section, shop or depart-

ment, the candidate seeking election will represent and shall be delivered to the employer.

48. *Scrutiny of nomination papers.*—(1) On the day following the last day fixed for filling nomination papers, the nomination papers shall be scrutinised by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those which are not valid shall be rejected.

(2) For the purpose of sub-rule (1) a nomination paper shall be held to be not valid if (a) the candidate nominated is ineligible for membership under rule 44 or (b) the requirements of rule 47 have not been complied with :

Provided that where a candidate or an attesting person is unable to be present at the time of scrutiny, he may send a duly authorised nominee for the purpose.

49. *Voting in election.*—(1) If the number of candidates who have been validly nominated is equal to the number of seats, the candidates shall be forthwith declared duly elected.

(2) If in any constituency the number of candidates is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election.

(3) The election shall be held in such manner as may be convenient for each electoral constituency.

(4) The voting shall be conducted by the employer and if any of the candidates belong to a union such of them as the union may nominate shall be associated with the election.

(5) Every workman entitled to vote at an electoral constituency shall have as many votes as there are seats to be filled in the costituency:

Provided that each voter shall be entitled to cast only one vote in favour of any one candidate.

51. *Officers of the Committee.*—(2) The Committee shall have among its office-bearers a Chairman, Vice-Chairman, a Secretary and a Joint Secretary. The Secretary and the Joint Secretary shall be elected every year,

(2) The Committee shall elect the Chairman and the Vice-Chairman provided that where the Chairman is elected from amongst the representatives of the employers. The Vice-Chairman shall be elected from amongst the representatives of the workmen and *vice versa:*

Provided further that the post of the Chairman and the Vice-Chairman as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or be workmen for two consecutive terms.

(3) The Committee shall elect the Secretary and the Joint Secretary provided that where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workmen and *vice versa:*

Provided further that the post of the Secretary or the Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of the employer or the workmen for two consecutive years.

52. *Term of Office.*—(1) The term of office of a workman's representative on the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy shall be two years.

(2) A member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the unexpired term of his predecessor.

(3) A member who, without obtaining leave from the Committee, fails to attend three consecutive meetings of the Committee shall forfeit his membership:

53. *Vacancies.*—In the event of workmen's representative ceasing to be a member under sub-rule (3) of rule 52 or ceasing to be employed in the establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be elected in accordance with the provisions of this part from the same group, section, shop or department to which the member vacating the seat belonged.

54. *Power to co-opt.*—The committee shall have the right to co-opt in a consultative capacity persons employed in the establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion, such co-opt MEMBER shall not be entitled to vote and shall be present

at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee.

55. *Meetings.*—(1) The Committee may meet as often as necessary but not less than once three months (a quarter).

(2) The Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

56. *Facilities for meeting, etc.*—The employer shall provide accommodation for holding meetings of the Committee. He shall also provide all necessary facilities to the Committee. The Committee shall ordinarily meet during working hours of the establishment concerned on any working day and the representative of the workmen shall be deemed to be on duty while attending the meeting.

57. *Dissolution of Works Committee.*—The Government, or where the power under section 3 has been delegated to any officer or authority under section 39, such officer or authority may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Works Committee at any time, by an order in writing, if he or it is satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with these rules or that not less than two-thirds of the number of representatives of the workmen have, without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function:

Provided that where a Works Committee is dissolved under this rule, the employer may, and if so required by the Government or, as the case may be, by such officer or authority shall, take steps or reconstitute the Committee in accordance with these rules.

राज्य में कानून ग्रौर व्यवस्था में सुधार हेतु समितियां

419. श्री विट्टल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कानून एवं व्यवस्था की दिन प्रति दिन बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य के गृह मंत्री द्वारा यह घोषणा की गई थी कि शीघ्र ही राज्य में जिला स्तर पर विधायकों, सांसदों एवं कलेक्टर तथा एस. पी. की संयुक्त समिति बनायी जावेगी ?

(2) राज्य के किन-किन जिलों में

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

उक्त समितियों का निर्माण किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) यदि उक्त समितियां नहीं बनाई गई हैं, तो क्यों नहीं बनाई गई है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) राज्य के सभी जिलों में जिला जन-अभियोग निराकरण एवं सतर्कता समिति का निर्माण किया जा चुका है, जिसकी बैठकों में कानून एवं व्यवस्था पर विचार करना प्रावधित है ।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्य में बढ़ती हुई गुण्डागर्दी की रोकथाम

420. **श्री ओंकार लाल चौहान** (अटरू),

श्री विजेन्द्र पाल (आसीन्द) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में गत 12 महीनों में गुन्डागर्दी ज्यादा बढ़ी है ?

(2) क्या यह भी सही है कि गुन्डागर्दी को पुलिस दबाने में पूर्णतः असफल रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस मामले में अब क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की चिकित्सा सेवाओं के बजट में अन्तर

421. **श्री करतारसिंह** (किशनगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्तमान में राजस्थान राज्य चिकित्सा सेवाओं के बजट में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में अन्तर है ?

(2) क्या यह सही है कि जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के मध्य जो अन्तर है उसे पाटने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अपनी घोषणानुसार शीघ्र ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं पर होने वाले व्यय में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक सम्भव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जनता पार्टी की घोषणा के अनुसार जनता सरकार ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा सेवाओं का उत्तरोत्तर विकास कर रही है । आगामी छठी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप इसी आधार पर तैयार किया जा रहा है ।

राजस्थान नहर पर व्यय की गई राशि

422. **श्री किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान नहर पर आज तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है ?

(श्री किशनसिंह भाटी)

(2) वर्तमान सरकार के कार्यभार सम्भालने के पश्चात् इसकी कुल कितनी लम्बी खुदाई हुई है ?

(3) कितने वर्षों में यह नहर रामगढ़ तक पहुंच जायेगी ?

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के निर्माण पर सितम्बर, 78 तक 205.51 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है ।

(2) जुलाई, 1977 से सितम्बर, 1978 तक 33.82 कि. मी. लम्बाई में राजस्थान मुख्य नहर पर खुदाई व लाईनिंग का कार्य 161.49 कि. मी. की लम्बाई में वितरण प्रणाली पर खुदाई व लाईनिंग कार्य 291 कि. मी. लम्बाई में कच्ची वितरण प्रणाली पर लाईनिंग का कार्य तथा 15 कि. मी. लम्बाई में वितरण प्रणाली पर खुदाई का कार्य किया गया ।

(3) अगर विशेष धनराशि के आवंटन का प्रबन्ध हो जायेगा तो सात वर्ष में राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने का प्रयत्न किया जायेगा ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-11-78)

पुरानी बस्ती जयपुर स्थित तूंत की बगीची पर अवैध कब्जे का मामला

234. श्री खेतसिंह (शेरगढ़) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नगर परिषद्, जयपुर के जिन अधिकारियों, कर्मचारियों, जिनकी लापरवाही एवं भ्रष्ट आचरण के कारण तूंत की बगीची, पुरानी बस्ती, जयपुर के पास हुए अनधिकृत कब्जे के संबंध में न्यायालय ने एकतरफा कार्यवाही कर स्थगन आदेश जारी किया, व कौन-कौन हैं व उनके विरुद्ध अब तक राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की तथा भविष्य में क्या-क्या कार्यवाही करने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

(2) यह अनधिकृत कब्जे कब तक हटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) किसी भी अधिकारी व कर्मचारी का दोष नहीं है ।

(2) सक्षम न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों को निरस्त कराने हेतु कार्यवाही जारी है । न्यायालय से निरस्तीकरण के आदेश प्राप्त होते ही अनधिकृत निर्माण को हटाये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी ।

परिशिष्ट-4

अतारांकित प्रश्न संख्या 346 की सूची

(अनुशासनिक कार्यवाही के मामले)

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पद	कार्यवाही प्रारंभ करने की तिथि (आरोप-पत्र, आरोप विवरण-पत्र, ज्ञापन देने की तिथि)	नियम जिसके अन्तर्गत कार्यवाही शुरू की गई
1	2	3	4
	भारतीय प्रशासनिक सेवा :		
1.	श्री हरीराम मीणा	25-5-78	अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 8 के अन्तर्गत ।
	भारतीय पुलिस सेवा :		
1.	श्री दूलेसिंह	24-1-78	" " 10 के अन्तर्गत ।
2.	श्री एम०एस० पारीक	3-2-78	" "
	राजस्थान प्रशासनिक सेवा :		
1.	श्री भंवरलाल श्रीमाली	27-6-77	राज० सिविल सेवा (व० नि० अ०) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत ।
	" "	20-9-78	" "
	" "	23-9-78	" "
2.	श्री सोहनलाल सांखला	23-8-77	" "
3.	श्री आर०पी०निडर	23-8-77	नियम 16 के अन्तर्गत
4.	श्री दिग्विजय सिंह	12-9-77	नियम 17 के अन्तर्गत
5.	श्री एम०के० सिकन्दर	29-9-77	" "
	" "	3-5-78	नियम 16 के अन्तर्गत
	" "	31-8-78	" "
6.	श्री एस०डी० दाधीच	14-10-77	नियम 16 के अन्तर्गत
	" "	7-12-77	नियम 17 के अन्तर्गत

1	2	3	4
7.	श्री गेंदीलाल शर्मा	18-10-77	नियम 17 के अन्तर्गत
8.	श्री आनन्द कुमार हेमकर	21-10-77	,, ,,
9.	श्री महावीर जैन	16-11-77	नियम 16 के अन्तर्गत
10.	श्री बी०एल० परमार	23-11-77	,, 17 ,,
11.	श्री गोवर्धनलाल तिवाड़ी	26-11-77	,, 16 ,,
12.	श्री सौरातीराम	3-12-77	,, 16 ,,
13.	श्री डी०पी० सूद	23-12-77	,, 16 ,,
	,, ,,	7-9-78	,, 17 ,,
14.	श्री कार्नसिंह	29-12-77	,, 16 ,,
	,, ,,	23-9-78	,, 16 ,,
14ए.	श्री भरतलाल जी परमार	26-12-77	,, 17 ,,
15.	श्री जी०एस० अग्रवाल	2-1-78	,, 17 ,,
	श्री गंगासहाय अग्रवाल	31-8-77	,, 16 ,,
16.	श्री सन्तूलाल शर्मा	31-1-78	,, 17 ,,
	,, ,,	13-6-78	,, 17 ,,
17.	श्री भवानी शंकर	4-2-78	,, 16 ,,
18.	श्री डालूराम मीना	4-2-78	,, 16 ,,
19.	श्री हुक्मपाल गर्ग	8-2-78	,, 17 ,,
20.	श्री अजीतसिंह	16-2-78	,, 17 ,,
21.	श्री एम०एस० यादव श्री ए०एल० विसानी श्री वी०के० शर्मा	15-3-78	राज० सिविल सेवा (व० नि० अ०) नियम, 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत
22.	श्री अभयकुमार लोढ़ा	27-3-78	नियम 17 के अन्तर्गत
23.	श्री चण्डीदान देवल	12-4-78	नियम 16 के अन्तर्गत
24.	श्री एल०एन० शाह	14-4-78	नियम 16 के अन्तर्गत
25.	श्री भंवरसिंह	3-5-78	नियम 17 के अन्तर्गत
26.	श्री कृष्णमोहन माथुर	15-5-78	नियम 16 के अन्तर्गत
27.	श्री देवकीनन्दन शांडिल्य	15-5-78	नियम 17 के अन्तर्गत
28.	श्री जगदीशचन्द्र अग्रवाल	16-5-78	नियम 16 के अन्तर्गत
29.	श्री सत्येन्द्र नाथ	16-5-78	नियम 16 के अन्तर्गत
30.	श्री मगनलाल बोहरा	22-5-78	नियम 16 के अन्तर्गत
31.	श्री अमीलाल	23-5-78	नियम 17 के अन्तर्गत
32.	श्री आर०एल० ढाबी	30-5-78	नियम 16 के अन्तर्गत

Page No 183

(183)

1	2	3	4
33.	श्री नेवरंगराय	3-7-78	नियम 17 के अन्तर्गत
34.	श्री डी०सी० जैन	12-7-78	नियम 17 के अन्तर्गत
35.	श्री एच०डी० भार्गव	20-7-78	नियम 17 के अन्तर्गत
36.	श्री एस०सी० अग्रवाल	25-7-78	नियम 17 के अन्तर्गत
37.	श्री सोमदत्त शर्मा	14-8-78	नियम 17 के अन्तर्गत
38.	श्री एस०डी० श्रीवास्तव	14-8-78	नियम 17 के अन्तर्गत
39.	श्री जी०एच० नरवानी	14-8-78	नियम 17 के अन्तर्गत
40.	श्री हरिकुमार शर्मा	14-8-78	नियम 17 के अन्तर्गत
41.	श्री सत्यदेव शर्मा	21-8-78	नियम 17 के अन्तर्गत
42.	श्री हरीशंकर शर्मा	21-8-78	नियम 17 के अन्तर्गत
43.	श्री विनोदीलाल गोयल	30-6-78	नियम 17 के अन्तर्गत
44.	श्री आर०पी० निडर	31-8-78	नियम 17 के अन्तर्गत
45.	श्री ईश्वरसिंह	1-9-78	नियम 17 के अन्तर्गत
46.	श्री नाथाराम	7-9-78	नियम 17 के अन्तर्गत
47.	श्री हंसराज कोलेरा	18-9-78	नियम 16 के अन्तर्गत
48.	श्री मामलसिंह	19-9-78	नियम 16 के अन्तर्गत
49.	श्री गोपालकृष्ण गोस्वामी	19-9-78	नियम 17 के अन्तर्गत
50.	श्री राम प्रसाद जोशी	20-9-78	नियम 17 के अन्तर्गत
51.	श्री जी०एल० सांखला	23-9-78	नियम 17 के अन्तर्गत
52.	श्री कुन्दनसिंह झाला	26-9-78	नियम 16 के अन्तर्गत
53.	श्री गुपानसिंह	26-9-78	नियम 16 के अन्तर्गत
54	,, ,,	26-9-78	नियम 16 के अन्तर्गत
55	,,	5-7-78	नियम 16 के अन्तर्गत

राजस्थान पुलिस सेवा :

1.	श्री बी०के० मल्होत्रा	23-9-78	नियम 16 के अन्तर्गत
2.	श्री अजयसिंह	26-6-78	नियम 16 के अन्तर्गत

184

निलम्बन के मामले

क्र० सं.	नाम अधिकारी व पद		निलम्बन की तिथि	वर्तमान स्थिति
1.	श्री महावीर जैन,	आर०ए०एस०	19-6-77	मामला जांच अधिकारी के सुपुर्द किया हुआ है।
2.	श्री गंगासहाय अग्रवाल,	आर०ए०एस०	12-9-77	26-6-78 को अन्तिम निर्णय हो चुका है।
3.	श्री जे०एस०सिन्हा,	उप वन संरक्षक	12-9-77	18-9-78 को बहाल किया जा चुका है।
4.	श्री जी०एस० गुप्ता,	आई०ए०एस०	31-3-78	आरोप-पत्र का जवाब आना शेष है।
5.	श्री के०के० जैमन,	आर०ए०एस०	25-5-78	31-3-78 को बहाल किया जा चुका है।
6.	श्री फतेहचन्द सोनी,	आर०पी०एस०	29-8-78	आरोप व आरोप विवरण-पत्र के प्रारूप आना शेष है।
7.	श्री आर०पी० जोशी,	आर०ए०एस०	10-11-78	इनके विरुद्ध 7 विभागीय जांच विचाराधीन हैं।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची)

1973 के पश्चात् अधिशासी अभियंता (यांत्रिक) के पद पर पदोन्नत किये गये अधिकारियों की सूची :—

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	आदेश संख्या
1.	श्री ओम प्रकाश गोयल	एफ 8(18)पी०एच०/71 ग्रुप III, दिनांक 3-2-73
2.	श्री आर०के० जैन	,, ,, ,, ,, ,,
3.	श्री एस० एल० गुप्ता	,, ,, ,, ,, ,,
4.	श्री अमीन हुसैन	एफ 19(92)पी०एच०/67; दिनांक 15-2-74
5.	श्री जी०के० टण्डन	एफ 17 (354) एम०पी०एच०/64, दि० 1-5-76
6.	श्री वी०एल० जोहर	एफ 19(91) एम०पी०एच०/67 ग्रुप III दिनांक 29-1-77 द्वारा ।

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 356 की सूची)

निम्न गांवों में ट्यूब वेल के जरिये वाटर सप्लाई दी जा रही है :--

1. शेरेरा	2. राजेरा	3. हमीरा
4. रुपेरा	5. आनन्दपुरा	6. आसेरा
7. ममेरा	8. गाढवाला	9. नौरंगदेसर
10. मूंडसर	11. रणजीतपुरा	12. सोयल
13. रामसर	14. नापासर	15. गडियाला
16. गिराजसर	17. मोटासर	18. गोविन्दसर
19. बोठनोक	20. नोखडा	21. गंधी
22. मीठडिया	23. वज्ज तेजपुरा	24. वरसलपुर
25. मोतीगढ़	26. भीकमपुर	27. गोड्
28. दियातत्रा	29. गजनेर	30. मेदासर
31. चंदासर	32. कोलासर	33. अच्छासर
34. स्वरूपदेसर	35. सूजानदेसर	36. शिववाड़ी
37. हिम्मतसर	38. अज्जूवागड़सर	39. बच्छासर
40. करमीसर	41. श्रीरामसर	42. नोखा
43. सूरपुरा	44. जाडोली	45. खवरलील
46. गजमुखदेसर	47. वेरासर	48. सादासर
49. लालमदेसर छोटा	50. लालमदेसर वड़ा	51. मनडिया
52. दासनू	53. सेनीवाला	54. लालासर
55. मोहरासर	56. बम्वलू	57. गैरसर
58. पम्पालसर	59. सजासर	60. गंगासर
61. सरधना पुरोहितान	62. सरधना चौहानन	63. केशरदेसर जाटान
64. केशरदेसर बोहरान	65. बदरासर	66. जालवाली
67. लाखूसर	68. कोलसर	69. नूरसर
70. भैरुपावा	71. वेरायावाली	72. मड
73. कोटडी	74. अक्ष	75. चकविजयसिंहपुरा
76. सियाना	77. नैयिया	78. खारा
79. खाजूसर	80. हुदा	81. खिण्डासर
82. दासुडी	83. खजोडा	84. रानरी
85. छोनेरी	86. भानेकागांव	87. टोकला
88. खरियानपटवान	89. खारियान मालीनाथ	90. उदत्त

91. मण्डलूचारनान 92. नयागांव 93. गुड्डा
94. लाखूसर 95. सिन्धुका 96. रानीसर
97. शेखसर 98. गोपालन 99. बयूरोसर
100. धीरदान 101. अमरपुरा 102. किसनासर
103. मनापसर 104. नाथवाना 105. पाडूसर
106. राजपुराहूदा 107. करानीसर 108. कुसला
109. कुम्माना 110. उत्तमादेसर 111. सोमलसर
112. अंकोसर 113. नागासर 114. पम्पालसर
115. चिलम्पुसलतान 116. किलचुदेसन 117. केशरदेसरगनगोरान
118. शीवा 119. गजरुपदेसर 120. मोतावता
121. डेहू 122. जरीवारदान 123. सांखला बस्ती
124. गंगापुरा

सूची 'ब'

निम्न गांवों में ट्यूब वैल के जरिये वाटर सप्लाई दी जावेगी :—

1. कल्याणसर
2. हियादेसर
3. करियासर
4. सनियाजारावास

———

188

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 361 की सारिणी)

समय सारिणी

1.	सोजत सिटी 6.45 ए०एम० 7.30 पी०एम०	सोजत रोड 7.15 ए०एम० 7.00 पी०एम०	प० र०	8.30 ए०एम० 6.45 पी०एम०	र० प०	फुलाद 10.00 ए०एम० 5.30 पी०एम०	मारवाड़ जंक्शन 11.00 ए०एम० 4.30 पी०एम०	अप डाउन
2.	सोजत सिटी 9.00 ए०एम०	सोजत रोड 9.30 ए०एम०	प०	9.45 पी०एम० 3.30 पी०एम०	र०	अटपड़ा 11.15 ए०एम० 2.00 पी०एम०	विलाड़ा 11.45 ए०एम० 12.30 पी०एम०	अप डाउन
3.	सोजत सिटी 8.00 ए०एम० 7.00 पी०एम०	सोजत रोड 8.30 पी०एम० 6.30 पी०एम०	र० र०	6.00 पी०एम०	प०	देवली 9.30 ए०एम० 5.00 पी०एम०	जैतारण 10.30 ए०एम० 4.00 पी०एम०	अप डाउन
4.	सोजत सिटी 10.00 ए०एम० 4.30 पी०एम०	सोजत रोड 10.30 ए०एम० 4.00 पी०एम०	प० र०	11.00 ए०एम० 3.30 पी०एम०	र० प०	फुलाद 12.00 पी०एम० 2.30 पी०एम०	—	अप डाउन
5.	सोजत सिटी 10.45 ए०एम० 12.00 पी०एम०	सोजत रोड 11.45 ए०एम० 11.30 पी०एम०	अप डाउन	—	—	—	—	—

Page No 189

6.	सोजत सिटी 11.00 पी०एम० 4.00 पी०एम०	अटपड़ा 11.30 ए०एम० 3.30 पी०एम०	—	—	—	बिलाड़ा 12.00 पी०एम० 3.00 पी०एम०	—	अप डाउन
7.	सोजत सिटी 11.45 ए०एम० 12.00 पी०एम०	सोजत रोड 12.15 पी०एम० 11.30 पी०एम०	अप डाउन	—	—	—	—	—
8.	सोजत सिटी 12.30 पी०एम० 8.15 पी०एम०	सोजत रोड 1.00 पी०एम० 7.45 ए०एम०	प०	1.45 पी०एम०	र०	फुलाद 4.00 पी०एम० 6.15 ए०एम०	देसूरी 6.15 पी०एम० 10.30 8.00 पी०एम०	अप डाउन
9.	सोजत सिटी 1.30 पी०एम० 5.30 पी०एम०	सोजत रोड 2.00 पी०एम० 3.00 पी०एम०	अप डाउन	—	—	—	—	—
10.	सोजत सिटी 2.00 पी०एम० 11.00 ए०एम०	सोजत रोड 2.45 पी०एम० 10.30 पी०एम०	प० र०	3.00 पी०एम० 10.00 ए०एम०	र० प०	अटपड़ा 6.15 पी०एम० 7.30 ए०एम०	बिलाड़ा 6.45 पी०एम० 3.00 ए०एम०	अप डाउन
11.	सोजत सिटी 3.00 पी०एम० 1.00 पी०एम०	सोजत रोड 3.30 पी०एम० 12.30 पी०एम०	अप	—	—	फुलाद 5.00 पी०एम० 11.00 ए०एम०	देसूरी 7.00 पी०एम० 9.00 पी०एम०	अप डाउन

12.	सोजत सिटी 4.00 पी०एम० 5.45 पी०एम०	सोजत रोड 4.30 पी०एम० 5.15 पी०एम०	अप डाउन	—	—	—	—	—	—
13.	सोजत सिटी 5.30 पी०एम० 6.45 पी०एम०	सोजत रोड 4.30 पी०एम० 5.15 पी०एम०	—	—	—	—	—	—	—
14.	सोजत सिटी 5.30 पी०एम० 10.00 ए०एम०	अटपड़ा 6.00 पी०एम० 9.30 ए०एम०	—	—	—	बिलाड़ा 6.30 पी०एम० 9.00 ए०एम०	—	अप डाउन	
15.	सोजत सिटी 6.00 पी०एम० 10.00 ए०एम०	सोजत रोड 7.30 पी०एम० 9.30 ए०एम०	—	—	—	राणावास 6.00 ए०एम० 7.45 ए०एम०	मारवाड़ जंक्शन 6.45 ए०एम० 7.00 ए०एम०	अप डाउन	
16.	सोजत सिटी 7.00 पी०एम० 5.00 ए०एम०	सोजत रोड 7.30 पी०एम० 4.30 ए०एम०	अप डाउन	—	—	—	—	—	
17.	सोजत सिटी 9.15 पी०एम० 3.00 पी०एम०	सोजत रोड 9.45 पी०एम० 2.30	—	—	—	फुलाद 11.00 पी०एम० प० 12.30 पी०एम० र०	देसूरी 8.00 पी०एम० 10.00 पी०एम०	अप डाउन	

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 362 की सूची)

अपराध तालिका थानेवाइज, जयपुर नगर, दिनांक 1 जनवरी से 31 अगस्त (1978/ 1977/ 1976/ 1975) तक

क्रमांक	नाम थाना	दिनांक 1-1-78 से 31-8-78 तक	1-1-76 से 31-8-77 तक	1-1-76 से 31-8-76 तक	1-1-75 से 31-8-75 तक
1.	कोतवाली	575	544	509	593
2.	शास्त्री नगर	141	108	8	—
3.	मानकचौक	456	400	242	372
4.	रामगंज	293	290	203	221
5.	अशोकनगर	343	305	222	267
6.	आदर्शनगर	335	232	228	286
7.	गांधीनगर	197	152	108	122
8.	मोती डूगरी	303	295	15	—
9.	सदर	194	200	187	202
10.	बनीपार्क	222	263	257	270
11.	विधायकपुरी	310	270	13	—
12.	झोटवाड़ा	110	112	10	—
	योग ..	3479	3171	2002	2333

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 364 के आंकड़े)

तुलनात्मक विवरण बावत वर्ष 1977-78 कस्बा मण्डावा में दर्ज मुकदमात के बारे में :—

क्रमांक	शीर्षक अपराध	वर्ष	रिपोर्ट हुई	अदम वकू	अदम तफसील	अदम पता	अदम सबूत	राज्य सरकार की स्वीकृति	जेर तफतीश	चालान 299 सी. आर.पी.सी.	चालान	सजा	रिहा बरी	राजीनामा	जेर तजवीज		
1.	नकबजनी	1977	7	1	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4267.20	—
		1978	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1000.00	—
2.	पशु चोरी	1977	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	150.00	—
		1978	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.	अन्य चोरी	1977	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1978	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	6000/-	6000/-
	योग..	1977	8	1	—	6	—	—	—	—	1	—	—	—	1	4417.20	—
		1978	3	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	61,000/-	60,000/-

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 365 का प्रतिवेदन)

नकल रपट रोजनामचा आम ता. 3-6-78 समय 4-30 पी. एम. रपट नं. 69 थाना मोठपुर जिला कोटा। रपट 107 सी-आर.पी.सी. रहबरी अदालत:-

इस समय श्री कैलाश चन्द्र पुत्र जानकीलाल उम्र 32 साल, पेशा व्यवस्थापक ग्राम सेवा सहकारी समिति मोठपुर हाजिर थाना आया और एक लिखित रिपोर्ट पेश की जिसकी नकल निम्न है :-

सेवामें, श्रीमान् एस.पी. साहब, पुलिस स्टेशन मोठपुर, मान्यवर, निवेदन है कि प्रार्थी मोठपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति में व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत है और यह समिति की वसूली का समय है। वसूली की रकम प्रार्थी के पास हर वक्त रहती है। करीब 1-2 रोज पूर्व से ग्राम के कुछ व्यक्ति श्री रामचन्द्र पुत्र नाथू लाल मीणा एवं उनके कुछ साथी जिनका कि प्रार्थी नाम नहीं जानता है, प्रार्थी के साथ मारपीट बना रहे हैं व आर्थिक व शारीरिक नुकसान करने की योजना बना रहे हैं। प्रार्थी को व्यक्तियों से जानमाल का खतरा है। यह व्यक्ति मेरे साथ कभी भी खतरा कर सकते हैं। अत: श्रीमान् की सेवा में प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन कि उक्त व्यक्तियों से प्रार्थी की जानमाल की रक्षा हेतु व्यवस्था करने का कष्ट करें। जिन व्यक्तियों ने उक्त व्यक्ति की मारपीट कर नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई उनके नाम इस प्रकार से हैं :- श्री विद्याशंकर जी सोनी, 2. परमानन्द शर्मा, 3. चन्द्र प्रकाश सोनी प्रार्थी कैलाश चन्द्र व्यवस्थापक मोठपुर, ग्राम सेवा सहकारी समिति, वि. र. न. 163 क्यू. आर.। दिनांक 3-6-78। हस्ता. कैलाश चन्द्र 3-6-78।

कार्यवाही पुलिस, फरयादी श्री कैलाशचन्द्र ने पेश की गई लिखित रिपोर्ट की नकल शब्द ब शब्द की गई जो पुन: पढ़कर सुनाई। सुन सही होने पर हस्ताक्षर करवाये गये मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 107 सी-आर.पी.सी. पाया जाता है। अत: फरियादी को रहबरी आलत किया जाकर रूख्सत किया गया एवं नकल रिपोर्ट दी गई। एस. डी. कैलाशचन्द्र 3-6-78 हस्ताक्षर लेखक। नकल रपट नं० 170 समय 11 ए. एम. ता० 7-6-78 थाना मोठपुर जिला कोटा (राज०) रपट नं० 107 सी-आर.पी.सी. रहबरी अदालत।

इस समय खेमचन्द पुत्र दूलीलाल उम्र 50 साल जाति मीणा नि० मोठपुर हाजिर थाना आया और जबानी रिपोर्ट की कि आज सुबह रोटी खाने का टाईम था। मैं गलीहारे (आम रास्ता में) खड़ा था कि उधर से भैरूलाल धाकड़ जमना किशोर घन्ना धाकड आ रहे थे कि इनमें से भैरूराम धाकड व किशोर धाकड़ ने कहा कि तेने आम रास्ते में खूटा गाड रखा है। इसको उखाड़ ले। मैंने मना किया। इस बात पर किशोर धाकड़ ने कहा कि तुझे देख लेंगे और तुझे निपट लेंगे। मुझे किशोर, घन्ना, जमना धाकड़ से मेरी जान व माल का खतरा है यह कभी भी मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरी जान की हिफाजत की जावे। मौके पर भूरा गूजर मौजूद था। इसने पूरा वाका सुना है। रिपोर्ट को आया हूं कार्यवाही की जावे। मैं गरीब आदमी हूं इसको वड़े आदमी सिखला फुसला कर लड़ने को तैयार कर रखा है। नि० अगूंठा खेमचन्द।

कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट कुन्दा के जबानी कहे मुताबिक शब्द ब शब्द सही लिखी गई जो मुझ को पुन: पढ़ कर सुनाई गई। सुन सही मानने पर अगूंठा निशानी किये। मजमून रिपोर्ट

के घटित तथ्यों अपराध धारा 107 जा० फौजदारी का पाया जाता है। अतः रपट 107 सी-आर. पी. सी. दर्ज कर रहबरी अदालत किया जाकर फरियादी खेमचन्द को रुखसत किया गया एवं नकल रपट दी गई । नि० खेमचन्द ।

नोट:—फरयादी खेमचन्द का बायें हाथ का अंगूठा टूटा हुआ एवं निशानी लगाने के काबिल नहीं है, अतः दाहिने हाथ के अंगूठे की निशानी करवाई गई। अतः नोट दर्ज किया गया।

हस्ताक्षर लेखक

नकल रपट 315 समय 11 ए. एम. तारीख 13-6-78 थाना मोठपुर जिला कोटा रपट 107 जाब्ता फौजदारी नकसे अमद जांच तदव ।

इस समय श्री मौजीलाल पुत्र कन्हैयालाल कौम धाकड़ नि० करनूना उम्र 30 साल हाजिर थाना आया और जुबानी रिपोर्ट की कि मेरा पिता कन्हैयालाल व आसाराम दोनों सगे भाई हैं जिनकी जमीन का खाता एक है लेकिन जमीन का बंटवारा मेरे पिता जी के कहने से ही 1/3 भ ट किया जा चुका था जब से जो खेत में काश्त कर रहा था वह मेरे पास है। गये साल मेरे खेत (वाड़ी) खलीयान के कुए वाली की मेंर करीब 1 हाथ थी जिसे आसाराम ने बीच में से तोड़ दी थी। मैंने उसमें पत्थर का कोट लगाना चाहा। इसी बात पर वह नाराज हुआ और आसाराम एक हाथ में लठ व बन्दूक लेकर मुझे मारने पीटने के लिये वहां आया और कहा कि यह कोट मत चुने नहीं तो जान से मार दूंगा। मैंने कहा कि मार कर देख तेरे पास बन्दूक है। इसी बीच नाथू शहर जो वहीं मेरी वाड़ी पर होक रहा था जिसने देखा वह हमारी बातचीत सुनी जब मुझे बन्दूक दिखाई तो मैंने उसकी बन्दूक पकड़ ली और उसके हाथ से ले ली मैं अपनी जान बचा मारपीट के डर से अपने घर भाग गया वहां भी आसाराम व उसके लड़के मेघचन्द, रामकरण मुझे मारपीट करने के लिए आए। लेकिन मैंने अपने घर की सांकल लगा ली। इसी बीच गांव के धन्ना, उन्नालाल, देवलाल पुत्र गणपत मौजूद थे। जिन्होंने भी घटना देखी है। उनके घर से मैं कल दिनांक 12-6-78 को रिपोर्ट को नहीं आ सका। यह घटना उसी दिन के करीब 8 व 9 बजे की है। जिस दिन सोमवार था। आज गांव से चल कर रिपोर्ट करने आया हूं। कार्यवाही की जावे। उससे मैंने जो बन्दूक ली है उसे भी साथ लाया हूं। एस० डी० मौजी लाल ।

कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट मैंने सुनी व समझी सही पाने पर हस्ताक्षर किये मजमून रिपोर्ट से मामला आपसी काका भतीजा की रंजिशों के नुकस्से अमन का होना प्रतीत होता है। क्योंकि प्रार्थी बन्दूक भी साथ लाया है जिसको पृथक से जब्त की वह कार्यवाही जांच 107 जाब्ता फौजदारी वापसी एस. एच. ओ. व एच.एम. सा.परे बाद मुलहाईजा रपट आरम्भ की जावेगी एस.डी. लेखक व दस्तखत मोजी लाल ।

नकल रपट नं० 339 समय 4 पी. एम., तारीख 14-6 78 थाना मोठपुर जिला कोटा रपट 107 जाब्ता फौजदारी जांच तदव ।

इस समय श्री आशाराम पुत्र देवीलाल जाति धाकड़ उम्र 63 साल पेशा काश्तकारी नि. करनूना हाजिर थाना आया व जबानी रिपोर्ट की कि मेरा व मेरे भाई कन्हैयालाल व गणपत तीनों भाईयों के शामलाती में एक बाड़ी है जिसमें मेरे भाई के लड़के मौजीलाल ने मेरे घर मेढ. पर कोट चुन दिया। इस पर मेरे लड़के ने उस कोट को ढ़ा दिया कि यह हमारे हद में है। इस बात पे हमारे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। वह तहसील में भी कार्यवाही चल रही है। परसों करीब 10-11 बजे बगीचे से

रोटी खाने गांव आ रहा था। मेरे कन्धे पर बन्दूक व एक हाथ में लकड़ी थी कि मुझे रास्ते पर बाड़ी के पास मोजीलाल मिला और उसने कहा कि तू मुझे मारने के लिये बन्दूक लिये लिये फिरते हो। आज भी तुम्हारे लड़के ने मुझे मारने की धमकी दी है। मेरे पास से बन्दूक ले ली और कहा कि इसे थाने में ले जाकर पेश करूंगा। उस समय वहां पर नाथू शहर मौजूद था तथा मैंने घर पर जाकर भी बन्दूक मांगी तो कुरिया लेकर कहा कि अगर मुझ से बात करी तो मार डालूंगा। उस समय वहां पर देबीलाल धाकड़ भी था। उसने देखा है। फिर मैं मेरे आमों की रखवाली चला गया था। आज मेनतिया रखकर रिपोर्ट को आया हूं। कार्यवाही की जावे। द. आशाराम।

कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट मैंने सुनी व समझी, सुन सही होने पर हस्ताक्षर किये। उपरोक्त रिपोर्ट के घटित तथ्यों से मामला काका भतीजा की रंजिशों का व नुक्शे का प्रतीत होता है। बन्दूक सम्बन्ध में रपट नं० भी दर्ज हुई है। अतः रपट 107 जाप्ता फौजदारी में जांच तलब की जाकर फरयादी को रूखसत किया गया। द० आसाराम द० लेखक।

रपट नं० 531 समय 3 पी. एम. रपट 107 जाबता फौजदारी दि० 22-6-78 थाना मोठपुर जिला कोटा।

इस समय श्री जगन्नाथ पुत्र श्री नोथालाजी जाति कुमावत उम्र 40 साल पेशा काश्तकारी नि० किशनपुरा ने हाजिर थाना होकर जबानी रिपोर्ट की कि मेरी बाणजी बरजी जो चन्ना भाटी ब्याही थी उसके पति के दुख देने के कारण अदालत एम० जे० एम० झालावाड़ से आजाद हो चुकी है, जिसका सुपुर्दगी नामा का आदेश अदालत में मेरे नाम किया है, व लड़की मेरे घर पर रहती है व अपना परलिया मदन पुत्र दौलतराम कुमावत नि० चूनाभटी थाना असनावर ने मुझे धमकी दी है कि तुझे जान से खत्म करके मेरी घर वाली को ले जाऊंगा। रिपोर्ट कर आया हूं। कार्यवाही की जावे। निशानी जगन्नाथ।

कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट मैंने सुनी व समझी। रिपोर्ट मेरे जबानी कहे मुताबिक शब्द ब शब्द सही लिखी गई है। सही मान अंगूठा निशानी किये। मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 107 जा० फौजदारी का पाया जाता है। अत: पंचायत फरियादी को रहबरी अदालत कर रुखसत किया गया। नकल रिपोर्ट दी गई। द० लेखक निशानी व जगन्नाथ।

गोपाल पचेरवाल
विधायक
केशोवराय पाटन, बूंदी (राजस्थान)
फोन: 48
क्रमांक

फोन: 75313
73980
प्लेट नं० 15
विधायक निवास, जयपुर
दिनांक 15-9-78

सेवामें

उप-महानिरीक्षक जी,
पुलिस विभाग
कोटा खण्ड, कोटा।

दिनांक 26-6-78 को ग्राम पाटना तहसील अटरू, जिला कोटा के निवासी

(196)

श्री प्रभूलाल हरिजन (मेहतर) के परिवार पर ग्राम महाराजपुरा, तहसील अटरू, जिला कोटा के निवासी प्रभूलाल, जाति मीणा द्वारा उक्त तिथि को अचानक कातलाना हमला बोल दिया ।

मेहतर परिवार अपनी जान रक्षा के लिए निरन्तर हमलावर से विनती करता रहा पर एक नहीं सुनी, मेहतर परिवार ने चालाकी से हमलावर को अपने मकान में बन्द कर थाना मोठपुर में इत्तला कर गिरफ्तार करवा दिया और कुछ दिन बाद न्यायालय बारां से जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

श्री प्रभुलाल मीणा अपनी रिहाई के बाद निरन्तर मेहतर परिवार को जान से मारने तथा मकान में आग लगाने की धमकी दे रहा है और दिनांक 18-8-78 को मेहतर के मकान का ताला व किवाड़ तोड़ कर कपड़े बिस्तर आदि बाहर निकाल कर आग लगा दी, तथा कुछ सुअरों को मार दिया जिसकी सूचना दिनांक 28-8-78 को डिविजनल मेहतर समाज सुधार संघ, कोटा के कार्यकर्त्ता और द्वारा आपके कार्यालय में उपस्थित होकर लिखित में आपको एवं जिलाधीश, कोटा को दी गई । लेकिन अफसोस है अभी तक आप द्वारा की गई कार्यवाही से संघ को अवगत नहीं कराया गया और अपराधी के बढ़ते हुवे मनोबल से लगता है कि पुलिस इस मामले में उदासीनता बरत रही है जब कि मेहतर परिवार खतरे में है ।

अतएव उक्त तथ्यों पर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि मेहतर परिवार की सुरक्षा की जाकर श्री मीणा द्वारा मेहतर परिवार को पहुंचाई गई हानि का जायजा लेकर क्षतिपूर्ति दिलवाने एवं सुरक्षा सम्बन्धी उचित कार्यवाही करने का श्रम कर अवगत करावें ।

धन्यवाद ।

ह०
(गोपाल पचेरवाल)
विधायक

प्रतिलिपिः—

माननीय श्री सम्पतरामजी, गृह मन्त्री, राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ एवं करने आवश्यक कार्यवाही हेतु

परिशिष्ट 11

(अतारांकित प्रश्न सं० 367 की सूची)

आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले वर्तमान विधायकों की सूची:–

(1)	श्री गिरधारीलाल भार्गव	मीसा
(2)	श्री भंवरलाल शर्मा	मीसा
(3)	श्री सूर्यनारायण चौधरी	मीसा
(4)	श्री त्रिलोक चन्द जैन	मीसा
(5)	श्री भैरोंसिंह शेखावत	मीसा
(6)	श्रीमती उजला अरोड़ा	मीसा
(7)	मास्टर आदित्येन्द्र	मीसा
(8)	प्रो० केदार शर्मा	मीसा
(9)	श्री राम प्रसाद लड्ढा	डी०आई०एस०आई०आर०
(10)	श्री मनोहरसिंह मेहता	डी०आई०एस०आई० आर०
(11)	श्री कौशल किशोर	मीसा
(12)	श्री ओमप्रकाश शर्मा	मीसा
(13)	श्री गणेशीलाल	मीसा
(14)	श्री माणकलाल ठाकुर	मीसा
(15)	श्री गुरुचरण छाबड़ा	धारा 107/151सी-आर.पी.सी.
(16)	श्री श्योपतसिंह	मीसा
(17)	श्री रघुनन्दन व्यास	मीसा
(18)	श्री नरेन्द्रपाल सिंह	मीसा
(19)	श्री कैलाश मेघवाल	मीसा
(20)	श्री नन्दलाल मीणा	डी०आई०एस०आई०आर०
(21)	श्री गुलाबचन्द कटारिया	डी०आई०एस०आई०आर०
(22)	श्री जीथिग भाई	डी०आई०एस०आई०आर०
(23)	श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	मीसा
(24)	श्री हजारीलाल	मीसा
(25)	श्री जीतमल जैन	मीसा
(26)	श्री हरिसिंह यादव	मीसा
(27)	श्री भवानीसिंह आर्य	मीसा
(28)	श्री गंगा सहाय कोली	डी०आई०एस०आई०आर०
(29)	श्री गोविन्द सहाय	सी-आर०पी०सी०

(30)	श्री किशनसिंह भाटी	मीसा
(31)	श्री विज्ञान मोदी	मीसा
(32)	श्री बिरदमल सिंघवी	मीसा
(33)	श्री बालकिशन थानवी	डी०आई०एस०आई०आर०
(34)	श्री बिरधी चन्द	मीसा
(35)	श्री चिरंजीलाल गर्ग	मीसा
(36)	श्री रतनलाल वर्मा	मीसा
(37)	श्री नवलराय बच्चानी	मीसा
(38)	श्री उगमराज मेहता	डी०आई०एस०आई०आर०
(39)	श्री ईश्वर चन्द भटनागर	मीसा
(40)	श्री निर्मल कुमार सकलेचा	मीसा
(41)	श्री बाल चन्द	डी०आई०एस०आई०आर०
(42)	श्री दाऊदयाल जोशी	मीसा
(43)	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	मीसा
(44)	श्री रघुवीरसिंह कौशल	मीसा
(45)	श्री हरीश शर्मा	मीसा
(46)	श्री पुरुषोत्तमदास मंत्री	मीसा
(47)	श्री आर० के० दास० गुप्ता	मीसा
(48)	श्री काशीनाथ गुप्ता	मीसा
(49)	श्री सुरेश कुमार	मीसा

सूची आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले

वर्तमान विधायक जिन्हें पेरोल पर रिहा किया गया

1. श्री जीतमल जैन
2. श्री भवानीसिंह आर्य
3. श्री ओम प्रकाश शर्मा
4. श्री आपाकलाल ठाकुर
5. श्री कैलाश मेघवाल
6. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
7. श्री किशनसिंह भाटी
8. श्री विज्ञान मोदी
9. श्री बिरदमल सिंघवी
10. श्री निर्मलकुमार सकलेचा
11. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
12. श्री रघुवीरसिंह कौशल

13. श्री काशीनाथ गुप्ता
14. श्री सूर्यनारायण चौधरी
15. मास्टर आदित्येन्द्र

सूची आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले

वर्तमान विधायक जिनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी गयी

1. श्री कौशल किशोर जैन
2. श्री रघुनन्दन व्यास
3. श्री कैलाश मेघवाल
4. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा
5. श्री हजारीमल
6. श्री भवानीसिंह आर्य
7. श्री जीतमल जैन
8. श्री किशनसिंह भाटी
9. श्री विरधमल सिंघवी
10. श्री विरधी चन्द
11. श्री चिरन्जीलाल गर्ग
12. श्री नवलराय बच्चानी
13. श्री निर्मल कुमार सकलेचा
14. श्री दाऊ दयाल जोशी
15. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी
16. श्री काशीनाथ गुप्ता

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 374 की सूची)

राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

पिछले एक वर्ष में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अध्यापकों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा अशैक्षणिक कर्मचारियों के वेतनमान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतनमान के अनुरूप कर उनमें स्थिरीकरण किया गया था:—

(क) शैक्षणिक अधिकारी :

1.	प्रोफेसर	40
2.	रीडर	103
3.	व्याख्याता	559
		702

(ख) प्रशासनिक अधिकारी:

1.	कुल सचिव	1
1.	(अ) परीक्षा नियन्त्रक	1
2.	उप-कुल सचिव	7
3.	सहायक कुल सचिव	13
4.	अनुभागाधिकारी	32
		54

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न 377 की सूची)

क्र० सं०	नाम	आयु	सार्वजनिक सेवा की अवधि	पूरा पता
1	2	3	4	5
	श्री नगर विकास न्यास, अजमेर			
1.	श्री बालमुकुन्द शर्मा	67 वर्ष	लगभग 40 वर्ष	डा० अम्बालाल चिकित्सा सदन, श्री नमदयालमार्ग, अजमेर।
2.	श्री कल्याणसिंह सांखला (अनुसूचित जाति)	42 वर्ष	लगभग 18 वर्ष	हिन्द मोची मोहल्ला, अजमेर।
3.	श्री नवलराय	51 वर्ष	लगभग 37 वर्ष	हाथीबाडा, अजमेर।
4.	श्री बृज कुमार गोयल	42 वर्ष	लगभग 72 वर्ष	7, काला बाग, अजमेर।
	नगर विकास न्यास, कोटा			
1.	श्री हरिकुमार औदिच्य	47 वर्ष	लगभग 16 वर्ष	बडे देवता जी की हवेली, रिपटा पादनपोल, कोटा।
2.	श्री परमानन्द	47 वर्ष	लगभग 25 वर्ष	परमानन्द प्रेस, रामपुरा गेट, लाडपुरा, कोटा।
3.	श्री अब्दुल कादिर	55 वर्ष	सन् 1944 से	करवला, लाड़पुरा, कोटा।
4.	श्री मोड़ूलाल (अ. जाति)	38 वर्ष	सन् 1956 से	रैंगर मोहल्ला घंटाघर, कोटा
	नगर विकास न्यास, बीकानेर			
1.	श्री मकन लाल जोशी	41 वर्ष	लगभग 12 वर्ष	नस्सूर दरवाजे के बाहर, बीकानेर।
2.	श्री रामकृष्ण दास गुप्ता	35 वर्ष	लगभग 7 वर्ष	श्री रामकृष्ण दास गुप्ता, विधायक, बीकानेर

1	2	3	4	5
3.	श्री सोमदत्त श्रीमाली	44 वर्ष	लगभग 14 वर्ष	कोटगेट रेल्वे क्रासिंग के पास, बीकानेर ।
4.	श्री कालूराम हटीला (अनुसूचित जाति)	48 वर्ष	लगभग 20 वर्ष	का.ूवाटी के अन्दर, बीकानेर ।
	नगर विकास न्यास, जोधपुर			
1.	श्री रेवाचन्द	59 वर्ष	सन् 1962	मेड़तिया गेट के अन्दर, जोधपुर ।
2.	श्री माधोसिंह	43 वर्ष	लगभग 20 वर्ष	57, रामोला, नागोरी गेट के बाहर, जोधपुर ।
3.	श्री विरधमल सिंघवी	50 वर्ष	लगभग 30 वर्ष	मानक चौक, जोधपुर ।
4.	श्री मोहन मेघवाल (अनुसूचित जाति)	39 वर्ष	लगभग 16 वर्ष	न्यास क्वाटर, प्रताप नगर, जोधपुर ।
	नगर विकास न्यास, उदयपुर			
1.	श्री मदन लाल घुप्पड	53 वर्ष	सन् 1942 से	देहली दरवाजा, उदयपुर ।
2.	श्री गुलाबचन्द कटारिया	33 वर्ष	पिछले 10 वर्ष से	माल्लामगरा हाउसिंग बोर्ड, उदयपुर ।
3.	श्री जमनालाल	51 वर्ष	पिछले 15 वर्ष से	क्वाटर नं० 2 ग उदयपुर प्राचार्य श्रमजीवी कालेज, उदयपुर।
4.	श्री किशनलाल सालवी (अनु० जाति)	50 वर्ष	पिछले 10 वर्ष से	साईकल की दुकान पुराना रेल्वे टावर, उदयपुर ।
	नगर विकास न्यास, जयपुर			
1.	श्री गिरधारी लाल भार्गव	47 वर्ष	30 वर्ष से	कान महाजन का वड़, पुरानी वस्ती जयपुर ।
2.	श्री गुल मोहम्मद	33 वर्ष	21 वर्ष से	सार्दुलसिंह की नाल, गणगौरी बाजार, छोटी चौपड़, जयपुर ।
3.	श्री श्यामदास कोकिल	64 वर्ष	53 वर्ष से	जनता टिम्बर मार्ट, नाहरगढ रोड, चांदपोल, जयपुर ।
4.	श्री अशोक कुमार बैरवा (अनु०जाति)	36 वर्ष	20 वर्ष से	पुरानी वस्ती, चांदपोल बाजार, जयपुर ।

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न 380 की सूची)

तालिका 'अ'

चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण निदेशालय, राज०, जयपुर ।

क्र०सं०	जिले का नाम	स्टरलाइजेशन फ्रोम जून, 77 से मेल	फिमेल	अगस्त, 1978 योग	
(1)	अजमेर	129	519	648	
	मेडिकल कॉलेज	75	725	800	
(2)	अलवर	129	263	392	
(3)	भरतपुर	56	193	249	
	धोलपुर	13	55	68	
(4)	जयपुर-I	131	974	1105	
	जयपुर-II	126	358	484	
	मेडिकल कॉलेज	184	1442	1590	
(5)	सीकर	64	233	297	
(6)	झुन्झुनू	143	814	957	जून 78 तक
(7)	टोंक	20	66	86	
(8)	सवाई माधोपुर	43	20	63	
(9)	बीकानेर	29	106	135	
	मेडिकल कॉलेज	194	681	875	
(10)	गंगानगर	216	609	825	
(11)	चूरू	113	362	475	
(12)	नागौर	88	333	421	
(13)	जोधपुर	47	192	239	
	मेडिकल कॉलेज	123	1287	1410	
(14)	जालौर	15	200	215	
(15)	बाड़मेर	17	96	113	
(16)	जैसलमेर	10	36	46	
(17)	पाली	35	428	463	
(18)	सिरोही	30	361	391	
(19)	कोटा	90	457	547	
(20)	बून्दी	8	64	72	
(21)	झालावाड़	40	281	321	
(22)	उदयपुर	117	173	290	
	मेडिकल कॉलेज	94	1015	1109	
(23)	चित्तौड़गढ	76	327	403	
(24)	भीलवाड़ा	93	217	310	
(25)	डूंगरपुर	21	457	478	
(26)	बांसवाड़ा	50	545	595	
	राजस्थान योग ..	2586	13891	16477	

परिवार कल्याण कार्यक्रम प्रगति 1978–79 (अप्रैल से सितम्बर, 1978 तक)

	जिला	बन्ध्याकिरण पुरुष	स्त्री	योग	लूप प्रविष्टि	सी०सी० उपयोगकर्ता
1.	अजमेर	116	457	573	483	1965
2.	अलवर	64	143	207	222	4450
3.	भरतपुर	97	141	238	203	2409
4.	धौलपुर	3	19	22	17	831
5.	जयपुर	204	1268	1472	1100	4918
6.	सीकर	44	97	141	100	2049
7.	झुंझुनूं	59	318	377	145	1200
8.	टोंक	10	33	43	93	2403
9.	सवाई माधोपुर	35	70	105	189	2255
10.	बीकानेर	92	418	510	360	2227
11.	गंगानगर	217	617	834	470	6370
12.	चूरू	42	156	198	60	1136
13.	नागौर	53	170	223	172	3939
14.	जोधपुर	57	634	691	450	2725
15.	जालोर	4	44	48	69	497
16.	बाड़मेर	3	39	42	121	1135
17.	जैसलमेर	—	21	21	44	145
18.	पाली	18	163	181	237	1520
19.	सिरोही	10	161	171	290	1664
20.	कोटा	31	211	242	195	6681
21.	बूंदी	5	43	48	245	1319
22.	झालावाड़	15	138	153	143	1292
23.	उदयपुर	159	560	719	737	2316
24.	चित्तौड़गढ़	38	130	168	256	2466
25.	भीलवाड़ा	43	79	122	327	3425
26.	डूंगरपुर	2	181	183	52	858
27.	बांसवाड़ा	16	182	198	55	2860
	राजस्थान योग	1437	6493	7930	7185	65065

(205)

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न 382 की सूची)

पांच वर्षों से एक ही विभाग में कार्य रत अधिकारियों की सूची

क्र०सं०	नाम अधिकारी	विभाग	पद	अवधि
1.	श्री रामनारायण शर्मा	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राज०, जयपुर	निदेशक	1-9-73 से निरंतर
2.	श्री बी०डी० अग्रवाल	मूल्यांकन विभाग	उप निदेशक संयुक्त निदेशक निदेशक	11-7-67 से 2-4-76 3-4-74 से 13-12-77 14-12-77 से निरन्तर
3.	श्री महेशचन्द्र सक्सेना	आ. एवं सा. निदेशालय, जयपुर	उप-निदेशक (सांख्यिकी)	17-11-71 से निरन्तर
4.	श्री जी० के० ओजा	उद्योग विभाग राज., जयपुर।	उप-निदेशक (सांख्यिकी)	18-11-71 से निरंतर
5.	श्री जे०पी० सपरा	राज्य परिवार कल्याण केन्द्र, जयपुर।	डीमोग्राफर	25-4-73 से निरंतर
6.	श्री आर० सी० अर्थया	राजस्व मडल, अजमेर।	उप-निदेशक (सांख्यिकी)	18-8-71 से निरन्तर
7.	श्री एस०के० मार्गव	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, जयपुर।	उप-निदेशक (सांख्यिकी)	17-7-72 से निरंतर
8.	श्री लक्ष्मणसिंह तंवर	आयोजना विभाग, सचिवालय, जयपुर।	उप-निदेशक (सांख्यिकी) उप-निदेशक (वित्त) उप-निदेशक (बी०एस०डी०)	10-4-72 से 19-8-77 20-8-77 से 4-3-78 4-3-78 से 12-6-78
9.	श्री सी०आर० सिंघवी	कार्यालय मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग।	उप-निदेशक संयुक्त निदेशक	2-9-78 से 28-9-78 29-9-78 से निरंतर
10.	श्री के०सी० चौधरी	मूल्यांकन संगठन	सहायक निदेशक उप-निदेशक	28-12-67 से 13-9-74 13-9-74 से निरंतर
11.	श्री डी०एस० व्यास	आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय।	सहायक निदेशक उप-निदेशक	1-4-71 से 13-9-74 10-9-74 से निरंतर
12.	श्री हीरो वदलानी	आयोजना विभाग सचिवालय।	सहायक निदेशक उप-निदेशक	24-4-73 से 14-7-75 14-7-75 से निरंतर
13.	श्री ए० के० मेहता	आयोजना विभाग सचिवालय। आयोजना विभाग (जनशक्ति) सचिवालय	सांख्यिकी अधिकारी सहा० निदेशक उप-निदेशक	20-9-67 से 13-9-74 13-9-74 से 30-6-78 31-7-78 से निरंतर
14.	श्री बी०के० गुप्ता	समाज कल्याण विभाग	सांख्यिकी अधिकारी सहा० निदेशक	1-3-72 से 10-11-76 10-11-76 से निरंतर

पिड़ावा क्षेत्र में नई सड़क

396. **श्री ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सन् 77-78 में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में एक भी नई सड़क के लिए बजट वास्तविक रूप में आवंटन नहीं किया है ? यदि हां, तो इस विषमता का क्या कारण है ?

उत्तर

रिचर्ड नदी के पुल के कार्य हेतु 30,000/- का वर्ष 77-78 में प्रावधान था जो वर्ष 77-78 में ही पूर्ण हुआ ।

प्लान का प्रावधान जिलेवार होता है, न कि विधान सभा क्षेत्र के अनुसार और नई सड़कों की स्वीकृति जनसंख्या के आधार पर की जाती है । पिछले वर्ष 5,000 से अधिक आबादी के गांवों को जोड़ने वाली सड़कों की ही स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

बाड़मेर जिले की सड़क

397. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य सरकार सीमावर्ती बाड़मेर जिले की निम्नलिखित सड़कों को देश की सुरक्षा के लिए सुरक्षा सड़कों में लेना आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इसके बारे में केन्द्रीय सरकार को अपने सुझाव भेजे हैं :—

(1) बाड़मेर से हरसाणी वाया वैसाली।

(2) चौहटन से गांधव वाया बारवासर।

(3) बाड़मेर से जोधपुर वाया बायतू
या
बाड़मेर से जोधपुर वाया सिणधरी।

(4) रामसर से गिराब

(5) रामसर से चोहटण

(2) क्या राज्य सरकार ने जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर सीमावर्ती जिलों के लिए भी नई सुरक्षा सड़कों के निर्माण के बारे में केन्द्रीय सरकार को सुझाव भेजे हैं ?

(3) उन सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये तथा उसकी प्रगति क्या है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

सीमावर्ती सड़कों के केन्द्र सरकार के रक्षा एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा ही निर्धारित कर स्वीकृत की जाती हैं ।

(2) जैसा कि प्रश्न एक के उत्तर में बताया गया है कि सुरक्षा के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा ही निर्धारित किया जाता है ।

3. प्रश्न नहीं उठता है ।

जयपुर-जोधपुर सड़क

398. **श्री रामसिंह विश्नोई** (लूणी): क्या सार्वजनिक विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर-जोधपुर सड़क जो जोधपुर से बर तक वाया बिलाड़ा जाती है को चौड़ी करने के लिए दो वर्षों में कितना बजट प्राव-

(श्री रामसिंह विश्नोई)
ध्यान रखा गया और इसकी कब तक पूरी होने की संभावना है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर मिलेट्री के भारी वाहन चलने के कारण प्रति वर्ष सड़क की टूट-फूट बड़े पैमाने पर हो जाती है ? यदि हां, तो इसके एवज में क्या भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से राज्य सरकार को कोई अंशदान के रूप में धनराशि मिली है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस सड़क पर स्थित बांणगंगा के पुल के अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण दो माह तक पूरा यातायात बन्द रहा था और इसके कारण राज्य सरकार की लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हुआ ?

(4) क्या जोधपुर-जयपुर सड़क के बाण गंगा के मोड़ व बांणगंगा के सदैव बहने वाले नाले के ऊपर पुल बनाने की कोई योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? अगर हां, तो इसके लिए इस वर्ष कितनी धनराशि इस कार्य को सम्पूर्ण कराने हेतु रखी गई है ?

उत्तर

(1) सन् 1976-77 में जोधपुर-बिलाड़ा रोड को चौड़ी करने के लिये एक लाख रुपये का प्रावधान पत्र संख्या एफ. 7 7(44) सैक्शन-11। 76 दिनांक 25-2-1977 द्वारा किया गया तथा 77-78 में इसके लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया। अब पत्र संख्या एफ. 2(10) पी०डब्लू०ए०एस० डी-1825।ए० एस० दिनांक 15-7-1978 द्वारा रुपये 6 लाख की मंजूरी किलोमीटर 85 से 89 तक सड़क मजबूत बनाने व चौड़ी करने के लिये स्वीकृत की गई है जिसमें इस वर्ष 1978-79 में 1,50,000।-रु० प्रावधान है तथा काम हाथ में ले लिया गया है।

(2) जी हां। मिलेट्री के भारी वाहन चलने से सड़क की टूट-फूट अधिक होती है क्योंकि उक्त सड़क इसके लिये डिजाइन नहीं है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से कोई भी अंशदान के रूप में धनराशि नहीं मिली है। केन्द्र सरकार से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार और डिमान्ड रखने पर केन्द्र सरकार ने इस राज्य की इस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

(3) जी हां। सन् 1976 में अतिवृष्टि से पिचियाक बांध के टूटने के कारण उक्त क्षति हुई व यातायात बन्द रहा।

(4) बांणगंगा के मोड़ पर बांणगंगा के सदैव बहने वाले नाले के ऊपर पुल बनाने की योजना छठी योजना के प्रस्तावों में सम्मिलित कर ली गई है तथा इस वर्ष इसके लिये कोई धनराशि नहीं रखी गई है। सन् 1979-80 में इस कार्य के लिये धनराशि प्रस्तावित है।

राज्य में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से क्षति

399. श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज): क्या बाढ़ एवं राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) इस वर्ष भीषण अतिवृष्टि और बाढ़ से राज्य में कितनी हानि हुई है तथा राज्य सरकार ने राहत के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

(श्रीमती नारंगीदेवी)

(2) क्या यह सही है कि भीषण अतिवृष्टि पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान अनुसूचित जाति के लोगों को हुआ है ? यदि हां, तो बाढ़ पीड़ितों को सहायता किस-किस क्षेत्र में पहुंचाई गई, कितने व्यक्तियों को सहायता दी गयी तथा कब-कब दी गई ?

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य के विभिन्न जिलों में बाढ़ व अतिवृष्टि से हुई क्षति एवं राहत व्यवस्था का प्रतिवेदन संलग्न है ।

(2) राज्य के पश्चिमी जिलों में से केवल बीकानेर जिले में ही बाढ़-अतिवृष्टि से क्षति हुई है । सहायता विभाग के मद से इस वर्ष तत्कालिक राहत हेतु बीकानेर जिले के लिए 2 लाख 50 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है । इस राशि में से जिलाधीश द्वारा केवल अनुसूचित जाति के 496 परिवारों को 51 हजार रुपये से अधिक की राशि का वितरण किया जा चुका है । शेष राशि के वितरण की कार्यवाही की जा रही है । जिलाधीश, बीकानेर के अनुसार अतिवृष्टि से प्रभावित 2259 परिवारों में से 23 लोग अनुसूचित जन-जाति के हैं । ऐसे परिवारों को मकानों की सहायता के अलावा आटा, सिरकियां एवं वांस मुफ्त उपलब्ध कराये गये हैं तथा सीमेंट व टिन की चद्दरें की कीमतन उपलब्ध कराई गई है ।

———

राजस्थान में वर्ष 1978 में बाढ़ व अतिवृष्टि से हुई जन-धन क्षति का विवरण

क्र. सं.	नाम जिला	जन हानि	पशु हानि संख्या	खरीफ फसल क्षति रुपये (लाखों में)	मकानों की क्षति संख्या	मकानों की क्षति हानि रुपयों में (लाखों में)	निजी क्षति सिंचाई कुओं की क्षति, रुपयों में (लाखों में)	सार्वजनिक सम्पति की क्षति: सा.नि.वि. की हानि रुपयों में (लाखों में)	सार्वजनिक सम्पति की क्षति: सिंचाई विभाग की हानि रुपयों में (लाखों में)	सार्वजनिक सम्पति की क्षति: जन स्वास्थ्य विभाग की हानि रुपयों में (लाखों में)	सार्वजनिक सम्पति की क्षति: सरकारी इमारतों की हानि	सार्वजनिक सम्पति की क्षति: अन्य सार्वजनिक अर्द्ध सरकारी मकानों की हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	बीकानेर	2	—	391.10	1644	36.35	—	2.00	—	—	13.25	—
2.	अलवर	6	17	282.25	8926	31.10	1.29	35.72	45.00	—	12.00	0.04
3.	भरतपुर	13	42	306.69	3488	35.68	—	30.05	66.45	1.36	0.27	—
4.	चूरू	18	178	606.46	96058	816.75	—	117.66	—	—	21.72	—
5.	जयपुर	15	250	100.00	6042	40.00	12.50	77.00	42.50	0.40	10.00	—
6.	झुंझुनू	19	286	100.00	48810	550.88	13.30	10.30	43.50	1.70	13.15	—
7.	सीकर	6	130	—	27438	—	4.00	37.80	94.00	1.39	—	
8.	गंगानगर	19	—	15.00	18530	185.30	—	9.00	8.98	—	8.50	—
9.	बांसवाड़ा	6				—						
10.	पाली	—	—	—	4	0.19	—	—	—	21.50	—	—
11.	झालावाड़	—	—	—	2	0.01	—	—	—	30.05	—	—
12	कोटा	5	—	—	60	अप्राप्त	—	—	—	51.00	—	—
13.	नागौर	—	—	—	2	0.02	—	—	—	—	—	—
	कुल योग ..	109	903	1801.50	211004	1696.28	31.09	319.53	300.43	107.40	78.89	0.04

209

वर्ष 1978 में बाढ़ सहायता

1978 में भी अतिवृष्टि एवं बाढ़ से राज्य के 13 जिले (चूरू, झुंझुनूं, सीकर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, पाली, झालावाड़, कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर) प्रभावित हुए। इन जिलों में चूरू, सीकर, झुंझुनूं, बीकानेर, श्री गंगानगर, भरतपुर तथा अलवर जिलों में भारी नुकसान निजी एवं सार्वजनिक सम्पत्ति को बाढ़ एवं अतिवृष्टि से हुआ है।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोगों को तात्कालिक राहत उपलब्ध कराने हेतु इस वर्ष राज्य सरकार ने सहायता विभाग की मद से 142.36 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इसके अलावा विभागीय मद से 50 लाख रुपये की कृषि तकावी हेतु स्वीकृत किये गये हैं। बाढ़ राहत व सहायतार्थ निम्न कदम उठाये गये हैं:—

(1) बाढ़ से प्रभावित लोगों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई।

(2) बाढ़ के पानी से घिरे हुए या या घिर जाने की आशंका वाले क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की गई तथा भरे हुए पानी को पम्पों व अन्य साधनों से निकलवाने की कार्यवाही की है।

(3) बाढ़ से प्रभावित लोगों को अस्थाई आवास व्यवस्था एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई और इस हेतु प्रभावित लोगों को सिरकियां, टीन शीट्स तथा सीमेन्ट का वितरण किया गया।

(4) बाढ़ से पूर्णतया एवं आंशिक रूप से ध्वस्त हुए निजी मकानों के मालिकों को अनुदान स्वीकृत किया गया।

(5) बाढ़ से प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का आवश्यक प्रबंध किया।

(6) बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में तकावी वितरण।

(7) बाढ़ सुरक्षा कार्य एवं क्षतिग्रस्त कार्यों का निष्पादन।

सहायता विभाग द्वारा ऐसे परिवारों को जिनके मकान पूर्णरूप से ध्वस्त हो गये हैं को मुफ्त सहायता के रूप में 300/- रु. प्रति मकान की दर से वितरित किये। ज्ञातव्य रहे कि इस प्रकार का अनुदान सन् 1976 में केवल 100/- रु. था जो बढ़ाकर 300/- रु. किया गया है। जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन लोगों को 25/- रु. 100/- रु. तक की मुफ्त इमदाद दी गई। चूरू, सीकर तथा झुंझुनूं जिलों की विशेष स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने इन जिलों के अभावग्रस्त लोगों की आय के आधार पर 300/- रु. की मुफ्त इमदाद की धनराशि के बजाय 500/- रु. तक दिये जाने के आदेश भी दिये है।

प्रभावित लोगों को समुचित आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष विशेष रूप से सिरकियों, तिरपाल तथा टीन की चद्दर बाढ़ पीड़ितों को उपलब्ध कराई गई हैं। बाढ़ प्रभावित जिलों हेतु उपलब्ध सामान्य कोटे के अतिरिक्त 9050 टन सीमेन्ट और 1000 टन टीन शीट्स का कोटा विशेष रूप से आवंटित किया गया है।

तात्कालिक बाढ़ सहायता हेतु बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रिहेबिलीटेशन हेतु 7.49 लाख

रुपये, केश डोल्स के मद में 129.219 लाख रुपये तथा भोजन और कपड़ों की व्यवस्था के अन्तर्गत 5.66 लाख कुल 142.379 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मुख्य मंत्री सहायता कोष से लगभग 3 करोड़ रुपये की धनराशि बाढ़, अतिवृष्टि, अग्नि व अन्य आपदाओं से प्रभावित लोगों की सहायतार्थ विभिन्न जिलों को आवंटित की गई हैं।

राज्य सरकार ने बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों में गिरदावरी का कार्य करा लिया है और फसल की क्षति के अन्तिम अनुमान तैयार किये जा रहे हैं। भरतपुर जिले के कामां क्षेत्र मे बाढ़ की विशेष परिस्थिति को ध्यान मे रखते हुए राज्य सरकार ने कामां तहसील की ऐसी भूमि जो बाढ़ में आ गई है राजस्व की वसूली स्थगित करदी है। इन क्षेत्रों से उत्तरप्रदेश की और अधिक पानी निकालकर तथा पम्पों की मदद से बाढ़ के पानी को निकालने का कार्य चल रहा है। सिरोही जिले के रोहुआ ग्राम में भरे हुये पानी को निकालने हेतु 2.33 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

बाढ़ नियंत्रण एवं सहायता के मामलों पर निर्णय लेने हेतु राज्य सरकार ने मा. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री मण्डलीय उप-समिति का गठन भी किया है जिनके निम्न मंत्री सदस्य हैं:—

1. श्रम एवं यातायात मंत्री
2. सिचाई मंत्री
3. राजस्व मंत्री
4. सार्वजनिक निर्माण मंत्री

अतिवृष्टि एवं बाढ से राज्य के कई बांधों को क्षति होती आई है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न बांधों के अनुरक्षण (मेन्टीनेन्स) आदि से संबंधित व्यवस्था तथा उसमें वांछित सुधार आदि किये जाने हेतु निम्नलिखित सदस्यों की एक समिति का गठन किया है जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी :-

1. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग — अध्यक्ष
2. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग — सदस्य
3. अति. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग — सदस्य

यह समिति अतिवृष्टि से बांधों को होने वाली क्षति के कारणों की भी जांच करेगी।

भारत सरकार ने अध्ययन दल की रिपोर्ट पर राजस्थान सरकार को निम्न कार्यों के लिए अग्रिम योजना सहायता दिनांक 31-3-79 तक व्यय करने हेतु स्वीकृत की है :

1. निजी भवनों एवं क्षतिग्रस्त सेमी-गवर्नमेंट भवनों तथा क्षतिग्रस्त कच्चे मकानों की पुनः मरम्मत हेतु	(3.58 करोड रु० राशि में से अलाट किया जा रहा है)

2. अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं, गंगानगर, टोंक आदि जिलों में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण कार्य हेतु	1.50 करोड़ रु.	

राशि में से अलाट किया जा रहा है।

3. बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की पुल निर्माण मरम्मत हेतु	3.50 ,,
4. बाढ़ के पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज व पेयजल व्यवस्था हेतु	1.00 ,,
योग ..	9.58 करोड़ रु०

उक्त राशि का आवंटन निम्न प्रकार किया गया है :-

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग को	3.50 करोड़ रुपये
2. सिंचाई विभाग को	1.37 ,,
3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को	1.00 ,,
योग ..	5.87 करोड़ रु०

इसके अतिरिक्त निम्न राशि का आवंटन नीचे लिखे मुताबिक किये जाने की कार्यवाही की जा रही है :-

1. कच्चे मकानों के लिये अनुदान हेतु	2.90 करोड़ रु०
2. क्षतिग्रस्त, भरतपुर (सेमी गवर्नमेंट तथा पंचायत भवनों के लिए)	0.60 ,,
3. अलवर व भरतपुर जिले में झोपड़ियों के लिए	0.08 करोड़ रु०
4. सिंचाई विभाग को	0.13 ,,

भारत सरकार से कृषि तकावी हेतु 2 करोड़ रु. की सहायता प्राप्त हुई है उसकी औपचारिक स्वीकृति अभी भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए प्रयत्न जारी है।

उपरोक्त अग्रिम योजना सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार ने 7 हजार टन गेहूं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में वितरण हेतु निःशुल्क उपलब्ध कराया है जिसका उपयोग प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ से क्षतिग्रस्त कुओं एवं कृषि भूमि को पुनः उपयोगी बनाने में किया जावेगा।

ब्यावर-सोजत-बगड़ी रोड का निर्माण

401. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि 78-79 के आयव्ययक अनुमान परिशिष्ट के पेज नं. 339 पर ब्यावर-सोजत रोड से बगीड़ी तक सड़क बनाने के लिये सात लाख रुपये मन्जूर हुए हैं ?

(2) उपरोक्त सड़क से ग्राम बगड़ी ग्राम साड़ियां से कितनी दूरी पर पड़ता है तथा सोजत के मोड़ भट्टे से वाया सोजत रोड कितनी दूर पड़ती है ?

(3) क्या बजट के अनुसार श

(श्री माधवसिंह दीवान)

डिस्टेन्स लेना जरूरी नहीं था ? यदि हां, तो साड़िया वगड़ी रोड के निर्माण की क्या प्रगति है ? कितना रुपया इस पर खर्च हो चुका है तथा इसके कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) जी हां। वगड़ी अप्रोज रोड का कार्य स्वीकृत है और कार्य चालू है ।

(2) ग्राम वगड़ी ग्राम साड़िया के मोड़ से 8 कि. मीटर दूरी पर है। सोजत सिटी के मोड़ से बगड़ी वाया सोजत रोड साढ़े 18 कि० मीटर दूर है एवं पक्की डम्बर सड़क से वगड़ी की दूरी 6 कि०मीटर है ।

(3) जी हां। साड़िया वगड़ी रोड पर अभी कोई निर्माण कार्य हाथ में नहीं है । इस पर कोई खर्च नहीं किया है । अभी निर्माण कार्य स्वीकृत ही नहीं है तो उसके पूर्ण होने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

अकाल एवं बाढ़ ग्रस्त रेगिस्तानी क्षेत्रों को राहत

402. श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने स्थायी अकालग्रस्त रेगिस्तानी क्षेत्रों एवं सामान्यतः बाढ़-पीड़ित क्षेत्रों को तत्सम्बन्धित परिणामों से राहत दिलाने हेतु कोई स्थाई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? किस निश्चित अवधि तक ऐसी योजना बना दी जायेगी ?

(2) अकालग्रस्त क्षेत्रों के निवासियों की अकाल के परिणामस्वरूप जर्जरित आर्थिक स्थिति सुधारने की कोई योजना राज्य सरकार प्रस्तावित करने की इच्छा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो वह क्या है व किस निश्चित अवधि तक बनायी जायेगी ?

(3) अकालग्रस्त क्षेत्रों की जनता की आर्थिक स्थिति एवं विकास कार्यक्रमों तथा प्रगति में समृद्ध तथा विकसित क्षेत्रों में व्याप्त असन्तुलन मिटाने की राज्य सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) उक्त दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों को अन्य विकसित क्षेत्रों के समान किस निश्चित अवधि तक व किस प्रकार से लाया जायेगा ?

उत्तर

(1) अकाल एवं बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न हर समस्या का स्थाई हल सम्भव नहीं है। राज्य सरकार योजनाबद्ध तरीके से सामान्यतया अकाल एवं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों की इन आपदाओं से सम्बन्धित कठिनाइयों को कम करने हेतु सूखा-सम्भावित क्षेत्र योजना, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पशुपालन व चारागाह विकास तथा सिंचाई के अतिरिक्त साधनों का विकास करने का प्रयास कर रही है ।

बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ बचाव एवं बाढ़ सुरक्षा के कार्य हाथ में लिए जा रहे हैं । अकाल व बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं

(अकाल राहत मन्त्री)
की समस्या इतनी व्यापक है कि निश्चित अवधि को योजना बना कर इसे हल किया जाना काफी कठिन कार्य है।

(2) स्थिति भाग एक में स्पष्ट करदी गई है।

(3) भाग एक के उत्तर में उल्लेखित कार्यक्रमों के द्वारा अविकसित क्षेत्रों के आर्थिक उन्नति का सरकार भरसक प्रयत्न कर रही है।

(4) अविकसित क्षेत्रों की आर्थिक समस्याओं के निदान को निश्चित अवधि का बताया जाना सम्भव नहीं है।

गांवों को सड़कों से जोड़ने की नीति

403. **श्री एन० एन० शर्मा (बेगूं)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार ने गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिये कोई नीति निर्धारित की है ? क्या यह सही है कि इस वर्ष उन सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जायेगा जिनकी आबादी सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1500 या इससे अधिक है ?

(2) राज्य सरकार को क्या कोई राशि सड़कों के निर्माण हेतु विश्व बैंक से उपलब्ध कराई गई है ? अगर हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) यह सही है कि छठी पंचवर्षीय योजना में सभी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जावेगा जिनकी आबादी सन् 1971 के अनुसार 1500 या उससे अधिक है।

(2) राज्य सरकार को विश्व बैंक से सड़कों के लिये 1885.52 लाख रुपये राशि उपलब्ध करायी गयी है।

पांच हजार की आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना

405. **श्री हनुवन्तसिंह रागावत (बाली)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 5000 तक की आबादी के सभी गांव पक्की सड़क से जोड़ने का राज्य सरकार का निर्णय है ?

(2) क्या यह सही है कि नाणा गांव जिला पाली की जनसंख्या पांच हजार से भी ऊपर है और सेई फीडर के निर्माण के बाद वर्षा ऋतु में नाणा गांव का सभी सड़कों से सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है ? यदि हां, तो उपरोक्त कठिनाई को दूर करने के लिए राज्य सरकार के पास कोई पुल बनाने की योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कितने अर्से में पूरी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या पाली जिले का ही ग्राम बालूंदा भी पांच हजार की जनसंख्या का गांव है ? यदि हां, तो इसे पक्की सड़क से कब तक जोड़ दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) बाली नावां वाया सेवाड़ी की 38.00 लाख स्वीकृत की गई है व डामर सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। सेई फीडर निर्माण से प्रभावित सड़क पर जल निकास की स्थाई व्यवस्था सिंचाई विभाग द्वारा विचाराधीन कराया जा रहा है।

(3) जी नहीं, पाली जिले का बलूंदा ग्राम 1971 सेसंस के 5000 की जनसंख्या नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह सड़क प्रस्तावित किया गया हैं।

खातोली-केथोदा सड़क का निर्माण

407. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही हैं कि खातोली-केथोदा सड़क निर्माण कार्य सी. ए. डी. द्वारा पिछले वर्षों से चलाया जा रहा था? यदि हां, तो इस सड़क का कितने बार टेन्डर हुआ था तथा कितने-कितने रुपयों का?

(2) नियमानुसार इस सड़क का कार्य पूर्ण करने की क्या तिथि थी। अभी सड़क की क्या प्रगति है?

(3) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा इस सड़क का कार्य पूर्ण नहीं कराके निर्माण कार्य को बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या प्रजातन्त्र के युग में इस तरह से एक बार निर्णय लेने के बाद कार्य बीच में ही अधूरा छोड़ देना उचित है? क्या यह उस क्षेत्र की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं है?

(5) क्या राज्य सरकार इस युग में इस तरह निष्पक्ष रूप से जनहित में इस सड़क के निर्माण हेतु शीघ्र आदेश प्रदान करेगी ताकि वर्षों से उपेक्षित इस क्षेत्र की जनता का राज्य सरकार के प्रति विश्वास जम सके।

उत्तर

(1) जी हां। खातोली-केथोदा सड़क के निर्माण हेतु तीन वार टन्डर आमंत्रित जिसका विवरण निम्नांकित है-

क्र. सं.	टेण्डर आमंत्रित करने की दिनांक	टेण्डर की रकम
1.	20-3-76	58,90,903/-
2.	17-5-76	73,25,019/-
3.	30-11-76	76,90,710/-

(2) राजोपा—खातोली केथोदा सड़क का कार्य पूर्ण करने की तिथि 19-12-78 है। उपरोक्त सड़क कि. मी. 18/050 से 30/00 मेटल सड़क तक बन चुकी है। शेष कार्य 19-12-78 को पूर्ण होने की आशा है।

(3) उपरोक्त सड़क का निर्माण कार्य कि० मी० 05/0 से 43/0 तक करना था। राज्य सरकार द्वारा संशोधन करने पर 330 कि. मी. का ही निमार्ण करना है क्योंकि बची हुई धनराशि में इटावा पीपल्दा (विलेज सड़क) सड़क का निर्माण कार्य विश्व बैंक के अन्तर्गत सहायतार्थ कार्यों को पूर्ण करवाना है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) जी नहीं । राज्य सरकार के पुन: निर्णय के अनुसार कार्य निर्धारित दूरी तक का ही करवाया जा रहा ह ।

(5) बाकी कार्य 31/0 से 38/750 करवाने हेतु मामला विचाराधीन है ।

लालसर भांडारेज सड़क को अलवर-गंगापुर रोड से जोड़ने की योजना

408. श्री **बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि लालसर से गढ़मोरा होकर दौसा, भांडारेज रोड को अलवर-गंगापुर रोड से जोड़ने का प्लान राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है ? यदि हां, तो योजना को राज्य सरकार द्वारा कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

(2) क्या यह सही है कि हिण्डौन से धावन धौलेटा रोड पर अनेक वर्षों से कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में क्या प्रगति की गई है और इसके लिये वर्तमान सरकार ने क्या प्रावधान रखा है और इसे कब तक पूरा कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) लालसर से गढ़मोरा होकर दौसा भांडारेज रोड को अलवर गंगापुर-रोड से जोड़ने का कोई प्लान नहीं बनाया गया है। अत: इसे पूर्ण करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। केवल नांदोती से चिरवाड़ा 14 कि. मी. सड़क छठी पंचवर्षिय योजना में प्रस्तावित है ।

(2) यह सही नहीं है कि धावन धोलेटा रोड पर अनेक वर्षों से कार्य चल रहा है । स्वीकृति के अनुसार वर्ष 75 में 11 कि. मीटर का कार्य पूरा कर दिया गया था, 19 कि. मीटर के बकाया भाग के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है । छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा कराया जा सकेगा ।

ग्राम ईसरदा (सवाई माधोपुर) से निवाई तक सड़क का निर्माण कार्य

409. श्री **चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि ग्राम ईसरदा जिला सवाई माधोपुर से शिवाड़ पहाड़ी होते हुये निवाई तक पक्की सड़क बनाने का राज्य सरकार का इरादा है ? अगर हां, तो कब तक यह सड़क बनवा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

ईसरदा से ग्राम शिवाड़ पहाड़ी तक की 18 किलो मीटर लम्बी सड़क का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है । शिवाड़ से निवाई सड़क प्रस्तावित नहीं है ।

फलासिया क्षेत्र में सड़क का निर्माण

410. श्री **लालूदास** (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) फलासिया के क्षेत्र में सड़कों पर छठी पंचवर्षीय योजना में कितनी राशि अनुमानित की गयी ?

(श्री लालूदास)

(2) इस पिछड़े हुए इलाके के लिये सड़कों के निर्माण हेतु ट्राइबल वैलफेयर बोड के फण्ड से इन सड़कों का निर्माण पूरा कराया जा रहा है या नहीं? अगर नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में प्रस्तावित सड़कों की अनुमानित राशि रु० 103.66 लाख रुपये की है ।

(2) ट्राइबल एरिया प्लान के अन्तर्गत दो सड़कों– (1) गगरुद-कावड़ा से कोटड़ा, (2) अयारा अप्रोच रोड का कार्य प्रगति पर है । इसके अतिरिक्त एक सड़क नागमाला-सोम रोड का कार्य और इस निर्माण के लिये 50,000 रुपये जमा हुये हैं ।

ग्राम पंचायत करोंठ द्वारा किराये पर दी गई भूमि

411. श्री **श्रवण लाल** (हिण्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम करोंठ, तहसील राजगढ़, जिला अलवर की भूमि खसरा नं. 814 रकबा ।।। बीघा राजकीय भूमि है ? यदि हां, तो क्या यह भूमि पंचायत करोंठ की है अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग की ?

(2) क्या यह भी सही है कि यह जमीन पंचायत अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी पार्टी को किराये पर दी गई है ? यदि हां, तो किस दर पर एवं कब से किराये पर दी हुई है ?

(3) किरायेदार द्वारा कितनी रकम आज तक किराये की जमा करायी गई है ?

(4) क्या यह सही है कि इस भूमि पर पंचायत अथवा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किसी प्रकार की तामीर करने यानी मकान बनाने की इजाजत दी गई है ?

(5) इस भूमि का भाव क्या है ?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है ।

(2) जी हां। 6.86 प्रति माह 28-7-61 से है श्री जयनारायण-ओम प्रकाश माईनिंग कोन्टन राजगढ़ ।

(3) कुल रकम 27.44 पैसे जमा कराये हैं ।

(4) जी नहीं । सार्वजनिक विभाग द्वारा कोई मंजूरी नहीं दी गयी है ।

(5) यह भूमि 25.00 रु. प्रति वर्ग गज के भाव की है ।

मकराना क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

414. श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मकराना क्षेत्र में किन-किन सड़कों का काम चल रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) मकराना से गांवों को जोड़ने वाली सड़क जसरीया, बूवसू, देबारी, कचोलिया,

Page No 218

(218)

(श्री अब्दुल अजीज)
असखा, नगवाड़ा को कब तक राज्य सरकार पूरी करवायेगी ?

(3) बोरावड़, सबलपुर, सिरलू, लाडूली, बेसरोली होकर सड़क को जोड़ने के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) निम्नलिखित सड़कों पर कार्य चल रहा है:—

1. रेवत डूंगरी से माता भर माइन्स, मकराना।

2. बोरावड़ से बोरावड़ माइनिंग एरिया।

3. पिंक रेन्ज से चकडूंगरी मकराना।

4. मकराना-विदियाद सड़क सुधार।

5. मकराना से गुनावती सड़क सुधार।

6. मंगलाना से कमराना।

7. मकराना-बूड़सू।

(2) मकराना से बूड़सू सड़क का निर्माण कार्य चालू है मगर बीच में रास्ते में गतिरोध के कारण कार्य रुका रहा। अब मामला तय हुआ है सो फसलें कटने के बाद ही कार्य चालू हो सकेगा

(3) बोरावड़, सबलपुर, सिरल, लाडली, बेसरोली होकर सड़क बनाने की कोई स्वीकृति नहीं है।

अजमेर जिले के गांवों को सड़क से जोड़ना

415. **श्री चिरंजी लाल गर्ग (पुष्कर):** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जुलाई, 1977 से अगस्त, 1978 तक अजमेर जिले के कितने गांवों को सड़क से जोड़ा गया है ?

(2) इस वित्तीय वर्ष के अन्तर्गत कितने और गांवों को सड़कों से जोड़ने के राज्य सरकार के कार्यक्रम हैं ?

(3) अजमेर जिले में जुलाई, 1977 से अगस्त, 1978 तक कितने किलोमीटर नई सड़क बनाई गई है, इस पर कितना धन व्यय हुआ है और वह राज्य के लिए आवंटित रकम का कितना प्रतिशत है ?

उत्तर

(1) इस जिले में जुलाई, 77 से अगस्त, 78 तक किसी भी गांव को सड़क से नहीं जोड़ा गया।

(2) इस वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित गांवों को सड़क से जोड़ा जाने का कार्य प्रगति पर है :—

1. भराई से मान्हेड़ा
2. विजयनगर से सिकरानी
3. कालेसरा से बुधवाड़ा
4. पुराना ब्यावर से सराधना
5. जवाजा से पुनेरा
6. जालिया से सापला
7. केकड़ी से बघेरा
8. राष्ट्रीय मार्ग से वान्दर सिन्दरी
9. अप्रोच सड़क, बरना

(2) इस जिले में जुलाई, 77 से 78 तक शून्य कि. मी. नई सड़क बनाई गई है

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उपरोक्त कार्य चालू है उन पर जुलाई, 77 से अगस्त, 78 तक व्यय राशि अंकित है:—

1.	भराई से मान्हेड़ा	109394.00
2.	विजयनगर से सिकरानी	65334.00
3.	कालेसरास वुधवाड़ा	214.00
4.	पुराना व्यावर से। सरावना।	17620.00
5.	जवाजा से पुनेरा	127583.00
6.	जालिया-सायला सड़क	—
7.	केकड़ी से बघेरा	—
8.	राष्ट्रीय मार्ग से। बान्दर सिन्दरी।	—
9.	अप्रोच सड़क, वरना	—

तिजारा क्षेत्र की अधूरी सड़कें

416. **श्री अय्यूब खां** (तिजारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे:—

तहसील तिजारा, सब-तहसील कोट-कासिम में कौन-कौन सी स्वीकृत सड़कें अधूरी हैं? क्या इन अधूरी सड़कों का इस सत्र में निर्माण कार्य पूरी हो जायेगा?

उत्तर

निम्न स्वीकृत सड़के हैं जिनकी स्थिति इस प्रकार है:—

1. तिजारा-खानपुर	3 कि. मी. का कार्य इस वर्ष पूर्ण होने की आशा है।
2. कोटकासिम से मगाना	3 कि. मी. का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की आशा है व पुलिया का प्रावधान छठी पंचवर्षीय योजना में रखा गया है।
3. हसनपुर गोलपुर मोकर कतोपुर	3 कि.मी. कार्य पूरा हो चुका है व बाकी भाग छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।
4. तिजारा मुडाना	कार्य को पूरा कराने का छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।
5. माकड वास मित्तल वाल-	कार्य को पूरा कराने का छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।
6. टपूकड़ा न्यू	कार्य को पूरा कराने का छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्ताव है।

महुआ करोली सड़क का जीर्णोद्धार

417. **श्री श्रवण लाल** (हिण्डौन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह वताने की करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महुआ से लेकर करौली तक की सड़क अधिकतर खराब पड़ी रहती है और जिसके कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है? यदि हां, तो राज्य सरकार इस रोड को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त रोड पर आवागमन अधिक रहता है और उसके वावजूद भी इस सड़क को चौड़ा नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक इस सड़क को चौड़ा करायेगी?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि महुआ से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

करौली सड़क अधिकतर खराब पड़ी रहती है और जिसके कारण आवागमन में काफी परेशानी होती है। सत्य तो यह है कि इस मार्ग पर आवागमन सुचारु रूप से चलता रहता है। केवल बरसात में सड़क की चौड़ाई कम होने एवं तीन चार जगह काजवे का निर्माण न होने से आवागमन में परेशानी होती है। काजवे चालू वित्तीय वर्ष में बना दिये जावेंगे।

(2) यह सत्य है कि उपरोक्त सड़क पर आवागमन अधिक रहता है एवं सड़क की चौड़ाई कम है, सम्पूर्ण सड़क के सुधार एवं चौड़ा करने का कार्य 33.75 लाख रुपये की लागत से छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

राज्य की खराब सड़कों का सुधार

418. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की सड़कें प्रति वर्ष खराब होती जारही हैं? यदि हां, तो किस कारण से? इनको सुधारने के क्या उपाय किये जा रहे हैं।

(2) क्या यह सही है कि सड़कें खराब होने के कारण दुर्घटनाएं अधिक होती हैं?

(3) क्या यह सही है कि सड़कें भारी वाहन के अनुसार बनाई जाती हैं?

(4) क्या यह सही है कि बूंदी क्षेत्रमें चालू वर्ष में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कोई सड़क नहीं बनाई गई? और यदि बनाई गई, तो कौन-कौन सी?

(5) क्या यह सही है कि लक्ष्मीपुरा रोड से डाबी की सड़क नमाना से डाबी तक जमाना से हरिपुरा रोड तक सड़क बनाने का इरादा है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य की सभी सड़कें हर वर्ष खराब नहीं होतीं कुछ सड़कें दैवी आपदों की वजह से जैसे अत्याधिक वर्षा के करण से या यातायात की बहुतायत से खराब हो जाती हैं इनके सुधारने के लिए हर साल रख रखाव में पैसा अलॉट किया जाता है।

(2) दुर्घटनाएं अधिक होने का कारण केवल सड़क खराब होना ही नहीं है।

(3) अच्छी व मजबूत सड़कें भारी वाहनों की गिनती से ही नहीं सब ही वाहनों की गिनती के अनुसार बनाई जाती हैं सारी सड़कें इस प्रकार पैसे की कमी के कारण नहीं बनाई जातीं।

(4) यह सही नहीं है कि बून्दी क्षेत्र में चालू वर्ष में कोई सड़क नहीं बनाई गई है। चालू वर्ष में गणेश घाटी, दवलाना रोड, नेनवा उनियारा रोड, करोदी धनेश्वर, धनेश्वर डावी, डाबी लाम्बा खोह, डाबीबुधपुरा सड़क के कुछ हिस्सों का निर्माण हो रहा है और हुआ है।

(5) लक्ष्मीपुरा रोड से डावी की सड़क छठी प्लान में बनाने के लिए अन्तर्गत सा. नि. वि. द्वारा प्रस्तावित की गई है। डाबी से नमाना सड़क का बनाने का विचार नहीं है लेकिन इस सड़क के नमाना से गडदा तक हिस्से को न्यूनतम आवश्यक प्रोग्राम मिनिमम हैड प्रोग्राम में प्रस्तावित **की** है नमाना से

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)
हरिपुरा तक की सड़क कुछ सौ मीटर अलावा बनी हुई है बाकी इसी वर्ष बनाने का विचार है।

कालाडेरा-बधाल सड़क का निर्माण

419. श्री **रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिलान्तर्गत कालाडेरा-बधाल सड़क का निर्माण कब से चल रहा है तथा कब-कब कितनी सड़क का निर्माण हुआ है ? किलोमीटर 6-7 का टेण्डर कब किस के लिए खुला, कार्य की अवधि कब तक की थी? क्या यह निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है ? अगर हां, तो क्यों व किसकी लापरवाही से ?

(2) चौमू-नेनवाल सड़क से करनपुरा-गिनोई स्वीकृत सड़क पर कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा इसमें अब तक किसी किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय हो चुकी है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त दोनों सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जयपुर जिलान्तर्गत कालाडेरा-बधाल सड़क निर्माण कार्य माह मई, 1971 में शुरू किया गया था तथा कि. मी. 1 से 4 तक का सड़क निर्माण (डब्ल्यू. बी. एम. रोड) कार्य सन् 1973 में पूरा हो गया था। कि. मी. 5 से 7 के टेन्डर माह अक्टूबर, 1976 के अंतिम सप्ताह में प्राप्त कर खोले गये थे। टेन्डर रेट श्री घीसालाल सैण्ट ठेकेदार के हक में होने वश दिनांक 15-11-76 को कार्य आरम्भ करने के आदेश दिये गये थे तथा कार्य पूरा करने की अवधि दिनांक 14-5-77 तक थी। निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। विभिन्न कारण जिसमें धनराशि की उपलब्धि व ठेकेदार द्वारा धीमी गति है।

(2) चौमू नेनवाल सड़क से करनपुरा गिने सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति 5 लाख रुपये की है तथा इसमें मिट्टी के कार्य पर 17,000।- रु. काजवे (सी. डी. वर्क) के कार्य पर 23,000/ –रु. मे रोड पर 39,000/-रु. तथा डामर पर 50,000/ -रु. (मुख्य सड़क पर कुल 1.29 लाख रु. की धनराशि व्यय हो चुकी है।

(3) जी हां। राज्य सरकार उक्त दोनों सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध धनराशि के अनुसार पूरा कराने का इरादा रखती है।

बर-जोधपुर रोड का जीर्णोद्धार

420. श्री **माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पिछले चार वर्षों में बर-जोधपुर रोड में ग्राम खारीया मीठापुर से बिलाड़ा तथा बिलाड़ा से पिची-याक रोड को जगह-जगह ऊपर उठाया गया, सीधा किया गया तथा चौड़ा किया गया एवं उस पर पुलिया बनाई गयीं ? यदि हां, तो वर्ष वार अलग-अलग मद में जो खर्चा हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त

(श्री माधोसिंह दीवान)
सड़क बिलाड़ा ग्राम के एक तरफ से निकलती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार बिलाड़ा को बाई पास करने के लिये सड़क की योजना बना रही है ? यदि हां, तो उस पर अलग-अलग मद में कितना खर्च होने का एस्टीमेट है तथा क्या यह सड़क जसवन्त सागर की पाल के पास जहां हर समय सीपेज होता रहता है, निकाली जावेगी ?

(4) यदि उक्त सड़क पर बाई-पास बनाना जरूरी था तो फिर प्रश्न के भाग (1) में पूछे गये सड़क के हिस्से पर इतनी राशि क्यों खर्च की गई ? यदि खर्च कर ही दी गयी, तो क्या अब भी जनता के पैसों से बाई-पास बना कर खर्च करना जरूरी है ?

उत्तर

(1) जी हां । जोधपुर-बिलाड़ा-बर सड़क (जोधपुर जिला) में अलग-अलग मदों व वर्षों का खर्चा इस प्रकार है:—

1. सड़क के रख रखाव पर:

1975-76	में	5,83,484.00
1976-77	में	21,87,746.00
1977-78	में	24,14,353.00

2. एडवान्स प्लान में:

197-475	में	8,73,382.00
197-576	में	36,27,194.00

(3) प्लान वर्क्स में:

1976-77	में	3,44,124.00

(2) जी हां ।

(3) जी हां । बाई-पास सड़क पर मिट्टी का कार्य अकाल राहत कार्यों में हुआ है । जी हां, यह सड़क बांध की पाल से कुछ दूर से निकलती है । बांध के ऊपर से सड़क निकालने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । सड़क को बांध से कुछ दूर निकालने से कोई हानि होने का प्रश्न नहीं है । इस बाई-पास की अनुमानित लागत 8 लाख रुपया है ।

(4) जो खर्चा किया गया है वह सड़क के सुधार के लिये किया गया है जो आवश्यक है । बिलाड़ा के दाईं ओर से भारी वाहन व मिलट्री ट्रेफिक को अलग रखने व बाणगंगा नदी से बचाने के उदेश्य से बाई पास बनाया जा रहा है ।

सड़कों की मरम्मत का आधार

421. **श्री बहादुरसिंह (नोहर)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग सड़कों की मरम्मत किस आधार पर करवाता है ?

(2) क्या यह सही है कि नोहर क्षेत्र की सभी सड़कें अर्सा-ए-दराज से टूटी-फूटी पड़ी हैं और मरम्मत नहीं हुई है ? यदि हां, तो कब तक इन सड़कों की मरम्मत करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सड़क की मरम्मत उसकी केटेगरी एवं बनावट व भूगोलिक परिस्थितियों के

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

आधार पर धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

(2) जी नहीं। सड़कों की मरम्मत सालाना प्रश्न संख्या–1 दिखाये गये आधार पर कराया जाता है।

धौलपुर सब-डिवीजन की अधूरी सड़कों को पूर्ण करना

422. **श्री जगदीश सिंह** (धौलपुर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

धौलपुर सब-डिविजन में कितनी व कौन कौन सी सड़कें अधूरी पड़ी हैं अथवा क्या कोई सड़क ऐसी धौलपुर में है जो राजस्थान या भरतपुर जिले को सीधा मिलाती है? अगर नहीं, तो आज तक ऐसा क्यों हुआ? क्या इस तरह से राज्य सरकार धौलपुर के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करती रही है? क्या अब कोई अधूरी सड़क पूरी की जा रही है एवं कोई नई सड़क भी बनाई जा रही है?

उत्तर

धौलपुर सब-डिवीजन मे निम्न सड़कें अधूरी पड़ी हैं :-

(क) धौलपुर से भौरीली

(ख) ओडेला से कालोरी

(ग) पुरानी छावनी से सरानीखेड़ा

(घ) कंचनपुर से विधोर का नगला।

धौलपुर में तीन सड़कें ऐसीं हैं जो सीधा राजधानी व भरतपुर को मिलाती हैं।

(अ) धौलपुर सपऊ रुपवास सड़क जो भरतपुर को मिलाती है।

(ब) धौलपुर वाड़ी सरमथुरा करौली जो जयपुर को मिलाती है।

(स) धौलपुर वाडी बसेड़ी बयाना से जो भरतपुर को मिलाती है।

उपरोक्त केवल एक सड़क (ख) के सिवाय सब छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

तहसील धरियावद व आसपुर सड़क का निर्माण

423. **श्री नारायण मीणा** (लसाडिया): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि परसोला तहसील धरियावद से निटाडवा तहसील आसपुर तक सड़क का कार्य बिल्कुल नहीं किया गया है? जिससे यह रूट बरसात में बन्द रहता है? यदि हां, तो यह सड़क मय पुलियों के कब तक बनवा दी जायेगी?

(2) बान्सी से धरियावद पारसोला की सड़क को डामर युक्त कब तक करवा दिया जायेगा?

(3) क्या यह सही है कि धरियावद-प्रतापगढ सड़क का कार्य अधूरा है? जाखम प्रोजेक्ट द्वारा बनाई गई सड़क डामर युक्त है? शेष सड़क बिल्कुल खराब है जिससे बरसात में बस यातायात बन्द हो जाता है। यदि हां, तो अब कब तक इस सड़क को पूर्ण बनवाकर बारहों महीनों यातायात

(श्री नारायण मीणा)
काबिल बना दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

परसौला से निठाडदूवा तक कोई सड़क नहीं है व आवागमन वर्षा ऋतु में बन्द हो जाता है ।

(2) बान्सी से धरियावद तक डामर का कार्य इस वर्ष के अन्त तक पूरा होने की आशा है । धरियावद से परसोला तक डामर की सड़क बनाने का प्रस्ताव छठी पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ।

(3) जी हां ।

धरियावद-प्रतापगढ़ सड़क में धरियावद से जाखम तक के भाग पर डामर की सड़क बनी हुई है और बकाया हिस्से में इसको पूरा कराने का प्रस्ताव छठी पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया है ।

(4) जैसा कि प्रश्न सं० 1 के उत्तर में बताया गया है ।

सन् 77-78 एवं 78-79 में सड़क निर्माण हेतु आवंटित राशि

424. श्री **वृद्धि चन्द जैन** (बाड़मेर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के विभिन्न जिलों में सन् 1977-78 एवं 1978-79 में किन-किन सड़कों के निर्माण के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति दी गई है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त सड़कों के निर्माण की क्या प्रगति है ?

उत्तर

1. सूची-संलग्न है ।

2. अधिकतर सड़कों का कार्य चालू है और इस वर्ष स्वीकृत कार्य जो चालू नहीं हैं उन्हें शीघ्र चालू कर दिया जायेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपल्दा क्षेत्र में सडकों का निर्माण

425. श्री **हीरा लाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है ? क्या इटावा-इन्द्रगढ़ वाया ढीपरी को स्टेट रोड घोषित किया है ? बयाना-खुहावद पीपल्दा कला-खातोली सड़क पर रिलीफ में कार्य हुआ है तथा सीसवाली मांगरोल क्षेत्र की महत्वपूर्ण कच्ची सड़कें हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने हेतु इन सड़कों के निर्माण का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा इस हेतु क्या प्रयत्न हो रहे हैं ?

(2) पीपल्दा क्षेत्र में सड़कों के विकास हेतु इस वर्ष कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य किया जायेगा तथा किस-किस सड़क पर कितनी राशि खर्च की जावेगी।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि पीपल्दा क्षेत्र सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है। आबादी एवं क्षेत्रफल के अनुसार सड़कों का औसत जिले के औसत के बराबर है। पक्की सड़कें 8 कि० मी० प्रति सौ वर्ग कि० मी० क्षेत्रफल एवं 92 कि० मी० प्रति एक लाख आबादी है। हां यह सही है कि इटावा से ढीपरी बाबा तलाब राज्य मार्ग नं० 19 इन्द्रगढ़, इटावा, मांगरोल, बांरा, खानपुर, झालावाड़ डग आग़ार का ही भाग है। यह सही है कि बयाना से लुहावद-पीपल्दा कलां-खातोली सड़क पर बयाना से लुहावद के बीच एवं पीपल्दा से खतोली के बीच अकाल राहत कार्य एवं ऋेश के अन्तर्गत कार्य किया गया था। इटावा से लुहावद के बीच 4 कि० मी० में अधूरा मिट्टी का कार्य एवं पीपल्दा से खातोली के बीच करीबन 8 कि० मी० में अधूरा मिट्टी का कार्य किया गया है। लुहावद व पीपल्दा के बीच कोई कार्य नहीं किया गया है।

यह सही है कि सीसवाली मांगरोल सड़क भी इस क्षेत्र की महत्व-पूर्ण कच्ची सड़क है। जो सीसवाली को तहसील हैडक्वाटर मांगरोल को मिलाती है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न सड़कों का अधूरा कार्य प्रस्तावित किया गया है :—

1. ढीपरी से तलाब तक बची सड़क का कार्य रु. 25.00 लाख

2. बयाना से लुहावद सड़क का कार्य 7.60 लाख

3. पीपल्दा से करवाड़ 7.00 लाख

4. सीसवाली-मांगरोल — रु. 18.00 लाख

5. इटावा से गेता — 6.00 लाख

6. सीसवाली से रायथल — 15.00 लाख

इनके अतिरिक्त इस वर्ष चम्बल कमांड डवलपमेन्ट अन्तर्गत गणेशगंज से मांगरोल, इटावा से पीपल्दा, सुल्तानपुर से इटावा एवं इटावा से खातोली एवं खातोली से केथोड़ा बाबा तलाब सड़कों का कार्य पूरा कराया जा चुका है।

(2) केवल रिपेयर्स के अन्तर्गत इटावा से गेता सड़क जो कि काफी टूट गई है सुधार किया जा रहा है। इस रिपेयर्स कार्य के ऊपर इस वर्ष तक एक लाख रुपया व्यय करने का प्रावधान है।

इनके अलावा चम्बल कमांड डवलप-मेन्ट के अन्तर्गत सुल्तानपुर से इटावा, इटावा से पीपल्दा, मांगरोल से गणेशगंज, इटावा से खातोली एवं खातोली से केथोड़ा सड़कों का कार्य किया जा रहा है जिन पर इस वर्ष करीबन 50 लाख रुपये व्यय करने का प्रावधान है।

मादड़ी से देवगढ़ सड़क का निर्माण

426. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मादड़ी से लावा सरदारगढ़, आमेट, कुवांथल तथा देवगढ़ सड़क जो पूर्ण पक्की नहीं है तथा चारों गांव पांच हजार से अधिक की आबादी के हैं इन्हें पक्की सड़क से जोड़ने की राज्य सरकार की क्या योजना है?

Page No 226

(226)

(श्री गोविन्द सिंह शक्तावत)

(2) क्या यह सही है कि गोगुंदा से करदा होकर बरवाड़ा सड़क (जिला उदयपुर के लिये जिला प्रशासन ने पचास हजार के गेहूं फूड फार वर्क के अन्तर्गत मंजूर किये थे फिर भी इस सड़क का का कार्य क्यों नहीं प्रारंभ किया गया ?

(3) क्या ट्राइबल एरिया के मुख्य गांव गोगुन्दा से करदा होकर बरवाड़ा तक सड़क बनाने से जुड़ते हैं तो इस कारण भी इसे प्राथमिकता देने का राज्य सरकार का कोई विचार है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि भादडी से सरदार गढ, आमेट कुवांथल तथा देवगढ को जोड़ने वाली सड़क पूर्ण पक्की नहीं है । वर्तमान में केवल मादडी से सरदारगढ तक (16 कि० मी०) सड़क को पक्की करने के लिये 537 स्टेट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत है । सरदारगढ से आमेट, कुवांथल तथा देवगढ तक (42 कि० मी०) के मार्ग में से कुछ हिस्से को पक्का करने के लिये छठी पंच वर्षीय योजना में 10.80 लाख रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

(2) करदा गांव की जनसंख्या 1500 से अधिक है अतः छठी पंचवर्षीय योजना में अप्रोच रोड प्रस्तावित है व बरवाड़ा जिसकी जन संख्या 1000 से कम है, अभी कोई सड़क प्रस्तावित नहीं है ।

(3) अभी इस सड़क को बनाने के लिये कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भरतपुर–जयपुर नेशनल हाई-वे

427. श्री काशीनाथ गुप्ता (कुम्हेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे –

भरतपुर-जयपुर नेशनल हाई-वे पर सेवर बाई-पास रोड का बनाना कब से रम्भ हुआ है और इसकी लम्बाई कितनी है ? काश्तकारों को भूमि का मुआवजा कब दिया गया ? अब तक भी यह सड़क पूरी क्यों नहीं बनी है और कब तक यह पूरी बन जाएगी ? क्या यह सही है कि इस सड़क के लिए डाली गई मिट्टी का कुछ भाग पानी से बह गया है ?

उत्तर

(अ) भरतपुर-जयपुर नेशनल हाई-वे पर सेवर बाई पास रोड का बनना दिनांक 31-1-78 से प्रारम्भ हुआ है । और इसकी लम्बाई 1.40 कि० मी० है ।

(ब) काश्तकारों को भूमि का मुआवजा माह नवम्बर, 1977 में दिया गया है ।

(स) यह कार्य शीघ्र पूरे होने की आशा है ।

(द) जी नहीं ।

राज्य में अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों को राहत

429. श्री हरजी राम बुरड़क (लाडनूं): क्या बाढ एवं अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में इस वर्ष कौन-कौन सा

(श्री हरजीराम बुरडक)

क्षेत्र अतिवृष्टि व अनावृष्टि के कारण अभावग्रस्त व अकालग्रस्त घोषित किया जा रहा है या किया गया है ? जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त क्षेत्रों में क्या-क्या राहत कार्य कब तक शुरू किये जा रहे हैं या किये जायेंगे तथा किये गये हैं और उन पर कितना-कितना खर्च हो रहा है ?

उत्तर

(1) विभिन्न जिलों के जिलाधीशों से प्राप्त खरीफ प्रतिवेदन के अनुसार इस वर्ष राज्य के 26 जिलों में से 24 जिलों में न्यूनाधिक अभाव स्थिति उत्पन्न होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। जिलेवार जानकारी संलग्न है। खरीफ का अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् नियमानुसार प्रभावित क्षेत्रों में अभाव की स्थिति की घोषणा की जावेगी।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार कार्यों के प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जावेगी।

सम्वत् 2035 में खरीफ खराबे की प्रारम्भिक सूचना

क्र० सं०	नाम जिला	कुल तहसीलों की संख्या	प्रभावित तहसीलों की संख्या	कुल ग्रामों की संख्या	प्रभावित ग्रामों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	5	3	976	350
2.	अलवर	10	4	1949	206
3.	जयपुर	15	5	2929	290
4.	झुंझुनू	4	4	698	698
5.	सवाई माधोपुर	12	1	1649	13
6.	सीकर	6	4	831	549
7.	टोंक	6	—	1089	—
8.	उदयपुर	17	15	3178	1671
9.	डूंगरपुर	3	3	842	613
10.	बांसवाड़ा	5	5	1464	769
11.	भीलवाड़ा	11	8	1583	391
12.	चित्तौड़	11	3	2365	529
13.	भरतपुर	12	8	2020	301
14.	जोधपुर	5	5	726	440
15.	बाड़मेर	5	5	865	339

1	2	3	4	5	6
16.	जैसलमेर	2	2	515	315
17.	नागौर	8	5	1251	538
18.	पाली	7	6	843	228
19.	सिरोही	5	5	458	322
20.	जालौर	4	3	611	192
21.	बीकानेर	4	4	680	181
22.	गंगानगर	12	—	2992	—
23.	चूरू	7	7	907	402
23.	कोटा	12	1	2169	213
25.	झालावाड़	6	2	1586	119
26.	बूंदी	4	2	746	50
	योग :	198	110	35992	889

करौली से बसेड़ी सड़क निर्माण कार्य

430. **श्री शिवचरणसिंह** (बयाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) करौली से बसेड़ी रोड कब बनी तथा इस रोड पर कहां से कहां तक डामर का कार्य हो चुका है ?

(2) इस रोड पर कहां कतई काम नहीं हुआ है ? यह सड़क कब तक बन कर पूरी होगी ?

उत्तर

(1) करौली से बसेड़ी 58 कि.मी. तक की पूरी सड़क बनी हुई नहीं है केवल करोली से मासलपुर 30 कि. मी. जिसमें 10 कि.मी. डामर है बाकी 10 कि.मी. मेटल व कंकर सड़क है । बसेड़ी से सवाई माधोपुर जिला सीमा तक 10 कि.मी. डामर की सड़क बनी हुई है । सवाई माधोपुर सीमा से मासलपुर तक 12 कि.मी. कोई सड़क नहीं है । सवाई माधोपुर सीमा से बसेड़ी 16 कि. मी. लम्बाई में 10 कि. मी. डामर व 6 कि.मी. फेयर-वेदर है ।

(2) बीच के हिस्से की मंजूरी नहीं है जो 12 कि०मी० है इसे छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा कराया जावेगा ।

राणीजी की बावड़ी से लंका गेट तक की सड़क का निर्माण

431. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राणीजी की बावड़ी से लेकर लंका गेट तक 1976 में सड़क बनी थी ? यदि हां, तो वह सड़क कितने माह तक चली ?

(2) क्या यह सही है कि राणीजी की बावड़ी से लेकर लंका गेट तक की सड़क में अभी भी एक-एक फीट से अधिक खड्डे हैं ? यदि हां, तो जिस ठेकेदार ने यह सड़क बनाई थी उस ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्य-

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)
कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सड़क निर्माण विभाग से सम्बन्धित न होकर नगरपालिका से सम्बन्धित है।

(2) यह सडक निर्माण विभाग से सम्बन्धित न होकर नगरपालिका से सम्बन्धित है।

कोटा जिले में सड़कों का निर्माण

432. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नमाना से हरिपुरा तक सड़क बनाई जानी आवश्यक है ? यदि हां, तो कब तक बनाई जाने वाली है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा से 21 किलोमीटर दूर से सूथड़ा, डाबी, बुद्धपुरा, लाम्बाखोह तक सड़क बनाई जा रही है ? यदि हां, इसकी क्या स्थिति है ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा से 21 कि०मी० दर से सूंथडा, डाबी, बुद्धपुरा, लाम्बाखोह की जो सड़क बनाई जा रही है वह 4 माह बाद ही खराब हो गई ? यदि हां, तो क्यों और उन ठेकेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या यह सही कि जो उक्त सड़क बनाई जा रही है यह पुरानी कच्ची सड़क पर न बनाई जाकर गरीब काश्तकारों की भूमि पर बनाई जा रही है जिसकी काश्तकारों ने कई दरखवास्तें भेजी हैं ? यदि हां, तो क्या स्थिति है ?

उत्तर

(1) जी हां। सड़क 2 कि०मी० बन चुकी है। केवल 200 मीटर टुकड़ा भूमि प्राप्त न होने के कारण नहीं बन पाया है।

(2) जी हां। सड़कें बनाई जा रही हैं और कि० मी० से 2 व 6 से 10 का कार्य पूरा हो चका है।

(3) इनमें जो खराबियां पाई गई हैं उनको ठेकेदार की अपनी कीमत पर ही ठीक करवाया जा रही है।

(4) जी हां। पुरानी कच्ची सड़क का एलाइनमेन्ट टेढ़ा-बांका होने के कारण नई सड़क के एलाइनमेन्ट का सर्वे करवाकर सीधे एलाइनमेन्ट पर बनाया जा रहा है।

माछली नदी पर पुल का निर्माण

433. श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा), श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी), श्री गणेशलाल (हिण्डोली), श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नैनवा तहसील की माछली नदी पर पुल बांधने की स्वीकृति हुई थी जिसके निर्णाण कार्य के लिए साढ़े पांच लाख रुपये स्वीकृत हुए थे ?

(2) क्या यह सही है कि समय पर पुलिया निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं करने के

(श्री माणकलाल ठाकोर)
कारण उक्त साढ़े पांच लाख रुपये की स्वीकृति समाप्त हो गई और कुल रकम में से 2 लाख रुपये स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो यह निर्माण कार्य पूरा कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। इस वर्ष में बाढ़ कार्यों के अन्तर्गत माछली नदी को पुल का कार्य के लिये 3 लाख रुपये स्वीकृत है।

(2) 5.50 लाख रुपये की स्वीकृति पिछले वर्ष सड़क नैनवा-खटगढ़ के बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्य के लिये स्वीकृत थे। इस वर्ष के स्वीकृत के अन्तर्गत पुल का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करा दिया जायेगा व इसके टेण्डर आमन्त्रित कर लिये गये हैं।

जिला बून्दी में सड़कों व पुलियों का निर्माण

434. श्री **ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी), श्री **गणेशलाल** (हिण्डौली), श्री **माणकलाल ठाकोर** (नैनवा), श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

जिला बूंदी के निर्वाचन क्षेत्र केशवरायपाटन, बूंदी, नैनवा, हिन्डौली में क्या नई पुलिया की वह सड़क बनाने की योजना राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो किन-किन सड़कों व पुलियों का निर्माण कब तक कराया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सड़कों की सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रानीवाड़ा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

435. श्री **रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्ष 78-79 में रानीवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र की कौन कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य करवाने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

(2) क्या हीरपुरा से गुजरात सरहद तक की सड़क पर डामर बिछाने व पुलियों का निर्माण कार्य इस वर्ष कराने हेतु कोई प्रावधान है ?

(3) क्या यह सही है कि मालवाड़ा से जसवन्तपुरा रोड पर मेटल बिछाया हुआ है, पर डामर व पुलियों का निर्माण कराने का विचार राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में रखती है ? अगर हां, तो कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या कूड़ा से आव सड़क पर डामर व पुलियां बनाने का राज्य सरकार चालू वित्तीय वर्ष में इरादा रखती है ? अगर हां, तो कार्य चालू कब तक करवा दिया जायेगा? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सन् 78-79 में इस क्षेत्र में नई सड़क बनाने का प्रस्ताव नहीं है किन्तु मालवाड़ा से जसवन्तपुरा सड़क किसकी लागत 30 लाख रुपया है व अंतपुरा नदी पर पुल जिसकी लागत 32 लाख रुपया है छठी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(2) जी हां । इस वर्ष 9 कि० मी० सड़क पर डामर करने का प्रावधान है ।

(3) जी हां । जैसा कि प्रश्न एक के उत्तर में बताया गया है ।

(4) जी हां । इस सड़क के 10 कि० मी० भाग में इस वर्ष डामर होने का कार्य हाथ में लिये जाने की आशा है ।

फलासिया व कोटड़ा तहसील में तालाबों का निर्माण

436. श्री लालूदास (फलासिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य की फलासिया व कोटड़ा तहसील में कितने तालाब निर्माणाधीन हैं एवं कितने तालाबों के निर्माण करने का प्रावधान है? इस पर अब तक कितनी राशि व्यय हो चुकी है एवं कितनी राशि व्यय होने की संभावना है ?

उत्तर

फलासिया तहसील में दो तालाब व कोटड़ा में एक तालाब ट्राइबल सब प्लान के अन्तर्गत निर्माणाधीन हैं व इन्हीं का ही प्रावधान है । इस पर व्यय राशि व शेष राशि निम्न प्रकार है :–

"अ" तहसील फलासिया

क्र० सं०	नाम तालाब	निर्माण पर खर्च हुआ लाखों में	निर्माण पर जो खर्च करना है (लाखों में)
1	मानस	1.89	0.30
2.	कन्थारिया	17.54	7.50

"ब" तहसील कोटड़ा

क्र० सं०	नाम तालाब	निर्माण कार्य पर खर्च हुआ लाखों में	निर्माण पर जो खर्च कर है (लाखों में)
1.	साईपिक अपवीयर	6.23	0.85

मंडेसरा टैंक के निर्माण कार्य की जांच

437. श्री एच० एन० शर्मा (बेगूं) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग राणा प्रतापसागर बांध सिविल डिविजन द्वारा बनाये गये मण्डेसरा टैंक पर की गई अनियमितताओं के बारे में कोई जांच अधीक्षण अभियन्ता श्री बी. सी. जैन व जिलाधीश चित्तौड़गढ द्वारा की गई थी ? अगर हां, तो कृपया जांच की कार्यवाही से सदन को अगवत करावें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त टैंक के निर्माण में भूमि अवाप्ति अधिनियम की पालना नहीं की थी ? अगर हां, तो जिस अधिकारी ने अनियमितता बरती है उसके विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

(3) क्या उक्त तालाब के निर्माण की अनियमितता के फलस्वरूप राजस्व विभाग ने सिंचाई विभाग पर कोई मुकदमा भी चलाया है ? अगर हां, तो वह मुकदमा किस धारा के तहत किस न्यायालय में विचाराधीन है ?

(सिंचाई मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां। जांच की कार्यवाही की रिपोर्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत हैं।

(2) प्रारम्भ में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई थी, परन्तु बाद में सहमति से अवार्ड जारी करके मुआवजा दिया जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

(3) जी हां। यह मुकदमा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत चलाया गया था जिसका फैसला विभाग के पक्ष में हो गया है।

कार्यालय जिलाधीश, चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक राजस्व। 651771797 दिनांक 18 अप्रेल, 1978.

निमित्त:—

तहसीलदार, बेगूं।

विषय:—ग्राम फुटपाल में तालाब का निर्माण के संबंध में।

उपरोक्त विषय में दिनांक 12-4-1978 का रावतभाटा केम्प पर जांच करने पर जाहिर पाया कि गांव फुटपाल में तालाब का निर्माण हो रहा है। उसमें दो खातेदारान की 5 बीघा 1 बिस्वा भूमि मकबूबा डूब में आयी है। शेष कुलोय बिलानाम हैं। बिलानाम के अवाप्त की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। खातेदारान की भूमि की ही अवाप्त करने की आवश्यकता है। मौके पर उपस्थित उक्त दोनों खातेदारान ने जमीन के एवज में बाजार मूल्य से जमीन की कीमत लेने की सहमति प्रकट की है। और यह राशि अधिशाषी अभियन्ता, राणा प्रतापसागर बांध, सिंचाई विभाग, रावतभाटा देने को तैयार की है। अतः परस्पर समझौते से इसका एवार्ड जारी करने में कोई कठिनाई नहीं है। इसके लिए उपखण्ड अधिकारी, बेगूं सक्षम हैं।

वर्षा ऋतु आना करीब है। बिलानाम जमीन में काफी वृक्ष खड़े हैं। यदि वर्षा आरम्भ होने के पूर्व इस भूमि में वृक्ष नहीं हटाये गये तो तालाब में पानी भर जाने पर यह वृक्ष सूख जायेंगे और इससे राज्य सरकार को अनावश्यक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। अतः बिलानाम भूमि में जिस कदर वृक्ष हो उनको नीलाम करने की शीघ्र कार्यवाही की जावें। नीलाम की तिथि माह मई के द्वितीय सप्ताह के पूर्व निर्धारित की। नीलाम के नोटिस मौके पर प्रसारित करने के अलावा जिला कोटा एवं चित्तौड़गढ़ के स्थानीय अखबारों में भी प्रचारार्थ प्रकाशित करावें।

नीलाम के लिए निम्नांकित कमेटी नियुक्त की जाती है:—

1. सहायक जिलाधीश, रावतभाटा।
2. तहसीलदार, बेगूं।
3. रेंजर, वन विभाग, रावतभाटा।

इस संबंध में आप जो कार्यवाही करें इसकी सूचना मुझे दिनांक 20-4-78 को अवश्य प्रस्तुत कर दें।

हस्ताक्षर,

जिलाधीश, चित्तौड़गढ़।

Page No 233

(233)

जयसमन्द-श्यामपुरा केनाल का कार्य

438. श्री **भावजी** (सलूम्बर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयसमन्द से श्यामपुरा केनाल जो सराड़ा तहसील में डिगरी सरसिया को जाती है अभी तक कच्ची है ? कच्ची होने के कारण हजारों बीघा जमीन बेकार हो रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इसे कब तक पक्की बना देगी ?

(2) क्या यह सही है कि जयसमन्द झील उदयपुर की मानी हुई झील है और इसके पानी का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसके पानी का पूर्ण उपयोग कर सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। श्यामपुरा नहर की लम्बाई 24·4 किलोमीटर है जिसमें से सिर्फ 2–5·0 किलोमीटर ही पक्की नहर बनी हुई है। नहर से झरने को रोकने व री-मार्डलिंग करने हेतु आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत प्रस्ताव बनाये गये हैं व इस वर्ष इस कार्य पर 10 लाख रुपये का प्रावधान है।

(2) जी हां। पूरा उपयोग करने हेतु आधुनिकीकरण योजना बनाई गई है व विचाराधीन है।

थड़ा-इंटाली खेड़ा वाया परोड़ा तक पक्की नहर का कार्य

439. श्री **भावजी** (सलूम्बर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि थड़ा से इटाली खेड़ा वाया परोड़ा तक पक्की नहर बनाने की योजना को अभी तक भी पूर्ण नहीं किया गया है ? उक्त नहर का पानी थड़ा तक ही पहुंच पाया है, आगे क्यों नहीं पहुंचा ?

(2) क्या उक्त नहर कच्ची है और उसे अभी तक भी पक्की नहीं बनाया गया है ? क्या यह सही है कि अगर इसे पक्की नहीं बनाया गया तो हजारों बीघा जमीन बेकार हो जावेगी ? कच्ची होने से पानी बेकार जाता है और सिंचाई के काम में नहीं आता है ?

(3) क्या यह भी सही है कि 45 लाख की स्वीकृत राशि उक्त नहरों के लिए आदिवासी क्षेत्रों हेत स्वीकृत हुई थी और भूतपूर्व अधिशासी अभियन्ता द्वारा खर्च करने हेतु सारी योजना बनाई गई और उन्हें हटा कर नये अधिशाषी अभियन्ता, उदयपुर ने उक्त राशि खर्च न कर राज्य सरकार को वापस लौटा दी जिससे आदिवासी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं ?

उत्तर

(1) जी हां।

प्रश्न का द्वितीय भाग सही नहीं है। ग्राम थडा के बाद सिंचाई 15 मील दूरी तक होती है।

(2) उक्त नहर कच्ची है व आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत पक्का बनाने का विचार है। यह सही नहीं है कि कच्ची नहर होने से सम्पूर्ण पानी बेकार जाता है।

(सिचाई मंत्री)

(3) जी नहीं ।

धरियावद तहसील में सिंचाई के साधन

440. **श्री नारायण मीणा** (लसाड़िया): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि धरियावद तहसील में सिंचाई के साधन अत्यन्त कम हैं ? यह क्षेत्र आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है ? यदि हां, तो इस तहसील में स्थित विभाग द्वारा निर्मित अधूरे तालाबों को पूरे कराने हेतु क्या इस वर्ष में कार्य प्रारम्भ किया जावेगा ? अब तक यह कार्य क्यों प्रारम्भ नहीं कराये गये ?

(2) क्या यह सही है कि धरियावद तहसील में जो तालाब सिंचाई विभाग द्वारा बनाये गये हैं उनकी नहरों का कार्य अधूरा पड़ा हुआ है ? अब तक जो तालाबों पर रकम खर्च की गई है उसका कोई उपयोग नहरों के बिना होना सम्भव नहीं है ? यदि हां, तो तालाबों की नहरों का कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा और कब तक पूरा करवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी हां । इस क्षेत्र में एक वृहद जाखम सिंचाई योजना निर्माणाधीन है ।

अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत अधूरे कार्यों को ट्राइवल सब प्लान के अधीन पूर्ण करवाने का सरकार विचार रखती है ।

(2) जी नहीं । सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया ऐसा एक बांध गागरी है जिसकी बांई नहर अधूरी है, जिसे इस वर्ष पूरा किया जा रहा है, तथापि तालाब की पूरी क्षमता का सिंचाई हेतु उपयोग किया जा रहा है ।

गरडदा बांध का निर्माण कार्य

441. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा में मंत्रिमण्डल की बैठक में गरडदा बांध बनाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या गरडदा बांध का छठी पंच-वर्षीय योजना में कार्य पूरा कर दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि सिबसेर, छतपुरा, देवपुरा, रघुवीरपुरा, हदीपुरा, अस्तौली, कांटी आदि गांवों की जमीन को नहर से सिंचित करने का राज्य सरकार का इरादा है, यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं । इस योजना का सर्वेक्षण करवाया जा रहा है ।

(2) जी नहीं । इस नाम की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(3) जी हां । सिर्फ देवपुरा व छतर-पुरा गांवों की लगभग 750 एकड़ भूमि की सिंचाई प्रस्तावित शम्भू सागर बांध से हो सकेगी । इसी वर्ष शम्भू सागर योजना बनाने हेतु सात लाख रुपये का प्रावधान है ।

रामगढ़ बांध के पानी का सदुपयोग

442. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में किन-किन बांधों, तालाबों से चद्दर चलने के कारण, कितना-

(श्रीमती उजला अरोड़ा)
कितना पानी बेकार चला गया और इससे कितने जन-धन की क्षति हुई ?

(2) क्या राज्य सरकार रामगढ़ बांध के पानी का सदुपयोग करने हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में निम्नलिखित बांधों की चादर चलने के कारण पानी नदियों में चला ।

1. बुचारा बांध, लगभग 4950 लाख घनफुट ।

2. रामगढ़ बांध, लगभग 8000 लाख घनफुट। इस पानी के बहने के कारण सिंचाई विभाग को कोई क्षति नहीं हुई । तथा जहां तक जन-धन की क्षति का विषय है तहसील बस्सी के ग्राम बोराई, पाईपुरा में 27 परिवार व तहसील दौसा के ग्राम रूगली में 2 परिवार, रायपुर में 17 परिवार मोदा में 3 परिवार, हरिपुरा में 13 परिवार व जासौदा में 7 परिवार बाढ़ से पीड़ित हुए ।

(2) जी हां । रामगढ़ बांध की भराव क्षमता को 5 फुट ऊंचा करने की योजना विचाराधीन है । जिससे इसकी भराव क्षमता 20,800 लाख घनफुट से बढ़कर 26,500 लाख घनफुट हो जायेगी 4,560 एकड़ की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में नोहर क्षेत्र के गांव

443. श्री **बहादुर सिंह** (नोहर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में नोहर क्षेत्र के कौन-कौन से तथा कितने गांव सम्मिलित किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) कृषि उद्योग तथा अन्य उद्योगों को दी जाने वाली बिजली में क्या भिन्नता है तथा यह भिन्नता कब समाप्त कर दी जावेगी ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति, नोहर के 10 ग्रामों के विद्युतीकरण की एक मिनी ग्रोथ श्रेणी की योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की गई है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) कृषि उद्योग तथा अन्य उद्योगों को दी जाने वाली बिजली एवं उसकी दरों में कोई भिन्नता नहीं है ।

मिनी ग्रोथ गन्धेली पंचायत समिति नोहर की स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना में सम्मिलित ग्रामों की सूची

1. गन्धेली
2. बिरकाली
3. असरजाना

4. सोन्डी
5. किकराली
6. नानाऊ
7. मुन्सारी
8. कनवानी
9. सरदारपुरा
10. दासूवाली

कूकपुर रायता खाल का कार्य

444. श्री **जगदीश सिंह** (धौलपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि धौलपुर में कूकपुर-रायता खाल का उद्घाटन 1970 में सिंचाई मंत्री द्वारा किया गया था ? यदि हां, तो उसका कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं हुआ जबकि इसे रुपया भी माइनर-ईरिगेशन के नाम से स्वीकार किया जा चुका है, फिर भी इस कार्य को पूरा क्यों नहीं कराया जा रहा है इससे जबकि हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो सकती है तथा कई गांव को फायदा हो सकता है ?

उत्तर

जी हां। तकनीकी, वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमान बनाये बिना तथा स्वीकृति होने से पूर्व ही उद्घाटन कर दिया गया था। अतः कार्य प्रारम्भ करवाना सम्भव नहीं था। अब योजना का सर्वे व तखमीना बनाया जा रहा है व लाभ लागत अनुपात ठीक होने के बाद ही इस योजना पर विचार किया जायेगा।

नहर राम सागर के पानी का उपयोग

445. श्री **जगदीश सिंह** (धौलपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर में नहर राम सागर (बाड़ी) का पानी रोक कर रेज क्यों नहीं किया जा रहा है जबकि हर साल 4 व 5 फुट तक की चादर हमेशा चलती है इस तरह से कीमती पानी वस्ट हो रहा है और काश्तकारों की फसल पानी के अभाव से खराब होती है तथा आगे की जमीन को पानी नहीं मिल पाता है जिससे जनता में असंतोष है ? क्या राज्य सरकार इस की ओर तुरन्त ध्यान देकर कार्य को पूरा करने में योगदान देगी जिससे हजारों एकड़ भूमि सिंचित हो सकेगी ? यह उपेक्षा इतने वर्षों से क्यों की जा रही है ?

उत्तर

धौलपुर का रामसागर बांध की चादर वर्ष 1963, 64, 67, 68, 71, 72, 75, 76, 77 व 78 में चली है। इस तथ्य को मद्दे नजर रखते हुए बांध की जल क्षमता बढ़ाने हेतु योजना विचाराधीन है, जिससे लगभग 1000 एकड़ अतिरिक्त भूमि सिंचित हो सकेगी। योजना का तखमीना बन रहा है व लाभ लागत अनुपात ठीक होने के बाद विचार किया जावगा।

सूखनी नदी का पानी

446. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि सूखनी नदी

(श्री हीरालाल आर्य)
नामक स्थान की पहले बहुत उपजाऊ भूमि थी ?

(2) अब इस कृषि योग्य भूमि के खराब होने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि इस स्थान पर पानी भरने से यह स्थान खराब हो गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार ड्रेन बनाकर यहां भरे हुए पानी को निकाल कर इस कृषि भूमि को शीघ्र ठीक कराने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सूखनी नदी के आस-पास गांव करवार में लगभग 2,484 हैक्टर भूमि, चम्बल नहरों के जल रिसाव एवं प्रभावित नालों के अवरुद्ध होने के कारण, वाटर लोड हुई है ।

(3) जी हां । उपरोक्त क्षेत्र को पुनः कृषि योग्य बनाने हेतु करवार नामक ड्रेनेज स्कीम तैयार की गई है जिस पर अनुमानित लागत लगभग 13.11 लाख रुपये होगी । इस योजना की तकनीकी जांच की जा रही है व उपयुक्त होने पर क्रियान्वित हो सकेगी ।

करवाडा बांध का कार्य

448. श्री रतनाराम चौधरी (रानीवाड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि करवाड़ा बांध जो पिछले साल भारी वर्षा से टूट गया था पर पुनः निर्माण का कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है ? क्या राज्य सरकार इसके पुनः निर्माण का इरादा रखती है ? अगर हां, तो इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू करा दिया जायेगा ?

उत्तर

जी हां । करवाड़ा बांध 1975 में भारी वर्षा से टूटा था । बांध फिर से बनाने हेतु प्राक्कलन बनाया गया, परन्तु लाभ लागत अनुपात ठीक न होने से इसका निर्माण नहीं किया जा सकता ।

विद्युत् प्रसार में पिछड़े जिले

450. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विद्युत् प्रसार के हिसाब से कौन कौन से पिछड़े जिले हैं ? उनमें प्राथमिकता देकर संतुलन लाने के लिये राज्य सरकार ने क्या योजनाएं बनाई हैं ?

(2) क्या कुछ विकसित जिलों में भी उपेक्षित उपखण्ड हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या कारगर कदम उठा रही है ?

Page No 238

(238)

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

(3) नागौर व मूण्डवा पंचायत समितियों के लिये राज्य सरकार ने विद्युत् प्रसार की क्या योजना बनाई है ?

उत्तर

(1) विद्युत प्रसार के हिसाब से बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, बून्दी, डूंगरपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर एवं टौंक यह दस जिले पिछड़े हुए हैं तथा इनको विद्युतीकरण के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है ।

(3) जिन उपखण्डों में विद्युतीकरण अपेक्षाकृत कम है समयानुसार उनके क्षेत्रों की योजनाएं बनाने पर तकनीकी एवं आर्थिक साध्यता के आधार पर विचार किया जाता है ।

(3) नागौर एवं मूण्डवा पंचायत समिति के ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के मानदण्डों के आधार पर योजना बनाने की साध्यता पर विचार किया जा रहा है ।

बयाना व बसेड़ी तहसील में बिजली

451. श्री शिवचरणसिंह (बयाना): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के बयाना व बसेड़ी तहसील को बिजली कब तक मिलेगी ?

(2) क्या यह सही है कि बिजली का प्रसार राजनैतिक आधार पर हो रहा है ?

(3) पूर्वी राजस्थान के जिले भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर व टौंक के पूरे गांवों में बिजली कब तक पहुंच जायेगी ?

उत्तर

(1) जिला भरतपुर की तहसील बसेड़ी क्षेत्र के ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना पर धौलपुर में 132 के० वी० ग्रिड सब-स्टेशन चालू हो जाने के पश्चात ही विचार किया जा सकेगा। बयाना क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण करने हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना का प्रयास किया जा रहा है ।

(2) जी नहीं ।

(3) पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर एवं टौंक जिलों के बचे हुए सारे ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए अभी कोई स्वीकृत योजना नहीं है ।

बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में विद्युत विस्तार का कार्य

452. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सीमावर्ती

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले विद्युत् विस्तार की दृष्टि से सबसे पिछड़े जिले हैं ?

(2) जालोर से बालोतरा 132 के. वी. लाइन के विस्तार की क्या प्रगति है तथा उक्त विस्तार का कार्य कब तक सम्पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि विद्युत् बोर्ड ने बालोतरा से बाड़मेर 132 के. वी. लाइन बनाने का निर्णय भी लिया है ? यदि हां, तो उक्त लाइन के बनाने का कार्य कब से शुरू होगा और कब तक कम्पलीट कर दिया जायगा। इस सम्बन्ध में इस वर्ष सन् 78-79 में कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ?

उत्तर

(1) विद्युत् विस्तार के सम्बन्ध में तुलनात्मक दृष्टि से जैसलमेर एवं बाड़मेर राज्य के सबसे पिछड़े जिलों में आते हैं।

(2) जालोर से बालोतरा तक की 132 के. वी. लाइन का निर्माण कार्य माह अक्टूबर, 1978 में सम्पन्न हो गया है तथा इस लाइन को 21-10-1978 को 33 के. वी. पर चार्ज करके बाड़मेर क्षेत्र का लोड जालोर ग्रिड सब-स्टेशन पर ले लिया गया है। बालोतरा पर 132/33 के. वी. उप-चौकी का निर्माण काय प्रगति पर है तथा इसको जनवरी, 1979 तक पूरा करके चालू करने के लिये प्रयास जारी हैं।

(3) जी हां। केन्द्र सरकार के डी. पी. ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत बालोतरा से बाड़मेर की 132 के. वी. लाइन की योजना अनुमोदित है। लाइन की रूट सर्वे का कार्य चल रहा है। डी. पी. ए. पी. से पूर्ण प्रावधान योजनानुसार उपलब्ध करा दिये जाने की स्थिति में इस कार्य को वर्ष 1979-80 के अन्त तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा सकेगा।

बन्द पड़े ट्यूबवेल और मिनिमम चार्ज

453. श्री मोहम्मद जहूर (कामां): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कामां तहसील में बाढ़ के प्रकोप से ट्यूब वैल्स बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो कितने एवं उपरोक्त बन्द पड़े ट्यूबवैल पर क्या मिनिमम चार्ज समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो कितनों पर और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी हां। 137 ऐसे मामले सामने आये हैं और उन पर मिनिमम चार्ज माफ करने सम्बन्धी कार्यवाही के लिये आवश्यक जांच की जा रही है।

राज्य में 220 के० वी० लाइन का विस्तार

454. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री किशनसिंह भाटी)

(1) राज्य में 220 के. वी. लाइन कहां से कहां तक ले जाई जा चुकी है व आगे कहां तक ले जाने की योजना है ? इस योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

(2) 220 के. वी. लाइन से उन क्षेत्रों में विद्युत् व्यवस्था में क्या-क्या लाभ मिलने का अनुमान है ?

(3) क्या राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में इस लाइन को ले जाने में विशेष बाधायें हैं ? अगर हां, तो क्या? अगर नहीं, तो क्या इन क्षेत्रों में 220 के. वी. लाइन का विस्तार किया जावेगा ?

(4) जोधपुर तक 220 के. वी. लाइन डालने में कितना व्यय होगा ? 220 के. वी. लाइन के जोधपुर तक डालने से जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, नागौर, जोधपुर जिले के कितने ग्रामों को लाभ मिलने की संभावना है ?

उत्तर

(1) 220 के. वी. लाइन जो पूर्ण हो चुकी हैं, चालू है और छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सम्मिलित की गई हैं, उनकी सूची "अ' सदन की मेज पर रख दी गई है 220 के.वी. लाइन के चालू कार्य पर 17.18 करोड़ रुपये व नये कार्यों पर 33.20 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

(2) 220 के. वी. लाइनों से उस क्षेत्र में ज्यादा विद्युत् प्रवाह होगा जिससे उस क्षेत्र में अधिक विद्युत् कनेक्शन दिये जा सकेंगे व वोल्टेज की समस्या हल हो सकेगी।

(3) रेगिस्तान में 220 के. वी. लाइन ले जाने में कोई तकनीकी बाधायें नहीं हैं किन्तु वहां पर विद्युत् भार 132 के. वी. लाइन की क्षमता से ज्यादा नहीं होने से इन लाइनों की आवश्यकता नहीं समझी गई है। विद्युत् मांग होने पर धन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुये इस क्षेत्र में 220 के. वी. की लाइन खींचने पर विचार किया जा सकेगा।

(4) जोधपुर तक ब्यावर/पलाना से 220 के. वी. लाइन लाने में अनुमानित व्यय करीबन 650 लाख है। लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या के बारे में योजना बनाने के बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा।

220 के. वी. लाइनों का विवरण
30-9-1978 तक पूर्ण की गई लाइनें

1. 220 के. वी. एस/जी। हिसार-खेतड़ी लाइन।
2. 220 के. वी. एस/जी। खेतड़ी-जयपुर लाइन।
3. 220 के. वी. एस/जी। रा. प्र. श. परियोजना देवारी लाइन।
4. 220 के० वी० डी/सी रा. अ श. परियोजना कोटा-जयपुर लाइन।

(विद्युत मन्त्री)

5. 220 के. वी. एस।सी बदरपुर-जयपुर लाइन (राजस्थान का हिस्सा)
6. 220 के. वी. राजस्थान आणविक शक्ति परियोजना, कोटा।
7. 220 के. वी. एस।सी कोटा-उज्जन लाइन (राजस्थान का हिस्सा)।

चालू लाइनें :

8. 220 के. वी. एस।सी देवारी-खेतड़ी-जयपुर लाइन।
9. 220 के. वी. एस।सी कोटा-भीलवाडा-ब्यावर लाइन।
10. 220 के. वी. एस।सी खेतडी-रतनगढ़ लाइन।

प्रस्तावित छठी पचवर्षीय योजना में योजना का प्रारूप

11. 220 के. वी. एस।सी कोटा-भीलवाडा द्वितीय सर्किट लाइन।
12. 220 के. वी. एस।सी पलाना/ब्यावर-जोधपुर लाइन।
13. 220 के. वी. एस।सी भीलवाड़ा-देवारी लाइन।
14. 220 के. वी.एस।सी रतनगढ़-सीकर लाइन।
15. 220 के. वी. एस।सी हिसार-हनुमानगढ़ लाइन
16. 220 के. वी. एस।सी देवारी-सिरोही लाइन।
17. 220 के. वी. एस।सी कोटा – हिंडौन लाइन।

नदबई विधान सभा क्षेत्र में ग्रामों की विद्युत योजना

455. श्री **हरिकृष्ण** (नदबई) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नदबई विधान सभा क्षेत्र में तहसील नदबई के 75 ग्राम विद्युत योजना में लिये गये हैं? यदि हां, तो यह योजना कब तक स्वीकार होने वाली है?

(2) क्या योजना के अतिरिक्त भी बिजली विभाग ने जहां बिजली लगाई हैं वहां से निकट के गांवों में बिजली लगाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या बिजली को बयाना तहसील के ग्रामों में भी दिए जाने की सम्भावना है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में?

उत्तर

(1) जी नहीं। अभी कोई योजना नहीं बनी है।

(2) आर्थिक प्रावधान, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा तकनीकी साध्यता आदि को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे ग्राम जो इ.के. वी. विद्युत लाइनों से एक किलोमीटर या कम दूरी पर स्थित हैं, के विद्युतीकरण पर विचार किया जा रहा है।

(3) योजना की स्वीकृति से पूर्व कुछ कहना सम्भव नहीं है।

कृषि कुओं तथा उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दर

456. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार कृषि कुओं तथा उद्योगों को भी बड़े उद्योगों की दर से बिजली देने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार उन गांवों को शीघ्र बिजली देने का इरादा रखती है जिन गांवों में से या पास से विद्युत लाइन जाती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं । विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए टेरिफ कई कारणों यथा लोडफेक्टर, भार वहन करने की शक्ति, ट्रान्समिशन लाइन के खर्च, उनके द्वारा विद्युत उपयोग करने के तरीके आदि को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है ।

(2) जी हां । विद्युतीकरण के लिये उपलब्ध आर्थिक प्रावधान, क्षेत्रीय असन्तुलन एवं तकनीकी साध्यता के आधार पर ऐसे ग्रामों का विद्युतीकरण करने पर विचार किया जा रहा है ।

बाली तहसील में बिजली के बिल जमा कराने की व्यवस्था

458. श्री हनुमन्तसिंह राणावत (बाली) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाली तहसील में विद्युत के बिल जमा कराने की किन-किन बैंकों में कहां-कहां पर व्यवस्था है और कहां-कहां पर विभागीय कार्यालय द्वारा व्यवस्था की गई है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि विभागीय व्यवस्था वाले स्थानों पर बिल जमा होने की तारीख से केवल दो तीन दिन पहले ही स्टाफ की व्यवस्था की जाती है ?

(3) अब इस क्षेत्र में मारवाड़ ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंक की काफी शाखायें स्थापित होने के बाद बैंकों के माध्यम से बिल जमा करवाने में क्या कठिनाई है ? यदि कठिनाई नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

उत्तर

(1) बाली तहसील में बिजली के बिल जमा कराने की किसी बैंक में कहीं भी व्यवस्था नहीं है । विभागीय कार्यालय द्वारा निम्न स्थानों पर बाली तहसील में बिजली के बिल जमा करने की व्यवस्था है:—

1. फालना
2. खीमेल
3. मुंडारा
4. बाली
5. लुनावा
6. सेवाड़ी
7. बीजापुर
8. बेडा
9. नाणा
10. पालड़ी
11. कोरटा
12. बाघनेरा
13. बीरामी

(विद्युत मन्त्री)
14. वसंत
15. पावा
16. रानी

(2) फालना में जहां सहायक अभियन्ता का कार्यालय है बिलों की राशि रोज जमा कराने की व्यवस्था है, शेष स्थानों पर जहां विभाग द्वारा बिल जमा कराने की व्यवस्था की गई है, वहां बिल जमा करने की निश्चित तिथि ड्यू डेट पर ही विभाग का खजांची बिजली के बिलों का भुगतान लेने के लिये पहुंचता है।

(3) यह बैंक बिल जमा कराने का कमीशन अधिक मांग रहे हैं। इस कठिनाई के कारण इनके माध्यम से बिल जमा करवाना अभी संभव नहीं हो सका है।

टोडाभीम तहसील के गांवों में विद्युतीकरण

459. श्री **बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोडाभीम तहसील में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें होकर अर्थात् जिनकी सीमा से सटती हुई विद्युत लाइन जा रही है और जो कई वर्ष से विद्युतीकरण से वंचित रह रहे हैं?

(2) क्या राज्य सरकार ऐसे गांवों को विद्युतीकृत करने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक इन गांवों का विद्युतीकरण कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) लगभग 18 ग्राम सवाई माधोपुर जिले की टोडाभीम तहसील के ऐसे हैं जिनके सीमा से सटती हुई विद्युत की 11 के. वी. की लाइनें जा रही हैं और वे अभी विद्युतीकृत हैं।

(2) आर्थिक प्रावधान, क्षेत्रीय असन्तुलन तथा तकनीकी सहायता आदि की दृष्टि से ऐसे ग्रामों के विद्युतीकरण पर भी विचार किया जा रहा है। अभी योजना स्वीकृत नहीं हुई है। अतः निश्चित रूप से विद्युतीकरण के लिये कुछ कहा नहीं जा सकेगा।

तहसील नादौती के ग्राम के विद्युतीकरण की योजना

460. श्री **बत्तीलाल मीणा** (टोडाभीम): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आर. एस. ई. बी. में तहसील नादौती, जिला सवाई माधोपुर के 101 ग्राम को विद्युतीकृत करने की योजना विचाराधीन चल रही है? यदि हां, तो इस विषय में क्या प्रगति हुई है और इसे कब तक पूरा किया जायेगा?

(2) इस योजना द्वारा तहसील नादौती के कौन-कौन से गांव विद्युतीकृत हो जायेंगे? और जो गांव शेष रह जायेंगे उनके लिये राज्य सरकार क्या योजना बनाने जा रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। सवाई माधोपुर जिले की पंचायत समिति, नादौती के 101 ग्रामों के विद्युतीकरण की योजना वर्ष 1977-78 में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। इस योजना के अन्तर्गत नादौती तहसील के 68 ग्राम सम्मिलित हैं। योजना का कार्यकाल पांच वर्ष का है तथा इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा

(विद्युत मंत्री)

चुका है। प्रथम वर्ष में 32 ग्रामों का विद्युतीकरण प्रस्तावित है जिसमें से माह सितम्बर, 1978 तक 9 ग्राम विद्युतीकृत हो चुके हैं।

(2) योजना में सम्मिलित तहसील नादौती के 68 ग्रामों की सूची संलग्न है। शेष ग्रामों की अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति, नादौती क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्वीकृत योजना में तहसील नादौती के सम्मिलित ग्रामों की सूची :

क्र.सं.	गांव का नाम	क्र. सं.	गांव का नाम
1	2	1	2
1.	नादौती	18.	चैनपुरा
2.	भीलवाड़ा	19.	बरडाला
3.	बडकोमड़ी	20.	जीरना
4.	घहरिया	21.	आलूदा
5.	गोठडा	22.	लोदा
6.	घादंगा	23.	जीतकीपुर
7.	भांवरा गूजर	24.	दलपुरा
8.	बालाखेडा	25.	सलाबद
9.	मालूपुरा	26.	बागोर
10.	आधियाबेडा	27.	घोयली
11.	धोली	28.	गालडी
12.	माचडी	29.	हरलोदा
13.	खुर्द	30.	गढखेडा
14.	टीमवा	31	रायसाना
15.	धालाता	32.	केमा
16.	बाड़ा	33.	लावद
17.	तालीचडा	34.	शहर
35.	सोप	52.	मिलक सराय
36.	बड़ा पिचनोट	53.	कामला
37.	खूरा चैनपुरा	54.	सिकन्दरपुर
38.	गोरली	55.	बड नादौती
39.	बामोरी	56.	बडबडाला
40.	इब्राहीमपुर	57.	मारीची-खालसा
41.	बड वजीदपुर	58.	मोरीची जागीर
42.	केमरी बुजर्ग	59.	गढी धीनपुर
43.	बड़ा गांव	60.	बड़ बागोर
44.	खेडला गूजर	61.	बंघावल
45.	खेडली तेसगांव	62.	सावत
46.	तेसगांव	63.	होदाइली
47.	रलावता	64.	बडबडागांव
48.	विलाई	65.	चककेमला
49.	काकला	66.	हाफजाबाद
50.	रोशी	67.	नयावास
51.	कुजला	68.	बाढ जीरना

पंचायत समिति चेचट के गांवों का विद्युतीकरण

461. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, चेचट के 165 गांवों में से 98 गांवों में विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो शेष 67 गांवों को विद्युत देने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या इन गांवों के लिए मिनी स्कीम चलाई जावेगी ?

(2) क्या पंचायत समिति, लाडपुरा के 194 गांवों में से केवल 33 गांवों का ही विद्युतीकरण हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार शेष गांवों के लिए क्या कदम उठा रही है ? क्या ग्रामीण विद्युतीकरण योजना लागू की जा रही है ?

उत्तर

(विद्युत मन्त्री)

(1) पंचायत समिति, चचट के 165 ग्रामों में से माह अक्टूबर, 1978 तक 109 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है एवं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की 68 ग्रामों की स्वीकृत योजना में से बचे हुए दो ग्रामों के विद्युतीकरण इस वर्ष किया जाना प्रस्तावित है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाने का विचार किया जा रहा है।

(2) जी हां। लाडपुरा पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजना बनाने का कार्य चल रहा है।

फलासिया क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिये प्रावधान

462. श्री लालू दास (फलासिया) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य की फलासिया क्षेत्र में कुल बजट में विद्युतीकरण पर कितनी राशि का प्रावधान है एवं कितने लोग लाभान्वित हुये हैं एवं कितनों को लाभान्वित होने की आशा है ?

उत्तर

14 लाख रुपये का प्रावधान वर्ष 1978-79 के बजट में फलासिया (पंचायत समिति, झाडोल) क्षेत्र के दस ग्रामों के विद्युतीकरण के लिये रखा गया है जिसे लगभग 7,500 लोगों के लाभान्वित होने की आशा की जाती है।

कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली की न्यूनतम दर

463. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि प्रयोजन के लिए बिजली की न्यूनतम दर को समाप्त करने या कम करने तथा इससे आम कृषकों और लघु एवं सीमान्त कृषकों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कृषकों से वास्तविक उपभोग की गई बिजली का ही शुल्क लेने के प्रति राज्य सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

उत्तर

कृषि कार्यों के लिए दी जा रही बिजली की दरों तथा मिनिमम चार्जेज में कोई परिवर्तन न कर के कृषि उपयोग में आने वाली बिजली के लिए फ्लेट रेट प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आम तौर पर सभी उपभोक्ताओं से बिजली के उपभोग के अनुसार ही चार्जेज लिये जाते हैं। न्यूनतम चार्जेज से कम बिजली की खपत करने पर ही न्यूनतम चार्जेज वसूल किये जाते हैं।

हिन्डौन में अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), ओ. एण्ड एम. का कार्यालय

464. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हिन्डौन के उपभोक्ताओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा अधिशाषी अभियन्ता (विद्युत), ओ. एण्ड एम. का कार्यालय हिन्डौन में खोले जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो यह कार्यालय खोले जाने में क्यों देरी की जा रही है ?

(श्री श्रवण लाल)

(2) क्या यह सही है कि इस कार्यालय को खोलने में कोई राजनीतिक अड़चनें पैदा की जा रही हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि विद्युत विभाग की लापरवाही से हिन्डौन में विद्युत वितरण व्यवस्था बिगड़ रही है तथा कई घंटों तक विद्युत नहीं आती है जिससे लघु उद्योग व कृषक परेशान रहते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार विद्युत व्यवस्था को सुधारने की क्या व्यवस्था रखती है ?

(4) क्या यह भी सही है कि 132 के. वी. हिन्डौन (जी. एस. एस.) पर नियुक्त अधिशासी अभियन्ता का कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार रहता है और आपसी मतभेद के कारण उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ता है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कोई ठोस कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) वर्षा के बाद हिन्डौन में विद्युत वितरण की व्यवस्था कुछ बिगड़ गई थी जिसको सुधारने के लिये उचित कार्यवाही कर दी गई है तथा अब माह अक्टूबर से विद्युत वितरण सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है ।

(4) जी नहीं ।

जैतारण पंचायत समिति क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

465. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जैतारण पंचायत समिति क्षेत्र के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना बनाई गई थी परन्तु अभी तक स्वीकृत होकर क्रियान्वित नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) यह योजना अब कब तक स्वीकृत होकर क्रियान्वित की जायगी और उसमें कितने गांव कौन-कौन से लिये जावेंगे व कितनी धनराशि व्यय होने का अनुमान है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । योजना बनाई थी परन्तु भू-जल उपलब्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त न होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

(2) भू-जल उपलब्धि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के अभाव में इस विषय में फिलहाल कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

व्यास विद्युत् परियोजना में राज्य का हिस्सा

466. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) व्यास विद्युत परियोजना में राज्य का कितना प्रतिशत हिस्सा है तथा राज्य का सालाना कितना खर्चा लगता है ?

(2) व्यास विद्युत परियोजना में करार के अनुसार राज्य का किस-किस पद पर कितना स्टाफ रखना निश्चित हुआ था, अब कितना स्टाफ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

Page No 247

(247)

(विद्युत मंत्री)

उत्तर

(1) व्यास विद्युत परियोजना की यूनिट-I व यूनिट-II से कुल उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा क्रमश: 20% व 58.5% है। योजना आयोग प्रति वर्ष होने वाले खर्च के लिये आवंटन वर्ष भर के कार्यों के आधार पर निर्धारित करता है। व्यास परियोजना पर प्रसारण लाइनों सहित चालू वित्त वर्ष (1978-79) का पूंजीगत आवंटन 657.00 लाख रुपये का है।

(2) व्यास कन्स्ट्रक्शन बोर्ड के दिनांक 31-8-73 को लिये गये निर्णय के अनुसार दिनांक 3-9-70 से व्यास परियोजना में पदों का हिस्सा राजस्थान, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों का उनके इस परियोजना में लागत के हिस्से के अनुपात के अनुसार होगा। वर्तमान में इस परियोजना पर राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के 73 अधिकारी एवं 191 अन्य श्रेणी के कर्मचारी काम कर रहे हैं।

तहसील गोगुन्दा के गांवों में बिजली

467. **श्री भूरालाल** (गोगुन्दा) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील गोगुन्दा के 65 गांवों में विद्युत मार्च, 79 तक पहुंचाना है? यदि हां, तो अब तक की कार्य की प्रगति को देखते हुये क्या मार्च, 1979 तक 65 गांवों में विद्युत पहुंचाना सम्भव है?

(2) क्या सभी काश्तकारों के कुओं पर बिजली की मोटर लगाई जाकर रबी की फसल पिलाई कराई जा सकती है?

(3) क्या यह सही है कि कण्डक्टर को पिछले चार माह से गोगुन्दा में उपलब्ध नहीं कराये जाने से कार्य बन्द है?

उत्तर

(1) जी हां। सामान की कुछ कमी के कारण प्रगति धीमी रही है फिर भी लक्ष्य को पूरा करने के हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) इस योजना के अन्तर्गत इस वर्ष 25 कुओं पर बिजली देने का लक्ष्य रखा गया जिसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं।

(3) जी हां। पिछले चार माह से इस योजना के लिये कन्डक्टर नहीं मिल सके हैं तथापि लाइन के खम्बे आदि लगाने का कार्य जारी है।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, रानीवाड़ा

468. **श्री रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, रानीवाड़ा में विद्युत कनेक्शन देने की गति बहुत धीमी है?

(2) रानीवाड़ा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के सहायक अभियन्ता कार्यालय में कुल कितने विद्युत कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं? उनको कनेक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) क्या विभाग के पास पोल, तार इत्यादि सामान की कमी के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं? अथवा अधिकारियों की लापरवाही से?

(4) इस वर्ष कुल कितने नये कनेक्शन

(श्री रतनाराम चौधरी)
अब तक दिये गये हैं एवं चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने कनेक्शन देने की योजना है ?

उत्तर

(1) जी हां। सामान की कमी के कारण इस वर्ष अभी तक इस योजना में कनेक्शन पर्याप्त मात्रा में नहीं दिये जा सके।

(2) 31-10-78 को सहायक अभियन्ता (ग्रा. वि. नि.) कार्यालय, रानीवाड़ा के पास कृषि के 213 तथा अन्य 201 प्रार्थना पत्र विद्युत कनेक्शन हेतु विचाराधीन थे। मूलतः अल्युमीनियम कन्डक्टर की कमी के कारण कनेक्शन आदि देने में विलम्ब हुआ है।

(3) अल्यूमीनियम कन्डक्टर तथा पोल आदि सामान की कमी के कारण कनेक्शन देने में विलम्ब हुआ है।

(4) इस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत कृषि के 16 तथा 71 अन्य कनेक्शन दिये गये हैं। चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अन्तर्गत कृषि के 100 कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है।

श्रीराम केमिकल इन्डस्टीज, कोटा को दी जाने वाली बिजली

469. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री रामनगर में स्थापित श्रीराम केमिकल इण्डस्ट्रीज, कोटा को कुल कितनी विद्युत इस समय दी जाती है और किस दर पर दी जाती है ?

(2) श्रीराम केमिकल्स के अलावा कोटा के भिन्न-भिन्न उद्योगों को कुल कितनी बिजली किस-किस दर से दी जाती है ?

(3) किसी उद्योग को बिजली काफी समय तक नहीं दी जाती है तो उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) श्रीराम केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, कोटा की दो यूनिटों को राज्य विद्युत मण्डल द्वारा उनके अनुबन्ध के अनुसार विद्युत प्रदान की जाती है, जिनकी कान्ट्रेक्ट डिमान्ड निम्न प्रकार हैं:—

(1) श्री राम विनायल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज 25000 के. डब्ल्यू.

(2) श्री राम फर्टीलाइजर्स एण्ड केमिकल्स 15000 के. डब्ल्यू.

दोनों यूनिटों को मण्डल की सामान्य दर पर जो कि इन उपभोक्ताओं की श्रेणी के लिए लागू है, बिजली प्रदान की जाती है।

(2) श्री राम केमिकल्स के अलावा कोटा में लगे उद्योगों जिनको बिजली प्रदान की जा रही है, की सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है। इन सभी को मण्डल की सामान्य दर पर बिजली प्रदान की जाती है।

(3) जहां तक सम्भव हो मण्डल प्रत्येक उपभोक्ता को जल्दी से जल्दी विद्युत प्रदान करने की कोशिश करता है। किसी विशेष उद्योग के नाम के अभाव में कारण बताना सम्भव नहीं है।

कोटा के बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं की सूची जिन्हें एल पी/एच टी-1 के अन्तर्गत बिजली दी जाती है

इन उपभोक्ताओं की संविदा मांग (कोन्ट्रेक्ट डिमान्ड) इनके नामों के आगे दर्श

Page No 249

249

(विद्युत मंत्री)
गई है :—

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	कोन्ट्रेक्ट डिमांड (के. ए. वी. में)
1	2	3
1.	मैसर्स श्रीराम विनायल केमिकल्स इण्डस्ट्रीज, श्रीरामनगर, कोटा	29412
2.	,, श्रीराम फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स	17650
3.	,, जे. के. सिन्थेटिक्स लि०, जे. के. नगर	13500
4.	,, श्रीराम रेयान्स, श्रीराम नगर, कोटा	2350
5.	,, ओरियन्टल पावर केबल्स, केबल नगर	2500
6.	,, मल्टी मेटल्स लि., कोटा	2750
7.	,, फारेन इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट एसो., कोटा	200
8.	,, जीवन फर्टीलाइजर एण्ड केमिकल्स	200
9.	,, श्री गोपाल इण्डस्ट्रीज लि.	1350
10.	,, कोटा कोल्ड स्टोरेज आईस फैक्ट्री	200
11.	,, महालक्ष्मी एसोसियेशन एण्ड आईस फैक्ट्री	250
12.	,, बदला फ्लोर मिल्स, कोटा	250
13.	,, प्रीमियर पेपर बोर्ड मिल्स	500
14.	,, कोटा आक्सीजन कं.	150
15.	,, कोटा स्टील री-रोलिंग मिल्स	400
16.	,, बी. पी. टेक्नीकल एण्ड आइल इण्डस्ट्रीज	130
17	मैसर्स इण्डो इन्जीनियरिंग प्राइवेट लि.	130
18	,, श्रीराम रेयान्स, कोटा	300
19.	,, प्रभात स्टील प्राइवेट लि.	2250
20.	,, दी डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट वेस्टर्न रेल्वे, कोटा	120
21.	,, इन्स्ट्रूमेन्टेशन, कोटा	1000
22.	,, सहायक अभियन्ता (पी. एच. ई.डी.), वाटर वर्क्स, कोटा	1200

बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत

470. श्री **आर. डी. यादव** (चौमूं): क्या बाढ़ सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत दी गयी है? अगर हां, तो जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) चौमूं क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित कुल कितने परिवार कहां-कहां के हैं तथा उन्हें क्या राहत दी गयी हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य के विभिन्न बाढ़ग्रस्त जिलों में तात्कालिक राहत हेतु निम्न प्रकार राशि विभागीय मद से आवंटित की गई है:—

(आवंटित राशि लाखों में)

नाम जिला	पुनर्वास व्यवस्था	नकद सहायता मकानों हेतु	भोजन व अन्य व्यवस्था	योग
1	2	3	4	5
अजमेर	0-15	0-05	0-05	0-25

(बाढ़ सहायता मंत्री)

1	2	3	4	5
अलवर	0–40	6–774	0–15	7–324
बांसवाड़ा	0–05	0–025	0–02	0–095
भरतपुर	0–40	5–10	1–05	6–55
बीकानेर	0–17	2–14	0–19	2–50
चूरू	3–47	53–76	1–77	59–00
गंगानगर	–	6–00	–	6–00
जयपुर	0–15	3–60	0–45	4–20
जालौर	0–05	0–02	0–03	0–10
झुन्झुनू	1–25	32–32	0–93	34–50
कोटा	0–10	0–05	0–05	0–20
नागौर	0–05	0–02	0–03	0–10
सीकर	1–25	19–33	0–92	21–50
टौंक	–	0–03	0–02	0–05
योग..	7–49	129–219	5–66	142–369

(2) चाही गई सूचना संलग्न है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा में नये पुल का निर्माण कार्य

471. श्री **माणकलाल ठाकोर** (नैनवा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा कोटा में नये पुल का निर्माण नहीं कराने के कारण यात्रियों को मजबूरन समय का हर्जा कर के शहर का चक्कर लगाकर बैराज पुल पर होकर जाना पड़ता है ?

उत्तर

कोटा नगर में चम्बल नदी पर पुल के निर्माण के लिए 2.5 करोड़ रु. की लागत स्वीकृत की जा चुकी है व कार्य फरवरी, 1978 में प्रारम्भ किया जा चुका है जो अनुबन्ध की शर्त के अनुसार दो वर्ष में बनाया जाना है। वर्तमान पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण यातायात बैराज पुल के उपर होकर निकलता है।

जैतारण एवं रामपुर तहसील के ग्रामों में राहत कार्य

472. श्री **शंकरलाल** (जैतारण): क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष पाली जिले की जैतारण और रामपुर तहसीलों में अकाल की स्थिति की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई थी ?

(2) इन दोनों तहसीलों में अकाल राहत कार्यों के तहत कौन-कौन से कार्य कब-कब कितनी-कितनी धनराशि के स्वीकृत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) स्वीकृत कार्य में से कितने कार्यों पर कितनी धनराशि व्यय की गई और कितने श्रमिकों ने कितने दिन कार्य किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 251

(251)

(श्री शंकरलाल)

(4) कितने कार्य अधूरे रहे और अधूरे रहने के क्या कारण हैं ?

(5) अधूरे कार्य किस प्रकार कब तक पूर्ण कराये जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) चाही गई सूचना संलग्न है ।

(3) चाही गई सूचना में से विभाग में उपलब्ध सूचना संलग्न है ।

(4) अधूरे कार्यों की सूचना तथा अधूरे रहने का कारण इत्यादि का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

(5) अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने की निश्चित अवधि बताया जाना सम्भव नहीं है

राहत कार्यों के विषय में चाही गई जानकारी का विवरण

क्र.सं.	नाम कार्य	स्वीकृत राशि रुपयों में	दिनांक	वास्तविक व्यय रुपयों में	औसत श्रमिक प्रति दिन
1	2	3	4	5	6
सिचाई विभाग :					
1.	भूबलिया पूटीया फीडर	50,000	25-1-78	48,046.25	80
2.	अम्बा की खट	56,100	25-1-78	10,294.84	65
3.	पावरिया तालाब	51,120	25-1-78	18,133.48	120
4.	ऐवरिया एनिकट	77,600	25-1-78	3,106.78	41
5.	पीलपाया	35,150	9-6-78	8,274.25	53
6.	रामगढ़ एनीकट	39,000	9-6-78	16,591.11	110
7.	केसरपुरा बलाडा	32,870	20-6-78	6,465.05	43
8.	फटिया तालाब	37,000	20-6-78	8,100.42	54
9.	विलाडा	99,800	20-6-78	14,936.79	100
10.	भुम्बलिया तालाब	60,000	20-6-78	13,618.14	90
11.	शिव मन्दिर	72,000	20-6-78	5,457.00	72

1	2	3	4	5	6
12.	भगतावरपुर	50,000	..	..	..
13.	टूबड़ा	63,100	..	..	..
14.	कुशालपुरा एनिकट	65,000	..	..	..
15.	डोरी डान्टा	49,000	..	..	..
	सा. नि. वि. :				
16.	बर से गिरी	3,70,000	18-3-78	98,457	83
17.	भाला चौकी से कलालिया	3,40,000	18-3-78	45,845	40
18.	रायपुर से जस्सा खेड़ा	4,25,000	18-3-78	62,198	39
19.	गुडिया से निम्बाज	3,15,000	18-3-78	60,780	36
20.	बिलाड़ा से ब्यावर	5,80,000	18-3-78	1,361	..
21.	जैतारण से मेड़ता सिटी	2,28,000	18-3-78	1,54,964	44
22.	जैतारण से चन्डावल	6,00,000	18-3-78	50,183	112
23.	लोबिया से रास	3,30,000	18-3-78	73,056	60

अन्य विवरण :

पाली जिले में स्वीकृत अधिकांश कार्य पूर्ण नहीं किये जा सके हैं क्योंकि इनमें से बहुत से कार्य जून माह में स्वीकृत किये गये थे तथा राहत कार्य जुलाई के पश्चात् बन्द कर दिये थे। निश्चित अवधि में अधिक से अधिक उपयोगी कार्य कराये जाने का प्रयास किया गया। कई कार्य मजदूरों के न मिलने के कारण भी नहीं कराये जा सके या देर से शुरू किये गये राज्य सरकार अधूरे कार्यों की जानकारी प्राप्त कर इन्हें भविष्य में पूरा कराने हेतु कन्टिनजैन्सी प्लान तैयार कराने की कार्यवाही कर रही है। कुछ कार्य जून माह में देरी से इसलिए स्वीकृत हुए कि पहले तो सर्वे व तखमीना करने में ही देरी हुई जो बाद में वित्त विभाग में जांच के दौरान समय लगा।

कामां तहसील में बाढ़ राहत कार्य

473. श्री **मोहम्मद जहूर** (कामां) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि कामां तहसील में 20 साल से लगातार बाढ़ का प्रकोप रहा है ? यदि हां, तो उससे कितने ग्राम लगातार बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं ? बाढ़ प्रभावित गांवों के कितने गांवों का लगान माफ किया गया ? और नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया ?

उत्तर

उपलब्ध सूचना के अनुसार भरतपुर जिले की कामां तहसील में पिछले 20 वर्षों में बाढ़ प्रकोप निम्न प्रकार रहा है:—

वर्ष	प्रभावित ग्राम
1964-65	140
1965-66	81
1967-68	66
1972-73	49
1976-77	76
1977-78	164
1978-79	58

जिलाधीश, भरतपुर के अनुसार तहसील कामां में 5 गांव नंगलाचाहरा, नंगलाभगीरा, नंगलादादू, बसई डहरा तथा सहेडा में बाढ़ के समय आबादी में पानी भर जाता है। इन ग्रामों के नवासियों को अस्थाई तौर पर आस-पास ऊंचे व सुरक्षित स्थानों पर आवास व्यवस्था की जाती रही है। इस वर्ष ग्राम नंगला चाहरा और नंगलभगीरा के लोगों को गुढा कैनाल की पटरी पर अस्थाई तौर पर रखा गया था।

पानी के निकलने के साथ-साथ प्रभावित लोग अपनी स्थाई आबादी में चले जाते हैं। सिंचाई विभाग ने सूचित किया है कि इस वर्ष बाढ़ से प्रभावित 58 ग्रामों में से 50 ग्रामों को बाढ़ से निकाला गया है और अब भी बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में से पानी निकालने का कार्य तेजी से चल रहा है। इस वर्ष 17 हजार एकड़ भूमि पानी की डूब में थी जिसमें से 13,500 एकड़ भूमि का पानी निकाल दिया गया है।

तहसील जमुवारामगढ़ में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त कुए

474. श्री **रामेश्वर प्रसाद** (जमुवा रामगढ) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील जमुवारामगढ़ में कितने कुए अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं ?

(2) राज्य सरकार उक्त कुओं की भूमि के लिए कुछ सहायता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो राज्य सरकार किस प्रकार मदद करेगी ?

उत्तर

(1) जिलाधीश, जयपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील जमुवारामगढ़ में 85 कुए अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए हैं।

(2) ऐसे क्षतिग्रस्त कुओं के मालिकों या परिवारों को भारत सरकार से प्राप्त गेहूं की सहायता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ताकि इस गेहूं की मदद से इन कुओं को पुनः उपयोगी बनाया जा सके।

राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र की ढाणियों में आग से क्षति

475. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र में जहां कि किसान अपने खेतों में ढाणियां बनाकर झूपों में रहते हैं उन झूपों को आग से जलने का खतरा रहता है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार उक्त ढाणियों को मय उनके सामान के जलने पर 5 हजार से 10 हजार रुपये तक नुकसान होने पर भी सिर्फ 100/- (एक सौ) रुपये सहायता देती है ? यदि हां, तो क्या यह सहायता अपर्याप्त नहीं है ?

(3) क्या राज्य सरकार ऐसे मामलों में सहायता बढ़ाने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि घास-फूस की छत वाले मकानों में आग लगने का अंदेशा अक्सर बना रहता है ।

(2) यह सही नहीं है कि राज्य सरकार केवल एक सौ रुपये ही सहायता के रूप में देती है ।

(3) यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता अग्नि के फलस्वरूप होने वाले नुकसान को देखते हुए अपर्याप्त है । लेकिन राज्य सरकार के सीमित साधनों को देखते हुए सम्पूर्ण नुकसान की क्षतिपूर्ति किया जाना राज्य सरकार के लिए सम्भव नहीं है और नियमों के अन्तर्गत आर्थिक सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा हानि के 1/6 भाग या 500/- रुपये है ।

बंध बरेठा के बीच आये ग्रामों के रास्तों की मरम्मत

476. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सिंचाई विभाग बंध बरेठा के बीच आये ग्रामों को रास्ते से जोड़ता है ?

(2) क्या यह सही है कि थाना डीग व कुछ अन्य ग्रामों के बंध के बीच के रास्ते खराब हो चुके हैं ?

(3) इन रास्तों की मरम्मत कब तक करा दी जायगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) सिंचाई विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भरतपुर जिले में बाढ़ की रोकथाम पर व्यय की गई राशि

477. श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भरतपुर जिले में 1977-78 में कितना रुपया बाढ़ की रोकथाम पर खर्च हुआ है ?

(2) बाढ़ नियन्त्रण हेतु किस-किस

(श्री शिवचरण सिंह)
मद पर कितना रुपया कहां-कहां खर्च हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) भरतपुर जिले में 1977-78 में बाढ़ से कितना नुकसान जान व माल का हुआ है ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में वर्ष 1977-78 में बाढ़ की रोकथाम में 128.76 लाख रुपया खर्चा हुआ है ।

(2) सूची "क" मदवार सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(3) सूची "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पर्वन परियोजना का सर्वे

478. श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मनोहरथाना पर्वन परियोजना का राज्य सरकार द्वारा कभी सर्वे कराया गया है ? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि पर्वन नदी की बाढ़ से प्रति वर्ष कितने ही गांव डूबते हैं, कितने ही पशु बह जाते हैं और कितनी ही जमीन की खड़ी फसलें नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इस विनाशकारी लीला को रोकने का एक मात्र उपाय यही है ?

(4) क्या यह सही है कि मध्य प्रदेश एवं राजस्थान राज्यों के बीच इस परियोजना से संबंधित चर्चाएं हुई हैं और राज्य सरकार किस निर्णय पर पहुंची है ?

(5) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में ही इस परियोजना को प्रारम्भ किये जाने के पक्ष में हैं ? यदि हां, तो कब तक कार्य किया जाना संभव होगा ?

उत्तर

(1) इस योजना का सर्वेक्षण प्रगति पर है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) मध्य प्रदेश सरकार के साथ बातचीत जारी है तथा अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है ।

(5) मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच निर्णय होने के बाद व लाभ-लागत अनुपात के ठीक होने के बाद ही योजना पर कार्य करने का विचार किया जायेगा ।

राज्य को सिंचाई हेतु पानी

479. श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य को सिंचाई हेतु किन-किन साधनों से कितना-कितना पानी उपलब्ध हो रहा है ?

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

(2) निकट भविष्य में किन-किन साधनों से कितना-कितना पानी सिंचाई हेतु कब-कब राज्य को उपलब्ध होने की आशा है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सतह पर बहने वाले पानी की मात्रा 69,00,000 लाख घन फीट आंकी गई है। पांचवीं योजना तक 16,95,000 लाख घन फीट पानी का सिंचाई हेतु उपयोग किया जा चुका है, जिसमें से चम्बल योजना से 3-2 मिलियन एकड़ फीट व शेष पानी 47 मध्यम व 543 लघु सिंचाई हेतु उपयोग में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त गंग नहरों में 1-11 मिलियन एकड़ फीट भाखरा में, 1-40 मिलियन एकड़ फीट व राजस्थान नहर में 3-6 मिलियन एकड़ फीट उपलब्ध हो रहा है।

(2) राज्य में प्रश्न सं. 1 में अंकित पानी के अतिरिक्त राजस्थान नहर से 3-99 मिलियन एकड़ फीट, माही से 0-368 मिलियन एकड़ फीट व 0-45 मिलियन एकड़ फीट पानी अन्य वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई योजनाओं से निकट भविष्य में छठी योजना में उपलब्ध होने की आशा है।

बून्दी जिले में गन्ने की पिलाई की दर

480. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी में गन्ने की पिलाई की क्या दर है और पिलाई की वसूली कब होती है ?

(2) क्या जिला बून्दी, तहसील हिन्डोली में गुढा बान्ध की नहर पर इस वर्ष काश्तकारों द्वारा गन्ने की फसल की गई थी ? यदि हां, तो इस गन्ने की फसल की पिलाई कब वसूल की गई ?

(3) क्या अक्टूबर में वसूल की गई पिलाई के बाद भी पिलाई की कोई बकाया रह गई है ? यदि हां, तो किस नियम के अनुसार तथा किस दर से ?

(4) क्या स्थानीय काश्तकारों ने उक्त क्षेत्रों में पिलाई की दर अत्यधिक है की शिकायत की थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस प्रार्थना पर क्या निर्णय लिया था ?

उत्तर

(1) पिलाई की दर रु. 40/- प्रति एकड़ है और पिलाई की वसूली प्रति वर्ष 14 जनवरी तक जारी की जाती है। इसकी वसूली तब तक कायम रहती है जब तक कि काश्तकार रकम जमा नहीं करवाता।

(2) जी हां। गुढ़ा बान्ध की नहर से 5,566 एकड़ भूमि में गन्ने की फसल की गई। मार्च, 1978 तक रु. 76,825/- वसूल किये गये व शेष रकम की वसूली जारी है।

(3) जी हां। शेष वसूली चालू वर्ष में की जा रही है। यह वसूली राजस्थान सिंचाई तथा जल निकास नियम, 1954 के अनुसार उक्त दर से की जा रही है।

(4) जी नहीं।

राणा प्रताप सागर बांध के कैचमेन्ट एरिया का सर्वे

481. **श्री एच. एन. शर्मा** (बेगू): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राणा प्रताप सागर बांध

Page No 257

(257)

(श्री एच. एन. शर्मा)

में कैचमेण्ट एरिया के साथ-साथ गांधी सागर से रावतभाटा वाया ग्राम जावदा, ददी, तलाई, मण्डेसरा, चेनपुरीया, पेरीफरी रोड का सर्वे किया गया है ? अगर हां, तो सर्वे की रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार इस वर्ष चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड की बैठक में इस रोड के बारे में कोई बजट में प्रावधान रखने का विचार रखती है ?

(3) यह पेरीफरी रोड कब तक पूरी करवाई जा सकेगी ?

उत्तर

(1) इसका केवल प्राथमिक सर्वेक्षण 1969 में करवाया गया था विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है। अतः सर्वे रिपोर्ट नहीं बनी।

(2) जी नहीं।

(3) अब तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है।

कुण्डाल क्षेत्र की लिफ्ट योजना का सर्वे

482. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील बेगूं, पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़ के तहत कुण्डाल क्षेत्र के लिए लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम का सर्वे करवाया गया था ? यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

(2) उक्त लिफ्ट इर्रिगेशन स्कीम को क्रियान्वित करने के संबंध में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) इस योजना को क्रियान्वित करने का कोई विचार नहीं है।

डोराई बांध का निर्माण कार्य

483. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई विभाग द्वारा बेगूं तहसील के अन्तर्गत डोराई बांध के निर्माण का कार्य शुरू किया गया था ? अगर हां, तो किन कारणों की वजह से उसे मध्य में ही बन्द करना पड़ा ?

(2) इस बांध पर कितना रुपया किस वर्ष में खर्च किया जा चुका है तथा इसकी पूरी लागत क्या है ?

(3) इस बांध के बनने पर कितने गांव डूब में आते हैं तथा कितनी एकड़ जमीन डूब से प्रभावित है ? इसकी कुल लागत पर कितने लाख रु. खर्च होंगे तथा इसकी सिंचाई क्षमता कितनी होगी ?

(4) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में इस बांध को पूरा करने का विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सिंचाई विभाग के बेगूं तहसील के अन्तर्गत डोराई बांध का निर्माण कार्य वर्ष 1971-72 में प्रारम्भ कराया गया था। परियोजना के डूब में आने वाले क्षेत्र के काश्तकारों द्वारा बांध के निर्माण कार्य में बाधाएं उत्पन्न की गईं। जिससे

(सिंचाई मंत्री)

मुआवजा तय नहीं किया जा सका एवं उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश दिया जाने से कार्य बन्द करना पड़ा। अब भी मुआवजा निपटारा की कार्यवाही भूमि अवाप्ति अधिकारी बेगूं के पास विचाराधीन है।

(2) इस बांध पर विभिन्न वर्षों में निम्नानुसार खर्चा किया गया है व इस कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत 70।– लाख रुपया होगी।

क्र. सं.	वर्ष	व्यय
1.	70–71	1.34 लाख
2.	71–72	1.83 लाख
3.	72–73	0.25 लाख
4.	73–74	(–) 0.06 लाख
5.	76–77	(–) 0.04 लाख
	योग:–	3.32 लाख

(3) इस बांध के बनने पर ग्राम हरीपुरा, जैतपुरा, लाडपुरा, खुमावास, डोराई व महूपुरा ग्राम के क्षेत्र प्रभावित होंगे व उनकी क्रमशः 57 एकड़, 55 एकड़, 114 एकड़, 31 एकड़, 27 एकड़ व 16 एकड़ भूमि कुल 300 एकड़ जमीन डूब में आयेगी। बांध को पूर्ण करने पर कुल अनुमानित लागत 70 लाख रु. होगी एवं इस बांध से 2628 एकड़ भूमि को सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी।

(4) इस परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर पूर्ण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

जगर बांध में सीपेज

484. श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जगर बांध से होने वाले सिंचाई एरिया में इस समय सीपेज अधिक हो गया है?

(2) क्या यह सही है कि इस सीपेज के कारण वहां के किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सीपेज को रोकने के लिये राज्य सरकार से बार-बार निवेदन करने पर भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाये गये हैं? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। कुछ हद तक सीपेज का फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है।

(3) जी नहीं। इस कार्य को आधुनिकीकरण के अन्तर्गत ले लिया गया है।

जगर बांध के पेटे एवं नहरों में आई जमीन का मुआवजा

485. श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सही है कि हिण्डोन तहसील

(श्री श्रवण लाल)
के जगर बांध पेटे एवं नहरों में आई जमीन का मुआवजा अभी तक राज्य सरकार ने नहीं चुकाया है ?

(2) यदि हां, तो क्यों और इतना समय लगने का क्या कारण है और कब तक राज्य सरकार इस राशि के चुकाने का विचार रखती है ?

(3) इस राशि के अभी तक भुगतान नहीं किए जाने का क्या कारण है? क्या राज्य सरकार इस मुआवजे की राशि को शीघ्र भुगतान करने के आदेश प्रदान करेंगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) मुआवजे के कागजात तैयार कर वर्ष 1962 में भूमि आवप्ति अधिकारी हिण्डौन को एवार्ड जारी करने हेतु भेजे गये थे, जैसे ही एवार्ड जारी होंगे, किसानों को मुआवजा की राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।

(3) ...

पीपल्दा क्षेत्र की नहरों के लिए अवाप्त की भूमि का मुआवजा

486. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पीपल्दा क्षेत्र के लुहावद ग्राम में बाग माइनर में ली गई कृषि भूमि का अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का क्या कारण है ?

(2) पीपल्दा क्षेत्र में नहरों के लिए किन-किन किसानों की कितनी भूमि की कुल कितनी-कितनी राशि मुआवजा के रूप में देना बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) इस राशि के अभी तक भुगतान नहीं किए जाने का क्या कारण है? क्या राज्य सरकार इस मुआवजे की राशि को शीघ्र भुगतान करने के आदेश प्रदान करेंगी ?

उत्तर

(1) कृषकों को ग्राम लुहावद में बाग माइनर के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा चुकाने की कार्यवाही राज्य सरकार के विचाराधीन है। स्वीकृत होकर मुआवजे का एवार्ड प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जाएगा ।

(2) पीपल्दा क्षेत्र में जिन किसानों को भूमि का मुआवजा चुकाना शेष है तथा जिनकी भूमि अवाप्त की गई है सूची संलग्न है ।

(3) अवाप्त की भूमि के एवार्ड तैयार पड़े हुए हैं और प्राप्ति पर कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही भुगतान कर दिया जायगा ।

लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी से सिंचाई सुविधा

487. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि लक्ष्मीपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी के टूटने तथा ओवरफ्लो, ककरावदा तथा शेगंरज माइनर के बैंड कटिंग, कजलिया व मूंडला माइनर के ओवरफ्लो, सीपेज तथा बंड कटिंग टूटने हेतु कई

Page No 260

(260)

(श्री हीरालाल आर्य)
बार निवेदन किया गया फिर भी इन पर सही कार्यवाही नहीं कराये जाने का क्या कारण है ?

(2) क्या राज्य सरकार किसानों को सिंचाई सुविधा ठीक उपलब्ध हो इस हेतु उक्त माइनर्स के निर्माण एवं दुरुस्ती हेतु शीघ्र आदेश प्रदान करेंगी ?

उत्तर

(1) लक्ष्मीपुरा डिस्ट्री० कहीं से भी ओवरफ्लो नहीं करता है। गत वर्ष यह एक स्थान पर कृषकों द्वारा बन्धे लगाने तथा काटने के कारण टूट गई थी जो फौरन ठीक करदी गई थी तथा पाली से किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ था। ककरावदा, शेरगंज माईनर के बंड कटिंग के कार्य, कजलिया व मूंडला माइनर के ओवरफ्लो, सीपेज रोकने हेतु कार्य तथा बंड कटिंग के कार्य करवा दिये हैं। कुछ मामूली कार्य शेष हैं जो इसी सत्र में शीघ्रता से कराये जा रहे हैं।

(2) माइनर्स पर मरम्मत आदि के आवश्यक कार्य करीब करीब पूरे हो चुके हैं तथा सभी को टेल तक पानी भली भांति पहुंचता है तथा सिंचाई सुविधा में कोई कठिनाई नहीं है।

इटावा ब्रांच कनाल पर मिट्टी खोदने की मशीन

488. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इटावा ब्रांच कैनाल पर गणेशगंज के पास एक मिट्टी खोदने की विशाल मशीन पड़ी है? यह मशीन यहां पर क्यों तथा कब आई तथा इस मशीन ने यहां पर कितना कार्य किया ?

(2) इस मशीन पर कुल कितने व्यक्ति अभी कार्यरत हैं तथा क्या काम करते हैं ?

उत्तर

(1) हां यह सही है कि इटावा ब्रान्च कैनाल पर मेन 932 गणेशगंज गांव के पास एक मिट्टी खोदने की ड्रेग लाइन मशीन नं० टी० 06232 खड़ी हुई है यह मशीन यहां पर इटावा ब्रांच कैनाल का चैन 932 से 1000 तक के मिट्टी के कार्य को कराने के लिए सी० ए० डी० से माह मई, 78 के प्रथम सप्ताह में मंगवाई गई थी। इस मशीन ने यहां पर कुल 22 दिन में 121 घन्टे में 3642.27 घन मीटर मिट्टी खोदकर निकाली है जिसका व्यय 41987.00 रु. है। अब यह मशीन निकट ही अयाना ग्राम के पास लुहावद मेन ड्रेन पर कार्यरत है।

(2) इस मशीन पर एक ऑपरेटर, तीन हैल्पर तथा दो चौकीदार इसके संचालन एवं संभाल हेतु कार्यरत हैं।

खातोली एवं बोरदा के सिंचाई पटवारियों के विरुद्ध कार्यवाही

489. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खातोली तथा बोरदा के सिंचाई पटवारियों के विरुद्ध मांग-पत्र में तथा खतौनी दोनों में राशि अलग-अलग लिखने के सम्बन्ध में गांव वालों ने रिपोर्ट अधीक्षण तथा अधिशासी अभियन्ता को पेश की थी ?

(2) यदि हां, तो इन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है ? इस हेतु क्या कार्यवाही जारी है ? क्या राज्य सरकार इस हेतु शीघ्र उचित आदेश प्रदान कर किसानों को न्याय प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) खातोली के पटवारी द्वारा तैयार की गई खतौनी में गलती पाई जाने के कारण उसको दण्डित कर एक वर्ष की वेतन वृद्धि रोकी गयी। बोरदा के पटवारी की खतौनी की जांच करने पर पाया गया कि केवल एक मांग-पत्र में जोड़ में गलती थी, जो दुरुस्त की गई। इस प्रकार उसकी कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

इटावा में अधिशाषी अभियन्ता का कार्यालय

490. श्री **हीरालाल आर्य** (पीपल्दा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मुख्य दांई नहर II उप-खण्ड के अधिशासी अभियन्ता के अन्तर्गत पीपल्दा तहसील तथा मांगरोल तहसील को कुल कितनी 2 एकड़ भूमि सिंचित होती है तथा कितने-कितने गांव प्रभावित होते हैं ?

(2) पीपल्दा क्षेत्र की जमीन तथा गांव अधिक होते हुए भी कोटा से यह कार्यालय पीपल्दा केन्द्रीय स्थान इटावा में शिफ्ट नहीं कर के अन्ता में शिफ्ट करने का क्या हेतु तथा उपयोगिता है ?

(3) जब पीपल्दा क्षेत्र ही इस कार्यालय से प्रभावित होता है यह तो कार्यालय उस क्षेत्र के केन्द्र इटावा में ही क्यों नहीं खोला जाये ?

उत्तर

1. मुख्य दाईं नहर खण्ड द्वितीय के अन्तर्गत तहसील पीपल्दा का सी०सी०ए० 87690 एवं सिंचित भूमि 75673 एकड़ है तहसील मांगरोल का सी०सी०ए० 90,949 एकड़ है एवं सिंचित भूमि 54,350 एकड़ है। तथा इससे तहसील पीपल्दा के 127 ग्राम, तहसील मांगरोल के 109 ग्राम प्रभावित होते हैं।

2 व 3. इटावा उप-खण्ड का सी०सी०ए० एवं ग्राम दोनों ही उप-खण्ड अन्ता से अधिक है जैसा कि ऊपर वर्णित किया जा चुका है। वर्णित खण्ड के कार्यालय को अन्ता भेजने का कारण कृषकों की समस्याओं का समय समय पर निराकरण करना है तथा अगले वर्ष

(सिचाई मंत्री)
तक एक कार्यालय और इटावा में भी भेजने का प्रस्ताव है जिससे यहां की भी समस्या को मौके पर ही सुलझाई जा सके।

अगले वर्ष तक एक और अन्य डिविजन कार्यालय इटावा में भी खोलने का प्रस्ताव है।

तहसील नादोती एवं टोडाभीम की सिंचित एवं असिंचित भूमि

491. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील नादोती में व टोडाभीम में कितनी भूमि सिंचित है और कितनी असिंचित ?

(2) जो भूमि असिंचित है, क्या राज्य सरकार उसे सिंचित करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो किस प्रकार और कब तक ?

उत्तर

(1) तहसील नादोती में 4645 हैक्टेयर्स सिंचित भूमि है एवं तहसील टोडाभीम में 12270 हैक्टेयर्स सिंचित भूमि है। शेष भूमि असिंचित हैं।

(2) राज्य सरकार की नीति है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि में सिंचाई साधन उपलब्ध कराए। निर्माणाधीन पांचना बांध से नादोती व टोडाभीम तहसीलों में क्रमश: लगभग 2660 हैक्टेयर्स व 2530 हैक्टयर्स सिंचाई की जा सकेगी।

नोहर फीडर का कार्य

492. श्री बहादुर सिंह (नौहर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नोहर फीडर को प्रारम्भ करने के लिए जनता सरकार ने क्या क्या उपाय किये हैं तथा इस योजना को राज्य सरकार कब तक प्रारम्भ कर देगी ?

उत्तर

नोहर फीडर योजना का प्रांकलन केन्द्रीय सरकार को उनकी स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। जैसे ही केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त होगी, राज्य सरकार से प्रांकलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर योजना पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

पीपल्दा क्षेत्र की सड़कें

493. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पीपल्दा क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़क राष्ट्रीय तथा राज्य मार्ग घोषित की

(श्री हीरालाल आर्य)

गई है ? वर्तमान में इन सड़कों की क्या व्यवस्था तथा हालत है ?

(2) क्या राज्य सरकार इटावा-इन्द्रगढ़ जो कि राज्य मार्ग घोषित है के निर्माण कराने के शीघ्र आदेश प्रदान करेगी ?

(3) पीपल्दा क्षेत्र से किन-किन सड़कों का निर्माण अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत हुआ ? इन सड़कों की वर्तमान में क्या स्थिति है ? क्या राज्य सरकार इनका प्राथमिकता के आधार पर निर्माण करायेगी ?

उत्तर

(1) पीपल्दा क्षेत्र में कोई सड़क राष्ट्रीय मार्ग नहीं है केवल एक सड़क इन्द्रगढ़ ठीबरी तालाब इटावा मांगरोल बारां सड़क राज्य मार्ग नं० 19 है । इन्द्रगढ़ से ठीबरी तलाब सड़क का भाग कच्चा है व ठीबरी के पास चम्बल नदी पर कोई भी पुलिया या रपट नहीं बनी हुई है ? गणशगंज से तलाब के बीच डामर सड़क का कार्य चम्बल डवलपमेंट के अन्तर्गत प्रगति पर है और 20 कि.मी.की कुल लम्बाई है जिसके अन्तर्गत 19कि.मि. डामर सड़क पूर्ण करदी गई है और इटावा के पास 1 कि० मीटर का कार्य शेष है गणेशगंज से मांगरोल के बीच को कुल लम्बाई 24 कि० मी० है और इस सड़क का कार्य चम्बल कमाण्ड के अन्तर्गत प्रगति पर है । 5 कि० मी० डामर सड़क पूरी कर दी गई है शेष भाग कच्ची सड़क है और इस पर कार्य चल रहा है । मांगरोल से बारां सड़क जिसकी कुल लम्बाई 28 मि. मी. है डामर सड़क है ।

(2) इटावा से इन्द्रगढ़ सीधी सड़क बनाने का कोई प्रावधान नहीं है । तलाब से ठीबरी तक सड़क बनाने का प्रावधान छठी पचवर्षीय योजना में 25 लाख रु०.की लागत से पूर्ण करने का मास्टर प्लान में आयोजन किया गया है । इस वर्ष इस कार्य पर कोई प्रावधान नहीं है ।

(3) अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत निम्न सड़कों का कार्य पिछले वर्षों में किया गया था:—

1. इन्द्रगढ़ ठीबरी रोड 8 कि०मीटर लम्बाई में मिट्टी का अधूरा कार्य किया गया था । इसके उपरांत इस सड़क पर किसी भी योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य नहीं किया गया है । यह सड़क छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मास्टर प्लान में मुख्य अधूरी सड़कें पूरी करने के अन्तर्गत प्रस्तावित है ।

2. पीपल्दा खातोली सड़क 8 कि० मी० लम्बाई में मिट्टी का अधूरा कार्य किया गया इसके उपरांत इस सड़क पर कोई कार्य नहीं किया गया । इस सड़क का कार्य चम्बल कमाण्ड के अन्तर्गत दूसरे चरण में प्रस्तावित है ।

3. इन्द्रगढ़ मोहनपुरा रोड इस सड़क पर 2 कि०मी० लम्बाई में मिट्टी का अधूरा कार्य किया गया था इसके उपरांत कोई कार्य नहीं किया गया ।

ग्राम निमोला में स्कूल भवन के निर्माण हेतु इकट्ठी की गई राशि

494. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नीमोला में स्कूल भवन निर्माण हेतु पिछले वर्षों में जनता द्वारा कुछ राशि इकट्ठी की गई थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) इस राशि का अब तक क्या उपयोग हुआ ? क्या राज्य सरकार इस राशि के समुचित उपयोग की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो किस प्रकार ?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नीमोला के भवन निर्माण हेतु, पिछले वर्षों में जन-सहयोग से 13,000/- रुपये की राशि एकत्रित हुई है।

(2) विद्यालय भवन के चार कमरे 20×12 फीट निर्माण कराये जा रहे हैं, वर्तमान में ये कमरे दीवारों तक बन चुके हैं पट्टियां अलग से रखी हैं छत डलवाना बाकी है। शेष कार्य के लिये जन-सहयोग प्राप्त करने का प्रयास स्थानीय आधार पर किया जा रहा है।

उदयपुर शहर में कार्यरत अध्यापक

495. श्री गोविंद सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री बहय ताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने ऐसी कोई नीति बनाई है कि शहर में जिन शिक्षकों को 5 वर्ष (सत्र) पूरे हो गये हैं, उन्हें स्थानान्तर कर गांवों में भेजा जावे ?

(2) उदयपुर शहर में कितने अध्यापक लगातार 5 सत्र से अधिक समय से कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उदयपुर शहर में कितनी महिला शिक्षिका ऐसी हैं, जो लगातार 5 वर्ष (सत्र) से अधिक समय से वहां पढ़ा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उदयपुर शहर में 5 सत्र से अधिक समय से जो अध्यापक कार्यरत हैं उनकी संख्या 264 है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) उदयपुर शहर में कुल 156 महिला शिक्षिकाएं लगातार 5 वर्ष (सत्र) से अधिक पढ़ा रही है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

राज्य खेल परिषद् का गठन

497. **श्री नवरंगसिंह** (नवलगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्तमान में राजस्थान राज्य खेल परिषद् का गठन कब किया गया? इसके कौन-कौन पदाधिकारी हैं? सूची सदन का मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पिछले दो वर्षों में खेल परिषद् द्वारा किन-किन खेलों के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया और किन-किन स्थानों पर किया गया? खिलाड़ियों के नामों की सूची मय पते के सदन की मेज पर रखने की कृपा कर।

(3) क्या यह सही है कि खेल परिषद् की गतिविधियों को ग्रामीण अंचलों तक नहीं पहुंचाया गया है? यदि हां, तो वर्तमान में इसके लिये राज्य सरकार क्या व्यवस्था करने जा रही है?

उत्तर

1. राजस्थान राज्य खेल परिषद् का पुनर्गठन दिनांक 4-7-78 को किया गया। इसके निम्न पदाधिकारी हैं :—

1. श्री राजसिंह डूंगरपुर	अध्यक्ष
2, श्री नाथूसिंह, संसद सदस्य	उपाध्यक्ष
3. चन्द्रमल शाह	कोषाध्यक्ष

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी नहीं। खेल परिषद् अनुदान एवं सभी संभव देख-भाल आदि के माध्यम से ग्रामीण अंचलों तक खेलकूद को प्रोत्साहित करती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

•

अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण की नीति

498. **श्री ईश्वरचन्द** (पिड़ावा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण नीति में "लोंगर स्टे" का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो द्वितीय एवं तृतीय वेतन श्रृंखला के अध्यापक/अध्यापिकाओं के लिये एक ही स्थान पर पदस्थापित रखने की क्या अवधि निर्धारित की गई है?

(2) क्या यह सही है कि स्थानान्तरण नीति में हृदय रोग, क्षय रोग, पोलिया एवं कैंसर रोग से पीड़ित अध्यापक/अध्यापिका को स्थानान्तरण करने से मुक्त रखा गय है? क्या कोई शिक्षा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र की वैधता के लिये चिकित्साधिकारी को प्रश्नावली भेजी जा सकती है? क्या ऐसा करना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नीति का अतिक्रमण नहीं है?

(3) क्या यह सही है कि विषय अध्यापक को "लोंगर स्टे" के अन्तर्गत स्थानान्तरण से मुक्त रख गया है?

(श्री ईश्वरचन्द)

(4) क्या यह सही है कि शिक्षा अधिकारी द्वारा अध्यापक/अध्यापिकाओं के स्थानान्तरण को राज्यादेश से निरस्त किया जाता है ? यदि हां, तो राज्यादेश किस आधार पर जारी किये जाते हैं ? इसकी मान्यता कितनी अवधि तक रहती है ? क्या शिक्षा अधिकारी के द्वारा राज्यादेश से स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को पुनः स्थानान्तरित किया जा सकता है ?

उत्तर

(1) जी हां। अवधि निर्धारित नहीं की गई।

(2) (अ) जी हां (क्षय रोग के अतिरिक्त)। (आ) स्थानान्तरण नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। परन्त संशय की स्थिति में प्रमाण-पत्र की पुष्टि कराई जा सकती है।

(3) जी नहीं।

(4) (क) जी हां। ऐसा किया जा सकता है। यदि स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध किया गया हो। (ख) कोई अवधि निर्धारित नहीं है। (ग) जब राज्यादेश ही नहीं दिये जा रहे हैं तो प्रश्न ही नहीं उठता

राजस्थान विश्वविद्यालय से एफिलियेटेड महाविद्यालय

499. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय से किन किन महाविद्यालयों का स्थायी एफिलियेशन अभी तक नहीं हो पाया है ? एफिलियेशन नहीं हो पाने के क्या कारण रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जहां-जहां स्थायी एफिलियेशन हो जाता है, वहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अलग से लाइब्रेरी ब्लॉक खोलना आवश्यक हो जाता है ? यदि हां, तो बाड़मेर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अलग से लाइब्रेरी ब्लॉक खोलने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये है ?

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत किन किन महाविद्यालयों में राजकीय छात्रावास नहीं हैं ?

(4) बाड़मेर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में राजकीय छात्रावास के निर्माण के लिये शिक्षा विभाग ने इस वर्ष क्या प्रावधान किया है ? कब तक राजकीय छात्रावास के निर्माण का कार्य शुरू होकर सम्पन्न हो सकेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान विश्वविद्यालय से जिन महाविद्यालयों का स्थाई एफिलियेशन अभी तक नहीं हो पाया है उनकी सूची संलग्न है (परिशिष्ट "क") इसके स्थाई एफिलियेशन न होने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों का पूर्ण न होना है।

(2) जी नहीं। स्थाई एफिलियेशन हो जाने पर वहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से अलग से लाइब्रेरी ब्लॉक खोलना आवश्यक नहीं है। जहां तक बाड़मेर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में अलग से लाइब्रेरी ब्लॉक बनाने का प्रश्न है अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) राजस्थान विश्वविद्यालय के अन्तर्गत जिन जिन राजकीय महाविद्यालयों

(शिक्षा मंत्री)
में छात्रावास नहीं उसको सूची संलग्न है (परिशिष्ट "ख") ।

(4) राजकीय महाविद्यालयों में नये छात्रावास भवनों का निर्माण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की सहायता से किया जाता है। राज्य सरकार के लिये अकेले ही इन निर्माण कार्य पर खर्च करना सम्भव नहीं है। बाड़मेर महाविद्यालय के छात्रावास भवन निर्माण प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजने के लिये आये थे लेकिन उसमें कमियां थीं उनको पूरा करने हेतु प्राचार्य को लौटा दिये गये थे। प्राचार्य को प्रस्ताव भेजने हेतु लिखा जा रहा है। प्रस्ताव आते ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को स्वीकृति हेतु भिजवा दिये जावेंगे ।

परिशिष्ट (क)

अस्थाई एफिलियेशन महाविद्यालयों की सूची।

कला, सोशियल साइन्स, साइन्स तथा वाणिज्य संकाय

1. राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड ।
2. राजस्थान विद्यापीठ विजयसिंह पथिक श्रमजीवी सांध्य महाविद्यालय, अजमेर ।
3. आदर्श डिग्री महाविद्यालय, अजमेर ।
4. गौरी देवी कन्या महाविद्यालय, अलवर ।
5. इन्द्रा गांधी बालिका निकेतन, अरडावता ।
6. राजकीय महाविद्यालय, बांदीकुई ।
7. राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल ।
8. श्रीमती गोमती देवी महाविद्यालय, बड़ागांव ।
9. राजकीय महाविद्यालय, बहरोड ।
10. श्री नेहरु शारदापीठ, बीकानेर ।
11. श्री प्राचार्य महाविद्यालय, विजयनगर ।
12. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा ।
13. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भरतपुर ।
14. बिरला महाविद्यालय, भवानीमण्डी ।
15. राजकीय महाविद्यालय, बारां ।
16. राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा ।
17. राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़ ।
18. राजकीय महाविद्यालय, डीग ।
19. नेहरु महाविद्यालय, देवली ।
20. सेठ जी०आर० चमडिया महाविद्यालय, फतेहपुर ।

Page No 268

(268)

21. राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी ।
22. राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी ।
23. नेहरु मेमोरियल महाविद्यालय, हनुमानगढ़ ।
24. अग्रवाल महाविद्यालय, जयपुर ।
25. एस०एस० जैन सुबोध महाविद्यालय, जयपुर ।
26. लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय, जयपुर ।
27. कनोडिया महिला महाविद्यालय, जयपुर ।
28. श्री सत्य सांई महिला महाविद्यालय, जयपुर ।
29. वीर बालिका महाविद्यालय, जयपुर ।
30. राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़ ।
31. राजकीय महाविद्यालय, जैसलमेर ।
32. राजकीय महाविद्यालय, जालोर ।
33. मोतीलाल बेंगानी राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं ।
34. जे०डी०बी० कन्या महाविद्यालय, कोटा ।
35. हितकारी कोपरेटिव श्रमजीवी साध्य महाविद्यालय, कोटा ।
36. राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ़ ।
37. राजकीय महाविद्यालय, करौली ।
38. जवाहर विद्यापीठ, कनोड़ ।
39. राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी ।
40. भगवानदास तोदी महाविद्यालय, लक्ष्मणगढ़ ।
41. राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा ।
42. जैन तेरापंथी महाविद्यालय, रानावास ।
43. सेठ एम०बी० राजकीय महाविद्यालय, नाथद्वारा ।
44. राजकीय महाविद्यालय, नागौर ।
45. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद ।
46. एस०के० साबू वाणिज्य महाविद्यालय, पिलानी ।
47. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ ।
48. राजकीय महाविद्यालय, सिरोही ।
49. श्री के०एस० कन्या महाविद्यालय, सीकर ।
50. राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ ।
51. महात्मा गांधी सांध्य महाविद्यालय, श्रीगंगानगर ।
52. एस०बी०डी० महाविद्यालय, सरदारशहर ।
53. सोनी देवी सेतिया कन्या महाविद्यालय, सुजानगढ़ ।
54. जी०एच०एस० राजकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सुजानगढ़ ।
55. राजकीय महाविद्यालय, सवाईमाधोपुर ।
56. मोहता महाविद्यालय, सादुलपुर ।

परिशिष्ट (ख)

राजकीय महाविद्यालय की सूची जिनमें राजकीय छात्रावास नहीं है

1. राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड़ ।
2. राजकीय कन्या महाविद्यालय, भीलवाड़ा ।
3. राजकीय महाविद्यालय, प्रतापगढ़ ।
4. राजकीय महाविद्यालय, बान्दीकुई ।
5. राजकीय महाविद्यालय, नीम का थाना ।
6. राजकीय महाविद्यालय, गंगापुर सिटी ।
7. राजकीय महाविद्यालय, लाडनूं ।
8. राजकीय महाविद्यालय, बाड़मेर ।
9. राजकीय महाविद्यालय, सुजानगढ़ ।
10. राजकीय महाविद्यालय, नीम्बाहेड़ा ।
11. राजकीय महाविद्यालय, भीनमाल ।
12. राजकीय महाविद्यालय, नसीराबाद ।
13. राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी ।
14. राजकीय महाविद्यालय, डीग ।
15. राजकीय महाविद्यालय, हिण्डौन सिटी ।
16. राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़ ।
17. राजकीय महाविद्यालय, देवली ।
18. राजकीय महाविद्यालय, नागौर ।
19. राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़ ।
20. राजकीय महाविद्यालय, धौलपुर ।
21. राजकीय कन्या महाविद्यालय, अलवर ।
22. राजकीय महाविद्यालय(कन्या), भरतपुर ।

खेल परिषद् के कार्यालय का अजमेर में स्थानान्तरण

500. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि खेल परिषद् का कार्यालय जयपुर से अजमेर ले जाया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान खेल परिषद् के अध्यक्ष विदेश चले गये हैं और उपाध्यक्ष एम० पी० होने के कारण, उनको कम समय मिलता है और इस कारण खेल परिषद् का पलड़ा बैठता जा रहा है ? इस बावत राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ? इस खेल परिषद् को सुधारने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

Page No 270

(270)

(शिक्षा मंत्री)

उत्तर

(1.) यह सही नहीं है ।

(2.) जी नहीं । खेल परिषद प्रगति पर है ।

महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर का ऑडिट

501. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि महाराजा सार्वजनिक पुस्तकालय, जयपुर का मई, 78 में विभागीय ऑडिट हुआ था ? यदि हां, तो किस साल से किस साल तक का ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ऑडिट पार्टी ने इस लाइब्रेरी में कई एम्बेजलमेन्ट के मामले पकड़े है ? यदि हां, तो कितने किस किस साल के, कितनी कितनी राशि के, और किस किस लाइब्रेरियन के खिलाफ यह मामले बनते हैं ?

(3) एम्बेजलमेंट करने वाले कौन कौन लाइब्रेरियन थे और आज वे किस पद पर कहां नियुक्त हैं ?

(4) राज्य सरकार ने इन मामलों में जांच के विषय में अभी तक क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां । जून, 1973 से मार्च 1978 तक के लेखों की जांच हुई है ।

(2) लेखा जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि संलग्न सूची के बिलों का भुगतान रोकड़ बही में अधिक बताकर 10–30 पैसे की राशि का स्थाई रूप से गबन किया गया था । जिस अवधि के लेखों की जांच है, उस समय श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, तत्कालीन पुस्तकाध्यक्ष, श्री मोईनुदीन अहमद, सहायक पुस्तकाध्यक्ष एवं श्री गोपाल सिंह नरूका कनिष्ठ लिपिक पद पर कार्यरत थे ।

(3) लेखा जांच के अनुसार जो व्यक्ति इस मामले से सम्बन्धित पाये गये हैं वे वर्तमान में निम्न स्थानों पर है :—

1. श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, पुस्तकाध्यक्ष विधान सभा पुस्तकालय ।

2. श्री मोईनुद्दीन अहमद, जिला पुस्तकालयाध्यक्ष, टोंक ।

3. श्री गोपाल सिंह नरूका, कनिष्ठ लिपिक भूमि एवं भवन कर विभाग, में कार्य कर रहे हैं ।

4. विभागीय प्रगति का कार्य प्रगति पर है ।

बिल का संदर्भ	फर्म का नाम जिसको भुगतान किया गया	प्राप्त कर्ता की रसीद	रोकड़ बही में पृष्ठ एवं तिथि	अधिक राशि
1	2	3	4	5
अन्य व्यय बिल क्रमांक 30 दिनांक 17-9-73 बाबादी रुपये 181.90	मे० बनाणी टी० सप्लायर्स, जयपुर ।	181.90	32/ 19-9-73 191 90	10.00

1	2	3	4	5
अन्य व्यय बिल क्रमांक 153 दिनांक 12-1-74 तादादी रुपये 12.40	मे० मैनेजर सम्पादक न्यू दिल्ली कमीशन	12.00 00.20 12.20	15/29-1-74 12.40	00.20
बिल की राशि 319.72	घसीटासिंह एम० ओ० कमीशन	313.27 6.35 319.62	13/13-6-73 319.72	00.10
			कुल योग ..	10.30

उदयपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में वाक आउट

502. श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय में परीक्षाओं में इस वर्ष कितने वाक् आउट हुए तथा वाक् आउट के क्या कारण थे ?

(2) क्या यह सही है कि बिना योग्य कारण होते हुए भी परीक्षाए पुनः कराई गई ?

(3) क्या यह सही है कि वाक् आउट की पुनः परीक्षाओं में से कई में पुनः वाक आउट हुए ? यदि हां, तो इनकी संख्या क्या थी तथा पुनः वाक् आउट के क्या कारण थे ?

उत्तर

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में 27 वाक् आउट हुये। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार इन वाक् आउट का कारण प्रश्न-पत्र संबंधी कठिनाइयां व असन्तोष को लेकर बनाया गया।

(2) योग्य कारणों का निर्णय एकेडेमिक कौंसिल करती है। राज्य सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है।

(3) जी हां। पुनः वाक् आउट दो परीक्षाओं क्रमशः एम० काम० एकाउन्ट्स कोर्स नं० 612 तथा एल०-एल० बी० द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र में हुए। रजिस्ट्रार की सूचना के अनुसार इन वाक् आउट का कारण अव्यक्त छात्र असन्तोष था।

उदयपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के प्रमोशन्स

503 श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)
कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय में 1974 से कितने प्राध्यापकों के प्रमोशन्स हुए हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या सभी प्रमोशन्स वैध हुए हैं ? यदि नहीं, तो क्या विश्वविद्यालय/सरकार पुनः उन पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जावेगी ?

(3) उदयपुर विश्वविद्यालय में सन् 1974 के बाद कितने अध्यापकों को एक्सटेन्शन मिला ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) उदयपुर विश्वविद्यालय में प्राध्यापकों के प्रमोशन का कोई प्रावधान नहीं है ।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) सन् 1974 के बाद निम्नलिखित तीन अध्यापकों को एक्सटेन्शन मिला है :—

1 डा० बी०के० टण्डन, प्रोफेसर, अर्थशास्त्र ।

2 डा० बी० आर० नागर, एसोसियेट प्रोफेसर, संस्कृत ।

3 डा० जी० सी० कासलीवाल, प्रोफेसर, कानून ।

निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा तैयार करवाई गई पाण्डुलिपियों पर व्यय

504. **श्री ईश्वरचन्द** (पिड़ावा) : क्या शिक्षामंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा कक्षा प्रथम से पंचम की संस्कृत विषय की पाण्डुलिपियां तैयार कराई गई हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक कितना व्यय किस रूप में हुआ है और क्या राज्य सरकार उसे जनता के धन का दुरुपयोग नहीं मानती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) क्या निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान द्वारा उक्त पाण्डुलिपियों पर किये गये व्यय की राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गई है ? यदि हां, तो स्वीकृति की प्रति पेश करने की कृपा करें और नहीं, तो उस राशि के दुरुपयोग के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं तथा सक्षम सत्ता की स्वीकृति प्राप्त नहीं करने के क्या कारण रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पुस्तकों में अंग्रेजी शब्दावली का भी समानान्तर प्रयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्यों जबकि पांचवी कक्षा तक के पाठ्यक्रम में अंग्रेजी विषय समाविष्ट नहीं है ? इस प्रकार क्या पाण्डुलिपियों पर किया गया सम्पूर्ण व्यय व्यर्थ नहीं है और क्या जनता के धन का दुरुपयोग मानते हुए वह निदेशक, संस्कृत शिक्षा से वसूली योग्य नहीं है और क्या यह निदेशक की मनमानी नहीं है ?

उत्तर

(1) जी हां । लेखक शिक्षकों को एक

(शिक्षा मंत्री)

स्थान पर बुलाकर पाण्डुलिपि सम्बन्धी कार्य करवाने में यात्रा व्यय आदि पर 4083.83 रु० खर्च हुए ।

(2) स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है ।

(3) जी हां । अंग्रेजी शब्दावली का समानान्तर प्रयोग करने पर जो व्यय हुआ वह अनावश्यक था या नहीं जांच की जायेगी और नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

नोखा मण्डी कस्बे में महाविद्यालय

505. **श्री उदाराम हटीला** (नोखा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के नोखा मंडी कस्बे में दस लाख की लागत से कालेज भवन बनाया गया है तथा अन्य सुविधायें भी जुटाई जा सकती हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस मण्डी में कालेज स्तर शिक्षा के लिये कालेज क्यों नहीं खोल रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी हां । लगभग चार लाख की लागत का भवन बनाया गया है किन्तु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारत सरकार के सुझावों के अनुसार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संस्थात्मक विकास के स्थान पर गुणात्मक विकास पर अधिक ध्यान दिया जाना है ।

राज्य में क्रमोन्नत कन्या विद्यालय

506. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में इस वर्ष कुल कितनी लड़कियों के लिये सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुए और कितने उच्च प्राथमिक स्कूल क्रमोन्नत हुए और कितने प्राथमिक स्कूल खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष 22 मिडिल स्कूलों को सैकण्डरी स्कूल (कन्या) में क्रमोन्नत किया गया । 39 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय (कन्या) में क्रमोन्नत किया गया है तथा कोई प्राथमिक विद्यालय (कन्या) नहीं खोला गया । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

सत्र 1978-79 में क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालयों की सूची

जिले का नाम 1	विद्यालय का नाम 2
1. अजमेर	(1) खादिम मोहल्ला (उर्दू) (2) कादेडो (3) टाटोती

(शिक्षा मंत्री)

1	2
2. जयपुर	(1) तूंगा
	(2) आंधी
	(3) सदरपुरा ढाढ़ा
3. अलवर	(1) हरसौरा
	(2) बुर्जा
4. भरतपुर	(1) अखयगढ़
5. कोटा	(1) खातौली
	(2) अलायथा
	(3) नाहरगढ़
	(4) मंडाना
	(5) शाहवाद
6. बूंदी	(1) अरनैंढा
	(2) तालेड़ा
7. सवाई माधोपुर	(1) मलारना डूंगर
	(2) पिपलाई
	(3) पावटा गुर्जर
8. उदयपुर	(1) गुडड़ा
	(2) मौड़ी
9. डूंगरपुर	(1) जसलागढ़
10. भीलवाड़ा	(1) बौराण
	(2) विध्याभाटा
	(3) कोठिया
11. नागौर	(1) अयाल
	(2) डीडवाना शहर
	(3) लाडनूं
12. जालौर	(1) मलावड़ा
	(2) चांदराई
13. जैसलमेर	(1) फलसूड
	(2) मोहनगढ़
14. झुंझुनूं	(1) राणासर
	(2) बडागांव
15. बाड़मेर	(1) मौकलसर
16. सीकर	(1) खूड़
17. श्री गंगानगर	(1) फतेहगढ़
	(2) ढाबा
	(3) मस्जिद के पास

शिक्षा सत्र 1978-79 में निम्न राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालिकाओं) को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया गया है:-

(1) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रामगंज, अजमेर शहर।

(2) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर (अजमेर)।

(3) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नवीन सिटी, भरतपुर शहर।

(4) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, खुरदुरा, भरतपुर।

(5) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सिन्धी रोडवेज के सामने, जयपुर शहर।

(6) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, हनुमानगढ जंक्शन (गंगानगर)।

(7) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गंगानगर शहर।

(8) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, केशरीसिंहपुरा (गंगानगर)।

(9) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुडामोराजी (झुन्झनूं)।

(10) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, लोसल (सीकर)।

(11) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, नापासर (बीकानेर)।

(12) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भीनमाल (जालोर)।

(13) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, टिपा (कोटा)।

(14) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, गुमानपुरा (कोटा)।

(15) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, भुपालपुरा (उदयपुर)।

(16) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, चिरवाडा (उदयपुर)।

(17) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, कापरेन (बून्दी)।

(18) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)।

(19) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, टोडाभीम (सवाई माधोपुर)।

(20) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुनेल (झालावाड़)।

(21) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, पोकरण (जैसलमेर)।

(22) राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय, श्रीनगर (अजमेर)।

बांसवाड़ा जिले में अध्यापकों के स्थानान्तरण

507. श्री **नाथूराम** (बागीदोरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

बांसवाड़ा जिले में सत्र 77-78 में शिक्षा विभाग में रेशनलाइजेशन व्यवस्था के अन्तर्गत स्वेच्छा से कितने अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये ? क्या यह सही है कि इन तबादलों में रोड-साइड खास तौर से बांसवाड़ा से गढ़ी, आंजना, पालोदा, घाटोल, बागीडोरा, कलिन्जरा, कुशलगढ़ रोड पर आवश्यकता से अधिक अध्यापक रखे गये एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में जनवरी-फरवरी तक अध्यापकों के पद खाली पड़े रहे ? इन स्थानान्तरणों पर राज्य सरकार की यात्रा व्यय में कितनी राशि खर्च हुई ? यह राशि 76-77 में कम थी या ज्यादा ?

उत्तर

बांसवाड़ा जिले में सत्र 1977-78 में रेशनलाइजेशन नहीं किया गया है। अत: इसके अन्तर्गत अध्यापकों के स्वेच्छा से स्थानान्तरण का प्रश्न नहीं है। किन्तु आवश्यकता एवं अध्यापकों की मांग को

276

(शिक्षा मंत्री)

दृष्टिगत रखते हुए 133 स्थानान्तरण किये गये। रोड-साइड पर स्थित विद्यालयों में जहां छात्र संख्या अधिक थी वहां अध्यापकों की संख्या अधिक रखी गई। संलग्न सूची के अनुसार रोड-साइड से दूरस्थ विद्यालयों में छात्र संख्या न्यून होने से अध्यापक कम रखे गये। अध्यापक कम होने से पद रिक्त समझे गये। माह जनवरी, फरवरी तक अध्यापकों के पदस्थापन किये थे परन्तु उपस्थिति नहीं देने से पद रिक्त रहे। इन स्थानान्तरणों पर यात्रा व्यय देय नहीं होने के कारण राज्य सरकार पर यात्रा व्यय का भार ही नहीं पड़ा।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा

सत्र 77-78 में रोड-साइड से अन्दर दूरस्थ ग्रामीण विद्यालयों के दिसम्बर, 77 की छात्र संख्या के अनुसार कार्यरत अध्यापकों की सूची, जिला बांसवाड़ा।

क्र०सं०	नाम विद्यालय	छात्र सं०	अध्यापक सं०
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, कसाखाड़ी	56	3
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, टिम्बेडा बड़ा	56	3
3.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, उ. काला	94	4
4.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, बड़ सरवा	94	4
5.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, मच्छारासाथ	81	3
6.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, लकोई	45	5
7.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, घंटाली	91	4
8.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, घोडीतेजपुरा	61	4
9.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, धनाक्षरी	59	5
10.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, नापला	56	3
11.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, पापलखट	33	3
12.	उच्च प्राथमिक विद्यालय, फेफर	86	3

जिला शिक्षा अधिकारी, बांसवाड़ा

राज्य के जिलों में संस्कृत पाठशालाओं का अभाव

508. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में किन-किन जिलों में संस्कृत पाठशालायें नहीं हैं ?

(2) क्या इन जिलों में इस वर्ष पाठशाल खोलने की राज्य सरकार की योजना है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में निम्नलिखित 6 जिलों में संस्कृत संस्थायें नहीं हैं :—

1 झालावाड़
2 गंगानगर
3 पाली
4 बाड़मेर
5 सिरोही
6 जालोर

(2) जी नहीं ।

राज्य की शिक्षा प्रणाली में सुधार

509. श्री बहादुर सिंह (नोहर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार करना चाहती है ? अगर हां, तो क्या-क्या तथा कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार समान सिलेबस कर के शिक्षा में असमानता को समाप्त करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या राज्य सरकार सभी शैक्षणिक संस्थाओं का सत्र समान करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । सुधार के संबंध में विचार किया जा रहा है ।

(2) राजकीय स्कूलों में एवं बोर्ड से मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में एक-सा पाठ्यक्रम लागू है ।

(3) प्रश्न स्पष्ट न होने के कारण उत्तर देना संभव नहीं है ।

राज्य में अनिवार्य शिक्षा

510. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार अनिवार्य शिक्षा लागू न कर के हमारे संविधान का उल्लंघन नहीं कर रही है ?

(2) राज्य सरकार ने तकनीकी शिक्षा के लिये क्या-क्या उपाय किये हैं तथा कितने संस्थान जनता सरकार ने खोले हैं ? सूचीमय विवरण के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) राज्य सरकार प्रौढ़ शिक्षा पर आगामी वर्ष में कितना रुपया खर्च करने जा रही है तथा किन-किन शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से ? कृपया विवरण सदन की

(श्री बहादुरसिंह)
मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) राज्य सरकार सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा के लिये कृत संकल्प है ।

(2) तकनीकी शिक्षा के लिये राज्य में 6 पोलिटेकनिक, 16 आ० टी० आई० 3 इंजीनियरिंग कालेज हैं । जनता सरकार ने एक और खेतान पोलिटेकनिक जयपुर में खोला है ।

(3) वर्ष 1979-80 के लिये अभी वित्तीय अनुमान तैयार नहीं किये गये हैं ।

धौलपुर में स्नातकोत्तर कक्षाएं

511. श्री **जगदीश सिंह** (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पिछले सत्र में धौलपुर में श्री ललित किशोर चतुर्वेदी ने स्टूडेण्ट द्वारा एजीटेशन करने पर स्टूडेण्ट को लिख कर आश्वासन दिया था कि आइन्दा सत्र यानी 1978-79 में पी. जी. क्लासेज खोल दी जावेंगी ।

(2) क्या यह सही है कि इस साल न खोलने पर धौलपुर की अदालत में भूतपूर्व शिक्षा मंत्री श्री ललित किशोर के खिलाफ इस्तगासा धारा 420, 418, 500 कोटा का पेश किया गया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं ? आइन्दा इस बारे में क्या राज्य सरकार कदम उठाना चाहती है ?

उत्तर

(1) इस प्रकार के आश्वासन की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(2) ऐसी कोई सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

धौलपुर क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूल

512. श्री **जगदीश सिंह** (धौलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) धौलपुर सब-डिवीजन विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में पिछले दो साल में व इस सत्र में कोई हाई स्कूल खोला गया ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? जब कि बाड़ी के अलावा सरमथुरा में ही हाई स्कूल है । इस 26 मील की दूरी में जबकि 80 प्रतिशत शिड्यूल ट्राइब रहती है, फिर भी हाई स्कूल न खोलने के कारण क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि धौलपुर शहर में 50 हजार की आबादी में केवल एक हाई स्कूल है जहां दो शिफ्ट चल रही हैं ? करीब 2200 स्टूडेंट हैं फिर भी दूसरा स्कूल न खोलने की वजह क्या है जबकि लड़कों को एडमीशन भी नहीं मिल रहा है ?

उत्तर

(1) धौलपुर सब-डिवीजन के बाड़ी विधान सभा क्षेत्र में मानदण्ड के अनुसार 1 सैकण्डरी स्कूल खोला गया ।

(2) जी हां । वित्तीय कठिनाई के कारण वर्तमान में संभव नहीं हुआ । इस समय विद्यालय में 1462 विद्यार्थी हैं तथा नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश दिया जाता है ।

राज्य के नगरों में विद्यालय, स्वीमिंग पूल आदि के निर्माण पर व्यय

513. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार ने जनता सरकार बनने के बाद राज्य के नगरों में विद्यालय भवन, स्वीमिंग पूल आदि बनाने पर किन-किन स्थानों पर कितना-कितना खर्च किया है या उसके लिये अनुदान दिया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

राज्य सरकार ने किसी भी राजकीय विद्यालय को विद्यालय भवन, स्वीमिंग पूल के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की है ।

राज्य आदेश से अध्यापकों का स्थानान्तरण

514. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि शिक्षा मंत्री ने यह घोषणा की थी कि शिक्षा विभाग में अध्यापकों के स्थानान्तरण राज्य सरकार के आदेश से नहीं किये जायेंगे ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घोषणा के पश्चात् भी कुछ स्थानान्तरण राज्य सरकार के आदेश से हुए ? अगर हां, तो इसके क्या कारण थे ? जो स्थानान्तरण राज्य आदेश से किये उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

राज्य में चालू शिक्षा में नई पाठशालाएं

515. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान शिक्षा सत्र में राज्य सरकार ने राज्य भर में कुल कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोले हैं ? क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने नई स्कूलों के खोलने में जो मापदण्ड रखे उसके अनुसार कई क्षेत्र ऐसे रह गये जहां एक भी स्कूल नहीं खुल सका । यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे उचित समझती है ? क्या इससे शैक्षणिक एवं राजनैतिक असंतुलन नहीं हो जायेगा ?

(2) क्या राज्य सरकार का इस शैक्षणिक एवं राजनैतिक असंतुलन को समाप्त करने के लिये कदम उठाने का इरादा है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) इस वर्ष राज्य में कुल 1198 प्राथमिक, 323 उच्च प्राथमिक एवं 259 माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं । प्रायः सभी क्षेत्रों में कोई न कोई स्कूल खुल गया है ।

(2) राज्य सरकार हर प्रकार के असन्तुलन को दूर करने का प्रयास कर रही है

राज्य में संदर्भ केन्द्र की स्थापना

516. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने

(श्री गोविन्दसिंह शक्तावत) की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य संदर्भ केन्द्र कब स्थापित हुआ व इसके क्या-क्या कार्य हैं ?

(2) इस केन्द्र में कितना स्टाफ है उनकी क्या-क्या योग्यतायें हैं तथा क्या यह स्टाफ प्रौढ़ शिक्षा के लिये प्रशिक्षित है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) इस केन्द्र द्वारा कौनसा साहित्य प्रकाशित किया गया जो प्रौढ़ों के लिये उपयोगी हो ?

(4) इस केन्द्र के निदेशक की क्या-क्या योग्यतायें निर्धारित हैं ? क्या वर्तमान निदेशक निर्धारित योग्यतायें रखते हैं अथवा नहीं ?

(5) उक्त केन्द्र को विश्वविद्यालय के अधीन न देने के क्या कारण हैं ?

(6) राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा प्रौढ़ शिक्षा हेतु प्रशिक्षित स्टाफ को इस केन्द्र में नहीं लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य संदर्भ केन्द्र दिसम्बर, 1975 में स्थापित हुआ तथा इसका कार्य प्रौढ़ शिक्षा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना, उपयुक्त साहित्य निर्माण करना, उपयोगी साहित्य का प्रकाशन करना, सम्मेलन व गोष्ठिया आयोजन करना, मूल्यांकन करना व शोध कार्य करना है ।

(2) राज्य संदर्भ केन्द्र में इस समय कुल 9 कार्यकर्ता कार्यरत हैं । इनमें से 4 व्यक्ति कार्यालय का कार्य करते हैं तथा 5 व्यक्ति एकेडेमिक कार्य कर रहे हैं । निदेशक तथा प्रकाशन सहायक प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रकाशन के कार्य में प्रशिक्षित तथा अनुभवी हैं । अन्य तीन कार्यकर्त्ता अस्थायी हैं तथा संदर्भ केन्द्र में ही प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। ये पांचों व्यक्ति स्नातक । स्नातकोत्तर परीक्षा पास हैं ।

(3) प्रौढ़ोपयोगी साहित्य की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेशक के लिये कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है ।

(5) विश्वविद्यालय ने कभी भी इस तरह के केन्द्र की मांग नहीं की थी और यह केन्द्र वर्तमान राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम प्रारम्भ होने से ढाई वर्ष पहले से राज्य में स्थापित किया जा चुका था ।

(6) संदर्भ केन्द्र स्वैच्छिक संस्था द्वारा संचालित है तथा वह स्वयं इन नियुक्तियों के मामलों में स्वतंत्र है ।

नवसाक्षरोपयोगी प्रकाशन

1. आंगन में तुलसी का पौधा
2. टमकटू और जंगल का राजा
3. चिड़िया आयी कहां से
4. शिक्षा रा तीन डग (मेवाड़ी)
5. अपना जीवन अपनी शिक्षा
6. खबर सुनी खबर पढ़ी
7. आओ अर्जी लिखना सीखें
8. नेहरू के सपनों का देश
9. पंचों का तन्त्र
10. ये संतों के रूप
11. लेखा जोखा

(शिक्षा मन्त्री)

12. तीन संत
13. रहीम
14. बुद्ध की बात
15. जाम्भोजी
16. आजादी के दीवने
17. आम बीमारियां आसान इलाज
18. शम-ए-हिदायत
19. किस्सा राजा भोज का
20. हरिजन का हक
21. वृक्ष कथा
22. लोकानशासन रो निष्ठा-पत्र
23. समग्र शिक्षा की मर्म वाणी
24 तेजाजी

शिक्षा विभाग में लागू मेरिट फार्मूला

517. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा विभाग में आपातकाल के दौरान लागू किया हुआ मेरिट फार्मूला क्या था ?

(2) इस मेरिट फार्मूले के अन्तर्गत कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के अन्तर्गत कितने प्राध्यापक, रीडर तथा प्रवक्ताओं को पदावनत तथा पदोन्नत किया गया ?

(3) इसके कारण कितने पदों की वरीयता पर प्रभाव पड़ा ?

(4) आपातकाल में इस मेरिट फार्मूले के शिकार प्रवक्ताओं के साथ जनता सरकार ने क्या किया है ?

उत्तर

(1) आपातकाल के दौरान शिक्षा विभाग के लिये कोई पृथक मेरिट फार्मूला लागू नहीं हुआ था। राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. 7(6) कार्मिक।ए।75 दिनांक 31-10-75 के अन्तर्गत जो सामान्य सेवा नियम बनाये गये वे ही शिक्षा विभाग सेवा नियमों में समाविष्ट करके लागू किये गये थे जिनकी प्रतिलिपि संलग्न है।

(2) सामान्य सेवा नियमों के अनुसार केवल एक अधिकारी को पदावनत किया गया था बाद में उन्हें भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर पिछली तिथि से ही पदोन्नत किया गया था ।

(3) इसके कारण 75 व्यक्तियों की वरिष्ठता पर प्रभाव पड़ा ।

(4) इस मामले में सामान्य सेवा नियम लागू होने की स्थिति में प्रवक्ताओं के लिये अलग से विचार किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

DEPARTMENT OF PERSONNEL

(A' Group-II)

No. F. 7 (6) Karmik (Ka-II)/75-III *October 31, 1975.*

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by the proviso

to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the rule relating to promotion by selection on the basis of merit in the various Rajasthan Service Rules, specified in the first and second Schedule appended hereto, namely.—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Rajasthan Various Services (Amendment) Rules, 1975.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajasthan Rajpatra.

2. *Amendment.*—The following provisions regarding criteria, eligibility and procedure for promotion to Junior, Senior and other posts encadred in the various Services, shall be:—

(i) substituted for the existing rule mentioned in Col. No. 3 against each of the service rules specified in Col. No. 2 of the First Schedule appended hereto; and

(ii) inserted as a new rule mentioned in Col. No. 4 after the existing rule mentioned in Col. No. 3 against each of the service rules specified in Col. No. 2 of the Second Schedule appended hereto, namely:—

Revised Criteria, Eligibility and Procedure for Promotion to Junior, Senior and other posts encadred in the Service.—(1) Selection for promotion in the regular line of promotion from the post not included in the Service to the lowest post or category of post in the Service shall be made strictly on the basis of merit.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (4), selection for promotion from the lowest post or category of post in the Service to the next higher post or category of post in the Service and for all posts upto Scale No. 11, sanctioned under the Rajasthan Civil Services (New Pay Scales) Rules, 1969 or equivalent scales as may be declared by the Government from time to time, shall be made solely on the basis of seniority-cum-merit from amongst the persons who have passed the qualifying examination, if any, prescribed under these rules, and have put in at least five years'

service, unless a different period is prescribed elsewhere in these rules, on the first day of the month of April of the year of selection on the post or category of post from which selection is to be made:

Provided that in the event of non-availability of the persons with the requisite period of service of five years, Committee may consider the persons having less than the prescribed period of service, if they fulfil the qualifications, experience and other consideration for promotion prescribed elsewhere in these rules and are found otherwise suitable for promotion on the basis of seniority-cum-merit:

Provided further that in respect of posts included in the State Service in which the method of recruitment to the lowest post provides for appointment by promotion, and where such posts are required to be filled on the basis of seniority-cum-merit under this sub-rule the Committee may select for promotion such persons of outstanding merit available within the zone of consideration, who may not be selected on the basis of seniority-cum-merit, to the extent of one-fourth of the number of vacancies to be filled in by promotion and if the number of vacancies exceeds one but is less than four, the Committee may select one person on the basis of merit alone and if the vacancies are more than four and the calculation of the number of vacancies to be filled by merit alone according to the aforesaid basis results in a fraction, the Committee may select one more person against a fraction of half or more. On being so selected for the purpose of determination of seniority, such persons shall be deemed to have been selected on the basis of seniority-cum-merit.

(3) Selection for promotion to all other higher posts or higher categories of posts in the service shall be made on the basis of merit alone.

(4) Selection for promotion to the highest post or highest category of post in the service shall always be made on the basis of merit alone.

(5) The persons having been selected and appointed by promotion to a post or category of post on the basis of merit, shall be eligible for promotion to the next higher post or category of post, which is to be filled in by merit,

284

only when they have put in after regular selection at least five years' service, unless a higher period of service is prescribed elsewhere in these rules, on the first day of the month of April of the year of selection on the post or category of post from which selection is to be made:

Provided that the condition of five years' service shall not be applicable to a person if any person junior to him is eligible for consideration for promotion on the basis of merit:

Provided further that in the event of non-availability of persons equal to the number of vacancies to be filled in, eligible for promotion in the category of posts next lower from which promotion is made, the Committee may consider the persons having less than five years' service if they are found otherwise eligible and suitable for promotion on the basis of merit alone.

Explanation:—If any doubt arises about the categorisation of the post as the lowest, next higher or highest post in the service, the matter shall be referred to the Government in the Department of Personnel, whose decision thereon shall be final.

(6) The one of eligibility for promotion shall be five times the number of vacancies to be filled in on the basis of seniority-cum-merit or merit, as the case may be:

Provided that in case of non-availability of number of suitable persons for selection on the basis of merit, the Committee may at its discretion consider persons of outstanding merit outside the one of eligibility but falling within six times the number of vacancies to be filled in on the basis of merit.

(1) Except as otherwise expressly provided in this rule, the conditions of eligibility for promotion, constitution of the Committee and procedure for selection shall be the same as prescribed elsewhere in these Rules.

(2) The Committee shall consider the cases of all the senior-most persons who are eligible and qualified for promotion to the class of posts concerned under these Rules, interviewing such of them as it may deem necessary,

and shall prepare a list containing names of the suitable persons equal to the number of existing vacancies and the vacancies anticipated to occur during the next twelve months after the determination of vacancies. The Committee shall also prepare a separate list containing names of persons, who may be considered suitable to fill temporary or permanent vacancies, which may occur till the next meeting of the Committee, on a temporary or officiating basis and the list so prepared shall be reviewed and revised every year and shall remain in force until it is so reviewed and revised. The lists so prepared on the basis of merit shall be arranged in order of preference and the list prepared on the basis of seniority-cum-merit shall be arranged in order of seniority on the category of post from which selection has been made. Such lists shall be sent to the concerned Appointing Authority together with the Annual Confidential Rolls and Personal Files of all the candidates included in them as also of those not selected, if any.

Explanation:—The list of preference shall classifiy the officers in order as, 'outstanding', 'very good' and 'good' on the basis of merit. In each class of officers shall maintain their *inter se* seniority of the next below grade.

(9) Where consultation with the Commission is necessary the list prepared by the Committee shall be forwarded to the Commission by the Appointing Authority along with the personal files and Annual Confidential Rolls of all the persons whose names have been considered by the Committee.

(10) The Commission shall consider the lists prepared by the Committee along with other relevant documents received from the Appointing Authority, and, unless any change is considered necessary, shall approve the lists. In case the Commission consider it necessary to make any change in the lists received from the Appointing Authority, it shall inform the Appointing Authority of the changes proposed by it after taking into account the comments of the Committee, if any, the Appointing Authority may approve the lists finally with such modifications, as may, in its opinion, be just and proper when

(288)

the Appointing Authority is in authority subordinate to the Government the lists approved by the Commission should be disturbed only with the approval of the Government.

(11) Appointments shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under the preceding sub-rule (10) in the order in which they have been placed in the list, till such lists are exhausted or reviewed and revised, as the case may be.

(11-A.) Government may issue instruction for provisionally dealing with promotions, appointments or other ancillary matters in an equitable and fair manner of persons who may be under suspension, or against when departmental proceedings is under progress, at the time promotions are considered to a post to which they are eligible or would have been eligible but for such suspension or pendency of such enquiry or proceedings.

(12) The provisions of this rule shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any provision of these rules.

अजमेर संग्रहालय का विकास

519. श्री **चिरंजीलाल गर्ग** (पुष्कर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर संग्रहालय के विकास के लिये इस वित्तीय वर्ष में कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

(2) गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार ने संग्रहालय में आने वाली जनता को शौचालय और मूत्रालय की सुविधा के लिये जो धन स्वीकृत किया था, उससे संग्रहालय में जनता को ये सुविधायें दे दी गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या यह सही है कि जनता की सुविधाओं के लिये स्वीकृत इस धन का उपयोग शौचालय व मूत्रालय के निर्माण में किया ही नहीं गया है ?

(4) क्या इस धन से संग्रहालय के क्यूरेटर ने अपने निवास स्थान पर निर्माण करा लिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(5) क्या यह सही है कि इस संग्रहालय में जैन गैलेरी के लिये जो रकम स्वीकृत की गई थी उसका दुरुपयोग करके आज तक यह गैलरी आरम्भ नहीं हुई है ?

(6) क्या यह सही है कि अजमेर संग्रहालय सुरक्षित भवन होते हुए भी उसकी एक बुर्ज तोड़ दी गई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) अजमेर संग्रहालय के विकास के

(शिक्षा मंत्री)
लिये वित्तीय वर्ष 78-79 में एक हजार रुपये का प्रावधान किया गया है ।

(2) गत वित्तीय वर्ष में इस आशय के लिये कोई धनराशि आवंटित नहीं की थी ।

(3) यह सही नहीं है ।

(4) यह सही नहीं है ।

(5) चैन गैलेरी के लिये आवंटित धनराशि से गैलरी का निमार्ण कार्य चल रहा है और इस कार्य के पूर्ण होने पर गैलरी आरम्भ कर दी जावेगी ।

(6) यह सही नहीं है ।

जोधपुर विश्वविद्यालय में रोस्टर प्रणाली की पालना

520. **श्री नरपतराम बरबड़** (सुरसागर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर विश्वविद्यालय में रोस्टर प्रणाली की पालना नहीं की जाती ? अगर हां, तो क्यों नहीं ?

(2) जोधपुर विश्वविद्यालय में कुल कितने व्याख्याता हैं जिसमें से कितने व्याख्याता अनुसूचित जाति अथवा जन-जाति के हैं ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय अध्यादेश संख्या 5, सन् 1978 में अनुसूचित जाति के प्राध्यापकों को कोई रियायत नहीं दी गई है ? अगर हां, तो क्यों ? क्या राज्य सरकार जोधपुर विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के प्राध्यापकों के लिये शीघ्र रोस्टर प्रणाली लागू कर उन्हें रियायत देगी तथा रोस्टर प्रणाली के अभाव में जिन प्राध्यापकों को निकाल दिया है तुरन्त पुनः लेगी ? अगर हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । क्योंकि रोस्टर प्रणाली विश्वविद्यालय में लागू नहीं है ।

(2) कुल 393 व्याख्याता हैं जिनमें से दो व्याख्याता अनुसूचित जाति के हैं ।

1. श्री मोजसिंह

2. श्री एस० सुधाकर

(3) जी हां । रियायत देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि रोस्टर प्रणाली विश्वविद्यालय के लिये लागू नहीं की गई है ।

राज्य में क्रमोन्नत संस्कृत शालाएं

521. **श्री आर. डी. यादव** (चौमूं): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में गत पांच वर्षों में कितने संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या जयपुर जिलान्तर्गत चीलवाड़ी संस्कृत विद्यालय को क्रमोन्नत कर उपाध्याय कक्षाएं खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ?

उत्तर

(1) एक संस्कृत विद्यालय, गनोड़ा

(शिक्षा मंत्री)
को प्रवेशिका से उपाध्याय स्तर पर क्रमोन्नत किया गया है ।

(2) ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है किन्तु वित्तीय कठिनाई के कारण यह संभव नहीं हो रहा है ।

राज्य में नवीं व दसवीं कक्षा की पुस्तकों का अभाव

522. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि अभी तक नवीं व दसवीं के विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु पुस्तकें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक उक्त पुस्तकें उपलब्ध करा दी जावेंगी ?

उत्तर

कक्षा नवीं एवं दसवीं की सभी विषयों की पुस्तकें छात्रों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । बोर्ड के पास किसी भी स्थान से पुस्तकों की अनुपलब्धि की शिकायत वर्तमान में पैन्डिंग नहीं है । पूर्व में जिन पुस्तक विक्रेताओं या शालाध्यक्षों से बोर्ड के पास इस संबंध में लिखित सूचना प्राप्त हुई थी, उन्हें भी पुस्तक के सम्बन्धित प्रकाशकों से पुस्तकें सप्लाई करा दी गई हैं । बोर्ड ने समस्त शालाध्यक्षों को एक परिपत्र इस आशय का भेजा है कि उनके कतिपय छात्रों को अब तक यदि किसी कारणवश पुस्तकें उपलब्ध नहीं हुई हों तो वे बोर्ड से सीधा सम्पर्क स्थापित कर उन्हें प्राप्त कर सकते हैं (प्रति संलग्न है) ।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रेषक

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान,
अजमेर ।

सेवा में,

बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानों को ।

विषय: पुस्तकों की उपलब्धि के सम्बन्ध में ।

क्रमांक : पी. यू. बी.।मिस. /78/41634
43433, दिनांक 10-11-1978

महोदय/महोदया,

बोर्ड द्वारा जुलाई, 1978 से प्रारम्भ हुए शैक्षिक सत्र से कुछ पुस्तकें सैकण्डरी तथा हायर सैकण्डरी की कक्षा 9 एवं 11 के लिये नई प्रारम्भ की गई हैं, जिनका ब्यौरा सम्बन्धित विवरणिका में दिया हुआ है । बोर्ड के पास शालाध्यक्षों से यदि किसी पुस्तक को उपलब्ध कराने के लिये आवेदन प्राप्त हुआ है तो बोर्ड ने सम्बन्धित प्रकाशकों को लिख कर पुस्तकें सप्लाई करने की व्यवस्था की है । बोर्ड के पास यद्यपि किसी शालाध्यक्ष के पुस्तकों की प्रतियां सप्लाई करने के बारे में अभी आदेश विचाराधीन नहीं हैं । फिर भी बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि यदि किसी शाला के कतिपय छात्रों को यह पुस्तकें किसी कारणवश पुस्तक विक्रेताओं से अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई हों तो इनको छात्रों को शीघ्र उपलब्ध कराने की दृष्टि से, इनकी

(शिक्षा मंत्री)
प्रतियां बोर्ड कार्यालय से भी सीधे शालाध्यक्षों को तुरन्त भेजने की व्यवस्था की जावे ।

यदि आपकी शाला में किसी विषय विशेष की पुस्तकें छात्रों को अभी तक उपलब्ध न हुई हों तो कृपया हमें पुस्तकों के नाम तथा प्रतियों की संख्या, जो आपको चाहिये, वे सूचित करने का कष्ट करें ताकि बोर्ड या तो स्वयं पुस्तकें आपकी शाला में सीधे भेजने की व्यवस्था करेगा या प्रकाशकों से वे पुस्तकें आपको तुरन्त भिजवाने की व्यवस्था करेगा। कृपया यह नोट करने का कष्ट करें कि जितनी प्रतियों के लिये आदेश भेजे जावें उसका पार्सल जब आपके पास आवे तो उसको छुड़ाने की व्यवस्था आप द्वारा की जानी है, ताकि प्रकाशक को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान पुस्तकों के पार्सल भेजने में न हो ।

पुस्तकें तुरन्त आपको भेजी जा सकें इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया पुस्तक की प्रतियों का कुल मूल्य बोर्ड में अग्रिम भेजने का कष्ट करें, रेल/डाक तथा पैकिंग चार्जेज का वास्तविक मूल्य पुस्तकों पर देय 15% व्यापारिक बट्टे की राशि में से कम कर दिया जावेगा ।

भवदीय,
अवध बिहारी वाजपेयी,
सचिव ।

क्रमोन्नत किये गये स्कूलों को पुनः निरस्त करना

523. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या पिछले वित्तीय वर्ष में क्रमोन्नत किये गये स्कूलों में से चालू होने के पश्चात् कुछ को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन को और किन कारणों से बन्द किया गया ?

उत्तर

सामान्यतः ऐसा नहीं हुआ है ।

राज्य में नये महाविद्यालय खोलने के आधार

524. **श्री माधव सिंह दीवान** (सोजत): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पिछले 5 वर्षों में राज्य में कितने महाविद्यालय खोले गये ? जिले वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इन नये कालेज खोलने का क्या काइटेरिया राज्य सरकार ने तय किया था ?

(3) क्या सोजत इस काइटेरिया में नहीं आता ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(4) पाली महाविद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है तथा उनमें से सोजत के रहने वाले छात्रों की संख्या कितनी है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) स्थानीय आवश्यकताएं व मांग, छात्र संख्या तथा जन सहयोग आदि अनेक बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कालेज खोले गए ।

(3) फिलहाल इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

(4) ऐसी अधिकृत सूचना प्राप्त करना फिलहाल सम्भव नहीं है ।

(शिक्षा मंत्री)

पिछले पांच वर्षों में खोले गये महाविद्यालयों की सूची

जिले का नाम	महाविद्यालय खोलने का स्थान	प्रारम्भ होने का वर्ष
अजमेर	1 राजकीय महाविद्यालय, केकड़ी	1977–78
अलवर	2 राजकीय महाविद्यालय, बहरोड़	,,
भरतपुर	3 राजकीय महाविद्यालय, डीग	,,
चित्तौड़गढ़	4 राजकीय महाविद्यालय, निम्बाहेड़ा	,,
श्रीगंगानगर	5 राजकीय महाविद्यालय, सूरतगढ़	,,
जयपुर	6 राजकीय महाविद्यालय, बान्दीकुई	,,
	7 राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (शाहपुरा)	,,
सवाई माधोपुर	8 राजकीय महाविद्यालब, गंगापुर सिटी	,,
	9 राजकीय महाविद्यालय, हिन्डौन सिटी	,,
सिरोही	10 राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड	,,
टोंक	11 राजकीय महाविद्यालय, देवली	,,

रेगिस्तानी क्षेत्रों में नई प्राथमिक शालायें

525. श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1978-79 में जो प्राइमरी स्कूल खोली गई हैं उनके लिये क्या मापदंड अपनाया गया ?

(2) क्या शिक्षा विभाग ने मापदंड अपनाते समय रेगिस्तानी क्षेत्रों में दूरी और रेवेन्यू ग्रामों में जिनकी जनसंख्या एक हजार से सात हजार तक है या ढाणियों के चार सौ की जनसंख्या के समूहों को भी ध्यान में रखा है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में शिक्षा विभाग उचित कदम उठा कर एवं रेवेन्यू ग्राम में अनेक ढाणीयों के चार सौ एवं उससे अधिक जनसंख्या के समूहों में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये कब तक कदम उठायेगी ?

उत्तर

(1) 1978-79 में प्राइमरी स्कूल खोलने का मापदण्ड 1971 की जनगणनानुसार 400 की आबादी को रखा गया है।

(2) जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र में 1971 की जनगणनानुसार 350 की आबादी वाले रेवेन्यू गांव में प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं।

धौलपुर क्षेत्र में नया सैकण्डरी स्कूल

526. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) धौलपुर सब-डिवीजन में इस साल कितने सैकण्डरी स्कूल खोले गये ? क्या धौलपुर शहर में राज्य सरकार की निगाह में दूसरा सैकण्डरी स्कूल खोलने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई है ?

(श्री जगदीश सिंह)

(2) क्या वित्त मंत्री ने धौलपुर शहर मांगई विपरपुर व सरानी खेड़ा में इसी सत्र में सैकण्डरी स्कूल खोलने की घोषणा की थी ? अगर हां, तो स्कूल क्यों नहीं खोले गये ?

उत्तर

(1) धौलपुर सब डिवीजन में इस वर्ष एक सैकण्डरी स्कूल खोला गया है। वर्तमान में दूसरा सैकण्डरी स्कूल खोलने के बारे में कोई निश्चित आश्वासन नहीं दिया जा सकता।

(2) ऐसी किसी घोषणा की सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

बूंदी नगर में खाई-लैण्ड पर दुकानों का निर्माण

528. श्री **ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बून्दी नगर में खाई-लैण्ड पर दुकानें बनाई जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि आजाद पार्क की दुकानों का जो मंत्री महोदय आदेश देकर आये थे वह उप नगर नियोजक, कोटा की लापरवाही से अब तक खटाई में पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो सही आदेश की पालना नहीं करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा दुकानों को व्यवस्थित ढंग से कब तक बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बैंक से ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जिलाधीश, बून्दी द्वारा दिनांक 30-7-78 को इस योजना के सम्बन्ध में बैठक रखी गई थी जिसमें उप नगर नियोजक भी आमंत्रित थे। चूंकि यह मसला सेशन्स कोर्ट में विचाराधीन है अतः इस सम्बन्ध में बाद निर्णय अदालत के ही कार्य किया जाना संभव है।

राज्य के कस्बों व नगरों में आवासीय भूमि

529. श्री **बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार राज्य के विभिन्न कस्बों व नगरों में आवासीय भूमि की उपलब्धता को जटिल मान रही है ? यदि हां तो क्या कुछ वर्षों से लगातार अतिक्रमण व नियमन की कार्यवाही निरन्तर बढ़ रही है ?

(2) क्या राज्य सरकार अब इस समस्या को समुचित रूप से और व्यवस्थित ढंग से हल करना चाहती है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या कारगर कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) कुछ सीमा तक यह सही है।

(2) राजस्थान सरकार नगरपालिकाएं, नगर विकास न्यास एवं आवासन मंडल के सामूहिक प्रयासों से यह चेष्टा कर रही है कि समस्या समुचित और व्यवस्थित ढंग से अविलम्ब हल हो।

सदन में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्यवाही

531. श्री **नरपत राम बरवड़** (सूर-सागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा में जब तारांकित प्रश्न के जवाब में यह आश्वासन दिया जाता है कि बाद में जांच कार्यवाही की जाएगी तो कार्यवाही की जाती है अथवा नहीं ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा बजट सत्र में प्रश्न सं० 504 के उत्तर में यह वायदा किया गया था कि जिला न्यायाधीश, जोधपुर के निर्णय की पालना किन कारणों से नहीं हुई उसकी जांच कार्यवाही की जा रही है तथा बाद में जांच कार्यवाही की जाएगी उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अदालत के निर्णय की पालना नहीं की गई है ? अगर हां, तो क्या यह सदन का अपमान नहीं है ? अगर हां, तो राज्य सरकार क्या उचित कार्यवाही करेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) अब अदालत के निर्णय के अनुसार श्री बस्तीराम जो कि अनुसूचित जाति का नगर परिषद्, जोधपुर का कर्मचारी है को कितने दिन में किस ग्रेड में सेनेटरी इन्सपेक्टर के पद पर लगा दिया जायेगा ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) आश्वासन के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। यह सही है। प्रशासक, नगर परिषद् द्वारा इस मामले में जांच कर जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार स्थिति यह है कि जिला न्यायालय, जोधपुर के निर्णय दिनांक 16-8-60 के अनुपालना में श्री बस्तीराम, पुत्र श्री पूसाराम, जमादार को स्वच्छता परिदर्शक द्वितीय श्रेणी के पद पर लगा दिया गया था। तत्पश्चात परिषद् के स्टाफिंग पेटर्न में स्वच्छता परिदर्शक, द्वितीय श्रेणी के पद समाप्त किये जाने के कारण उन पर पदस्थापित कर्मचारी को कनिष्ठ लिपिक के पद पर समायोजित किया गया। किन्तु श्री बस्तीराम, कनिष्ठ लिपिक के पद की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारित नहीं करते थे अतः उन्हें परिषद् द्वारा पुनः जमादार के पद पर लगा दिया गया। श्री बस्तीराम द्वारा परिषद् के उक्त आदेश के विरुद्ध मुन्सिफ शहर जोधपुर में मुकदमा सं० 628/72 दायर किया जिसका अदालत द्वारा दिनांक 31-3-75 को निर्णय दिया व परिषद् के आदेश को वैध मानते हुए दावा खारिज कर दिया गया।

(3) इसका उत्तर भाग (2) में दे दिया गया है।

घांघोलाई तालाब (भीलवाड़ा)

532. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा नगर में स्थित 100 वर्ष पुराने घांघोलाई तालाब को समाप्त करने की यू. आई. टी., भीलवाड़ा ने कोई योजना बनाई ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यू. आई. टी., भीलवाड़ा की

(श्री कौशल किशोर जैन)
इस तालाब के बीचों-बीच कोई सड़क बनाने की योजना थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि एक समुदाय विशेष के स्कूल की जमीन को डूब से बचाने के लिये घांघोलाई तालाब को समाप्त करने की योजना बनाई गई ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त तालाब के वर्षा के पानी से भरने वाले सभी स्रोत बन्द कर दिये गये हैं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) 1971-72 में घांघोलाई तालाब के बीचों-बीच सड़क बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था जिसके अन्तर्गत मिट्टी डलवाने का कुछ कार्य किये जाने के बाद योजना निरस्त कर दी गई। अब कोई ऐसी योजना नहीं है ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

हाउसिंग बोर्ड, भीलवाड़ा द्वारा निर्मित मकानों की लॉटरी

533. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या नगर आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हाउसिंग बोर्ड, भीलवाड़ा द्वारा निर्मित मकानों की लॉटरी अक्टूबर, 1977 में निकाली जानी थी ?

(2) क्या यह सही है कि 374 मकान अक्टूबर, 1977 के पूर्व ही निर्मित हो चुके थे ?

(3) क्या जून, 1978 में पुनः लाटरी निकालने की योजना थी ?

(4) राज्य सरकार अब उक्त मकानों को कब अलॉट करेगी ?

(5) क्या अक्टूबर, 1977 से सितम्बर, 1978 एक वर्ष को हुए हाउसिंग बोर्ड के नुकसान का भार मकानों के अन्दर रहने वालों पर पड़ेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं । यह मकान फरवरी, 1978 में ही पूर्ण हुये थे ।

(3) जी हां ।

(4) कालोनी में नगरपालिका द्वारा निर्माणाधीन नाले का कार्य पूर्ण होने पर ये मकान अलॉट कर दिये जायेंगे ।

(5) जी नहीं ।

डूंगरपुर में निजी सड़क पर सरकारी ट्यूब लाइटें

534. **श्री गुलाबचन्द कटारिया** (उदयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका, डूंगरपुर ने जिला जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री महीपालसिंह की निजी सड़क पर कुल कितनी ट्यूब लाइट पिछले एक वर्ष में लगाई ?

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

(2) क्या नगरपालिका निजी सड़क पर अपने खर्चे से ट्यूब लाइट लगाने का अधिकार रखती है ? यदि नहीं, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

उत्तर

(1) श्री महीपालसिंह, अध्यक्ष जिला जनता पार्टी की निजी सड़क पर नगरपालिका डूंगरपुर द्वारा ट्यूब लाइटें नहीं लगाई गई हैं।

(2) जी नहीं, परन्तु सड़क का अगर आम जनता द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रयोग किया जाता है, तो नियमानुसार विद्युत् व्यवस्था करना नगरपालिका का उत्तरदायित्व है। सड़क श्री महीपालसिंहजी के पिताजी की निजी सम्पत्ति है परन्तु जनता के सार्वजनिक उपयोग के लिये उन्होंने इसे उपलब्ध करा रखा है। ग्रामवासी इससे गांवों को जाते हैं। अन्धेरे के कारण जनता की प्रार्थना पर नगरपालिका ने सड़क के स्वामी से सड़क पर बिजली व्यवस्था करने की अनुमति चाही जिसकी स्वीकृति दे दी गई। परिणामस्वरूप इस सड़क पर जनता के लिए पालिका ने ट्यूब लाइटें लगाईं।

जैसलमेर नगर की वृहद् योजना

535. श्री **किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) लगभग 5 वर्षों से विचाराधीन जैसलमेर नगर की वृहद् योजना (टाउन-मास्टर प्लान) का प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

(2) उक्त प्रतिवेदन के अभाव में स्थानीय निर्माण कार्यों पर लगे प्रतिबन्ध के कारण जनता व सरकारी विभागों को होने वाली कठिनाइयों के निराकरण का राज्य सरकार ने क्या उपाय सोचा है ?

उत्तर

(1) जैसलमेर नगर की वृहद योजना मास्टर प्लान चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक सम्पूर्ण होने की सम्भावना है।

(2) भवनों के प्लान स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी गाइड लाइन्स (मार्गदर्शन बिन्दु) मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की जाकर जिलाधीश, जैसलमर को भेजी जा चुकी है। अतः अब जिलाधीश, जैसलमर द्वारा प्लान स्वीकृत किये जाने में कोई कठिनाई नहीं होगी।

नाहरी का नाका, जयपुर में बेतरतीब भवनों का निर्माण

536. श्री **ओंकारलाल चौहान** (अटरू) : क्या आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नाहरी का नाका हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 3, 4 व 2 में (30×60 व 40×60) साइज के मकानों के सम्मुख, के सामने खाली पड़ी नगर विकास न्यास की जमीन पर दिन-रात अनधिकृत बेतरतीब निर्माण हो रहा है ? क्या यह भी सही है कि 2 बोगस कच्ची बस्तियों की समितियां खुले आम अनधिकृत तरीके से धनराशि एकत्रित कर लोगों को इसके लिये बढ़ावा दे रही हैं ?

(2) क्या राज्य सरकार को यह भी विदित है कि इन अनधिकृत काबिजों में से अधिकांश के जयपुर में कई कई मकान

(श्री ओंकार लाल चौहान)

व झोंपड़ियां (विभिन्न बस्तियों में) हैं और उन्होंने इसे लाभ का धंधा बना रखा है ?

(3) क्या हाउसिंग बोर्ड के 2 सेक्टर बना कर जरूरतमंद लोगों को विभिन्न किस्म के मकान निर्माण हेतु इस जमीन को उपलब्ध कराने हेतु पेशकश की थी ? यदि हां तो इस प्रस्ताव को ठकराने के पीछे क्या सिद्धान्त रहा है ? क्या राज्य सरकार पुन: इस प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ताकि वास्तविक रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों को सिर ढाकने हेतु मकान मिल सकें ?

(4) राज्य सरकार बोगस समितियों के असमान व अनधिकृत निर्माण को हटाने के मामले में क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय मार्ग) की कली के भट्टों वाली भूमि के नाम से प्रसिद्ध भूमि पर जो अतिक्रमण किये गये थे, उन्हें दिनांक 21-1-78 को हटा दिया गया था। इसके पश्चात कच्ची बस्ती फेडरेशन द्वारा सामूहिक रूप से भी अस्थाई निर्माण कार्य करवाये, जिनको हटाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रश्न शेष भाग के संबंध में विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की जा रही है।

(3) न्यास की इस भूमि को आवंटन कराने के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल की ओर से मांग नहीं हुई। मण्डल की ओर से मांग होने पर भूमि उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में कार्यवाही अवश्य की जावेगी।

(4) इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कर कार्यवाही की जावेगी।

"भंगी कष्ट मुक्ति योजना" के अन्तर्गत फ्लश शौचालयों का निर्माण

537. **श्रीमती मारंगी देवी** ((किशनगंज) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) "भंगी कष्ट मुक्ति योजना" के अन्तर्गत विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा कितने पुराने शौचालयों को अब तक फ्लश में परिवर्तन किया गया है ?

(2) राज्य सरकार द्वारा इस हेतु कितना अनुदान दिया गया है ?

(3) क्या राज्य सरकार मूल्य सूचकांकों में वृद्धि में रख हुए अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) 171 नगर परिषद्/पालिकाओं से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 15333 पुराने शौचालयों को फ्लश में परिवर्तित कर दिया गया हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया गया, किन्तु 171 नगरपरिषदों। पालिकाओं द्वारा 32,63,000 /— रु. अनुदान राशि के दिये गये है।

(3) राज्य सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है।

पचपहाड़ क्षेत्र को नगरपालिका क्षेत्र में मिलाने की घोषणा

538. श्री **बालचन्द्र आर्य** (डग) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या झालावाड़ जिले के पचपहाड़ कस्बे को नगरपालिका क्षेत्र में मिलाने की घोषणा हो चुकी है ?

(2) कस्बा कब कितने समय में नगरपालिका क्षेत्र में मिल जावेगा ?

(3) इसमें राज्य सरकार को क्या अड़चन आ रही है ? क्या कारण है कि अभी तक इसकी नगरपालिका क्षेत्र में मिलने की घोषणा नहीं हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मामला विचाराधीन है। यथा-शीघ्र निर्णय किया जावेगा।

(3) भाग (2) में उत्तर आ चुका है।

प्रशासक, नगरपालिका, किशनगढ़ द्वारा पदोन्नतियों में नियमों की अवहेलना

539. **श्री करतार सिंह** (किशनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) नगरपालिका, किशनगढ़ (अजमेर) में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत है ? कृपया उन कर्मचारियों के नाम, नियुक्ति दिनांक पद आदि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या नगरपालिका प्रशासन ने पिछले दो वर्षों में इन कर्मचारियों की पदोन्नति की है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। पदोन्नति का क्या आधार था ?

(3) क्या यह सही है कि नगरपालिका प्रशासक ने पदोन्नति के समय नियमों का उल्लंघन करकम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों की पदोन्नति कर दी थी जब कि उनसे सीनियर कर्मचारी मौजूद हैं ?

(4) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कदम उठाकर कर्मचारियों को न्याय दिलवायेगी तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। पदोन्नति राजस्थान नगर-पालिका अधीनस्थ एवं लिपिक वर्गीय सेवा नियमन, 1963 के नियमों के तहत वरिष्ठता व योग्यता के आधार पर की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न भाग 2 व 3 के उत्तर के बाद यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मारोठ लोहारपुरा मजदूरों को रिहायशी प्लाट

542. श्री **अब्दुल अजीज** (मकराना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की

(श्री अब्दुल अजीज)
कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि नागौर लोहारपुरा मजदूरों को रिहायशी प्लाट उपलब्ध कराने हेतु करीब 35,000 (पैंतीस हजार) रुपये नगरपालिका, नागौर में पांच साल पूर्व जमा कराये गये थे? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों को आज तक भूमि आवंटित की जा चुकी है और शेष लोगों को राज्य सरकार कब तक कब्जा दिला देगी?

उत्तर

जी हां। नगरपालिका से 1.50 रुपये प्रति वर्ग गज की दर से पैंतीस हजार रुपये की राशि जमा करा ली थी मगर जिलाधीश ने स्वीकृति प्रदान नहीं की। अब नगरपालिका नजूल कमेटी के अध्यक्ष को रिजर्व प्राइज कम करने हेतु निवेदन किया हुआ है। नजूल कमेटी के निर्णय के बाद आगामी कार्यवाही की जायेगी।

जयपुर शहर में कच्ची बस्तियों में भवन निर्माण

543. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर के परकोटे में कौन-कौन सी कच्ची बस्तियां कब-कब से हैं? सूची सदन की मेज पर रखने का कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई कच्ची बस्तियों में मकान निर्माण हेतु पैसे व नक्शे नगर परिषद् में जमा पड़े हैं? यदि हां, तो किन-किन बस्तियों के कब-कब से पड़े हैं और इस संबंध में राज्य सरकार कब तक निर्णय लेकर निर्माण की अनुमति प्रदान कर देगी?

(3) क्या राज्य सरकार ने इन कच्ची बस्तियों के निवासियों को पट्टे वितरित कर दिये हैं? यदि हां, तो किन-किन को? यदि नहीं तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार इन कच्ची बस्तियों के निवासियों को पट्टे वितरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जयपुर नगर के परकोटे में सन् 1971 के पूर्व सर्वे के अनुसार 36 कच्ची बस्तियां हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) यह सही नहीं है। किसी भी कच्ची बस्ती के निवासियों ने मकान निर्माण कराने हेतु पैसे नगर परिषद् में जमा नहीं कराये हैं। केवल 96 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने नक्शे पेश कर दिये हैं परन्तु निर्धारित शुल्क भवन फीस आदि अभी तक जमा नहीं करायी है। जिनके निर्धारित फीस जमा कराते ही स्वीकृति प्रदान कर दी जावेगी।

(3) नगर परिषद्, जयपुर द्वारा इन कच्ची बस्तियों के उन सभी निवासियों को जिन्होंने रकम जमा करादी है, भू-खण्ड आवंटन-पत्र वितरित कर दिये हैं।

(4) जी हां। जो कच्ची बस्तियां 1971 के सर्वे के अनुसार हैं उनमें 1971 के निवासियों को नियमानुसार यथाशीघ्र आवंटन-पत्र वितरण हेतु परिषद् को निर्देश दिया जा रहा है।

कच्ची बस्ती की सूची

क्र.सं.	नाम कच्ची बस्ती	नये होल्डरों की सन् 1971 की सर्वे के अनुसार	आवंटित भू-खण्डों की संख्या	रकम जमा कराने व आवंटन-पत्र प्राप्त करने वालों की संख्या	आवंटन-पत्र नहीं देने का कारण	भवन निर्माण के नक्शों की संख्या जो स्वीकृत किये गये	भवन निर्माण के नक्शों की संख्या जिसकी स्वीकृति नहीं की गयी — संख्या	कारण	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1.	चौकड़ी पुरानी बस्ती मोहनपुरा से गजानन्दजी के मन्दिर तक :								
	(1) कारखाने की कोठी मीना बस्ती		39	33	रकम जमा नहीं कराने के कारण	22	5	नक्शा फीस जमा नहीं कराई है	
	(2) हरिजन बस्ती यज्ञशाला की बावड़ी		19	47	„	25	—	—	नगर परिषद् बैंक से लोन प्राप्त कर भवन निर्माण कार्य करवा रही है।
	(3) खटिकों की बस्ती	692	18	17	„	12	3	„	
	(4) जैरकोट हरिजन बस्ती		46	32	„	4	6	„	
	(5) बेषा बस्ती		152	140	„	96	15	„	

	(6) मीलगरों की बस्ती		59	51	,,	28	10	,,	
	(7) माहरगढ़ हरिजन बस्ती		39	24	,,	6	9	,,	
	(8) नव छाव मुन्शी के रास्ते से नवगृह के मन्दिर तक		35	27	,,	12	3	,,	
2.	रास्ता बालानन्दजी हरिजन बस्ती	82	41	32	,,	25	2	,,	
3.	रास्ता बालानन्दजी बलाई बस्ती		22	22	,,	19	1	,,	सन् 1971 से पूर्व आवंटित
4.	गुलाब बाड़ी	30	54	41	,,	12	—	,,	
5.	कोली बस्ती लंगूर के बालाजी के उत्तर में फकीरों का टीबा	58	36	25	,,	15	7	,,	
6.	चौ० तोपखाना देश चांदपोल दरवाजे से अजमेरी गेट तक								
7.	गंदी मोरी से नार्मल स्कूल तक	414	59	55	,,	14	—	—	• नगर परिषद् बैंक से लोन प्राप्त कर भवन निर्मित करने की योजना है और बिहारी बाजार में सर्वे-होल्डरों को पुनर्वास विभाग द्वारा एन. बी. सी. के पास बसाया गया जिनकी संख्या 300 के लगभग है।

1	2	3	4	5	6	7	8		9
8.	जायस्थों की बगीची के पास	55	16	15	रकम जमा नहीं कराने के कारण	11	5	नक्शा फीस जमा नहीं कराई है।	
9.	मोहल्ला का भवन थान	61	5	5	,,	1	—	,,	सन् 1971 से पूर्व आवंटित
10.	सिरकीगरों की बस्ती चौकड़ी मोदीखाना	90	55	58	,,	53	1	,,	सन् 1964 में आवंटन हुआ है
11.	ठा० वीराम की हवेली के पास	47	25	5	,,	5	—	,,	जानकारी व्यक्तिगत आधार पर एकत्रित की गई है। पत्रावली निर्माण शाखा में है।
	चौ० विश्वश्वरजी :								
12.	प्रेमप्रकाश टाकीज के पीछे	65	25	25	,,	3	—	,,	
13.	चौ० माट दरवाजा कोठी रंगराम	147	—	—	—	—	—	—	जो व्यक्तियों के क्लेम होने पर तय किये हैं, जिनको आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।
14.	कोली बस्ती थोरी व रवार के बाग के पास **चौ० रामचन्द्रजी**	69	47	44	,,	15	4	,,	
15.	सडक घोडा निकास	93	69	53	,,	32	4	,,	
16.	नाहरबाड़ी	129	63	60	,,	12	7	,,	न्यायालय का स्टे है इस कारण आवंटन की कार्यवाही नहीं हुई।
17.	नकड़ राधाकिशन के पास	46	—	—	—	—	—	—	

मो० चांदपोल :								
18 चार दरवाजे से गगापोल गेट तक	57	37	31	,,	14	6	,,	1971 से पूर्व आवंटन किया गया है। उनसे जांच के दौरान पाया गया कि भूमि प्राइवेट है जिसको अवाप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।
19. ठाकुर गांव की मोरी के पास	117	38	19	,,	6	7	,,	
20. आबादी बस्ती नायकान	89	29	29	,,	29	—	,,	
21. नारियों के बाग के पास	14	—	—	,,	—	—	—	
चौ० सरहद :								
22. कच्चा बन्दा हरिजन बस्ती	89	16	7	,,	5	—	—	नक्शा स्वीकृति हेतु भेजा गया है। (सी. टी. पी. को.) वहां से आने के उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।
23. खमेर की मोरी गणगोरी बाजार	44	17	15	,,	89	—	—	
24. नाहरों की मस्जिद के पास	86	—	—	—	—	—	—	
25. नारा मोरी के पास	57	—	—	—	—	—	—	43 व्यक्तियों के क्लेम सही पाये गये हैं जिनके आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।
26. मोहल्ला चेलान	18	11	1	,,	1	—	—	वहां से नगर विकास न्यास द्वारा परशुरामपुरी में बसाया गया है।
27. राजमाता का तालाब गोविन्द देवजी के मन्दिर के पास	60	—	—	—	—	—	—	
28. हरिजन बस्ती ब्रह्मपुरी	68	—	—	—	—	—	—	इधर होकर जयपुर बाईपास प्रस्तावित न होने की वजह से सी. डी. पी. द्वारा नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	पो० घाट दरवाजा :							
28	सांगानेर गेट से घाटगेट तक	534	—	—	—	—	—	— यहां के 304 परिवारों को घाट की भूमि में बसाया गया है।
30		79	76	37	,,	3	—	
31		—	—	—	,,	—	—	मानचित्र सी. टी. डी. द्वारा तैयार किया जा रहा है। वहां से स्वीकृत होने के उपरान्त कार्यवाही की जावेगी।
		1710						
			46	25	,,	4	—	
32		130	—	—	—	—	—	,, ,, ,, ,,
33		86	—	—	,,	—	—	,, ,, ,, ,,
34								
		100	—	—	,,	—	—	,, ,, ,, ,,
35			—	—	,,	—	—	,, ,, ,, ,,
36								
		128	—	—	,,	—	—	,, ,, ,, ,,

36	88	104	—	,,	—	—	सागर विकास न्यास क्षेत्र बस्ती है वहां से बड़ी वापिस स्थान्तरित होकर आई है पूरे कागजात प्राप्त होने पर आवंटन कार्यवाही की जावेगी ।
	3640	1645	985	,,	465	96	

304—— जिसको का व सांगानेरी गेट से घाटगेट तक को उठाकर घाट की सूची में बताया है ।

50—— परम राम पुरी में बताया है क्रम सं० 26 अवलोपित है ।

3000—— (लगभग) कवि बिहारी बाजार उठाकर पुनर्वास विभाग द्वारा एन. बी. सी. के पास बसाया गया है ।

22299

माउण्ट आबू के लिए नगरपालिका संबंधी नियम

544. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि माउण्ट आबू के लिये नगरपालिका सम्बन्धी नियम अलग से बने हुए है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या राज्य सरकार राज्य में सभी स्थानों पर एक ही प्रकार के नियम रखने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सभी जगह एक ही प्रकार के नियम लागू हैं ।

जयपुर शहर की रोड लाइट्स की व्यवस्था में सुधार

545. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर की रोड लाइट्स को ठीक करवाने की व्यवस्था नगर परिषद्, जयपुर द्वारा अपने हाथ में किन कारणों से ली गई है ?

(2) क्या यह सही है कि रोड लाइट्स खराब हो जाने पर पूर्व की अपेक्षा अब एक लम्बे समय तक ठीक नहीं की जाती हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार रोड लाइट्स शीघ्र ही ठीक करवाने की व्यवस्था हेतु क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) विद्युत् व्यवस्था मे सुधार हेतु ।

(2) यह सही नही है। नगर परिषद्, जयपुर द्वारा एतदर्थ एवं नियंत्रण कक्ष स्थापित किया हुआ है । शिकायत प्राप्त होते ही उसे दर्ज की जाती है । तथा शिकायत दूर करने हेतु तत्काल आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

जयपुर में स्वच्छ नगर संस्था द्वारा लगाए गये पत्थर

546. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जयपुर में सड़क के दोनों ओर कई स्थानों पर जयपुर स्वच्छ नगर संस्था द्वारा पत्थरों के पेड़ लगाए हुए हैं ? यदि हां, तो किन के आदेश से किन शर्तों और नियमों के अन्तर्गत ?

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार के निर्णयानुसार नगर परिषद् द्वारा इनकी स्वीकृति विज्ञापन उपनियमों के अन्तर्गत प्रदान की गई है ।

हिण्डौन नगर सुधार न्यास की योजना

547. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हिण्डौन नगर न्यास को भंग किये कई वर्ष हो चुके हैं परन्तु अभी तक न्यास द्वारा पहले बनायी गई तुगलकी योजनायें समाप्त नहीं की गई हैं ? यदि हां,

(श्री श्रवणलाल)
तो राज्य सरकार इन योजनाओं को समाप्त करने पर क्या विचार कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि इन योजनाओं को समाप्त करने में कोई कानूनी आपत्ति भी नहीं है ? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार द्वारा अब तक क्यों नहीं योजनाओं को समाप्त किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि इन योजनाओं के आधे से अधिक आवासीय भवन व दुकान आदि कई वर्षों से निर्मित हैं ? यदि हां, तो फिर इस प्रकार के स्थान पर योजनायें प्रारम्भ करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) हिण्डौन नगर न्यास दिनांक 1-9-76 को भंग किया गया था। तत्कालीन न्यास द्वारा बनाई गई योजनाओं के गुण-दोष सरकार के समक्ष नहीं लाए गए हैं। गुण-दोष सामने आने पर ही विचार किया जा सकता है।

(2) इसका उत्तर भाग (1) में दिया जा चुका है।

(3) इसका उत्तर भाग (1) में आ चुका है शेष जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा दिया गया अखबारों को विज्ञापन

549. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नगरपालिका, सूरतगढ़ द्वारा सन 1972 से जून, 1977 तक किन-किन अखबारों को कितना-कितना रुपया विज्ञापनों हेतु दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें–जिसमें धनराशि एवं अखबार का पूरा विवरण हो ?

(2) सूरतगढ़, नगरपालिका द्वारा 21 जून, 1977 से 31 अगस्त, 1978 तक किन-किन अखबारों को कितनी-कितनी राशि विज्ञापनों हेतु दी गई ? पूर्ण ब्यौरेवार प्रत्येक अखबार को दी गई राशि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि जून, 1977 से 31 अगस्त, 1978 तक एक अखबार विशेष को राजनैतिक दबाव से अन्य अखबारों के मुकाबिले अधिक राशि दी गई है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार उन दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की सोच रही है जो इस प्रकार राजनैतिक दबाव में आकर राज्य सरकार के कोष का दुरुपयोग कर रहे हैं ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। सूची में धनराशि एवं अखबार का विवरण भी है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है।

Page No 306

306

दिनांक 1-4-72 से 30-6-77 तक

क्रमांक	दिनांक	अखबार का नाम	वाउचर नं.	राशि
1.	18-4-72	यंगलीडर, जयपुर	5	704.44
2.	12-5-72	गंगानगर ज्योति, श्री गंगानगर	7	800.00
3.	15-5-72	पूर्वोदय, जयपुर	..	100.00
4.	15-5-72	तेज, हनुमानगढ़	..	500.00
5.	15-5-72	राजस्थान न्यूज, जयपुर	..	100.00
6.	23-5-72	यंगलीडर, जयपुर	..	100.00
7.	16-6-72	राजस्थान न्यूज, जयपुर	..	250.00
8.	29-6-72	पूर्वोदय, जयपुर	42	250.00
9.	3-7-72	तेज, हनुमानगढ़	1	250.00
10.	28-7-72	गंगानगर पत्रिका, गंगानगर	6,465	250.00
11.	8-9-72	सीमा संदेश, श्री गंगानगर	25	300.00
12.	27-9-72	वर्तमान साप्ताहिक, बीकानेर	51	50.00
13.	12-10-72	यंगलीडर, जयपुर	20	150.00
14.	12-10-72	तेज, हनुमानगढ़	21	80.00
15.	25-11-72	वर्तमान साप्ताहिक, बीकानेर	50	20.00
16.	7-12-72	गंगानगर पत्रिका, गंगानगर	31	30.00
17.	27-12-72	गंगानगर पत्रिका, गंगानगर	49	120.00
18.	10-1-73	यंगलीडर, जयपुर	34	220.00
19.	10-1-73	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	33	150.00
			योग ..	4504.44
20.	4-5-73	यंगलीडर, जयपुर	2	537.24
21.	25-5-73	स्मारिका, गंगानगर	23	230.00
22.	25-5-73	गंगानगर पत्रिका, गंगानगर	24,25	570.00
23.	28-6-73	सीमा संदेश, गंगानगर	36	50.00
24.	24-9-73	भारतजन, सूरतगढ़	22	200.00
25.	1-12-73	यंगलीडर, जयपुर	5	250.00
26.	19-1-74	पूर्वोदय, जयपुर	30	50.00
27.	27-3-74	भारतजन, सूरतगढ़	22	60.00
28.	30-3-74	पूर्वोदय, जयपुर	46	149.60
			योग ..	2116.00

1	2	3	4	5
29.	21-4-74	भारतजन, सूरतगढ़	27	92.40
30.	22-6-74	यंगलीडर, जयपुर	32	221.76
31.	,,	,, ,,	33	308.00
32.	26-6-74	भारतजन, सूरतगढ़	41	83.16
33.	24-8-74	भारतजन, सूरतगढ़	..	41.28
34.	31-10-74	पूर्वोदय, जयपुर	.	290.40
35.	6-12-74	तेज, हनुमानगढ़	20	165.00
36.	2-1-75	भारतजन, सूरतगढ़	7	89.76
37.	2-1-75	भारतजन, सूरतगढ़	8	89.76
38.	15-2-75	भारतजन, सूरतगढ़	34	111.54
39.	25-2-75	भारतजन, सूरतगढ़	76	179.52
40.	28-2-75	यंगलीडर, जयपुर	77	277.20
			योग ..	1948.78
41.	30-5-75	यंगलीडर, जयपुर	56	569.80
42.	30-5-75	यंगलीडर, जयपुर	57	351.12
43.	30-5-75	यंगलीडर, जयपुर	58	231.00
44.	31-5-75	भारतजन, सूरतगढ़	61	89.76
45.	21-6-75	गंगानगर टाइम्स, गंगानगर	38	250.00
46.	31-7-75	तेज, हनुमानगढ़	129	957.00
47.	1-10-75	यंगलीडर, जयपुर	4	277.20
48.	1-10-75	यंगलीडर, जयपुर	5	364.20
49.	15-10-75	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	5	299.20
50.	7-11-75	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	22	364.00
			योग ..	3951.28
51.	7-4-76	यंगलीडर, जयपुर	20	281.40
52.	7-4-76	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	21	100.00
53.	16-4-76	यंगलीडर, जयपुर "ज्योति"	40	364.00
54.	16-4-76	यंगलीडर, जयपुर	41	163.80
55.	22-4-76	पूर्वोदय, जयपुर	49से52	1087.20

(308)

1	2	3	4	5
56.	11-5-76	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	35	249.60
57.	13-5-76	गंगानगर टाइम्स	38	300.00
58.	20-5-76	गंगानगर टाइम्स	52	312.00
59.	14-9-76	जन सम्मत, गंगानगर	17	500.00
60.	28-2-77	दैनिक तेज, हनुमानगढ़	79	260.00
			योग ..	437.80

दिनांक 1-7-77 से 31-8-78 तक

1.	5-7-77	यंगलीडर, जयपुर	34	163.80
2.	5-7-77	यंगलीडर, जयपुर	33	163.80
3.	5-7-77	यंगलीडर, जयपुर	35	216.40
4.	5-7-77	गंगानगर टाइम्स, गंगानगर	52	75.00
5.	19-7-77	यंगलीडर, जयपुर	64	436.80
6.	20-8-77	गंगानगर ज्योति, गंगानगर	57	180.00
7.	20-8-77	यंगलीडर, जयपुर	58	586.04
8.	27-8-77	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	66	175.00
9.	4-11-77	भारतजन, सूरतगढ़	42	40.56
10.	2-12-77	युगदूत, जयपुर	1	350.00
11.	5-12-77	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	20	500.00
12.	13-12-77	भारतजन, सूरतगढ़	43	99.84
13.	23-12-77	प्रशान्त ज्योति, गंगानगर	66	160.20
14.	9-1-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	41	112.28
15.	11-1-78	यंगलीडर, जयपुर	46	2147.56
16.	12-1-78	जनसम्मत, गंगानगर	55	36.00
17.	12-1-78	जनसम्मत, गंगानगर	56	36.00
18.	8-2-78	प्रशान्त ज्योति, गंगानगर	7,8	449.10
19.	16-2-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	17	310.49
20.	16-2-78	जन सम्मत, गंगानगर	18,19	495.00
21.	3-5-78	भारतजन, सूरतगढ़	22	344.76
22.	27-5-78	साप्ताहिक उद्बोधन, जयपुर	84	332.80
			योग ..	7413.36

1	2	3	4	5
23.	7-4-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	25	25.20
24.	10-4-78	युगदूत, जयपुर	40	475.80
25.	11-4-78	यंगलीडर, जयपुर	56	611.82
26.	26-4-78	जन सम्मत, गंगानगर	87	580.80
27.	27-4-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	92	99.84
28.	28-4-78	साप्ताहिक उद्बोधन, जयपुर	95	166.40
29.	3-5-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	12	47.80
30.	5-5-78	भारतजन, सूरतगढ़	17	134.16
31.	17-5-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	43	228.84
32.	3-6-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	4	51.48
33.	5-6-78	शहजादा, गंगानगर	6	146.56
34.	14-6-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	33	62.40
35.	14-6-78	तेज, हनुमानगढ़	34,35	652.60
36.	16-6-78	भारतजन, सूरतगढ़	44	127.90
37.	1-7-78	गंगानगर टाइम्स, गंगानगर	5	156.00
38.	11-7-78	हिन्द ज्योति, सूरतगढ़	38	23.40
39.	24-7-78	जन सम्मत, गंगानगर	74	296.40
40.	28-8-78	युगदूत, जयपुर	54	312.00
			योग ..	3228.82

दिनांक 1-4-72 से 30-6-77 तक का विभिन्न अखबारवाइज विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र० सं० 1	तारीख 2	वाउचर नं० 3	राशि 4
1. गंगानगर ज्योति, गंगानगर:			
1.	12-5-72	7	800.00
2.	10-1-73	35	150.00
3.	1-10-75	5	299.20
4.	7-11-75	22	364.28
5.	7-11-76	21	100.00
6.	16-4-76	40	364.00
7.	16-5-76	35	249.60
		योग ..	2327.08
2. यंगलीडर, जयपुर:			
1.	18-4-72	5	764.84
2.	23-5-72	..	100.00
3.	12-10-72	20	150.00
4.	10-1-74	34	220.00
5.	4-9-73	2	537.24
6.	1-12-73	5	250.00
7.	22-6-74	32,33	520.76
8.	28-2-75	77	277.20
9.	30-7-55	45	641.40
10.	1-10-75	56,57,56	1151.92
11.	7-4-76	20	281.40
12.	16-4-76	41	163.80
		योग ..	5087.16
3. पूर्वोदय, जयपुर :			
1.	15-5-72	..	100.00
2.	29-6-72	42	250.00
3.	19-1-74	30	50.00

Page No 311

1	2	3	4
4.	30-3-74	4,6	149.60
5.	31010-74	..	290.40
6.	22-4-76	49 से 52	1087.70
		योग ..	1927.70
4. तेज, हनुमानगढ़ :			
1.	15-5-72	..	500.00
2.	3-7-72	1	250.00
3.	12-11-72	21	80.00
4.	6-12-72	20	165.00
5.	31-3-73	129	957.00
6.	28-2-77	79	260.00
		योग ..	2212.00
5. प्रशान्त ज्योति, गंगानगर :			
1.	28-2-77	76 से 78	124.80
		योग ..	124.80
1. गंगानगर ज्योति, गंगानगर :			
1.	20-8-77	57	180.00
		योग ..	180.00
2. जंगलीडर जयपुर :			
1.	5-7-77	34,35, 36	546.00
2.	19-7-77	64	436.80
3.	20-8-77	58	586.04
4.	11-1-78	46	2147.56
	11-4-78	56	611.62
		योग ..	4327.92

1	2	3	4
3. युगदूत, जयपुर:			
1.	2-12-77	1	350.00
2.	10-4-78	40	475.80
3.	23-8-78	54	312.00
		योग ..	1137.80
4. तेज, हनुमानगढ़ :			
1.	14-8-78	34,35	652.00
5. प्रशांत ज्योति, गंगानगर :			
1.	23-12-77	66	180.20
2.	8-2-78	7,8	449.10
		योग ...	609 30
6. साप्ताहिक उद्बोधन, जयपुर :			
1.	23-3-78	84	332.80
2.	28-4-78	95	166 40
		योग .	499.20
7. हिन्द ज्योति, सूरतगढ़ :			
1.	27-8-77	66	179.00
2.	5-12-77	20	500 00
3.	9-1-78	41	112.28
4.	18-2-78	17	310.44
5.	7-4-78	25	25.20
6.	27-4-78	92	99 84
7.	3-6-78	12	47.80
8.	17-6-78	43	228.54
9.	3-6-78	4	51.48
10.	14-6-78	33	62.40
11.	11-7-78	38	23.40
		योग .	1636.38

1	2	3	4
5. भारत जन सूरतगढ़ :			
1.	4-11-77	43	40 56
2.	13-12-77	43	99.84
3	3-3-78	22	344.76
4.	5-6-78	17	134.16
5	16-8-78	44	127.92
		योग ..	747 24
6. जन सम्मत, गंगानगर :	14-9-76	17	500 00
		योग ..	500.00
7. वर्तमान साप्ताहिक, बीकानेर :			
1.	27-9-72	51	50.00
2.	25-11-72	50	20.00
		योग ..	70.00
8. राजस्थान न्यूज, जयपुर :			
1.	15-5-72	..	100.00
2.	16-6-72	30	250.00
		योग ..	350.00
9. स्मारिका, गंगानगर :			
1.	21-6-75	38	250.00
2.	13-5-76	38	300.00
3.	20-5-76	52	312.00
		योग ..	862.00

1	2	3	4
10. स्मारिका, गंगानगर			
1.	25-5-73	23	250.00
		योग ..	250.00
11. गंगानगर पत्रिका, गंगानगर			
1.			
2.	28-7-72	64.65	250.00
3.	7-12-72	34	30.00
4.	27-12-72	49	120.00
	25-5-73	24.25	570.12
		योग ..	970.12
12. समी सीमा संदेश, गंगानगर			
1.	8-9-72	25	300.00
2.	28-6-73	36	50.00
		योग ..	350.00
13. भारत जन, सूरतगढ़			
1.	24-9-73	22	200.00
2.	27-3-74	42	60.00
3.	27-4-74	27	92.40
4.	26-4-74	41	83.16
5.	24-8-74	41	41.28
6.	2-1-75	7	89.76
7.	2-1-75	7	89.76
8.	16-2-75	34	111.64
9.	25-2-75	76	179.52
10.	31-6-75	61	89.76
		योग ..	1047.18

Page No 315

(315)

राज्य में मिनी सीमेन्ट प्लांट्स का सर्वेक्षण

551. **श्री बंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार ने राज्य में मिनी सीमेन्ट प्लान्ट्स की आवश्यकता व उपादेयता पर कोई अध्ययन या सर्वेक्षण करवाया है ?

(2) यदि हां, तो किस किस क्षेत्र में और कहां कहां ऐसे सीमेन्ट प्लान्ट्स लगाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। स्थान एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर पाये गये चूने पत्थर का सीमेन्ट उद्योग में उपयोगिता के लिये सर्वेक्षण किया जाता रहा है।

(2) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को निम्नलिखित पांच स्थानों के लिये 100 टन प्रतिदिन क्षमता के सीमेन्ट प्लान्ट लगाने हेतु भारत सरकार से आशय-पत्र प्राप्त हो चुके हैं:—

1. नीम का थाना (जिला सीकर)
2. कोटपूतली (जिला जयपुर)
3. बिलाड़ा (जिला जोधपुर)
4. रास (जिला पाली)
5. आबूरोड अखरा कीकवरली (जिला सिरोही)

आर. आई. एम. डी. सी., भीलवाड़ा के अन्तर्गत किसानों की अवाप्त भूमि

553. **श्री कौशलकिशोर जैन** (भीलवाड़ा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आर०आई०एम०डी०सी०, भीलवाड़ा के अन्तर्गत कितनी जमीन काश्तकारों से अवाप्त की गई तथा उसका कितना मुआवजा दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड पर अभी आवंटन पूर्ण नहीं हुआ है ?

(3) राज्य के उद्योग विभाग द्वारा इतनी अतिरिक्त जमीन के रहते हुए मण्डपिया जिला भीलवाड़ा के पास भीलवाड़ा प्रोसेसर्स को कारखाने के निमित्त जमीन देने का क्या औचित्य है ?

(4) मण्डपिया में भीलवाड़ा प्रोसेसर्स को जमीन किन शर्तों पर, किस प्रावधान के अन्तर्गत दी गई ?

(5) मण्डपिया औद्योगिक क्षेत्र बनाने का क्या कारण है ?

(6) क्या भीलवाड़ा प्रोसेसर्स ने केवल चुंगी से बचने के लिये पंचायत समिति क्षेत्र में यह जमीन अलॉट कराई ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा में राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने काश्तकारों से 86 बीघा 14 बिस्वा जमीन अवाप्त की है और इसके लिए कुल 2,27,310/- की राशि का मुआवजा काश्तकारों को दिया गया है।

(2) जी हां। निगम द्वारा अभी आवंटन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है

(उद्योग मंत्री)

(3) मेसर्स भीलवाड़ा प्रोसेसर्स द्वारा जहां उद्योग स्थापित किया जा रहा है, वह स्थान भीलवाड़ा से 13 कि० मी० दर सेरावाद पंचायत समिति में है। जिला उद्योग सलाहकार समिति की 10 अक्टूबर, 1974 की मीटिंग में यह भूमि वृहद एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक इकाइयों के लिये विकसित करने का निर्णय लिया गया था। इसी अनुसार इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया। इस भूमि के समीप विद्युत की सुविधा उपलब्ध होने तथा समीप में गुवारही बांध का नाला निकलने से पानी उपलब्ध होने के कारण यह स्थल मध्यम श्रेणी के उद्योगों की स्थापना हेतु उपयुक्त माना गया था और मेसर्स भीलवाड़ा प्रोसेसर्स एक मध्यम श्रेणी का उद्योग है, जिसे इसमें भूमि आवंटित की गई है।

(4) मेसर्स भीलवाड़ा प्रोसेसर्स को 38 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्थान इण्डस्ट्रियल एरिया अलाटमेन्ट रूल्स, 1959 के अन्तर्गत आवंटित की गई है।

(5) जैसा कि प्रश्न के भाग 3 में बताया गया है जिला उद्योग सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 10 अक्टूबर, 74 के निर्णय अनुसार ही इस औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया है।

(6) जी नहीं। यह उद्योग भीलवाड़ा से 13 कि०मी० दूर है। अतः यहां पर चुंगी नहीं लगती है। यदि यह उद्योग भीलवाड़ा में भी होता तो भी नियमानुसार यह उद्योग चुंगी मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी था। अतः चुंगी से बचने के कारण उद्योग पंचायत समिति में स्थापित करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम बीगोद, भीलवाड़ा में औद्योगिक बस्ती

554. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या बीगोद (जिला भीलवाड़ा), लोहारी उद्योग के लिये राज्य में प्रमुख स्थान रखता है ?

(2) क्या यह सही है कि बीगोद में आज भी लगभग 100 परिवार इस उद्योग में लगे हुये हैं, जो किसानों की घरेलू जरूरत की तथा कृषि कार्य में आने वाली जरूरी चीजें बनाते हैं ?

(3) क्या उद्योग में लगे हुये परिवारों के लिये औद्योगिक बस्ती बसाने के लिये पंचायत ने जमीन दे दी है ? यदि हां, तो कितनी जमीन दी है तथा इस बस्ती के लिये राज्य सरकार अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) बीगोद, जिला भीलवाड़ा में लुहार पुश्तैनी धंधा कर रहे हैं और जिले में इस कार्य हेतु उनका प्रमुख स्थान है।

(2) जी हां। बीगोद में आज भी लगभग 100 परिवार लोहारी उद्योग में लगे हुए हैं जो किसानों की घरेलू जरूरत की चीजें तथा कृषि कार्य में काम आने वाली जरूरी चीजें बनाते हैं।

(3) 86 बीघा 3 बिस्वा जमीन राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम को आवंटित की गई है जो पंचायत की चरागाह भूमि थी और निगम द्वारा उक्त भूमि का कब्जा 7 जुलाई, 1977 को ले लिया गया है। इस भूमि आवंटन हेतु

(उद्योग मन्त्री)
केवल 7 प्रार्थना-पत्र ही प्राप्त हुए हैं और विकास हेतु तकमीना निगम द्वारा तैयार किया जा रहा है।

माण्डल खाण्डसारियों में किसानों को बकाया राशि

556. श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मांडल खाण्डसारियों में किसानों का पैसा बाकी है ?

(2) इस मांग को लेकर जिला प्रशासन को कितनी बार लिख कर दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इतना होने पर भी किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है ? अगर हां तो राज्य सरकार कब तक खाण्डसारियों के मालिकों से भुगतान करायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में मांडल की दो खाण्डसारियों की इकाइयों में किसानों की लगभग 7.84 लाख रुपयों की राशि बकाया है।

(2) इस मांग को लेकर काश्तकारों ने जिला प्रशासन को एक बार ज्ञापन गन्ने की बकाया कीमत को लेकर दिया था।

(3) मेसर्स हरसोरा शुगर वर्क्स, मांडल में काश्तकारों को गन्ने की राशि का 5.74 लाख रुपयों का भुगतान बाकी था, उसमें से पार्टी द्वारा 4.90 लाख रुपयों का भुगतान कर दिया गया है व 84 हजार रुपया का भुगतान बाकी है जिसके लिये इकाई का कथन है कि वह सरकार से ऋण लेकर इस राशि को चुकाना चाहती है। मेसर्स राजस्थान खाण्डसारी शुगर मिल्स में अनुमानत. 7 लाख रुपयों की राशि का भुगतान बाकी है, परन्तु भागीदार के मांडल में न रहने के कारण सही स्थिति का पता नहीं लगता है। इस विषय में जिलाधीश भीलवाड़ा से पार्टियों को शेष भुगतान करने की कार्यवाही हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

हिन्डौन में नये उद्योग की स्थापना

557. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि हिन्डौन में एक भी उद्योग नहीं खोला गया है और न ही भविष्य में राज्य सरकार द्वारा यहां उद्योग लगाने की कोई योजना तैयार की जा रही है? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा हिन्डौन के साथ यह सौतेला व्यवहार क्यों बरता जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है हिन्डौन में पत्थर का व्यापार लम्बे पैमाने पर हो रहा है तथा वहां से राज्य सरकार द्वारा लाखों रुपया टैक्स का वसूल किया गया है फिर भी पत्थर से संबंधित या अन्य उद्योग क्यों नहीं लगाये जा रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि हिन्डौन को यदि इण्डस्टियल एरिया घोषित कर दिया जाय तो वहां के व्यापारी वहां पर उद्योग लगाने को तैयार हैं जिससे बेरोजगारी की समस्या भी कुछ हद तक हल हो सकती है ? यदि हां तो राज्य सरकार द्वारा हिन्डौन को क्यों कर इण्डस्ट्रियल एरिया घोषित नहीं किया जा रहा है ?

(उद्योग मन्त्री)

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा हिण्डौन के साथ कोई सौतेला व्यवहार नहीं किया जा रहा है। हिण्डौन में 45 लघु उद्योग पंजीकृत हैं, जिनमें उत्पादन किया जा रहा है तथा हाल में राज्य सरकार के ध्यान में कोई निश्चित उद्योग वहां लगाये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(2) हिण्डौन में पत्थर का व्यापार अच्छी मात्रा में हो रहा है तथा अप्रेल, 78 से सितम्बर, 78 तक सिर्फ रुपये 2,39,888 रुपये की आय खनिज विभाग को हुई है। प्रत्येक स्थान पर राज्य द्वारा उद्योग लगाया जाना संभव नहीं है, परन्तु यदि कोई उद्यमी उद्योग स्थापित करना चाहे तो सभी प्रकार से प्रोत्साहन व सुविधाएं दी जायेंगी।

(3) हिण्डौन के स्टेशन के सामने 94 बीघा 11 बिस्वा भूमि को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करवाने की कार्यवाही की जा रही है। उप-नगर नियोजक, जयपुर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और उप-जिलाधीश हिण्डौन को भूमि अवाप्ति हेतु भूमि का वर्तमान मूल्य के विषय में लिखा गया है। 28-10-78 को हिण्डौन में उद्यमियों की एक बैठक बुलाई गई थी। प्रत्येक उद्यमी जो औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहे, उन्हें अपनी रुचि दिखाने हेतु व रुपया जमा करवाने के लिए कहा गया था परन्तु अभी तक प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

मोरीजा खान पर स्टील का प्लांट

558. श्री **आर० डी० यादव** (चौमूं)। क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के मोरीजा खान में लोहे की मात्रा सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 32 लाख 30 हजार टन लोहा होना संभावित है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार वहां पर कोई उद्योग लगाने की योजना बनाने जा रही है? अगर हां, तो कब तक? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(2) क्या यह सही है कि मोरीजा खान पर मिनी स्टील प्लान्ट लगाने से हजारों ग्रामीण मजदूरों को रोजगार मिल सकता है? अगर हां तो क्या राज्य सरकार मिनी स्टील प्लान्ट लगाने पर विचार कर रही है? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा कोई उद्योग लगाने की योजना नहीं है। उद्योग की सम्भावनाओं पर अभी विस्तृत व गहन रूप से विचार नहीं हुआ है।

(2) रोजगार की सम्भावना की पुष्टि, गहन व विस्तृत विचार के बाद ही हो सकेगी। खण्ड 1 में दी गई सूचना के बाद प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

चौमूं (जयपुर) क्षेत्र को ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

559. श्री **रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं). क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चौमू (जयपुर) को राज्य सरकार ने ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया है? अगर हां, तो इस कार्य का प्रारम्भ कब से किया जावेगा?

(श्री रामेश्वरलाल यादव)

(2) राज्य सरकार ने जयपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र कहां-कहां घोषित किये हैं तथा कहां कहां पर प्रक्रिया प्रारम्भ कर उद्यमियों को भूमि आवंटन की कार्यवाही कर दी है? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्रों में अनुदान देना तय किया गया है? अगर हां, तो कितना व किस प्रकार भुगतान किया जावेगा ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम ने चौमू में ग्रामीण औद्योगिकरण योजनान्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय ले लिया है। निगम ने चौमू में भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। चौमू में निजी भूमि के लिये अवाप्ति प्रक्रिया निगम ने प्रारंभ की थी इसके अन्तर्गत 34 बीघा 15 बिस्वा भूमि के अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत विज्ञप्ति प्रसारित कर दी है किन्तु काश्तकारों के प्रतिवेदन पर वैकल्पिक प्रस्तावों की जांच करायी जा रही है। निर्णय जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर लिया जायेगा। अग्रिम कार्यवाही स्थल संबंधी निर्णय होने के बाद की जावेगी।

(2) जयपुर जिले में घोषित औद्योगिक क्षेत्र जिनमें आवंटन किया जाना है, की सूची (क) व जिन स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी कार्यवाही की जा रही है, की सूची (ख) सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां, राज्य सरकार की औद्योगिक नीति के अनुसार ग्रामीण लघु औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के संबंध में राज्य सरकार निगम को 35 प्र. श. के स्थान पर 33.33 प्र. श अनुदान उपलब्ध करायेगी। शहरों और कस्बों में इस कार्य हेतु स्थानीय नगरपालिकाओं/नगर सुधार न्यास/नोटिफाइड एरिया कमेटी को भी प्रोत्साहित किया जायेगा। स्वयं सेवी संस्थाएं/सहकारी समितियां अथवा जॉइन्ट स्टॉक कम्पनियां भी अगर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहें तो उन्हें भी भूमि उपलब्ध करायी जायेगी* व निगम की तरह अनुदान दिया जावेगा। राजस्थान के 6 पिछड़े जिलों में 15 प्र. श. केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है। शेष 10 पिछड़े जिलों में भी केवल लघु उद्योगों को 15 प्र. श. अनुदान राज्य सरकार द्वारा 6 सितम्बर, 1977 से दिया जा रहा है। समस्त जिलों में (जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर शहरों को छोड़कर) 15 प्र. श. अनुदान लघु उद्योगों को अप्रेल, 1978 से दिये जाने की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

जिन जिलों में केन्द्रीय योजना है उनमें अधिकतम पन्द्रह लाख रुपये तक अनुदान दिया जा सकता है। राज्य अनुदान योजना के अन्तर्गत अधिकतम सीमा 1.50 लाख रुपये है क्योंकि यह लघु उद्योगों को भी देय है।

अनुदान पाने योग्य उद्योगों को सर्वप्रथम जिला स्तरीय अधिकारियों के यहां अनुदान योजना के अन्तर्गत पंजीयन कराना होता है व स्थायी विनियोजन पर 15 प्र.श. अनुदान हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों को नियमानुसार निर्णय करना होता है। जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में जांच की जाकर आवेदन-पत्र मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं जिन्हें जांच कर राज्य स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

320

सूची (क)

जयपुर जिले के औद्योगिक क्षेत्र जिनमें भूमि आवंटन की जा चुकी है:—

क्र०सं०	नाम औद्योगिक क्षेत्र
1.	औद्योगिक क्षेत्र सुदर्शनपुरा
2.	औद्योगिक सम्पदा बाइस गोदाम
3.	औद्योगिक क्षेत्र विश्वकर्मा चौमू रोड
4.	औद्योगिक क्षेत्र झोटवाड़ा
5.	मालवीया औद्योगिक क्षेत्र
6.	ग्राम डीडवाना तहसील लालसोट
7.	ग्राम जार्ज खुर्द उर्फ किशनपुरा तहसील विराट नगर (शाहपुरा)

सूची (ख)

जयपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है :—

1. सांभर
2. दूदू
3. कोटपूतली
4. दौसा
5. रेनवास
6. बड़ी का खेड़ा (सांगानेर)
7. चौमू
8. बगरु

बूंदी क्षेत्र में नये कारखानों की स्थापना

560. श्री **ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि बूंदी में पेचकी बावडी उमर का क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि बूंदी में कुछ लोग कारखाना लगाना चाहते हैं ? यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र कब से जिलाधीश महोदय के समक्ष आय हुए हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या यह सही है कि बूंदी में कारखाना लगाने वालों को प्रशासन मदद नहीं कर रहा है ? यदि नहीं, तो अब तक क्या मदद, किस किस कारखाने में की ?

(4) क्या यह सही है कि बूंदी में बिना सरकारी मदद के कुछ गुप्त लघु उद्योग चल रहे हैं जिनका पता पुलिस को है ? यदि हां, तो कितने ?

(5) क्या बूंदी में सीमेंट का कारखाना लगाने का राज्य सरकार का इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) पेचकी बावड़ी तहसील हिण्डोली में जिलाधीश बून्दी द्वारा दिनांक 23-8-1976 को 10 बीघा 15 बिस्वा व ग्राम भरवाड़ी में 125 बीघा 2 बिस्वा भूमि औद्योगिक क्षेत्र घोषित की गई है।

(2) उपरोक्त औद्योगिक क्षेत्र में भू-आवंटन हेतु 12 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनके नाम और आवेदन-पत्र का दिनांक संलग्न सूची "क" में दर्शाया गया है, राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम द्वारा ये क्षेत्र नहीं लिये गये हैं। अतः बिना विकास कार्य ही भू-खण्ड काट कर प्लान उप-नगर नियोजक, कोटा के पास अनुमोदनार्थ भेजा गया है।

(3) जी नहीं। प्रशासन द्वारा उद्योग स्थापित करने वालों की सभी प्रकार की सहायता दी जा रही है। जिसकी सूची 'ख' संलग्न है। इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के बून्दी में तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं:-

1. बून्दी बाई-पास रोड़
2. बून्दी, नैनवा रोड़
3. बून्दी चित्तौड़ रोड़

(4) इन क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए निगम द्वारा भू-खण्डों का आवंटन किया जाता है। बन्दी-नैनवा रोड़ में 24 आयोजित भू-खण्डों में से 14 भू-खण्ड आवंटित हैं, बून्दी बाई-पास रोड़ में 74 आयोजित भू-खण्डों में से 74 ही आवंटन हैं और बून्दी चित्तौड़ रोड़ में 18 आयोजित भू-खण्डों में से 18 ही आवंटित हैं। इन तीनों औद्योगिक क्षेत्रों में निगम द्वारा पानी, बिजली व सड़क की पूरी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

(5) कोटा बून्दी क्षेत्र मिनी सीमेन्ट कारखाना राजस्थान औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के माध्यम से लगाने का इरादा है लेकिन मिनी सीमेन्ट कारखानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कुछ विशेष रियायतें देने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है इसलिए मिनी सीमेन्ट प्लान्ट के स्थापित करने में विलम्ब हो रहा है।

सूची (क)

पेच की बावड़ी, ग्राम मटवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए की सूची :—

क्र०सं०	पार्टी का नाम	आवेदन-पत्र का दिनांक
1.	राजस्थान मारबल उद्योग	29-6-78
2.	श्री राम बिलोची मारबल डिलर	9-8-78
3.	रमेश कुमार एण्ड ब्रादर्स, देवली	16-8-78
4.	दिनेश मारबल, देवली	16-8-78
5.	लेख राज लखवानी, देवली	16-8-78
6.	मलचन्द बिलोची, देवली	16-8-78
7.	सरदार दिलीप सिंह निर्मल सिंह, केकल	18-8-78
8.	सरदार लाल सिंह प्रेम जीत सिंह, देवली	18-8-78
9.	मेवाराम पुत्र सतराम दास, बूंदी	19-8-78
10.	मैसर्स कल्याण दास एण्ड सन्स, उमर	29-6-78
11.	मैसस भगवती मारबल कटिंग एण्ड पालिसिंग इण्डस्ट्रीज सी०ओ० 364 शोपिंग सेन्टर, कोटा।	20-7-78
12.	श्री हनुमान सहाय ताम्बी, पार्टनर, मै० खण्डेलवाल मारबल उद्योग	29-6-78

सूची (ख)

विभाग द्वारा जिन उद्योगों की सहायता एवं सुविधा दी गई है की सूची

क्र० सं० 1	नाम इकाई 2	सहायता एवं सुविधा का विवरण 3
1.	मैसर्स पेचकी बावडी ओपन पान शुगर फैक्ट्री, पेच की बावड़ी	3 एकड़ भूमि एवं जी०सी० सीट
2.	मैसर्स न्यू लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री, हिन्डोली	5 बीघा भूमि
3.	हिण्डोली ओपन पान शुगर फैक्ट्री, हिण्डोली	10 बीघा 17 बिस्वा
4.	अशोक इण्डस्ट्री, बड़ा नया गांव	17 बीघा 17 बिस्वा
5.	लक्ष्मी शुगर फैक्ट्री, जीतपुरा	भूमि आवंटित तथा सीमेन्ट
6.	नवाल खण्डसारी उद्योग, दौलतपुरा	भूमि आवंटित

Page No 323

(323)

1	2	3
7.	मैसर्स बालापुरा ओपन पान शुगर फैक्ट्री, बालापुरा	7 बीघा जमीन आवंटित एवं जी० सी० सीट
8.	मैसर्स बड़ोदिया खण्डसारी शुगर उद्योग, बड़ोदिया	10 एकड़ भूमि
9.	मैसर्स टीकण्डा ओपन पान शुगर फैक्ट्री, टीकरवा	5 एकड़ भूमि
10.	मैसर्स प्रेम खण्डसारी शुगर फैक्ट्री, 4 ओलोद	10 बीघा 6 बिस्वा भूमि एवं सीमेन्ट
11.	मैसर्स महावीर शुगर फैक्ट्री रामगंज, बालाजी	भूमि आवंटित एवं जी०सी० सीट एवं सीमेन्ट
12.	जमीतपुरा ओपन पान शुगर फैक्ट्री, जमीतपुरा	भूमि एवं सीमेन्ट
13.	राम नगर गुढा ओपन पान शुगर फैक्ट्री, गुढा	भूमि सीमेन्ट एवं जी० सी० सीट
14.	मैसर्स राज ओपन पान शुगर फैक्ट्री, झालोदा	भूमि व सीमेन्ट जी० सी० सीट
15.	मैसर्स कृषि उद्योग खण्डसारी फैक्ट्री, 4 रानीपुरा	5 एकड़ भूमि
16.	मैसर्स श्री पन्नालाल एण्ड फर्नीचर उद्योग, थनाव	एक बीघा भूमि एवं 16,000/- रु० ऋण
17.	मैसर्स जनता लघु उद्योग वर्क्स, बून्दी	एक बीघा भूमि
18.	मैसर्स श्री रामनारायण यादव सा एण्ड फ्लोर इण्डस्ट्री, दो थनाव	एक बीघा भूमि
19.	मैसर्स शंकर शीतलालय, गोविन्दपुर बावड़ी	6 एकड़ भूमि
20.	मैसर्स श्रीराम टीन प्रेसर एण्ड कोन-ट्रेक्टर, कोजरी सिरोल	2 एकड़ भूमि एवं 25,000/-रु० ऋण
21.	मैसर्स गणेश राइस मिल्स, कालेडा	भूमि
22.	मैसर्स सन साइन गिलास एण्ड प्रा० लि०, गोविन्दपुरा	भूमि 1,100/- रु० अनुदान विद्युत्
23.	राम राइस एग्रो एण्ड प्रोडेक्ट, केन्यारण	भूमि एवं जी० सी० सीट एवं ऋण
24.	मसर्स महादेव ऑयल मिल्स, केन्यारण	भूमि एवं ऋण
25.	मसर्स गुरु नानक कृषि यंत्र उद्योग, विचारण	भूमि एवं लोहा इस्पात, ऋण
26.	मैसर्स केशव ऑइल फैक्ट्री, के० पाटन	चुंगी मुक्ति एवं बैंक से ऋण

1	2	3
27.	मैसर्स रमेश चन्द राधावल्लभ सा मिल्स, के० पाटन	ऋण
28.	मैसर्स हनुमान राइस मिल, के० पाटन	प्लॉट
29.	मैसर्स नागरा सा उद्योग, के० पाटन	प्लॉट
30.	मैसर्स किसान खण्डसारी उद्योग, खेरोल	परमिट हेतु एवं बैंक ऋण
31.	मैसर्स भाटिया खण्डसारी उद्योग, बजास	बैंक ऋण
32.	मैसर्स मान राइस मिल्स, बून्दी	भूमि आवंटन ऋण
33.	मैसर्स बून्दी कोल वर्क्स, बून्दी	ऋण
34.	मैसर्स राना इण्डस्ट्रीज, बून्दी	ऋण
35.	मैसर्स भारत डेकोरेटर्स, बून्दी	ऋण
36.	मैसर्स राजस्थान बेग्स वर्क्स, बून्दी	ऋण
37.	मैसर्स भारत केण्डल वर्क्स, बून्दी	ऋण एवं चुंगी मुक्ति
38.	मैसर्स कोटा सीमेन्ट वर्क्स, बून्दी	16 एम० टी० सीमेन्ट
39.	मैसर्स बून्दी स्टील वर्क्स, बून्दी	लोहा इस्पात
40.	मैसर्स नवयुग इन्जीनियरिंग, बून्दी	चुंगी मुक्ति एवं अनुदान
41.	मैसर्स निर्मल ट्रंक हाउस, बून्दी	लोहा इस्पात
42.	मैसर्स अशोक केमीकल्स, नेनवा रोड़, बून्दी	भूमि आवंटन आर० एफ० सी० ऋण चुंगी
43.	मैसर्स शंकर उद्योग, नेनवा रोड़, बून्दी	भूमि एवं चुंगी मुक्ति जी० सी० सीट एवं सीमेन्ट
44.	महावीर सोप इण्ड., बून्दी	चुंगी मुक्ति
45.	मैसर्स श्याम सोप इण्ड०, बून्दी	चुंगी मुक्ति
46.	मैसर्स राजस्थान वैल्डिंग एवं मेन्यु० वर्क्स, बून्दी	भूमि, चुंगी मुक्ति, जी० सी० सीट एवं सीमेन्ट
47.	मैसर्स शम्भू मोटर एण्ड ट्रेक्टर सर्विस स्टेशन, बून्दी	ऋण, भूमि आवंटन एवं चुंगी मुक्ति
48.	मैसर्स ओम इण्ड०, सघुर	ऋण
49.	मैसर्स सोमानी स्टोन क्रेशर, सघुर	ऋण
50.	औद्योगिक क्षेत्र बाई-पास रोड़, बून्दी	औद्योगिक क्षेत्र, बाई-पास रोड़; बून्दी में 74 इकाईयों को भू-खण्ड एवं 50 इकाईयों को ऋण

1	2	3
51.	औद्योगिक क्षेत्र, चित्तौड़ रोड, बूंदी	इस एरिये में 18 इकाईयों को भू-खण्ड
52.	औद्योगिक क्षेत्र, रोड नेनवा रोड, बून्दी	इस क्षेत्र में 14 इकाईयों को भूमि आवंटित की
53.	मैसर्स घाणियां राईस मिल, चित्तौड़ रोड, बून्दी	भू-खण्ड, जी० सी० सीट, ऋण एवं चुंगी मुक्ति
54.	मैसर्स इन्द्रा मंजन, बून्दी	चुंगी मुक्ति
55.	मैसर्स विष्णु ऑयल एण्ड राईस मिल, बून्दी	चुंगी मुक्ति
56.	मैसर्स पारीक उद्योग, देही	चुंगी एवं ऋण
57.	मैसर्स भाटिया बैग हाउस, बून्दी	चुंगी मुक्ति
58.	मैसर्स गोपाल इण्ड०, हिण्डोली	चुंगी मुक्ति
59.	मैसर्स राम लक्ष्मण मूंदड़ा ऑयल मिलें, हिण्डोली	चुंगी मुक्ति
60.	मैसर्स महेश प्रिंटिंग प्रेस, सदर बाजार बून्दी	चुंगी मुक्ति
61.	मैसर्स अभिनन्दन प्रिंटिंग प्रेस, बून्दी	चुंगी मुक्ति
62.	मैसर्स तेजमल पॉवर घाणी उद्योग, नैनवा	ऋण एवं अनुदान
63.	मैसर्स छोटू लाल पॉवर घाणी उद्योग, नैनवा	ऋण एवं अनुदान
64.	मैसर्स बैरवा सीमेन्ट वर्क्स, बून्दी	सीमेन्ट
65.	हाथ करघा विकास योजना	विकास योजना के अन्तर्गत 50 बुनकरों को ऋण एवं 10 नए करघे

भरतपुर क्षेत्र में मथुरा तेल शोधक कारखाने के सहयोगी उद्योग

561. श्री **सुरेश कुमार** (भरतपुर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मथुरा तेल शोधक कारखाने से प्राप्त कच्चे माल के आधार पर भरतपुर जिले के अन्दर क्या कोई उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है?

(2) क्या राज्य सरकार ने ऐसा कोई सर्वेक्षण कराया है कि किस प्रकार के सहयोगी उद्योग तेल शोधक कारखाने के आधार पर जिले में स्थापित हो सकते हैं?

(3) क्या राज्य सरकार यह प्रयास कर रही है कि तेल शोधक कारखाने से राज्य को तरल नैपथा उपलब्ध हो जाए ताकि भरतपुर जिले में उर्वरक का कारखाना स्थापित किया जा सके? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार तरल नैपथा प्राप्त करने के लिए गंभीर रूप से अब प्रयास करेगी?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राजस्थान राज्य औद्योगिक एवं खनिज विकास निगम के सर्वेक्षण के अनुसार मथुरा तेल शोधक कारखाने से उपलब्ध होने पर नेपथा उत्पादित, बेनजीन एवं टोल्यूएन पदार्थ पर आधारित विभिन्न औद्योगिक इकाईयां राज्य में स्थापित की जा सकेंगी।

(3) राज्य सरकार भारत सरकार से उर्वरक उद्योग हेतु नेपथा उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगी।

ग्राम मोड़क, रामगंज मण्डी में सीमेंट उद्योग

563. श्री **हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि रामगंज मंडी तहसील के मोड़क गांव में मंगलम् सीमेंट उद्योग लगने जा रहा है? क्या इसमें किसानों की भूमि अवाप्त की गई है? यदि हां, तो क्या अभी तक भी उन किसानों को भूमि के बदले भूमि एवं मुआवजा राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

यह सही है कि रामगज मण्डी तहसील मोड़क गांव में मैं० मंगलम सीमेन्ट लि० एक सीमेन्ट उद्योग लगने जा रहा है।

इसमें 133 कृषकों की 788 बीघा 18 वि० भूमि अवाप्त की गई है।

भूमि के बदले भूमि दिए जाने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि पुन: मुआवजा दिया जा रहा है। फिर भी उदारता रखते हुए वन भूमि को राजस्व भूमि में परिवर्तन कर आवंटन की कार्यवाही राजस्व विभाग के विचाराधीन है। मुआवजा के लिये 113 कृषकों को जिनको कि खातेदारी अधिकार हैं उनके एवार्ड जारी कर दिये गये हैं। भुगतान भी प्रारम्भ कर दिया गया है। 31 खसरा नम्बरन के 50 कृषक मुआवजा लेने से इन्कार करते हैं क्योंकि वे सड़क जो निकली है उसको अन्य स्थान से निकलवाना चाहते हैं। भुगतान के लिए राशि ड्रा की जा चुकी है तथा पूर्ण भुगतान कर दिया जावेगा। 133 कृषकों में से 20 गैर खातेदार हैं जिनको नियमानुसार मुआवजा दिया जाना सम्भव

(उद्योग मन्त्री)
नहीं है फिर भी उन्हें भूमि आवंटन करने का प्रयास किया जाएगा।

जोधपुर में एल्युमिनियम का असमान वितरण

564. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में एल्युमिनियम का वितरण न्यायसंगत नहीं है? अगर हां, तो भविष्य में राज्य सरकार की वितरण प्रणाली क्या होगी?

(2) एल्युमिनियम का वितरण राज्य में किन किन औद्योगिक इकाईयों को कितना कितना प्रति वर्ष हो रहा है? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) दो प्रकार का एल्युमिनियम उद्योगों द्वारा काम में लिया जाता है:—

1. ई० सी० ग्रेड एल्युमिनियम

2. कॉमर्शियल ग्रेड एल्युमिनियम

ई० सी० ग्रेड एल्युमिनियम काम में लाने वाली इकाईयों की क्षमता राज्य सरकार द्वारा अनुमानित करके विकास आयुक्त लघु उद्योग भारत सरकार को प्रेषित की जाती है और उनके द्वारा यह सूचना ई०सी० ग्रेड एल्युमिनियम उत्पादक उद्योगों को भेज दी जाती हैं जिनके द्वारा उनकी क्षमता मण्डलों द्वारा प्राप्त ऑर्डरों के आधार पर ई०सी० ग्रेड एल्युमिनियम का सीधा वितरण किया जाता है।

कॉमर्शियल ग्रेड एल्युमिनियम पर कोई पाबन्दी नहीं है। इस वर्ष भारत सरकार द्वारा ई. सी ग्रेड तथा कामर्शियल दोनों प्रकार के एल्युमिनियम का आयात किया गया था, और विभाग के पास जितने भी आवेदन आयातित माल के लिए प्राप्त हुये, सभी को अभिशंसा की गई। यह वितरण प्रणाली भारत सरकार की है, अतः राज्य सरकार द्वारा प्रणाली में परिवर्तन संभव नहीं है।

(2) जैसा कि प्रश्न के भाग 1 में स्पष्ट किया जा चुका है, वितरण राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निश्चित आयातित माल को की गई अभिशंसा सदन के पटल पर रख दी गई है।

ई० सी० ग्रेड एल्युमिनियम काम में लेने वाले कन्डक्टर्स इकाइयों की सूची जिनकी निर्धारित उत्पादन क्षमता विकास आयुक्त लघु उद्योग, भारत सरकार को भेजी गई है।

क्र.सं.	इकाई का नाम	उत्पादन क्षमता का निर्धारण
1	2	3
1.	मै. ट्यूब्स एण्ड वार्स, 975, सरदारपुरा, जोधपुर	514.50
2.	मै. राज० वायर प्रोडक्टस, 36, सुदर्शनपुरा इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर	619.72

Page No 328

(328)

1	2	3
3.	मै. फरस प्रा०लि०, नई आबादी, बांसवाडा	1027.33
4.	मै. मुरारका एण्टरप्राईजेज, 11 वी, बल्लभनगर, कोटा	514.50
5.	मै. महावीर कंडक्टर्स, हैदर बिल्डिंग, सोजती गेट, जोधपुर	514.50
6.	मै. केबल कंडक्टर्स प्रा० लि०, भंवर निवास, 5 लालन गली, डिग्गी मोहल्ला, ब्यावर	619.72
7.	मै. गेल्डा इण्डस्ट्रीज, धूलेश्वर बाग, सामोद, हाउस, जयपुर	514.50
8.	मै. अमर केबल्स, करतारपुरा, 22 गोदाम, जयपुर	514.50
9.	मै. न्यू ऐज केबल कंपनी, अम्बर रोड, जयपुर	886.41
10.	मै. लक्ष्मण प्रा०लि०, 36 ए, सुदर्शनपुरा इण्ड० एरिया, जयपुर	619.72
11.	मै० जै० केबल्स प्रा०लि०; पो०. झूथा; वाया रायपुरा, पाली	642.59
12.	मै० ओसवाल केबल्स प्रा०लि०, 139 इण्ड० एरिया, जयपुर	619.72
13.	मै० मेटल एक्सटोरियस, जयपुर	514.50
14.	मै० इण्डो-इंजीनियरिंग (कोटा) प्रा०लि०, कोटा	930.51
15.	मै० न्यू इण्डिया इलेक्ट्रिकल एण्ड कंपनी प्रा०लि०, इण्ड०एरिया, जयपुर	370.00
16.	मै० ऋषभ कडक्टस, भीलवाड़ा	क्षमता निर्धारण नहीं हुई
17.	मै० अशोका इजी० वर्क्स, जयपुर	क्षमता निर्धारण नहीं हुई
18.	मै० वायर वे इण्डिया, बी-142, अलवर	क्षमता निर्धारण नहीं हुई

इस वर्ष आयातित एल्युमिनियम (ई०सी० ग्रेड) एवं आयातित कार्मशिलय ग्रेड एल्युमिनियम कार्य में लेने वाली इकाईयों की सूची जिनकी सिफारिश विकास आयुक्त, लघु उद्योग, भारत सरकार को भेजी गई है :—

आयातित ई०सी० ग्रेड एल्युमिनियम			आयातित कार्मशियल ग्रेड एल्युमिनियम		
क्र. सं.	इकाई का नाम	मात्रा मै०टन	क्र. सं.	इकाई का नाम	मात्रा म०टन
1.	मै० महावीर कंडक्टर्स, हैदर बिल्डिंग सोजती गेट, जोधपुर	90	1.	मै० विजय उद्योग, जोधपुर	10
2.	मै० टयब्स एण्ड बार्स, जोधपुर	160	2.	मै० जिमको इण्ड, जोधपुर	13
3.	मै० केबल कंडक्टर्स प्रा०लि०, ब्यावर	20	3.	मै० जोधपुर जिमको मेटल वर्क्स, जोधपुर	13
4.	मै० जैन केबल्स प्रा०लि०, झूथा, पाली	90	4.	मै० अरुण मेटल इ., सादुलपुर	10
5.	मै० पारस प्रा०लि०, बांसवाडा	20	5.	मै० अग्रवाल मेटल इ., धोलपुर	20
6.	मै० न्यू इण्डिया इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, जयपुर	370			

राज्य को प्रति वर्ष कोयले की प्राप्ति

566. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोयला प्रति वर्ष राज्य सरकार को, भारत सरकार से कितना मिल रहा है ? गत 1971 से 1977 तक राज्य सरकार को प्रति वर्ष कितना कोयला प्राप्त हुआ ?

(2) कोयले की कमी वर्ष 1978 में रहने के क्या-क्या कारण हैं ?

(3) कोयले की आवश्यकता वर्ष 1979, 1980, 1981, 1982 में कितनी रहेगी ?

(4) राज्य सरकार ने क्या भारत सरकार को कोयले की भावी आवश्यकता के बारे में सूचित कर दिया है ? अगर हां, तो कब ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राज्य में कोल/कोक राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा वर्ष 1974 से लाया जा रहा है। इसके पूर्व कोयला एजेंटों के माध्यम से लाया जाता था जिसकी सूचना उपलब्ध नहीं है। वर्ष 1975 से 1977 तक उद्योगों के लिए प्राप्त कोयले की सूचना निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्टीम कोल	बी.एच. हार्डकोक	स्लैक कोल
1975	5182 वेगन	741	457
1976	7018 वेगन	1113	2066
1977	7218 वेगन	328	4236

(2) कोयले की कमी के कारण उद्योगों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। 1200 वेगन प्रति माह स्टीम कोल राज्य के लिये निर्धारित है परन्तु निकास रेलवे द्वारा अधिक नहीं हो पाता। राज्य में उद्योगों का विकास हो रहा है एवं कोयले की मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस वर्ष पूर्वी भारत में बाढ़ के कारण भी कोयले की निकासी पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

(3) भविष्य में कोयले की आवश्यकता का अनुमान निम्न प्रकार है :—

वर्ष	स्टीम कोल	बी.एच.हार्ड कोक
1979	24200 वेगन	1100 वेगन
1980	25200 वेगन	1300 वेगन
1981	27000 वेगन	1500 वेगन

बी०पी०	स्लैक कोल	ब्रिजकोल
500	7500	2000
700	8500	2200
900	10000	2500

(4) अगले वर्ष की आवश्यकता हेतु भारत सरकार को अभी सूचित नहीं किया गया है। समय रहते कर दिया जायेगा।

राज्य में कच्चे माल का वितरण करने वाली संस्थायें

567. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की कितनी सरकारी

(श्री माधोसिंह कछवाह)
अर्द्ध-सरकारी और निगम आदि संस्थायें कच्चे माल का वितरण औद्योगिक इकाईयों को कर रही है ?

(2) ऐसी संस्थायें कब से कार्य कर रही हैं ? प्रत्येक कितने घाटे या लाभ में हैं ?

(3) कम से कम कितना प्रतिशत ग्रोस प्रोफिट और अधिक से अधिक उद्यमियों से किया गया ?

उत्तर

(1) राजस्थान की औद्योगिक इकाईयों को कच्चे माल का वितरण राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा किया जाता है ।

(2) राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना दिनांक 3 जून, 1961 को हुई थी । वर्षवार लाभ-हानि का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

वर्ष	लाभ	हानि
1	2	3
1961-62	1,06,914	—
1962-63	21,297	—
1963-64	1,16,316	—
1964-65	3,02,041	—
1965-66	1,85,615	—
1966-67	2,93,173	—
1967-68	—	2,60,733
1968-69	9,18,142	—
1969-70	14,07,793	—
1970-71	16,76,036	—
1971-72	15,50,109	—
1972-73	16,47,535	—
1973-74	22,31,056	—
1974-75	2,86,198	—
1975-76	—	26,67,381
1976-77	—	12,13,587
1977-78	—	3,00,000 (अनुमानित)

(3) गत तीन वर्षों से निगम लाभ की स्थिति में नहीं है । लाभ हानि की वर्षवार स्थिति प्रश्न -2 के उत्तर से दर्शाई जा चुकी है ।

जोधपुर में कच्चे माल के स्टाक यार्ड की स्थापना

568. **श्री माधोसिंह कछवाह** (सरदारपुरा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर में कच्चे माल का स्टाक यार्ड नहीं है ?

(2) अगर हां, तो राज्य सरकार उद्यमियों की सहूलियत के लिये जोधपुर में कच्चे माल को वितरण करने के लिये कब स्टाक यार्ड जल्द से जल्द चालू करना चाहेगी ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां । जोधपुर में कच्चे माल का स्टाक यार्ड नहीं है ।

(2) जोधपुर में कच्चे माल का स्टाक यार्ड खोलने के सम्बन्ध में इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० से सम्पर्क किया गया है और उनके पत्र अनुसार इस कार्य हेतु सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(उद्योग मन्त्री)

सर्वेक्षण पूर्ण होने पर स्टाक यार्ड खोलने हेतु उपरोक्त कम्पनी को लिखा जा सकेगा।

भीलवाड़ा जिले की कोआपरेटिव फार्मिंग सोसायटीज में गबन के मामले

569. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले में इस समय कितनी को-आपरेटिव फार्मिंग सोसायटी बनी हुई हैं ?

(2) इन समितियों ने कितना-कितना ऋण कहां-कहां से प्राप्त किया व कब-कब ?

(3) क्या यह सही है कि ये सभी समितियां भारी नुकसान में चल रही हैं ? यदि हां, तो इन समितियों को लिक्विडेट करने बाबत राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) इन समितियों में अब तक कितना-कितना घाटा हुआ ?

(5) क्या राज्य सरकार को इन समितियों के गबन के बाबत अभी तक कोई रिपोर्ट मिली है ? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में इस समय कुल 33 कोआपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज बनी हुई हैं।

(2) इन समितियों में कितना-कितना ऋण कब-कब व कहां-कहां से प्राप्त किया है उसकी सूची संलग्न है। परिशिष्ट 'क'

(3) जी नहीं, इनमें से 19 समितियों में नुकसान हुआ है।

(4) सूची संलग्न है। परिशिष्ट 'ख'।

(5) जी हां, राज्य सरकार को इनमें कुल 6 समितियों में गबन एवं दुरुपयोग के मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जा रही है। 3 समितियों से पूरी वसूली की जा चुकी है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'ग' में अंकित है।

परिशिष्ट "क"

बकाया ऋण की सूचना कृषि सहकारी समितियों की 30-6-78

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	ऋण लेने का वर्ष	केन्द्रीय सहकारी बैंक	पंचायत समिति	राज्य सरकार	अन्य मार्क
1	2	3	4	5	6	7
1.	नाहरी संयुक्त कृषि सहकारी समिति	63–64	—	2068	1265	—
2.	जासोरिया सामूहिक कृषि सहकारी समिति	65–66	1274	—	—	—
3.	आसीन्द सामूहिक कृषि सहकारी समिति	63–64	—	4691	—	—
4.	बडलियास सामूहिक कृषि सहकारी समिति	64–65	30100	16005	4000	—
5.	हरिधामबडला सामूहिक कृषि सहकारी समिति	62–63	—	13460	—	—
6.	मांडलगढ संयुक्त कृषि सहकारी समिति	64–65	7300	—	—	—
7.	मांडलगढ नं० 2 सामूहिक कृषि सहकारी समिति	63–64	—	2993	—	—
	अवसायनाधीन					
8.	होडा संयुक्त कृषि सहकारी समिति	62–63	—	4612	7750	—
9.	लाडपुरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति	62–63	—	3239	—	—
10.	करलाव संयुक्त कृषि सहकारी समिति	62–63	—	1700	—	—
11.	पोटला संयुक्त कृषि सहकारी समिति	रेकार्ड अनुपलब्ध है जिसे प्राप्ति की कार्यवाही अधिनियम की धारा 37 की अन्तर्गत जारी है।				

12.	बडलियास संयुक्त कृषि सहकारी समिति	62–63	—	33149	4000	—
13.	गेगाकाखेडा संयुक्त कृषि सहकारी समिति	63–64	—	6500	—	450
14.	सिंगपुरा संयुक्त कृषि सहकारी समिति	64–65	3000	—	—	—
15.	खामोर संयुक्त कृषि सहकारी समिति	64–65	—	15500	—	—
16.	शिवनगर संयुक्त कृषि सहकारी समिति	64–65	8000	1000	—	—
17.	कोटडी संयुक्त कृषि सहकारी समिति (हुरडा पं. सं०)	64–65	—	4000	—	1525
18.	उम्मेदपुरा सामूहिक कृषि सहकारी समिति	64–65	—	1913	—	—
19.	कोटडी सामूहिक कृषि सहकारी समिति	63–64	—	3800	—	1200
20.	बेमाली सामूहिक कृषि सहकारी समिति	63–64	—	—	3986	—

334

परिशिष्ट 'ख'

हानि में चल रही कृषि समितियों की सूची

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	30-6-78 तक की हानि राशि
1.	जासोरिया सामूहिक कृषि सहकारी समिति	131
2	आसीन्द • " "	4808
3.	हरिघाम बडला " "	23108
4.	भीमपुरा " "	3180
5.	बडलियास " "	16178
6.	माण्डलगढ नं. 2 " "	8314
7.	मांडलगढ़ संयुक्त कृषि सहकारी समिति	1996
8.	बिजोलियां " "	2827
	अवसायनाधीन समितियां	
9.	खामोर संयुक्त कृषि सहकारी समिति	13083
10.	शिवनगर " "	3428
11.	बडलियास " "	16687
12.	गेगाका खेडा " "	3213
13.	सिंगपुरा " "	712
14.	कोटडी " " (हुरडा)	447
15.	पोटलां " "	रेकार्ड अनुपलब्ध है। कार्यवाही जारी है।
16.	खेमाली सामूहिक कृषि सहकारी समिति	1471
17.	अगरपुरा " "	2526
18.	**कोटडी** " "	1063
19.	उम्मेदपुरा " "	1171

परिशिष्ट 'ग'

गबन एवं दुरुपयोग के मामले

क्रमांक	नाम सहकारी समिति	गबन की राशि	की गई कार्यवाही
1.	उम्मेदपुरा सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०	31465I–	मामले में अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर आदेश क्रमक 7319 दि. 25-7-74 द्वारा दर्शाई राशि का उत्तरदायित्व समिति पदाधिकारी पर निश्चित किया गया, जिसकी अपील अतिरिक्त रजिस्ट्रार के स्तर पर चल रही है ।
2.	आसीन्द सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०	3025I95	मामले में अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही कर राशि वसूल की जा चुकी है ।
3.	कल्याणपुरा सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०	1300I–	,, ,, ,,
4.	करलाव सामूहिक कृषि सहकारी समिति लि०	475I–	,, ,, ,,
5.	होडा संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	4549I–	मामले में अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही कर आदेश दिनांक 22-4-77 को जारी किया गया लेकिन वसूली सहकारिता प्रसार अधिकारी का पद रिक्त होने से नहीं हो सकी क्योंकि राशि वसूल कर पंचायत समिति में ही जमा करवाई जानी है ।
6.	बहलियास संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि०	21600I–	यह मामला अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत दिनांक 1-8-72 को निर्णित किया गया तथा निर्णय के अनुसार दोषी समिति के पदाधिकारी की ओर रु० 62547I93 का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया । इस आदेश के विरुद्ध अपील की गई एवं मामले में अपील के परिणाम-स्वरूप 21600I– की राशि के लिये पुनः सुनवाई करने हेतु दि. 29-7-76 को केस रिमान्ड किया गया । दोषी व्यक्ति द्वारा मामले में 40947I93 रुपये जमा करवाये जा चुके हैं, शेष के लिये पुनः सुनवाई जारी है ।

भरतपुर-सवाई माधोपुर जिलों में सहकारी बैंकों की बकाया वसूली

570 श्री शिवचरण सिंह (बयाना) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों की केन्द्रीय सहकारी बैंक व भूमिबन्धक बैंक की कितनी वसूली बकाया है ?

(2) क्या ये सारी बकाया राशि इस वर्ष वसूल हो जायेगी ?

(3) इस राशि में से कितनी राशि राज्य सरकार माफ करना चाहती है ?

(4) क्या राज्य सरकार राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण वसूली में सख्ती नहीं कर रही है ?

(5) क्या राज्य सरकार उक्त बैंकों के अध्यक्षों के गलत कामों की भी जांच करा रही है ?

उत्तर

(1) भरतपुर व सवाई माधोपुर जिलों की केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं भूमि विकास बैंकों की बकाया वसूली की स्थिति दिनांक 31-8-78 को निम्न प्रकार थी :-

1. **केन्द्रीय सहकारी बैंक (रु. लाखों में)**

(अ) स० माधोपुर केन्द्रीय स. बैंक लि.	127.26
(ब) भरतपुर केन्द्रीय स. बैंक लि.	713.77

2. **भूमि विकास बैंक :—**

(अ) स० माधोपुर भूमि विकास बैंक लि.	20.71
(ब) हिन्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लि०	7.61
(स) भरतपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०	249.00
(द) धौलपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि०	244.17

(2) वसूली करने का प्रयास किया जायेगा।

(3) राज्य सरकार द्वारा कोई हैं ऋण राशि माफ करने का प्रस्ताव इस वर्ष नहीं है

(4) बकायात की वसूली पूर्व वर्षों की अपेक्षा अधिक हुई है ।

(5) भूमि विकास बैंक सवाई माधोपुर और हिन्डौन तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक सवाई माधोपुर और भरतपुर के भूतपूर्व अध्यक्षों के गलत कामों की जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

कोटड़ी कृषक सेवा संस्थान, सवाईपुर की पंचायतों को बड़ौदा बैंक से ऋण

571. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डल): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कोटड़ी कृषक सेवा संस्थान नाम से सवाईपुर (कोटड़ी) में बड़ौदा बैंक की तरफ से दस पंचायतों को कर्ज देने का काम प्रारम्भ किया है ?

(2) क्या यह सही है कि इस संस्था में एक नामजद बोर्ड काम करता है ?

(3) क्या यह सही है कि उसका कार्यकाल जून, 1978 को समाप्त हो चुका है ? यदि हां, तो नये चुनाव क्यों नहीं किए गए ?

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

(4) क्या चुनाव होने तक नये बोर्ड को राज्य सरकार नामजद करेगी ताकि काम सुचारु रूप से तेज चल सके ?

(5) क्या यह सही है कि इस संस्था में संबंधित विधायक को भी बोर्ड में सदस्य नामजद करने का प्रावधान है ? यदि नहीं, तो क्या इस वर्ष प्रावधान करेंगे ताकि वह भी इसकी देख-रेख कर सकें कि जिन्हें कर्ज दिया जा रहा है उससे लाभ भी मिल रहा है या नहीं?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां । राज्य सरकार ने चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिये हैं ।

(4) जी हां ।

(5) जी नहीं । कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना संभव नहीं है ।

सहकारी समितियों में प्रतिनियुक्तियों पर लगाये गये व्यवस्थापक

572. श्री **हरिकृष्ण** (नदवई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों में व्यवस्थापक प्रतिनियुक्ति पर लगाये जा रहे हैं और बैंकों के व्यवस्थापक पहिले से लगाये हुए हैं तथा काम भी दोनों का एक सा है ? यदि हां, तो फिर भी दोनों के वेतन व अन्य सुविधाओं में अन्तर क्यों है ? क्या राज्य सरकार इस अन्तर को मिटाने का सोच रही है ?

(2) क्या यह सही है कि व्यवस्थापक को राज्य सरकार ने रकम रखने व लाने व ले जाने के अधिकार दिये हैं ? यदि वह रकम खुर्दबुर्द कर दें तो उसकी क्या गारन्टी है ?

(3) क्या जब व्यवस्थापक को वेतन समिति देती है तो उसे समिति का कर्मचारी माना जाये या बैंक का ? यदि बैंक का माना जाता है तो बैंक कर्मचारियों के अनुसार उनको वेतन व अन्य सुविधायें क्यों नहीं दी जाती हैं ?

उत्तर

(1) प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों में सामान्यतया व्यवस्थापक प्रतिनियुक्ति पर नहीं लगाए जाते । संस्थाओं के मांगे जाने पर केवल कुछ में लगाये गये हैं ।

प्रतिनियुक्ति कर्मचारी को वेतन व अन्य सुविधाएं प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार दी जाती हैं ।

शेष व्यवस्थापकों को वेतन इत्यादि कृषि ऋणदात्री स. स. के व्यवस्थापकों के लिये निर्मित चयन, नियुक्ति एवं सेवा नियम, 1977 के अनुसार दिये जाते हैं । नियमों के अन्तर्गत पद तथा वेतन शृंखला भिन्न होने के फलस्वरूप अन्तर स्वाभाविक है । वेतन आदि का अन्तर मिटाना सम्भव नहीं है ।

(2) जी हां, रकम खुर्दबुर्द होने की दशा में फिडिलिटी गारंटी और विभिन्न प्रभावी कानून के अन्तर्गत राशि वसूल की जा सकती है ।

(सहकारिता मंत्री)

(3) व्यवस्थापक सेवा नियम, 1977 के अन्तर्गत आने वाले व्यवस्थापक बैंक कर्मचारी न होकर राजस्थान को-आपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन्स केडर आथोरिटी लि; जयपुर के कर्मचारी हैं अतः बैंक कर्मचारियों के अनुसार सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं।

भनोखर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक की हत्या

573. श्री **हरिकृष्ण** (नदबई) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा भनोखर ग्राम सेवा सहकारी समिति, पं. स. कठूमर की हत्या होने पर उक्त व्यवस्थापक के परिवार को कितनी सहायता दी गई? यदि नहीं, तो क्यों, जब कि उसकी हत्या ड्युटी पर होते हुये की गई थी?

(2) क्या भविष्य में राज्य सरकार उनके परिवारजनों को कुछ सहायता दिलाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) श्री राजेन्द्र सिंह की हत्या का मामला पुलिस में जेर तफसीस है। ड्युटी पर होते हुए हत्या होने पर परिवार को सहायता देने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) ऐसा कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं में प्रशासक की नियुक्ति

574. **श्री राम नारायण चौधरी** (बिलाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों के अलावा शेष सभी ऋणदात्री सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडलों को भंग कर प्रशासक नियुक्त कर दिये हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार भूमि विकास बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मिलाकर एक ही एजेन्सी जिलों तथा राज्य स्तर पर गठित करना चाहती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या राज्य सरकार इन संस्थाओं के चुनाव कराने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या राज्य सरकार यह ठीक समझती है कि जनप्रतिनिधि इन संस्थाओं का संचालन नहीं करें और नौकरशाही के हाथों ही इनकी देख-रेख हो? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं, तो फिर ऐसी व्यवस्था क्योंकर की गई है?

उत्तर

(1) जी हां। ऋणदात्री सहकारी समितियों के पुनर्गठन हेतु भंग किया है।

(2) जी हां। प्रक्रिया जारी है।

(3) जी हां। पुनर्गठन की प्रक्रिया के पश्चात्।

(4) जी नहीं। ऐसी व्यवस्था प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समितियों के पुनर्गठन एवं भूमि विकास बैंकों तथा सहकारी बैंकों के पुनर्गठन हेतु की गई है।

Page No 339

339

सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, सिरोही में मैनेजर के पद पर नियुक्ति

575. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही जिला सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत व्यक्ति को किन-किन नियमों के आधार पर नियुक्त किया गया है ?

(2) उक्त व्यक्ति की पोस्टिंग कब और किस पद पर हुई और उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है ?

(3) क्या वह सहकारी विभाग का व्यक्ति है या केन्द्रीय बैंक से संबंधित है ?

उत्तर

(1) सिरोही सैंट्रल को-आपरेटिव बैंक लि. की आवश्यकता को देखते हुये राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि० के प्रबन्ध संचालक के आदेश क्रमांक 2985, दिनांक 2-8-76 के द्वारा श्री गजेन्द्रसिंह को व्यवस्थापक, प्रधान कार्यालय के पद पर लगाया गया है ।

(2) नियुक्त व्यक्ति श्री गजेन्द्रसिंह की शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक है व पोस्टिंग का विवरण निम्न प्रकार है:—

(क) राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक लि. में लिपिक पद पर नियुक्ति दिनांक 19-11-59 ।

(ख) सहायक लेखाकार के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 3-5-66 ।

(ग) सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 15-5-69 ।

(घ) मैनेजर, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० सिरोही के पद पर पदोन्नति आदेश दिनांक 2-8-76 ।

(3) मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा व्यक्ति दी राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक का अधिकारी है । विभाग एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक के नहीं हैं ।

जालौर भूमि विकास बैंक द्वारा बाड़मेर की भूमि के सहारे ऋण

576. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जालौर भूमि विकास बैंक द्वारा बाड़मेर जिले में बाड़मेर की राजस्व भूमि के सहारे किसी व्यक्ति को पैच्चास हजार का कर्ज दिया गया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी व्यक्ति ने बालोतरा भूमि विकास बैंक, जोधपुर भूमि विकास बैंक और पाली भूमि विकास बैंक से कर्जा लिया है और जमीन एक ही है?

उत्तर

(1) प्रश्न में व्यक्ति का नाम न होने से सूचना देना संभव नहीं है ।

(2) प्रश्न में व्यक्ति का नाम न होने से सूचना देना संभव नहीं है ।

बून्दी जिले में शुगर मिल की स्थापना

577. श्री **माणकलाल ठाकोर** (नैनवा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने

349

(श्री माणकलाल ठाकोर) की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही नहीं है कि कोटा में मंत्रिमंडल द्वारा बून्दी जिले में एक और शुगर मिल की स्थापना की घोषणा की गई थी ?

(2) राज्य सरकार उक्त शुगर मिल की स्थापना का कार्य कब तक चालू कर देगी ?

(3) राज्य सरकार ने बून्दी जिले के कृषकों का संपूर्ण गन्ना उठाने के संबंध में क्या-क्या सुधार करने का निश्चय किया है ?

उत्तर

(1) जी हां। बून्दी जिले में सहकारी क्षेत्र में दूसरा कारखाना स्थापित करने के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिया गया था।

(2) अभी केन्द्रीय सरकार से अनुज्ञा-पत्र (लाइसेन्स) नहीं मिला है। पत्र व्यवहार चल रहा है।

(3) मामला विचाराधीन है ।

राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव

578. **श्री माणकलाल ठाकोर** (नैनवा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव कब तक करा लिये जायेंगे ?

उत्तर

राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनाव शीघ्र ही कराये जाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

सहकारी निरीक्षकों की गृह जिले में नियुक्ति

579. **श्री हनवन्त सिंह राणावत (बाली)**: क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या राज्य सरकार द्वारा यह तय किया गया है कि सहकारिता निरीक्षक (को-आपरेटिव इंस्पैक्टर) को उनके गृह जिलों में नहीं रखा जायेगा ? यदि हां, तो नीति विरुद्ध पाली जिले में ऐसे निरीक्षकों की संख्या कितनी है जिन्हें गृह जिला होने पर भी नहीं हटाया गया और क्यों ?

उत्तर

राज्य सरकार सामान्यतया सहकारिता निरीक्षकों को उनके गृह जिले में नियोजित करना उचित नहीं समझती ।

जहां तक पाली जिले में सहकारिता निरीक्षकों के उनके स्वयं के गृह जिले में नियोजित रहने की स्थिति का प्रश्न है, वस्तुतः स्थिति निम्न प्रकार है:–

(क) पाली जिले में केवल एक ऑडिट निरीक्षक पाली जिले का रहने वाला नियोजित है। जिले सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, पाली का कोन्करेन्ट आडिटर होने के कारण बैंक का आडिट पूर्ण होने तक के पाली में रखा गया है ।

(ख) वर्तमान में पाली जिले में सहकारिता प्रसार अधिकारियों को छोड़ कर जिला नियोजन एवं स्थानान्तर विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा किया जाता है, कोई निरीक्षक (कार्यकारी) नियोजित नहीं है जिसका गृह जिला पाली हो ।

जालौर, सिरोही, पाली व बाड़मेर में सहकारी समितियों को बकाया

580. **श्री रघुनंदन व्यास** (सिरोही) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जालौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर में कितनी सहकारी समितियां ऐसी हैं जिनमें पांच वर्षों से ऊपर बकाया राशि पच्चीस हजार से ऊपर है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इसमें से कितनों के खिलाफ धारा 74 सहकारी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या इसका कारण यह भी है कि विशेषकर सिरोही जिले में पंचायत स्तर की सहकारी समितियों को तोड़कर उसको मनमाने ढंग से मिलाना है और इसके कारण सहकारी समितियों की स्थिति भी अव्यवस्थित हो गई है ?

(4) क्या सहकारी विभाग इस राशि को वसूल करना चाहता है या बट्टे खाते में डालने का इरादा रखता है ?

उत्तर

(1) जालौर, पाली, बाड़मेर में ऐसी 17 समितियां हैं । सूची संलग्न है। सिरोही जिले की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(2) इन समितियों में से जालौर, पाली, बाड़मेर की 7 समितियों के खिलाफ धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है शेष में गबन व दुरुपयोग के मामले नहीं हैं सिरोही की सूचना एकत्रित की जा रही है । अवधिपार बाकायात की वसूल धारा 117-118 के तहत की जाती है ।

(3) जी नहीं ।

(4) नियमानुसार शीघ्र वसूली किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

सूची समिति

क्र०सं० 1	नाम समिति 2	नाम जिला 3
1.	सणाऊ ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, सणाऊ	बाड़मेर
2.	बीसासर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, बीसासर	बाड़मेर
3.	पुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, पुर	जालौर
4.	बावरला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, बावरला	जालौर
5	कोडका ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, कोडका	जालौर
6	कूका ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, कूका	जालौर
7	करड़ा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, करड़ा	जालौर
8	राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाइज सहकारी समिति लि०	जालौर

342

(सहकारिता मन्त्री)

1	2	3
9.	इटावा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०	जालौर
10.	दयालपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, दयालपुरा	पाली
11.	खान्डी ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, खान्डी	पाली
12.	चोटीला ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, चोटीला	पाली
13.	सारण ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, सारण	पाली
14.	रामदेव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, बिराठिया खुर्द	पाली
15.	आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, खारिया नीम	पाली
16.	शिव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, सिसरवादा	पाली
17.	सोजत चक नं० 1 एवं 2 ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, सोजत	पाली

ग्राम सेवा सहकारी समिति तलाव (कोटा) में गबन

581. श्री हीरा लाल आर्य (पीपल्दा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, तलाव, जिला कोटा में हुए गबन एवं घोटाले की जांच कराई गई थी? यदि हां, तो जांच अधिकारी ने अपनी जांच में कितने रुपये का गबन बताया? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त जांच में आगे क्या प्रगति हुई?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही कर किसानों को शीघ्र राहत प्रदान करेगी?

(4) जांच अधिकारी की रिपोर्ट के बाद भी कार्यकारिणी को भंग कर प्रशासक नियुक्त नहीं करने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) जी हां। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में रुपये 3,35,419.70 पैसे का गबन एवं दुरुपयोग होना दर्शाया है। जांच रिपोर्ट की आंशिक प्रति संलग्न है।

(2) जांच पूर्ण हो चुकी है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है।

(3) कार्यवाही चल रही है।

(4) प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है।

(सहकारिता मन्त्री)

तलाव ग्राम सेवा सहकारी समिति लि०, जिला कोटा जांच प्रतिवेदन का आंशिक प्रतिवेदन

उत्तरदायित्वों का निर्धारण

समिति की जांच रिपोर्ट में पाई गई गबन व दुरुपयोग की राशियों के उत्तरदायित्व का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:—

(1) श्री प्रभूलाल, पुत्र केसरी लाल महाजन, तलाव, भू. पू. मंत्री :

जांच प्रतिवेदन में श्री प्रभूलाल, भू.पू. मंत्री को निम्न राशि के लिये दोषी पाया गया है:-

क्र. सं०	वर्ष	जांच प्रतिवेदन की पृष्ठ संख्या	राशि	संक्षिप्त विवरण
1	2	3	4	5
1.	71-72	17	4000–00	गोदाम निर्माण
2.	71-72	18	4212–50	खाद के स्टोक की राशि
3.	72-73	20	495–00	ब्याज की राशि स्टोक खाद वर्ष 72-73
4.	71-72	21	398–75	ऋण वसूली की राशि
5.	75-76	26	1500–00	यात्रा व्यय भुगतान
6.	75-76	27	22500–00	गोदाम निर्माण
7.	74-75	75	4837–09	सदस्यों द्वारा अस्वीकार ऋण
		योग ..	37943.34	

उपरोक्त राशियों के अतिरिक्त श्री प्रभूलाल, मंत्री द्वारा निम्न सदस्यों से राशि के वसूली किये जाने संबंधी मामलें विवादग्रस्त पाये गये हैं। जिसकी वसूली भी उसे किया जाना भी वांछनीय है विवरण इस प्रकार है :——

1. श्री गोपाल पुत्र वासी, सञ्जीपुरा की बकाया राशि 2483–00 एवं ब्याज
2. श्री विधा पुत्र गोधान मना, सञ्जीपुरा की बकाया राशि 500–00 व ब्याज
3. श्री कल्याण/ गोर्धन मीना, सञ्जीपुरा की बकाया राशि 280–00 व ब्याज

इस प्रकार इस राशि को जोड़ने पर श्री प्रभूलाल, भू. पू. मंत्री समिति पर 40908-34 की राशि का दायित्व निर्धारित किया जाता है।

(३४४)

(सहकारिता मन्त्री)

(2) श्री प्रेमशंकर पुत्र प्रभूलाल महाजन, तलाव, वर्तमान मंत्री :

समिति के वर्तमान मंत्री, श्री प्रेमशंकर को समिति की निम्न राशियों के लिये दोषी पाया गया है:—

1	2	3	4	5
1.	76-77	30	2561–40	क्रय-विक्रय से अमानत वापिस
2.		40	28–00	गेहूं की वसूली राशि
3.		51-52	6790–00	चूना खरीद गोदाम निर्माण
4.		52	7840–00	रेता खरीद
5.		52	1500–00	मिट्टी खरीद
6.			7585–00	पत्थर खरीद
7.		54-55	1559–00	मुतवर्ति व्यय गोदाम निर्माण
8.		55	346–00	अग्रिम भुगतान
9.		56	150–00	भुगतान बेलदार
10.		56	2661–00	बेलदारों का भुगतान
11.		56	2368–00	बेलदारों का भुगतान
12.		57	27000–00	अमानत वापसी एवं अग्रिम भुगतान
13.		62-63	1417–00	चूना खरीद व ट्रक भाड़ा
14.	77-78	70-71	63903–00	अमानत वापसी एवं अग्रिम राशियां
15.		76-77	43933–00	सदस्यों द्वारा अस्वीकार ऋण
16.		80-81	13150–00	अनियमित ऋण वितरण
17.		83-84	7655–00	सीमेन्ट की चद्दरों के स्टोक की राशि
18.	76-77	84-85	1912–00	सामान डैड स्टोक
19.		91-92	500–16	कान्हा पुत्र राम बक्श की वसूली की राशि
20.		92	92–00	रघुनाथ पुत्र शंकरलाल के खाद की राशि
21.		95	408–00	राधाबल्लभ पुत्र बजरंगलाल की वसूली की राशि।
		योग ..	193259–20	

(3) श्री प्रेमशंकर, मंत्री एवं श्री मुकुटबिहारी सक्सेना, व्यवस्थापक :

श्री प्रेमशंकर, मंत्री एवं मुकुटबिहारी सक्सेना, व्यवस्थापक निम्न राशियों के लिये

(सहकारिता मंत्री)

संयुक्त रूप से दोषी पाये गये:—

1	2	3	4	5
1.	76-77	30-31	5663-00	अमानत हिस्सा राशि, वापसी की [illegible]
2.	76-77	32-33	5092-00	मुतफर्रिक व्यय
3.	76-77	34	400-00	स्टेशनरी खरीद का फर्जी भुगतान
		योग ..	11153-54	

(4) श्री प्रेमशंकर, मंत्री व श्री सीताराम, कोषाध्यक्ष:

श्री प्रेम शंकर व श्री सीताराम, कोषाध्यक्ष निम्न राशियों के लिये संयुक्त रूप से दोषी पाये गये हैं:—

1. 77-78 71-72 3354-00 बिना स्वीकृति एवं प्राप्ति रसीद के गये।

(5) श्री सीताराम पुत्र रामसुख, तेली, तलाव, कोषाध्यक्ष:

श्री सीताराम पुत्र रामसुख, तेली, तलाव निम्न राशियों के लिये दोषी पाये गये हैं:—

1	2	3	4	5
1.	74-75	23	1600-00	फर्सी गोदाम निर्माण
2.	—	24	865-00	बिना वाउचर्स के भुगतान
3.	76-77	58-59	1000-00	चूना खरीद गोदाम
4.	77-78	73	905-95	तहवील की राशि
5.	77-78	69	115-50	बिना वाउचर्स एवं स्वीकृति के खर्च
6.	77-78	69	100-00	कम तोड़ी गई तहवील की राशि
7.	77-78	74	24-00	फर्जी भुगतानशुदा राशि
8.	75-76	75-76	29493-00	सदस्यों द्वारा अस्वीकार ऋण राशि
9.	75-76	81-82	6600-00	अनियमित ऋण वितरण राशि
		योग ..	40783-25	

(346)

(6) श्री प्रेमशंकर, मंत्री, सीताराम, कोषाध्यक्ष एवं श्री मुकुटबिहारी सक्सेना:

निम्न राशियों के लिये संयुक्त रूप से दोषी पाये गये हैं:—

1	2	3	4	5
1.	76-77	59-60	1130—00	चूना खरीद गोदाम निर्माण
2.	76-77	60	300—00	ट्रक भाड़ा चूना
3.	76-77	60-61	6000—00	मुकसर खरीद गोदाम निर्माण
4.	76-77	61	1500—00	किराया ट्रक मुकसर
5.	76-77	61	6000—00	सीमेन्ट खरीद
6.	76-77	62	300—00	कड़े व कुन्दा खरीद का फर्जी भुगतान
		योग	15230—00	

उपरोक्त राशियों में से क्रम संख्या 1, 3 व 5 पर अंकित राशियों का भुगतान श्री बृजमोहन नामा, व्यवस्थापक को किया गया है इसलिये उक्त राशियों का उत्तरदायित्व प्रबन्ध सभा के साथ-साथ श्री बृजमोहन नामा का भी आता है।

(8) केशरीलाल पुत्र देवालाल धाकड़, तलाव, अध्यक्ष:

श्री केशरीलाल पुत्र देवालाल धाकड़, तलाव द्वारा 65-76 में प्रतिवेदन के प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 26 पर 2000/- यात्रा व्यय की राशि उठाई गई इसलिये 2000/- की राशि के लिये दोषी पाये गये हैं।

(9) श्री बृजमोहन नामा, भू. पू. व्यवस्थापक:

श्री नामा जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 27 पर वर्ष 75-76 में बेलदारों को कराये गये 55) के अधिक भुगतान के दोषी पाये गये हैं।

(10) श्री मुकुटबिहारी सक्सेना, भू. पू. व्यवस्थापक:

श्री सक्सेना वर्ष 76-77 में जांच प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 47 पर 368.00 की राशि के स्पष्ट गबन करने के दोषी पाये गये हैं।

(11) क्रय-विक्रय सह. समिति, इटावा:

क्रय-विक्रय सह. समिति, इटावा के संबंधित कर्मचारी जिनके द्वारा वर्ष 76-77 में प्रतिवेदन के पृ. सं. 36–5 पर अंकित 188881.60 की राशि की ट्रांसफर एन्ट्री की है। राशियों की वसूली हेतु उत्तरदायी पाये गये हैं।

(सहकारिता मंत्री)

(12) श्री राधेश्याम गुप्ता, कैशियर व श्री मुकुट बिहारी सक्सेना, व्यवस्थापक :

निम्न राशियों के लियें संयुक्त रूप से दोषी पाये गये हैं:

1	2	3	4	5
1.	76-77	34-35	2570.17	क्रय-विक्रय व समिति के बैंक ऋण वसूली खाते की अन्तर राशि ।
2.	,,	39-40	192.00	गेहूं वसूली की राशि
3.	,,	41-44	1165.00	हिस्सा व जमानत वापसी की राशि
		योग ..	3947.17	

उपरोक्त राशियों में क्रम संख्या 3 पर अंकित 1185.00 में श्री प्रेमशंकर, मंत्री-जी सहयोगी रहे हैं। इसलिये उन पर भी उत्तरदायित्व माना जावे ।

(13) श्री राधेश्याम गुप्ता, कैशियर (सहा. व्यवस्थापक) :

निम्न राशियों के लिये दोषी पाये गये:—

1	2	3	4	5
1.	76-77	38-40	497.00	गेहूं की वसूली की राशि
2.	77-78	73	350.00	तहवील की राशि
3.	,,	84	30.10	चीनी स्टोक की छीजत
		योग ..	877.10	

(14) श्री बजरंगलाल, भू. पू. कोषाध्यक्ष:

श्री बजरंगलाल, भू. पू. अध्यक्ष प्रतिवेदन के पृष्ठ सख्या 64-65 में वर्णित 303.87 पैसे है, तहवील राशि के दोषी पाये गये हैं ।

(सहकारिता मंत्री)

(15) श्री शंभूलाल अग्रवाल; व्यवस्थापक :

निम्न राशियों के लिये दोषी पाये गये हैं:—

1	2	3	4	5
1.	77-78	65-66	196.00	बिन प्राप्ति रसीद किये गये खर्चे
2.	,,	66	267.05	बिना प्राप्ति रसीद किये गये खर्चे
3	,,	66	30.00	तहवील कम छोड़ी गई
4.	,,	67	120.00	बिना वाउचर्स एवं स्वीकृति के किये गये खर्चेजात ।
5.	,,	67	303.87	रोकड़ बाकी कम तोड़ी जाकर
6.	,,	68	303.93	रोकड़ बाकी कम तोड़ी जाकर
7.	,,	68	60.00	रोकड़ बाकी कम तोड़ी जाकर
8.	,,	73	1230.00	तहवील राशि
9.	,,	85-86	218.75	सामान हैड स्टाक
		योग .	2729.60	

(16) श्री ओमप्रकाश शर्मा सहा. व्यवस्थापक :

वर्ष 77-78 में प्रतिवेदन के पृष्ठ संख्या 73 पर अंकित 180.00 की तहवील राशि रखने के दोषी पाये गये ।

इस प्रकार समिति में उक्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध निम्न राशियों के गबन व दुरुपयोग के मामले पायें गये हैं:—

क्र. सं.	नाम व्यक्ति	राशि
1	2	3
1.	श्री प्रभूलाल, भू. पू. मंत्री	40906.84
2.	श्री प्रेमशंकर, मंत्री	193259 20
3.	श्री प्रेम शंकर, मंत्री व भू. पू. व्यवस्थापक श्री मुकुट बिहारी सक्सेना	11155.64
4.	श्री प्रेमशंकर व सीताराम, कोषाध्यक्ष	3351.00

(सहकारिता मंत्री)

1	2	3
5.	श्री सीताराम कोषाध्यक्ष	40783.25
6.	श्री प्रेमशंकर, मंत्री, सीताराम, कोषाध्यक्ष, मुकुट बिहारी सक्सेना, भू. पू. व्यवस्थापक	15230.00
7.	श्री प्रबन्ध रामा	18392.40
8.	श्री केशरी लाल, अध्यक्ष	2000.00
9.	श्री बृजमोहन नामा, भू. पू. व्यवस्थापक	55.00
10.	श्री मुकुटबिहारी सक्सेना, भू. पू. व्यवस्थापक .. .	368.00
11.	श्री क्रय-विक्रय सह. समिति, इटावा . ..	1881.60
12.	श्री राधेश्याम, कैशियर (सहा. व्यवस्थापक) व मुकुटबिहारी सक्सेना, भू. पू. व्यवस्थापक	3947.00
13.	श्री राधेश्याम, कैशियर (सहा. व्यवस्थापक) .. .	877.10
14.	श्री बजरंगलाल, भू. पू. कोषाध्यक्ष ..	303.67
15.	श्री शंभूलाल अग्रवाल, भू. पू. व्यवस्थापक	2729.60
16.	श्री ओमप्रकाश शर्मा, सहा. व्यवस्थापक	180.00
	योग ..	335119.53

इस प्रकार समिति में उक्त दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध 335419.53 पैसा की राशियों के गबन व दुरुपयोग केस के मामले प्रकाश में आये हैं जिसकी संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अविलम्ब नियमानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

———

ज्ञानोदय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. पीपलिया कलां में गबन

582. श्री **हनुवन्त सिंह** (बाली), श्री **ईश्वर चन्द्र** (पिड़ावा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ज्ञानोदय ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., पीपलिया कलां में भारी घोटाले के बाद भी विभागीय कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभागीय जांच और कार्यवाही में विलम्ब किया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सदस्यों की लिखित मांग दिनांक 13-2-78 पर भी विभाग ने सदस्यों की भावना की उपेक्षा की है ?

(4) क्या यह सही है कि इस समिति में कार्यकारिणी का चुनाव पिछले लम्बे समय से नहीं हुआ है ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ ?

Page No 350

(350)

(सहकारिता मंत्री)

उत्तर

(1) जी नहीं। अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत जांच की जाकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अधिनियम की धारा 74 के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है तथा प्रबंध कारिणी को भंग करने के लिए अधिनियम की धारा 36 में नोटिस दे दिये हैं।

(2) जी नहीं। समिति द्वारा रेकार्ड उपलब्ध न कराये जाने के कारण विलम्ब हुआ।

(3) जी नहीं। दिनांक 13-2-78 को सदस्यों ने विभाग को लिखित में कोई शिकायत नहीं की है।

(4) प्राथमिक कृषि ऋण दात्री सहकारी समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु तथा तत्सम्बन्धी प्रावधान सहकारी समितियों के उपनियमों में करने हेतु सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन पर रोक लगाई गई है।

समराई ग्राम सेवा सहकारी समिति में गबन

583. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले की समराई ग्राम सेवा सहकारी समिति में तत्कालीन व्यवस्थापक, श्री बिरधीलाल द्वारा कितने रुपये का गबन किया गया है ?

(2) श्री बिरधीलाल के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) क्या इनकी जांच के कागजात में हेराफेरी करने के प्रयास हो रहे हैं ?

उत्तर

(1) झालावाड़ जिले की समराई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के तत्कालीन व्यवस्थापक, श्री बिरधीलाल द्वारा उक्त समिति में 114198.61 रुपये का गबन एवं दुरुपयोग करने का मामला सामने आया है।

(2) श्री बिरधीलाल को 4-5-78 से निलम्बित किया जाकर जांच कार्यवाही चल रही है। विभाग द्वारा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 74 के तहत कार्यवाही करने एवं पुलिस एफ. आई. आर. दर्ज करने के निर्देश दे दिये हैं।

(3) गबन एवं दुरुपयोग सम्बन्धित समस्त रेकार्ड स्पेशल आडिटर, सहकारी समितियां, कोटा खण्ड, कोटा के कार्यालय में सीज है। अतः हेराफेरी होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सहकारी समितियों में ऋण देने की दोषपूर्ण प्रणाली

584. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य की सहकारी समितियों में नकद रुपया देने की व्यवस्था क्या दोषपूर्ण व्यवस्था नहीं है ?

(2) क्या प्रत्येक सदस्य को चैक द्वारा रकम नहीं दी जा सकती है ?

(3) सारे राज्य में चैक द्वारा पेमेन्ट मिले ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा

(श्री निर्मल कुमार सकलेचा)
कब तक कर दी जायगी ?

उत्तर

(1) दोषपूर्ण व्यवस्था नहीं है । क्योंकि अधिकांश ग्रामीण अशिक्षित हैं, बैंकों की शाखाएं सब जगह नहीं हैं, और सदस्यों के बैंकों में खाते नहीं हैं ।

(2) वर्तमान परिस्थितियों में यह व्यवहारिक नहीं है ।

(3) निकट भविष्य में यह सम्भव नहीं है ।

सहकारी विभाग में निरीक्षक, प्रथम श्रेणी की वरिष्ठता सूची

585. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सहकारी विभाग द्वारा निरीक्षक, प्रथम श्रेणी की वरिष्ठता सूची जारी की गई एवं सहायक रजिस्ट्रार के पद पर वरिष्ठता सूची की वरियता क्रम तोड़कर कनिष्ठ निरीक्षकों को सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नत किया गया है ? यदि हां, तो उनके नाम, शैक्षणिक योग्यता मय चयन के कारणों के सदन के पटल पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

निरीक्षक, प्रथम श्रेणी की प्रोविजनल वरिष्ठता सूची विभाग के आदेश क्रमांक फा. 1 (6) सविरा।निशा।ब-3176-77, दिनांक 6-7-78 एवं क्रमांक फा. 3 (5) सविरा।निशा।आडिट।78 दिनांक 7-7-78 के द्वारा प्रसारित की गई है । इस वरिष्ठता सूची के प्रसारित करने के पहले ही निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी की वरिष्ठता सूची सहायक रजिस्ट्रार के पद पर पदोन्नति के लिये राज्य सरकार को भेज दी गई थी । पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी वरिष्ठता एवं योग्यता को देखते हुये की गई है । अतः वरिष्ठता सूची के क्रम को तोड़ने का प्रश्न पैदा ही नहीं होता ।

केन्द्रीय सहकारी बैंक, चित्तौड़गढ़ में धन का दुरुपयोग

586. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक में सन् 1972 से अब तक कौन-कौन अधिशाषी अधिकारी व ऋण निरीक्षक रहे हैं ?

(2) क्या यह सही है कि इन अधिकारियों के विरुद्ध बैंक के आडिट रिपोर्ट में सन् 1972 से आज तक भारी राशियां वसूली योग्य निकाली गई हैं जिनमें धन के दुरुपयोग के मामले भी हैं ? क्या यह राशियां संबंधित अधिकारियों से वसूल हो गई हैं ? यदि नहीं, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, चित्तौड़ में सन् 1972 से अब तक निम्न अधिशाषी अधिकारी व ऋण निरीक्षक

(सहकारिता मंत्री)

रहे हैं:—

नाम अधिशाषी अधिकारी :

1. श्री हजारी लाल विश्नोई
2. श्री शान्ति लाल माण्डोत
3. श्री प्रताप सिंह तलेसरा
4. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
5. श्री मदन लाल गडिया
6. श्री मोहन लाल चौधरी
7. श्री बलवन्त सिंह बोल्या

नाम ऋण निरीक्षक :

1. श्री कनक मल मेहता
2. श्री मदन लाल गुदिया
3. श्री मोहन लाल चौधरी
4. श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता
5. श्री भंवर लाल शर्मा
6. श्री केसरी मल रावत
7. श्री मोहम्मद हनीफ
8. श्री बलभद्र पाण्डे
9. श्री इन्द्र पाल सिंह
10. श्री सिवा राम शर्मा
11. श्री राम कृपाल शुक्ला
12. श्री रतन सिंह दसुन्दी

(2) धन के दुरुपयोग का मामला कोई नहीं है। एडवान्स आदि की राशि संबंधित अधिकारियों से वसूल हो गई है लेकिन एक अधिशाषी अधिकारी, श्री हजारी लाल विश्नोई की तरफ बैंक की 760|- की राशि बकाया है। जिसमें 264.25 पैसे त्यौहारों हेतु व 495.75 पैसे एडवान्स वेतन व स्थानान्तरण अग्रिम राशि है। बकाया की वसूली शीघ्र करने का प्रयास किया जायगा।

एक व्यक्ति को एक से अधिक सहकारी संस्थाओं द्वारा ऋण

587. श्री गोविन्द सिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सहकारी नियमानुसार एक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक ऋण-दात्रि सहकारी संस्था का सदस्य नहीं रह सकता है ? क्या यह सही है कि उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिलों में सहकारी अधिकारियों द्वारा एक से अधिक विभिन्न सहकारी संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर उस नियम का पालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें जिन्होंने अभी तक अवधि पार ऋण हो जाने पर ऋण की अदायगी नहीं की है ?

उत्तर

जी हां। भीलवाड़ा, चित्तौड़ जिलों में ऐसा कोई सहकारी अधिकारी नहीं है जिसने एक से अधिक सहकारी संस्था से ऋण प्राप्त किया हो। उदयपुर जिले की सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम सेवा सहकारी समिति, तलाव (कोटा) के अध्यक्ष में बकाया राशि

588. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, तलाव (कोटा) के अध्यक्ष श्री केसरीलाल नागर को वहां की कार्य-कारिणी ने नाजायज रूप से हटा दिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां की जांच कराने से पूर्व श्री नागर ने 9,000/- जमा कराये थे जो कि उन पर निकलने वाली राशि से आधी ही थी ? यदि हां, तो कितनी ?

(3) क्या यह भी सही है कि श्री नागर के 1500 रु. सेल में जमा हैं ?

(4) इन सबके बाद भी क्या श्री नागर की ओर सहकारी का बकाया है ? यदि हां, तो कितना तथा किस हेतु ?

(5) क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष के रूप में सहकारी भवन निर्माण हेतु ली गई राशि के वाउचर नियमानुसार पेश किये गये हैं ?

(6) इतना सब होते हुए भी श्री नागर को बकायादार घोषित न करने का क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार इस हेतु उचित आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो क्या ?

(7) क्या श्री नागर ने इस हेतु अधिकारियों से निवेदन किया था ? यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

उत्तर

(1) जी हां, सोसायटी के रिकार्ड के अनुसार अध्यक्ष का नाम केसरीलाल नागर न होकर धाकड़ है। कार्यकारिणी ने अपने स्तर पर निणय लेकर अवधिपार ऋण होने के कारण श्री केसरीलाल धाकड़ को हटा दिया।

(2) जी नहीं। जांच किये जाने से पूर्व केवल चार हजार पांच सौ रुपये जमा कराय थे जो बकाया राशि से कम हैं।

(3) जी नहीं। खाते के अनुसार एक हजार चालीस रुपया हिस्सा राशि जमा है।

(4) जी हां। समिति के खाते के अनुसार श्री नागर पर जमा शेयर-मनी के अतिरिक्त छः हजार छः सौ दस रुपये पचपन पैसे ऋण के बकाया हैं।

(5) गोदाम निर्माण हेतु ली गई अग्रिम राशि के पेटे कुछ वाउचर्स प्रस्तुत किये हैं।

(6) समिति द्वारा श्री केसरीलाल धाकड़ को बकायादार घोषित किये जाने के खिलाफ राजस्थान सहकारी संस्था अधि-नियम, 1965 की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन विचाराधीन है। इस संबंध में विस्तृत सत्र में आडिट कराये जाने की कार्यवाही भी की जा रही है।

(7) जी हां। सहकारी संस्था अधि-नियम, 1965 की धारा 32 के अन्तर्गत मामला विचाराधीन है।

भरतपुर होलसेल उपभोक्ता भण्डार के संचालक मंडल के विरुद्ध शिकायतें

589. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को भरतपुर होलसेल उपभोक्ता भंडार के संचालक मंडल के विरुद्ध अनियमितताओं और गबन के मामलों की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो कब-कब ?

(2) क्या भरतपुर होलसेल उपभोक्ता भंडार के विरुद्ध की गई शिकायतों की जांच कराये जाने के संबंध में राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम उठाया है ? यदि हां, तो किस तारीख को ?

(3) क्या उक्त संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हुए एक वर्ष से ऊपर हो चुका है ? यदि हां, तो फिर राज्य सरकार ने उक्त संचालक मंडल को भंग क्यों नहीं किया ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त संचालक मंडल को भंग करके भंडार में की गई अनियमितताओं, गबन और अव्यवस्था की जांच कराये जाने की इच्छा रखती है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, राज्य सरकार को भरतपुर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., भरतपुर के खिलाफ निम्न शिकायतें अंकित तारीखों में प्राप्त हुई हैं:—

क्रमांक	नाम शिकायतकर्ता	दिनांक शिकायत
1.	श्री तुलसीराम मित्तल	9-1-78
2.	,,	—
3.	एक अन्य सदस्य	6-7-78
4.	श्री सुरेश कुमार, सदस्य, राजस्थान विधान सभा	10-1-78

(2) राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत जांच कराने हेतु सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भरतपुर को आदेश क्रमांक 127, दिनांक 22-2-78 से जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट अपेक्षित है।

(3) भण्डार के संचालक मण्डल का निर्वाचन दिनांक 17-9-74 को हुआ है। भण्डार के उपनियम संख्या 42 के अनुसार संचालक मण्डल के कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष है, तथा प्रति वर्ष 1/3 सदस्य स्वेच्छा से या लौटरी द्वारा रिटायर होने का प्रावधान है। मामला विचाराधीन है ।

(4) भण्डार में गबन एवं अनियमितताओं की शिकायत की जांच राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 70 के अन्तर्गत कराई जा रही है जो माह नवम्बर, 78 में पूर्ण हो जावेगी जांच रिपोर्ट के

(सहकारिता मंत्री)
आधार पर यदि आवश्यक समझा गया तो संचालक मण्डल को भंग करने की कार्यवाही की जावेगी ।

केशोरायपाटन शूगर मिल में काश्तकारों की बकाया राशि

590. श्री **ओमप्रकाश शर्मा** (बून्दी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या केशोरायपाटन शूगर मिल ने जिन काश्तकारों का गन्ना लिया था उन सभी की राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कितना ?

(2) क्या केशोरायपाटन शूगर मिल, जिला बून्दी काश्तकारों का गन्ना उठाने में असमर्थ रहा है ? यदि हां, तो भविष्य में इस (गन्ना) की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सभी काश्तकारों को भुगतान नहीं किया जा सका है । भुगतान करने की कार्यवाही जारी है । दिनांक 30-10-78 तक 15.56 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है ।

(2) केशोरायपाटन सहकारी शूगर मिल सभी काश्तकारों का गन्ना नहीं उठा सकी क्योंकि इस वर्ष गन्ने का उत्पादन मिल की क्षमता से ज्यादा था । तथा गुड़ के भाव गिरने के साथ-साथ अन्य खांडसारी मिलों में गन्ने के भाव गिर जाने से सभी काश्तकार अपना गन्ना सहकारी मिल को देना चाहते थे । ऐसी दशा में मिल का गन्ना पेरने का समय 16 मई से 30 जन तक और बढ़ा दिया जिससे मिल को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि इस अवधि में शूगर रिकवरी पर्सेन्टेज गिर जाती है । राज्य सरकार बून्दी जिले में एक और सहकारी शूगर मिल सहकारी क्षेत्र में खोलना चाहती है । परन्तु भारत सरकार से लाइसेन्स न मिलने के कारण अभी तक कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी है ।

सहकारिता पर शोभाराम कमेटी की रिपोर्ट की क्रियान्विती

591. श्री **रघुवीर सिंह कौशल** (बारां): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या शोभाराम कमेटी ने सहकारिता पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है ? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या इस रिपोर्ट को राज्य सरकार सदन में रखने का विचार रखती है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस रिपोर्ट को क्रियान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां । यह रिपोर्ट राज्य

(सहकारिता मंत्री)

सरकार को दिनांक 5-5-76 को दी गई है।

(2) जी नहीं।

(3) महत्वपूर्ण एवं स्वीकार योग्य सिफारिशों पर कार्यवाही जारी है।

ग्राम करणू (नागौर) में पाये गये बहुमूल्य धातु का रसायनिक विश्लेषण

592. **श्री वंशीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम करण, नागौर में "धोलिया हेटर" का जो कुवां खोदा गया है उसमें कोई बहुमूल्य धातु पाया गया ? यदि हां, तो क्या उसका रसायनिक विश्लेषण कराया गया ?

(2) यदि ऐसा है; तो क्या उस धातु का महत्व देश की औद्योगिक एवं रक्षा साधनों में है ? यदि हां, तो राज्य सरकार क्या उस धातु के खनन एवं परीक्षण के लिए कोई कार्यवाही करने में सजग है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

राज्य में गरीबों को खनिज प्लाट्स का आवंटन

593. **श्री शिवचरण सिंह** (बयाना): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गरीबों को राज्य के सारे क्षेत्रों में खनिज प्लाट नहीं मिले हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग पूरी तरह सारे राज्य के खनिजों पर अभी लागू नहीं हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि खनिज विभाग के सारे नियम विभाग के हितों की रक्षा हेतु हैं ताकि सब के हितों की रक्षा हो ?

(4) क्या माइनर मिनरल व मेजर मिनरल सब का राष्ट्रीयकरण राज्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1977 के अन्तर्गत राज्य में खनिज चेजा पत्थर, बजरी, कंकर, मोहर्रम, जत्जरा व घांघला स्टोन के खनन पट्टे व सभी खनिजों के भाटक एवं अधिशुल्क के पट्टे खान के मजदूरों, अनसूचित जाति व जन-जाति के मजदूरों, ग्रामीण काश्तकारों व भूमिहीन मजदूरों को क्रमवार प्राथमिकता के आधार पर आवंटन करने की कार्यवाही की जा रही है। जहां पर पूर्व में बड़े-बड़े प्लाट दिये गये थे उन क्षेत्रों में भी उपलब्ध क्षेत्र के छोटे-छोटे प्लाट बना कर भाटक एवं अधिशुल्क के पट्टे क्रमानुसार उपरोक्त व्यक्तियों को देने की नीति राज्य सरकार ने बनाई है जिसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(श्री खनिज मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) अभी इस पर विचार नहीं हुआ है।

जहरीली गैस में खान मजदूरों की मृत्यु

594. श्री रामनारायण चौधरी (मूण्डवा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि 11 जून, 1978 की नवज्योति समाचार पत्र में जहरीली गैस से छः खान मजदूरों के मरने का समाचार प्रकाशित हुआ ? राज्य में इस वर्ष में खान दुर्घटनाओं में कितने मजदूरों की मौत हुई, तथा दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(2) मृतक मजदूरों के परिवार वालों को क्या सहायता राज्य सरकार की तरफ से पहुंचाई गई ?

(3) इन खनिज दुर्घटनाओं के क्या कारण थे और उनके लिए कौन जिम्मेदार था ?

उत्तर

(1) जी हां। किन्तु यह खान दुर्घटना नहीं थी। राज्य में खान दुर्घटनाओं में 11 मजदूरों की मृत्यु हुई। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय खान सुरक्षा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही जा रही है।

(2) 7 मृतक मजदूरों के परिवारों को 1,000/- रु. प्रति परिवार के हिसाब से आर्थिक सहायता दी गई है।

(3) एक खान दुर्घटना हेतु खनन पट्टाधारी ही जिम्मेदार पाए गये। अवैज्ञानिक व अव्यवस्थित उत्खनन इसका कारण थे। शेष हेतु जानकारी की जा रही है।

धरियावद क्षेत्र का खनिज सर्वेक्षण

595. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धरियावद तहसील में भू-सम्पदा के भण्डारों की सम्भावनायें होने के बावजूद भी राज्य सरकार ने अब तक अपनी तरफ से किन कारणों से सर्वेक्षण नहीं करवाया ?

उत्तर

यह कहना सही नहीं है कि धरियावद तहसील में सर्वेक्षण नहीं करवाया है।

स्टोन क्रेशिंग के लिए स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण

596. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति एवं भूतपूर्व सैनिकों के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति स्टोन क्रेशिंग का कार्य कर सकने के लिए योग्य है ? और क्या ऐसा कार्य करने वाले व्यक्ति को जिलाधीश से एन. ओ. सी. लेकर निदेशक, खनिज एवं भूगर्भ विभाग तथा राज्य सरकार से स्वीकृति होकर खनिज अभियन्ता से आवश्यक मन्जूरी लेनी होगी ?

(श्री राम प्रसाद लड्ढा)

(2) क्या यह सही है कि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है और आवेदन की आठ महीने की अवधि समाप्त होने पर प्रार्थना-पत्र अपने आप खारिज हो जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि मैसर्स राहुल इण्डस्ट्रीज, भीलवाड़ा ने स्टोन क्रेशिंग का लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया था किन्तु आठ महीने की अवधि समाप्त होने से वह आवेदन-पत्र खारिज हो गया है ?

(4) इतना विलम्ब क्यों हुआ और आवेदन-पत्र क्यों खारिज हुआ। क्या इसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। स्टोन क्रशर लगाने हेतु जिलाधीश से कोई अनुमति प्रमाण-पत्र लेकर निदेशक, खान एवं विज्ञान विभाग को नहीं देना होता।

(2) जी नहीं।

(3) खनिज विभाग द्वारा स्टोन क्रशिंग का कोई लाइसेन्स नहीं दिया जाता।

(4) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

बून्दी क्षेत्र में दिये गये खनन पट्टे

597. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने एक विज्ञप्ति जारी कर बून्दी क्षेत्र में दिये गये खनन पट्टों के लिए आवेदन-पत्रों को निरस्त कर दिया एवं इस क्षेत्र में केवल रेन्ट-कम-रायल्टी लीज पर ही खनन पट्टे आवंटन करने का निर्णय लिया ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इस विज्ञप्ति को केन्द्रीय सरकार ने निरस्त कर दिया ? अब राज्य सरकार इस सन्दर्भ में क्या नीति निर्धारित करना चाहती है ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने विज्ञप्ति जारी करने से पूर्व विधि विभाग एवं खनिज विभाग से परामर्श लेकर कानून के प्रावधानों का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं किया जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति पैदा हुई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। राज्य सरकार के पास नीति विचाराधीन है।

(3) विधि विभाग से परामर्श करना सामन्यतः आवश्यक नहीं है। शेष सही नहीं है।

बिजोलिया क्षेत्र में पत्थर की खानों के आवंटन में लॉटरी सिस्टम

599. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि हाथ से काम करने वालों को पत्थर की खानें मिल सकें इसी दृष्टि से मांडलगढ़ तहसील के बिजोलिया क्षेत्र में लॉटरी सिस्टम से पत्थर की

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
खानें दी गई हैं ?

(2) क्या यह सही है कि नला की माताजी में श्री बद्रीलाल जी खाती के नाम चार बड़े ब्लॉक मंजूर हुए हैं ? यदि हां, तो ब्लॉक मंजूर कब और क्यों किये गये ?

(3) श्री बद्रीलालजी खाती के अलावा और किन-किन को बिजोलिया क्षेत्र में ब्लॉक दिये गये हैं ? जिन-जिन को इन दो महीनों में ब्लॉक दिये हैं उनकी पूरी फहरिस्त सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या नला की माताजी वह क्षेत्र है जहां एक-एक प्लाट का पचास हजार से एक लाख रुपया तक मूल्य है ?

(5) जो चार ब्लॉक दिये हैं, उनमें कितने प्लाट बन सकते हैं ?

(6) लॉटरी सिस्टम होते हुए, एक साथ चार ब्लॉक देने की आवश्यकता क्यों पड़ी ?

उत्तर

(1) श्री बद्रीलाल खाती के नाम 2 ब्लॉक दिनांक 19-9-78 को मंजूर हुए हैं। दिये जाने के कारणों की जांच की जा रही है।

(2) व (3) नला का माताजी क्षेत्र में इन दो महीनों में निम्न ब्लॉक दिये गये हैं:-

क्रमांक	पार्टी का नाम	प्लाट नम्बर	स्वीकृति दिनांक
1	2	3	4
1.	श्रीमती शारदा देवी	10	19-9-78
2.	श्रीमती शारदा देवी	8	19-9-78
3.	श्री शिवकरण	25	22-9-78
4.	श्री घासीलाल	27	22-9-78
5.	श्री लीलापत्त	7	22-9-78

(4) किसी भी प्लाट का मूल्य विभाग द्वारा अनुमानित नहीं किया जाता है।

(5) चार ब्लॉक में से 60 फीट×60 फीट 64 प्लाट बनते हैं।

(6) इस ब्लॉक हेतु अभी लॉटरी की प्रणाली निर्धारित नहीं हुई है।

धौलपुर क्षेत्र में पत्थर के ठेकेदारों पर रायल्टी अथवा सेल्स-टैक्स की बकाया

600. श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

धौलपुर में पत्थर के ठेकेदारों पर रायल्टी अथवा सेल्स-टैक्स की कितनी राशि बकाया है और आज तक उनसे क्यों नहीं वसूली की जा सकी है ?

उत्तर

धौलपुर में पत्थर के ठेकेदारों पर 99,886.34 पैसे की अधिशुल्क की राशि बकाया है। व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण वसूली पूर्ण नहीं हो पाई।

राजस्थान वित्त निगम के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

601. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान वित्त निगमके किन-किन कर्मचारियों ने किस-किस श्रेणी के

Page No 360

(360)

(श्री मूलचन्द डागा)
कर्मचारियों ने कितने रोज के लिये किन कारणों को लेकर हड़ताल की और उनका मांग-पत्र क्या था ?

(2) उनकी कौन-कौन सी मांगें थीं और किस-किस को स्वीकार कर दिया गया और किसको नहीं ?

(3) जितने दिन कर्मचारियों ने हड़ताल रखी, उसके कारण निगम को कितना आर्थिक नुकसान हुआ और कितना प्रशासनिक खर्चा अगले बजट में और इस बजट में बढ़ाया गया ?

उत्तर

(1) नियम के 'बी' व 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों ने दिनांक 1-4-78 से 22-5-78 कुल 52 दिन तक हड़ताल रखी। जिन कारणों को लेकर हड़ताल रखी थी वे कर्मचारी संघ के संलग्न मांग-पत्र में मौजूद है।

(2) कर्मचारियों के मांग-पत्र पर जो समझौते हुए तथा जिसके फलस्वरूप हड़ताल समाप्त हुई, उनकी प्रति संलग्न की जा रही है।

(3) उक्त हड़ताल की अवधि के दौरान अधिकारियों ने पूरा कार्य किया था व निगम को कोई आर्थिक हानि का प्रश्न नहीं उठता। निगम का प्रशासनिक व्यय निगम के साधनों से ही किया जाता है। और इसका राज्य के बजट में कोई प्रावधान नहीं होता।

राजस्थान वित्त निगम

राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी संघ का मांग-पत्र, दिनांक 6-7-1977

1. राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी संघ की कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठन के रूप में मान्यता दी जाय।

2. महंगाई भत्ते का भुगतान केन्द्रीय सरकार के अनुरूप दिया जावे। बकाया किश्तों व राशि का कर्मचारियों को अविलम्ब भुगतान किया जावे।

3. वरीयता सूची का प्रकाशन शीघ्रातिशीघ्र किया जाये एवं जब तक इसका प्रकाशन न हो जावे रिक्त स्थानों को न भरा जाय।

4. सीधी भर्ती बन्द कर, सन्देशवाहक, लिपिक टंकण सहायक, टेलिफोन ओपरेटर की पदोन्नति शत प्रतिशत (100 प्रतिशत) वरीयता सूची के आधार पर की जावे स्थान रिक्त होने पर बिना किसी विलम्ब के भरा जावे।

5. मकान किराया भत्ता वेतन का 20 प्रतिशत दिया जावे।

6. वाहन भत्ता सभी कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से दिया जाये।

7. अधिकारियों को दिया जाने वाला मनोरंजन भत्ता अविलम्ब बन्द किया जावे तथा स्टाफ वेलफेयर एक्टीविटी प्रारम्भ कर सभी कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जावे। कर्मचारी कल्याण परिषद का निर्माण किया जाये जो कर्मचारियों। अधिकारियों की वेलफेयर एक्टीविटीज के सम्बन्ध में विचार कर कार्यवाही करें। वेलफेयर एक्टीविटीज को लागू करने के लिए कर्मचारी कल्याण फण्ड 10,000/- रुपये किया जावे।

8. 'सी' क्लास कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमानुसार वर्ष में 33 आर्डिनरी अवकाश दिये जायें।

9. गृह निर्माण ऋण कर्मचारियों को निव्याज दिया जाये एवं तुरन्त इसके वितरण की व्यवस्था की जावे।

10. लीव-ट्रेवल-कन्सेशन की सुविधा अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरह निगम कर्मचारियों को तुरन्त प्रभाव से दी जावे।

11. चिकित्सा सुविधा केन्द्रीय सरकार/ राज्य सरकार के नियमानुसार दी जावे।

12. निगम कर्मचारियों को कार्यालय समयोपरान्त या राजकीय अवकाश के दिन कार्य करने पर ओवर-टाइम के भुगतान के आदेश अविलम्ब जारी किये जावें।

13. चिल्ड्रन एज्यूकेशन अलाउन्स दिलवाने की व्यवस्था तुरन्त प्रभाव से की जावे।

14. सचिव द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध बदले की भावना से की जा रही ज्यादतियों की जांच कर उचित दण्ड दिया जावे। सचिव के पद हेतु योग्यता एवं अनुभव का पुनर्निर्धारण कर सही व्यक्ति की नियुक्ति की जावे।

15. स्थानान्तरण पालिसी कर्मचारी संघ से विचार-विमर्श कर तैयार की जावे।

16. कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को प्रोटेक्टेड वर्कमैन घोषित किया जावे।

17. कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारित कर ड्यूटी चार्ट अविलम्ब प्रकाशित किया जावे।

18. संचालक मण्डल में कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व दिया जाये। जब तक ये आदेश न हो तब तक संचालक मण्डल की बैठकों में विचारार्थ रखे गये कर्मचारियों के प्रकरणों पर विचार करने के लिए कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि को भी बैठक में बुलाया जावे।

19. संघ एवं प्रशासन के पदाधिकारियों की प्रति माह एक बैठक अवश्य की जावे।

20. कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी के सदस्यों को विशेष अवकाश व कर्मचारी संघ को फर्नीचर, फोनयुक्त कमरा-कार्यालय हेतु तथा अन्य सभी सुविधायें दी जावें।

362

राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

(समझौता प्रपत्र)

समय:–सायं 6 बजे, दिनांक 13-10-1977

राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों एवं निगम के प्रबंधकों के मध्य आज संघ द्वारा प्रेषित 6-7-1977 के मांग-पत्र पर द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें निम्न प्रकार से उपस्थिति थी :—

निगम प्रबन्धकों की ओर से:—

(1)	अध्यक्ष	श्री मंगल बिहारी
(2)	प्रबन्ध संचालक	श्री सत्य प्रकाश बिश्नोई.
(3)	सचिव	श्री के०पी०सिंह

संघ की ओर से:—

(1)	उपाध्यक्ष	श्री महेन्द्र कुमार जैन
(2)	महामंत्री	श्री हरिनारायण शर्मा
(3)	संयुक्त मंत्री	श्री आर० सी० मूथा
(4)	सदस्य	श्री विनय चावला

भारतीय मजदूर संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री भागीरथ सिंह शेखावत, प्रदेश महामंत्री श्री मदन लाल जैन, निगम कर्मचारी महासंघ के महासचिव, श्री श्याम जैन तथा निगम के उप-प्रबन्धक (जनसम्पर्क) श्री वी० के० गुप्ता भी वार्ता में उपस्थित थे।

राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी संघ की मांगों पर जो समझौता हुआ है वह क्रमश: निम्न प्रकार से है:—

मांग संख्या (1) के अनुसार राजस्थान वित्त निगम में कार्यरत राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी संघ को प्रबन्ध द्वारा प्रतिनिधि संगठन के रूप में तदर्थ (Ad-hoc) मान्यता दी जा चुकी है।

मांग संख्या (2) के सम्बन्ध में महंगाई भत्ते का भुगतान राज्य सरकार के निर्णयों के अनुसार स्वतः होता रहेगा। महंगाई भत्ते की बकाया राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है अत: संघ इस अंश को छोड़ता है।

मांग संख्या (3) के विषय में 'बी' श्रेणी के कर्मचारियों की वरीयता सूची प्रकाशित हो चुकी है और 'सी' श्रेणी की वरीयता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है उसकी एक प्रतिलिपि

संघ को 15-10-77 को देदी जावेगी। अस्थाई कर्मचारियों की वरीयता सूची उनकी नियुक्ति तिथि के अनुरूप प्रकाशित कर दी जायेगी। पदोन्नति के द्वारा भरे जाने वाले पदों पर वरीयता सूची के अन्तिम प्रकाशन के पश्चात् ही पदोन्नति, नियुक्ति की जावगी। इन पदों पर तब तक सीधी नियुक्ति नहीं की जावेगी। इसमें एक अपवाद रहेगा—यह मौजूदा कर्मीका "पेनल" के एक सहायक प्रबन्ध (लेखा) का होगा। निम्नतम स्तर पर सीधी भर्ती होती रहेगी।

मांग संख्या 4 :—इस मांग के संबंध में निगम प्रशासन द्वारा भरती तथा पदोन्नति की मार्गदर्शिका के नियम की प्रति संघ को दे दी गई है तथा संघ इस प्रारूप पर अपनी टिप्पणियां दिनांक 31 अक्टूबर, 77 तक दे देगा। निगम प्रशासन टिप्पणियों पर विचार कर उक्त मार्गदर्शिका को अंतिम रूप 31-12-77 तक प्रकाशित कर देगा।

मांग संख्या 5, 6, 9, 10, 11, 12 व 13 :—उपरोक्त मांगों का संबंध वित्तीय अधिभार से है जिनके विषय में अन्तिम निर्णय संचालक मंडल की अधिकार सीमा में है। निगम प्रशासन यह स्वीकार करता है कि 27 अक्टूबर, 77 को संचालक मंडल की एक बैठक उपरोक्त मांगों पर विचार एवं निर्णय के लिए बुलायेगा। अन्य वित्त निगमों–दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में यदि उक्त कथित कोई सुविधा किसी वित्त निगम में दी जाती है तो उपरोक्त संचालक मंडल की बैठक में उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

मांग संख्या (7) : के संबंध में कर्मचारी कल्याण परिषद् के गठन को निगम प्रशासन स्वीकार करता है। परिषद् की सदस्यता निम्न प्रकार होगी:—

(1) अध्यक्ष : प्रबन्ध की ओर से मनोनीत होगा।
(2) तीन प्रबन्ध के मनोनीत सदस्य।
(3) कर्मचारी संघ के मनोनीत सदस्य।

इस परिषद् का गठन दिनांक 31-10-77 तक कर दिया जावेगा।

मांग संख्या 8 :—इस मांग को निगम प्रशासन पहले ही स्वीकार कर चुका है जिससे 'सी' श्रेणी के कर्मचारियों को 33 दिन का साधारण अवकाश संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 28-9-77 के स्वीकार किया जाता है।

मांग संख्या 14 :—कर्मचारी संघ उस मांग को छोड़ता है।

मांग संख्या 15 :—इस मांग के विषय में निगम प्रशासन स्वीकार करता है कि स्थानान्तरण को विक्टीमाइजेशन (Victimisation) शस्त्र के रूप में प्रयोग नहीं किया जावेगा।

मांग संख्या 16:—इस मांग के संबंध में क्योंकि मांग-पत्र की संख्या 1 के अनुसार

(364)

राजस्थान वित्त निगम कर्मचारी संघ को निगम प्रशासन ने तदर्थ मान्यता दे दी है ऐसी स्थिति में संघ के पांच पदाधिकारियों को प्रोटेक्टेड वर्कमन (Protected Workmen) माना जायेगा जिनके नाम संघ निगम प्रशासन को देगा।

मांग संख्या 17:—निगम प्रशासन स्वीकार करता है निगम कर्मचारियों की ड्यूटी निर्धारण हेतु ड्यूटी चार्ट दिनांक 31-10-77 तक प्रकाशित कर दिया जावेगा।

मांग संख्या 18:—इस मांग का संबंध केन्द्रीय सरकार के अधिनियम से है। संचालक मण्डल पर कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

मांग संख्या 19:—निगम प्रशासन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों के साथ दो माह में एक बार बैठक आयोजित कर कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार-विमर्श करेगा।

मांग संख्या 20:—इस मांग के संबंध में निगम प्रशासन संघ को एक सवारी देना स्वीकार करता है। मांग का शेष अंश संघ 'प्रेस' नहीं करता है।

निगम प्रशासन व कर्मचारी संघ के बीच जो इस मांग-पत्र को लेकर विवाद चला एवं संघर्ष की स्थिति आई इस कारण निगम प्रशासन किसी विद्वेश की भावना से किसी कर्मचारी को दण्डित नहीं करेगा तथा कर्मचारीगण भी भविष्य में पूर्ण निष्ठा, अनुशासनबद्ध हो, मनोमालिन्य त्याग कर निगम का कार्य करेंगे और भविष्य में एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे। कर्मचारियों के संघर्ष के दौरान निगम प्रशासन द्वारा दिनांक 17-9-77, 10-10-77, 11-10-77 तथा 12-10-77 की अनुपस्थिति को साधारण अवकाश माना जायेगा।

कर्मचारी संघ के संघर्ष के दौरान मांग-पत्र देने से संघर्ष तक संबन्धित यदि कोई नोटिस अथवा चार्जशीट एवं अन्य अनुशासनात्मक कार्यवाही की है तो वह निरस्त कर दी जायेगी।

दोनों पक्ष उपरोक्त समझौते को स्वीकारते हुए हस्ताक्षर करते हैं।

कर्मचारी संघ की ओर से:—	प्रबन्ध की ओर से:—
ह० महेन्द्र कुमार जैन	ह० सत्यप्रकाश विश्नोई
ह० हरिनारायण शर्मा	प्रबन्ध संचालक
ह० आर०डी० मूथा	ह० के०वी० सिंह
ह० विजय चावला	सचिव
गवाह हस्ताक्षर : मदनलाल सैनी	

जसराना डूंगरी से राज्य सरकार को आय

604. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (जमवारामगढ़) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जसराना डूंगरी से वर्ष 1972-73 से लेकर चालू वर्ष तक वर्षवार राज्य सरकार को रायल्टी से कितनी आय हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) चालू वर्ष में इस डूंगरी का रायल्टी का ठेका किस आधार व किस-किस ठेकेदार को दिया गया है ? राज्य सरकार को कितनी आमदनी हो रही है ?

उत्तर

(1) जसराना डूंगरी से वर्ष 72-73 से लेकर 78-79 तक की आय वर्षवार राज्य सरकार को निम्न हुई है:—

क्र०सं०	वर्ष	न्यूनतम प्रतिवर्ष अधिशुल्क आय	एक्सैस रोयल्टी
1	2	3	4
1.	1972-73	4300-00 रु०	निल
2.	1973-74	4300-00 रु०	,,
3	1974-75	4300-00 रु०	,,
4.	1975-76	4300-00 रु०	,,
5.	1-4-76 से 3-7-76 तक	1457-26 रु०	,,
6	4-7-76 से 19-12-77 तक	क्षेत्र रिक्त घोषित	,,
7.	20-12-77 से आज तक	2565-20 रु०	,,
	कुल . .	21,222-46 रु०	,,

(2) चालू वर्ष में जसराना की डूंगरी का रायल्टी का ठेका नहीं दिया गया है बल्कि उक्त क्षेत्र में प्रार्थना-पत्र के आधार पर खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जो निम्नलिखित ठेकेदारों के नाम पर स्वीकृत हैं:—

1. श्री पूसाराम पुत्र वालूराम, जाति कुम्हार, नि० टोरेड़ा, तहसील नावां ।
2. श्री मांगीलाल पुत्र भोलूराम, जाति बलाई, नि० रूपपुरा, तहसील नावां ।
3. श्री मांगीलाल पुत्र भोलूराम, जाति बलाई, नि० रूपपुरा, तहसील नावां ।
4. श्री गंगाराम पुत्र फेफाराम, जाति कुमावत, निवासी टोरेड़ा, तहसील नावां ।

उक्त खनन पट्टों से वार्षिक डैडरेन्ट की राशि 2565.20 रु० की वार्षिक आय राज्य सरकार को हो रही है ।

राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

605. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के कितने राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा कार्मिक विभाग में कार्यवाही चल रही है ?

(2) यह कार्यवाहीइन अधिकारियों के खिलाफ कब तक पूरी कर राज्य सरकार इस संबंध में अपना निर्णय ले लेगी ?

(3) उपरोक्त अधिकारियों में से कितने अधिकारियों के खिलाफ वर्तमान शासन के समय से कार्यवाही प्रारम्भ हुई है और उनमें से कितने निलम्बित हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य के 990 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा कार्मिक विभाग में कार्यवाही चल रही है ।

(2) राज्य सरकार शीघ्र कार्यवाही पूर्ण कर लेना चाहती है, कोई निश्चित समय बताना सम्भव नहीं है ।

(3) वर्तमान शासन (जून, 1977 से) में 430 अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ हुई और उनमें से 32 अधिकारी निलम्बित हैं क्योंकि उनके विरुद्ध आरोप बहुत गंभीर हैं ।

रेन-गेज की खरीद में घोटाला

608. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री शास्त्री, भूतपूर्व मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग को रेनगेज खरीद के मामले में घोटाला करने पर आरोप-पत्र दिया गया था ?

(2) क्या आयुक्त, विभागीय जांच ने यह रिपोर्ट दी थी कि श्री शास्त्री ने रेनगज की खरीद में घोटाला किया है और राज्य सरकार को 36 लाख रुपयों का नुकसान पहुंचाया है ? यदि हां, तो इन्हें क्या सजा दी गई थी ?

(3) क्या राज्य सरकार इस केस पर पुन: विचार कर के, उक्त सजा को बढ़ाने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) श्री शास्त्री के विरुद्ध दो आरोप थे । जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में पहिले आरोप को जो Indian Meteorological विभाग की expert opinion के विपरित पुराने किस्म के रेनगेज व रेन मेजर्स खरीद कर राज्य सरकार को 4.52 लाख की हानि पहुंचाने के संबंध में था, प्रमाणित नहीं माना, परन्तु दूसरे आरोप को जो रेनगेज तथा रेन मेजर्स की खरीद में अनियमित रूप से न्यूनतम निविदाकर्ता को आर्डर नहीं देकर किसी अन्य को आर्डर देने के संबंध में था, प्रमाणित मान परन्तु इस आरोप के लिये भी जांच अधिकारी का यह मत था कि इसके लिए extenuating

(मुख्य मन्त्री)

circumstances थे। जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा श्री शास्त्री को भविष्य में यह सावधानी बरतने की सलाह दी गई कि वह अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को पूर्ण जिम्मेदारी से लिया करें।

(3) जी नहीं। क्योंकि इसका कोई तर्क संगत कारण नहीं है।

एसिस्टेन्ट कलेक्टर, झालावाड़ के विरुद्ध कार्यवाही

609. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ के एसिस्टेन्ट कलेक्टर, श्री भंवरसिंह चारण, आर० ए०एस० के विरुद्ध भू-आवंटन में अनियमितताएं सिद्ध होने पर भी कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(2) क्या यह सही है कि 5 व 6 नवम्बर, 1977 के भू-आवंटन में भ्रष्टाचार व अनियमितता में लिप्त होने के प्राइमा फेसी केस के बाद भी इनको स्थाई कर एस०डी० ओ०, नवलगढ़ बनाया गया ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) श्री भंवरसिंह के विरुद्ध शिकायत की जांच की जा रही है।

(2) श्री भंवरसिंह को स्थाई 31 दिसम्बर, 1977 के आदेश से किया गया। उस समय तो इनके विरुद्ध शिकायत भी प्राप्त नहीं हुई थी वैसे किसी राज्य कर्मचारी के विरुद्ध मात्र शिकायत प्राप्त होने से ही उसकी पदोन्नति रोकने का नियम नहीं है।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार

610. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों का चयन किया गया है और उनमें से कितने परिवार अनुसूचित जाति एवं अनसूचित जन-जाति के हैं ?

(2) राज्य में इन परिवारों को र अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत किस-किस रूप में सहायता प्रदान की गई है ?

(3) राज्य में कितने लोगों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गई है और उनमें से एस०टी० एवं एस०सी० के कितने व्यक्ति हैं ?

(4) राज्य में अन्त्योदय योजना पर राज्य सरकार ने अब तक कितनी राशि व्यय की है ? उसमें से एस०सी०/एस०टी० एवं ओ०बी०सी० को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है ?

(5) 31 दिसम्बर, 1978 तक इस योजना पर कितनी राशि व्यय किए जाने का अनुमान है ?

उत्तर

(1) राज्य में प्रथम चरण में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत चयन किया गया है। इनमें से अनु० जाति के 43,084 एवं अनु०

(अन्त्योदय मंत्री)
जन-जाति के 25,421 परिवार हैं।
(यह सूचना केवल 20 जिलों की है)।

(2) परिवारों को बैंकों से ऋण, भू-आवंटन वृद्धावस्था पेंशन, रोजगार उपलब्धि आदि साधनों से सहायता दी गई है।

(3) राज्य में 25,227 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत की गई है। इनमें से 4,122 अनु० जाति के हैं एवं 1,829 अनु० जन-जाति के व्यक्ति हैं (यह सूचना केवल 20 जिलों की है)।

(4) अन्त्योदय परिवारों पर व्यय न सिर्फ राज्य के योजना मद से अपितु केन्द्रीय सरकार के लघु कृषक योजना एवं सूखा संभावित क्षेत्र परियोजना के अन्तर्गत भी होता है अगर अन्त्योदयी परिवार इन योजनाओं से सहायता प्राप्त करने योग्य हो अतः प्रथक से इस योजना के अन्तर्गत व्यय का ब्यौरा दिया जाना फिलहाल संभव नहीं है।

(5) फिलहाल राज्य सरकार ने इस योजना हेतु चालू वर्ष में दो करोड़ रुपयों का प्रावधान अपने योजना मद में रखा है और अनुमानतः इतनी राशि 31-12-78 तक व्यय हो पायेगी।

आयुक्त स्तर के आई० ए० एस० अधिकारी

611. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनी-पार्क, जयपुर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कितने आई०ए०एस० अधिकारी आयुक्त स्तर के हैं?

(2) पांच वर्ष पूर्व वह कुल कितने थे और 21 जून, 1977 को कितने थे?

(3) आयुक्त स्तर के पदों के सृजन की क्या नीति है और तोड़ने की क्या नीति है?

(4) पिछले 15 माह में कितने पदों के स्तर में परिवर्तन इस दृष्टि से हुआ और क्यों? पदवार बताने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में 41 आई०ए०एस० अधिकारी आयुक्त स्तर के हैं।

(2) पांच वर्ष पूर्व दिनांक 31 दिसम्बर, 1973 को राज्य में 23 अधिकारी आयुक्त स्तर के थे। दिनांक 21 जून, 1977 को राज्य में 33 अधिकारी आयुक्त स्तर के थे।

(3) प्रशासनिक दृष्टि से कार्य के महत्व को देखते हुए, पद का सृजन किया जाता है।

(4) पिछले 15 माह में आयुक्त स्तर के 13 पद सृजित हुए या इन्हें आयुक्त स्तर के पदों में परिवर्तित किया। इस अवधि में 5 पद समाप्त किये गये।

बीकानेर शहर में पीने के लिए दिया गया गन्दा पानी

613. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जून के महीने में तथा उसके बाद बीकानेर शहर में नहर का गन्दा पानी बिना फिल्टर किया हुआ

(श्री रामनारायण चौधरी)

कस्बे के लोगों को पीने के लिए दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) इस गैर जिम्मेदार कार्यवाही के लिए कौन उत्तरदायी था तथा उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या यह सही है कि उग्र भीड़ ने जमीन में गड़े पाइप खोद कर और तोड़ कर फेंक दिए ?

(4) क्या यह भी सही है कि जन-स्वास्थ्य राज्य मंत्री, श्री महबूब अली उस दिन उपस्थित थे और व डर कर सर्किट हाउस में जाकर छिप गए और जनता से मिलने से इन्कार कर दिया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोई गैर जिम्मेदार कार्यवाही नहीं हुई।

(3) दिनांक 25-6-1978 को कुछ आन्दोलनकारियों ने 18 इन्च की पाइप लाइन के कार्य को रुकवा दिया एवं खाई को भर दिया था एवं 1" व्यास के पाइप लाइन जो कि कार्यालय में लगी हुई थी को क्षति पहुंचाई।

(4) राज्य मंत्री, श्री महबूब अली मौके पर मौजूद नहीं थे।

पिछड़ी जातियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण

615. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात् अपने घोषणा-पत्र के अनुसार बिहार, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और जन-जाति के अतिरिक्त अन्य पिछड़ी जातियों को भी सरकारी नौकरियों में क्रमश: 26 और 15 प्रतिशत आरक्षण किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि तामिलनाडू, केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में यह आरक्षण पहिले से ही क्रमश: 31, 39, 26 और 25 प्रतिशत दिया हुआ है ?

(3) क्या यह सही है कि इस प्रकार का आरक्षण देने की शक्ति संविधान के अनुसार राज्य सरकार में निहित है ?

(4) क्या राजस्थान सरकार भी राज्य में घोषित अन्य पिछड़ी जातियों को राज्य सेवाओं में आरक्षण देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और कितना प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) उत्तर प्रदेश, हरियाणा में पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण किया गया है। बिहार से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(2) कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में पिछड़ी जातियों के लिए पहले से आरक्षण दिया हुआ है। केरल और तामिलनाडु से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) जी हां।

(4) अभी इस प्रकार का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लोकायुक्त से प्राप्त भ्रष्टाचार से संबंधित विचाराधीन मामले

618. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार से संबंधित कितनी शिकायतें कब से विचाराधीन हैं ? उनमें से कितनी भारतीय प्रशासनिक एवं कितनी राज्य प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध हैं ?

(2) उन अधिकारियों के नाम, पद और उन पर क्या आरोप हैं की जानकारी सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) राज्य सरकार ने गत डेढ़ साल में भ्रष्टाचार से संबंधित उपरोक्त वर्णित शिकायतों को निपटाने में क्या-क्या ठोस कदम उठाये और कितनी शिकायतों का निपटारा किया ?

(4) यदि उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध जांच करने में विलम्ब हुआ तो उसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

लोकायुक्त के पास 30-9-78 को भ्रष्टाचार से संबंधित 304 शिकायतें निम्न प्रकार हैं:–

1973-74	2
1974-75	13
1975-76	66
1976-77	81
1977-78	97
1978-79	45
योग ..	304

17 शिकायतों में से 4 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी तथा 15 राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के विरुद्ध हैं ।

सूची सदन की मेज पर रखना जनहित में नहीं है ।

यह शिकायतें अभी जांच स्तर पर हैं। लोकायुक्त सचिवालय से प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्राप्त होने पर शीघ्र निपटारा किया जायेगा ।

सभी शिकायतों की जांच में कार्यवाही बराबर हो रही है ।

राज्य कर्मचारियों के सेवा नियम

620. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर, ग्रामीण) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न विभागों के राज्य कर्मचारियों के सेवा नियमों का अनुमोदन सदन द्वारा नहीं किया हुआ है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक राज्य सरकार सदन से उक्त नियमों का अनुमोदन करा लेगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि अलग-अलग विभागों के अलग-अलग नियम हैं तथा कई विभागों के नियम नहीं हैं तथा कई विभागों के अपर्याप्त नियम हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार नियमों में एकरूपता लाने की दृष्टि से समान नियम कब तक बना कर सदन से अनुमोदन करवायेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि विभागों के नियमों में समय-समय पर संशोधन होते रहते हैं ? यदि हां, तो उन्हें सदन द्वारा क्यों नहीं यथासमय अनुमोदन कराया जाता है । और अब कब तक अनुमोदन करा लिया जावेगा ?

(मुख्य मंत्री)

उत्तर

(1) राज्य सरकार के विभिन्न सेवा नियम संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अन्तर्गत बनाये जाते हैं व उनकी प्रतियां विधान सभा को प्रषित की जाती रही हैं।

(2) राज्य म सेवा नियम सरकारी विभागों हेतु नहीं वरन् सरकारी विभागों में विद्यमान पदों पर नियुक्ति आदि के लिए बनाये जाते हैं। 19 सेवाओं के नियम अभी नहीं बने हैं। अब तक बने सेवा नियमों में कोई अपर्याप्तता नहीं है। नियमों में एकरूपता लाने के लिए सामान्य नियम विचाराधीन हैं।

(3) संशोधन भी संविधान की धारा 309 के परन्तुक के अधीन किए जाते हैं।

जयपुर जिले में अन्त्योदय योजना के तहत चयन

621. **श्री रामेश्वर दयाल यादव** (चौमूं) : क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में अन्त्योदय योजना के तहत कुल कितने परिवारों का चयन किया गया है तथा कितने परिवारों को राहत दी गयी है ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि चौमूं क्षेत्र में चयनित अन्त्योदय परिवारों को वृद्धावस्था पेंशन के अलावा अन्य कोई मदद नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों? क्या इसमें अधिकारियों ने राज्य सरकार की नीति का पालन नहीं किया है ?

(3) जयपुर जिले में इस वर्ष कल कितनी भूमि आवंटन की गयी तथा तभी उसम से कितनी भूमि अन्त्योदय परिवारों को दी गयी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जयपुर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत शुरू में 12,726 परिवारों का चयन किया गया था। किन्तु जिला अन्त्योदय क्रियान्विति समिति के निर्णयानुसार गलत चयनित तथा लावारिस मृत्यु होने वाले परिवारों को कम करने व जिन परिवारों को 2-10-77 के उपरान्त भी अपंग/वृद्धावस्था पेन्शन प्राप्त हुई को चयनित व लाभान्वित दोनों स्थानों पर जोड़ने से जिले में अन्त्योदय चयनित परिवारों की अन्तिम संख्या 12,255 रही, उपरोक्त चयनित परिवारों में से वर्ष के दौरान लाभान्वित परिवारों की संख्या 11,523 है।

(2) चौमूं क्षत्र, पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ के अन्तर्गत आता है। पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ क्षेत्र में 434 अन्त्योदय परिवारों का चयन हुआ था जिन्हें विभिन्न कार्य-क्रमों म दिनांक 30-9-78 तक निम्न प्रकार लाभान्वित कराया गया :—

1. वृद्धावस्था पेन्शन द्वारा	199
2. भू-आवंटन द्वारा	108
3. रोजगार द्वारा	19
4. केवल ऋण द्वारा	85

(73 परिवार व भी हैं जिन्हे भू-आवंटन के साथ ऋण भी स्वीकृत कराया गया है)

(अन्त्योदय मंत्री)

5. अन्य उद्योगों के अन्तर्गत (खादी बोर्ड) द्वारा 23

(3) जिले में इस वर्ष (2-10-77 लागायत 30-9-78 तक) अन्त्योदय परिवारों को दी गई भूमि से संबंधित विवरण निम्न प्रकार हैं :–

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत आवंटित भूमि

क्र. सं.	नाम उप-खण्ड	परिवारों की संख्या	रकबा (एकड़)
1.	जयपुर	90	258–85
2.	अजमेर	982	1475–70
3.	सांभर	622	1354–30
4.	दौसा	536	1368–00
5.	कोटपूतली	427	581–00
	योग . .	2656	5037–85

शेष सूचना संकलित की जा रही है ।

अन्त्योदय योजना के तहत भूमि का आवंटन

622. श्री आर० डी० यादव (चौमूं): क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर जिले में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत कुल कितने परिवारों का चयन इस वर्ष किया गया तथा उनमें से कितने परिवारों को राहत दी गई है ? पंचायत समिति के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ में कितने परिवारों का चयन किया तथा उनमें किन-किन को किस-किस प्रकार की मदद की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या चौमूं नगरपालिका क्षेत्र अन्त्योदय परिवारों का चयन नहीं किया गया है ? अगर नहीं, तो क्यों, अगर चयन किया गया है, तो कितनों का ?

(4) अन्त्योदय योजना के तहत जयपुर जिले में इस वर्ष आवंटित भूमि का कितना प्रतिशत भू-आवंटन किया गया है ? कुल आवंटित भूमि की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(5) क्या इस योजनान्तर्गत ग्रामीण लघु उद्योगों की स्थापना जयपुर जिले में की गई है ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में कुल 12,255 परिवारों का चयन किया गया है। जिसमें से 11,523 परिवारों को लाभान्वित किया गया। पंचायत समितिवाइज तालिका संलग्न है । परिवारवाइज सूची तैयार करने में समय लगेगा ।

(2) पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ में 434 परिवारों का चयन किया गया था जिनको निम्न प्रकार से लाभान्वित किया गया:–

वृद्धावस्था पेन्शन	199
भू-आवंटन	108

(अन्त्योदय मंत्री)

रोजगार	19	(73 परिवारों को भू-आवंटन के साथ ऋण भी स्वीकृत कराया गया)
केवल ऋण द्वारा	85	
उद्योगों के अन्तर्गत (खादी बोर्ड)	23	
कुल ..	434	

(3) नगरपालिका क्षेत्र में राज्य सरकार के निर्देशानुसार अन्त्योदय योजना के तहत चयन नहीं किया गया है।

(4) 2,657 अन्त्योदय परिवारों को 5,037-85 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। शेष सूचना एकत्रित की जा रही है।

(5) शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत किसी लघु उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। किन्तु लघु उद्योगों के लिए योजना के अन्तर्गत ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सवाई माधोपुर एवं खंडार तहसील में आवंटित भूमि

625. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत सवाई माधोपुर व खंडार तहसीलों में कितने व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है व कितने व्यक्तियों को उस भूमि पर काबिज किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि सीलिंग से छुड़वाई गई भूमि का आवंटन किया गया है? क्या उन व्यक्तियों को राज्य सरकार द्वारा कब्जा दिला दिया गया है?

(3) कितनों ने उस भूमि पर काश्त की है? यदि ऐसा नहीं हुआ है, तो क्यों? क्या राज्य सरकार आवंटित व्यक्तियों को उक्त भूमि काश्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील सवाई माधोपुर में 35 एवं तहसील खण्डार में 112 अन्त्योदय परिवारों को भूमि का आवंटन किया गया है जिनमें से क्रमाशः 11 व 107 व्यक्तियों को आवंटित भूमि का कब्जा दिया जा चुका है।

(2) यह सही है कि सीलिंग से छुड़वाई गयी भूमि का तहसील सवाई माधोपुर में 24 अन्त्योदय परिवारों को आवंटन किया गया है जिसमें से ग्राम जीनापुर में 5 व सुरवाल में 5 व्यक्तियों को कब्जा देना शेष है, ग्राम ऐंवेर में 3 व्यक्तियों को आवंटित की गई भूमि पर इस कार्यालय का स्थगन आदेश है, ग्राम रवा-जना डूंगर के 9, कुशलता का 1 व सांवली का 1 कुल 11 व्यक्तियों ने कब्जा न लेने बाबत उप-जिलाधीश कार्यालय सवाई माधोपुर में इन्कार नामें प्रस्तुत किये हैं ग्राम भूरी पहाड़ी के 2 व्यक्ति बाहर चले जाने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका एवं इसी ग्राम के 3 व्यक्तियों के आवंटन में खसरा नम्बर गलत होने के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका। तहसील खण्डार में सीलिंग से छुड़वाई गई भूमि का आवंटन नहीं किया गया है।

तहसील गोगुन्दा में अन्त्योदय परिवारों को भूमि का आवंटन

627. श्री भूरा लाल (गोगुन्दा): क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील गोगुन्दा में चयनित अन्त्योदय परिवार के मुखिया को पांच-पांच बीघा जमीन आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई है ? कितने व्यक्तियों को मौके पर कब्जे दिये गये हैं ?

(2) ऐसे कितने व्यक्ति अब शेष हैं जिन्हें पट्टे तो दे दिये गये हैं किन्तु मौके पर 30-9-78 तक भी कब्जे नहीं दिये गये हैं ? गांव के आतंकवादी व्यक्तियों ने अपने हक में कितने व्यक्तियों के दिये गये कब्जे वापस करा दिये हैं ?

यदि कराये गये हैं, तो राज्य सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) यह सही है कि तहसील गोगुन्दा में 595 परिवारों को अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत भूमि का आवंटन किया गया है। और इन सभी आवांटित परिवारों को मौके पर कब्जा दे दिया है।

(2) आवंटित परिवारों में से 522 परिवारों को कब्जा दे दिया गया है। किसी भी आतंकवादी द्वारा वापिस कब्जा लेने की सूचना राज्य सरकार को नहीं हैं। अतः कार्यवाही किये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

राज्य में पर्यटकों को सुविधा

628. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में विगत तीन वर्षों में कितने विदेशी पर्यटक आये ?

(2) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार देशी पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु, जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, जोधपुर व भरतपुर में सस्ते होटलों को सरकारी क्षेत्र में निर्माण करने की योजना रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार के समक्ष प्राच्य महत्व के स्थलों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना है ?

(5) क्या राज्य सरकार किशनगंज शाहबाद विधान सभाई क्षेत्र के अन्तर्गत प्राचीन महत्व के सीतावाड़ी, कन्यादह, कपिलधारा कुण्डा खो को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में विगत 3 वर्षों में आये विदेशी पर्यटकों की संख्या निम्न प्रकार है :-

1975	66,207
1976	92,275
1977	1,25,112

(2) विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए निम्न कदम उठाये गये हैं:-

(अ) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद एवं आगरा में पर्यटक सूचना केन्द्र खोल गये ।

(पर्यटन मंत्री)

(ब) विभिन्न देशों के यात्री अभिकर्ताओं (travel agents), यात्री, लेखकों आदि को राजस्थान में भ्रमण करा कर उन्हें राज्य में पयटकों के लिये उपलब्ध सुविधाओं का ज्ञान कराया गया।

(स) विदेशी दूरदर्शन इकाइयों एवं सूचना प्रेरक फिल्में बनाने वालों को राजस्थान के पर्यटक-स्थलों पर फिल्में बनाने में सहयोग प्रदान करना।

(द) आवास सुविधा हेतु पर्यटक आवास गृह का निर्माण एवं निजी उद्योग में होटल उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया गया।

(इ) विभिन्न पर्यटक केन्द्रों पर भ्रमण हेतु बस सेवा उपलब्ध करायी गयी।

(3) जी हां। छठी पंचवर्षीय योजना में इन सभी स्थलों पर जनता होटल बनाये जाने का प्रस्ताव है।

(4) विभाग स्थलों का पर्यटन महत्व के अनुसार मूल्यांकन कर विकास की योजना बनाता है।

(5) विभाग पर्यटन महत्व के अनुसार इस स्थल का मूल्यांकन कर रहा है, वित्तीय अभाव में विभाग राज्य में स्थित अनेक ऐसे स्थलों के विकास हेतु योजना बनाने में असमर्थ है।

जघन्य अपराधों में पकड़े गये व्यक्तियों की जमानत

629. श्री वंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अप्रेल, 1978 से 31 अगस्त, 1978 तक राज्य के विभिन्न अपीलीय न्यायालयों से कितने-कितने व्यक्ति जघन्य अपराधों में इनवोल्व्ड, सजायाफ्ता, मृत्यु दण्ड, आजन्म कारावास एवं जिन अपराधियों की सजा अधिक समय की निर्धारित है जमानत व मुचलकों पर छोड़े गये हैं ?

(2) इसी तरह से अन्डर ट्रायल प्रिजनर्स भी ऐसी ही जघन्य अपराधों में इस अवधि में कितने-कितने जमानत पर चले गये ?

(3) क्या इसका असर राज्य की शांति व सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ा है ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न कारागृहों में जघन्य अपराधों के अन्तर्गत सजा भुगतने के लिये जिन बंदियों को भेजा गया था उनमें से 796 दण्डित बंदियों को अप्रेल, 1978 से 31-8-78 तक की अवधि में जमानत एवं मुचलकों पर रिहा किया गया है।

(2) विभिन्न अपराधों के अन्तर्गत कारागृहों में विचाराधीन बंदी की हैसियत से जिन्हें भेजा गया था, उनमें से अप्रेल, 1978 से 31-8-78 तक की अवधि में 1,420 विचाराधीन बंदियों को जमानत व मुचलकों पर रिहा किया गया है।

(3) इसका सम्बन्ध इस विभाग से नहीं है।

इटावा कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट

630. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के पिछड़ेपन तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर डी० जे० तथा जिलाधीश, कोटा ने इटावा कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने की सिफारिश तथा आवश्यकता महसूस की है ?

(2) क्या जनहित में जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने तथा क्षेत्र की आवश्यकता एवं उपयोगिता तथा समस्या को मद्दनजर रखते हुए राज्य सरकार इटावा में मुन्सिफ कोर्ट खोलने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इटावा में मुन्सिफ व न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोलने का पूर्ण औचित्य है। न्यायालय खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है। निर्णय लेने से पूर्व न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी व कर्मचारियों के आवास की सुविधा तथा कारागृह व कोषागार की व्यवस्था पर समुचित विचार कर पंचायती धर्मशाला के एस्टीमेट तैयार करवाने होंगे तथा वित्तीय परीक्षण कर न्यायालय खोलने के आदेश पारित किये जा सकेंगे। यदि ग्राम पंचायत पेटर्न के मुताबिक ये सुविधायें उपलब्ध करवाने हेतु तत्पर है तो सुविधाए उपलब्ध होते ही तत्काल आदेश पारित किये जा सकते हैं ।

राज्य में मुंसिफ कोर्ट्स

631. श्री वृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के प्रत्येक जिले में कितने मुन्सिफ कोर्ट्स कहां-कहां स्थापित हैं ? सूची जिलेवार, सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । किसी जगह मुन्सिफ कोर्टस स्थापित किये जाने में क्या-क्या आधारभूत बातें ध्यान में रखी जाती हैं ?

(2) क्या बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) मुकाम पर मुन्सिफ कोर्ट स्थापित हो इसकी औचित्तता के बारे में उच्च न्यायालय से राज्य सरकार को सलाह प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 25 न्याय क्षेत्र हैं और प्रत्येक न्याय क्षेत्र में जहां-जहां मुन्सिफ कोर्ट्स स्थापित हैं उसका विवरण संलग्न सूची द्वारा सदन की मेज पर रख दिया गया है। किसी जगह मुन्सिफ कोर्ट स्थापित किये जाने में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है:—

1. मुकद्दमों की संख्या ।
2. न्यायालय भवन, पीठासीन अधिकारी व स्टाफ के लिये आवासीय व्यवस्था लौक-अप आदि ।
3. अभिभावकों की संख्या ।

(2) राजस्थान उच्च न्यायालय ने मुकद्दमों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सलाह दी है कि मुन्सिफ एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय छोटी सादड़ी से हटाकर बड़ी सादड़ी में स्थापित करने का औचित्य नहीं है परन्तु जनता की सुविधा के लिये बड़ी सादड़ी में केम्प कोर्ट लगाने बाबत न्यायालय सहमत है। बड़ी सादड़ी में केम्प कोर्ट लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

LIST OF MUNSIF MAGISTRATE COURTS AS ON JULY 1, 1978.

(1) AJMER JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ajmer (East).
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ajmer (West).
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ajmer (East).
4. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ajmer (West).
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ajmer District.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Beawar.
7. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Beawar.
8. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Nasirabad.
9. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kishangarh.
10. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kekri.
11. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kekri.
12. Judicial Magistrate, First Class No. 1, Ajmer.
13. Judicial Magistrate, First Class No. 2, Ajmer.
14. Judicial Magistrate, First Class No. 3, Ajmer.
15. Judicial Magistrate, First Class No. 4, Ajmer.
16. Judicial Magistrate, First Class (Railways) Ajmer.
17. Judicial Magistrate, First Class (Roadways) Ajmer.

(2) ALWAR JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Alwar.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate No. 1, Alwar.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate No. 2, Alwar.
4. Musif-cum-Judicial Magistrate, Behror.
5. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Behror.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kishangarhbas.
7. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Lachhmangarh.
8. Musif-cum-Judicial Magistrate, Raigarh.
9. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Thanagazi.
10. Judicial Magistrate, First Class No. 1, Alwar.
11. Judicial Magistrate, First Class No. 2, Alwar.
12. Judicial Magistrate, First Class No. 3, Alwar.
13. Judicial Magistrate, First Class, Tijara.
14. Judicial Magistrate, First Class, Kishangarhbas.

(3) **BANSWARA JUDGESHIP**

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Banswara..
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kushalgarh.
3. Judicial Magistrate, Banswara.

(4) **BALOTRA JUDGESHIP**

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Balotra.
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Barmer.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Barmer.
4. Judicial Magistrate, Balotra.

(5) **BHARATPUR JUDGESHIP**

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bharatpur.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 1, Bharatpur.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 2, Bharatpur.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bayana.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Dholpur.
6. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 1, Dholpur.
7. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 2, Dholpur.
8. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Deeg.
9. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Deeg.
10. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bari (Dholpur).
11. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Weir.
12. Judicial Magistrate, First Class, Bharatpur.
13. Judicial Magistrate, First Class, Deeg.

(6) **BHILWARA JUDGESHIP**

1. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bhilwara.
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Gangapur.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Gulabpura.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Mandalgarh.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Shahpura.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jahazpur.
7. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Bhilwara.
8. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Bhilwara.
9. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bhilwara.

(7) BIKANER JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bikaner.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 1, Bikaner.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 2, Bikaner.
4. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Bikaner.
5. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Bikaner
6. Judicial Magistrate, First Class (Railways), Bikaner.
7. Judge, Industrial-cum-Labour-cum-Motor Vehicles Accident Claims Tribunal-cum-Special Judge for Anti-Corruption Cases.

(8) BUNDI JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bundi.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 1, Bundi.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 2, Bundi.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Nainwa.
5. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Bundi.
6. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Bundi.

(9) CHURU JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Churu.
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ratangarh.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Rajgarh.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sardarshahar.
5. Judicial Magistrate, First Class, Ratangarh.

(10) GANGANAGAR JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ganganagar.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ganganagar.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Hanumangarh.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Raisinghnagar.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Karanpur.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bhadra.
7. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Suratgarh.

380

8. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Nohar.
9. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Ganganagar.
10. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Ganganagar.
11. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Hanumangarh.
12. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Hanumangarh.
13. Judicial Magistrate, First Class, Raisinghnagar.
14. Judicial Magistrate (Roadways), Hanumangarh.

(11) DUNGARPUR JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Dungarpur.
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Dungarpur, Udaipur at Dungarpur.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Dungarpur.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sagwara.

(12) JAIPUR CITY JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jaipur City (East).
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jaipur City (West).
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jaipur City (East).
4. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jaipur City (West).
5. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 1, Jaipur City.
6. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 2, Jaipur City.
7. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 3 Jaipur City.
8. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 4 Jaipur City.
9. Addl Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 5, Jaipur City.
10. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Jaipur City.
11. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Jaipur City.

12. Judicial Magistrate, First Class, No. 3, Jaipur City.
13. Judicial Magistrate, First Class, No. 4, Jaipur City.
14. Judicial Magistrate, First Class, No. 5, Jaipur City.
15. Judicial Magistrate, First Class No. 6, Jaipur City.
16. Judicial Magistrate, First Class, No. 7, Jaipur City.
17. Judicial Magistrate, First Class, No. 8, Jaipur City.
18. Judicial Magistrate, First Class, No. 9, Jaipur City.
19. Judicial Magistrate, First Class, No. 10, Jaipur City.
20. Judicial Magistrate, First Class, No. 11, Jaipur City.
21. Judicial Magistrate, First Class, No. 12, Jaipur City.
22. Judicial Magistrate, First Class, (Railways), Jaipur City.
23. Judicial Magistrate, First Class (Roadways), Jaipur City.

(13) **JAIPUR DISTRICT JUDGESHIP**

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jaipur District.
2. Addl. Munsif-cum-judicial Magistrate, No. 1, Jaipur District.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 2, Jaipur. District.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Dausa.
5. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Dausa.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sambhar.
7. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sambhar.
8. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Shahpura.
9. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kotputli.
10. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bandikui.
11. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Jaipur District.
12. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Jaipur District.
13. Judicial Magistrate, First Class, No. 3, Jaipur District.

14. Judicial Magistrate, First Class, No. 4, Jaipur District.
15. Judicial Magistrate, First Class, No. 5, Jaipur District.

(14) JALORE JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jalore.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jalore.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bhinmal.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sanchore.

(15) JHALAWAR JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jhalawar.
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bhawanimandi.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Aklera.
4. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Aklera.
5. Judicial Magistrate, First Class, Jhalawar.

(16) JHUNJHUNU JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jhunjhunu.
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Chirawa.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Khetri.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Nawalgarh.
5. Judicial Magistrate, First Class, Jhunjhunu.

(17) JODHPUR JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, First Class, Jodhpur City.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Jodhpur City.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Jodhpur City.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, First Class, Jodhpur District.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bilara.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Phalodi.
7. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Pokaran.
8. Judicial Magistrate, First Class, No. 1. Jodhpur
9. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Jodhpur.
10. Judicial Magistrate, First Class, No. 3, Jodhpur.
11. Judicial Magistrate, First Class, No. 4, Jodhpur.
12. Judicial Magistrate, First Class, No. 5, Jodhpur

13. Judicial Magistrate, First Class (Railways), Jodhpur.
14. Judicial Magistrate, First Class (Roadways), Jodhpur.

(18) KOTA JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kotah (North).
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 1, Kotah (North).
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 2, Kotah (North).
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kotah (South).
5. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 1, Kotah (South).
6. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, No. 2, Kotah (South).
7. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Baran.
8. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Baran.
9. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Ramganjmandi.
10. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Chhabra.
11. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Atru.
12. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Kotah.
13. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Kotah.
14. Judicial Magistrate, First Class, No. 3, Kotah.
15. Judicial Magistrate, First Class, No. 4, Kotah.
16. Judicial Magistrate, First Class, Baran.
17. Judicial Magistrate, First Class, Ramganjmandi.
18. Judicial Magistrate, First Class (Railways), Kotah.

(19) MERTA JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Merta.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Merta.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Nagaur.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Nawa.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Deedwana.
6. Musif-cum-Judicial Magistrate, Parbatsar.
7. Judicial Magistrate, First Class, Merta.
8. Judicial Magistrate, First Class, Nagaur.

(20) PALI JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Pali.

2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bali.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sojat.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Jetaran.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Desuri.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Abu Road.
7. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sirohi.
8. Judicial Magistrate, First Class, Pali.
9. Judicial Magistrate, First Class, Jetaran.

(21) PRATAPGARH JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Pratapgarh.
2. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Chhotisadri.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kapasan.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Chittorgarh.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Nimbahera.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Begun.
7. Judicial Magistrate, First Class, Chittorgarh.
8. Judicial Magistrate, First Class, Pratapgarh.

(22) SAWAI MADHOPUR JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sawai Madhopur.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sawai Madhopur.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Gangapur.
4. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Gangapur.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Hindaun.
6. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Hindaun
7. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Karauli.
8. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Karauli.
9. Judicial Magistrate, First Class, Hindaun.

(23) SIKAR JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sikar.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Sikar.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Fatehpur.
4. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Neemkathana.
5. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Neemkathana.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, First Class, Srimadhopur.
7. Judicial Magistrate, First Class, Sikar.

(24) TONK JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Tonk.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Tonk.
3. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Malpura.
4. Judicial Magistrate, First Class, Tonk.

(25) UDAIPUR JUDGESHIP

1. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Udaipur.
2. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate No. 1, Udaipur.
3. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate No. 2, Udaipur.
4. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate No. 3, Udaipur.
5. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Mavli.
6. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Salumber.
7. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Nathdwara.
8. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Bhim.
9. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kanore.
10. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Rajsamand.
11. Addl. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Rajsamand.
12. Judicial Magistrate, First Class, No. 1, Udaipur.
13. Judicial Magistrate, First Class, No. 2, Udaipur.
14. Judicial Magistrate, First Class, No. 3, Udaipur.
15. Munsif-cum-Judicial Magistrate, Kotra.
16. Judicial Magistrate, First Class, Rajsamand.
17. Judicial Magistrate (Roadways), Udaipur.

पीपल्दा क्षेत्र के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई

634. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र के फौजदारी मुकदमें कोटा तथा बारां में सुने जाते हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि यहां से अदालत 100-150 कि० मी० दूर पड़ती है तथा क्षेत्र चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ है जिससे अदालत पहुंचने में लोगों को कठिनाई होती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इटावा कस्बे में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने हेतु डी० जे० तथा जिलाधीश ने आवश्यकता समझी है तथा अपनी सहमति प्रकट की है ?

(4) क्या राज्य सरकार पीपल्दा क्षेत्र जो कि अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित है के

Page No 386

(386)

(श्री हीरालाल आर्य)
पिछड़े तथा गरीब व्यक्तियों को सस्ता त सुलभ न्याय प्राप्त करने हेतु इटावा में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने के आदेश प्रदान करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) पीपल्दा क्षेत्र चारों ओर से नदियों से घिरा होने के कारण बरसात में काफी असुविधा होना सम्भव है व आवागमन के साधन भी सीमित हैं तथा काफी दूरी से लोगों को न्यायालय में आना पड़ता है।

(3) जी हां।

(4) रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय व जिलाधीश कोटा से न्यायालय भवन व लॉक अप आदि के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

न्यायालय में विचाराधीन चुनाव याचिकायें

635. **श्री ओंकार लाल चौहान** (अटरु): क्या निर्वाचन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान विधान सभा चुनाव, 1972 के चुनावों को चुनौती देने हेतु कितनी चुनाव याचिकायें प्रस्तुत की गई हैं ? विधान सभा क्षेत्रों के नाम बतलाने की कृपा करें।

(2) कितनी और कौन कौन से क्षेत्रों की चुनाव याचिकाओं का उच्च न्यायालय ने निर्णय कर दिया है ?

(3) क्या यह सही है कि वैधानिक प्रावधान होते हुए भी इन चुनाव याचिकाओं का निपटारा अभी तक नहीं हुआ है ?

(4) क्या यह भी सही है कि माननीय न्यायाधीशों द्वारा इन पर बहुत कम समय दिया जाना ही विलम्ब का एकमात्र कारण है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) निम्न 14 विधान सभा क्षेत्रों से चुनाव याचिकाएं प्रस्तुत की गई थीं:—

1. नोहर
2. गंगानगर
3. करनपुर
4. रायसिंहनगर
5. पिलानी
6. दांता
7. राजगढ़
8. करौली
9. महुवा
10. टोंक
11. आसींद
12. सोजत
13. शिव
14. भोपालगढ़

(2) सभी याचिकाओं का उच्च न्यायालय ने निर्णय कर दिया है।

(3) प्रश्न पैदा नहीं होता।

(4) प्रश्न पैदा नहीं होता।

जालोर में भारतीय खाद्य निगम का गोदाम

636. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर)**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांचौर जिला जालोर में अभी तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोई अनाज गोदाम नहीं बनाया गया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
है ? अगर हां तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि सांचौर में अभी किसी विभाग द्वारा अनाज गोदाम नहीं बनाया गया है। अगर हां, तो भारतीय खाद्य निगम राजकीय उच्च मार्ग पर सांचौर में अनाज गोदाम बनाना उचित समझेगी ? अगर हां, तो गोदाम कब तक बना दिया जायेगा ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, न तो किसी भी योजनान्तर्गत वर्ष 77-78 में सांचौर में खरीद हुई है व न ही निगम को सांचौर में भण्डारण की आवश्यकता है। अतः अभी तक भारतीय खाद्य निगम ने सांचौर में कोई गोदाम नहीं बनाया है।

(2) जी हां, सांचौर में भण्डार की आवश्यकता ही नहीं है एवं न ही ऐसा कोई प्रस्ताव निगम के पास विचाराधीन है।

राज्य में सीमेंट का आवंटन

637. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में प्रति तिमास कुल कितना सीमेंट आवंटित होता है ?

(2) क्या इसी अनुपात में जनसंख्या और कार्य के आधार पर सीमेंट आवंटित होता है ? यदि हां, तो जालौर व सिरोही को प्रति तिमाही दस दस हजार टन सीमेंट चाहिये और मिल रहा है 800 टन ? इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) कोई मात्रा निश्चित नहीं है। चतुर्थ तिमाही, अक्टूबर से दिसम्बर, 1978 1,51,000 टन सीमेंट आवंटन हुआ है।

(2) जिलों में सीमेंट जिले की मांग एवं भारत सरकार द्वारा आवंटन को ध्यान में रखते हुए आवंटित किया जाता है।

भीलवाड़ा जिले में केरोसीन का वितरण

638. श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भीलवाड़ा में मैसर्स भण्डारी एण्ड कम्पनी को सम्पूर्ण जिले में केरोसीन वितरण का अधिकार-पत्र प्राप्त है ? यदि नहीं, तो दिनांक 2-3-78 को उसके द्वारा ग्राम हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा में किस अधिकार-पत्र के माध्यम से घासलेट वितरण किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा युवा जनता के महामंत्री श्री दीपक गोयल द्वारा उक्त फर्म की दि. 2-3-78 को कोई शिकायत की गई ? क्या उस शिकायत के आधार पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो शिकायत से संबंधित कार्यवाही का विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) भण्डारी एण्ड कम्पनी भीलवाड़ा को भीलवाड़ा में केरोसीन का खुदरा वितरण करने का अनुज्ञा-पत्र जारी किया हुआ है। विक्रेता किसी भी ग्राहक को नियमानुसार केरोसीन बेच सकता है। समस्त भीलवाड़ा जिले में केरोसीन का मुक्त वितरण है।

(2) यह सही है कि युवा जनता के

3088

(खाद्य मन्त्री)
महामंत्री श्री दीपक गोयल द्वारा 2-3-78 को शिकायत पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसकी नियमासार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच कराई गई व पाई अनियमितताओं के बारे में विक्रेता को नोटिस दिया गया एवं आगामी कार्यवाही जारी है।

पंचायतों में ग्रुप सचिव की व्यवस्था

639. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रुप सचिव व्यवस्था बनाने के क्या-क्या प्रमुख उद्देश्य थे ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रुप सचिव व्यवस्था के कारण पंचायत राज व्यवस्था पंगु हो गई है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने इसको तुरन्त समाप्त करने की घोषणा की थी ?

उत्तर

(1) ग्रुप सचिव योजना पंचायतों का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतु लागू की गई थी क्योंकि इससे पूर्व पंचायतों द्वारा जो अंशकालिक सचिव रखे जाते थे उनके लिये कोई योग्यता निर्धारित नहीं थी और अंशकालिक होने के कारण उनके द्वारा पंचायतों का कार्य भी पूर्ण रूप से संपादित नहीं किया जाता था।

(2) जी नहीं। यद्यपि कुछ सरपंचों द्वारा इस विभाग को अवगत कराया गया है कि ग्रुप सचिव उनके कार्य क्षेत्र की प्रत्येक पंचायत के कार्य को बराबर महत्व नहीं देते हैं एवं बहुत-सी पंचायतों का कार्य समय पर एवं पूर्ण रूप से संपादित नहीं करते हैं।

(3) जी नहीं। मामला विचाराधीन है।

पंचायत समिति, नादोती का मुख्यावास

640. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडा-भीम): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ?

(1) क्या यह सही है कि तहसील नादोती और बामनवास दोनों की एक पंचायत समिति है और जिसे पंचायत समिति, नादोती मुख्य बामनवास का नामकरण दिया हुआ है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त क्षेत्र को जनहित की दृष्टि से दोनों को अलग अलग करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। अभी विचार नहीं है।

पंचायत समिति, लाडपुरा व चेचट के अन्तर्गत बेकार पड़े तालाब

641. श्री हरीश शर्मा (रामगंज मंडी): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

पंचायत समिति, लाडपुरा एवं पंचायत समिति, चेचट में पंचायत समिति की देखरेख में आने वाले कुल तालाब कितने हैं ? क्या वे सभी बेकार हैं? क्या इन तालाबों से सिंचाई हो सकती है ? यदि हां, तो आज तक उन्हें ठीक करवाने के लिये राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये ?

उत्तर

पंचायत समिति, लाडपुरा में 17 तालाब

(पंचायत मंत्री)
है एवं पंचायत समिति चेचट में कोई तालाब नहीं है। इनमें पंचायत समिति, लाडपुरा के आठ तालाब सिंचाई योग्य नहीं हैं, क्योंकि इनमें वर्ष भर पानी नहीं ठहरता है। पंचायत समिति ने उपलब्ध बजट के अनुसार समय समय पर ठीक करवाने की कार्यवाही की है, क्योंकि तालाब पं० सं० के अधीन है, अतः राज्य सरकार के स्तर पर ठीक करवाने संबंधित कार्यवाही का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

विभिन्न पंचायत समिति में विकास अधिकारियों के रिक्त पद

642. श्री नारायण मीना (लसाडिया) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राज्य की विभिन्न पंचायत समितियों में मई, 1978 से विकास अधिकारियों को किन कारणों से अब तक नियक्तियां राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई। अब इस संबंध में राज्य सरकार की निर्धारित नीति क्या होगी ? इन नियुक्तियों के अभाव में उचित नियन्त्रण नहीं रहने से विकास कार्यक्रम अवरुद्ध होने या धीमी प्रगति के लिये राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

उत्तर

विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर कृषि प्रसार अधिकारी, शिक्षा प्रसार अधिकारी, सहकारी प्रसार अधिकारी एवं पंचायत प्रसार अधिकारियों के वर्गों के व्यक्तियों में से चयन किया जाकर नियुक्ति की जानी है। चयन हेतु सम्बन्धित विभागों से योग्य अधिकारियों के सेवा अभिलेख एवं गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त किये गये जिनकी जांच की जाकर चयन सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जा रही है। विभिन्न पंचायत समितियों में विकास अधिकारियों के रिक्त पदों पर सम्बन्धित पंचायत समिति के वरिष्ठतम प्रसार अधिकारी कार्यवाहक विकास अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। विकास अधिकारी के पद के रिक्त रहने के फलस्वरूप उचित नियंत्रण नहीं रहने एवं विकास कार्यक्रम अवरुद्ध होने अथवा धीमी प्रगति होने के सम्बन्ध में किसी पंचायत समिति से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर

पंचायत समिति, दांतारामगढ़ की निजी जमीन पर अनधिकृत कब्जे

643. श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पंचायत समिति, दांतारामगढ़ की निजी जमीन में कई व्यक्तियों ने निजी मकान बना लिये हैं ? अगर हां तो किन किन ने एवं विकास अधिकारी दांतारामगढ़ ने उन पर क्या कार्यवाही की ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी नहीं।

पंचायतों को नगरपालिका के बराबर अनुदान

644. श्री बहादुरसिंह (नोहर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार पंचायतों को भी

(श्री बहादुरसिंह)
नगरपालिकाओं के बराबर प्रति व्यक्ति अनुदान देने का इरादा रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

अब तक इस प्रश्न पर विचार नहीं किया गया है ।

•

पचायत समिति, फतेहपुर, जिला सीकर के सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध शिकायतें

646. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत चूडीमिया, पंचायत समिति, फतहपुर, जिला सीकर के भूतपूर्व सरपंच श्री कालू राम एवं भूतपूर्व सचिव श्री राम कुमार सिंह के खिलाफ गबन की शिकायतें हैं ? यदि हां, तो जांच कब करवाई तथा जांच का परिणाम क्या रहा ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच एवं सचिव के कार्यकाल में बीसों हजार रुपयों का घोटाला ऑडिट रिपोर्टों से सिद्ध है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? यदि की गई तो कब ? नहीं तो क्यों नहीं ? अब आगे कब तक क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच एवं सचिव ने अपने कार्यकाल में रहे अनियमितताएं एवं घोटालेबाजी की है ? यदि हां, तो कृपया विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें ।

उत्तर

(1) जी हां । श्री कालूराम भूतपूर्व सरपंच, पंचायत चूडीमियां एवं श्री राम कुमार सिंह भूतपूर्व सचिव, ग्राम पंचायत चूडीमियां के विरुद्ध गबन की शिकायत दिनांक 12-6-78 को राज्य सरकार को श्री रामेश्वर सेमार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिस पर जिलाधीश सीकर को दिनांक 20-6-78 को जांच करा प्रतिवेदन भिजवाने हेतु लिखा गया था । जिलाधीश सीकर से जांच रिपोर्ट दिनांक 23-10-78 को प्राप्त हुई थी परन्तु वह अपूर्ण होने से दिनांक 11-11-78 को पुनः लिखा गया है । जांच कार्यवाही जिलाधीश स्तर पर की जा रही है ।

(2) जी नहीं ।

(3) पूर्व सरपंच श्री कालूराम एवं पूर्व सचिव श्री रामकुमार सिंह द्वारा की गई अनियमितताओं के संबंध में जांच की कार्यवाही जारी है । जांच पूर्ण होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी ।

ग्राम पंचायत भोजासर, पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ के भू. पू. सरपंच के विरुद्ध गबन की शिकायतें

647. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

ग्राम पंचायत भोजासर बड़ा प. सं. लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के भूतपूर्व सरपंच श्री हरदेवा राम के खिलाफ गबन एवं घोटालों की शिकायतें हुई हैं ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? क्या वास्तव में उक्त सरपंच ने गबन

(श्री श्रवणलाल)
किया है ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ? अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

ग्राम पंचायत मोजासर बड़ा के भूतपूर्व सरपंच श्री हरदेवा राम के विरुद्ध गबन एवं घोटाले की शिकायत राज्य सरकार को वर्तमान सरपंच श्री गुलाबसिंह से दिनांक 12-6-78 को प्राप्त हुई। इस मामले में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20-6-78 को जिलाधीश सीकर को जांच करने हेतु आदेश दिया गया है। जिलाधीश स्तर पर जांच की कार्यवाही चल रही है। जहां तक गबन एवं घोटाले का प्रश्न है जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर स्थिति स्पष्ट हो सकेगी तथा यदि किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो पूर्व सरपंच के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

पंचायतों में सुधार की योजना

648. श्री अब्दुल अजीज (मकराना): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत राज्य के अन्तर्गत राज्यों की पंचायत सुचारु रूप से कार्य नहीं कर रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार किस प्रकार से पंचायतों में सुधार कर गांवों के उत्थान हेतु योजना लागू करेंगी?

(2) पिछड़ी जाति के सरपंच की नुमाइन्दगी के लिए राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) अशोक मेहता कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति के संबंध में निर्णय लिये जाने के पश्चात् इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

न्याय पंचायत समिति, हिण्डौन के भू. पू. सचिवों का बकाया वेतन

649. श्री श्रवण लाल (हिण्डौन): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि न्याय पंचायत मण्डावर, एवं कोटरी पंचायत समिति, हिण्डौन, जिला सवाई माधोपुर के भूतपूर्व सचिवों का वेतन बकाया है ? यदि हां, तो कब से कब तक का कितना कितना बकाया चला आ रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) क्या यह सही है कि इसके भुगतान के लिये विभाग द्वारा कोई आदेश दिये गये ? यदि हां, तो कब और अब तक क्यों नहीं भुगतान किया गया ?

उत्तर

(1) जी हां। न्याय पंचायत मंडावरा एवं कोटरी पंचायत समिति, हिण्डौन जिला सवाईमाधोपुर के भूतपूर्व सचिव श्री मथुरा लाल गोयल को न्याय पंचायत मन्डावर का माह मई, 63 से सितम्बर, 1975 तक 60 रुपये प्रति माह की दर से 8880) रुपये बकाया है। इसी प्रकार न्याय पंचायत कोटरी का माह दिसम्बर, 60 से सितम्बर, 1975 तक 25) रु० प्रति माह की दर से 1450) बकाया है।

(2) जी हां। विभाग द्वारा दिनांक

(पंचायत मंत्री)

20-12-1977 न्याय पंचायतों के भूतपूर्व सचिवों के बकाया वेतन भुगतान के संबन्ध में निर्देश प्रसारित किये गये हैं किन्तु न्याय पंचायतों के विघटन के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के पास भुगतान हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका ।

सरपंचों के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा

650. **श्री आर. डी. यादव** (चौमूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने सरपंचों के विरुद्ध शिकायतें 22 जून, 1977 को विचाराधीन थीं तथा कितने मामलों में राज्य सरकार ने निर्णय कर अपदस्थ कर या अयोग्य घोषित किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले की दांतारामगढ़ पं. सं. के सरपंच श्री रामेश्वर विद्यार्थी के विरुद्ध राज्य सरकार के पास अनियमितता का मामला विचाराधीन है । अगर हां, तो कब से ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त सरपंच के विचाराधीन मामलों को तय करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) दिनांक 22 जून, 1977 को 2006 सरपंचों की शिकायतें राज्य सरकार के पास विचाराधीन थीं । जिनमें से 182 मामलों में राज्य सरकार ने निर्णय कर पृथक परिनिर्णय लेखबद एवं मामलों को समाप्त करने की कार्यवाही की है जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी हां । दिनांक 20-5-78 को मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा श्री नारायण लाल के आवेदन-पत्र दिनांक 8-5-78 के अनुरूप राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है । अग्रिम कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां । जांच रिपोर्ट जिलाधीश सीकर से प्राप्त हो चुकी है जिसके आधार पर सरपंच को राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत नोटिस दिया जाकर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है । सरपंच का स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ग्राम पंचायत खंड गोवडी (कोटा) में रिहायशी प्लाटों के पट्टे

651. **श्री आर. डी. यादव** (चौमूं) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा जिलान्तर्गत ग्राम पंचायत खंड गोवडी में सन् 1971 से 1974 तक कुल कितने रिहायशी प्लाटों के पट्टे किस-किस को दिये गये थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पट्टों में जालसाजी करके फर्जी व्यक्तियों के नाम आवंटन कर उन्हें बचाने आदि की शिकायतें राज्य सरकार के पास आयी हैं ? अगर हां, तो अब तक क्या कोई निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री आर० डी० यादव)

(3) क्या यह सही है कि अब यह पंचायत खंड गोवडी नगरपरिषद् में शामिल हो गयी है ?

(4) क्या यह सही है कि इस पंचायत में भूमि विक्रय के मामलों में मुकदमें पुलिस में दर्ज कराये गये थे तो कितने-कितने व उनमें अब तक क्या हुआ है ?

उत्तर

(1) कोटा जिला अन्तर्गत ग्राम पंचायत, खन्ड गोवडी, वर्ष 1971 से 1974 तक अस्तित्व में ही नहीं थी। यह पंचायत वर्ष 1959 में ही नगरपालिका, कोटा में मिला दी गई थी। अतः कोई रिहायशी प्लाटों के लिए पट्टे दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जी हां। यह सत्य है कि यह पंचायत, खण्ड गोवडी, वर्ष 1959 में ही नगरपरिषद् में शामिल हो गई है।

(4) वर्ष 1959 में ही इस पंचायत का समस्त रेकार्ड नगरपालिका, कोटा को सौंप दिया गया था और इसकी समस्त लाइबिलिटीज नगरपालिका में निहित हो चुकी थी। अतः पुलिस में दर्ज कराये गये मामलों की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

राज्य के ग्रुप सचिव

656. श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में ग्रुप सचिव जो मार्च, 1978 से सितम्बर, 1978 तक बेकार बैठे रहे और इनसे कोई कार्य नहीं लिया गया ? यदि हां, तो इन ग्रुप सचिवों की संख्या कितनी है ?

(2) क्या यह सही है कि ग्रुप सचिवों ने कोई कार्य नहीं किया और राज्य सरकार को इनको पैसा देना पड़ रहा है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

ग्राम पंचायत, झिराना, तहसील टोंक के सरपंच के विरुद्ध शिकायतें

657. श्री नारायण सिंह (मालपुरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्राम पंचायत, झिराना, तहसील टोंक के सरपंच, श्री मदन लाल शर्मा के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई जब कि उसके विरुद्ध गबन व अन्य आरोप सिद्ध हो चुके हैं ? यदि अब तक शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो कब तक राज्य सरकार कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

Page No 394

(304)

(श्री नारायणसिंह)

(2) क्या यह सही है कि सरपंच, श्री रूपनारायण शर्मा, ग्राम पंचायत, कलमन्डा, तहसील मालपुरा ने अपने पद का दुरुपयोग कर अपने ही पुत्र श्री रमेश, आयु 12 वर्ष को अपनी ही ग्राम पंचायत के सचिव पद पर रख कर राज्य सरकार के कोष का दुरुपयोग किया। यदि हां, तो ऐसे भ्रष्ट आचरण के सरपंच के विरुद्ध राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सरपंच, श्री रूपनारायण के विरुद्ध राज्य सरकार का हजारों रुपयों का गबन सिद्ध हो चुका है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) श्री मदनलाल शर्मा, सरपंच, ग्राम पंचायत, झिराना के विरुद्ध जनता निवासी झिराना द्वारा दिनांक 28-9-77 को प्राप्त होने पर जिलाधीश, टौंक को 15-10-77 को प्राथमिक जांच हेतु लिखा गया। जिलाधीश, टौंक ने इस मामले की जांच उप-जिलाधीश, टौंक से करा जांच रिपोर्ट प्रेषित की है जो इस विभाग में दिनांक 30-9-78 को प्राप्त हुई है। प्राथमिक जांच में श्री मदनलाल शर्मा, सरपंच, झिराना के विरुद्ध राशि का अपहरण करना पाया गया है। अब उनके विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा धारा 17(4) के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(2) श्री रूपनारायण, सरपंच, ग्राम पंचायत, कलमन्डा के विरुद्ध इस सम्बन्ध में शिकायत दिनांक 2-6-78 को प्राप्त होने पर जिलाधीश को लिखा गया। जिलाधीश द्वारा उप-जिलाधीश, मालपुरा से जांच करवाई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(3) जी हां। पंचायत, कलमन्डा के उक्त सरपंच, श्री रूपनारायण शर्मा के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर इस मामले की प्रारम्भिक जांच कराई गई तथा जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरपंच को नोटिस दिया जाकर प्रतिवेदन मांगा गया था। सरपंच द्वारा आरोपों का खण्डन करने के कारण विकास अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तथा मामला पुलिस में दिया जा चुका है।

पंचायत समिति, बुहाना, जिला झुन्झुनू का ऑडिट

658. श्री सुभाष चन्द्र आर्य (सूरजगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, बुहाना, जिला झुन्झुनूं का ऑडिट वर्ष 1977-1978 में किया गया? यदि हां, तो ऑडिट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या उक्त ऑडिट रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि उक्त पंचायत समिति में काफी गबन-घोटाले पाये गये? यदि हां, तो राज्य सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की एवं आडिट के अलावा भी यदि किसी प्रकार की अनियमितता आदि है तो क्या राज्य सरकार शीघ्र कोई उचित कदम उठावेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

(पंचायत मन्त्री)

उत्तर

(1) जी हां, वर्ष 77-78 में इस पं. स० का ऑडिट किया गया था जो वित्तीय वर्ष 75-76 एवं 76-77 से सम्बन्धित है। प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) आडिट रिपोर्ट में गंभीर वित्तीय अनियमिततायें इंगित की गई हैं जिसकी बिन्दुवार जांच अति. जिला विकास अधिकारी द्वारा इस विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 6(121) लेखा। 14793, दिनांक 12-6-78 करवाई जाने के निर्देश दिए गए। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। ऑडिट रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं की जानकारी विभाग को नहीं है?

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट

659. श्री **शंकर लाल** (जैतारण): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य सरकार को पंचायत राज सम्बन्धित श्री अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो राज्य सरकार रिपोर्ट में सुझाए गए किन-किन प्रावधानों को लागू करना चाहती है और किन-किन प्रावधानों को लागू नहीं करना चाहती?

(2) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में आखिरी निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

(3) निर्णय के अनुसार पंचायत समितियों व जिला परिषदों के चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में सुझाये गये प्रावधान राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) निकट भविष्य में ही निर्णय लिये जाने की संभावना है।

(3) अशोक मेहता कमेटी रिपोर्ट पर निर्णय लिये जाने के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में कुछ कहा जा सकेगा।

पंचायतों में ग्रुप सचिव

660. श्री **शंकर लाल** (जैतारण): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की पंचायतों के ग्रुप सचिव प्रत्येक पंचायत के लिये पृथक पृथक नहीं हैं और इसलिए एक पंचायत को उस ग्रुप सचिव की सेवाएं हरदम उपलब्ध नहीं रहती हैं?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत का तमाम रेकार्ड ग्रुप सचिव के कब्जे में रहता है और उसकी अनुपस्थिति में रेकार्ड उपलब्ध न होने से पंचायत कार्य नहीं कर सकती?

(3) क्या राज्य सरकार इस व्यवस्था को पंचायत की स्वायत्त शासन सत्ता को एक्ट के तहत कार्यरूप में लाने की तत्परता में बाधा नहीं समझती? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या विचार किया जा रहा है?

उत्तर

(1) जी हां।

368

(पंचायत मंत्री)

(2) नियमानुसार ग्राम पंचायतों के अभिलेख के संरक्षण का उत्तरदायित्व ग्रुप सचिव का है। ग्रुप सचिवों के लिए उनके कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली प्रत्येक पंचायत में कार्य करने हेतु दिनांक निश्चित किये जाने के निर्देश इस विभाग द्वारा दिये गये हैं और इस प्रकार निर्धारित दिनांकों पर ग्रुप सचिवों के पंचायत में उपस्थित होने की स्थिति में सामान्यतया पंचायतों का रेकार्ड उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

(3) कुछ पंचायतों से वर्तमान ग्रुप सचिव व्यवस्था के कारण पंचायत का कार्य सुचारु रूप से न चलने की स्थिति को इस विभाग के ध्यान में लाया गया है। अतः वर्तमान ग्रुप सचिव व्यवस्था के परिवर्तन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

जिला एवं तहसीलवार पंचायतों के असंतुलन का मामला

661. श्री **वृद्धिचन्द जैन** (बड़ी सादड़ी): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में जितनी तहसीलें हैं उतनी ही या उससे अधिक पंचायत समिति होते हुए भी बड़ी सादड़ी एवं गंगरार ऐसी तहसीलें हैं जिनके अपने तहसील केन्द्रों पर कोई पंचायत समितियां नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या जनहित में राज्य सरकार इस असन्तुलन को दूर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। चित्तौड़गढ़ जिले में ग्यारह तहसीलें एवं बारह पंचायत समितियां हैं। बड़ी सादड़ी तथा गंगरार तहसील मुख्यालयों पर पंचायत समितियां नहीं हैं। पंचायत समितियों का गठन अक्टूबर, 1959 में हुआ था, तब से पंचायत समितियां यथावत हैं।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार ने दिनांक 6-12-77 को तहसीलों की सीमायें पंचायत समिति की सीमाओं के अनुरूप बनाये जाने के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं किये जाने का निर्णय ले लिया है।

ग्राम पंचायत, तिलवाड़ा (बाड़मेर) में तीर्थ यात्री कर

662. श्री **सूरजपालसिंह** (भीनमाल): क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत, तिलवाड़ा (बाड़मेर) ने तीर्थ यात्री कर लगाने का निर्णय लिया था?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने स्थगन आदेश जारी किया? अगर हां, तो क्यों?

(3) क्या ग्राम पंचायत को उक्त कर को लगाने का अधिकार नहीं था? अगर हां, तो स्थगन आदेश देने के क्या कारण थे?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। स्थगन आदेश राजस्थान

(श्री सामुदायिक विकास मंत्री) पंचायत अधिनियम, सन् 1953 की धारा 65-बी के अन्तर्गत प्राप्त अपील में वर्णित तथ्यों के आधार पर 65-सी में जारी किया गया है।

(3) पंचायत को कर लगाने का अधिकार है परन्तु नियमानुसार अपील प्रस्तुत होने पर अपील में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्थगन आदेश नियमानुसार दिया गया है।

विशेष पंचायत कानून सम्बन्धी पुस्तिका की अनिवार्यता

663. श्री शंकर लाल (जैतारण) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत विभाग द्वारा किसी विशेष पंचायत कानून सम्बन्धित पुस्तिका को खरीद करने की हिदायत प्रत्येक पंचायत के नाम जारी की गई है? यदि हां, तो किस पुस्तक के लिये?

(2) उस पुस्तक के लेखक कौन हैं और उसकी कीमत कितनी है?

(3) इस प्रकार इस विशेष पुस्तक को खरीद करने की हिदायत जारी करने के क्या कारण रहे हैं?

उत्तर

(1) राज्य सरकार ने 22-1-1977 को एक परिपत्र जारी कर अतिरिक्त जिला विकास अधिकारियों। उप-जिला विकास अधिकारियों और विकास अधिकारियों को यह कहा था कि यदि बजट में प्रावधान हो तो 'पंचायत निर्देशिका' नाम की पुस्तक खरीद सकते हैं।

(2) श्री भंवरलाल दशोरा, आई. ए. एस. (रिटायर्ड) 3/- रुपये।

(3) यह पुस्तक पंचायतों के लिए उपयोगी पाई गई।

भूतपूर्व अध्यापक, पंचायत समिति, फतेहपुर के वेतन का मामला

666. श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री राधेश्याम शर्मा, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, पंचायत समिति, फतेहपुर का देहान्त हो चुका है? यदि हां, तो कब हुआ और उनके परिवारजनों को पेन्शन देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? पत्र-व्यवहार की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

श्री राधेश्याम शर्मा, भूतपूर्व सहायक अध्यापक, पंचायत समिति, फतेहपुर का दिनांक 23-4-75 को देहान्त हुआ था। दिनांक 3-2-77 को उनके परिवार को प्रोविजनल पेन्शन ग्रेच्युटी स्वीकृत कर दी गई थी। इसके पश्चात् दिनांक 8-9-78 को लेखाधिकारी (पेन्शन) स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश 475। एल क्रमांक 8(क) 15। एल. ए. पेन्शन 9840 के द्वारा अन्तिम रूप से पेन्शन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत की जा चुकी है।

Page No 398

3?8

रून्डेडा (जिला उदयपुर) के सरपंच के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही

667. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या रून्डेडा (जिला उदयपुर) के सरपंच के विरुद्ध जिलाधीश, उदयपुर ने राजस्थान पंचायत एक्ट, 1953 की धारा 17 के अन्तर्गत कार्यवाही की है ?

(2) क्या जिलाधीश, उदयपुर ने उक्त सरपंच को निलम्बित करने की सिफारिश की है ?

(3) क्या इस मामले में राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

(4) क्या कार्यवाही करने की इच्छा राज्य सरकार रखती है ?

उत्तर

(1) जिलाधीश ने सरपंच के विरुद्ध राजस्थान पंचायत अधिनियम, सन् 1953 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत प्रारम्भिक जांच करवाई है ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । इस सम्बन्ध में सरपंच को राजस्थान पंचायत अधिनियम, सन् 1953 की धारा 17(4) के अन्तर्गत आरोप-पत्र मय नोटिस दिनांक 7-11-78 को दिया जाकर उनसे स्पष्टीकरण दिनांक 7-12-78 तक मांगा गया है ।

(4) सरपंच का स्पष्टीकरण प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

पंचायत समिति, इटावा के अध्यापक का बकाया एरियर

668. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, इटावा से अध्यापक, श्री भंवरलाल गौड के एरियर की राशि लेना बकाया है ? यदि हां, तो कितनी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त अध्यापक की एरियर राशि के शीघ्र भुगतान किये जाने हेतु राज्य सरकार से आदेश हुए थे ?

(3) इसके बावजूद भी उक्त अध्यापक को एरियर बिल की राशि अभी तक भुगतान नहीं किये जाने का क्या कारण है ? क्या राज्य सरकार इस राशि के शीघ्र भुगतान किये जाने के पुनः आदेश प्रदान करेगी तथा इस कार्य में अनावश्यक विलम्ब करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

(4) पंचायत समिति में अब कितने अध्यापक ऐसे हैं जिनकी किसी भी प्रकार की राशि अभी तक चुकाना बाकी है तथा कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां । 1,250.30 रुपये देना बकाया है ।

(2) जी हां ।

(3) अध्यापक के एरियर बिल की आक्षेपपूर्ति नहीं होने से भुगतान सम्भव नहीं हो सका है ।

(4) सूची संलग्न है ।

(पंचायत मंत्री)

सूची बकाया एरियर अध्यापकान

क्र. सं०	नाम	राशि	वर्ष
1.	श्री केदारलाल, अध्यापक	20.63	जुलाई, 64 से 14 नवम्बर
2	श्री भंवरलाल गौड	1250.30	,,
3	रमाकान्त	31.73	
4.	मदारी खां	31.73	
5.	शम्भू दयाल शर्मा	31.73	,,
6.	अब्दुल रहमान	31.73	,
7.	हनुमान प्रसाद	31.73	,,
8.	जहीर मोहम्मद	31.73	,,
9.	कस्तूरचन्द	31.73	,,
10.	मोहनलाल	31.73	,,
11.	रंगा देवी	31.73	
12.	प्रभूदास	31.73	,
13.	केदारलाल	31.73	,,

नोट :—अन्य कोई एरियर कार्यालय में बकाया नहीं है यह आवश्यक है कि कुछ एरियर जिन पर बांड आदि पूर्ण नहीं थे कमी पूर्ति कर शीघ्र दिये जाने हेतु अध्यापकों को लौटा दिये गये हैं। प्राप्त होते ही अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी महोदय से रिवाइज्ड करवाकर भुगतान करने की व्यवस्था कर दी जावेगी।

पंचायत समितियों को स्वीकृत अनुदान की राशि

669. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया) : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा मार्च, 1978 में पंचायतों को स्वीकृत की गई अनुदान की राशि अब तक सम्बन्धित पंचायतों को क्यों नहीं दी गई ? अब यह अनुदान राशि पंचायतों को कब तक उपलब्ध कराई जावेगी ?

(2) राज्य में पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के गठन अब तक क्यों नहीं कराये गये ? जिला प्रमुखों, प्रधानों एवं जिला परिषद् तथा पंचायत समितियों के सहवृत्त सदस्यों के चुनावों में विलम्ब के क्या कारण हैं ? यह कब तक कराये जा सकेंगे एवं इस संबंध में राज्य सरकार की निर्धारित प्रक्रिया क्या होगी ?

(3) भंग न्याय पंचायतों एवं पंचायतों के भूतपूर्व सचिवों के बकाया वेतन का भुगतान

(श्री नारायण मीणा)
अब तक क्यों नहीं हुआ ? राज्य सरकार ने ऐसे मामलों में अब तक क्या व्यवस्था की है ? अब कब तक ऐसे सभी मामले राज्य सरकार द्वारा निपटा दिये जाएंगे ?

(4) राज्य सरकार द्वारा पंचायतों के ग्रुप सचिवों के वेतनमान अब तक क्यों नहीं निर्धारित किये गये ? इन ग्रुप सचिवों को अब तक कौनसी वेतन श्रृंखला दी जा रही है ? अब इन सब का वर्ष 1976 के नये वेतनमानों में कब तक वेतन निर्धारण कर दिया जावेगा ? अब तक के विलम्ब के कारण क्या हैं ? ग्रुप सचिवों के प्रशिक्षण के लिए राज्य सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? वर्ष 1977-78 से अब तक कितनों को प्रशिक्षण दिलवाया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अनुदान की राशि का पंचायतें किस प्रकार उपयोग करेगी उसके नियम बनने शेष थे इसलिये मार्च, 78 में राशि पंचायतों को नहीं दी गई । नियम विभागीय परिपत्र एफ. 165।35 (ii) बजट/विकास 77-78। 18395, दिनांक 31-7-78 के द्वारा भेजे जा चुके हैं तथा अनुदान राशि पंचायतों को हस्तान्तरित करने के लिये इस विभाग से जिलाधीशों को निर्देश दियें जा चुके हैं । जिलाधीशों द्वारा यह राशि पंचायत समितियों के निजी खातों में हस्तान्तरित कर दी गई है और पंचायत समितियां इस राशि को पंचायतों के खातों में हस्तान्तरित कर रही हैं । जिसके लिये दिनांक 25-8-78, 12-9-78 व 5-10-78 को जिलाधीशों को भी निर्देश दिये जा चुके हैं । अब तक विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार 16 जिलों की 111 पंचायत समितियों ने उनके यहां की पंचायतों में राशि हस्तान्तरित कर दी है ।

(2) पंचायत राज संस्था के सम्बन्ध में गठित अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के प्राप्त होने एवं कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाकर उनकी क्रियान्विति के सम्बन्ध में अभी तक निर्णय न होने के कारण पंचायत समिति एवं जिला परिषद् का गठन अभी तक नहीं किया जा सका । इन सेवाओं में सहवृत्त सदस्यों के चुनावों में विलम्ब होने का भी यह कारण है । अशोक मेहता कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है । निर्णय होने के पश्चात् पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव करा दिये जावेंगे ।

(3) भंग न्याय पंचायतों एवं पंचायतों के सचिवों के बकाया वेतन का भुगतान सम्बन्धित वर्तमान पंचायतों द्वारा किये जाते हैं, किन्तु इन पंचायतों के पास पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होने के कारण यह भुगतान नहीं किया जा सका ।

(4) चयनित ग्रुप सचिवों को 15 दिन का प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु इस सम्बन्ध में अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा सकी है । शेष प्रश्न का उत्तर ग्रुप-सचिवों के लिए वेतनमानों के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही दिया जा सकता है ।

(৪01)

ग्राम पंचायत रामपुरा की अनुदानित राशि का उपयोग

670. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत रामपुरा श्री सत्यपाल ने ग्राम भगवानसर 24 पी. बी. एन. 1 के. एस. आर., संगर, प्रेमपुरा, 26 पी. बी. एन. करनीसर में पंचायत की ओर से पंचायत कोष से डिग्रियां, स्कूल बनवाये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति ने केवल अनुदान उक्त ग्रामों में डिग्रियों व स्कूलों के निर्माण हेतु पंचात रामपुरा को अनुदान राशि ही दी थी ? और उक्त निर्माण कार्यों को पंचायत द्वारा सम्पन्न करवाया दिखाकर फर्जी पंचायत का रिकार्ड तैयार करके सरपंच श्री सत्यपाल लाखों रुपयों का गबन कर गया है ?

(3) क्या यह सही है कि 26 पी. बी एन. एवं 28 पी. बी. एन. चकों के स्कूल हेतु ग्रामीणों द्वारा खरीदे गये गार्डरों के वाउचर नं. 130 व 131 को टेम्पर विथ करके श्री सत्यपाल ने पंचायत कोष से भुगतान उठा लिया है ?

(4) श्री सत्यपाल, सरपंच ने पंचायत कोष से अपनी पंचायत क्षेत्र में कितनी पुलियों का निर्माण करवाया है और कितना रुपया खर्च किया है ? मुरब्बावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) श्री सत्यपाल, भूतपूर्व सरपंच ने पंचायत समिति, सूरतगढ़ से कितना धन पुलियों के निर्माण हेतु अपने कार्यकाल में उठाया और कितनी पुलियों का निर्माण करवाया है ? मुरब्बावार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) क्या श्री सत्यपाल, भू. पू. सरपंच ने कृषि उपज मंडी समिति पीलीबंगा से अग्रिम राशि, ईंट व सीमेंट पुलियों के निर्माण हेतु लिया ?

(7) क्या यह सही है कि श्री सत्यपाल भूतपूर्व सरपंच पुलिया एक जगह बनवा कर तीन जगहों से प्रत्येक पुलिया के लिय धन उठाता रहा ? अगर हां, तो राज्य सरकार क्या फजकारी एवं गबन का मामला उसके खिलाफ दर्ज करवाने की सोच रही है ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी-हां। ग्राम पंचायत, रामपुरा के सरपंच श्री सत्यपाल ने ग्राम भगवानसर 24 पी. बी. एन., के. एन. आर., संगर में डिग्रियां एवं ग्राम भगवानसर व करनीसर में स्कूल भवन का निर्माण पंचायत कोष एवं पंचायत समिति के अनदान से करवाया है।

(2) पंचायत समिति की ओर से उक्त ग्रामों की डिग्रियों एवं स्कूल निर्माण हेतु अनुदान राशि दी गई थी तथा पंचायत द्वारा उक्त निर्माण कार्यों का निर्माण करवाया जाकर पंचायत रोकड़ में जमा-खर्च किया गया है। इन कार्यों की जिला स्तर पर जांच की जा रही है।

(3) चक 26 पी. बी.एन. में कोई स्कूल भवन नहीं बना; परन्तु चक 28 पी.बी.एन. में स्कूल भवन का निर्माण अवश्य हुआ है जिसमें वाउचर संख्या 130-131 की बनिस्पत वाउचर सं. 100-101 से गार्डरों की

Page No 402

(32)

(पंचायत मंत्री)
खरीद की गई है जो पहले तुलाराम गोदारा के नाम के हैं, परन्तु बाद में ग्राम पंचायत रामपुरा शब्द अंकित कर पंचायत से भुगतान उठाया गया है।

(4) श्री सत्यपाल, सरपंच ने अपने पंचायत क्षेत्र में पंचायत कोष से कुल 6 पुलियों का निर्माण करवाया है जिनके व्यय संबंधी पूर्ण विवरण सूची 1 में अंकित हैं।

(5) श्री सत्यपाल, सरपंच द्वारा पंचायत समिति, सूरतगढ़ से कुल 16 पुलियों के लिये 3200) रुपये की राशि अनुदान स्वरूप उठाई गई है जिसमें से 10 पुलियों का निर्माण श्री सत्यपाल द्वारा करवाया गया है जिसका व उत्तर सम्बन्धी पूर्ण विवरण सूची 2 में अंकित है।

(6) श्री सत्यपाल ने कृषि उपज मंडी समिति, पीलीबंगा से 9 पुलियों के लिये 2700) रुपये नकद, 21 हजार ईंटें व 70 थैले सीमेन्ट के अग्रिम लिये।

(7) इस मामले में जिला स्तर पर जांच की कार्यवाही जारी है। जांच रिपोर्ट से ही पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

अनुसूची नं. 1

क्र. स.	नाम पुलिया जो पंचायत व्यय से बनाई गई	वर्ष	राशि जो व्यय हुई	कार्य स्थिति
1	2	3	4	5
1.	गांव प्रेमपुरा में पुलिया 1	68–69	474.00	कार्य पूर्ण है
2.	गांव बारेका में पुलिया 1	70–71	262.75	,,
3.	गांव रगमहल में पुलिया 1	71–72	384.00	,,
4. व 5.	चक 24 बी. ए. पी. पुलिया 2	74–75	1316.04	,,
6.	गांव सेंधर में पुलिया 1	76–77	758.56	,,

नोट:—पंचायत मद से कुल 6 पुलियों का निर्माण करवाया गया है।

अनुसूची नं. 2

क्र. स.	पुलिया का नाम जिसके लिए पंचायत समिति से अनुदान प्राप्त किया गया	वर्ष	स्वीकृत अनुदान जो दिया गया	मूल्यांकन के आधार पर व्यय	कार्य स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	पुलिया 22 पी. बी. एन. 1 पुलिया 25 पी. बी. एन. 1 पुलिया 29 पी. बी. एन. 1	67-68	600/ रु.	कार्य नहीं किया गया।	कार्य नहीं किया गया।
2.	पुलिया 3 प्रेमपुरा से रामपुरा मार्ग पर चक 23 पी. बी. एन. पर	67-68	600/ रु.	495/ रु. एक पुलिया पर व्यय हुए हैं	इन 3 पुलियों में एक का निर्माण करवाया गया है दो का कार्य नहीं करवाया गया है।
3.	पुलिया 3 चक 43 एस. टी. जी. प्रथम	68-69	600/ रु.	861/ रु.	3 पुलियों का निर्माण हो चुका है।
4.	पुलिया 3 चक 43 एस. टी. जी. द्वितीय	68-69	600/ रु.	586/ रु. दो पुलियों का हिसाब	3 में से दो पुलिया बनाई गई हैं। एक का निर्माण नहीं किया गया है।
5.	पुलिया 4 भगवानसर के पास चक 1 एस. जी. एन.	68-69	800/ रु.	1825/ रु.	4 पुलियों का निर्माण हो चुका है जिसमें 3 का मूल्यांकन हुआ है, एक का शेष है।

नोट:—श्री सत्यपाल, सरपंच, रामपुरा को कुल 16 पुलियों के लिए 3200/ रु. दिये गये हैं जिनमें से 10 पुलियों का निर्माण हुआ है। स्वीकृति अनुदान से अधिक व्यय पंचायत फण्ड से किया गया है।

(314)

जैतारण की ग्राम पंचायत रास के रिहायसी पट्टों का मामला

671. श्री **शंकर लाल** (जैतारण) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जैतारण तहसील की ग्राम पंचायत रास के नये सरपंच द्वारा जिलाधीश पाली को पत्र लिखकर भेजने पर गांव के एक सौ के लगभग आबादी के पट्टे जो भूतपूर्व पंचायत द्वारा जारी किये गये थे और जिनमें अधिकतर अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों को पट्टे दिये गये थे, उनको निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया है? ऐसे पट्टाधारियों की सूची व किन-किन तारीखों में उन्हें पट्टे दिये गये थे व पट्टाधारी अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के कौन कौन हैं को सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) पाली जिलाधीश द्वारा क्या एक ही आदेश से भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न-भिन्न तारीखों में जारी किये गये पट्टों की जमीनों पर निर्माण कार्य रोका जा सकता है? यदि हां, तो किस कानून के तहत?

(3) क्या यह सही है कि पट्टाधारियों को निर्माण कार्य रोकने के पूर्व कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार ऐसे पट्टाधारियों को विशेषकर अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलायेगी?

उत्तर

(1) भूतपूर्व सरपंच, रास पंचायत समिति जैतारण द्वारा संलग्न सूची के अनुसार अनुसूचित जाति के 10, पिछड़ी जाति के 30 व सवर्ण जाति के 45 व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड के पट्टे दिये गये थे जो अनियमित होने से नये सरपंच (वर्तमान) ने उनके पत्र संख्या 4 दिनांक 9-7-78 के तहत निवेदन किया कि पूर्व सरपंच द्वारा अनियमित पट्टे दिये गये हैं, को रद्द कराया जावे। जिस पर पंचायत प्रसार अधिकारी द्वारा प्राथमिक जांच कराई गई व प्राईमा फैसी मामला साबित होने से ताफैसला मुकम्मिल जांच यथावत स्थिति कायम रखने हेतु आदेश संख्या 2246 दिनांक 30-6-78 को स्थगन आदेश जारी किये गये थे।

(2) इन मामलों में वस्तुस्थिति करीब-करीब एक-सी होने से सम्बन्धित पट्टाधारियों के नाम एक ही तरह के स्थगन आदेश जारी किये गये है।

राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 की धारा 27 (क) व राजस्थान पंचायत अधिनियम के नियम 272 के अन्तर्गत जिलाधीश पंचायत द्वारा विक्रय किये गये भू-खण्डों में अनियमितता होने पर उसकी जांच हेतु सम्बन्धित रेकार्ड मंगाकर उसका मुलाहिजा कर सकते है, पंचायत के आदेशों में आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकते हैं व पंचायत के निर्णय को निरस्त भी कर सकते हैं।

(3) पंचायत द्वारा विक्रय की गई भूमि की स्थिति यथावत रखने की गरज से ताफैसला जांच पट्टाधारियों को सुने बिना, इन भू-खण्डों को यथावत रखने हेतु स्थगन आदेश जारी किये गये है। जिलाधीश स्थगन आदेश बिना किसी पूर्व सुनवाई के दे सकते हैं।

(4) कानून के अन्तर्गत हर वर्ग के व्यक्ति के साथ नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

क. सं.	नाम	अनुसूचित जाति	पट्टा देने की तारीख
1	2	3	4
(1)	श्री प्रभु ग्रा. गोलू	भांवी	16-8-67
(2)	श्री बगदीया ग्रा. हजारी	,,	,,
(3)	श्री हजारी ग्रा. गेना	,,	,,
(4)	श्री भागिया ग्रा. हरदेवा	,,	,,
(5)	श्री शिवनाथ ग्रा. ग्राईदान	,,	,,
(6)	श्री पुखिया ग्रा. भागू	,,	,,
(7)	श्री भंवरिया ग्रा. भागू	,,	,,
(8)	श्री बगदिया ग्रा. हजारी	,,	,,
(9)	श्री लादू ग्रा. लना	,,	,,
(10)	श्री लादू, दूधा, दीरा पि. सवाई	,,	,,

पिछड़ी जाति

(1)	श्री गोरधनदास ग्रा. धूलदास	साद	13-2-72
(2)	श्री बंशीदास ग्रा. बाल दास	,,	,,
(3)	श्री सोहनदास ग्रा. शंकरदास	,,	,,
(4)	श्री बालाप्रसाद ग्रा. धूलदास	,,	,,
(5)	श्री सुजानदास ग्रा. भजनदास	,,	22-8-76
(6)	श्री सुजानदास ग्रा. भजनदास	,,	31-10-72
(7)	श्री सुजानदास ग्रा. भजनदास	,,	,,
(8)	श्री बाला प्रसाद ग्रा. धूलदास	,,	27-1-74
(9)	श्री रामदीन ग्रा. प्रेमदास	,,	16-8-67
(10)	श्री मदनलाल ग्रा. प्रेमदास	,,	27-1-74
(11)	श्री पुखराज ग्रा. लक्ष्मणदास	,,	,,
(12)	श्री रामदीन ग्रा. प्रेमदास	,,	27-6-72
(13)	श्री रामदीन ग्रा. प्रेमदास	,,	14-11-76
(14)	श्री मदनदास ग्रा. प्रेमदास	,,	30-5-76
(15)	श्री शंकरलाल ग्रा. गिद्धकरण	लखारा	13-2-72
(16)	श्री बंशीलाल ग्रा. हनुमान	रावणा-राजपूत	13-2-72
(17)	श्री देवीलाल ग्रा. हनुमान	,,	13-2-72
(18)	श्री नन्दू देवी पत्नी शंकर सिंह	,,	31-10-72
(19)	श्री हनुमानसिंह ग्रा. छोगजी	,,	16-8-67
(20)	श्री मदनसिंह ग्रा. चैनसिंह	,,	27-1-74
(21)	श्री बंशीसिंह ग्रा. हनुमानसिंह	,,	27-1-74
(22)	श्री बंशीसिंह ग्रा. हनुमानसिंह	,,	,,

Page No 406

(318)

1	2	3	4
(23)	श्री ज्ञान सिंह ग्रा. चतुरभुज	रावणा राजपूत	17-11-74
(24)	श्री कालूराम ग्रा. मादूजी	,,	16-7-72
(25)	श्री माणकचन्द ग्रा. सायरजी	नाई	13-2-72
(26)	श्री जीवनराम ग्रा. पन्नालाल	,,	27-1-74
(27)	श्री पीराराम ग्रा. घीसूजी	,,	,,
(28)	श्री घेवर चन्द ग्रा. किशनलाल	,,	23-10-74
(29)	श्रीमती जमुना देवी पत्नी रामपाल सिंह	,,	,,
(30)	श्री कालू ग्रा. मीटू	कुम्हार	17-11-74
		सवर्ण जाति	
(1)	श्री लालू ग्रा. अर्जन	गूजर	13-2-72
(2)	श्री गिरधारी ग्रा. वालाराम	,,	,,
(3)	श्री मांगीलाल ग्रा. भोमाजी	,,	,,
(4)	श्री मांगीलाल ग्रा. भोमाजी	,,	,,
(5)	श्री मंगला ग्रा. जादू	,,	23-10-74
(6)	श्री शंकरलाल ग्रा. घीसाजी	सुथार	13-2-72
(7)	श्री भवरलाल ग्रा. शकरजी	,,	22-8-76
(8)	श्री रामचन्द्र ग्रा. जालूजी	,,	27-1-74
(9)	श्रीमती सोहनी देवी पत्नी पन्नालाल	ब्राह्मण	13-2-72
(10)	श्रीमती भ्रमरा देवी पत्नी रामचन्द्र	,,	31-10-74
(11)	श्री किशनलाल ग्रा. लादूराम	,,	27-1-74
(12)	श्री कैलाशचन्द्र ग्रा. रामचन्द्र	,,	27-1-74
(13)	श्री राकेशचन्द्र ग्रा. रामचन्द्र	,,	,,
(14)	श्री कौशल्यादेवी पत्नी सीताराम	,,	,,
(15)	श्रीमती सोमादेवी पत्नी शंकरलाल	,,	,,
(16)	श्रीमती मनोहरीदेवी पत्नी रामचन्द्र जोशी	,,	23-6-74
(17)	श्री रामकुमार आ. रामस्वरूप जोशी	,,	23-6-74
(18)	श्री नैनाराम ग्रा. किशनलाल	,,	11-2-73
(19)	श्री जमाल ग्रा. ग्रोपाजी	लुहार	23-1-72
(20)	श्री प्रेमचन्द ग्रा. रंगलाल	जन	13-2-72
(21)	श्री प्रेम चन्द ग्रा. रंगलाल	,,	,,
(22)	श्री उत्तमचन्द ग्रा. रीखवचन्द	,,	27-1-74
(23)	श्री बीजराज ग्रा. लालचन्द	,,	22-12-74
(24)	श्री ताराचन्द ग्रा. बीजेराज	,,	,,
(25)	श्री सम्पतराज ग्रा. बीजेराज	,,	,,
(26)	श्री रंगलाल ग्रा. नैनालाल	ग्रोसवाल	16-6-67
(27)	श्री रंगलाल ग्रा. ननालाल	,,	,,

1	2	3	4
(28)	श्री शंकरलाल ग्रा. रामजी	माली	22-12-74
(29)	श्री पुखराज ग्रा. भंवरलाल	,,	27-1-74
(30)	श्री जयराम ग्रा. ग्रलफू	,,	23-10-74
(31)	श्री भागीरथ ग्रा. ग्रलफू	,,	25-7-76
(32)	श्री जयराम ग्रा. ग्रलफू	,,	30-5-76
(33)	श्री भंवरलाल ग्रा. सम्पतराज	,,	3-12-76
(34)	श्री सम्पतराज ग्रा. सावलराम	,,	25-7-76
(35)	श्री सम्पतराज ग्रा. सावलराम	,,	3-12-76
(36)	श्री नाथूराम ग्रा. प्रभुराम	जाट	31-10-72
(37)	श्री रतनसिंह ग्रा. वालूसिंह	पुरोहित	23-10-74
(38)	श्री ग्रसलम ग्रा. ग्रब्दुल गनी		13-2-74
(39)	श्री नियामत पत्नी ग्रब्दुलगनी		,,
(40)	श्री ग्रसलम ग्रा. ग्रब्दुलगनी		,,
(41)	श्री ग्रसलम ग्रा. ग्रब्दुलगनी		,,
(42)	श्री ग्रब्दुलगनी ग्रा. रमजानी		27-1-74
(43)	श्री ग्रब्दुलगनी ग्रा. रमजानी		24-9-72
(44)	श्री ग्रब्दुलगनी ग्रा. रमजानी		16-7-72
(45)	श्री कासम ग्रा. जीवन खां		16-8-67

सरपंच दरौली (जिला उदयपुर) के विरुद्ध ग्रारोप

672. श्री कमलचन्द्र सिंह (वल्लभ-नगर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरपंच दरौली (जिला उदयपर) के विरुद्ध निम्न ग्रारोप थे:-

(1) ग्रनियमित ग्रावंटन से जमीन ली गई है ?

(2) ग्रनुसूचित जाति की जमीन ग्रपने खाते में करवा ली है ?

उत्तर

जी हां ।

ग्रशोक मेहता समिति की सिफारिश के ग्रनुसार कार्यवाही

673. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुन्झुनूं) क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ग्रशोक मेहता कमेटी की सिफारिश के ग्राधार पर राज्य सरकार मौजूदा पंचायत राज व्यवस्था में क्या-क्या परिवर्तन करने जा रही है ?

(2) पंचायत राज्य के सुदृढ एवं सशक्त बनाने तथा ग्राम विकास में सहयोगी बनाने हेतु कमेटी की महत्वपूर्ण क्या-क्या सिफारिशें है ?

उत्तर

(1) ग्रशोक मेहता कमेटी की सिफारिशें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं ।

(318)

(पंचायत मंत्री)

(2) अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जा चुकी है।

गौण मंडी सांचोर को भीनमाल मुख्य मंडी से पृथक करने का मामला

674. श्री **सूरजपाल सिंह** (भीनमाल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल मुख्य मण्डी की गौण मण्डी, सांचोर को अलग मंडी बनाने का राज्य सरकार का प्रस्ताव था इस सन्दर्भ में अब तक क्या प्रगति हुई?

(2) क्या जिलाधीश जालोर ने प्रथम मनोनीत मंडी समिति जालोर एवं सांचौर को बनाने के लिये कृषक वर्ग, व्यापारी वर्ग स्वायत्तशासी संस्थाओं से एवं सहकारी संस्थाओं से नाम भजे हैं? अगर नाम भेजे है तो राज्य सरकार ने अभी तक राजस्थान राज-पत्र में क्यों नहीं प्रकाशित किये?

उत्तर

(1) जी हां। नई मनोनीत मण्डी समिति के गठन हेतु सदस्यों के नामों की सूची जिलाधीश जालोर से मांगी गई थी। उसमें सही प्रकार से नियमानुसार पृथक-पृथक निर्वाचन क्षेत्रों (Constituencies) के प्रतिनिधियों के नाम न भिजवाये जाने के कारण कुछ विलम्ब हुआ। अब सही प्रकार से नाम प्राप्त हो गये है तथा उनकी नियम 4 तथा 7 के अनुसार विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

(2) जिलाधीश द्वारा भेजे गये नामों में राज्य सरकार के निर्देशानुसार पंचायतों के चुनावों के उपरान्त नये पंचों, सरपंचों में से नाम भेजे जाने में कुछ समय लगा। सांचौर के लिये कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना हेतु दिनांक 8-11-78 को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है।

अजमेर जिले को कातरा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने का मामला

675. श्री **करतारसिंह** (किशनगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष अन्य जिलों के साथ अजमेर जिले को कातरा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था?

(2) क्या यह भी सही है कि कातरा प्रभावित क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कातरा मारने की सबसीडी पर औषधियां वितरित की गई थीं?

(3) यदि हां, तो क्या अजमेर जिले की पंचायत समिति सिलोरा (किशनगढ़) एवं अराईं में भी किसानों को सबसीडी पर कातरा मारने की औषधि दी गई थी?

(4) यदि हां, तो उपरोक्त पंचायत समितियों में किन-किन किसानों को कितनी कितनी औषधि दी गई? कृपया किसानों की सूची उनके नाम, ग्राम एवं पंचायत क्षेत्र दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी हां- अजमेर जिले की पंचायत समिति सिलोरा, श्रीनगर व पीसांगन के 1000 हैक्टर क्षेत्र को कातरा महामारी के अन्तर्गत कातरा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था।

(कृषि मंत्री)

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा उक्त कथित पंचायत समितियों के प्रभावित क्षेत्र में कातरा नियन्त्रण करवाने हेतु काश्तकारों को दिनांक 20-7-78 से 26-7-78 तक 25 प्रतिशत तथा 27-7-78 से 31-8-78 तक 50 प्रतिशत अनुदान पर कीटनाशक औषधियां उपलब्ध करायी गयी थीं।

जी हां। पंचायत समिति सिलोरा के क्षेत्र में कातरा नष्ट करने के लिए अनुदान पर कीटनाशक औषधियां उपलब्ध कराई गयी थीं। पंचायत समिति अराईं को कातरा महामारी से प्रभावित क्षेत्र घोषित न करने के कारण वहां अनुदान पर कीटनाशक औषधियां सबसीडी पर उपलब्ध नहीं कराई गई।

(4) पंचायत समिति सिलोरा के काश्तकारों को अनुदान पर वितरित औषधियों की सूची सदन की मेज पर रखदी गयी है।

———

अतारांकित प्रश्न सं. 6 क्र. मं. की सूची

क्र. सं.	नाम काश्तकार	गांव	रकबा (हैक्टर)	नाम दवा	मात्रा	100 प्रतिशत कीमत	अनुदान राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	श्री भंवरलाल।भागीरथ	रूपनगर	1	बी. एच. सी.	0 30	36 00	18 00
2.	श्री लिखमाराम।छीतर जाट	,,	1	,,	0 20	34 00	12 00
3.	श्री भागचन्द जैन।रतनलाल	,,	1	,,	0 20	24 00	12 00
4.	श्री मूलाराम।भागीरथ	,,	1	,,	0 20	24 00	12 00
5.	श्री गंगाकिशन।मोतीराम	,,	1	,,	0 20	24 00	12 00
6.	श्री भागीरथ। रामदीन	,,	1	,,	0 30	36 00	18 00
7.	श्री हरकरण। शयाराम	,,	1	,,	0 30	36 00	18 00
8.	श्री भैरूलाल। भागीरथ	,,	1	,,	0 20	24 00	12 00
9.	श्री भंवरलाल। सुवालाल	,,	1	,,	0 20	24 00	12.00
10.	श्री बाबूलाल। चांदूजी	,,	2	,,	0 20	24 00	12 00
11.	श्री मोतीलाल। भरालाल	,,	1	,,	0 20	24 00	12 00
12.	श्री बालूराम। हरकरण	,,	2	,,	0 20	24 00	12 00
13.	श्री मूला। मांगू माली	सुरसुरा	1	,,	0 50	63 00	31 50
14.	श्री हरजी। हरलाल	,,	2	,,	0 50	63 00	31 50
15.	श्री लादू। भैरू	,,	2	,,	0 50	63 00	31 00
16.	श्री श्योचन्द। जगन्नाथ	,,	2	,,	0 50	63 00	31 50
17.	श्री सूरजकरण। भीमा कसाई	,,	2	,,	0 50	63 00	31 50
18.	श्री हुसेन। अलादीन	,,	2	,,	0 50	63 00	31 50

(321)

19.	श्री नारायण । बन्शीलाल	,,	2	,,	0 50	63 00	31 50
20.	श्री सूरजमल । भंवरलाल	,,	2	,,	0 50	63 00	31 50
21.	श्री बाबराम । खाज माली	,,	2	,,	0 50	63 00	31.50
22.	श्री घासी । नारायण कुमावत	रूपनगढ	2	,,	0 50	63 00	31.50
23.	श्री रतनलाल । नारायण	,,	2	,,	0 50	63 00	31 50
24.	श्री छोटूराम । नारायण	,,	2	,,	0 50	63 00	31.50
25.	श्री नाथूलाल । लादूराम	म्राझोता	5	,,	1 20	144 00	72.00
26.	श्री कैलाशचन्द । कुन्दनमल	,,	3	,,	0 80	96 00	48.00
		योग ..	45		11.00	1350 00	675.00

1.	श्री कच्छाराजसिंह । भंवरसिंह	रूपनगढ	4	पैराथियम	1 50	372 00	186.00
2.	श्री भंवर खां । खाबू खां	,,	1	,,	0 25	62 00	31 00
3.	श्री अमरा । मोडू धानका	,,	1	,,	0 25	62 00	31 00
4.	श्री भंवरलाल । बालूराम	,,	1	,,	0 25	62 00	31 00
5.	श्री गुलाबचन्द । टोडाराम शर्मा	,,	1	,,	0 25	62 00	31 00
6.	श्री पाचूराम । छांगा	,,	1	,,	0 50	124.00	62 00
7.	श्री भागीरथ । रामदीन	,,	2	,,	0 50	124.00	62 00
8.	श्री पोखर । भैंरूराम	,,	1	,,	0 25	62 00	31 00
9.	श्री श्योजीराम । जैताराम कुमावत	,,	1	,,	0.25	62.00	31.00
		योग ..	15				465.00

राज्य की कुछ कृषि उपज मंडी समितियों को राज्य सरकार द्वारा स्टे

676. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में कुछ कृषि उपज मंडी समितियों के कार्य को राज्य सरकार ने अपने आदेश से बन्द कर रखा है? यदि हां, तो किस किस मंडी समिति के कार्य को कब कब से किन-किन कारणों से बन्द कर रखा है?

(2) क्या उक्त मंडी समितियों के कार्य को पुनः चालू किया जायेगा? यदि हां, तो किन-किन को कब-कब से?

(3) राज्य में कृषि उपज मंडी समितियों के चनाव कब होने चाहिये थे और कब होने जा रहे हैं?

(4) चुनाव में क्या प्रक्रिया अपनाई जावेगी?

(5) जब तक चुनाव न हों तब तक क्या प्रशासक की जगह किसी प्रकार की कोई समिति नियुक्त करने का राज्य सरकार का विचार है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिन कृषि उपज मंडी समितियों के कार्य को राज्य सरकार ने अपने आदेश से बन्द किया है वे निम्नांकित हैं:—

क्र.सं.	मण्डी समिति	आदेश की तिथि	कारण
1.	डूंगरगढ़	18-5-1978	अकाल तथा अतिवृष्टि के कारण
2.	सुजानगढ़ का रतनगढ़ क्षेत्र	5-8-1978	,, ,, ,,
3.	चूरू	4-8-1978	,, ,, ,,

(2) जी हां। इन सभी मंडियों को शीघ्र ही पुनः चालू कर दिया जायेगा।

(3) अधिनियम के अनुसार प्रथम मनोनीत मण्डी समिति की कार्यविधि दो वर्ष एवं तदुपरान्त निर्वाचित मण्डी समिति की अवधि तीन वर्ष की होती है और इसे राज्य सरकार द्वारा अधिकतम एक वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार मण्डी समितियों के चुनाव फरवरी तक पूरे कराने का विचार रखती है। इसके लिये तैयारी प्रारम्भ की जा चुकी है।

(4) कृषक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्यों के लिये वर्तमान विपणि नियमों के अनुसार मण्डी क्षेत्र के पंच सरपंच ही वोट दे सकेंगे।

(5) राज्य सरकार ने फरवरी तक चुनाव कराने का निर्णय लिया है। अस्तु तब तक प्रशासक ही कार्य करते रहेंगे। थोड़े से समय के लिये इस व्यवस्था को बदलना उचित नहीं रहेगा।

कृषि उपज मण्डी, मदनगंज (किशनगढ़) का क्षेत्राधिकार

677. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में कृषि उपज मण्डी समिति, मदनगंज (किशनगढ़) का क्षेत्राधिकार पंचायत समिति, सिलोरा (किशनगढ़) तक ही सीमित है?

(2) क्या यह भी सही है कि किशनगढ़ तहसील के पंचायत समिति अराई के क्षेत्राधिकार के गांव कृषि उपज मंडी समिति, केकड़ी के क्षेत्राधिकार में है?

(श्री करतार सिंह)

(3) क्या यह भी सही है कि अराईं पंचायत समिति के उपरोक्त वर्णित ग्रामों के किसान अपना उत्पादन कृषि उपज मंडी समिति, मदनगंज में ही बेचते हैं तथा मदनगंज मंडी केकड़ी के बजाय काफी समीप भी है ?

(4) क्या यह भी सही है कि अधिक दूरी के फलस्वरूप कृषि उपज मंडी समिति, केकड़ी द्वारा विकास कार्यो (सम्पर्क सड़कों के निर्माण आदि में) इस क्षेत्र की पूर्ण उपेक्षा की जाती रही है ? यदि हां, तो राज्य सरकार सार्वजनिक हित एवं क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से किशनगढ़ तहसील के अराईं पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्रामों को कृषि उपज मंडी समिति, मदनगंज के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करना उपयुक्त समझती है ? यदि हां, तो कब तक सम्भव है ? यदि, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, यह सही है कि किशनगढ़ तहसील के, अराई पंचायत समिति के गांवों की अधिकांश कृषि उपज अधिकतर मदनगंज (किशनगढ़) में ही बेची जाती है, क्योंकि मदनगंज केकड़ी के बजाय नजदीक है ।

(4) मण्डी क्षेत्र का निर्धारण पंचायत समिति के क्षेत्राधिकार को ध्यान में रखकर किया जाता है । यद्यपि किसी तहसील पंचायत समिति के गांवों की उपज उस पंचायत समिति अथवा तहसील के अन्तर्गत घोषित मण्डी में न जाकर समीप रहने वाली अन्य मण्डी क्षेत्र में स्थापित मण्डी में विक्रय हेतु आती हो परन्तु केवल इसी दृष्टि से इन गांवों को दूसरे क्षेत्राधिकार में सम्मिलित करना उपयुक्त नहीं है । ऐसा करने से कई प्रशासनिक कठिनाईयों का उत्पन्न होना सम्भव है । यह भी उल्लेखनीय है कि यह समस्या लगभग सभी मण्डियों के सीमा पर स्थित गांवों की है ना कि किशनगढ़ एवं केकड़ी की ।

समाज कार्य एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया

678. श्री **करतारसिंह** (किशनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया नामक स्वंय सेवी संस्था को सिलोरा एवं जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र हेतु ए० आर० सी० स्कीम (A. R. C. Scheme) बनाने का कार्य पिछले कुछ वर्षों पूर्व दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त संस्था ने उक्त पंचायत समिति क्षेत्र की ए. आर. सी० स्कीम बनाकर राज्य सरकार को सौंप दी है ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त संस्था के पास सॉइल वाटर (Soil water) परीक्षण का कोई उपयुक्त साधन व प्रशिक्षित कर्मचारी न होते हुये भी उपरोक्त पंचायत समितियों की ए० आर० सी० स्कीम बनाकर राज्य सरकार को सौंपी है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उपरोक्त संस्था द्वारा बनाई गई ए० आर० सी० स्कीम को सही मानती है ?

(श्री करतार सिंह)
यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इन क्षेत्रों की पुनः ए० आर० सी० स्कीम राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग द्वारा पुनः बनवाने की सोचती है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या राज्य सरकार अपने विभागीय एक्सपर्ट भेजकर इस संस्था द्वारा बनाई गई उपरोक्त दोनों ए० आर० सी० स्कीम की सत्यता की जांच करने को तैयार है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) यह आंशिक रूप से सही है कि समाज कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र "तिलोनिया नाम स्वयं सेवी संस्था को सिर्फ जावाजा" पंचायत समिति क्षेत्र में ए० आर० सी० स्कीम बनाने हेतु भू-जल सर्वेक्षण कार्य करने को दिया गया था। सिलोरा पंचायत समिति के भू-जल सर्वेक्षण का कार्य इस संस्था ने इससे पूर्व अपने स्तर पर स्वयं ही किया था। इस संस्था ने भू-जल सर्वेक्षण करके प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। ए० आर० सी० स्कीम बनाने का कार्य तो सिर्फ राज्य सरकार की ओर से ही होता है।

(2) जहां तक राज्य सरकार को ज्ञात है सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार संस्था ने सर्वेक्षण कार्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा करवाकर तदनुसार तकनीकी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। इस ए० आर० सी० सर्वेक्षण प्रतिवेदन की तकनीकी जांच के लिए राज्य सरकार ने अपने विभागीय विशेषज्ञों को जांच हेतु गत माह नियुक्त किया है जिसकी रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही के बारे में विचार किया जा सकेगा।

(3) राज्य सरकार ने अपने विभागीय विशेषज्ञों को इस संस्था द्वारा प्रेषित भू-जल सर्वेक्षण रिपोर्ट की जांच हेतु नियुक्त किया है। जांच रिपोर्ट आ जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

कृषि उपज मंडी, मांडलगढ़ द्वारा सड़क की योजना

679. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी, मांडलगढ़ ने त्रिवेणी नदी से बरूंदनी तक सड़क बनाने की योजना हाथ में ली थी? यदि हां, तो योजना कब प्रारम्भ हुई? इस पर अब तक कितने रुपये खर्च हुए और सड़क का काम हाथ में लिये कितने वर्ष हुए हैं? सड़क पूरी हुई है या नहीं? यदि नहीं, तो कब तक पूरी होगी?

(2) क्या यह सही है कि इसी सड़क पर मांडका खेड़ा तथा जोजवा के मध्य मेनाली नदी पर एक जवेका (खुर्रा) भी आता है जिसकी हालत अत्यन्त खराब है और गाड़ियों का निकलना तो दूर मनुष्यों को खुरे पर होकर निकलना भी कठिन हो गया है जिससे हजारों लोग भारी कष्ट पा रहे है?

(3) क्या कृषि उपज मण्डी के कर्मचारियों ने कभी इस खुर्रे की ओर ध्यान देने की तकलीफ की है? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो क्या? और उन बेपरवाई बरतने वालों के विरुद्ध कोई एक्सन राज्य सरकार द्वारा लिया गया है?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़ ने त्रिवेणी से सिंगोली-बरूंदनी तक अधूरी बनी सड़क का कार्य वाया जोजवा हाथ में लिया है। यह कार्य दिनांक 15-3-77 से प्रारम्भ हुआ। मार्च, 78 तक इस कार्य पर 57,002/- रुपये व्यय हुआ है। ग्रेवल सड़क का कार्य सिंगोली तक दिनांक 5-3-78 को धाकड़ खेडी गांव के पास की कुछ लम्बाई छोड़कर पूरा कर लिया गया है। इस शेष रहे कार्य को पूरा करने की कार्यवाही की जा रही है। इसे आगामी वर्ष तक जब मण्डी समिति की आय से आवश्यक धनराशि उपलब्ध हो जायेगी तो पूरा कर दिया जावेगा।

(2) यह सही है कि मेनाली नदी का काजवे (खुर्रा) मरम्मत चाहता है।

(3) इसे मरम्मत कराने हेतु मण्डी समिति सजग है तथा बजट प्रावधान की व्यवस्था की जा रही है। मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगामी वर्ष तक इसे पूरा करना सम्भव हो सकेगा जब कि मण्डी समिति की आय इतनी हो जायेगी।

कृषि उपज मंडी, मांडलगढ़ में टैक्सों की जमा रकम

680. श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ में कृषि उपज मंडी काम कर रही है? यदि हां, तो कितने वर्षों से कर रही है?

(2) जब से कृषि उपज मंडी स्थापित हुई उस समय से लेकर आज तक कितनी रकम टैक्स से जमा हुई और इस रकम में से कितनी रकम सड़कों आदि में खर्च हुई?

(3) क्या कृषि उपज मंडी की रकम कृषि उपज मंडी, मांडलगढ़ से जोड़ने वाली पंचायतों की लिंक रोड बनाने में खर्च की जायगी? यदि हां, तो कौन-कौन सी? पंचायतों के हैडक्वार्टर्स से जोड़ने वाली लिंक रोड की योजना बनाई गई है और कार्य कब प्रारम्भ होगा?

उत्तर

(1) जी हां। माण्डलगढ़ में मण्डी समिति लगभग तीन वर्षों से काम कर रही है।

(2) मण्डी समिति की स्थापना से अगस्त 31, 1978 तक कुल आय 5,84,093/- (पांच लाख चौरासी हजार तराणवे) हुई। सड़क निर्माण कार्य पर उक्त अवधि में 68,191/- (अड़सठ हजार एक सौ इक्याणवे रुपय) व्यय हो चुके हैं।

(3) माण्डलगढ़ मण्डी समिति के प्रस्ताव दिनांक 26-9-78 के अनुसार मंडी समिति ने इस वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत केवल अधूरे निर्माण कार्यों को ही पूरा करवाने का प्रावधान किया है। भविष्य में मंडी प्रांगण के निर्माण के पश्चात् ही सम्पर्क सड़कों का निर्माण कराया जाना है। सम्पर्क सड़कों के निर्माण हेतु मास्टर प्लान में निम्नलिखित कार्य प्रस्तावित हैं जिन्हें आगामी वर्ष में जब मंडी समिति की आय से यह खर्चा निकल सकेगा।

(कृषि मंत्री)

निर्धारित योजनानुसार यह कार्य पूरा कराना सम्भव होगा ।

1.	सिंगोली से वरूंदरी	1,51,000/-
2.	माण्डलगढ़ रोड वंदराय तक	3,00,000/-
3.	माण्डलगढ़ से गुढ़ा	1,50,000/-

ग्राम सिंगोली सहकारी सेवा संस्थान का दायरा

681. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (माण्डलगढ़):—क्या कृषि मंत्री यह बताने कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सिंगोली में भी एक बैंक की ओर से सहकारी सेवा संस्थान काम कर रही है ?

(2) उसका दायरा कितनी पंचायतों का है ? क्या इसमें भी बोर्ड नामजद है ? यदि हां, तो उसके अध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्य कौन कौन हैं ?

(3) क्या जून की आखरी तिथि को बोर्ड समाप्त हो गया होगा ? ऐसी स्थिति में अब क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है ?

(4) क्या इस बोर्ड में भी जन-प्रतिनिधि होने के नाते विधायक को भी बोर्ड में नामजद करेंगे, ताकि वह भी काम की देखरेख कर सके ?

(5) क्या इस समिति का दायरा पांच-चार पंचायतों को और लेकर बढ़ायेंगे ताकि अधिक पंचायतों को इसका लाभ मिल सके ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सिंगोली (चारभुजा) कृषक सेवा सहकारी संस्थान लि०, का दायरा 5 पंचायतों का है । इस संस्थान का बोर्ड नामजद है । इसके अध्यक्ष तथा बोर्ड के सदस्य निम्न हैं :—

1.	श्री ताज मोहम्मद पुत्र नूरा	अध्यक्ष
2.	श्री अर्जुन पुत्र मेरू धाकड़	सदस्य
3.	श्री नारायण पुत्र रमजा जाट	सदस्य
4.	श्री मथुरालाल पुत्र देवीलाल	सदस्य
5.	श्री गोकुल पुत्र चुन्नीलाल	सदस्य
6.	श्री श्योराम पुत्र नाथू मेघवाल	सदस्य
7.	श्री जेता पुत्र गंगा चमार	सदस्य
8.	सहा० रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, भीलवाड़ा	राजकीय प्रतिनिधि
9.	जिला कृषि अधिकारी, भीलवाड़ा	,,
11.	श्री एस० के० बंसल, एग्रीकल्चर आफिसर, रीजनल ऑफिस, बैंक आफ बड़ौदा, जयपुर	बैंक प्रतिनिधि
11.	श्री पी० पी० माथुर, प्रबन्ध संचालक, संस्थान	सदस्य

(3) जी हां । नया बोर्ड नामजद आज्ञा दिनांक 27-9-78 द्वारा गठित किया जा चुका है ।

(4) कानूनी प्रावधानों के अनुसार ऐसा करना संभव नहीं है ।

(5) अभी ऐसा इरादा नहीं है ।

राज्य में टिड्डी दल के आक्रमण से फसलों को क्षति

682. श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हाल में पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी दल के आक्रमण से फ़सलों को कितनी हानि हुई है ?

(2) राज्य सरकार ने टिड्डी दल के रोकथाम पर अब तक कितनी राशि व्यय की है ?

(3) राज्य सरकार ने पीड़ित कृषक परिवारों के राहत के लिये क्या उपाय किए हैं ?

उत्तर

(1) पश्चिमी राजस्थान में टिड्डी दल के आक्रमण से प्रभावित जिलों चूरू, जोधपुर, बीकानेर, झुंझुनूं, सीकर व जयपुर के सम्बन्धित जिलाधीशों से प्राप्त सूचना के आधार पर फसल बाजरा 11,008 हैक्टर व मूंग मोठ 1,185 हैक्टर, ग्वार 80 हैक्टर व तिल 30 हैक्टर, कुल 12,303 हैक्टर क्षेत्र में अनुमानित रुपये 1,91,577.00 का नुकसान हुआ है। जिला जैसलमेर में क्षति का अनुमान गिरदावरी के समय लगाया जावेगा।

(2) टिड्डी दल पर नियंत्रण कार्य हेतु 1,92,820/- की राशि व्यय की गई।

(3) टिड्डी दल के आक्रमण से पीड़ित कृषक परिवारों के राहत के लिए विभाग के पास कोई प्रावधान नहीं है।

मण्डियों द्वारा की जाने वाली कृषि पैदावार की बिक्री पर रोक

683. श्री बहादुरसिंह (नोहर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या राज्य सरकार कृषि पैदावार की बिक्री जो नीलामी द्वारा मंडियों में करती है, को रोक कर कृषकों को उचित मूल्य में दिलाने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

जी नहीं। मण्डियों में नीलामी द्वारा कृषि उपज की बिक्री को रोकने का राज्य सरकार का कोई इरादा नहीं है क्योंकि नीलामी द्वारा ही कृषकों को उचित मूल्य प्राप्त होता है।

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा हाई ब्रीड बाजरा की खरीद

685. श्री सूरजपालसिंह (भीनमाल) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम ने हाइब्रीड बाजरा के लिए टेण्डर आमन्त्रित किए थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि निगम ने निगोशियेशन कर (चार रुपये नब्बे पैसे प्रति किलो) के भाव से सप्लाई आर्डर कल्पतरु हाई ब्रीड सीड्स प्रा०लि०, अहमदाबाद व कुछ अन्य पार्टियों को दिये ?

(3) क्या यह भी सही है कि निगम ने जिस भाव पर कल्पतरु व अन्य पार्टियों को

(3260)

(श्री सूरजमलसिंह)
सप्लाई ग्रार्डर दिया उससे कम भाव पर उन्हीं ने राज्य के प्राइवेट डीलर्स को माल सप्लाई किया ?

(4) क्या यह भी सही है कि निगम ने होल सेल व्यापार पर अपना मुनाफा 20 प्रतिशत रखा एवं रिटेल डीलर्स जैसे एग्रो सर्विस सेन्टर तथा मार्केटिंग सोसायटी को 9 प्रतिशत का मारजिन मुनाफे का रखा ?

(5) क्या यह भी सही है कि निगम ने कई मार्केटिंग सोसायटीज को जो भी माल भेजा उसमें थैलियां कम निकलीं ? कम थैलियें मिलने की शिकायत पर भी निगम ने कोई कार्यवाही नहीं की ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) इस संबंध में मैसर्स कल्पतरु हाईब्रीड सीड्स के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(4) जी नहीं ।

(5) शिकायत सही पाने पर कमी की पूर्ति कर दी गई है ।

ग्रामसेवकों की पदोन्नति

686. श्री माणकलाल ठाकोर (नैनवा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष राज्य सरकार ने कुछ ग्रामसेवकों को पदोन्नत किया था और फिर क्या उनके पदोन्नत करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो ऐसे ग्रामसेवकों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि ग्रामसेवकों से संबंधित यूनियन को कुछ माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा उक्त ग्रामसेवकों के पदोन्नत करने के आदेश को रद्द कर देने संबंधी आदेश को रद्द कर देने और उन्हें पुनः पदोन्नत करने का आश्वासन दिया था ? इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और भविष्य में क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां । पूर्व में वरिष्ठता के आधार पर 83 ग्रामसेवकों को सहायक कृषि अधिकारियों के पदों पर पदोन्नत कर दिया गया था किन्तु नियमानुसार ग्रामसेवकों की पदोन्नति हेतु केवल 42 पद ही बनते थे जिसमें भी 11 पद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु नियमानुसार आरक्षित होने के कारण पूर्व पदोन्नत व्यक्तियों में से कनिष्ठतम 52 व्यक्तियों के पदोन्नति आदेश रद्द कर दिये गये जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । (उपयुक्त) आरक्षित पदों के विरुद्ध उपलब्ध केवल एक व्यक्ति की पदोन्नति पृथक से कर दी गई तथा शेष 10 रिक्त पदों हेतु उपयुक्त व्यक्तियों के अभाव में अगले वर्ष में उनके उपलब्ध होने तक आरक्षित रख दिये गये ।

(2) विभाग में संभावित कुछ नवीन सहायक कृषि अधिकारी के पदों की राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार इन ग्रामसेवकों को पुनः पदोन्नत किये जाने का आश्वासन विभाग द्वारा ग्रामसेवकों से संबंधित यूनियन को दिया गया था ।

Page No 419

(329)

पूर्व में पदोन्नत ग्रामसेवकों के पदावनत हुए व्यक्तियों की सूची

1. श्री रामसिंह
2. श्री मोतीलाल पुरोहित
3. श्री जगदीश चरण
4. श्री प्रनमि दयाल
5. श्री रमेश चन्द मूथरा
6. श्री केशरी लाल टेलर
7. श्री नारायण चरण
8. श्री न.नगराम
9. श्री रतन लाल
10. श्री विजय सिंह हुड़ा
11. श्री राम चरण
12. श्री मदन मोहन गुप्ता
13. श्री महेश चन्द
14. श्री जमना शंकर सोनी
15. श्री रामेश्वर शर्मा
16. श्री ताराचन्द शर्मा
17. श्री शिव प्रताप पुरी
18. श्री अ.ईदान सिंह
19. श्री मोहन सिंह
20. श्री मनमोहन सिंह
21. श्री बलवीर सिंह
22. श्री अयोध्या प्रसाद
23. श्री भानु प्रसाद गोयल
24. श्री ब्रज लाल
25. श्री दौलतराम
26. श्री भवानी शंकर शर्मा
27. श्री गोपाल स्वरूप
28. श्री सन्तोष लाल तिवाड़ी
29. श्री गुलाब चन्द
30. श्री किस्तूर चन्द
31. श्री रामगोपाल पारीक
32. श्री लक्ष्मण सिंह
33. श्री मदन लाल शर्मा
34. श्री गोपालस्वरूप शर्मा
35. श्री विष्णु चन्द गुप्ता
36. श्री सत्य रन्जन शर्मा
37. श्री नाथू सिंह
38. श्री वीरेन्द्र कुमार निगम
39. श्री मनोहरलाल ग्रोवर
40. श्री काशीनाथ
41. श्री धर्मपाल यादव
42. श्री गंगा सहाय
43. श्री गोपाल लाल शुक्ला
44. श्री हनुमान सिंह
45. श्री केशव लाल व्यास
46. श्री भवानी शंकर व्यास
47. श्री शोभाग सिंह झांडा
48. श्रीरोम दत्त शर्मा
49. श्री नन्द लाल बागवाल
50. श्री रामधन शर्मा
51. श्री श्याम बिहारी
52. श्री रूप सिंह

सुमेरपुर और शिवगंज मण्डियों का मामला

688. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सुमेरपुर और शिवगंज मण्डियों के बीच में केवल एक जवाई नदी की दूरी का आधार है ?

(2) क्या दोनों ही स्थानों पर व्यापारी एक हैं ?

(3) क्या एक दूसरें व्यापारियों की गोदामें दोनों ही नगरों में हैं ? तब दोनों ही मण्डियों के बीच में जो मंडी टैक्स है क्या वह व्यवहारिक है ?

(4) क्या इसका कारण दोनों नगरों का दो अलग अलग जिलों में होना है ? यदि हां, तो किसान हित में दोनों मंडियों को मिला कर एक मंडी बनाया जाना उपयुक्त है, इसके लिये राज्य सरकार के कब आदेश प्रसारित होने वाले है ?

उत्तर

(1) सुमेरपुर एवं शिवगंज मण्डियों के बीच में अभी तक मुख्य रूप से जवाई नदी तथा कुछ कृषि योग्य भूमि का अन्तर था। परन्तु अब नई मण्डियें बन जाने के उपरान्त इन दोनों मण्डियों की दूरी अधिक हो गई है।

(2) जी नहीं। दोनों ही स्थानों पर केवल कुछ व्यापारी ऐसे हैं जो दोनों मण्डियों में कार्य करते हैं अन्यथा पृथक-पृथक व्यापारी हैं।

(3) पृथक-पृथक व्यापारी होने के कारण अधिकतर गोदाम पृथक-पृथक ही हैं। दोनों मण्डियों द्वारा पृथक से मण्डी शुल्क प्राप्त करना पूर्णतया व्यवहारिक है। क्योंकि इसी से दोनों मण्डी समितियां अपने क्षेत्रों का विकास कार्य सम्पन्न करा रही हैं।

(4) जी हां। सुमेरपुर तथा शिवगंज मण्डियों को मिलाकर एक मण्डी बनाना अभी विचाराधीन नहीं है, क्योंकि दोनों मण्डी समितियों को राज्य सरकार की सिफारिश तथा गारन्टी पर कृषि पुनर्वित्त निगम (ए०आर०डी०सी०) से मण्डी विकास हेतु, काफी धनराशि प्राप्त हुई है, तथा उसका भुगतान दोनों के द्वारा ही निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जाना है।

अजमेर जिले में सफेद लट नियंत्रण हेतु अनुदानित राशि

689. श्री करतार सिंह (किशनगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष अजमेर जिले में सफेद लट (व्हाईट-ग्रुब) के नियंत्रण हेतु कोई अनुदान राशि स्वीकृत की है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि स्वीकृत की है तथा किसानों को कितना प्रतिशत अनुदान दिया गया है ?

(2) सफेद लट के नियन्त्रण हेतु कौनसी औषधि खरीदी गई ? किसके द्वारा किस कम्पनी से खरीदी गई ? कितनी मात्रा में खरीदी गई तथा कितनी धनराशि की खरीदी गई ?

(3) क्या यह सही है कि एक ही प्रकार की एक ही कम्पनी की औषधि खरीदी गई जब कि इस औषधि से कहीं अधिक सस्ती एवं प्रभावकारी ऊची औषधियां भी उपलब्ध हैं ?

Page No 421

(331)

(श्री करतारसिंह)

(4) क्या यह भी सही है कि विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के फलस्वरूप ही एक ही कम्पनी को फायदा देने के उद्देश्य से यह औषधि खरीदी गई थी जिससे न केवल किसानों के साथ खिलवाड़ किया गया, बल्कि राज्य सरकार को भी आर्थिक हानि हुई ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी निष्पक्ष जांच करवा कर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) इस वर्ष 78-79 में राज्य ने आई० वी० डी० पी० के अन्तर्गत मूंगफली की फसल में सफेद लट नियन्त्रण हेतु अजमेर जिले में 200 हैक्टर क्षेत्र में नियंत्रण कार्य करवाने का लक्ष्य रखा था। जिले में कृषकों को उक्त कीट नियंत्रण हेतु औषधियों की कीमत पर 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया गया। जिले से प्राप्त खर्चे के विवरण अनुसार कुल रु० 99,750.00 की औषधियों पर रु० 69,076)40 का अनुदान कृषकों को दिया गया।

(2) सफेद लट नियंत्रण हेतु विभाग द्वारा फोरेट 10 प्रतिशत एवं क्यूनल फास 5 प्रतिशत के प्रयोग करने की सिफारिश पर राज्य सरकार की नीति के अनुसार औषधियों का क्रय एवं वितरण राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ एवं उसके द्वारा मनोनीत सहकारी क्रय-विक्रय समितियों द्वारा किया गया। कृषि विभाग द्वारा नहीं।

(3) क्रय एवं वितरण उपयुक्त संघ द्वारा होने के कारण कृषि विभाग को इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(4) कृषि विभाग में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है।

नादोती तहसील में निर्माण हेतु प्रस्तावित सड़कों की सूची

1.	बनियें वाले तालाब से सलावद वाया बागोर-गामोरी	18 कि०मी०
2.	नादोती रोड से बरदाला	3 कि०मी०
3.	शहर से सोप	5 कि०मी०
4.	सोप केमिलक सराय, केमला	9 कि०मी०
5.	नादोती रोड से ल्हावद कुंजेला	6 कि०मी०
6.	नादोती रोड से भीलापाडा खेड़ा मालूपाडा	6 कि०मी०
7.	नादोती रोड से ढराया	2 कि०मी०
8.	गढ़मोरा रोड से दलपरा धडांगा	6 कि०मी०
9.	गढमोरा रोड से लोदा हरनोदा	3 कि०मी०
10	नादोती रोड से खूडा चैनैपुरा गढ़ी	2 कि०मी०

(332)

तहसील नादोती में कृषि उपज मण्डी यार्ड

690. श्री रतीलाल मीना (टोडा-भीम) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील नादोती, गंगापुर और बामनवास कृषि उपज मण्डी, गंगापुर के अन्तर्गत आते हैं और क्या यह भी सही है कि तहसील नादोती का माल सबसे ज्यादा विकने आता है ?

(2) क्या यह सही है कि अब तक कृषि उपज मण्डी द्वारा जितनी भी सड़कें बनवायी गई हैं सब तहसील नादोती के अन्तर्गत बनवायी गयीं ?

(3) क्या यह भी सही है कि तहसील नादोती के अन्तर्गत कृषि उपज मंडी द्वारा एक किलोमीटर की भी पक्की सड़क नहीं बनवायी गयी ? यदि हां, तो वर्तमान सरकार इस असमानता को दूर करने का क्या इरादा रखती है ?

(4) क्या राज्य सरकार को तहसील नादोती में अलग कृषि उपज मंडी यार्ड कायम करने में कोई आपत्ति है ? यदि नहीं, तो क्या राज्य सरकार इस यार्ड को चालू करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मंडी समिति के अन्तर्गत तहसील नादोती-गंगापुर-बामनवास का क्षेत्र आता है। नादोती का भी काफी माल विकने आता है। समूचे मंडी क्षेत्र तथा उससे बाहर का भी माल यहां विकने आता है।

(2) अभी तक बनी सड़कें भूतपूर्व मण्डी समिति द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार थीं।

(3) अब राज्य सरकार के निर्देशानुसार बनाये गये सड़कों के मास्टर प्लान में तहसील नादोती की भी सड़कें सम्मिलित की गई हैं। इनकी सूची संलग्न है। पूर्व में बनी सड़कों का चयन क्षेत्रीय आधार पर न होकर, गांवों की आबादी के आधार पर था सर्वोपरि 2500 की आबादी वाले गांव फिर 1500 से 2500 तक, तथा इसके पश्चात् 750 से 1500 तक के आबादी वाले गांवों को जोड़ने वाली सड़कों का चयन किया गया था।

(4) इस विषय में वांछित कार्यवाही हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है। सर्वेक्षण पूर्ण होने पर अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा।

धरियावद तहसील के अन्त्योदय के अन्तर्गत चयनित परिवार

691. श्री नारायन मीणा (लसाड़िया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धरियावद तहसील में चयनित अन्त्योदय के भूमिहीन परिवारों को किस-किस किस्म की कृषि भूमि, कितनी-कितनी आवंटित की गई है ? क्या ऐसे परिवारों को अधिकतर बंजर एवं मगरियों की भूमि आवंटित हुई है ? ऐसी मगरी व बंजर भूमि को आबाद कराने हेतु राज्य सरकार ने अन्त्योदय परिवारों को राहत पहुंचाने की क्या व्यवस्था की है ?

Page No 423

(333)

(कृषि मंत्री)

उत्तर

अरियावद तहसील क्षेत्र में 743 परिवारों को 1,782 (बीघा हकत) तथा 2,523 (बीघा बारानी) जुमले 4305 (बीघा भूमि) आवंटित की गई थी। मौजदा रेकार्ड के अनुसार किसी भी परिवार को मगरी की भूमि आवंटित नहीं की गई है अन्य भूमि उपलब्ध न होने से, बंजर भूमि उपरोक्त प्रकार की आवंटित की जो काबिल बारानी काश्त की तारीफ में आती है।

आवंटित भूमि को आबाद करने हेतु अन्त्योदय आवंटियों को बैल तथा खाद बीज हेतु ऋण सुलभ करवाया गया।

कृषक के उत्थान हेतु विश्व बैंक की योजना

692. श्री नारायण मीणा (जहाजपुर/डिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

विश्व बैंक योजना में खेतिहर चयनित चकों के कृषकों को आधुनिक कृषि यन्त्रों के उपयोग व कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जिला एवं तहसील स्तर पर क्या व्यवस्था की है। अब तक के आविष्कृत उन्नत कृषि यंत्र जो छोटे किसानों द्वारा एक जोड़ी बैलों से एवं हाथ से चलाये जाने वाले हों, तहसील स्तर पर प्रदर्शनी एवं बिक्री की कोई व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा क्यों नहीं की गई? अब ऐसी व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है? ताकि किसानों को उन्नत कृषि तकनीकी का लाभ मिल सके?

उत्तर

राजस्थान कृषि उद्योग निगम द्वारा निम्नांकित इकाईयों पर कृषि यंत्र अपने व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित तथा उपलब्ध कराये जाते हैं जयपुर, कोटा, हनुमानगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, पाली, अलवर, भरतपुर, सीकर, जोधपुर एवं श्री गंगानगर में समय-समय पर जिला स्तर पर आयोजित प्रदर्शनियों में भी भाग लिया जाता है।

भारत सरकार ने उन्नत कृषि यंत्रों को प्रचलित करने एवं कृषकों को उपलब्ध कराने के लिए एक योजना (इन्ट्रोडक्शन एवं पापुलराईजेशन आफ इम्प्रूव्ड एग्रिकलचरल इम्प्लीमेन्ट्स) स्वीकार की है। इस योजना के अन्तर्गत 25 से 33⅓ प्रतिशत अनुदान देने का भी प्रावधान है।

प्रथम वर्ष में 80,000/- रु० के कृषि यंत्र डिमान्सट्रेशन हेतु आवंटित किए जावेंगे तथा 4,35,000/- रु० अनुदान हेतु स्वीकृत किए गए हैं।

झालावाड़ जिले की मिट्टी की जांच हेतु चलित वाहन व्यवस्था

693. श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) झालावाड़ जिले में मिट्टी की जांच की क्या व्यवस्था है?

(2) क्या वहां पर मिट्टी की जांच के लिए चलित वाहन व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है?

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) जिला कृषि कार्यालय द्वारा झालावाड़ जिले की समस्त पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम विस्तार कार्यकर्ता एवं कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा कृषकों के खेतों के नमूने लिए जाते हैं, जिन्हें हर मौसम में फसल की बुआई के पूर्व मिट्टी के नमूनों को इक्ट्ठा कर सहायक कृषि रसायन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला, तबेला हौउस, कोटा को इनकी जांच के लिए भेजा जाता है तथा मिट्टी परीक्षण की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाती है।

(2) आवश्यकतानुसार चलित वाहन की व्यवस्था कराई जा सकती है।

फलासिया व कोटड़ा तहसील में मेड़ बन्दी

694. श्री लालू दास (फलासिया) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

फलासिया व कोटड़ा तहसील में भविष्य में राज्य सरकार का मेड़ बंदी की ओर क्या विचार है? इस पर कितनी राशि स्वीकृत की गयी है? अगर नहीं तो क्या कारण है?

उत्तर

जी हां। जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत चयनित क्षेत्र में यह क्षेत्र भी सम्मिलित है फलस्वरूप यह कार्य भी संपादित कराने का प्रावधान है। जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत रुपये 30,000/- भू-संरक्षण कार्यों हेतु कृषकों को अनुदान देने का प्रावधान है तथा रुपये 3,16,000/- की राशि शेल्फ आफ प्रोजेक्ट हेतु स्वीकृत है। इन मदों के अन्तर्गत इन क्षेत्रों में भी यह कार्य करवाया जावेगा।

ग्राम ईसरदा में पशु चिकित्सालय

695. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ग्राम ईसरदा रेल्वे स्टेशन पर राज्य सरकार पशु चिकित्सालय खोलने का इरादा रखती है?

(2) क्या यह सही है कि आस-पास के ग्राम ईसरदा, सारसोप, शिवाड, माहपुरा, टापुर आदि करीब 25-30 गांवों में पशु चिकित्सालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इन गांवों के निकटस्थ पशुचिकित्सालय ग्राम चौथ का बरवाड़ा है जो कि करीब 20-25 किलोमीटर पड़ता है एवं बीच में बनास नदी एवं गलवा नदी पड़ती है? यदि हां, तो राज्य सरकार कब तक यहां पशु चिकित्सालय खोल देगी?

उत्तर

(1) नये पशु चिकित्सा संस्थाओं के खोलने हेतु स्थानों के चयन संबंधी नीति विचाराधीन है जो अगले माह तक निर्धारित करली जावेगी तत्पश्चात् विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) निकटस्थ अस्पताल भगवतगढ़ में है जो ईसरदा से लगभग 25 किलोमीटर है। इस वर्ष खोले जाने वाले पशु औषधालयों के स्थानों के चयन हेतु राज्य सरकार शीघ्र ही नीति निर्धारित होने के पश्चात् निर्णय ले लेगी।

Page No 425

(335)

मसूदा तहसील को कृषि विस्तार योजना

696. श्री मूरा (मसूदा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1977-78 में या 1978-79 में मसूदा, जिला अजमेर में कृषि विस्तार योजना का कार्यालय खोला गया था ? यदि हां, तो किस तारीख को और किस उद्देश्य से ?

(2) क्या यह सही है कि कुछ समय के बाद इस कार्यालय का स्थानान्तरण ब्यावर कर दिया गया ? यदि हां, तो कौनसी तारीख को किन कारणों से ?

उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 77-78 में कृषि विस्तार योजना के अन्तर्गत दिनांक 1-3-78 से पंचायत समिति, जवाजा, मसूदा, भिनाय व केकड़ी क्षेत्र के लिये कृषि विस्तार योजना को सुचारु रूप से क्रियान्विती के उद्देश्य से उपखण्ड कार्यालय का मुख्यालय मसूदा रखा गया ।

(2) जी हां, दिनांक 12-8-78 से कार्यालय का स्थानान्तरण योजना की सुचारु रूप से क्रियान्विती में निम्न प्रशासनिक कठिनाइयोंके कारण किया गया :—

1. राजकीय कार्यों के लिये इस क्षेत्र का बैंक स्टेट बैंक आफ इन्डिया, ब्यावर में स्थित है ।

2. योजना संबंधित निम्न राजकीय कार्यालय ब्यावर में स्थिति है ।

1. सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, ब्यावर ।

2. प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक ।

3. कृषि उपज मंडी ।

4. क्रय-विक्रय सहकारी समिति ।

5. उप-जिलाधीश कार्यालय ।

6. तहसील मुख्यालय ।

7. राजकीय कोषागार कार्यालय भी दिनांक 1-3-79 से ब्यावर में खुलने जा रहा है ।

(3) आवास, पेट्रोल एंव यातायात व्यवस्था का ब्यावर में सुलभता से प्राप्त होना ।

ब्यावर मंडी समिति की दुकानों का किराया

697. श्री उगमराज मेहता (ब्यावर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या ब्यावर मंडी समिति द्वारा निर्मित दुकानों का किराया राज्य द्वारा निर्धारित किया गया है ?

(2) किराया निर्धारित करने हेतु कौन सक्षम है ?

(3) क्या यह सही है कि व्यापारियों से लागत का 12 प्रतिशत किराया वसूल किया जाने की राज्य सरकार की योजना है?

(4) क्या राज्य सरकार किराये की राशि में कोई राहत देना चाहती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) व्यवसायिक बैंक जिसके द्वारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है दुकानों का किराया दुकानों के निर्माण की लागत के आधार पर लगाकर योजना की आर्थिक

(कृषि मंत्री)

क्षमता देखते हैं। इसी आधार पर 12 प्रतिशत की दर से किराया निर्धारित किया जाता है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। यह वर्तमान परिस्थितियों में सम्भव नहीं है।

छोटी मछलियां पकड़ने पर रोक

698. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में छोटी मछलियों का सुखाना करना मना है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में छोटी मछली पकड़ना मना है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की अपूर्व हानि होती है ?

(3) क्या यह सही है कि 77-78 में जो जलाशय प्रति जलाशय 5000/- रुपये दिये गये थे, इस वर्ष उनको लीज पर देने से राजस्व की आय लाखों रुपये कम हुई है ? यदि हां, तो इस नियम को रखने की क्या आवश्यकता थी ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य में मछलियों का सुखाना मना नहीं है।

(2) राज्य में केवल मेजर कार्य मछलियों (रोहू, कतला, मगल एवं कालबास जाति की मछलियों) ही निर्धारित साईज से कम पकड़ना मना है, अन्य मछलियों का नहीं। इससे राजस्व की हानि नहीं होती है।

(3) वर्ष 77-78 में जो जलाशय प्रति जलाशय 5,000/- रुपये में दिये गये थे इस वर्ष उनको 10% बढ़ाकर लीज पर देने से राजस्व की हानि नहीं हुई है।

मत्स्य जलाशयों के ठेके

699. श्री अयूब खां (तिजारा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इस वर्ष राज्य के मत्स्य जलाशयों के ठेके से राज्य सरकार को राजस्व की आय एक करोड़ दो लाख अड़तीस हजार हुई है तथा 15 लाख आय और होने की सम्भावना है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार यह उचित समझेगी कि मत्स्य विभाग को अलग बनाया जाए ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य के अलावा सभी राज्यों में मत्स्य विभाग पृथक बना हुआ है ? यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा भी मत्स्य विभाग कब तक अलग बना दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1978-79 के लिए जो मत्स्य आखेट हेतु जलाशयों के ठेके दिये गये हैं उनकी कीमत एक करोड़ तीन लाख बारह हजार रुपये है। अभी लगभग 200 जलाशयों का ठेका पर होने से और आय होने की सम्भावना है। यह प्रश्न विचाराधीन है।

(2) जी हां। अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

ग्राइडियल डेयरी, रानीवाड़ा

700. श्री रतना राम चोधरी (रानीवाड़ा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राइडियल डेयरी रानीवाड़ा घाटे में चल रही है ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इस डेयरी को अपने नियंत्रण में लेने का इरादा रखती हैं ? अगर हां, तो इस सन्दर्भ में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस निजी क्षेत्र की डेयरी को ग्रार०ग्राई०एम०डी०सी० ने काफी कर्ज दे रखा है ? क्या यह भी सही है कि ग्राम लोगों के भी करीब 5 लाख से अधिक शेयर खरीदे हुए हैं मगर शेयर होल्डर की मीटिंग ग्राज तक डेयरी मैनेजमेंट ने नहीं बुलाई ?

(3) क्या यह भी सही है कि डेयरी के दूध एकत्रित करने की क्षमता दिन प्रतिदिन घटती जा रही है जिसका मुख्य कारण धन का अभाव है एवं किसानों को दूध का सही दाम न मिलना है ?

(4) क्या यह भी सही है कि डेयरी में कर्मचारियों व मजदूरों ने कई बार हड़तालें कीं मगर उनकी मांगों पर मैनेजमेंट उदासीन व मौन रहा ?

उत्तर

(1) यह निजी क्षेत्र से है। जानकारी प्राप्त की जा रही है। तथ्यों के ग्रध्ययन के बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है।

(2) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(3) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(4) जानकारी प्राप्त की जा रही है।

एकीकृत ग्रामीण विकास की नई योजना

702. श्री मूलचन्द डागा (पाली): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) एकीकृत ग्रामीण विकास की नई योजना क्या है ग्रौर उसका उद्देश्य क्या हैं ? प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) यह योजना कहां-कहां शुरू की गई ग्रौर कब कब शुरू की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) 104 गांवों में समग्र क्रांति की क्या कोई राज्य सरकार की योजना है ? यदि हां, तो इस योजना का क्या उद्देश्य है ग्रौर यह कौन-कौन से गांवों में कब-कब शुरू की गई ग्रौर उनमें से प्रत्येक गांव पर कितना खर्चा किस-किस कार्य पर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) केंद्रीय सरकार ने पूरे देश में चयनित विकास खण्डों में सघन विकास योजना इस वर्ष से चलाने का निर्णय किया है, जिसके अन्तर्गत राजस्थान राज्य में 112 विकास खण्ड ग्रावंटित किये गये हैं। इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य प्रोडक्टिव प्रोग्राम्स अपनाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पूरे रोजगार उपलब्ध कराना है। भारत सरकार द्वारा प्रसारित Guideline for intensive development of blocks under the programm

(338)

(कृषि मंत्री)

for IRD Vol.I & Vol.IIसंलग्न है।

(2) राज्य को आवंटित 112 विकास खण्डों के चयन का कार्य किया जा चुका है। चयनित विकास खण्डों की सूची संलग्न है।

(3) समग्र क्रांति नाम की कोई योजना राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है। इस वर्ष से समग्र ग्रामोदय योजना प्रारम्भ की जा रही है जिसके उद्देश्य, जिलों को आवंटित ग्रामों की संख्या तथा चयन के लिये निर्धारित मापदण्डों का विवरण संलग्न है। इन 104 ग्रामों का चयन नहीं होने से अभी तक इस योजना के अन्तर्गत कोई खर्चा नहीं किया गया है।

List of Panchayat Samitis selected under I R D Programme DPAP/DDP Districts

1. Jodhpur (5)
   1. Bilara
   2. Bhupalgarh
   3. Balesar
   4. Phalodi
   5. Bap
2. Jalore (3)
   1. Ahore
   2. Sayala
   3. Raniwara
3. Nagaur (5)
   1. Ladnun
   2. Nagaur
   3. Jayal
   4. Makrana
   5. Riyan
4. Jaisalmer (2)
   1. Pokaran
   2. Jaisalmer
5. Pali (4)
   1. Bali
   2. Kharchi
   3. Desuri
   4. Rohat
6. Barmer (4)
   1. Siwana
   2. Shiv
   3. Barmer
   4. Chohtan
7. Bikaner (2)
   1. Kolayat
   2. Bikaner
8. Churu (3)
   1. Ratangarh
   2. Sujangarh
   3. Dungargarh
9. Banswara (3)
   1. Kushalgarh
   2. Ghatol
   3. Peeplakhoont
10. Jhunjhunu (3)
    1. Buhana
    2. Udaipurwati
    3. Surajgarh
11. Doongarpur (2)
    1. Doongarpur
    2. Bichhiwara
12. Sikar (4)
    1. Fatehpur

Page No 429

2. Danta Ramgarh
3. Shrimadhopur
4. Neemkathana

S.F.D.A. Districts

13. Alwar (6)
    1. Kishangarh
    2. Kotkasim
    3. Kathumar
    4. Mandawar
    5. Ramgarh
    6. Umren
14. Bharatpur (6)
    1. Weir
    2. Bayana
    3. Roopwas
    4. Dholpur
    5. Nadbai
    6. Sewar
15. Ajmer (3)
    1. Kekri
    2. Bhinai
    3. Arain
16. Chittorgarh (5)
    1. Begun
    2. Chittorgarh
    3. Rashmi
    4. Nimbahera
    5. Bhadesar
17. Bhilwara (5)
    1. Mandalgarh
    2. Mandal
    3. Shahpura
    4. Banera
    5. Asind
18. Udaipur (9)
    1. Rajsamand
    2. Kumbhalgarh
    3. Railmagra
    4. Amet
    5. Girwa
    6. Bada Gaon
    7. Khamnor
    8. Mavli
    9. Deogarh

C.A.D. Districts

19. Ganganager (6)
    1. Raisingnagar
    2. Karanpur
    3. Sadulsahar
    4. Mirjawala
    5. Hanumangarh
    6. Padampur
20. Kota (7)
    1. Ladpura
    2. Baran
    3. Atru
    4. Chechat
    5. Sultanpur
    6. Itawa
    7. Chhabra
21. Bundi (3)
    1. Talera
    2. Hindoli
    3. Keshoraipatan

Other Districts

22. Jaipur (8)
    1. Bassi
    2. Sanganer
    3. Phagi
    4. Dudu
    5. Sikrai
    6. Lalsot
    7. Dausa
    8. Chaksu
23. Tonk (4)
    1. Tonk

2. Malpura
3. Newai
4. Todaraising

24. Jhalawar (3)

1. Khanpur
2. Dug
3. Pirawa

25. Sawai Madhopur (4)

1. Hindaun
2. Gangapur
3. Todabhim
4. Khandar

26. Sirohi (3)

1. Sirohi
2. Shivganj
3. Reoder

विवरण

समग्र ग्रामोदय योजना

उद्देश्य

"राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष से चलाई जाने वाली समग्र ग्रामोदय योजना का उद्देश्य निर्धारित अवधि में चयनित ग्रामों में बेरोजगारी को समाप्त करना, ग्राम के सभी निर्धन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना तथा ग्राम की प्रति व्यक्ति औसत आय में निश्चित वृद्धि करना है। गांवों में उपलब्ध साधनों के आधार पर प्रत्येक ग्राम के विकास की एक बहुमुखी योजना बनाई जायेगी।

जिलों को आवंटित ग्रामों की संख्या

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में 4 गांवों का चयन कर उनके सर्वांगीण विकास की योजना बनाई जायेगी।

चयन पद्धति

प्रत्येक जिले के जिला विकास अभिकरण 8-8 ग्रामों की सूची राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे। राज्य सरकार इनमें से 4-4 गांवों का चयन करेगी। ग्रामों के चयन के समय निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान रखा जायेगा।

(1) ग्राम की जनसंख्या 500 से 1500 के बीच हो।

(2) सम्बन्धित गांव में (क) विद्युतीकरण (ख) कच्ची या पक्की सड़क (ग) स्कूल (घ) सहकारी समिति का मुख्यालय (च) सिंचाई के साधन या भूमिगत जल की उपलब्धि (छ) रेगिस्तानी जिलों में पशुधन सुविधायें विद्यमान हों :

प्रत्येक जिले में कम से कम एक ग्राम इस प्रकार का होगा जहां उपरोक्त कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

(3) पंचायत समिति मुख्यालय से ग्राम की दूरी 25 किलोमीटर से अधिक नहीं हो।

(4) ग्राम में खेतीहर मजदूरों तथा घरेलू उद्योगों में लगे परिवारों की संख्या 20% या उससे अधिक हो।

(351)

राज्य कृषि विपणन बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध पद दुरुपयोग के मामले

703. श्री **हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य कृषि विपणन बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष के खिलाफ पद के दुरुपयोग आदि के मामले राज्य सरकार के ध्यान में आये हैं। यदि हां, तो कब से क्या-क्या अनियमितताएं राज्य सरकार के कब-कब ध्यान में आई और उनमें क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त अनियमितताओं में कोई वित्तीय मामले हों तो, वे कितनी-कितनी रकम के हैं ?

(3) उपयुक्त मामलों में क्या-क्या कार्यवाही करनी शेष है जो कि इस प्रकार से कब तक कर ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। जहां तक बोर्ड कार्यालय को ज्ञात है बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष के विरुद्ध निम्नांकित अनियमितताओं के बारे में शिकायतें आई थीं :–

(1) रोड रोलर की खरीद में 40,000 की अतिरिक्त राशि का व्यय।

(2) रूस यात्रा का दोहरा यात्रा भत्ता।

(3) गाड़ियों का दुरुपयोग।

(4) नियुक्तियों में अनियमितताएं।

(5) दामाद द्वारा ठेकेदारों में अपने प्रभाव का दुरुपयोग।

(6) टेलीफोन का दुरुपयोग।

(7) भीलवाड़ा मण्डी के भू-खण्डों के विवाद के निपटारे में गड़बड़ी।

(2) इन शिकायतों पर राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा जांच करवाई जा रही है।

अनियमितताओं में निम्नांकित वित्तीय मामले बतलाये गये हैं :–

1. रोड रोलर की खरीद में 40,000/- की अतिरिक्त राशि का व्यय।

2. रूस यात्रा का दोहरा यात्रा भत्ता।

3. वाहन एवं टेलीफोन का दुरुपयोग।

(3) जांच कार्यवाही भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा की जा रही है।

कृषि विपणन बोर्ड के कर्मचारी

704. श्री **भवरलाल** (हिण्डौन): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड में कुछ कर्मचारी राज्य के कृषि विभाग से आये हुए हैं जिन्होंने बोर्ड में अपने एब्जोरप्शन का कोई आप्शन नहीं दिया है, फिर भी उन्हें बोर्ड में प्रमोशन दिया गया है जो कि नियमों के विरुद्ध है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ऐसे कर्मचारियों को बोर्ड में डाइरेक्टली रिक्रूटेड कर्मचारियों से सीनियर बनाने का प्रश्न बोर्ड के विचाराधीन है ? यदि हां, तो ऐसा करना नियमों के विपरीत नहीं होगा और इस मामले का फैसला कब तक हो जावेगा ?

(342)

(कृषि मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विपणन बोर्ड में कुछ कर्मचारी राज्य के कृषि विभाग से आये हुए हैं। इन्होंने बोर्ड को अपने एब्जोर्प्शन के लिये ऑप्शन दे दिया है। इन्हें बोर्ड में अस्थाई प्रमोशन दिया गया है जो नियमों के विरुद्ध नहीं है।

(2) कृषि विभाग के मार्केटिंग सैक्शन से स्थानान्तरित कर्मचारियों की सेवा यदि डाइरेक्टली रिक्रूटेड कर्मचारी से पहले की है तो स्थानान्तरित कर्मचारी सीनियर माना जायेगा जो नियमों के विपरीत नहीं है।

कृषि उपज मंडी समिति, भवानी मंडी

706. **श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा)** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भवानी मंडी कृषि उपज मंडी समिति के प्रमुख मंडी यार्ड में अड्डे का स्थानान्तरण कब तक हो जायेगा ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले 6 माह से पचपहाड रोड पर स्थित मंडी यार्ड का निर्माण कुछ व्यापारियों ने सचिव से सांठ-गांठ कर रुकवा दिया है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़े कदम उठावेगी ?

उत्तर

(1) भवानी मण्डी कृषि उपज मण्डी समिति के प्रमुख मण्डी यार्ड में अड्डे का स्थानान्तरण का प्रश्न अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है अस्तु अभी यह कहना कि स्थानान्तरण कब तक हो जायेगा सम्भव नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्य में कातरा से फसलों को हुआ नुकसान

707. **श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़)**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष राज्य के कौन-कौन से जिलों में कातरा की माहमारी का प्रकोप फैला तथा इससे फसल को कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कातरा की रोकथाम के लिए अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं ?

उत्तर

(1) इस वर्ष कातरे की महामारी के कारण हुए नुकसान की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) कातरे के सम्भावित प्रकोप को मद्देनजर रखते हुए कृषि विभाग ने माह अप्रैल, 1978 के अन्तिम सप्ताह से ही कातरे की उत्पत्ति को नियन्त्रित रखने के उद्देश्य से कातरा उत्पादक बिजली का प्रकाश पास क्रिया द्वारा नष्ट कराने के लिए परिपत्र जारी कर संबंधित जिले के अधिकारियों को इसके जीवन चक्र पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए विस्तृत निर्देश दिए गए। प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाली समस्त बैठकों में इस बिन्दु पर

(कृषि मंत्री)

विचार विमर्श किया गया। तथा रेडियो, स्थानीय समाचार पत्रों व बुलेटिन के माध्यम के द्वारा आम कृषकों के स्तर तक जानकारी पहुंचाने के प्रयास किए गए। कातरे की उत्पति होने पर संबंधित जिलों के जिलाधीशों से सिफारिश प्राप्त होते ही विभाग ने राज्य सरकार को स्वीकृति के पूर्वानुमान में तत्काल महामारी घोषित कर दिनांक 13-7-78 से 26-7-78 तक 25 प्रतिशत व दिनांक 26-7-78 से 31-8-78 तक 50 प्रतिशत अनुदान पर कीटनाशक औषधियां कृषकों को उपलब्ध कराकर कातरा नियन्त्रण करवाया गया।

वर्ष 78–79 में कातरा ग्रसित जिलों में खाद्यान्न व दलहन फसलों पर हुऐ नुकसान का विवरण

जिला	खाद्यान्न फसलें	दलहनी फसलें
1. चूरू	10 प्रतिशत	25 प्रतिशत
2. श्री गंगानगर	10 प्रतिशत	15–20 प्रतिशत
3. अजमेर	8–10 प्रतिशत	20 प्रतिशत
4. हनुमानगढ	10–20 प्रतिशत	35–60 प्रतिशत
5. जालोर	5–10 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6. पाली	5–10 प्रतिशत	15–28 प्रतिशत
7. नागौर	—	50–60 प्रतिशत
8. जोधपुर	5–10 प्रतिशत	60 प्रतिशत
9. सीकर	10 प्रतिशत	60 प्रतिशत
10. झुंझनूं	10 प्रतिशत	50–60 प्रतिशत
11. बाड़मेर	5–10 प्रतिशत	50 प्रतिशत
12. बीकानेर	10 प्रतिशत	25 प्रतिशत

राज्य कृषि उद्योग निगम-द्वारा कृषकों को ट्रेक्टरों का आवंटन

708. श्री आर० डी० यादव (चौमू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान कृषि उद्योग निगम ने कृषकों को 100/– रुपये जमा कर ट्रेक्टर क्रय हेतु आमंत्रित किया था? यदि हां, तो किस किस तारीख व साल में कुल कितने ट्रेक्टर कृषकों ने बुक करवाये तथा कितने काश्तकारों को ट्रेक्टर आवंटित किये? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि इस निगम में जमा धनराशि के आधार पर अब ट्रेक्टर आवंटित नहीं किये जा रहे हैं? अगर हां, तो क्यों? आज दिन तक कितने कृषकों की 100/-रु० के हिसाब से राशि जमा है?

(3) क्या यह निगम उक्त जमा धन

(344)

(श्री आर. डी. यादव)

धन राशि वापस कृषकों को लौटाने का इरादा रखता है ? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों नहीं ? अब तक न लौटाने के कौन दोषी हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। निगम में 1969-70 से सितम्बर, 1971 तक विभिन्न प्रकार के मेकों के आयातित ट्रैक्टरों के लिए करीब 11894 व्यक्तियों ने 100/- रु. प्रति ट्रैक्टर के हिसाब से अग्रिम राशि जमा कराई इनमें 3044 व्यक्तियों को आयातित ट्रैक्टर आवंटित किये गये, जिलेवार व्यक्तियों, जिन्होंने 100/- रु० की अग्रिम राशि जमा कराई, मय आयातित ट्रैक्टर के मेकं के, सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है ।

(2) जी हां । सितम्बर, 1971 में ट्रैक्टर (डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड सेल्स) कन्ट्रोल आर्डर प्रभाव में आने पर अग्रिम राशि पहले 500/- रु० और उसके बाद 1000/- रु० उक्त आर्डर के अन्तर्गत अनिवार्य की गई इसलिये जिन व्यक्तियों ने नोटिस देने के बावजूद रुपये 500/- एवं 1000/- रु० पोस्ट आफिस में जमा कराकर पास बुक नहीं भेजी उनके प्रार्थना-पत्र स्वतः निरस्त हो गये और उनके 100/- रु० लौटाने के लिये निगम द्वारा नोटिस जारी किये गये । दिनांक 30-10-78 तक निगम में 2429 व्यक्तियों की राशि जमा है ।

(3) जी हां । आयातित ट्रैक्टर आवंटन हेतु जमा की गई अग्रिम धनराशि किसानों को लौटाई जा रही है । निगम ने समस्त व्यक्तियों की जिनकी 100/- रु. की धनराशि जमा थी, जवाबी पोस्ट कार्ड द्वारा सूचना भेजी थी तथा जिन व्यक्तियों के जवाब निगम को प्राप्त हुए उनकी राशि उसी समय लौटा दी गई थी लेकिन कुछ व्यक्तियों के पोस्टकार्ड यह लिखकर वापिस लौट आये कि अंकित पते पर उक्त नाम का व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, उनकी राशि निगम में जमा है । पोस्ट कार्ड की एक प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है । निगम कोई समयावधि निश्चित नहीं कर सकता, कि कब तक यह राशि लौटाई जा सकेगी । जैसे ही सम्बन्धित व्यक्ति रकम जमा होने की रसीद अथवा अन्य कोई प्रमाण देता है, वैसे ही जमा शुदा धनराशि लौटा दी जाती है । इस जमा शुदा अग्रिम राशि लौटाने की प्रक्रिया कई साल से क्रियान्वित की जा रही है, इसलिये न लौटने और किसी के इसके लिये दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

Page No 435

परिशिष्ट 'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या 76 की सूची)

सन् 1969-70 से 1 सितम्बर, 1971 तक प्राप्त आयातित ट्रेक्टरों हेतु प्राप्त हुए प्रार्थना-पत्रों को जिले व ट्रेक्टरवार सूची

जिले का नाम	बैलारूस 47हा०	जीटर 5511	यूर्सस	फोर्ड 3000	मैसी फर०	रसियन टी० 25	आइ.एम. टी.555	इन्टर-आइ.एम. ने० टी.35 हा०पा०	एम एफ 35 हा०	रोमा निया 50 हा.	रोमा निया 65 हा.पा.	इन्टर-नेशनल 12 से 25	इन्टर-नेशनल 25 हा.		जीटर 2011	जीटर 35 हा. पा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
अजमेर	24	15	15	26	69	15	9	13	1	5	1	22	—	—	47	—
अलवर	42	58	63	74	179	49	32	31	6	12	52	32	—	2	273	—
बांसवाड़ा	4	2	4	1	8	3	2	—	—	—	—	9	—	—	10	—
बाड़मेर	19	11	6	17	75	7	6	8	4	5	—	6	—	—	44	—
भरतपुर	109	47	195	74	253	69	28	46	14	8	2	107	—	—	503	—
भीलवाड़ा	14	12	12	23	19	10	6	8	2	6	1	10	—	—	32	—
बीकानेर	27	9	15	10	23	25	10	6	6	7	—	22	—	—	16	—
बून्दी	29	6	14	30	32	17	14	8	2	8	—	15	—	—	36	—
चितौड़गढ	18	7	15	13	21	11	13	8	—	7	4	11	—	—	31	—
चूरू	47	20	14	26	65	16	9	10	3	1	—	52	—	—	41	—
डूंगरपुर	2	3	2	2	3	2	2	1	1	—	—	2	—	—	1	—
गंगानगर	290	106	61	199	555	63	38	72	55	84	3	170	—	2	252	—
जोधपुर	33	12	13	18	281	17	13	28	5	4	—	10	—	—	55	—

345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
जयपुर	136	53	126	146	901	83	31	48	10	62	3	45	—	1	501	—
जैसलमेर	10	1	4	6	38	4	8	5	—	1	—	4	—	—	14	—
जालोर	18	13	6	8	38	8	8	6	—	4	—	3	—	—	24	—
झालावाड़	6	2	10	1	9	8	3	4	1	1	—	8	—	1	14	—
झुंझुनूं	33	12	13	32	66	17	21	9	9	4	1	2	—	—	16	—
कोटा	31	17	29	25	58	17	13	28	5	4	—	10	—	—	54	—
नागौर	71	31	35	50	229	34	11	32	8	7	4	5	—	—	138	—
पाली	138	98	16	28	138	25	14	38	8	8	—	8	—	—	70	—
सवाईमाधोपुर	39	17	19	23	72	20	7	7	3	4	1	11	—	—	84	—
सीकर	65	25	26	81	183	24	77	34	2	13	2	15	—	2	90	—
सिरोही	8	4	9	4	13	3	4	10	1	—	1	4	—	—	8	—
टोंक	28	12	15	11	99	16	14	10	2	7	—	10	1	1	61	—
उदयपुर	19	7	17	23	78	11	8	5	—	3	—	10	—	—	27	—
योग ..	1140	520	754	960	3445	565	332	429	144	263	24	602	1	9	2473	—

(457)

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

विराट भवन, पृथ्वीराज रोड़ 'सी' स्कीम, जयपुर-1

महोदय,

आपके द्वारा दिनांक········को पुस्तक सं········रसीद सं.······ के अनुसार·········ट्रेक्टर के लिये जो 100) की राशि जमा करवा कर रजिस्ट्रेशन करवाया था, उसके संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आप कृपया संलग्न पोस्टकार्ड पर सूचित करें कि आपकी 100) रुपये की राशि किस पते पर वापिस की जावे । उत्तर न पाने की स्थिति में यह समझा जावेगा कि आप राशि प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है और भविष्य में निगम द्वारा राशि भेजना संभव नहीं हो सकेगा ।

वर्तमान समय में निगम में निम्न ट्रेक्टर उपलब्ध हैं जिनकी कीमत पीछे लिखी हुई है। अगर आप ट्रेक्टर खरीदने के इच्छुक हैं तो निगम से तुरन्त सम्पर्क करें ।

पता:—

मेरा नाम·····················

पिता का नाम···················

ग्राम·······················

पोस्ट ऑफिस···················

तहसील······················

जिला·······················

प्रार्थी

पोस्ट कार्ड
POST CARD
जवाबी
REPLY
केवल पता
ADDRESS ONLY

राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा आयातित ट्रेक्टर

709. श्री माधवसिंह दीवान (सोजत): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन ने कुछ वर्षों पहले कुछ ट्रेक्टर आयात किये थे ? यदि हां, तो किस किस मेक के कितने ट्रेक्टरों का आयात हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि इनके स्पेयर पार्ट भी आयात किये गये ? यदि हां, तो किस किस मेक के कितने कितने रुपयों के किस किस वर्ष में आयात हुए ?

(3) क्या यह भी सही है कि यूनिवर्सल 650 मेड इन रूमानिया के कुछ टायरों का भी आयात किया गया ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितने कितने टायर मंगाये गये तथा उनकी आयात की कीमत क्या थी तथा उन्हें किस रेट पर बेचा गया तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में कितना स्टॉक रहा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्या इस टायर वाले सौदे में राज्य सरकार (निगम) को नुकसान हुआ ? यदि हां, तो कितना तथा कितने टायर स्क्रेप किये गये ?

(5) क्या यह भी सही है कि रिटेल बिक्री के लिये राज्य निगम का संसार चन्द्र रोड, जयपुर में एक शो रूम भी है ? यहां की औसत प्रतिदिन की बिक्री, माहवार पिछले तीस वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या इसे चालू रखने में कारपोरेशन को फायदा है ? यदि हां, तो कितना ?

उत्तर

(1) जी हां। ट्रेक्टरों का आयात कृषि मन्त्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर मनोनीत एजेन्सी (प्रोजेक्ट एण्ड इक्यूपमेंट कारपोरेशन) द्वारा किया जा कर राज्य वार बंटवारा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा किया जाता था। अतः निगम को भारत सरकार से जिन आयातित ट्रेक्टरों का आवंटन किया गया उनकी सूची मय दिनांक मेक व संख्या के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। आयातित ट्रेक्टरों के मूल्य के 10% मूल्य के स्पेयर पार्ट्स आयात करना अनिवार्य था। मेकवार मय मूल्य सूची के परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। यूनिवर्सल 650, 65 एच० पी० के ट्रेक्टरों के टायरों का भी रोमानिया से आयात किया गया। विभिन्न वर्षों में जितने टायरों का आयात किया गया, उनकी कीमत तथा विक्रय दर एवं साल के अन्त में स्टाक परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) जी हां। बिक्री के आधार पर 39070/-रुपये का नुकसान निगम को हुआ है। कोई भी टायर स्क्रेप नहीं हुआ।

(5) जी हां। प्रतिदिन की औसत बिक्री परिशिष्ट 'द' पर सलंग्न है। तथा इससे निगम को गत दो वर्षों में लगभग क्रमशः 60,000/- एवं 95,000/- रु० का लाभ हुआ है। अतः इसे चालू रखने में निगम को फायदा है।

(249)

परिशिष्ट 'अ'

अतारांकित प्रश्न संख्या 77 की सूची

निगम को प्रति वर्ष जिन जिन मेकों के आयातित ट्रेक्टर प्राप्त हुए हैं, उनकी जानकारी निम्न तालिका में दी जा रही है:—

क्र.सं.	भारत सरकार द्वारा आवंटन का दिनांक	ट्रेक्टरों का नाम और संख्या — नाम	संख्या	प्राप्त किये गये ट्रेक्टरों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	1-7-1969	रशियन डी. टी.-14	125	123
2	29-9-68	जर्मन आर.एस. 09	350	348
3	31-10-69	बोलगोर टी.एल.-30	50	50
4	12-11-69	जीटर 2011	113	113
5	3-1-70	जीटर 2011	237	237
6.	6-3-70	रूमानियन यू-650	200	200
7.	राज० कृषि अभियान्त्रिक मण्डल	रूमानियन यूटोज-500	12	12
8.	4-3-70	रूमानियन यू-651	200	200
9.	10-6-70	जीटर 2011	50	50
10	10-9-70	जीटर 2011	100	100
11.	9-7-70	वेलारूस 47अश्वशक्ति	625	625
12.	6-5-70	जीटर 5511	75	75
13.	11-8-70	रूमानियन यू-650एम	200	200

(358)

1	2	3	4	5
14.	29-2-70, 11-11-70	उरसस सी -355	200,75	×
15.	20-2-71	जीटर 2011	100	100
16.	8-2-71	उरसस सी-328	150	×
17.	30-1-71	आई. एम. टी-555	125	×
18.	7-5-71, 28-8-71	इन्टरनेशनल बी-276	75,25	×
19.	6-5-71	मैसीफरगुसन (135)	50	50
20.	7-3-71	रशियन टी-25	50	50
21.	21-4-71	वेलारूस 47 अश्वशक्ति	45	45
22.	8-6-71	जीटर 2011 (आर एस एक्सचेन्ज)	50	50
23.	21-7-71	फोर्ड-3000	102	×
24.	10-8-78	उरसस सी-328	100	×
25.	28-7-71	रशियन टी-	100	100

ये ट्रेक्टर सम्बन्धित डीलरों को प्राप्त हुये और उन्होंने ही डिलीवरी दी।

परिशिष्ट 'ब'

निगम द्वारा आयात किये विभिन्न प्रकार के ट्रेक्टरों के स्पेयर पार्टस का ब्यौरा:-

क. सं.	वर्ष	रशियन (वेलारुस) ट्रेक्टर मूल्य लाखों में	रूमानिया ट्रेक्टर मूल्य लाखों में	जीटर ट्रेक्टर मूल्य लाखों में
1	70-71	—	12.76	—
2	71-72	—	11.02	4.63
3	72-73	11.82 लाख	46.11	11.23
4	73-74		2.06	4.35
5	74-75	6.80 लाख	—	0.89
6	75-76	—	12.95	—
7	76-77	—	—	—
8	77-78	—	—	—
9	78-79	—	—	—
		18.62	43.40	21.30

परिशिष्ट 'स'

यूनिवर्सल 650 ट्रैक्टरों के टायरों का आयात व उनका क्रय व विक्रय मूल्य

क्र.सं.	वर्ष	आयात किये सेटों की संख्या	खरीद मूल्य	विक्रय मूल्य	साल के अन्त में स्टॉक
1.	71-72	200 सेट	1430.10	1800.00	148
2.	72-73	50	,,	,,	44
3.	73-74	—	—	—	—
4.	74-75	—	—	—	—
5.	75-76	—	—	—	—
6.	76-77	500	3773.00	4254.00	391
7.	77-78	—	—	3100 रु० प्रति सेट	341
8.	78-79	—	—	—	332

नोट :—1. फरवरी 1978 से टायरों की कीमत में कमी की गयी।
2. एक सेट बराबर एक टायर व एक ट्यूब।

(352)

परिशिष्ट 'द

विगत वर्षों में शो-रूम की औसत प्रति दिन की माहवार बिक्री

वर्ष	अप्रेल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी
1976-77 औसत प्रतिदिन की माहवार बिक्री	—	—	—	454.75	459.51	5179.72	7726.70	14936.32	1490.14	8123.56	1400.71
1977-78 औसत प्रतिदिन की माहवार बिक्री	3447.57	7050.14	14670.73	11206.42	8258.05	7278.91	8209.83	2294.31	4098.43	1613.73	1793.65
1978-79 औसत प्रतिदिन की माहवार बिक्री	2086.75	7186.41	6559.90	2462.00	6007.55	14660,55	2888.42	—	—	—	—

मार्च :—

1976-77 औसत प्रतिदिन की माहवार बिक्री	1495.94
1977-78	23378.97

राज्य डेयरी निदेशालय

710. श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजस्थान डेयरी निदेशालय को समाप्त करने का राज्य सरकार ने कोई निर्णय लिया है या निकट भविष्य में लेने का इरादा है ?

(2) राज्य की श्वेत क्रांति में इस निदेशालय का क्या योगदान रहा है ?

(3) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान की दुग्ध योजना इस कदम के कारण से बुरी तरह प्रभावित होगी ?

उत्तर

(1) विचाराधीन है ।

(2) राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना के पूर्व मुख्यतया इस निदेशालय द्वारा ही राज्य के लिये डेयरी विकास योजनाएं तैयार व क्रियान्वित की गई ।

(3) जी नहीं ।

तिबरसा रोग से ऊंटों की हुई मृत्यु

711. श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1977-78 में सामान्यतः सम्पूर्ण राज्य में एवं मुख्यतः जैसलमेर जिले में तिबरसा रोग से कितने ऊंट व ऊंटनियों की मृत्यु हुई एवं दवाइयों के अभाव में मृत्यु संख्या कितनी है ?

(2) उक्त कारणों से हुई पशु मृत्यु से पशु पालकों को कितने रुपयों की क्षति हुई ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त प्रकार हुई क्षति पूर्ति करने या मुआवजा देने का इरादा या योजना का प्रस्ताव करती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(4) भविष्य में उक्त कारणों से होने वाली क्षति की रोकथाम के लिये राज्य सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं व योजना बनाई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) सरा की बीमारी से पशुओं के मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े संकलित किये जाने की वर्तमान में व्यवस्था नहीं है अतः तिबरसा रोग से मृत्यु हुई ऊंटों व ऊंटनियों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गत वर्ष उक्त रोग की दवा की कमी थी परन्तु इस वर्ष पर्याप्त मात्रा में दवा आयात कर ली गई है ।

(2) मृत्यु के आंकड़ों के अभाव में पशुपालकों को हुई क्षति का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(3) रोगों से मृत्यु होने पर मुआवजा दिये जाने की व्यवस्था नियमों में नहीं है ।

(4) भविष्य में ऊंटों में तिबरसा रोग से होने वाली क्षति की रोकथाम हेतु राज्य सरकार ने क्रमबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया है इसके अन्तर्गत 4 सर्रा नियन्त्रण इकाई की स्थापना की जा चुकी है एवं 5 और इकाई की स्थापना शीघ्र की जावेगी । कुल 9 इकाई के अतिरिक्त

(पशुपालन मंत्री)

सर्रा अन्वेक्षण प्रयोगशाला की स्थापना जोधपुर में की जा रही है।

तहसील धरियावद में पशु चिकित्सालय खोलना

712. श्री नारायण मीणा (लसाड़िया): क्या पशु पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि धरियावद तहसील में ज्यादातर अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के निवासी हैं और उनके मुख्य रोजगार के साधन कृषि एवं पशुपालन ही हैं, अधिकतर कृषि मौसम पर ही आधारित हैं? इस तहसील में न तो पर्याप्त पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था है न कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की कोई व्यवस्था है? यदि हां तो राज्य सरकार पर्याप्त पशु चिकित्सालयों की एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की तहसील में कब तक व्यवस्था कर देगी?

उत्तर

जी हां।

पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

इस वर्ष एक ग्राम आधार योजना खण्ड (कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र) स्थापित कर दिया गया है।

रसायनिक उर्वरकों पर बिक्री कर व चुंगी

*714. श्री राम प्रसाद लड्ढा (माण्डल): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पड़ौसी राज्य हरियाणा, पंजाब में रसायनिक उर्वरकों पर न तो बिक्री कर लगाया जाता है और न ही चुंगी?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में रसायनिक उर्वरकों पर बिक्री कर व चुंगी लगाये जाने से राज्य में इसकी कीमतें हरियाणा व पंजाब से अधिक होने से सीमावर्ती क्षेत्रों में हरियाणा व पंजाब से भारी मात्रा में रसायनिक उर्वरक राज्य में आकर बिकता है?

(3) क्या यह सही है कि रसायनिक उर्वरकों की कीमतें ऊंची होने से किसान इनको पर्याप्त मात्रा में क्रय नहीं कर पाते हैं?

(4) क्या यह सही है कि फर्टिलाइजर एसोसियेशन आफ इण्डिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने राज्य सरकार से सम्पर्क किया कि रसायनिक उर्वरकों पर से बिक्री कर व चुंगी हटा दी जाय किन्तु राज्य सरकार ने उनके इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार रसायनिक उर्वरकों की कीमतों में कमी करने के लिए तत्पर नहीं है, और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए जागरूक नहीं है?

(6) किसानों पर इन करों की वजह से जो अतिरिक्त भार पड़ता है उसको समाप्त करने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है?

(7) क्या यह भी सही है अनेक राज्यों में खाद पर कोई कर नहीं लिया जाता है और पंजाब व हरियाणा में अनुदान

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
भी दिया जाता है ? राज्य में ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी हां । यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(5) जी नहीं ।

(6) यह प्रश्न विचाराधीन है ।

(7) जी नहीं । यह सही नहीं है । पंजाब व हरियाणा में अनुदान दिया जाता है । राज्य में अनुदान देने का प्रश्न विचाराधीन है ।

कृषि निदेशालय में की गई नियुक्तियां

715. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिसम्बर, सन् 1977 में विभाग के भूतपूर्व निदेशक द्वारा कुछ कनिष्ठ लिपिकों एवं अन्य पोस्टों पर नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां ? तो कितनी-कितनी किस-किस जिले में किस-किस पद पर नियुक्तियां की गई हैं ? और कब-कब की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त नियुक्तियों में कितने व्यक्तियों को बिना नियोजन कार्यालय के नियुक्तियां की गई हैं ? यदि हां, तो किन-किन की की गई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) कृषि विभाग में दिसम्बर, 1977 में नियुक्त व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(2) दो व्यक्तियों की नियुक्ति बिना नियोजन कार्यालय के की गयी है:—

1. श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी, कनिष्ठ लिपिक

2. श्री देव प्रकाश, कनिष्ठ लिपिक

अन्यों की सीधी नियुक्ति करने का राज्य सरकार के नियमानुसार विभागाधिकारी सक्षम है। क्योंकि एक शीघ्र लिपिक के पद पर विभागीय कनिष्ठ लिपिक की नियुक्ति की गयी, दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति उनके पिता व पति के देहान्त होने पर राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 2-9-72 के तहत की गयी, चार अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं तथा एक को नियुक्ति अन्य कार्यालय में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होने के कारण की गयी ।

(316)

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 की सूची

कृषि विभाग में दिसम्बर, 1977 में नियुक्त किये व्यक्तियों की सूची

क. सं.	नाम	पद	नियुक्ति स्थान	आदेश संख्या
1.	श्री प्रेम विहारी माथुर	शीघ्र लिपिक	सहायक निदेशक, कृषि (भू-सरक्षण), जयपुर	208122-27 /8-12-77
2.	श्री मदन लाल हरिजन	कनिष्ठ लिपिक	उप-निदेशक कृषि (विस्तार), अलवर	22747-49/ 14-12-77
3.	श्री रामनारायण सावलीवाल	,,	विषय विशेषज्ञ (विस्तार), उदयपुर	23764-67/ 16-12-77
4.	श्री भगवान सहाय कोली	,,	परियोजना अधिकारी (ल. सि. यो.), जैसलमेर	25564-69/ 29-12-77
5.	श्री योगेश प्रसाद माथुर	,,	जिला कृषि अधिकारी, अजमेर	25136-45/
6.	श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी	,,	स. निदेशक, कृषि (भू. सरक्षण), जयपुर	26348-52/ 31-12-77
7.	श्री देव प्रकाश पुत्र जालम चन्द	,,	उप-निदेशक कृषि (डी.पी.ए.पी.), जोधपुर	25523-27/ 29-12-77
8.	श्री शेर सिंह	च. श्रे. क.	मुख्यालय, विस्तार योजना, जयपुर	20099-21004 /9-12-77
9.	श्री नाथुलाल पुत्र श्री छीतरमल	,,	उप-निदेशक कृषि, भरतपुर	13621-24 /14-12-77
10.	श्रीमती बोला धर्मपत्नी स्व. राम सहाय	,,	उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जयपुर	26949-53/ 31-12-77

Page No 447

जोधपुर डेयरी की पशु चिकित्सा मोबाइल यूनिट

716. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जोधपुर डेयरी में पशु चिकित्सा हेतु डेयरी के अन्तर्गत मोबाइल यूनिट में कितनी-कितनी गाड़ियां कब से, किन-किन मार्गों पर व किन-किन ठेकेदारों की, किस-किस दर से चल रही हैं? आज तक प्रत्येक ठेकेदार को कितनी-कितनी राशि का भुगतान संघ द्वारा किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

क्र. स.	मोबाइल मुख्यालय	वाहनों की संख्या	मार्ग	नाम ठेकेदार	दर प्रति कि. मी.	कुल राशि दी गई	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8
				वर्ष 1975-76			
1.	जोधपुर	1	दुग्ध मार्ग	1 श्री हरीसिंह	0.70 पैसा	2005.50	17-3-76 से 5-4-76
				2 श्री राजेन्द्र कुमार	0.60 पैसा	6876.60	6-4-76 से 30-6-76
2.	पाली	1	दुग्ध मार्ग	3 श्री नारायणसिंह	0.80 पैसा	824.80	8-6-76 से 30-6-76
3.	मेड़ता	1	दुग्ध मार्ग	1 धर्माराम	0.80 पैसा	1588.00	7-6-76 से 30-6-76
4.	पोकरण	1	दुग्ध मार्ग	1 मदनसिंह	0.70 पैसा	7708.00	7-4-76 से 30-6-75
				वर्ष 1976-77			
1.	जोधपुर	3	दुग्ध मार्ग	1 मरुधरा ट्रेवलर्स	0 60 पैसा	29546.00	1-7-76 से 30-4-77
				2 सोलंकी ट्रेवलर्स	0.70 पैसा	17802.60	
				3 मरुधरा टेवलर्स	90रु प्र0 दिन	3960.00	
2.	पाली	3	दुग्ध मार्ग	1 श्री देवी सिंह	0.70 पैसा	17868.60	21-4-77 से 30-6-77
		1	दुग्ध मार्ग	1 श्री नारायण सिंह	0.80 पैसा	18551.40	1-7-76 से 20-4-77
				2 श्री मोहन सिंह	0.87 पैसा	8010.09	21-4-77 से 30-6-77
3.	मेड़ता	1	दुग्ध मार्ग	1 श्री लक्ष्मणदास	0.80 पैसा	21227.60	28-10-76 से 30-6-77
4.	बालोतरा	1	दुग्ध मार्ग	1 श्री मोहनलाल	0.90 पैसा	1586.70	2-3-77 से 15-3-77
				2 सोलंकी ट्रेवलर्स	0.90 पैसा	9194.40	16-3-77 से 30-7-70

1	2	3	4	5	6	7	8
5	पोकरण	1	दुग्ध मार्ग	1 श्री मदनसिंह	0.70 पैसा	20030.80	1-7-76 से 1-4-77
				2 श्री जनेश्वर एण्ड कम्पनी	0.79 पैसा	3572.38	25-6-77 से 30-6-77
				वर्ष 1977-78			
1	जोधपुर	3	,,	1 श्री देवीसिंह	070 पैसा	113271.50	1-7-77 से 15-4-78
				2 श्री छोटूलाल	0.65 पैसा	14614.65	8-5-78 से 30-6-78
2	पाली	1	,,	1 श्री मोहनसिंह	0.87 पैसा	20617.05	1-7-77 से 8-5-78
				2 श्री गोपालसिंह	0.73 पैसा	4931.42	9-5-78 से 30-6-78
3	मेड़ता	1	,,	1 श्री लक्ष्मणदास	0.80 पैसा	3072.00	1-7-77 से 15-10-77
				2 श्री शशिभूषण	0.73 पैसा	18424.68	16-10-77 से 30-6-78
4	बालोतरा	1	,,	1 सोलंकी ट्रेवलर्स	0.90 पैसा	20291.40	9-7-77 से
				2 श्री छोटूलाल	0.70 पैसा	3064.60	16-4-77 से 30-6-78
5	पोकरण	1	,,	1 जनेश्वर एण्ड कम्पनी	0.79 पैसा	26007.78	1-7-77 से 31-3-78
				2 श्री खिवराज	0.74 पैसा	6363.06	2-4-78 से 20-6-78
				वर्ष 1978-79			
1	जोधपुर	3	,,	1 श्री छोटूलाल	0.65 पैसा	26791.20	1-7-78 से 30-9-78
2	पाली	1	,,	1 श्री गोपालसिंह	0.73 पैसा	8270.30	,, ,,
3	मेड़ता	1	,,	1 श्री शशिभूषण	0.73 पैसा	6801.37	,, ,,
4	बालोतरा	1	,,	1 श्री बिशनसिंह	0.70 पैसा	4994.10	,, ,,
5	पोकरण	1	,,	1 श्री खिवराज	0.74 पैसा	5494.50	,, ,,
6	नागौर	1	,,	1 श्री भवानी सिंह	0.72 पैसा	1149.12	17-8-78 से 30-9-78

359

राज्य में कातरे का प्रकोप

719. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य मे इस वर्ष कातरे का प्रकोप कब से शुरू हुआ और इस पर नियंत्रण किस प्रकार व कितने क्षेत्र में किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि कीटनाशक दवाओं से कातरे का नियन्त्रण कतई सम्भव नहीं और कातरा कुदरत से ही पैदा हुआ व अपने आप ही मरा है ?

(3) क्या यह सही है कि कातरा नियंत्रण के नाम पर राज्य सरकार ने लाखों रुपये की दवाईयां पच्चास प्रतिशत अनुदान के रूप में राज्य में वितरण की ? अगर हां, तो कुल कितने लाख रुपयों की दवाईयां अलग-अलग जिलों में वितरित की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) जोधपुर जिले में कितने काश्तकारों ने कीटनाशक दवाओं की खरीद की और राज्य सरकार को अनुदान के रूप में कितना धन व्यय करना पड़ा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि लाखों रुपये की कीटनाशक औषधियां राज्य में कातरा नियंत्रणके नाम पर प्राप्त की गई और इसका भयंकर दुरुपयोग किया गया था ? अगर हां, तो क्या राज्य सरकार इसकी जांच करना उचित समझती है ?

(6) जोधपुर जिले में सबसे ज्यादा कातरे का नियंत्रण कृषि विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा किन-किन गांवों में किन-किन काश्तकारों के खेतों पर जाकर अपनी मौजूदगी में कौन-कौन सी फसलों पर कब-कब किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(7) क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी, जोधपुर ने दिनांक 20-8-78 के आस-पास राज्य के समाचार-पत्रों में विज्ञप्ति जारी कर दी कि इन जिलों में कातरे का पूर्ण नियंत्रण कर लिया गया है जब कि कातरा स्वतः ही 15-8-78 के आस-पास मर गया था या मृत प्रायः हो चुका था लेकिन 15-8-78 के बाद भी लाखों रुपयों की दवाईयां, मिर्चें, कपास आदि फसलों में उपयोग लेने हेतु तथा ब्लेक करने की नीयत से वितरित की गई। दिनांक 15-8-78 के बाद भी वितरण की गई दवाईयों की मात्रा काश्तकारवाइज व ग्रामवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में इस वर्ष कातरे, तितली जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में देखी गई। कातरालट का प्रकोप माह जुलाई के द्वितीय सप्ताह के मध्य से (दिनांक 10-7-78) शुरू हुआ था। कातरा व्यस्क तितली का नियंत्रण कार्य प्रकाश पाश क्रीया अपना कर, कातरा लट का नियंत्रण पो० सं० औषधियों के प्रयोग कर व यान्त्रिक विधि अपनाकर किया गया। पो० सं० रसायन द्वारा 30962 हैक्टर में एवं प्रकाश पाश क्रिया व यान्त्रिक विधि द्वारा 525146 हैक्टर में नियंत्रण कार्य करवाया गया।

(2) कातरे की लट को इसकी प्रारम्भिक अवस्था में कीटनाशक औषधि बी० एच० सी० 10 प्रतिशत पाउडर व बाद की अवस्था में पैराथियन 2 प्रतिशत

(कृषि मंत्री)

पाउडर एवं अन्य दवाओं के छिड़काव द्वारा । बुरकाव द्वारा नियंत्रण किया जाना सम्भव है । कातरे की तितली मानसून वर्षा के शुरू होते ही, जमीन में प्यूपें से निकलती है जो अण्डे देती है और उनसे कातरा बनता है । कातरा 21 से 24 दिन तक सक्रिय रहने के बाद फिर सुशप्ती अवस्था (प्यूपेशनपीरियर्ड) अवस्था में चला जाता है । अतः यह न तो अपने आप पैदा होता है न ही अपने आप मरता है ।

(3) जी हां । राज्य के 12 जिलों में कातरा नियंत्रण हेतु लगभग रुपया 1090298.98 कीमत की औषधियां वितरित कर अनुदान स्वरूप रुपये 544677.43 कृषकों को दिया गया है । जिलेवार सूची संलग्न है ।

(4) जोधपुर जिले में 1200 किसानों ने कातरा नियंत्रण हेतु कीटनाशक औषधियों की खरीद की है । जिस पर राज्य सरकार ने रुपये 145539.90 बतौर 50 प्रतिशत अनुदान के खर्च किये हैं । सूची संलग्न है ।

(5) जी नहीं । दुरुपयोग की शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई है ।

(6) जोधपुर जिले में कातरा नियंत्रण न केवल कृषि विभाग के कर्मचारी/अधिकारी द्वारा किया गया है बल्कि इसमें विभाग के साथ पंचायत समितियों के अधिकारियों व ग्रामसेवकों के पूर्ण सहयोग से कार्य कराया गया है, जिले में कुल 9822 हैक्टर क्षेत्र में कातरा नियंत्रण कार्य किया गया है । काश्तकारवार सूची प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के साथ संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(7) दिनांक 16-8-78 को जिला जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा कातरे के सम्बन्ध में प्रेस नोट जारी किया था । इस विज्ञप्ति में स्पष्टतया अंकित है कि जिले के विभिन्न भागों में 70500 हैक्टर भूमि को कातरामुक्त कर दिया गया है तथा 20 प्रतिशत क्षेत्र अब भी ग्रसित है व इस भूमि को कातरा से मुक्ति दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं दिनांक 15-9-78 तक कातरे का प्रकोप समाप्त हो गया था, अतः दिनांक 15-9-78 के बाद अनुदान पर औषधियां वितरित नहीं की गई हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

वन विभाग के वर्क चार्ज कर्मचारी

720. श्री **शिवराज सिंह** (बस्सी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या एक्स मिल्ट्री मैन के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण में से वन विभाग के जयपुर वन मंडल में कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या जयपुर वन मंडल के अधीनस्थ वर्क चार्ज में एक्स मिल्ट्री मैन कार्यरत हैं ? अगर हां, तो कितने ? तथा उनसे आरक्षण का कोटा क्यों नहीं पूर्ण किया जाता ?

(3) वन विभाग में कार्यरत वर्क चार्ज के कर्मचारियों के भविष्य के लिए विभाग ने क्या सोचा है ? सार्वजनिक निर्माण विभाग में नियुक्त इस तरह से कर्मचारियों के लिए बने नियम क्या वन विभाग में लागू नहीं किए जा सकते हैं ?

(श्री शिवराज सिंह)

(4) क्या विभाग ने भी वर्क चार्ज कर्मचारियों के लिए कोई सेवा नियम बनाए हैं ? अगर हां, तो कब तक इनके लागू होने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) भूतपूर्व सैनिकों का इस वन मण्डल में नियुक्ति हेतु कोटा पूर्ण नहीं है क्योंकि प्राप्त सूचना के अनुसार जहां तक विदित है इस वन मण्डल में किसी भूतपूर्व सैनिक का कोई आवेदन नियुक्ति हेतु प्राप्त नहीं हुआ है ।

(2) जयपुर वन मण्डल के अधीनस्थ कोई भूतपूर्व सैनिक वर्क चार्ज पर कार्यरत नहीं है । वर्क चार्ज स्टाफ के लिए किसी प्रकार के आरक्षण का प्रावधान नहीं है ।

(3) यह प्रकरण विचाराधीन है ।

(4) यह प्रकरण विचाराधीन है

घाना पक्षी विहार, भरतपुर

721. श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि घाना पक्षी विहार, भरतपुर की झील में जल कुम्भी बेल के बढ़ जाने से, इस अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थल को शनैः शनैः समाप्त होने का खतरा पैदा हो गया है ?

(2) क्या राज्य सरकार ने इस विषय में किसी तकनीकी विशेषज्ञ की राय जानने का प्रयास किया है ? क्या कोई ऐसी रपट प्राप्त हुई है जिससे इसके निदान का कोई सुझाव दिया गया है ? राज्य सरकार इस जल कुम्भी बेल को नष्ट करने के लिये क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां, इस सम्बन्ध में समस्या के निदान हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर द्वारा तैयार की गई एक तात्कालिक योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई है जिसमें इस वर्ष 70,000/- की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है । जिसके लिये भारत सरकार से स्वीकृति प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है ।

बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर में पशु चराई

722. श्री चुन्नीलाल जेलिया : (खण्डार) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर में पशु चराने की अनुमति है या नहीं? यदि नहीं, तो किस अधिकार से पशु चराये जाते हैं ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों की सांठ-गांठ से 30 रु. प्रति मवेशी के हिसाब से लेकर बन्द एरिया के अन्दर मवेशी चराई जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर के कोर क्षेत्र में पशु चराने की अनुमति नहीं है। बफर क्षेत्र में पशु चराए जाते हैं ।

(2) जी नहीं ।

करौली व सपोटरा जंगलात क्षेत्रों में भेड़ों की चराई के परमिट

723. श्री **शिवचरण सिंह** (बयाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) इस वर्ष करौली-सपोटरा जंगलात क्षेत्रों में कितनी-कितनी भेड़ों को चराई परमिट काटे गये ?

(2) क्या यह सही है कि इन इलाकों में लगभग 3 लाख भेड़ें आयीं और राज्य सरकार ने बाहर निकालीं ?

(3) क्या यह सही है कि जंगल में भेड़ों का आइडेन्टिफिकेशन नहीं हो सकता ?

(4) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों व जंगलात विभाग के बीच, जगलात सैटिलमेन्ट के समय कोई एग्रीमेन्ट हुआ है ?

(5) क्या यह सही है कि राज्य सरकार जबरदस्ती इन क्षेत्रों में भेड़ चरवाना चाहती है ?

(6) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी भेड़ें यहां से नहीं निकाली गईं ?

उत्तर

(1) इस वर्ष करौली व सपोटरा जंगलात क्षेत्रों में क्रमशः 30,418 एवं 20,198 भेड़ों के लिए चराई परमिट काटे गये हैं । इसके अतिरिक्त हिण्डौन क्षेत्र के लिये 9,909 भेड़ों के लिये चराई परमिट और काटे गये हैं । इस प्रकार कुल 60,525 भेड़ों के लिये चराई परमिट काटे गये हैं ।

(2) यह सही नहीं है कि इस वर्ष इन इलाकों में 3 लाख भेड़ें आईं । लगभग 1,50,000 भेड़ें इन इलाकों में आई थीं । 60,525 भेड़ों के अतिरिक्त शेष भेड़ों को उन इलाकों से निकाला जाकर अन्य वन क्षेत्रों में भिजवाया गया ।

(3) हां यह सही है । जंगल में भेड़ों का आईडेन्टिफिकेशन नहीं हो सकता ।

(4) करौली-सपोटरा रेन्जों के वन खण्डों के बन्दोबस्त के समय स्थानीय बाशिन्दगान को दिये गये अधिकारों एवं रियायतों का विवरण संलग्न है ।

(5) जी नहीं—यह सही नहीं है कि राज्य सरकार जबरदस्ती इन क्षेत्रों में भेड़ चरवाना चाहती है ।

(6) यह सही नहीं है कि राज्य सरकार के निर्णय के बाद भी भेड़ें इन वन क्षेत्रों से नहीं निकाली गईं । करौली-सपोटरा वन क्षेत्रों के लिए निर्धारित भेड़ों के अलावा शेष भेड़ों को अन्य वन क्षेत्रों में चरने के लिए भिजवाया गया है ।

वन बन्दोबस्त के समय करौली व सपोटरा रेन्जों के वन क्षेत्रों में स्थानीय बाशिन्दगान को निम्न प्रकार से रियायतें एवं अधिकार दिए हुए हैं :-

अधिकारों की संक्षिप्त सूची:-

1. देवस्थान पर बाशिन्दगान की सेवा-

(वन मंत्री)

पूजा के लिए आने-जाने का अधिकार रहेगा।

2. पानी पीने के स्थान पर बाशिन्दगान को अपनी मवेशी को पानी पिलाने का अधिकार रहेगा।

3. वन खण्डों में जो रास्ते व पगडंडियां हैं उन पर मवेशी व जनता को गुजरने का अधिकार रहेगा।

रियायतों की संक्षिप्त सूचीः—

1. बाशिन्दगान को अपने गांवाई आम चराव के रकबे में अलावा भेड़, बकरी व ऊंट के बाकी निजी मवेशी को चराने दी जावें।

2. बाशिन्दगान को अपने गांवाई आम चराव रकबा से निजी उपयोग के लिए सूखी गिरी पड़ी लकड़ी अलावा शीशम के सरबोझा से बिना परमिट लाने दी जावें।

3. बाशिन्दगान को बाड़ के लिए हींस, करोल, बिरबिरा, ग्वेनी और बांरुवाडी की मछरी सालाना निशुल्क परमिट से लाने दी जावें।

4. मुर्दे जलाने की लकड़ी फ्री लाने दी जावें।

5. कृषि औजार के लिए लकड़ी शुल्क से परमिट से दी जावे।

सहरिया आदिवासियों द्वारा कत्थे का उत्पादन

724. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) क्या राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि वन विभागान्तर्गत सहरिया आदिवासियों द्वारा उत्पादित कत्थे की वर्तमान मजदूरी दर 640) रुपये प्रति क्विन्टल अपर्याप्त है ?

(2) क्या राज्य सरकार कत्थे की मजदूरी दर को बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो प्रस्तावित मजदूरी दर क्या होगी ?

उत्तर

(1) कोटा वन मण्डल में सहरिया आदिवासी क्षेत्र में कत्थे की मजदूरी रुपये 640/- प्रति क्विन्टल नहीं होकर रुपये 800/- प्रति क्विन्टल वर्तमान दर है।

(2) मजदूरी दर बढ़ाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित मजदूरी दर लगभग रुपये 1000/- प्रति क्विन्टल होगी।

भरतपुर घाना पक्षी विहार के चारों ओर पक्की दीवार का निर्माण

725. **श्री सुरेश कुमार** (भरतपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(1) भरतपुर स्थित घाना पक्षी विहार के चारों ओर पक्की दीवार बनाये जाने की योजना यद्यपि स्वीकृत हो चुकी थी, फिर भी क्या कारण है कि पिछले डेढ़ वर्ष से निर्माण कार्य बन्द पड़ा है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक स्वीकृत की गई धनराशि का हिसाब केन्द्रीय सरकार को नहीं भेजा है ? इस कारणवश आगे की स्वीकृति केन्द्र में रुकी हुई है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन कौन अधिकारी दोषी हैं ?

(श्री सुरेश कुमार)

(3) उपरोक्त चार दीवारी को पूरा कराने के लिये राज्य सरकार की क्या योजना है और चार दीवारी का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

उत्तर

(1) घाना पक्षी विहार के उत्तरी तरफ दीवार निर्माण का कार्य भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण पिछले करीब एक वर्ष से अवरुद्ध है ।

(2) वित्तीय वर्ष 77-78 के व्यय का आडिट सर्टिफिकेट राज्य सरकार के पत्र सं. एफ. 3 (5) (9) रेवेन्यू 9/72, दिनांक 25-10-78 द्वारा भारत सरकार को भेजा जा चुका है ।

(3) विभाग के प्रस्ताव अनुसार समय पर केन्द्रीय सहायता मिलने पर दीवार बनाने का सम्पूर्ण कार्य वर्ष 79-80 तक पूरा कर लिया जायेगा ।

मांडलगढ़ का किला

726. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फोर्ट मांडलगढ़ पर केवल एक घर रहा है बाकी सब बस्ती नीचे उतर आई है ?

(2) क्या यह सही है कि इस एतिहासिक फोर्ट के चारों तरफ कोट लगी हुई है इस कारण थोड़े खर्च पर ही मवेशियों से आसानी से बचाया जा सकता है ?

(3) क्या यह सही है कि फोर्ट पर पानी तथा बिजली की अच्छी सुविधा होने से वन का अच्छा विकास किया जाकर पशु-पक्षी विहार केन्द्र आसानी से बनाया जा सकता है ?

(4) क्या यह सही है कि फोर्ट पर लाखों की इमारतें बनी हुई हैं इसलिये आगे चल कर पर्यटक केन्द्र भी बनाया जा सकता है ?

(5) क्या उक्त पूरे फोर्ट को इसी वर्ष रिजर्व फोरेस्ट में लेने का राज्य सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं, किला मांडलगढ़ पर एक घर नहीं, अपितु तीन घर हैं जिनमें सर्व श्री उमराव सिंह व भूरालाल सेवक व तख्तसिंह लोढा रहते हैं। शेष बस्ती किले से नीचे आ चुकी है ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां, किले पर बिजली लगी हुई है तथा पानी के दो जलाशय हैं जिनमें से एक जलाशय में बारह महीने पानी रहता है; लेकिन किले पर जैन श्वेताम्बर व चारभुजा के मन्दिर स्थित हैं, वहां पूजापाठ को लोग आते जाते रहते हैं तथा वर्षा के दिनों में काफी लोग किले पर जाते हैं जिससे वांछित विकास होने पर पशु-पक्षी विहार स्थापित करने से जनता के आगमन में व धार्मिक कार्यों में कठिनाई आने की सम्भावना है ।

(4) पर्यटक केन्द्र बनाने के सम्बन्ध में पर्यटन विभाग ही सम्मति दे सकता है ।

(5) जी हां, किला मांडलगढ़ को रक्षित वन में लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है। क्योंकि यह पंचायत क्षेत्र में है ।

मांडलगढ़ क्षेत्र के वन

727. श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूरा मांडलगढ क्षेत्र वन की दृष्टि से बहुत ही धनी था तथा वहां खूब शेर रहते थे ?

(2) क्या यह सही है कि जिस तेजी से जंगल बर्बाद हुआ है उस अनुपात में वापस जंगल नहीं लगाया गया है ?

(3) इस वर्ष कितने हिस्से में पेडोक्स लगाने का राज्य सरकार का विचार है ?

(4) क्या यह सही है कि जंगल ही खुशहाली ला सकते हैं और जंगल की बर्बादी देश को भारी संकट में डाल सकती है?

उत्तर

(1) जी हां, घना जंगल था और अभी भी है जंगल में शेर थे । परन्तु अब शेर होने की सूचना प्राप्त नहीं है।

(2) जी नहां वन सम्पदा की प्रगति की दिशा में इस क्षेत्र में 49 पेडोक्स जिनका क्षेत्रफल 8478 हैक्टर है लगाये गये हैं।

(3) इस क्षेत्र में पेडोक इस वर्ष लगाने का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु केन्द्रीय प्रवंधित योजना के अन्तर्गत चम्बल घाटी परियोजना में आगामी पांच वर्षों में 800 हैक्टर भूमि पर पेडोक एवं वन संरक्षण कार्य करने के प्रस्ताव हैं।

(4) जी हां।

कुम्भलगढ क्षेत्र के वन

728. श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) कुम्भलगढ़ में वनों के विकास हेतु राज्य सरकार ने क्या योजना बनाई है तथा उसे क्रियान्वित करने का राज्य सरकार का क्या इरादा है ?

(2) क्या राज्य सरकार कुम्भलगढ़ क्षेत्र में अन्य पशुओं की सेन्चरी के लिए (रीछ, शेर) कोई योजना बना रही है ? अगर हां, तो कितने क्षेत्र में ?

उत्तर

(1) कुम्भलगढ़ में वनों के विकास हेतु इस वर्ष 12,000।- की राशि स्वीकृत की गई है । जिसके अन्तर्गत 200 हैक्टर क्षेत्र के सामल क्लोजर की दीवाल दुरुस्ती, वन मार्गों की मरम्मत एवं वन्य प्राणियों के लिए वाटर होल बनाऐ जायेंगें ।

(2) जी हां । कुम्भलगढ़ वन क्षेत्र को अभ्यारण्य (सेंचुअरी) घोषित किया गया है, वहां वन्य जीवों का संरक्षण किया जा रहा है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग कि. मी. है । यह क्षेत्र शेर प्रजनन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है, लेकिन अन्य प्रकार के वन्य जीवों के लिए विशेष कर चौसिघा, रीछ, बघेरा, सांभर, चिकारा के लिए बहुत उत्तम और उपयुक्त क्षेत्र पाया गया है । वन्य प्राणियों की अवैध शिकार पर नियन्त्रण रखने हेतु अभ्यारण्य में सहायक वन संरक्षक के निरीक्षण के लिए वाहन (जीप) की भी स्वतन्त्र रूप से व्यवस्था की गई है।

व्यापार मंडल, फलासिया द्वारा पेड़ों की कटाई

729. श्री **लालूदास** (फलासिया) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि उदयपुर जिले के फलासिया क्षेत्र की जंगलात भूमि में व्यापार मण्डल द्वारा बांस और दरख्त के पेड़ों की जड़ से कटाई की जाती है इसके कारण बांस और दरख्त के पेड़ पुनः फसल प्रदान नहीं कर सकते ? अगर हां, तो राज्य सरकार इन पेड़ों की कटाई उचित ऊंचाई से क्यों नहीं करवाती जिससे कि पेड़ पुनः उपज सके ?

उत्तर

वर्ष 1977-78 में उदयपुर जिले के फलासिया क्षेत्र में जंगलात की भूमि में विभागीय कार्य मण्डल, उदयपुर द्वारा लकड़ी कोयला का कार्य सौम, रामकुण्डा में कराया गया तथा बांस का कार्य कमलनाथ में कराया गया। लकड़ी की कटाई, पेड़ों की मोटाई तथा मौके पर जमीन की बनावट को मद्देनजर रखते हुये सतह जमीन से 6" ऊंचाई तक नियमानुसार कराई गई। कोई भी पेड़ जड़ से नहीं निकाला गया। इसी प्रकार बांस कार्य के अन्तर्गत भी जड़ खोद कर कोई बांस नहीं काटा गया व कटाई नियमानुसार 1" से 6" के बीच की गई।

माण्डलगढ़ क्षेत्र के किसानों को ऋण

731. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ क्षेत्र में स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर तथा बड़ौदा बैंक किसानों को पम्प सेट और बिजली की मोटरों के क्रय करने के लिये ऋण देने के लिये काम करता है ? यदि हां, तो ऊपरमाल क्षेत्र, बिजोलिया के लिये जिसमें 119 गांव हैं कर्ज देने की क्या व्यवस्था है ?

(2) क्या उक्त दोनों बैंकों ने अपनी शाखायें बिजोलियां में भी खोल रखी हैं ? यदि नहीं खोली हैं, तो क्यों? सब किसानों को 25 माइल चल कर मांडलगढ़ आना पड़ता है ?

(3) क्या यह सही है कि बिजोलिया में राजस्थान बैंक तथा सहकारी बैंक की शाखायें काम कर रही हैं ? यदि हां, तो फिर स्टेट बैंक आफ बीकानेर एवं जयपुर तथा बड़ौदा की बैंक शाखायें बिजोलियां में न खुलने पर राजस्थान बैंक तथा सहकारी बैंक को ऋण के लिये अधिकृत क्यों नहीं किया जाता ?

(4) क्या ऊपरमाल के 119 ही गांवों के किसानों को संकट से बचाने के लिये राज्य सरकार जल्दी ही ऊपरमाल में चलने वाले दोनों बैंकों को किसानों को ऋण दिलाने के लिये अधिकृत करेगी ?

उत्तर

(1) मांडलगढ़ क्षेत्र में बैंक आफ बड़ौदा और स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर की शाखायें हैं जो कृषि कार्यों के लिये नीति के अनुसार ऋण देने सम्बधी कार्य करत हैं। ऊपरमाल क्षेत्र बिजोलिया में बैंक आफ राजस्थान एवं सहकारी बैंक की शाखायें कार्य कर रही हैं।

(वित्त मन्त्री)

(2) उक्त दोनों बैंकों की शाखाएं बिजोलिया में नहीं हैं लेकिन सहकारी बैंक एवं राजस्थान बैंक से कृषि कार्यों के लिए ऋण प्राप्त किये जा सकते हैं, मांडलगढ़ जाने की आवश्यकता नहीं है।

(3) जी हां।

राजस्थान बैंक एवं सहकारी बैंक के नियमानुसार किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करते हैं बैंकिंग भारत सरकार का विषय है राज्य सरकार बैंकों को ऋण देने हेतु निर्देश देने के लिए सक्षम नहीं है।

(4) इस प्रकार अधिकृत करने के लिए राज्य सरकार सक्षम नहीं है।

धौलपुर में ट्रेजरी खोलने का निर्णय

733. **श्री जगदीशसिंह** (धौलपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

धौलपुर में जो ट्रेजरी की घोषणा की है वह कब तक खोली जावेगी ? जब वहां पहले से स्ट्रोंग रूम व स्थान है तो तुरन्त ट्रजरी खोलने में क्या बाधा है? क्या यह सही है कि कलैक्टर, भरतपुर व टी. ओ, भरतपुर ने भी सी. ओ., जयपुर से तुरन्त ट्रेजरी चालू करने को निवेदन किया है ? क्या इस देरी से राज्य सरकार अथवा जनता को नुकसान नहीं हो रहा है और अब राज्य सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

उत्तर

धौलपुर में ट्रेजरी शीघ्र खोलने के लिये कार्यवाही की जा रही हैं। इस विषय में मुख्य लेखाधिकारी शीघ्र ही धौलपुर जाकर कोषालय के लिये उपलब्ध भवन व स्ट्रोंग रूम की स्थिति का निरीक्षण करेंगे। जिलाधीश एवं कोषाधिकारी, भरतपुर द्वारा मुख्य लेखाधिकारी, राज., जयपुर को तुरन्त ट्रजरी चालू करने के लिये कोई निवेदन किया जाना प्रतीत नहीं होता है। इस सिलसिले में राज्य सरकार व जनता का कोई नुकसान नहीं हो रहा है तथा राज्य सरकार धौलपुर में कोष कार्यालय शीघ्र खोलने के लिये प्रयत्नशील है।

सरकारी खर्च में कटौती

734. **श्री खेतसिंह राठौड़** (शरगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार ने सरकारी खर्च में कटौती के निर्णय लिये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विभाग में किस-किस प्रकार होगी ?

(2) उक्त कटौती के निर्णय से राज्य सरकार को कितनी बचत होगी ?

उत्तर

(1) वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के 78-79 के व्यय का पुनर्वालोकन किया जा रहा है जिसके लिये विभिन्न विभागों के साथ बैठकें आयोजित की जा रही हैं। यह क्रम अभी जारी है और इन बैठकों के बाद यह समीक्षा करना संभव हो सकेगा कि किस-किस विभाग में मदवार व्यय में कितनी कटौती संभव होगी।

(2) वित्त विभाग द्वारा अपनाई गई उपरोक्त प्रक्रिया समाप्त होने पर ही सूचना उपलब्ध हो सकेगी।

अजमेर जिले में हुई शराब की बिक्री

736. **श्री चिरंजीलाल गर्ग** (पुष्कर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर जिले में सन 1976-77 और 1977-78 में कितनी लीटर शराब बिकी और उसका कितना रुपया राज्य सरकार को मिला ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा मद्य निषेध नीति लागू करने और सूखा दिवस की संख्या बढ़ा देने के बाद भी अजमेर जिले में शराब की बिक्री बढ़ी है ?

(3) क्या यह सही है कि शराब के ठके पर खुले आम शराब पिलाई जाती है और आबकारी अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते हैं ?

(4) जुलाई, 1977 से सितम्बर, 1978 तक अजमेर जिले में अवैध शराब के कितने मामले पकड़े गये, कितनी लीटर शराब जब्त हुई और कितने अपराधी गिरफ्तार हुए ? कितने मामले न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये हैं ?

(5) अजमेर जिले में पूर्ण नशाबन्दी कब लागू होगी ?

(6) क्या सरकार शराब के उन ठेकों को हटायेगी जो स्कूलों, धार्मिक स्थानों और घनी आबादी के क्षेत्रों में है ? उनको हटाने में विलम्ब क्यों हो रहा है ?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में वर्ष 1976-77 व 1977-78 में क्रमश: 10,69,078 व 10,77,828 एस.पी.लीटर्स शराब की बिक्री हुई एवं उससे राज्य सरकार को क्रमश: 1,57,86,478 एवं 1,68,93,530 रुपयों की आय हुई।

(2) जी हां। जिला अजमेर में गत वर्ष 1977-78 के मुकाबले वर्ष 1978-79 में माह अगस्त, 78 तक क्रमश: 4,97,186,693 और 5,79,490,758 एस. पी. लीटर्स शराब की बिक्री हुई। अत: यह सही है कि गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष माह अक्टूबर तक शराब की बिक्री जिला अजमेर में अधिक हुई है।

(3) जी नहीं। पिछले छः माह में जिला अजमेर में आबकारी अधिकारियों द्वारा शराब अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध 59 अभियोग पंजीकृत किये गय हैं।

(4) जिला अजमेर में जुलाई, 1977 से सितम्बर, 1978 तक अवैध शराब के पंजीकृत अभियोगों में जप्त की गई अवैध शराब की मात्रा, अभियुक्तों की संख्या एवं कुल चालान हुए मुकदमों की संख्या का मानचित्र "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(5) राज्य सरकार ने इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(6) दुकानें आबकारी नियम 75 के अनुकूल स्थानों पर स्थित हैं। जो दुकानें आबकारी नियम, 1956 के नियम 75 के प्रतिकूल स्थानों पर लगी हुई हैं। उनकी छानबीन कर अन्यत्र स्थानान्तरण की कार्यवाही जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

(आबकारी मंत्री)

मानचित्र "क"

जिला अजमेर में जुलाई, 77 से सितम्बर, 1978 तक अवैध शराब के पंजीकृत अभियोगों, जब्त की गई अवैध शराब की मात्रा अभियुक्तों की संख्या एवं कुल चालान हुए मुकदमों की संख्या का मानचित्र।

मुकदमें पंजीकृत हुए	मुलजिमों की संख्या	जब्त की गई शराब की मात्रा		न्यायालय में चालान हुए	
		अवैध मदिरा	कच्ची मदिरा		
1	2	3	4	5	
242	261	2304 बोतलें	3070 लीटर	263	Includes cases detected prior to July, 1978

(383)

राजस्थान नहर का निर्माण कार्य

737. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या राजस्थान नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गत वर्ष में राजस्थान नहर निर्माण के लिए जो धनराशि बजट में आवंटित की गई थी वह पूरी खर्च नहीं हुई ? यदि हां, तो कितनी धनराशि लेप्स हुई ?

(2) राजस्थान केनाल का वर्तमान शासन के समय में कितने कि. मी. का निर्माण हुआ तथा कितनी धनराशि व्यय की गयी ?

(3) राजस्थान नहर को पांच वर्ष में पूरा करने की क्या राज्य सरकार द्वारा योजना तैयार की गई है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष (1977-78) में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नहर के लिये 30 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान बजट में रखा गया था उसमें से मार्च, 78 पूरक लेखों के मिलान के बाद मात्र 23.11 लाख रुपये की राशि खर्च नहीं हुई जो कुल प्रावधान की मात्र 0.77 प्रतिशत है जो कि नगण्य है।

(2) वर्तमान शासन के समय हुए नहर निर्माण कार्य का विवरण परिशिष्ट "क" में दर्शाया गया है। जुलाई, 1977 से सितम्बर, 1978 तक राजस्थान नहर के निर्माण पर कुल 33,88,56,150 रुपये की राशि व्यय की गई है।

(3) जी नहीं। विशेष धनराशि के आवंटन का प्रबन्ध हो जावे तो सात वर्ष में राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण को पूरा करने का प्रयत्न किया जावेगा।

परिशिष्ट "क"

वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात् हुए राजस्थान नहर के निर्माण कार्यों का विवरण

राजस्थान मुख्य नहर किलोमीटर 0 से 74 तक

जुलाई, 1977 से मार्च, 1978 तक 191 कि. मी. लम्बाई में शाखाओं तथा वितरिकाओं को पक्का किये जाने का कार्य वर्ष 1977-78 में किया गया। वर्ष 1978-79 में माह सितम्बर, 1978 के अन्त तक 100 कि. मी. की लम्बाई में नहरों को पक्का किया गया है।

(2) प्रथम चरण कि. मी. 74 से 189 के अन्तर्गत निम्न प्रकार से निर्माण कार्य पूरा किया गया :—

क्रम सं. विवरण	अवधि 1-7-77 से 31-3-78	अवधि 1-4-78 से 30-9-78	कुल
1. वितरिकाएं प्रथम चरण कि. मी. 74 से 189 मय पुगल शाखा व जलोत्थान मुख्य नहर।	139.04 कि. मी.	3.67 कि. मी.	142.71 कि. मी.
2. जलोत्थान नहर की जल धारायें:—	156.74 कि. मी	40.33 कि. मी.	197.07 कि. मी.

(राजस्थान नहर मंत्री)

(3) द्वितीय चरण में राजस्थान मुख्य नहर पर गत वर्ष जुलाई, 1977 से मार्च, 1978 तक 22.02 कि. मी. लम्बाई में मुख्य नहर पर कार्य किया गया तथा वितरण प्रणाली पर 15.44 कि. मी. लम्बाई में कार्य किया गया। इस वर्ष 30-9-1978 तक मुख्य नहर 11.80 कि. मी. तथा 3.34 कि. मी. वितरण प्रणाली का कार्य पूरा किया जा चुका है।

अजमेर नियोजन कार्यालय का भवन

738. श्री **ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नियोजन कार्यालय के भवन को बदलने की आवश्यकता नहीं थी ?

(2) क्या यह सही है कि दूसरे भवन में पहले भवन से कम कमरे हैं तथा अधिक पुराना एवं पूर्व भवन से खराब स्थिति में है ? क्या उक्त भवन एक ही व्यक्ति के हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि खराब होते हुए भी दूसरे भवन के किराये से लगभग आठ गुना अधिक है ? क्या भवन को बदलने की कार्यवाही राज्य सरकार की बिना स्वीकृति के श्री आर. एन. भण्डारी द्वारा की गई ?

(4) क्या इसी प्रकार जयपुर में निदेशालय का वर्तमान भवन भी बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के श्री भण्डारी द्वारा बदल दिया गया ? यदि हां, तो इससे सरकार को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय हानि होगी और इसके लिये उत्तरदायी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। पहले भवन में कार्यालय के पास 12 कमरे थे। इस भवन में 16 कमरे हैं। दोनों भवन पुराने हैं किस-किस तारीख को बने, सूचना उपलब्ध नहीं है। दूसरे भवन की स्थिति खराब नहीं है। एक भवन धर्मार्थ लोढ़ा धर्मशाला का है व दूसरा श्रीमती धनपत कंवर लोढ़ा का है।

(3) (I) जी हां लगभग 8 गुना है। (II) जी नहीं।

(4) जी नहीं। वित्तीय भार रुपये 469/- माह अधिक है किन्तु निर्धारित दर से अधिक नहीं है। किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन

739. श्री **मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि राजस्थान में भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन 21 से 23 अप्रेल, 78 को हुआ ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या निर्णय लिये गये और उन निर्णयों की अनुपालना राज्य सरकार किस रूप में कर रही है ?

उत्तर

विभाग द्वारा भारतीय मजदूर संघ के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः लिये गये निर्णयों की अनुपालना का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

Page No 462

(372)

उच्चतम आयु पार बेरोजगार

740. श्री **श्रवण लाल** (हिण्डौन) : क्या रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि रोजगार मन्त्री ने घोषणा की थी कि रोजगार कार्यालय में रहते हुए (पंजीकृत करते हुए), उच्चतम आयु सीमा राजकीय सेवाओं के लिये निकल गई है, उन्हें भी सरकारी व दूसरे रोजगार उपलब्ध कराये जायेंगे ? यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने आशार्थियों को रोजगार कार्यालय से नौकरी व दूसरे रोजगार उपलब्ध कराये ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) क्या यह सही है कि अब तक ऐसा एक भी आशार्थी नौकरी नहीं पा सका है न ही राज्यसरकार ने इसके लिये कोई नियम या संशोधन प्रसारित किए हैं ?

उत्तर

(1) इस निदेशालय में प्राप्त आश्वासन के अनुसार रोजगार मन्त्री जी ने रोजगार कार्यालय में रहते हुए (पंजीकृत रहते हुए) उच्चतम आयु सीमा राजकीय सेवाओं के लिये पूर्ण होने पर राजकीय नियुक्तियां हो सकेंगी विषय में चर्चा की थी । नियोजन सेवा निदेशालय में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य के नियोजन कार्यालयों के माध्यम से दिनांक 1-9-77 के पश्चात् 995 आशार्थियों की जिनकी आयु 28 वर्ष से अधिक हो गई थी को रोजगार उपलब्ध कराया गया । जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर प्रस्तुत है । लेकिन राज्य सरकार ने निर्धारित आयु 28 वर्ष से अधिक होने पर आशार्थियों को राज्य सेवा में नियुक्ति दिलाने के सम्बन्ध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है ।

(2) जी हां ।

परिशिष्ट "क"

राज्य के नियोजन कार्यालयों के माध्यम से दिनांक 1-9-77 के पश्चात् 28 वर्ष से अधिक आयु होने पर रोजगार पर लगाये गये आशार्थियों की सूची:–

1. अजमेर	9
2. अलवर	—
3. बांसवाड़ा	45
4. बाड़मेर	26
5. भरतपुर	3
6. भीलवाड़ा	41
7. बीकानेर	69
8. बूंदी	16
9. चित्तौड़गढ़	14
10. चूरू	50
11. डूंगरपुर	—
12. जयपुर	105
13. जैसलमेर	—
14. जालौर	19
15. झालावाड़	13
16. झुंझुनूं	172
17. जोधपुर	35
18. कोटा	156
19. नागौर	4
20. पाली	15
21. सवाई माधोपुर	38
22. सीकर	2
23. सिरोही	1
24. श्रीगंगानगर	19
25. टौंक	49
26. उदयपुर	87
27. यू. ई. बी., जयपुर	7
योग: ..	995

इटावा कस्बे में भूमि का अनियमित नियन्त्रण

741. श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इटावा कस्बे की खसरा नं. 705 पर श्री सगीर हुसैन सैय्यद का कब्जा चला आ रहा है जिसका केस तहसील पीपल्दा में अभी तक चल रहा है? यदि हां, तो उक्त भूमि में 18-3-78 को श्री कमल कुमार जैन के नाम कुछ भूमि नियमन करने का क्या कारण है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि पर एक धनी व्यक्ति के नाम हुए नाजायज नियमन को निरस्त कर गरीब के पक्ष में नियमन करने का आदेश प्रदान कर गलत सूचना देने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, यह सही नहीं है कि इटावा कस्बे के खसरा नं. 705 पर सगीर हुसैन सैय्यद का कब्जा चल रहा है। इसका केस तहसील पीपल्दा में गैरकार नहीं है। श्री कमल कुमार जैन को दिनांक 18-3-78 को खसरा नं. 705 की 28×20 वर्ग फीट भूमि का आवंटन 7) रु. प्रति वर्ग फीट की दर से किया गया है। क्यों कि श्री कमल कुमार जैन द्वारा दुकान के वास्ते भूमि आवंटन का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(2) श्री सगीर हुसैन द्वारा उक्त आवंटन के विरुद्ध शिकायत राजस्व (उपनिवेशन) विभाग में विचाराधीन है।

राजस्व विभाग द्वारा भूमि का अनियमित आवंटन

742. श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री गणपत लाल जी वर्मा, श्री सुगन चन्द जी जैन, मांडलगढ़ को त्रिवेणी के पास क्रमश: 25 बीघा जमीन तथा 15 बीघा नहरी जमीन लैण्ड अलाटमेंट के सब-नियमों को ताक में रख कर राजस्व विभाग ने जयपुर से अलाट की है ? यदि इस प्रकार है तो यह अलाट क्यों की गयी ?

(2) क्या यह सही है कि यह जमीन बहुत ही मूल्यवान है और इन्हें अलाट करके कई भूमिहीन परिवारों पर भीषण प्रहार किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री गणपत लाल वर्मा को राजनैतिक पीड़ित नियमों के अन्तर्गत मांडलगढ़ तहसील, जिला भीलवाड़ा के मौजा बरू खेड़ा में कुल 19.12 बीघा भूमि आवंटित की गई है। श्री सुगन चन्द जैन को बरू खेड़ा जिला भीलवाड़ा में सन् 1967 में 15 बीघा भूमि आवंटित की गई है।

(2) यह सही है कि यह जमीन मूल्यवान है जिन लोगों को जमीन अलाट की गई थी, वे स्वयं भी भूमिहीन थे। अत: भूमिहीन परिवारों पर प्रहार का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अलाटीज

743. **मेजर श्री फतह सिंह** (भीम) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या दिनांक 31-12-73 से दिनांक 10-3-75, दिनांक 11-3-75 से दिनांक 23-4-75 तथा दिनांक 24-4-75 से दिनांक 30-9-78 तक राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के किन-किन अलाटीज को ऊपर बयान किये वर्षवाइज समय में सनद खातेदारी व स्वीकृति हस्तान्तरण हक खातेदारी जमीन की मंजूरी उपनिवेशन उपायुक्त, श्री विजयनगर से मिली ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

परिशिष्ट 'क'

उपायुक्त, उपनिवेशन, सूरतगढ़ द्वारा 31-12-73 से 10-3-75 तक हक खातेदारी की स्वीकृति देने व भूमि विक्रय की स्वीकृति देने की सूची:–

क्र० सं०	नाम काश्तकार	विवरण जमीन	खातेदारी देने की तिथि	भूमि विक्रय की स्वीकृति देने की तिथि
1	2	3	4	5
		म. नं.		
1.	श्री तेजासिंह पुत्र करतारसिंह राजपूत, बी०एल०एम०	196।387 196।388 = 50) बीघा	27-2-74	—
2.	श्री बिशनसिंह पुत्र तेजसिंह राजपूत, बी.एल.एम.	196।386 196।386 196।385 = 50)05 बीघा	27-2-74	—
3.	श्रीमती श्याम कंवर पत्नि श्यामसिंह राजपूत, 5 स० पी० सी०	228।393 229।393 = 50)बीघा	14-5-74	—
4.	श्री मनीलाल पुत्र कल्याणमल, चक 3 डी० ए० एम०	222।397 222।398 = 50)बीघा	14-5-74	—

(375)

1	2	3		4	5
5.	श्री रामप्रतापसिंह पुत्र भैरु सिंह राजपूत पा० 2 बी०एल०एफ०	3021402 3021403	= 50) बीघा	14-5-74	—
6.	श्री अमरसिंह पुत्र देवीसिंह सरवाड़ा, जिला सीकर	2021376 1991374 2011374	= 57) बीघा	15-5-74	—
7.	श्री मु. सईण व वा मोहरसिंह जाट, बेरासर	2141405	= 25) बीघा	15-5-74	—
8.	श्री चन्द्रसिंह पुत्र गोविन्दसिंह 4 बी० एल० डी०	2011377 2021377	= 50) बीघा	17-5-74	—
9.	श्री चिमनाराम पुत्र गोपाल राम, निवासी कुचेरा	2661372 2671372	= 50) बीघा	15-5-74	—
10.	श्री रामदेव पुत्र गोपाराम, कुचेरा	2641363 2641364	= 50) बीघा	17-5-74	—
11.	श्रीमती राणवतजी जोजा प्रतापसिंह राजपूत 6 एल० पी० एम०	2751368 2761368	= 50) बीघा	11-6-74	—
12.	श्री पुखराम पुत्र शिवनाथ चौधरी, सा० पिथलावास	2681368 2691368	= 50) बीघा	12-6-74	—
13.	श्री पोकरराम पुत्र धोलाराम साकिन पिथलावास	2661370 2671370	= 50) बीघा	12-6-74	—
14.	श्री सीताराम पुत्र शिवनाथ जाट, साकिन पिथलावास	2691366 2681366	= 50) बीघा	12-6-74	—
15.	श्री सुगनसिंह पुत्र बनेसिंह 4 एल०पी०एम०	2721366 2711366	= 50) बीघा	19-7-74	—
16.	श्री विश्वनाथसिंह पुत्र आसु सिंह 1 बी०एल०डी०	2561360 2561366	= 50) बीघा	18-6-74	—
17.	श्री मेवासिंह पुत्र मंगलसिंह राजपूत 1 ए० पी० डी०	2351379 2361379	= 50) बीघा	18-6-74	—

Page No 466

(378)

1	2	3	4	5
18.	श्री भंवरसिंह पुत्र दुर्गादान बारहठ 2 डी०ए०एम०	2211400 2221401 2211398 = 50) बीघा 2271399	27-7-74	—
19.	श्री भवानीसिंह पुत्र दुलेसिंह राजपूत 8 बी०एल०डी०	2031393 2021393 = 50) बीघा	27-7-74	—
20.	श्रीमती केशर कंवर पुत्री दुलेसिंह 8 बी०एल० डी०	2041393 2051393 = 50) बीघा	27-7-74	—
21.	श्री माधोसिंह पुत्र गोपालसिंह साकिन बगड़	2721352 2731352 = 50) बीघा	19-8-74	—
22.	श्री रघुनाथसिंह पुत्र चूहड़सिंह राजपूत 13 पी० टी० डी०	2711350 2701350 = 50) बीघा	19-8-74	—
23.	श्री बहादुरसिंह पुत्र गोपाल सिंह राजपूत साकिन 15 पी० टी० डी०	2731350 2731351 = 50) बीघा	19-8-74	—
24.	श्री गोपीनाथ पुत्र शेषकरण 6 एस० ए० डी०	1641344 1641345 = 50) बीघा	30-9-74	—
25.	श्री गजानन्द पुत्र तोलाराम शर्मा साकिन तारानगर	2581474 = 25) बीघा	30-10-74	—
26.	श्री जगराम पुत्र गणेशाराम कुम्हार 8 के० एस० डी०	2571368 2581368 = 50) बीघा	30-10-74	—
27.	श्री रामचन्द्र पालीवाल वगैरह पुत्र जानकीवल्लभ 5 ए०	2611466 = 25) बीघा	29-11-74	—
28.	श्री मुनाराम पुत्र बिरमाराम साकिन 3 एल० पी० एम०	2661362 2651362 = 50) बीघा	9-1-75	—
29.	श्रीमती गुलाबकंवर जोजा सगनसिंह साकिन 5 बी० एल० डी०	2031381 2031382 = 50) बीघा	9-1-75	—
30.	श्री मोहनलाल पुत्र गणेशलाल 3 एल० पी० एम०	2661361 2651361 = 50) बीघा	9-1-75	—

Page No 467

(377)

1	2	3	4	5
31.	श्री भैरुसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत, हनुमानगढ़	2111377 2121377 = 49.16 बिस्वा	19-8-74	13-12-74
32.	श्री गुलाबसिंह पुत्र जुगलसिंह 4 एस० टी०बी०	2131378 2141378 = 50) बीघा	4-7-74	,,
33.	श्री हरिसिंह पुत्र शेरसिंह साकिन ओसियां	2141377 2151378 = 43.13 बिस्वा	27-7-74	,,
34.	श्री रिसालसिंह पुत्र ठाकुर उदयसिंह 3 एस० टी० बी०	2091380 2101380 = 50) बीघा	4-7-74	,,
35.	श्री जगमालसिंह पुत्र मगनसिंह राजपूत 4 एस०टी०बी०	2111380 2121380 = 50) बीघा	4-7-74	,,
36.	श्री रावतसिंह पुत्र आसुसिंह राजपूत, रामपुरा	2091378 2101378 = 50) बीघा	27-7-74	,,
37.	श्री फूलसिंह पुत्र गंगासिंह 4 एस०टी० बी०	2131379 2131380 = 50) बीघा	12-7-74	,,
38.	श्री नारायणसिंह पुत्र शेरसिंह राजपूत साकिन ओसियां	2091376 2101376 = 48.04 बिस्वा	19-8-74	,,
39.	श्रीमती बसन्तकंवर पत्नी भरुसिंह राजपूत, हनुमानगढ़	2111378 2121378 = 50) बीघा	27-7-74	,,

परिशिष्ट 'ख'

उपायुक्त उपनिवेशन, श्री विजयनगर द्वारा जिन लोगों को खातेदारी अधिकार और भूमि बेचवार की स्वीकृति दिनांक 11-3-75 से 23-4-75 तक दी उनकी सूची।

क्र. सं.	नाम काश्तकार	विवरण जमीन	खातेदारी देने की तिथि	भूमि विक्रय की स्वीकृति देने की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री शुभकरण पुत्र गणेशाराम चारण, साकिन बोरड़िया	2321398 2321399 = 50) बीघा	10-4-75	

(328)

1	2	3	4	5
2.	श्री किशोरसिंह पुत्र सगत सिंह राजपूत, साकिन चोरड़िया	234।395 235।395=50) बीघा	10-4-75	—
3.	श्री धोकलसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत, साकिन खारिया	258।464=20) बीघा	18-4-75	—
4.	श्री रेवन्तसिंह पुत्र ईशरसिंह राजपूत, साकिन खारिया	257।464=20) बीघा	18-4-75	—
5.	श्री दिवानसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जटसिख, साकिन कोला	81।351=25) बीघा	18-4-75	—

परिशिष्ट 'ग'

उपायुक्त उपनिवेशन, श्री विजयनगर द्वारा जिन लोगों को 24-4-75 से 30-9-78 तक खातेदारी अधिकार देने की स्वीकृति दी गई एवं भूमि विक्रय को मंजूरी दी गई उनकी सूची:—

क्र. सं.	नाम काश्तकार	विवरण जमीन	खातेदारी देने की तिथि	भूमि विक्रय की मंजूरी की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री नाहरसिंह पुत्र बलवन्तसिंह राजपूत 4 एस०टी०बी०	211।709 212।379 = 50) बीघा	4-7-74	6-5-75
2.	श्री जयसिंह पुत्र कुमेरसिंह साकिन मानुवा	152।473 251।472= 25) बीघा 251।477	21-1-75	--
3.	श्री महावीरसिंह पुत्र नत्नूसिंह जाट साकिन 3 बी०एल० डी०	198।383 = 50) बीघा 199।383	5-6-75	—
4.	श्री काकासिंह जगीरसिंह पिता इन्द्रसिंह सिख 18 ए.पी.डी.	269।392 = 50) बीघा 270।392	5-6-75	—

Page No 469

(379)

1	2	3	4	5
5.	श्री नारायणसिंह पुत्र रतनसिंह राजपूत 7 पी०टी०डी०	249।358 250।358 = 60) बीघा	16-6-75	—
6.	श्री किशनसिंह पुत्र बचनसिंह राजपूत 7 पी०टी०डी०	250।357 249।357 = 50) बीघा	16-6-75	—
7.	श्री गोपालसिंह पुत्र प्रमान सिंह राजपूत 7 पी०टी०डी०	249।360 250।360 = 50) बीघा	16-6-75	—
8.	श्री ठाकुरदास पुत्र जागोराम अरोड़ा 20 ए० पी० डी०	282।402 = 24.16 बिस्सा	16-6-75	—
9.	श्री रामचन्द्र पुत्र रावतसिंह राजपूत 9 बी०एल०डी०	206।395 208।395 = 48.10 बिस्सा	24-6-75	—
10.	श्री नन्दराम पुत्र केशराराम कुम्हार 8 ए० पी० डी०	275।397 275।398 = 50) बीघा	25-6-75	—
11.	श्री अमरसिंह पुत्र रेवतसिंह 9 बी०एल०डी०	202।395 203।395 = 50) बीघा	21-6-75	—
12.	श्री जगमालसिंह पुत्र रावत सिंह 9 बी०एल०डी०	206।398 207।398 = 50) बीघा	24-6-75	—
13.	श्री खेताराम पुत्र गोमाराम जाट 14 एस०पी०डी०	92।309 = 25) बीघा	23-6-75	—
14.	श्री धनाराम पुत्र पूणराम जाट 4 एस०जे०एम०	252।370 252।371 = 50) बीघा	27-11-76	—
15.	श्री बनवारीलाल पुत्र रावत राम जाट 23 पी०टी०डी०	294।358 295।358 = 50) बीघा	18-1-75	—
16.	श्री मानसिंह, पुत्र भैरूसिंह राजपूत 4 एस० टी०बी.	210।381 211।381 = 50) बीघा	15-4-77	—
17.	श्रीमती अजबकंवर, बेवा रावराजा रणजीतसिंह 6 के०एस०डी०	255।370 255।369 = 50) बीघा	20-4-77	—
18.	श्री विक्रमसिंह, पुत्र जोधसिंह राजपूत साकिन 7 ए०	268।463 267।463 = 50) बीघा	20-4-77	—

(308)

1	2	3	4	5
19.	श्री मुगनसिंह, पुत्र रूड़सिंह राजपूत, साकिन 7 ए.	2701464 2701465 2691465 = 48.08 बिस्वा	20-4-77	—
20.	श्री भगदान पुत्र नारायण-दान, 6 ए.	2641461 = 20) बीघा	8-5-77	—
21.	श्री चेतनप्रकाश पुत्र खेमचन्द कृष्णबलदेव पुत्र नानकचन्द	3091453 = 25) बीघा	30-8-77	—
22.	श्री किशोरसिंह पुत्र बालसिंह राजपूत 2 डी०ए०एम०	2241399 2241400 = 47) बीघा	8-8-78	—
23.	श्रीमती रतनी देवी बेवा भंवरलाल अग्रवाल	2841467 = 25) बीघा	8-8-78	—
24.	श्री आलासिंह पुत्र मोतासिंह व प्रीतमसिंह पुत्र केहर-सिंह, 19 ए	3111440 3101446 = 50) बीघा	तिथि उपलब्ध नहीं है	16-9-78
25.	श्रीमती सन्तो पुत्री बोलासिंह जाटसिख, 6 एम०एल०डी०	28136 = 25) बीघा	19-9-78	—
26.	श्री दलबीरसिंह पुत्र अनोखासिंह 6 एम०एल०डी०	28112 = 25) बीघा	19-9-78	—
27.	श्रीमती निरमल कोर पत्नी हरचन्दसिंह, 6 एम०एल०डी०	28120 = 25) बीघा	19-9-78	—
28.	श्री हरमेन्द्रसिंह मलकियतसिंह पुत्र गुरुदेवसिंह, 6 एम०एल० डी०	28144 = 25) बीघा	19-9-78	—
29.	श्री मोठूसिंह पुत्र मयरसिंह पि० तिलोकसिंह, 6 एम०एल०डी०	28128 = 25) बीघा	19-9-78	—
30.	श्री रघुबीरसिंह पुत्र मोतीसिंह राजपूत, 25 ए०पी० डी०	3061402 3061403 = 49) बीघा	27-9-78	—
31.	श्री देवाराम पुत्र सरदाराराम बावरी, 22 पी० टी०डी०	2911352 2901352 = 50) बीघा	27-9-78	—

1	2	3	4	5
32.	श्री श्याम कवंर पुत्री महेन्द्र-सिंह राजपूत 5 एम०एस०डी०	1541342 1551342 = 50) बीघा	27-9-78	—
33.	श्रीमती प्रेमकंवर पुत्री मेहेन्द्र सिंह राजपूत, 5 एम.एस.डी.	1561342 1561343 = 49.10 विस्वा	27-9-78	—
34.	श्रीमती गोपालकवंर पुत्री महेन्द सिंह राजपूत, 5 एम०एस०डी०	1541343 1551343 = 49) बीघा	27-9-78	—
35.	श्रीमती मुथराय कवंर पुत्री उदयसिंह राजपूत, 25 ए० पी०डी०	3051403 3051402 = 50) बीघा	30-9-78	—
36.	श्री माधोसिंह पुत्र मगनसिंह राजपूत, 2 ए०पी०एम०	3061414 3071414 = 50) बीघा	30-9-78	—
37.	श्री सिराजुल हुसेन पुत्र पीर मोहमद युसुफ अली, 27 ए० पी०डी०	3141405 3131405 = 50) बीघा	30-9-78	—
38.	श्रीमती सुशीलाकवंर पुत्री उदयसिंह राजपूत, 25 ए० पी० डी०	3071402 3071403 = 50) बीघा	30-9-78	—
39.	श्री गुरबक्सलाल पुत्र गुजर लाल अरोड़ा, 20 ए०पी०डी.	2811401 2801402 = 20) बीघा	27-9-78	—
40.	श्री रहीमखां पुत्र दुलेखां, 2 सी०के०एम०	2891392 = 20) बीघा	27-9-78	—

राज्य में कार्यरत श्रम निरीक्षक

744. श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंज मण्डी), श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन), श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कुल कितने श्रम निरीक्षक कार्यरत हैं ?

(2) ऐसे कितने श्रम निरीक्षक हैं जो अन्य विभागों में कार्यरत हैं और जिनकी सेवा श्रम विभाग के पूल में नहीं है ?

(3) जो श्रम निरीक्षक पूल से बाहर हैं, उनको श्रम विभाग के अधीनस्थ लेने के लिये राज्य सरकार क्या कर रही है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

सरकार द्वारा पूल के आदेश होने के बाद भी चम्बल परियोजना व माही परियोजना में नियुक्त श्रम निरीक्षकों को अब तक पूल में नहीं लिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि उस श्रेणी के उच्च पदों को श्रम विभाग द्वारा पूल में ले लिया गया है परन्तु श्रम निरीक्षकों को नहीं ?

उत्तर

(1) विभाग में कुल 72 पद सृजित हैं जिनमें से 44 पदों पर श्रम निरीक्षक कार्यरत हैं ।

(2) विभाग को जानकारी नहीं है ।

(3) सम्बन्धित विभाग को जानकारी होगी ।

(4) जी नहीं । राज्य सरकार के आदेश से चम्बल परियोजना के दो तथा सिंचाई विभाग के चार श्रम निरीक्षकों को पूल में शामिल किया गया था ।

(5) प्रश्न चार के उत्तर के अनुसार प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोटा

745. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्रीगोपाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, कोटा में सीटू से सम्बन्धित कुछ मजदूरों ने दिनांक 27-8-78 व 28-8-78 को गैर कानूनी ढंग से आतंक फैला कर कारखाना बन्द करा दिया था ?

(2) उक्त श्रमिकों के विरुद्ध मिल प्रबन्धकों व जिला प्रशासन ने क्या कार्यवाही की ?

(3) क्या 21-3-78 को जिलाधीश, कोटा ने श्रीगोपाल इन्डस्ट्रीज, कोटा में श्रमिक शान्ति बनाये रखने के लिये कोई समिति बनाई थी ?

(4) उक्त समिति किन कठिनाइयों के कारण कार्य नहीं कर सकी ?

उत्तर

(1) दिनांक 27-8-78 व 28-8-78 को श्रीगोपाल इन्डस्ट्रीज लि. (जो अब सुदर्शन टैक्सटाइल के नाम से जानी जाती है) के मैनेजर ने सूचित किया कि 27-8-78 को तीसरी पारी (रात्रि 11 बजे) 2 बदली श्रमिकों के कार्य न होने के कारण बदल देने पर कार्य बन्द कर दिया व 28-8-78 को पहली पारी के कुछ घन्टे कार्य बन्द रहा। बाद में गोपाल मिल मजदूर यूनियन जो सीटू से सम्बन्धित है उनके प्रतिनिधियों से बात कर कारखाना चालू किया ।

(2) अनुशासनात्मक कार्यवाही मिल प्रबंधक द्वारा की जाती है न कि जिला प्रशासन द्वारा। मिल प्रबंधक ने 27-8-78 को तीसरी पारी में 3 घंटे का वेतन व 28-8-78 को पहली पारी में 5 घंटे का वेतन सभी श्रमिकों का काटा ।

(3) दिनांक 21-3-78 को जिलाधीश ने किसी कमेटी का गोपाल मिल के बारे में गठन नहीं किया। कमेटी का गठन 20-3-78 को किया गया था ।

(4) दिनांक 20-3-78 को मीटिंग में श्रीगोपाल इन्डस्ट्रीज श्रमिक संघ ने अपने तीन प्रतिनिधियों के नाम दिये थे । गोपाल मिल मजदूर यूनियन ने श्रमिकों के नाम नहीं दिये व बतलाया कि आकर में विचार विमर्श कर नाम देंगे ।

(श्रम मंत्री)

लेकिन कोई नाम नहीं दिया गया। जिलाधीश को 11-7-78 को सूचित किया गया कि चूंकि सीटू यूनियन इसमें भाग नहीं ले रही है अतः इस प्रकार की मीटिंग कराना सम्भव नहीं हो सकेगा।

राज्य में सन 1975 से 1978 तक पंजीकृत वाहन

746. श्री दाऊ दयाल जोशी (दीगोद) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में सन् 75-76, 76-77 व 77-78 में कितने वाहन किस किस किस्म के (स्कूटर, मोटर साइकिल, आटोरिक्शा व टेम्पो) आदि, पंजीयत हुए ? कृपया स्पष्ट व विस्तृत जानकारी सदन में रखने की कृपा करें।

(2) इन वाहनों के पंजीयन से गत तीन वर्षों में राज्य सरकार को कुल कितनी आय हुई ?

(3) इन वाहनों में कितने वाहन राज्य में चालू हैं व कितने राज्य के बाहर जा चुके हैं ?

(4) राज्य से बाहर गये वाहनों द्वारा क्या प्रति वर्ष रोड टैक्स की राशि पंजीयत किये गये राज्य में या जहां वह चल रहा है, वहां जमा कराई जाती है ?

(5) गत तीन वर्षों की रोड टैक्स की कितनी राशि बकाया है व राज्य सरकार उसको कारगर ढंग से वसूल करने की क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य में 75-76, 76-77 व 77-78 में क्रमशः 18,372, 22,369 व 26,048 वाहन पंजीकृत हुए हैं। इनका किस्मवार विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) नवीन पंजीकृत वाहनों से गत तीन वर्षों में राज्य को पंजीयन शुल्क के रूप में कुल 17,73,864 रुपयों की आय हुई है। वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) इन नवीन पंजीकृत वाहनों में से कुल 66,602 वाहन राज्य में चालू हैं व कुल 187 वाहन राज्य के बाहर जा चुके हैं। विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

(4) मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अन्तर्गत कर उसी राज्य में लिया जाता है जहां वाहन चलाया जाता है अथवा चलाने के लिये रक्खा जाता है। इसलिये जो वाहन राज्य से बाहर चले गये हैं वे उसी राज्य में कर देते हैं अतः वे चल रहे हैं।

(5) गत तीन वर्षों की पथ कर (रोड टैक्स) की बकाया की स्थिति निम्न प्रकार है :—

1975-76 तक	71.29 लाख
1976-77 तक	63.78 लाख
1977-78 तक	30.00 लाख

उपरोक्त बकाया आय के लक्ष्यों पर आधारित है। बकाया की वसूली हेतु जिला परिवहन अधिकारियों द्वारा नोटिस वाहन स्वामियों को भेजे जाते हैं। जो वाहन समाप्त हो गई, राज्य से बाहर चली गयी की बकाया राशि की वसूली किये जाने हेतु कोई चल-अचल सम्पति न होने पर ऐसी राशि का अपलेखन की कार्यवाही किये जाने हेतु भी लिखा जा चुका है। कर चोरी रोकने हेतु वाहनों की चैकिंग के लिये राज्य में आठ उडनदस्ते कायम किये गये हैं और वसूली का हर सम्भव प्रयास जारी है।

Page No 474

नये वाहनों के पंजीयन की सूचना

वर्ष	आटो/मोटर साइकिल एवं स्कूटर	आटोरिक्शा टेम्पो	निजी कार एवं स्टेशन वेगन	जीप	ट्रेक्टर	ट्रेलर	टेक्सी	बस	ट्रक व अन्य भारी वाहन	विविध	योग
75-76	9785	409	787	632	2491	2338	40	491	1325	74	18372
76-77	12400	577	1038	887	2925	2297	84	563	1533	65	22369
77-78	15648	369	1000	1034	3758	1790	67	421	1885	76	26048

नये वाहनों की पंजीयन फीस से राजस्व प्राप्ति

(आंकड़े रुपयों में)

वर्ष	मोटो/मोटर सइकिल एवं स्कूटर	आटोरिक्शा टेम्पो	निजी कार एवं स्टेशन वेगन	जीप	ट्रेक्टर	ट्रेलर	टैक्सी	बस	ट्रक व अन्य भारी वाहन	विविध	योग
1975-76	48925	6544	12592	10112	186825	58450	640	49100	132500	1184	506872
1976-77	62000	9232	16608	14192	219375	57425	1344	56300	153300	1040	590816
1977-78	78240	5904	16000	16544	281850	44750	1072	42100	188500	1216	676176

वर्ष 1975-76, 1976-77 व 1977-78 में पंजीकृत वाहनों में से राज्य से बाहर / राज्य में चल रहे वाहनों का विवरण [31-13-978 को]

वर्ष	मोटो/मोटर साईकिल एवं स्कूटर	आटो रिक्शा एवं टैम्पो	निजी कार एवं स्टेशन वेगन	जीप	ट्रैक्टर	ट्रेलर	टैक्सी	बस	ट्रक एवं अन्य भारी वाहन	विविध	योग
1975-76											
1. राज्य से बाहर	1	—	6	—	—	—	—	5	19	2	33
2. राज्य में	9784	409	781	632	2491	2338	40	486	1306	72	18339
1976-77											
1. राज्य से बाहर	4	1	3	—	3	—	—	13	34	—	58
2. राज्य में	12396	576	1035	887	2922	2297	84	550	1499	65	22311
1977-78											
1. राज्य से बाहर	4	2	11	–	6	1	—	12	60	—	96
2. राज्य में	15644	307	989	1034	3752	1789	67	409	1825	76	25952

Page No 476

(386)

जालोर-सिरोही डिपो की बसें

747. श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जालोर-सिरोही डिपो की बसें क्या नियमानुसार और टाइम पर परिचालित होती हैं ?

(2) क्या सिरोही रोड-जवाई बांध फालना पर ये बसें ट्रेन टाइम पर उपलब्ध नहीं रहती हैं ?

(3) क्या ये बसें निर्धारित स्टेण्डों पर नहीं रुकतीं ?

(4) क्या जोधपुर-जालोर जवाई बांध जालोर, फालना, जालोर, सिरोही, जालोर बसें का निर्धारित समय-चक्र अव्यवहारिक है ? क्या फास्ट और सुपरफास्ट बसें इन मार्गों पर नहीं है ?

(5) क्या भीनमाल-राणीवाड़ा-सांचोर-धोरीमना-बाड़मेर मार्ग पर टिकट नहीं बंटते ? क्या बसें नदारद रहती हैं ? यदि हां, तो इसको सुधारने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

भीलवाड़ा-देवली रूट

748. श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा-देवली की बसें चल रही हैं जो वाया मांडल गांव से होकर जाती हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जो बसें मांडल गांव से होकर जाती हैं, गत दो वर्षों से बन्द हो गयी हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि देवली बसों के मालिकों ने कानून की अवहेलना कर बसें बन्द की हैं जिससे लोगों को भारी असुविधा है ? अगर हां, तो ऐसे बस मालिकों के खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । इस मार्ग की बसें वर्तमान में मांडलगढ़ होकर नहीं जातीं ।

(2) जी हां। दिनांक 20-11-75 से भीलवाड़ा-अजमेर मार्ग राष्ट्रीयकृत हो जाने के कारण भीलवाड़ा-देवली वाया बनेड़ा, शाहपुरा, जहाजपुर मार्ग की निजी वाहनों के परमिट कर्टेल्ड होकर शाहपुरा मोड़ से देवली के हो गये । इससे ग्राम मांडल होकर निजी वाहनों का चलना बन्द हो गया ।

(3) जी नहीं । अजमेर-भीलवाड़ा मार्ग के राष्ट्रीयकरण हो जाने के कारण इन वाहनों का शाहपुरा मोड़ से भीलवाड़ा तक चलना कानूनन सम्भव नहीं रहा । अतः इनके विरुद्ध किसी कानूनी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य पथ परिवहन निगम का सिविल सैल

749. श्री श्रवणलाल (हिण्डोन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सिविल सैल में

(श्री घवरलाल)
अभियन्ताओं की प्रतिनियुक्ति होती है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां पर एक श्री डी०के० भार्गव जो सार्वजनिक निर्माण विभाग में पूर्णतः अस्थाई थे किसी तरह से निगम में उन्होंने प्रतिनियुक्ति करा ली तथा वहां के अधिकारियों से मिल कर सारे महत्व-पूर्ण निर्माण कार्य अपने अधीन कर लिये ? इस कारण उनके अन्तर्गत किये गये निर्माण कार्य बहुत ही निम्न स्तर के हुए ? उदाहरणतः अजमेर की रीजनल वर्कशाप की छत जो एक वर्ष पहले ही बनी है और वह बुरी तरह से चूने लगी है, इस तरह निगम का लाखों रुपये बेकार में नष्ट हो गया है । इसी तरह ट्रेड सेन्टर, जयपुर द्वारा सप्लाई की गई बुकिंग केबिन्स जो इतनी निम्न स्तर की थीं पहले तो श्री डी०के० भार्गव ने ले ली पर शिकायतें आने पर उन्हें वापिस लौटा दिया गया ? यदि हां, तो इसकी जांच कब तक की जावेगी ?

(3) क्या यह सही है कि श्री डी०के० भार्गव, सहायक अभियंता, परिवहन निगम में पूर्णतया अस्थाई हैं, लेकिन परिवहन निगम की चार साल की प्रतिनियुक्ति में जयपुर में दो आलीशान मकान (एक बनी पार्क तथा दूसरा शास्त्री नगर) बनाया है स्वयं का तथा दो टैम्पो हैं ?

(4) क्या यह सही है कि यह खुले आम परिवहन निगम में चर्चा है कि श्री डी०के० भार्गव, सहायक अभियंता उन्हीं को टेंडर लेने देते हैं जिन ठेकेदारों के पास उनका रुपया लगा हुआ है और उनका उस निर्माण काम में शेयर है ?

(5) क्या यह सही है कि श्री डी०के० भार्गव ने अपने अधिशासी अभियंता को प्रसन्न करके, उनके द्वारा एक पत्र अध्यक्ष महोदय को लिखवाया, जिसमें स्वयं को सीनियर मोस्ट बनाकर अधिशासी अभियंता बना दिया जाये जब कि हकीकत यह है कि श्री डी०के० भार्गव सबसे जूनियर हैं तथा पूर्णतया अस्थाई हैं ? श्री भार्गव द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य कराये गये हैं उनकी निष्पक्ष जांच करवा कर, उनके खिलाफ राज्य सरकार सख्त कार्यवाही कर, उन्हें निगम से कब तक निवृत्त कर देगी ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) श्री भार्गव, अस्थायी सहायक अभियन्ता हैं । इन्हें जयपुर द्वितीय सम्भाग अजमेर, ब्यावर, भरतपुर, अलवर, हिण्डौन और धौलपुर का निर्माण-कार्य का प्रभारी बनाया हुआ है । श्री भार्गव इन्हीं कार्यों की देख-रेख करते हैं । सम्भाग कार्यशाला, अजमेर में छत का जब निर्माण कार्य कराया जा रहा था उस समय वर्षा प्रारम्भ हो चुकी थी और कार्य अपूर्ण था और वर्षाकाल समाप्त होने के बाद छत का कार्य विधिवत रूप से पूर्ण कराया गया और कोई लीकेज नहीं है ।

अजमेर उर्स मेले में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मैसर्स ट्रेड सेन्टर से 4 केबिनें अल्पावधि में तैयार करा कर भिजवायी गयी थीं । बहुत कम समय में केबिनें तैयार करवाने की वजह से अपूर्ण रह गई थीं जिनको उर्स मेले की व्यवस्था समुचित चलाने की वजह से भिजवाई गई थीं और बाद

Page No 478

(388)

(यातायात मंत्री)

में निरीक्षण कर कमियों दूर करने बाबत ट्रेड सेन्टर को लिखा गया था उनके द्वारा अब कमियां दूर की जा रही हैं। और अधूर्ण कार्य को अब पूर्ण कराया जा रहा है और इसी वजह से इन केबिनों का अब तक कोई भुगतान भी नहीं किया गया है। और यह केबिनें निगम के नाम ही हैं और अब तक इन्हें फर्म को नहीं लौटाया गया है।

(3) जी नहीं। श्री भार्गव, निगम में पूर्णतया अस्थाई हैं और गत 3 वर्ष से प्रति-नियुक्ति पर हैं। श्री भार्गव का एक ही मकान बनीपार्क में है। उनके कोई टेम्पो नहीं हैं।

(4) जी नहीं।

(5) श्री डी०के० भार्गव, सहायक अभियंता ने निगम सेवा का विकल्प देने की इच्छा जाहिर की थी वह प्रार्थना-पत्र कन्ट्रोलिंग अधिकारी होने की वजह से उनकी लम्बी सेवा अवधि एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रधान प्रबन्धक को इस टिप्पणी सहित प्रेषित किया गया था कि श्री डी०के० भार्गव को यदि निगम सेवा का विकल्प स्वीकृत कर लेते हैं तो वे निगम में कार्यरत समस्त सहायक अभियंताओं/कनिष्ठ अभियंताओं से लम्बी अवधि एवं अनुभव के आधार पर सीनियर होंगे। जो कि विचाराधीन है।

श्री भार्गव द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों के संबंध में स्पेसीफीक शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है अतः जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

राजस्थान पथ परिवहन निगम द्वारा छात्रों को रियायती पास

750. श्री आर०डी० यादव (चौमूं) : क्या यातायात मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान पथ परिवहन निगम ने छात्रों को रियायती पास दे रखे हैं तथा जयपुर शहर में इनकी क्या दर है ?

(2) क्या यह सही है कि निगम ने शहरी क्षेत्र व देहात क्षेत्र में छात्रों को रियायत देने में असमानता बरती है ? अगर हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि चौमूं से कालाडेरा (जो कि 9 किलोमीटर है) का पास रियायती दर पर नहीं दिया जाता है ? उसकी क्या दर है ?

(4) क्या यातायात मंत्री महोदय ने गत वर्ष कालाडेरा छात्र संघ के उद्घाटन के समय 5 रुपये प्रति पास देने की घोषणा की थी ? अगर हां, तो क्या उसकी अब तक पालना हो चुकी है ? अगर नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर शहर में नगर वाहन सेवा आगार द्वारा संचालित सेवाओं में विद्यार्थियों को 5/- रुपये प्रति पास की दर से मासिक पास दिये जाते हैं।

(2) जी हां। नगर वाहन सेवा आगार द्वारा संचालित सेवाओं में 5/- रुपये प्रति पास की रियायती दर पर छात्रों को मासिक पास दिये जाते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में संचालित मुफस्सल सेवाओं में 60% की रियायती दर पर मासिक पास दिये जाते हैं।

(3) जी नहीं। चौमूं से कालाडेरा जाने वाले छात्रों को मासिक पास में 60% की रियायत दी जाती है।

(4) तत्कालीन परिवहन मंत्री महोदय द्वारा इस तरह की घोषणा की कोई सूचना नहीं है।

380

परिशिष्ट 1

संचालित वाहनों की सूची

क्रम संख्या	मार्ग का नाम	परिचक्रों की संख्या
1.	कोटा-नाथद्वारा	2
2.	कोटा-शाहपुरा	2
3.	कोटा-जयपुर	2
4.	कोटा-जहाजपुर	2
5.	कोटा-उदयपुर	2
6.	कोटा-अजमेर	2
7.	बूंदी-चित्तौड़गढ़	2
8.	बूंदी-शिवपुरी	4
9.	बूंदी-उज्जैन	2
10.	बूंदी-उदयपुर	2
11.	बूंदी-सवाई माधोपुर	6
12.	बूंदी-कोटा	28
13.	बूंदी-कोटा रेल्वे स्टेशन	2
14.	बूंदी-नैनवा	11
15.	बूंदी-केशोरायपाटन	20
16.	बूंदी-कापेरेन	2
17.	बूंदी-नैनवा वाया तलवास	5
18.	कोटा-नैनवा वाया तलवास	2
19.	कोटा-इन्द्रगढ़	1
20.	बूंदी-इन्द्रगढ़	7
21.	बूंदी-बैंगू	2
22.	बूंदी-हिण्डोली	2
23.	बूंदी-लाखेरी	3
24.	कोटा-लाखेरी	1
25.	कोटा-देवली	4
26.	बूंदी-बिजोलिया	2
27.	बूंदी-देवली	2
		122

[redacted]

परिशिष्ट 2

समय-सारणी बूंदी-केशोरायपाटन एवं केशोरायपाटन-बूंदी

बूंदी	केशोरायपाटन	केशोरायपाटन	बूंदी
05.30	07.30	05.30	07.30
07.00	09.00	07.00	09.00
08.00	10.00	08.00	10.00
10.00	12.00	10.00	12.00
11.30	13.30	11.30	13.30
12.30	14.30	12.45	14.45
13.15	15.15	14.00	16.00
14.30	16.30	14.45	16.45
16.00	18.00	16.15	18.15
17.30	19.30	17.30	19.30
19.00	21.00	19.00	21.00

समय-सारिणी बूंदी-लाखेरी एवं लाखेरी-बूंदी

बूंदी	लाखेरी	लाखेरी	बूंदी
06.00	08.30	06.00	08.30
07.30	10.00	06.30	09.00
08.30	11.00	08.00	10.30
10.00	12.30	10.00	12.30
11.30	14.00	12.30	15.00
13.00	15.30	15.00	17.30
15.00	17.30	15.30	18.00
16.30	19.00	16.30	19.00
18.30	21.00	18.00	20.30

बून्दी डिपो की बसें

751. श्री **गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बूंदी डिपो में राज्य परिवहन निगम की कुल कितनी बसें हैं, कितनी बसें वर्तमान में किस-किस रूट पर चालू हैं और कितनी बसें खराब हैं ?

(2) क्या बूंदी से लाखेरी एवं केशोरायपाटन रूट पर रोडवेज बस सेवा उपलब्ध है ? यदि हां, तो कितनी बसें किस-किस समय पाटन-लाखेरी रूट पर चालू है ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम के बूंदी-आगार में 49 वाहन हैं। यह वाहन जिन-जिन मार्गो पर संचालित हैं उसकी सूचना सदन के पटल पर रख दी गई है।

इस समय बूंदी आगार में 10 वाहन खराब हैं।

(2) जी हां। बूंदी से लाखेरी एवं केशोरायपाटन संचालित की जाने वाली वाहनों की समय-सारिणी सदन के पटल पर रख दी गई है।

(सूचना व सारिणी विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा तथा बारां मार्ग पर चलने वाली बसें

752. **श्री हीरालाल आर्य** (पीपल्दा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पीपल्दा क्षेत्र में कोटा तथा बारां से चलने वाली पथ परिवहन निगम की बसों की संख्या बहुत कम है ?

(2) क्या यह भी सही है कि बसों में भीड़ खिड़कियों तथा छत पर बैठ कर एवं लटक कर चलती हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार जनता की असुविधा को मद्देनजर रखते हुए पीपल्दा क्षेत्र में कोटा तथा बारां से चलने वाली बसों की संख्या बढ़ाने हेतु आदेश प्रदान करेगी ? यदि हां, तो इस हेतु क्या व्यवस्था होगी ?

उत्तर

(1) निगम पीपल्दा क्षेत्र में कोटा तथा बारां मार्ग पर चलने वाली वाहनों को अध्याय चार के अन्तर्गत संचालन कर रहा है।

(2) निगम ने कोटा-खातोली मार्ग के राष्ट्रीयकरण की ड्राफ्ट स्कीम दिनांक 3-4-76 को प्रकाशित की थी। वह स्कीम अभी तक अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं हुई है। ड्राफ्ट स्कीम पेंडिंग होने के कारण आर. टी.ए. पीपल्दा ग्राम की सेवाओं के लिये नये परमिट नहीं दे सकता ऐसे मार्गो पर निजी वाहन स्वामी भी परमिट नहीं लेना चाहते। इसलिये इस मार्ग पर बसों में भीड़ रहती है।

(3) निगम द्वारा इन मार्ग पर बस सेवा प्रारंभ करने पर ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। यदि कोई निजी वाहन स्वामी भी अस्थाई परमिट लेना चाहे तो उसे परमिट दिया जा सकता है।

बड़ी सादड़ी की पेयजल व्यवस्था

753. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में पेय-

(302)

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

नल व्यवस्था सन्तोषजनक है ? यदि नहीं, तो उसे सन्तोषजनक बनाने हेतु क्या राज्य सरकार उपयुक्त राशि उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

शहरीय योजना, बड़ी सादड़ी में जल प्रदान को संतोषप्रद बनाने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है।

रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशुधन के पानी की योजना

754. **श्री किशन सिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पशुधन को पानी मुहैय्या कराने की राज्य सरकार के पास क्या योजना है ?

(2) जलप्रदाय की केवल मात्र मानम की प्यास बुझाने की योजनाओं के साथ पशुओं की संख्या को भी जोड़ने के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) पश्चिमी राजस्थान में पानी के अभाव में मरने वाले पशुधन को बचाने की राज्य सरकार के पास क्या योजना है ?

उत्तर

(1) अब तक राज्य सरकार जल समस्या के समाधान हेतु मनुष्यों की जनसंख्या को ही आधार बनाकर योजना तैयार करती है।

(2) फिलहाल यह सम्भव प्रतीत नहीं होता।

(3) समय-समय पर जल संकट को समाप्त करने के लिये राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन प्रयास करता रहता है।

ग्राम ईसरदा की पेयजल योजना

755. **श्री चुन्नीलाल** (खण्डार) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) ग्राम ईसरदा, जिला सवाई माधोपुर में नल योजना प्रारम्भ हुए करीब 3 वर्ष हो जाने के बाद भी विभागीय कुआ क्यों नहीं तैयार किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय कूप के अभाव में जल वितरण योजना प्रायः बेकार पड़ी हुई है जिससे जनता को व्यक्तिगत कनेक्शन भी नहीं दिये जा सके हैं ? यदि हां, तो अब ईसरदा ग्राम में विभागीय कूप कब तक बनवा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) इस क्षेत्र में जल स्रोत के उपलब्ध होने में तकनीकी कठिनाई है।

(2) उक्त कठिनाई का समाधान निकलने पर जल वितरण व्यवस्था में सुधार सम्भव होगा।

जलदाय निगम की योजना

756. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के प्रस्तावित जलदाय

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
निगम की क्या योजना है ?

(2) क्या इस निगम की स्थापना से उपभोक्ताओं को जल मौजूदा दरों से ऊंची दरों पर दिये जाने की आशंका है ? यदि हां, तो कितनी और क्यों ?

(3) प्रस्तावित निगम का आर्थिक आवहुता (फाइनेंसियल इन्वस्टमेंट) कितनी है ?

उत्तर

(1) जल निगम के गठन पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

(2) इस समय जल वितरण की दरों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहना संभव नहीं है।

(3) निगम के गठन के सम्बन्ध में राज्य सरकार विचार कर रही है।

राज्य की जलदाय योजनाओं की व्यवस्था

757. **श्री बजरंगलाल शर्मा** (बनीपार्क, जयपुर) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा शहर में क्रमश: चालू वर्ष में कितना-कितना रुपया जलदाय योजनाओं और व्यवस्था पर व्यय करने का राज्य सरकार का अनुमान है ? उनमें से उल्लखनीय योजनाएं क्या हैं ?

उत्तर

उल्लेखित जलप्रदाय योजनाओं पर एवं उनकी व्यवस्था पर चालू वर्ष में किये गये प्रावधान का विवरण निम्न प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	योजना का नाम	योजना पर आवंटित राशि	संधारण (व्यवस्था के लिये आवंटित राशि
1.	जयपुर	37.07	175.52
2.	बीकानेर	50.00	57.32
3.	जोधपुर	5.00	127.34
4.	अजमेर	102.93	84.86
5.	उदयपुर	6.50	43.41
6.	कोटा	16.55	31.53

टाइम स्विचेज की खरीद

758. श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगर खण्ड प्रथम, जयपुर में किसी अधिकारी ने सन् 1974 से 1976 के बीच 150 टाइम-स्विच ऊंची दरों पर क्रय किये ? अगर हां, तो भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने इसकी क्या जांच की है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने जांच प्रतिवेदन कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किया है ?

(3) उक्त अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां, 130 टाइम-स्विच क्रय किये गये ।

(394)

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

जी हां ।

(3) नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

मकराना पंचायत की पेयजल योजना

759. श्री **अब्दुल अज़ीज** (मकराना): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मकराना पंचायत में गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य क्या राज्य सरकार ने रोक दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) यदि पेयजल योजना मकराना के गांवों में लागू करनी है तो कितनी राशि राज्य सरकार ने उपलब्ध कराई है ?

(3) गत वर्ष किन-किन नये गांवों को मकराना क्षेत्र में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) अब तक मकराना पंचायत समिति के 108 ग्रामों में से 43 ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है । वर्ष 78-79 में मकराना पंचायत समिति के किसी भी ग्राम को स्वीकृति हेतु चयनित नहीं किया गया है ।

(3) वर्ष 77-78 में मकराना पंचायत समिति के किसी भी ग्राम को पेयजल उपलब्ध नहीं कराया गया है ।

जयपुर शहर में पानी की व्यवस्था

760. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर को मंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार कब तक चौबीसों घंटे पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर को पानी उपलब्ध कराने के लिये रामगढ़ बांध का पानी अपर्याप्त है ? यदि हां, तो पानी की समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार क्या योजना बना रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार बनास योजना से जयपुर शहर को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि, नहीं तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार चौधरी रामचन्द्रजी के ब्रह्मा मार्ग, पालीवालों के चौक में सरकारी पाइप लाइन डालेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) परीक्षण के तौर पर दिन भर पानी देने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह परीक्षण फिलहाल असफल रहा ।

(2) वर्तमान परिस्थिति में अपर्याप्त नहीं है ।

(3) जी नहीं

(4) इस सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

पंचायत समिति जसवंतपुरा का नल-कूप

761. श्री **रतनाराम चौधरी** (रानीवाड़ा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम थूर पंचायत समिति जसवन्तपुरा में नल-कूप लगा हुआ है ? क्या यह भी सही है कि ग्रामीण विद्युतीकरण योजना भी स्वीकृत हो चुकी है एवं जसवन्तपुरा तक विद्युत लाइन का कार्य भी शुरू कर दिया गया है ? क्या राज्य सरकार इस नल-कूप ग्राम थूर पर विद्युत कनेक्शन लेकर कोई पेयजल योजना चालू करने का इरादा रखती है ? अगर हां, तो इस योजना के तहत किन-किन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने की राज्य सरकार द्वारा योजना बनाई गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम करवाड़ा की कोई पेयजल योजना बनाई गई है ? अगर हां, तो इस योजना में कौन-कौन से गांव शामिल किये गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम कोटड़ा में पेयजल की भारी दिक्कत है ? क्या राज्य सरकार ने इस गांव को पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो किस योजना के तहत इस गांव को लिया गया है एवं यह योजना कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । ग्राम थूर में नल-कूप स्रोत लेकर कोई योजना नहीं बनाई गई है।

(2) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) ग्राम कोटड़ा का जल फ्लोराइडयुक्त है । इस ग्राम की योजना को वर्ष 78-79 की जिला आयोजना समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया है । नई योजनाओं की जिला आयोजना समिति के प्रस्तावों पर तकनीकी उपयुक्तता धनकी उपलब्धि एव प्रथमिकता के अनुसार स्वीकृत की जाती है ।

(1) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना करवाड़ा-सरवाड़ा पेज 11 में सम्मिलित किये गये ग्रामों की सूची: ··

1. कोटड़ा
2. करवाड़ा

कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टरों के चयन हेतु बने नियम

763. श्री **बन्शीलाल सारस्वत** (नागौर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

कनिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर के चयन के लिये बने नियम क्या डिफेक्टिव हैं? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसका निराकरण करना चाहती है ?

उत्तर

जी नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजकीय चिकित्सालय, मण्डावा

764. श्री **ओंकारलाल चौहान** (अटरू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजकीय चिकित्सालय, मण्डावा

(श्री ओंकारलाल चौहान)

(झुन्झुनूं) का सालाना खर्चा क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त चिकित्सालय को काफी दवाइयां मुफ्त गरीबों को देने हेतु प्रदान की जाती है, जिनका उपयोग डॉक्टर की लापरवाही से कम्पाउन्डर द्वारा अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस के दौरान खुले रूप से किया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता की राज्य सरकार ने कभी जांच की है ?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त अनियमितता की जांच कर सम्बन्धित कम्पाउन्डर के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

उत्तर

(1) राजकीय चिकित्सालय, मण्डावा (जिला झुंझुनूं) में गत तीन सालों में दवाइयों का निम्न प्रकार से बजट/खर्चा किया गया है:—

वर्ष	1976-77	8,000.00
वर्ष	1977-78	11,000.00
वर्ष	1978-79	13,000.00

की राशि आवंटित की गई ।

(2) इस विभाग को ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा ।

राजकीय अस्पताल, झुन्झुनूं

765. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय अस्पताल, झुंझुनूं में फैली अव्यवस्थाके बारे में राज्य सरकार को कई शिकायतें प्राप्त हुई तथा दैनिक पत्रों में भी अगस्त के महीने में कई समाचार प्रकाशित हुए परन्तु अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया ?

(2) क्या राज्य सरकार उपरोक्त अस्पताल की हालत सुधारने की तरफ ध्यान देगी ?

उत्तर

(1) शिकायत की सूचना इस प्रश्न द्वारा प्राप्त हुई। अतः जांच करवाई जावेगी ।

(2) जी हां ।

यज्ञनारायण हॉस्पिटल, किशनगढ़

766. श्री करतारसिंह (किशनगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में किशनगढ़ (अजमेर) यज्ञनारायण हॉस्पिटल में जूनियर स्पेशियलिस्ट (सर्जन) का पद नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में लगभग 60 हजार की आबादी है साथ ही यह बड़ा व्यापारिक केन्द्र है तथा राष्ट्रीय मार्ग नं. 8 से जुड़ा हुआ है जिस पर आये दिन वाहन दुर्घटनायें होती रहती है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किशनगढ़ को महत्व देते हुए यहां के यज्ञनारायण अस्पताल में एक जूनियर स्पेशियलिस्ट (सर्जन) का पद सृजित कर

(श्री करतार सिंह)
का औचित्य समझती है ? यदि हां, तो यह पद कब तक सृजित किया जाना संभव है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) सन् 1971 की जनगणना के अनुसार किशनगढ़ कस्बे की आबादी 37489 है । उक्त अस्पताल के आउटडोर व इन्डोर रोगियों की संख्या को देखते हुए स्वीकृत 4-पद चिकित्सकों के पर्याप्त हैं। 100 से अधिक स्वीकृत रोगी शैय्याओं के होने पर विशेषज्ञ का प्रावधान होता है ।

पुरुष कम्पाउण्डर तथा महिला कम्पाउण्डर की पदोन्नति में भिन्नता

767. श्री शंकरलाल (जैतारण) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग में पुरुष कम्पाउन्डर और महिला कम्पाउन्डर की सेवाओं में पदोन्नति के अवसर दिये जाने और पदोन्नति करते वक्त राज्य के दृष्टिकोण में भिन्नता अपनाई जाती है? यदि हां, तो क्या इस प्रकार की कार्य प्रणाली संविधान के प्रतिकूल नहीं है ?

(2) क्या राज्य सरकार इस संबंध में भिन्न दृष्टिकोण अपनाने की प्रणाली त्याग कर पुरुष और महिला दोनों के लिये समान अवसर व एक ही प्रणाली अपनाने का निर्णय लेगी ?

उत्तर

(1) महिला व पुरुष कम्पाउन्डर कर्मचारियों की पदोन्नति राजस्थान चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 के नियमानुसार की जाती है। पुरुष कम्पाउन्डर की पदोन्नति श्रेणी प्रथम तक ही सीमित रहती है जबकि महिला कम्पाउन्डर को छः माह वरिष्ठता के आधार पर स्टाफ नर्स, सिस्टर, सहायक नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट, नर्सिंग सुपरिटेन्डेन्ट ग्रेड II व ग्रेड I के पद पर पदोन्नत किया जाता है ।

(2) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है ।

जनरल अस्पताल, सवाई माधोपुर

769. श्री चुन्नीलाल (खण्डार) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जनरल अस्पताल, सवाई माधोपुर में मरीजों को राज्य सरकार द्वारा भोजन व्यवस्था हेतु जो राशि स्वीकृत है, उसका उपयोग क्यों नहीं हुआ ? वार्षिक कितनी राशि स्वीकृत है ?

(2) क्या उक्त राशि का दुरुपयोग किसी अधिकारी द्वारा किया गया जिसके कारण हर साल स्वीकृत राशि लैप्स हो जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) राज्य सरकार द्वारा जनरल अस्पताल, सवाई माधोपुर के लिए मरीजों की औषधि हेतु कितनी वार्षिक राशि स्वीकृत की जाती है ?

(4) क्या यह सही है कि जो राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है उसका लाभ आम जनता को मिलता है या संबंधित अधिकारियों द्वारा गोल-माल किया जाता है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

(चिकित्सा मन्त्री)

उत्तर

(1) जनरल अस्पताल, सवाई माधोपुर में मरीजों के लिये खाद्य सामग्री हेतु वर्ष 1977-78 में 98,000) रु. व वर्ष 1978-79 में 90,000) रु. की राशि आवंटित की गई है।

(2) राशि का उपयोग न होने की जांच कराई जा रही है।

(3) जनरल अस्पताल, सवाई माधोपुर में औषधियों के लिए वर्ष 1977-78 में 1,20,000.00 रुपये व वर्ष 1978-79 में 1,45,000.00 रु. की राशि आवंटित की गई है।

(4) राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि का उपयोग आम जनता के लिए ही किया जाता है।

चिकित्सालय खोलने में ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता

770. श्री **रामेश्वर दयाल यादव** (चौमू): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या राज्य सरकार इस वर्ष चिकित्सालय खोलने में ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने चिकित्सालय कब और कहां-कहां खोले जावेंगे ?

(2) क्या जयपुर जिले के ग्राम हस्तेड़ा में चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है? अगर हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(3) क्या चौमू चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने के बाद भी चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित नहीं किया गया है? अगर हां, तो कब तक व कितने डाक्टर राज्य सरकार देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष अब और चिकित्सालय नहीं खोलने हैं। अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(2) जी नहीं। क्योंकि पंचायत समिति, गोविन्दगढ़ में राज्य की वर्तमान नीति के अनुसार पूर्व में ही तीन डिस्पेन्सरियां थीं, गोविन्दगढ़ तथा सामोद में कार्यरत हैं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) चौमू स्थित डिस्पेन्सरी एवं प्रसूति-गृह को मिला कर 12 रोगी शैयाओं से 30 रोगी शैयाओं में क्रमोन्नत किया है जिसके लिए 2 डॉक्टर के पद आवश्यक थे, वे मौजूद हैं। शेष आवश्यक चार स्टॉफ के पद सृजित किये जा चुके हैं।

विधान सभा डिस्पेन्सरी में नियुक्त कर्मचारियों को मानदेय

771. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रामीण): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा सत्र के दौरान विधान सभा डिस्पेन्सरी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा कब-कब, किन-किन कर्मचारियों को नियुक्त किया गया? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

399

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों ने नियमानुसार अतिरिक्त समय तक ठहरने के फलस्वरूप मानदेय हेतु विभाग को अपने विवरण भेजे हैं ? यदि हां, तो किस-किस कर्मचारी ने कब-कब विवरण भेजे और उन पर कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गयी ?

(3) क्या यह सही है कि कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत मानदेय विवरणों पर विभाग द्वारा अब भी मानदेय स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या राज्य सरकार उक्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त समय तक किये गये कार्य-विवरणों का नियमानुसार मानदेय स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह भी सही है कि कुछ कर्मचारियों के सेवा-निवृत्त हो जाने के उपरान्त भी आज तक उनको मानदेय स्वीकृत नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और अब कब तक मानदेय की राशि स्वीकृत कर उनको दिला दी जावेगी ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) श्री गोपाललाल शर्मा, कम्पाउन्डर एवं श्रीमती अल्लोअम्मा, ए०एन० एम० तथा श्री श्यामसुन्दर शर्मा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दोनों सत्रों का (17-7-77 से शुरू व 6-9-77 से शुरू) दिनांक विवरण क्रमशः 11-10-77, दिनांक 14-10-77 व 29-4-78 को प्राप्त हुए हैं, जिन पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई है ।

(3) जी हां । प्राप्त मानदेय के विवरणों की जांच करने पर इनमें कुछ त्रुटियां पाई गई हैं जिनका निराकरण किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

(4) सेवा-निवृत्त कर्मचारी से त्रुटियां दूर करके विवरण प्राप्त हो गया है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

छठी राजस्थान विधान सभा के प्रथम सत्र से लेकर अब तक विधान सभा सत्रों के दौरान विधान सभा डिस्पेन्सरी में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिनियुक्त कर्मचारियों व अधिकारियों की तालिका :

क्र. सं. 1	नाम अधिकारी/कर्मचारी 2	पद 3	कब से कब तक 4
1.	डॉ०एन०डी० माथुर	सी०ए०एस०	18-7-77 से 1-8-77
2.	डॉ० एस० के० जैन	,,	,, ,,
3.	श्री गोपाल लाल शर्मा (एस० एम०एस०)	मेल नर्स, श्रेणी प्रथम	,, ,,
4.	श्री गोपाल लाल शर्मा (जनाना अस्पताल)	,,	,, ,,
5.	श्री सीता राम गुप्ता	मेल नर्स, श्रेणी द्वितीय	,, ,,

400

1	2	3	4
6.	श्रीमती ए. अलियम्मा पीटी	प्रसाविका	18-7-77 से 1-8-7[illegible]
7.	श्रीमती पंकर्क माली	,,	,, ,,
8.	श्रीमती रतन देवी पारीक	,,	,, ,,
9.	श्री भंवर लाल सैनी	वार्ड ब्वाय	,, ,,
10.	श्री श्याम सुन्दर राजपूत	,,	,, ,,
11.	श्री भगवान सहाय	,,	,, ,,
1.	डा० एन० डी० माथुर	सी० ए० एस०	6-9-77 से 9-10-77
2.	डा० एस० के० जैन	,,	,, ,,
3.	श्री गोपाललाल शर्मा (सवाई मानसिंह अस्पताल)	मेल नर्स, श्रेणी प्रथम	,, ,,
4.	श्री गोपाललाल शर्मा (जनाना अस्पताल)	,,	,, ,,
5.	श्री सीताराम गुप्ता	मेल नर्स, श्रेणी द्वितीय	,, ,,
6.	श्रीमती ए० अलियम्मा पीटी	परिचारिका	,, ,,
7.	श्रीमती पंकर्कमाली	प्रसाविका	,, ,,
8.	सुश्री ए० मैथ्यू	,,	,, ,,
9.	श्री भंवर लाल सैनी	वार्ड ब्वाय	,, ,,
10.	श्री श्याम सुन्दर राजपूत	,,	,, ,,
11.	श्री भगवान सहाय राजपूत	,,	,, ,,
1.	डा० एन० डी० माथुर	सी० ए० एस०	28-2-78 से 10-4-78
2.	डा० एस० के० जैन	,,	,, ,,
3.	श्री गोपाललाल शर्मा (एस० एम० एस०)	मेल नर्स, श्रेणी प्रथम	,, ,,
4.	श्री सतेन्द्र कुमार शर्मा	मेल नर्स, श्रेणी द्वितीय	,, ,,
5.	श्री सीता राम गुप्ता	,,	,, ,,
6.	श्रीमती ए० अलियम्मा पीटी	परिचारिका	,, ,,
7.	श्रीमती पंकर्कमाली	प्रसाविका	,, ,,
8.	सुश्री ए० मैथ्यू	,,	,, ,,
9.	श्री चिरंजी लाल	वार्ड ब्वाय	,, ,,
10.	श्री श्याम सुन्दर राजपूत	,,	,, ,,
11.	श्री मूल चन्द	,,	,, ,,
1.	डा० एन० डी० माथुर	सी० ए० एस०	4-10-78 से निरन्तर
2.	डा० वी० एन० चौपड़ा	,,	,, ,,
3.	श्री गोपाललाल शर्मा (सवाई मानसिंह अस्पताल)	मेल नर्स, श्रेणी प्रथम	,, ,,
4.	श्री मुकद्दस अली नकवी	मेल नर्स, श्रेणी द्वितीय	,, ,,
5.	श्रीमती डी० डेविड	प्रसाविका	,, ,,
6.	श्रीमती एम० पंकर्कमाली	,,	,, ,,
7.	श्रीमती देवी	,,	,, ,,
8.	श्री चिरंजी लाल	वार्ड ब्वाय	,, ,,
9.	श्री राधेश्याम तंवर	,,	,, ,,
10.	श्री श्याम सुन्दर राजपूत	,,	,, ,,
11.	श्रीमती कृष्णम्मा	प्रसाविका	,, ,,

धरियावद का चिकित्सालय

772. **श्री नारायण मीणा** (लसाडिया): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि धरियावद तहसील जो कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, में चिकित्सा सुविधाओं की अपर्याप्त व्यवस्था है। कभी-कभी चिकित्सालयों में पट्टियां भी रोगियों को उपलब्ध नहीं होती हैं और उन्हें बाजार से लानी पड़ती है? क्या राज्य सरकार ऐसे पिछड़े क्षेत्र के चिकित्सालयों के लिये पर्याप्त बजट राशि की व्यवस्था करेगी?

(2) क्या यह आवश्यक नहीं है कि धरियावद तहसील जो कि आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़ा क्षेत्र है, की जनता एवं बच्चों के लिए विभिन्न रोगों के निरोधात्मक टीके समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा लगवाये जाने चाहियें ताकि जनता को ऐसी महामारियों से एवं भयंकर रोगों से बचाया जा सके? क्या राज्य सरकार इस तहसील में प्रत्येक परिवार के लोगों एवं बच्चों के लिए क्षय रोग निरोधक टीके एवं दीगर रोगों के बचाव की पर्याप्त व्यवस्था करेगी?

(3) परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनता में लोकप्रिय बनाये जाने हेतु क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र में फिल्म प्रदर्शन व दीगर प्रचार साधनों द्वारा पूरी कोशिश कर रही है?

उत्तर

(1) जी नहीं। धरियावद तहसील के अन्तर्गत चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अतिरिक्त 3 डिस्पेन्सरी व 8 उप केन्द्र कार्यरत हैं, जिन्हें प्रत्येक वर्ष दवाओं के मद में 52,000/- रुपये की राशि आवंटित की जाती है। इसके अलावा आवश्यकतानुसार अतिरिक्त ओषधियों की व्यवस्था भी की जाती है।

(2) जी हां। सभी रोगों के इलाज के लिये केन्द्र पर उपचार किये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है और महामारी पड़ने पर जिला प्रशासन द्वारा अधिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(3) जी हां। परिवार कल्याण कार्यक्रम को जनता में अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों व प्रचार साधनों के द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

ग्राम नपानिया के ठाकुर का आतंक

773. **श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा** (मनोहर-थाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य के ग्राम नपानिया थाना खानपुर के ठाकुर भैरूंसिंह के आतंक एवं बर्बरता के कारण ग्रामवासियों ने ग्राम छोड़ दिया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त ठाकुर ने श्रीमती बिरदी बाई नामक किसी महिला के साथ बलात्कार किया और उसकी खेती, जमीन, जायदाद पर अनुचित कब्जा कर लिया?

(3) क्या समस्त ग्रामवासी उक्त ठाकुर के आतंक से दुखी हैं? क्या यह सही है कि ग्राम की बहू-बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है व लोग गांवों से पलायन कर गये हैं?

(4) क्या यह सही है कि उक्त महिला ने एवं ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत जिला स्तर पर एवं राज्य स्तर पर की है, किन्तु

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)
जागीरदार के प्रभाव के कारण मामला रफा-दफा किया जाता रहा है ?

(5) पुलिस एवं प्रशासन ने इन जालिमाना हरकतों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है तथा क्या-क्या अभियोग बनाये हैं ? पूर्ण जानकारी सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) ग्राम नपानिया में किराड़ों के दो गुटों में आपस में झगड़ा होने के कारण एक गुट के सदस्यों ने ग्राम नपानिया छोड़कर करीब 3-4 फर्लांग दूरी पर स्थित ग्राम शंकरपुर में रहना प्रारम्भ कर दिया है। दूसरे गुट को, जो नपानिया में ही रह रहा है, ठाकुर भैंरूसिंह का समर्थन प्राप्त है।

(2) श्रीमती बिरदी बाई ने स्वयं के साथ करीब एक वर्ष पूर्व ठाकुर भैंरूसिंह द्वारा बलात्कार करने व जमीन पर जबरन कब्जा करने की रिपोर्ट जरिये डाक भेज कर दर्ज कराई थी, जो बाद अनुसंधान झूठी पाई गई।

(3) जी नहीं।

(4) उक्त महिला ने जिला एवं राज्य स्तर पर जो शिकायतें की हैं उन पर तत्काल कार्यवाही की गई है। कोई मामला जागीरदार के प्रभाव से रफा-दफा नहीं किया गया।

(5) श्री भैंरूसिंह के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई कार्यवाहियों की सूची संलग्न है।

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 गृह मंत्री की सूची

(1) मुकदमा नं. 78 दिनांक 4-8-77, धारा 448, 342, 323, आई. पी. सी. थाना खानपुर।

श्री मोहनलाल नाई की रिपोर्ट पर उक्त मुकदमा थाना खानपुर में विरुद्ध भैंरूसिंह, लोकेन्द्रसिंह, रामनारायण मीणा, जगदीश मीणा और रामदयाल महर निवासी ग्राम नपानिया के दर्ज होकर तफतीश की गई। तफतीश पर मुकदमा झूठा पाया जाने पर एफ. आर. नं. 31 दिनांक 31-8-78 को अदम वकुआ में दी जा चुकी है जो न्यायालय से मंजूर हो चुकी है।

(2) मुकदमा नं. 81 दिनांक 18-8-77 धारा 376, 447, 148, 149, आई. पी. सी. थाना खानपुर।

दिनांक 18-8-77 को मुस. बिरदी बाई की रिपोर्ट पर थाना खानपुर पर उक्त मुकदमा भैंरूसिंह, रामेश्वर, रामनारायण, होदिया मीणा, घन्ना महर, रामदयाल महर निवासी नपानिया के विरुद्ध कायम होकर तफतीश की गई। मुकदमा झूठा पाया जाने पर दिनांक 31-8-77 को एफ. आर. अदम वकुआ दी गई। इस मुकदमा की एफ. आर. अदालत ने मंजूर नहीं की और सन् 1978 में अदालत ने मुकदमे में कोगनिजेन्स लेकर मुलजिमान के विरुद्ध विना जमानती वारण्ट जारी किये जिसमें भैंरूसिंह की जमानत सेशन कोर्ट से हुई बाकी के वारण्ट खानपुर थाने में तामील के लिए भेजे गये।

(3) मुकदमा नं. 82 दिनांक 18-8-77 धारा 342, 323, आई. पी. सी. थाना खानपुर।

दिनांक 18-8-77 को श्री छीतर कराड़ की रिपोर्ट पर मुकदमा उपरोक्त थाना खानपुर में कायम किया जाकर तफतीश की गई।

(गृह मन्त्री)

तफतीश से मुकदमा झूठा पाया जाने के कारण एफ. आर. अदम वकूआ दिनांक 31-8-77 को दी गई जो न्यायालय से मंजूर हो चुकी है।

(4) मुकदमा नं. 61 दिनांक 26-5-77 धारा 447, 342 आई. पी. सी. थाना खानपुर।

श्री रामकंवार पुत्र लदर कराड़ निवासी नपानिया की रिपोर्ट पर उक्त मुकदमा विरुद्ध भैरूसिंह व उसके लड़के पृथ्वीसिंह के खिलाफ दर्ज किया गया। बाद तफतीश मुकदमे का चार्जशीट दिनांक 31-7-78 को को कता किया गया।

(5) मुकदमा नं. 68 दिनांक 1-6-78 धारा 342 आई. पी. सी. थाना खानपुर

दिनांक 1-6-78 को श्री रामलाल कराड़ की रिपोर्ट पर उक्त मुकदमा भैरूसिंह के खिलाफ थाना खानपुर पर दर्ज होकर बाद तफतीश भैरूसिंह के खिलाफ चार्जशीट दिनांक 28-8-78 को कता किया गया।

(6) उपरोक्त मुकदमात के अलावा दिनांक 24-12-77 को 107 सी-आर. पी. सी. की कार्यवाही खिलाफ बिरधा, रामनारायण, छोटेलाल, बजरंग लाल, रामदयाल, भैरूसिंह नि. नपानिया के दी जा चुकी है।

(7) दिनांक 30-9-77 को 107 सी-आर. पी. सी. की कार्यवाही खिलाफ भैरूसिंह व इसके दोनों लड़के लोकेन्द्रसिंह, पृथ्वीसिंह एवं रामनारायण मीना, बिरधा कराड़, भंवरलाल कराड़ के की जा चुकी है। इसके अलावा एस एच. ओ. थाना खानपुर ने मय स्टाफ के ग्राम नपानिया में दिनांक 10-4-78, 9-5-78, 15-5-78, 21-5-78, 27-5-78, 2-6-78, 9-6-78, 25-6-78, 30-7-78, 15-8-78, 31-8-78, 3-9-78 व 5-9-78 को शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये ग्राम का दौरा किया। 27-7-78 को एक पुलिस गार्ड भी ग्राम नपानिया में तैनात है। तारीख 27-7-78 को पुलिस अधीक्षक जिला ने भी ग्राम का दौरा किया था।

तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही

775. **श्री हरीश शर्मा** (रामगंज मण्डी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या आपातकाल में श्री किरीट भाई को विदेशी मुद्रा विनियम कानून के तहत जासोर जेल में बन्दी बनाया गया था? यदि हां, तो क्या श्री किरीट भाई तस्कर हैं?

(2) राज्य सरकार तस्करों के लिये क्या कठोर कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) यह मामला भारत सरकार से सम्बन्धित है।

(2) तस्करी रोक थाम हेतु पुलिस नाकाबंदी एवं पेट्रोलिंग की व्यवस्था है। सीमा पर सीमा सुरक्षा दल द्वारा पेट्रोलिंग की जाकर तस्करों को सीमा पार करते समय गिरफ्तार किया जाता है।

कापरेन स्टेशन पर हुआ लाठी चार्ज

776. **श्री ओम प्रकाश शर्मा** (बून्दी), **श्री गोपाल पचेरवाल** (पाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि दिनांक

(404)

(श्री ओम प्रकाश शर्मा व श्री गोपाल पचेरवाल)

2-10-78 को कापरेन स्टेशन जिला बून्दी में सायंकाल लाठी चार्ज हुआ है ? यदि हां तो किसके आदेश से ?

(2) क्या यह सही है कि अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर बिना किसी कारण बिना किसी सचना के निर्मम रूप से लाठी चार्ज किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या ग्रामवासियों की मांगें उचित थीं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी मांगे थीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) ग्रामवासियों की मांग आगरा-कोटा पैसेन्जर ट्रेन को पुनः चालू कराने की थी। इस पर कार्यवाही रेलवे विभाग द्वारा ही की जा सकती है ।

गोपाल मिल भीमगंजमण्डी निवासी व्यक्तियों पर चल रहे मुकदमें

777. श्री **कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या श्री शिव प्रसाद पुत्र श्री राम कुमार ब्राह्मण व श्री गिरजा शंकर पुत्र श्री विजय राम राज भट्ट दोनों निवासी गोपाल मिल कोलोनी, भीमगंजमंडी कोटा जंक्शन पर 302 ताजीरात हिन्द में मुकदमा चल रहा है ?

(2) क्या भारतीय दण्ड संहिता में अन्य किसी धाराओं में भी उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है ? यदि हां तो विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां । धारा 302 ता. हि. के अतिरिक्त धारा 147।148।149, भा. द. स. में भी अभियोग चल रहा है ।

जयपुर शहर में हुई सड़क दुर्घटनाएं

778. श्री **ईश्वरचन्द्र** (पिड़ावा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर में गत वर्ष हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्या क्या थी ?

(2) दिनांक 30-9-78 तक चालू वर्ष में कितनी सड़क दुर्घटनाएं जयपुर में हुई हैं ?

(3) इनमें कितनी राजकीय वाहनों व बसों से व कितनी प्राइवेट गाडियों से हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(4) क्या उक्त सड़क दुर्घटनाओं में मृत या घायल तुरन्त आर्थिक सहायता राज्य सरकार द्वारा दी जाती है ?

उत्तर

(1) गत वर्ष जयपुर नगर में घटित सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या 451 थी ।

(2) इस वर्ष दिनांक 30-9-78 तक जयपुर नगर में कुल 332 सड़क दुर्घटनायें हुई हैं ।

(गृह मंत्री)

(3) इनमें राजकीय वाहनों व बसों द्वारा 39 घटनायें घटित हुई हैं और 293 प्राइवेट वाहनों से हुई है ।

(4) जहां उचित समझा जाता है, यह सहायता उपलब्ध की जाती है ।

राजस्थान रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट

779. श्री गुरु शरण छाबड़ा (सूरतगढ़): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट राज्य के किन-किन नगरों में लागू है ? लागू करने का आधार क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि कस्बा रामगढ़, जिला सीकर की अपेक्षा कस्बा लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर की आबादी अधिक है। इसके उपरान्त भी वहां पर रेन्ट कन्ट्रोल लागू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ?

(3) प्रदेश के किन-किन नगरों में यह रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट लागू हो जाना चाहिये था और अभी तक लागू नहीं किया गया है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है । इसको लागू करने का निर्णय, संबंधित स्थान की आवास समस्या को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है।

(2) जी हां, कस्बा लक्ष्मणगढ़ की आबादी कस्बा रामगढ़ से अधिक है। लक्ष्मणगढ़ में भी इसे लागू करने का मामला विचाराधीन है ।

(3) प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में वर्णित स्थिति पायी जाने पर, इसे लागू किया जाता है । इस प्रकार के प्रस्ताव आने पर विचार किया जाता रहा है। अतः सूची देने का प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 72 गृह मं. की सूची

सूची जहां पर राजस्थान रेंट कन्ट्रोल एक्ट लागू है -

1. अलवर :
   1. अलवर नगर परिषद् 2. तिजारा नगर परिषद 3. राजगढ़ कस्बा 4. खैरथल मण्डी 5. खैरथल कस्बा 6. रामगढ़ कस्बा 7. खेडली मण्डी ।

2. अजमेर :
   1. अजमेर 2. ब्यावर 3. नसीराबाद 4. केकड़ी 5. किशनगढ़ 6. विजयनगर।

3. बांसवाड़ा :
   1. बांसवाड़ा नगर परिषद् ।

4. भीलवाड़ा :
   1. भीलवाड़ा नगर परिषद् 2. गुलाबपुरा 3. शाहपुर ।

5. भरतपुर :
   1. बयाना 2. भरतपुर सिटी 3. भुसावर 4. धौलपुर 5. डीग 6. कामां 7. वैर 8. गडी 9. नदबई 10. कुम्हेर 11. सीकरी मण्डी ।

6. बाड़मेर :
   1. बाड़मेर 2. बालोतरा ।

7. बीकानेर :
   1. बीकानेर शहर 2. नोखा कस्बा

406

(गृह मंत्री)

3. गंगाशहर 4. भीनासर ।

8. बूंदी :

1. बूंदी कस्बा 2. नाईनेरी 3. केशोरायपाटन ।

9. चित्तौड़गढ़ :

1. चित्तौड़गढ़ 2. प्रतापगढ़ 3. निम्बाहेड़ा ।

10. चूरू :

1. चूरू 2. रतनगढ़ 3. सुजानगढ़ 4. सरदारशहर 5. डूंगरगढ़ 6. राजगढ़ ।

11. डूंगरपुर :

1. डूंगरपुर ।

12. गंगानगर :

1. गंगानगर 2. सादूलगढ़ (हनुमानगढ़) 3. सूरतगढ़ 4. रायसिंह नगर 5. नोहर 6. भादरा 7. सादुलशहर 8. करणपुर 9. सांगरिया ।

13. जयपुर :

1. बांदीकुई 2. कोटपुतली 3. सांभरलेक 4. चौमूं 5. फुलेरा 6. जयपुर 7. आमेर 8. दौसा 9. जोबनेर ।

14. जैसलमेर :

1. जैसलमेर ।

15. जोधपुर :

1. जोधपुर ।

16. जालोर :

1. जालोर नगरपालिका 2. भीनमाल नगरपालिका ।

17. झुन्झुनूं :

1. झुन्झुनूं 2. पिड़ावा 3. खेतड़ी 4. सिंघाना 5. नवलगढ़ 6. सूरतगढ़ 7. पिलानी 8. चिड़ावा 9. मण्डावा 10. बिसाऊ 11. उदयपुर 12. मुकन्दगढ़ सिटी व मन्डी 13. विद्याविहार (पिलानी) ।

18. झालावाड़ :

1. झालावाड़ 2. झालरापाटन 3. भवानी मण्डी 4. विजयनगर 5. सुनेल नगरपालिका क्षेत्र ।

19. कोटा :

1. कोटा 2. बारां 3. छबड़ा 4. रामगंज मन्डी 5. मांगोद 6. सिरोंज (झालावाड़) ।

20. नागौर :

1. नागौर 2. मेड़ता सिटी 3. कुचामन सिटी 4. मकराना 5. लाडनूं 6. डीडवाना ।

21. पाली :

1. पाली 2. बाली 3. सादड़ी 4. फालना खुडाला 5. रानी खुर्द 6. सुमेरपुर ।

22. सिरोही :

1. सिरोही 2. शिवगंज 3. आबूरोड 4. आबू पर्वत ।

23. सीकर :

1. सीकर 2. फतेहपुर 3. रामगढ़ सेठान ।

24. सवाई माधोपुर :

1. सवाई माधोपुर 2. हिण्डौन 3. करौली 4. गंगापुर ।

25. टोंक :

1. मालपुरा 2. निवाई 3. टोंक शहर 4. देवली ।

26. उदयपुर :

1. उदयपुर नगर 2. नाथद्वारा 3. भीण्डर ।

मकराना में हुई हड़तालें

780. **श्री अब्दुल अजीज** (मकराना) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

मकराना में पिछले छः महीनों में कितनी हड़तालें हुई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

मकराना में पिछले छ : महीनों में 4 हड़ताल हुई हैं। सूची सलग्न है।

अतारांकित प्रश्न सख्या 140 मु.म. की सूची।

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या 140 मु. म. द्वारा श्री अब्दुल अजीज, विधायक द्वारा पूछे गये प्रश्न से सम्बन्धित हड़तालों की सूची।

(1) दिनांक 15-7-78 को नगरपालिका मकराना के सफाई कर्मचारियों ने राणावत आयोग वेतनमान लागू करने व यूनीफार्म नहीं देने से नगरपालिका के सामने धरना दिया तथा तमाम कर्मचारी हड़ताल पर रहे।

(2) दिनांक 1-9-78 को श्री सम्पतराज हरिजन भूतपूर्व सदस्य नगरपालिका मकराना वार्ड नं. 11 नगरपालिका मकराना के सामने आमरण भूख हड़ताल पर बैठे।

(3) दिनांक 25-9-78 को श्री मूलाराम- भांभी संयोजक मकराना मारबल मजदूर यूनियन भूख हड़ताल खनिज अभियंता कार्यालय मकराना के सामने बैठा।

(4) दिनांक 1-10-78 को नावां व कुचामन सिटी से मजदूरी करने वाले मजदूरों ने रेलवे स्टेशन मकराना पर करीब 400-500 मजदूरों ने बैठ कर ट्रेन नम्बर 2 सी. एम. ई. व 2 पी. एम. वर फुलेरा से आने वाली ट्रेनों को लाइन पर बैठ कर ट्रेनें रोक लीं।

महाकवि बिहारी बाजार के बिजलीघर का नाम

781. **श्री माधवसिंह दीवान** (सोजत): क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में जिस बाजार का नाम आज महाकवि बिहारी बाजार है, उसका नाम पहले इन्दिरा बाजार था ?

(2) क्या यह भी सही है कि उसके पास स्थित बिजलीघर पर आज भी इन्दिरा बाजार बिजली घर लिखा हुआ है ?

ग्राम महवा (नीमकाथाना) में भूमि का आवंटन

782. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि गांव महवा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में काश्त की भूमि हरिजनों को आवंटित की गई ? यदि हां, तो किन-किन को और कितनी-कितनी तथा किसने आवंटित की ?

(2) क्या यह सही है कि इस आवंटन के खिलाफ जिलाधीश, सीकर के यहां कोई अपील हुई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

4002

(श्री मूलचन्द डागा)

(3) क्या यह सही है कि इन हरिजनों को आवंटन हुई पास बुकें मिली और उनके द्वारा अपनी राजस्व (लैंड रेवेन्यू) जमा कराई गई ?

(4) क्या यह सही है कि आज भी वहां उस जमीन पर काश्त नहीं की जा रही है क्योंकि उनको कोई सरकारी आदमी जिला सीकर में मदद नहीं दे रहा है और व सब यह कहते हैं कि यदि तुम्हें कब्जा लेना हो तो माननीय सूर्यनारायण चौधरी के पास जाओ ?

उत्तर

(1) जी हां। भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम महवा में 23 हरिजनों को भूमि का आवंटन किया गया है। ब्यौरा संलग्न सूची में अंकित है।

(2) जी हां। आवंटन आदेश के खिलाफ अपीलें हुई थीं जो खारिज हो चुकी हैं।

(3) भूमि का आवटन 23 व्यक्तियों को किया लेकिन पास बुकें 9 व्यक्तियों को ही दी गई तथा इनसे ही लगान लिया गया। अपील होने के कारण शेष व्यक्तियों को पास बुकें नहीं दी गई और ना ही इनसे लगान लिया गया।

(4) क्या सही नहीं है कि प्रशासन ने काश्त कराने में मदद नहीं की हो। अपील सन् 1975 में खारिज हुई। इस अवधि में आवंटित भूमि पर अन्य व्यक्तियों ने नाजायज कब्जे कर लिय इनके विरुद्ध उपखंड अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है आवंटितियों को लगभग 15 दिन में कब्जा दिलाये जाने की सम्भावना है।

ग्राम महावा, तहसील नीमकाथाना में दिनांक 3-8-71 को भूमि आवंटन सलाहकार समिति, नीमकाथाना द्वारा आवंटित की गई भूमि की व्यक्तिवार सूची।

क. सं.	नाम प्रार्थी	खसरा नं.	क्षेत्रफल	
			बीघा	बिस्वा
1	2	3	4	5
1.	सांवलराम पुत्र मुनाराम हरिजन (बलाई) सा. महावा	719	7	10
2.	मुनाराम पुत्र बोदुराम बलाई सा. महावा	संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर		
3.	भगवानाराम पुत्र गणपतराम बलाई			
4.	भुलाराम पुत्र गणपतराम बलाई	925	10	—
5.	ओंकारमल पुत्र गणपतराम बलाई सा. महावा	संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर		
6.	भागीरथ प्रसाद पुत्र सुखाराम बलाई	1880	7	10
7.	प्रहलाद पुत्र बधा धानका नि. महावा	719	7	10

1	2	3	4	5
8.	रामदेव पुत्र गोमा बलाई सा. महावा	718	5	10
9.	मांगू पुत्र गंगूराम बलाई ,,	2187	5	–
10.	मांगूराम पुत्र लादूराम ,,	718	7	10
11.	रतन लाल पुत्र नारूराम मीना ,,	1880	7	10
12.	संतूराम पुत्र कानाराम बलाई ,,	संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर		
13.	संतुराम पुत्र कानाराम बलाई ,,	923	6	–
14.	सावताराम पुत्र चौथूराम बलाई ,,	923	6	–
15.	मूलाराम पुत्र रामुराम बलाई ,,	924	5	–
16.	सांवलराम पुत्र नारायण बलाई ,,	771	8	–
17.	गणपत पुत्र गोमा बलाई ,,	771	5	–
18.	गणपतराम पुत्र शंकरराम धानका	1874	7	10
19.	जगदीश पुत्र कालू बलाई महावा	771	7	–
20.	श्योपाल पुत्र वेगा बलाई महावा	1885	10	–
21.	गणेश पुत्र रामू बलाई महावा	संयुक्त रूप से बहिस्सा बराबर		
	अन्य :			
22.	कन्हैया लाल पुत्र प्रभूदयाल ब्राह्मण नि. महावा	1874	7	10
23.	मुन्नाराम पुत्र प्रह्लाद ब्राह्मण नि. महावा	924	5	–

जालोर जिले में भूमि का कटाव

784. **श्री सूरजपाल सिंह** (भीनमाल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जालोर जिले में जवाई, बांडी, सूकड़ी, सागी एवं लूनी नदी के बहाव एवं कटाव की वजह से किसानों की हजारों बीघा जमीन कटाव में आ गई है ?

(2) क्या यह सही है कि जालोर जिले के गांव दामन, धुम्बडिया, चैनपुरा, लाखणी, मोरसीम, भालनी, वाली, नमल, रामपुरा, तातडा, इटाव, अणखोल, झावरा गुडा, हेवा, बोरली इत्यादि गांवों की हजारों बीघा जमीन का जवाई, बांडी, सूकडी, सागी इत्यादि नदियों के बहाव से हजारों बीघा जमीन काबिल काश्त नहीं रही ।

(3) क्या यह भी सही है कि नदियों के बहाव के कारण कटाव में आई जमीन जो हालांकि काबिल काश्त नहीं, काश्तकार आज भी उसकी भू-राजस्व जमा करा रहे हैं ?

(4) राज्य सरकार इस भूमि कटाव

(410)

(श्री सूरजपालसिंह)
को रोकने हेतु क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) जालोर जिले में गत 1973 की बाढ़ से जवाई, बांडी, सुकड़ी, सागी एवं लूनी नदी के बहाव एवं कटाव की वजह से किसानों की 18770 बीघा जमीन कटाव में आ गई है।

(2) इस जिले में ग्राम दामन, धम्बडीया, चंनपुरा, लाखणी, मोरसीम, वाली, धनमल, रामपुरा, तातडा, इटावा, अणखोल, झाबरा, गुडा हेमा एवं बोरली इत्यादि की 18770 बीघा भूमि जवाई, बांडी, सुकड़ी एवं सागी इत्यादि नदियों के बहाव से काबिल काश्त नहीं रही है।

(3) उक्त नदियों के बहाव के कारण कटाव में आई 18770 बीघा भूमि काबिल काश्त नहीं रही, जिसमें से 805 बीघा भूमि का 58 काश्तकारों द्वारा अस्तीफा देने पर उनका भू-राजस्व कम कर दिया गया है। शेष काश्तकारों द्वारा अस्तीफा नहीं देने पर आज भी उनका भू-राजस्व जमा कर रहे हैं।

(4) इस जिले में भूमि कटाव को रोकने हेतु डी. पी. ए. पी. योजना के अन्तर्गत कार्य किए जाते हैं। वन विभाग द्वारा भी बांडी नदी के भू-संरक्षण रोकने के लिए एक योजना बनाई गई है।

मांडलगढ़ क्षेत्र मे अन्त्योदय परिवारों को भूमि का आवन्टन

786. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या अन्त्योदय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अन्त्योदय परिवारों को देने के लिये मांडलगढ़ क्षेत्र में अच्छी जमीन दी जा सकती है यदि उन सब लोगों से जमीन ले ली जाये जिन्हें बिना अलोट किये ही जमीन दी गई है ?

(2) क्या यह सही है कि यह जमीन बहुत मूल्यवान है और यदि एक एक बीघा भी दे दी जाये तो अन्त्योदय परिवार की बड़ी सेवा हो सकती है ?

उत्तर

(1) जी हां, मांडलगढ़ में 4000 एकड़ भूमि काबिल काश्त उपलब्ध है। अन्त्योदय परिवार के सदस्यों के 3, 5 व 10 एकड़ जमीन नियमानुसार आवंटन की जा रही है। बिना अलाटमेंट किसी को भी आवंटन नहीं किया है अतः वापिस लेने का प्रश्न नहीं उठता।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता। अन्त्योदय परिवारों को 3 से 10 बीघा तक भूमि का आवंटन किया गया है जिससे इन परिवारों को पर्याप्त राहत मिलेगी।

राजस्व अभियान के अन्तर्गत निपटाये गये मामले

787. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्व अभियान के अन्तर्गत राज्य में कितने नामान्तरण के मामले निपटाये गये हैं?

(2) राज्य मे इस अभियान के अन्तर्गत कितने व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं ?

(3) राज्य में कितने अतिक्रमण के मामलों का नियमन किया गया है ?

(श्रीमती नारंगी देवी)

(4) इस अभियान के अन्तर्गत किशनगंज विधान सभाई क्षेत्र में किए गये कार्य की व्यौरेवार जानकारी देने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य में गत राजस्व अभियान के दौरान नामान्तरकरण के 5,77,393 मामले निपटाये हैं।

(2) राज्य में राजस्व अभियान में 1,36,262 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिये गये हैं।

(3) राज्य में राजस्व अभियान में 48,157 अतिक्रमण के मामलों का नियमन किया गया है।

(4) किशनगंज विधान सभा क्षेत्र की तहसील किशनगंज तथा शाहबाद में 1,170 व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार दिये गये। 4,369 नामान्तरकरण तस्दीक किये गये। अतिक्रमण के 1,279 मामले नियमन द्वारा तथा 2,799 मामले बेदखली द्वारा निपटाये गये, 30 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गई तथा 46 मामलों में अवाप्त शुदा भूमि का लगान खारिज किया गया।

सब-तहसील पहाड़ी को तहसील बनाने का मामला

788. **श्री मुहम्मद जहूर** (कामां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सब-तहसील पहाड़ी को तहसील बनाने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक पहाड़ी को तहसील बना दिया जायगा ?

उत्तर

जी नहीं।

पाली नगर में राजस्व भूमि पर बने मकान

789. **श्री रघुनन्दन व्यास** (सिरोही) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पाली नगर में करीब पांच सौ बीघा राजस्व भूमि पर बिना आबादी में बदले मकान बनाये गये हैं तथा इतनी ही भूमि पर फैक्ट्रियां बनाई गई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(2) क्या राज्य सरकार उक्त भूमि का नियमन करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। पाली नगर में कृषि भूमि रकबा 18 बीघा 5 बिस्वा पर मकान व झोंपड़ियों व बाड़े बनाये गये हैं एवं 166 बीघा 16 बिस्वा कृषि भूमि पर फैक्ट्रियां बनाई गई हैं। बढ़ती हुई आबादी एवं उद्योगों के कारण अतिक्रमण व अनियमित निर्माण लोगों द्वारा किया गया है।

(2) मकान, बाड़े एवं झोंपड़ियों के नियमन हेतु राज्य सरकार ने समय-समय पर आदेश प्रसारित किये। अतः अवैध निर्माण जो नियमानुसार नियमन योग्य होंगे, नियमित किये जायेंगे वर्ना अतिक्रमण हटाया जायेगा।

फैक्ट्रियों के सम्बन्ध में मामला उद्योग विभाग में विचाराधीन है।

Page No 502

(412)

ग्राम नाथूराम जी का खेड़ा की भूमि

790. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम नाथूरामजी का खेड़ा, पटवार, मंडल, सामरिया, तह बेगूं, जिला चित्तौड़गढ़ की जो 1500 बीघा जमीन नक्शा ट्रेस में अंकित है वही जमीन मौजा दहला, तहसील मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा में भी अंकित है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन एक खातेदार के व पांच गैर खातेदारों और दस भूमिहीनों को आवंटित की गई है जो मांडलगढ़ तहसील के रहने वाले हैं ? दूसरी ओर वही जमीन नौ खातेदार एवं 16 भूमिहीन कृषकों को आवंटित की गई है जो तहसील बेगूं के निवासी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि एक तरफ जिस कृषक को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हैं तो दूसरी तरफ उसी पर नाजायज कब्जा बताकर उसके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या राज्य सरकार इस बारे में कोई निश्चित आश्वासन दे सकती है कि कब तक पुनः दोनों तहसीलों के अधिकारियों को सर्वे कराने के आदेश दिये जायेंगे और काश्तकारों को राज्य सरकार द्वारा राहत दी जा सकेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मामला विवादास्पद है इस बारे में जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है।

(4) जी हां, इस समस्या के निराकरण हेतु भू-प्रबन्ध आयुक्त को एव सम्बन्धित जिलाधीश को आदेश दिये गये हैं एवं भू-प्रबन्ध आयुक्त द्वारा सम्बन्धित जिलाधीशों को दिनांक 15-9-78 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

तालाबों की पालों पर जागीरदारों के कब्जे

791. श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राजस्थान में ऐसे कितने तालाब हैं जिनकी पालों पर अभी भी जागीरदारों का कब्जा है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) ऐसे कितने तालाब है जिनकी पालें जागीरदारों के कब्जे में है परन्तु इन तालाबों से सिंचाई की जाती हैं तथा राजस्व विभाग द्वारा पिलाई की रकम वसूल की जाती है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या राज्य सरकार निकट भविष्य में इन पालों को अपने कब्जे में लेने का कोई विचार रखती है ? अगर हां, तो कब तक ?

(4) क्या राज्य सरकार इन तालाबों की मरम्मत कराने का भी विचार रखती है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में जिन तालाबों की पालों पर अभी भी जागीरदारों का कब्जा है उसकी सूची न. 1 द्वारा सदन की मेज पर रख दी गई है जिसकी कुल संख्या 84 है।

(श्री राजस्व मन्त्री)

(2) जिन तालाबों की पालों पर जागीरदारों का कब्जा होने पर भी सिंचाई की जाती तथा राजस्व विभाग द्वारा पिलाई की रकम वसूल की जाती है जिसकी सूची न. 2 द्वारा सदन की मेज पर रख दी गई है। इनकी कुल संख्या 49 है।

(3) जी हां. मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(4) इस मामले में विचार ऐसी पालों को राज्य सरकार के कब्जे में लेने हेतु निर्णय के पश्चात् ही सम्भव होगा।

राजस्थान के उन तालाबों की सूची जिनके पालों पर जागीरदारों का कब्जा हैं:—

क्र.सं. 1	नाम तालाब 2	ग्राम 3	तहसील 4	जिला 5
1.	बागड तालाब	बागड	रायपुर	बांसवाड़ा
2.	खूंटिया खेडा	खूटियाखेड़ा	,,	,,
3.	पुराना तालाब	खूटिया	,,	,,
4.	नया तालाब	,,	,,	,,
5.	परवतों तालाब	परबतों	,,	,,
6.	रापास तालाब	रापांस	,,	,,
7.	घोलीया खेडा	घोरिया खेडा	,,	,,
8.	टोकरा तालाब	टोकरा	,,	,,
9.	सिरोडो तालाब	सिरोडी	,,	,,
10.	नाहर सागर	कोट	,,	,,
11.	जैतपुरा तालाब	जैतपुरा	आसीन्द	,,
12.	जैतपुरा तालाब	जैतपुरा	,,	,,
13.	झालरा तालाब	झालरा	,,	,,
14.	निम्बाहेड़ा तालाब	निम्बाहेड़ा	,,	,,
15.	रूपा सागर	पालरा	रायपुर	,,
16.	नया तालाब	पालरा	,,	,,
17.	निम्ब हेड़ा तालाब	निम्बाहेड़ा	आसिन्द	,,
18.	निम्बाहेड़ा तालाब	निम्बाहेड़ा	,,	,,
19.	जिन्द्रास तालाब	जिन्द्रास	,,	,,
20.	जोरावरपुरा तालाब	जोरावरपुरा	,,	,,
21.	धोलो	धोलो	,,	,,
22.	बादरपुरा	बादरपुरा	,,	,,
23.	गोयलों का खेड़ा	गोयलों का खेड़ा	,,	,,
24.	बागमाली तालाब	नागमाली	,,	,,
25.	झालरिया	झालरिया	,,	,,

Page No 504

(414)

1	2	3	4	5
26.	पान्डरू	पान्डरू	आसीन्द	बांसवाड़ा
27.	हादोसर	हादोसर	,,	,,
28.	लसाडिया तालाब	लसाड़िया	मान्डल	,,
29.	पोधास तालाब	पोवास	,,	,,
30.	लेसवा गांव तालाब	लेसवा	,,	,,
31.	लेसवा नं. 2	लेसवा	,,	,,
32.	केसर सागर	चांदरास	,	,
33.	जैतसागर	जैतसागर	,,	,,
34.	गुलाब सागर	लादूवास	,,	भीलवाड़ा
35.	लक्ष्मीसागर	लादूवास	,,	,,
36.	भादूटंड	भादू	,,	,,
37.	नया तालाब	भादू	,,	,,
38.	रतनसागर	लुहारिया	,,	,,
39.	कानसागर	,,	,,	,,
40.	स्वरूप सागर	,,	,,	,,
41.	मोदमसागर	,,	,,	,,
42.	केरिया तालाब	केरिया	,,	,,
43.	लक्ष्मीसागर	नक्को का खेड़ा	,,	,,
44.	पड़ता तालाब	हिसन्या	,,	,,
45.	बेमाली तालाब	बेमाली	,,	,,
46.	दहिमिया तालाब	दहिमया	,,	,,
47.	ददेला तालाब	करेडा	,,	,,
48.	गोपाल सागर	करेडा	,,	,,
49.	दलेल सागर	करेडा	,,	,,
50.	सबलपुरा तालाब	सबलपुरा	,,	,,
51.	अर्जुनगढ़ तालाब	अर्जुनगढ़	,,	,,
52.	गोरधपुरा	गोरधपुरा	,,	,,
53.	रणजीत सागर	धानगढ़	,	,
54.	तोलवा तालाब	थाना	,,	,,
55.	लिया तालाब	थाना	,,	,,
56.	नानकपुरा तालाब	नानकपुरा	,,	,,
57.	किसनपुरा	किसनपुरा	,,	,,
58.	शिवरति तालाब	शिवरति	सहाड़ा	,,
59.	कालीमगनरी तालाब	कालीमगरी	,,	,,
60.	सत्यावडी तालाब	सत्यावडी	,,	,,
61.	चावन्डिया तालाब	चावन्डिया	,,	,,
62.	डाबला तालाब	डाबला	,,	,,
63.	सेरावाद का तालाब	सेरावाद	गोसवाड़ा	,,
64.	,, ,,	,,	,,	,,
65.	नाघडिया वास तालाव	नाघडियावास	,,	,,
66.	नानकिया तालाब	पान्सल	,,	,,

Page No 505

415

1	2	3	4	5
67.	सालमपुरा तालाब	मालपुरा	बांसवाड़ा	भीलवाड़ा
68.	मनुपिया तालाब	मनुपिया	,,	,,
69.	हमीरगढ़ तालाब	हमीरगढ़	,,	,,
70.	आमली तालाब	आमली	,,	,,
71.	छोटा रसो तालाब	छोटा रसो	प्रतापगढ़	चित्तौड़
72.	राजगढ़ तालाब	राजगढ़	बेगू	,,
73.	नाहरगढ़	नाहरगढ़	,,	,,
74.	लुहारिया	लुहारिया	,,	,,
75.	भालोटा तालाब	भालोटा की खेड़ी	राशमी	,,
76.	पटेलिया तालाब	बारां	सागवाड़ा	डूंगरपुर
77.	सायवा सागर	,,	,,	,,
78.	बुदसागर	सिधपुरी	अजमेर	अजमेर
79.	धावावाला	,,	,,	,,
80.	आसारन्था	,,	अजमेर	अजमेर
81.	तालाब गांव	,,	अजमेर	अजमेर
82.	घोला तालाब	नाहरपुरा	अजमेर	अजमेर
83.	तालाब गांव	नाहरपुरा	अजमेर	अजमेर
84.	हिन्डोला सागर	हिन्डोला	मालपुरा	टोंक

सूची संख्या 2

राजस्थान के उन तालाबों की सूची जिनकी पालें जागीरदारों के कब्जे में होकर सिंचाई की जाती हैं तथा राजस्व विभाग पिलाई वसूल करता है।

1	2	3	4	5
1.	लसाडियां तालाब	लसाड़ियां	माण्डल	भीलवाड़ा
2.	पीथास तालाब	पीथास	,,	,,
3.	वावलास तालाव	वावलास	,,	,,
4.	लेसवा तालाव	लेसवा गांव	,,	,,
5.	लेसवा नं० 2	,,	,,	,,
6.	केशर सागर	चांदरस	,,	,,
7.	जेत सागर	चांदरस	,,	,,
8.	गुलाव सागर	लासूवार	,,	,,
9.	लक्ष्मी सागर	लासूवार	,,	,,
10.	माईतन	माई	,,	,,
11.	नया तालाव	माई	,,	,,
12.	रतन सागर	लुहारिया	,,	,,
13.	कानसागर	लुहारिया	,,	,,
14.	सरूप सागर	लुहारिया	,,	,,
15.	मोखम सागर	लुहारिया	,,	,,

(416)

1	2	3	4	5
16.	लक्ष्मी सागर	नायकों का खेड़ा	मांडल	भीलवाड़ा
17.	बड़ा तालाब	हिसन्या	,,	,,
18.	बेमाली तालाब	बेमाली	,,	,,
19.	दहिमाया तालाब	दहिमया	,,	,,
20.	गोपाल सागर	करेड़ा	,,	,,
21.	सबलपुरा तालाब	सबलपुरा	,,	,,
22.	अर्जुनगढ़ तालाब	अर्जुनगढ़	,,	,,
23.	गोरधनपुरा तालाब	गोरधनपुरा	,,	,,
24.	रणजीत सागर	ज्ञानगढ़	,,	,,
25.	नीलवा तालाब	थाना	,,	,,
26.	तिखा तालाब	थाना	,,	,,
27.	नानकपुरा तालाब	नानकपुरा	,,	,,
28.	किशनपुरा तालाब	किशनपुरा	,,	,,
29	निम्बाहेड़ा तालाब	निम्बाहेड़ा	आसीन्द	,,
30	निम्बाहेड़ा तालाब	निम्बाहेड़ा	,,	,,
31.	निम्बाहेड़ा तालाब	निम्बाहेड़ा	,,	,,
32.	शिवरति तालाब	शिवरति	सहाड़ा	,,
33.	कालीमगरी तालाब	कालीमगरी	,,	,,
34	नाथडियाबासतालाब	नाथडियाबास	भीलवाड़ा	,,
35.	सालमपुरा तालाब	सालमपुरा	,,	,,
36.	मन्डरिया तालाब	मन्डरिया	,,	,,
37.	हमीरगढ़ तालाब	हमीरगढ़	,,	,,
38.	आयली तालाब	आयली	,,	,,
39.	मालोटा तालाब	मालोटाकीखेडी	राशमी	चित्तौड़गढ़
40.	लुहारिया तालाब	लुहारिया	बेगूं	,,
41.	टिलिया तालाब	आरा	सागवाड़ा	डूंगरपुर
42.	खायरा सागर	आंरा	,,	,,
43.	बुध सागर	सिवसुरी	अजमेर	अजमेर
44.	बावावास	,,	,,	,,
45.	आसारन्या	,,	,,	,,
46.	तालावगांव	,,	,,	,,
47.	मोला तालाब	नाहरपुरा	,,	,,
48	तालाब गांव	,,	,,	,,
49	हिन्डोला सागर	हिन्डोला	मालपुरा	टोंक

चौमूं में तहसील का कार्यालय

797. श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सब तहसील, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर को क्रमोन्नत कर चौमू में तहसील कायम करने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह सही है कि जिलाधीश जयपुर ने सब तहसील गोविन्दगढ़ को क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव राजस्व मण्डल अजमेर को भेजा था तथा राजस्व मण्डल अजमेर ने अपनी सहमति जाहिर कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया है उस पर राज्य सरकार द्वारा अभी तक अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

(3) क्या राज्य सरकार ने जिलों एवं तहसीलों के पुनर्गठन करने हेतु कोई समिति का गठन किया है ? अगर हां, तो, यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत करेगी ?

(4) क्या राज्य सरकार इस समिति की रिपोर्ट की अनुपालना करने को तैयार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

(4) प्रश्न नहीं उठता ।

चूरू तहसीलों के ग्रामों के राजस्व कर का निर्धारण

803. श्री मेघराज पंवार (चूरू): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चूरू तहसील के गांवों के राजस्व कर निर्धारण का मामला राज्य सरकार के सामने कितने वर्षों से पेंडिंग चला आ रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि इस मामले के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने सन् 1970 में राज्य विधान सभा में कोई रियायत की घोषणा की गई थी ?

(3) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की तरफ से इस तहसील के गांवों का कर निर्धारण करने में फलावट सम्बन्धी भारी भूल हो जाने से भी लगान में काफी अधिक वृद्धि हुई है और इसके फलस्वरूप हुई वृद्धि को कम किये जाने के आदेश उस समय के राजस्व मंत्री महोदय ने दिये थे ? यदि हां, तो बाकी उजरात का फैसला इतने लम्बे समय तक न किये जाने के क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि सम्वत् 2028 से यह डिमान्ड सरकार द्वारा वसूली से स्टे की हुयी है और कुल मतालबा किसानों के जिम्मे 15,00,000|--के करीब काबिल वसूल हो चुका है ?

(5) क्या राज्य सरकार के यह भी ध्यान में है कि आये दिन पड़ने वाले अकालों के इस क्षेत्र में इतनी भारी बकाया धनराशि वसूल होनी असम्भव होती जा रही है ?

उत्तर

(1) तहसील चूरू के कर निर्धारण

(राजस्व मंत्री)

का मामला राज्य सरकार के सामने पेंडिंग नहीं है ।

(2) जी हां ।

(3) जी नहीं ।

(4) निर्णय होने के कारण वसूली की प्रक्रिया जारी है ।

(5) बकाया वसूली नियमानुसार होगी ।

सुनेल कस्बे में नायब तहसील बनाना

804. **श्री बालचन्द आर्य** (डग): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या झालावाड़ जिले के सुनेल कस्बे में पहले तहसील थी ?

(2) सुनेल कस्बा के सेन्टर में होने के कारण उसे नायब तहसील बनाने का राज्य सरकार कब तक कितने समय में विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं । सुनेल कस्बे में पहले नायब तहसील थी जिसकी तहसील पिड़ावा थी ।

(2) सुनेल कस्बे में नायब तहसील स्थापित करने का अभी कोई मामला विचाराधीन नहीं हैं ।

जोधपुर, सूरसागर खान की पुरानी आखलियां

805. **श्री नरपतराम बरवड़** (सूरसागर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर सूरसागर खान क्षेत्र में गैर मुमकिन भूमि पर पत्थर के व्यापार हेतु करीब बीस-तीस वर्ष पुरानी आरवलियां हैं जिन्हें तहसीलदार जोधपुर ने पत्थर के व्यापारियों को आवंटन की थी ? अगर हां, तो सूरसागर खान क्षेत्र में कुल कितनी आखलियां हैं तथा उनका आवंटन कब-कब भिन्न-भिन्न व्यापारियों को किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि इन आवंटन सूदा आखलियों में आवंटन होते ही व्यापारियों ने सुविधा हेतु तथा सर्दी, गर्मी व वर्षा से दस्तावेजात व मजदूरों के बयान हेतु अपनी-अपनी आरवली में एक-एक कमरा बनाया है उनको इस आधार पर बेदखली की कार्यवाही की जा रही है कि उन्होंने आखलियों में वर्षों से कार्यालय हेतु एक-एक कमरा बनाया हुआ है ? आखली में कमरा क्यों बनाया जबकि सभी राज्य सरकार उद्योगों के विकास को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों को अपनी-अपनी आरवलियों से बेदखल करने से रोकने बाबत स्पष्ट आदेश देगी ? अगर हां, तो कब तक तथा नहीं तो, क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां । सूरसागर खान क्षेत्र में लीजधारियों को सरकारी गैर मुमकिन भूमि जो खानों के निकट पड़ती है वह पत्थर रखने के लिये किराये दी हुई है । वर्तमान मे 291 आखलियां है । सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(2) यह सही है कि कुछ लीज-

(राजस्व मंत्री)

चारियों ने शर्तों का उल्लंघन करके आखली के लिये आवंटन की गई भूमि पर अवैध रूप से निर्माण कर पक्की इमारतें बना ली है निर्माण अवैध एवं अनाधिकृत होने एवं लीज का उल्लंघन करने के फलस्वरूप तहसील स्तर पर उनके विरुद्ध बेदखली की कार्यवाही की जा रही है। आखलियों का उपयोग केवल खान से निकाले गये पत्थरों को रखने के लिये ही किया जाना चाहिये और इसी कार्य में भूमि ली जानी चाहिये। भूमि अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकती है।

सेवा सदन ट्रस्ट भीलवाड़ा के अन्तर्गत चलने वाली संस्थाएं

806. **श्री कौशल किशोर जैन** (भीलवाड़ा): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सेवा सदन ट्रस्ट जिला भीलवाड़ा के अन्तर्गत कौन-कौन सी संस्थाएं चल रही हैं ?

(2) सेवा सदन की ट्रस्ट की कितनी अचल एवं चल सम्पत्ति है ?

(3) क्या यह सही है कि महिला आश्रम भीलवाड़ा तथा पावर हाउस के बीच की 3 बीघा भूमि को श्री काशीनाथ मदादा ने श्री हुकमीचन्द जी सुराणा स्मारक के लिए दी थी ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि पर अब भी सेवा सदन भीलवाड़ा का कब्जा है ? अगर यह सत्य है तो राज्य सरकार इस अवैध कब्जे को हटाने के लिये क्या कार्यवाही करेगी ?

भूतपूर्व ठिकाना लावा सरदारगढ के कर्मचारियों के पेन्शन नियम

807. श्री **सुभाषचन्द्र आर्य** (सूरजगढ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भूतपूर्व ठिकाना लावा सरदारगढ जिला उदयपुर में सन् 1949 से पूर्व कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन देने का नियम था ? यदि हां, तो नियम की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जागीर आयुक्त, राजस्थान के कार्यालय का आदेश क्रमांक 15 एफ० 6 (86) में/जन/जा० क०/ 57 दिनांक 3-9-70 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी नहीं। ठिकाना सरदारगढ जिला उदयपुर में सन् 1949 से पूर्व पेन्शन देने के कोई नियम प्रचलित नहीं थे।

(2) जागीर आयुक्त पत्र क्रमांक 15 एफ० 6(86) पेन्शन /जा० क०/ 57 दिनांक 3-9-70 का न होकर दिनांक 3-1-70 का है जिसकी प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(420)

राजस्थान सरकार

प्रमाण-पत्र

क्रमांक 15/एफ 6(86)पे/जन०/जा०क०/57 दिनांक 3-1-1979

मैंने ठिकाने सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला उदयपुर के अभिलेखों का सत्यापन करके अपने आपको संतुष्ट कर लिया कि ठिकाना सरदारगढ़, तहसील आमेट, जिला उदयपुर में दिनांक 1-1-1949 के पूर्व उस जागीर के कर्मचारियों को पेन्शन देने की प्रथा थी और इस प्रथा के अनुसार जागीरदार ठिकाना सरदारगढ़ ने अपने ठिकाने के कर्मचारियों को दिनांक 1-1-1949 से पूर्व समय-समय पर पेन्शन स्वीकार की है।

पेन्शन देने का जो इन्द्राज ठिकाने की बहियों में है वह विश्वासनीय है।

ह० गोपी नाथ गुप्ता
जागीर आयुक्त, राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (पी० आर०—4)

2. जिलाधीश, उदयपुर।

जागीर आयुक्त

भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति, सूरतगढ़ की भूमी

808. श्री हरचन्द सिंह (पीलीबंगा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री बीरबल, पुत्र श्री मोटाराम भूतपूर्व प्रधान, पंचायत समिति, सूरतगढ़ ने सन् 1960—77 तक कितनी भूमि बेची व कितनी खरीदी? सूची मय मालीयत सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(2) क्या श्री बीरबल ने ओल्ड सीलिंग ला के तहत सीलिंग फार्म भरा था? अगर हां, तो उसमें कितनी भूमि किन किन चकों में घोषित की थी? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या 1973 के न्यू सीलिंग के तहत श्री बीरबल ने फार्म भरा, और किन-किन चकों में, कितनी-कितनी भूमि घोषित की? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) श्री बीरबल के परिवार के कितने बालिग एवं कितने नाबालिग सदस्य घोषणा-पत्रों में दर्शाए गए हैं? अलग-अलग सूचियां सदन की मेज पर रखने की

(श्री हरचन्दसिंह)
कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि श्री बीरबल ने अपने एक लड़के जो नाबालिग था वह पढ़ता था उसके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट जिसमें उसकी उम्र कम थी व डाक्टरी सर्टिफिकेट बाबत उम्र लाकर पेश किया व अधिकारी ने उसे गैर कानूनी तरीके से स्वीकार कर लिया, इस प्रकार सीलिंग कानून की अवहेलना की है ? क्या राज्य सरकार उस अधिकारी एवं डाक्टर तथा श्री बीरबल व उसके लड़के एवं उस वकील के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रही है ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(6). क्या मामले में पुनः जांच की जा रही है ?

उत्तर

(1) श्री बीरबल सिंह, पुत्र श्री मोटाराम, भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ द्वारा सन् 1960 से 1977 तक जो क्रय-विक्रय भूमि पर किया उसकी सूची संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है — परिशिष्ट (क)

(2) श्री बीरबल सिंह ने ओल्ड सीलिंग लॉ के अन्तर्गत सीलिंग घोषणा-पत्र दाखिल नहीं किया अतः चक वाईज भूमि का विवरण नहीं बताया जा सकता।

(3) श्री बीरबल, पुत्र मोटाराम जाट, साकिन अमरपुरा राठ तहसील सूरतगढ में न्यू सीलिंग कानून, 1973 के अन्तर्गत फार्म भरा है और उसमें संलग्न सूची के अनुसार उसमें एवं उसके परिवार के सदस्यों के पास भूमि घोषित की है। परिशिष्ट (ख-I) (खII) एवं (खIII)

(4) श्री बीरबल, पुत्र मोटाराम ने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या घोषणा पत्र में 13 अंकित किये है। जिनके नाम एवं उम्र संलग्न सूची में है। — परिशिष्ट (ग)

(5) श्री बीरबल ने अपने पुत्र श्री महेन्द्र कुमार की उम्र के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री गंगानगर का सर्टिफिकेट दिनांक 31-12-73 का पेश किया है, जिसमें श्री महेन्द्र कुमार की उम्र 19-21 वर्ष दर्शायी गयी है। जिसे उप-जिलाधीश, सूरतगढ ने मानकर श्री महेन्द्र कुमार को बालिग मान लिया है। श्री बीरबल पुत्र मोटाराम नये सीलिंग कानून पत्रावली राज्य सरकार के पास आ चुकी है और राज्य सरकार ने पत्रावली के अन्वेषण के उपरान्त कथित सीलिंग प्रकरण को खोलने के लिये नोटिस निर्गमित करने के आदेश दे दिये हैं।

(6) श्री बीरबल पुत्र श्री मोटाराम को नोटिस जारी करने के लिए राज्य सरकार ने आदेश दे दिये है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

जिलाधीश गंगानगर द्वारा अपने भाईयों के नाम अलाट कराई गई भूमि

809. श्री बहादुर सिंह (नौहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा

(422)

(श्री बहादुरसिंह)
करेंगे:—

(1) जिलाधीश गंगानगर श्री गुमान सिंह शेखावत ने अपने तथा अपने भाईयों के नाम कितनी-कितनी जमीन कहां-कहां अलॉट करवाई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ;

(2) श्री गुमान सिंह, जिलाधीश गंगानगर ने तथा उनके भाई (1) सर्व श्री लक्ष्मण सिंह, भागीरथ सिंह, कल्याण सिंह, गोपाल सिंह ने किस आधार पर अपने नाम जमीन अलॉट करवाई ?

(3) क्या जिलाधीश श्री गुमान सिंह व उनके चारों भाई अपने पिता श्री सूरजबक्स सिंह के जीवन काल में जागीरदार रहे हैं ? अगर हां, तो किस आधार पर ? अगर नहीं, तो भूमि किस आधार पर अलॉट करवाई ?

(4) क्या जिलाधीश गंगानगर श्री शेखावत के पिता श्री सूरज बक्स सिंह ने जो कि बागोली रघुनाथ पुरा, भोजगढ़ के जागीरदार थे, ने अपनी जागीर का मुआवजा लिया तथा भूमि राजस्थान कैनाल में अलॉट करवाई ? अगर हां, तो उनके पांचों लड़कों को जमीन किस आधार पर अलॉट हुई ?

(5) क्या जिलाधीश श्री गुमानसिंह ने भूमि अलॉट करवाई उस वक्त वे सरकारी सेवा में नहीं थे ? अगर हां, तो कहां तथा किस पद पर थे तथा उनको भूमि किस आधार पर अलॉट हुई ?

(6) क्या राज्य सरकार सरकारी सेवा में रत कर्मचारी को भूमिहीन मानकर भूमि अलॉट कर सकती है ?

उत्तर

(1) श्री गुमान सिंह तथा उनके भाईयों सर्व श्री भागीरथ सिंह, कल्याण सिंह और श्री लक्ष्मण सिंह को भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र में एक-एक मुरब्बा भूमि 1955 में आवंटित की गई थी। श्री गुमान सिंह और श्री भागीरथ सिंह के मुरब्बे 18 एच० एम० एच० में है और श्री कल्याण सिंह व श्री लक्ष्मण सिंह के मुरब्बे 15 डी० पी० एन० में है। यह भूमि उन्हें जागीरदार होने के नाते आवंटित की गई थी।

(2) श्री गुमान सिंह तथा उनके भाई लक्ष्मण सिंह, भागीरथ सिंह एवं श्री कल्याण सिंह को भूतपूर्व जागीरदार मानते हैं एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत सन् 1955 में भूमि आवंटित की गई थी। तथा श्री भोपाल सिंह को जागीर बागोली के जागीरदार होने के नाते भूमि आवंटन नहीं हुई।

(3) इस विषय में श्री गुमान सिंह को नोटिस दिया गया है। सुनवाई की तारीख 16-12-78 नियत है। यदि यह साबित होता है कि वे अपने पिता सूरजबक्स सिंह के जीवन काल में जागीरदार नहीं थे तो भूमि आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

(4) श्री गुमान सिंह के पिता श्री सूरजबक्स सिंह गांव बागोली रघुनाथ पुरा एवं भोजगढ़ के जागीरदार थे तथा इन्होंने ही इस जागीर का मुआवजा प्राप्त किया था। जहां तक इनके लड़कों को जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत भूमि आवंटन का प्रश्न है उसके बारे में नोटिस जारी किये जाकर जांच की जा रही है।

Page No 513

423

(श्री राजस्व मंत्री)

सुनवाई की तारीख 16-12-78 निश्चित है ।

(5) श्री गुमान सिंह को जिस समय भूमि आवंटन हुई उस समय वे सरकारी सेवा में आवकारी विभाग में नियुक्त थे । जागीरदार होने के नाते भूमि अलॉट हुई ।

(6) जी नहीं । श्री गुमान सिंह को भूतपूर्व जागीरदार मानते हुए आवंटित की गई थी न कि भूमिहीन मानते हुए ।

सूरतगढ़ छावनी के लिये अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा

810. **श्री हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या रतनगढ़ छावनी हेतु आवास रकबे की बाबत राज्य सरकार उन काश्तकारों को जो बेरोजगार हो गये हैं उनको भूमि के बदले मुआवजा में भूमि देने की सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक और अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(2) क्या राज्य सरकार उन काश्तकारों को फसलों का मुआवजा देने की सोच रही है जो तीन वर्ष से अपनी फसलों से महरूम रह रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि मौजा भगवानसर श्योपुरा चक 2 के० एम० आर० तहसील सूरतगढ़ के काश्तकारों की उनकी फसल का मुआवजा 500/- रुपये फी बीघा के हिसाब से राजस्व विभाग ने तैयार किया था और भारत जन-अखवार के सम्पादक श्री करणदान सिंह ने उन काश्तकारों से न्यूज मांगी—काश्तकारों के इन्कार करने पर राजस्थान के दैनिक समाचार पत्रों में झूंठी खबर अधिकारियों के खिलाफ छपवाई, जिससे नाराज होकर अधिकारियों ने मुआवजे का सारा रिकार्ड तब्दील करके मुआवजा आधा कर दिया ?

(4) वास्तव में पहले 500/- रु० फी बीघा से तैयार मुआवजों को अधिकारियों ने सही तैयार किया था ? क्या राज्य सरकार काश्तकारों को वही 500/- रु० फी बीघा के हिसाब से मुआवजे दिलवाने की कार्यवही करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(5) क्या राज्य सरकार ऐसी झूंठी खबरों की जांच करवाकर ईमानदार अधिकारियों में निरुत्साह पैदा करने एवं काश्तकारों को हानि पहुंचाने वाले भ्रष्ट पेशेवर लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की सोच रही है ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) आर्मी के लिये लालगढ़ जाटान, गंगानगर एवं सूरतगढ़ में जो भूमि अवाप्त की गई है उसके एवज में नकद मुआवजा देने की कार्यवाही भी चल रही है एवं इन विस्थापितों को राजस्थान कैनाल क्षेत्र में जितनी जिन-जिन की भूमि अवाप्त हुई है उसी के अनुरूप काश्त करने के लिये अस्थायी तौर पर भूमि आवंटित कर दिये जाने की आज्ञा भी जारी की गई है ।

(2) जी हां । इन काश्तकारों को इनकी फसलों का मुआवजा दिये जाने हेतु इनकी फसलों का एसैसमेन्ट किया जाकर

(424)

(राजस्व मंत्री)
रिपोर्ट सैनिक सम्पदा अधिकारी, गंगा नगर को भिजवाई जा चुकी है जिनसे अभी स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है ।

(3) जी नहीं । 'भारत-जन' अखबार व इसके सम्पादक का राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं है। यह भी असत्य है कि समाचार-पत्रों में अधिकारियों के खिलाफ खबर छपवाने की वजह से मुआवजा घटा दिया गया है । ठेके की रकम बाजार भाव से तय की गई है।

उपनिवेशन विभाग से इसका सम्बन्ध नहीं है ।

(4) जी नहीं । मुआवजे के कागजात रु. 400/- प्रति बीघा नहरी व रु. 200/- प्रति बीघा बारानी के हिसाब से तैयार किये गये हैं ।

(5) मुआवजा देने के कार्य का सम्बन्ध उपनिवेशन विभाग से नहीं है ।

भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा द्वारा अलॉट कराई गई भूमि

811. श्री **हरचन्द सिंह** (पीलीबंगा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या श्री सत्य पाल भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा ने चक 32 एस० टी० जी०, तहसील सूरतगढ़ में अपने लड़के श्री विजयसिंह के नाम 90 बीघा नाली 11 की भूमि पुख्ता आवंटित करवाई है ?

(2) श्री विजयसिंह की आयु अब क्या है और आवंटन के वक्त क्या उम्र थी ?

(3) क्या आवंटन हेतु आवेदन विजयसिंह ने दिया था या श्री सत्यपाल ने। श्री विजयसिंह के फर्जी दस्तखत करके पेश किया व भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री मनफूल सिंह व उसके भाई श्री बीरबल के राजनैतिक दबाव से पुख्ता फर्जी आवंटन करवा लिया ?

(4) क्या उक्त रकबा श्री विजयसिंह, पुत्र श्री सत्यपाल के पास अब है या बेच दिया है ? अगर हां, तो कौन काश्त करता है ? अगर बेच दिया है तो बैयनामा किसने, किस-किस के हक में, किस हैसियत से करवाया है ?

(5) क्या यह सही है कि श्री विजयपालसिंह नाबालिग है, और सेठ श्री रामदयाल राठी उच्च माध्यमिक पाठशाला सूरतगढ का विद्यार्थी है ? अगर हां, तो नाबालिग के नाम आवंटन कैसे हुआ और फर्जी आवंटन करवाने वाले के खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) श्री सत्यपाल, भूतपूर्व सरपंच, ग्राम पंचायत, रामपुरा ने चक 32 एस० टी० जी०, तहसील सूरतगढ़ में अपने लड़के विजयसिंह के नाम 10 बीघा नाली (11) की भूमि कमीपूर्ति में पुख्ता अलाट करवायी थी, न कि 90 बीघा ।

(2) श्री विजयसिंह की अब आयु, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, सूरतगढ़ के प्रमाण-पत्र के अनुसार 17 वर्ष 4 माह है । आवंटन के समय (मई 69 को) उसकी आयु 7 वर्ष 10 माह थी ।

(राजस्व मंत्री)

(3) भूमि आवंटन हेतु प्रार्थना-पत्र विजयसिंह द्वारा नहीं दिया गया था बल्कि प्रार्थना पत्र विजयसिंह, मार्फत सत्यपाल पिता खुद द्वारा दिया गया था। उक्त आवंटन भूतपूर्व राज्य मंत्री, मनफूल सिंह व उसके भाई बीरबल के राजनैतिक दबाव से हुआ, ऐसा पत्रावली से कोई आभास नहीं होता है ।

(4) उक्त रकबा विजयसिंह के पास नहीं है । रकबा भूरसिंह गुमंट सिंह वगैरा, पिसराना मंगल सिंह जटसिख, सा० खरामसर को देय कर दिया गया है। वो ही इस पर काश्त करते हैं रकबा विजयसिंह नाबालिग के वली, सरपरस्त बनकर, श्री सत्यपाल द्वारा दिनांक 11-7-1973 को 20,000) रु० में देय किया गया था।

(5) हां यह सही है । विजयसिंह की जन्म तिथि विद्यालय प्रमाण-पत्र के अनुसार 4-7-1961 है। विजयसिंह पुत्र सत्यपाल दिनांक 4-9-78 तक सेठ रामदयाल राठी उ. मा. वि., सूरतगढ़ का छात्र रहा है ।

प्रार्थी विजयसिंह की ओर से उसके पिता ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया था कि विजयसिंह के पास चक 2 एस० बी० एम० में 5-05 बीघा रकबा खातेदारी है और उसे चक 21 पी० बी० एम०एन० के मु० नं० 10/334 का कि० नं० 16 का 0-17 बिस्वा 17 सा 24-8) बीघा नं० 25 का 0-17 कुल 9-14 (बीघा व रकबा कमीपूर्ति में दिया जावे, जिस पर तत्कालीन तहसीलदार श्री मोहनलालजी तवंर, जो काफी समय पूर्व सेवानिवृत हो चुके हैं, ने क्लेक्टर गंगानगर को सिफारिश की कि प्रार्थी को 657) रु० प्रति बीघा के हिसाब से कमीपूर्ति में दिया जावें। इस पर अतिरिक्त जिलाधीश श्री बी० बी० सिंह मेहता, जो भी कई वर्ष पूर्व सेवा निवृत्त हो चुके हैं ने जिलाधीश की मोहर पर यह प्रस्ताव दिनांक 24-5-69 को 900) रु० प्रति बीघा की दर से स्वीकार किये थे।

सरपंच ग्राम पंचायत घमडिया की भूमि

812. श्री हरचन्दसिंह (पीलीबंगा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्री रामनारायण, सरपंच ग्राम पंचायत (सरदारपुरा), घमडिया ने कितनी भूमि सन् 1960 से 77 तक खरीदी-मय बेयनामा पंजीकरण तारीखों के मालियत एवं किन-किन से खरीदी है ? सूची सदन की मेज पर ब्यौरेवार रखने की कृपा करें।

(2) उक्त सरपंच ने तहसील सूरतगढ़ के क्षेत्राधिकार में सन् 1960 से 77 तक कितनी भूमि किन-किन आसामियान को कितनी-कितनी रकम में किन-किन तारीखों में बेची ? सूची सदन की मेज पर पूर्ण ब्यौरेवार रखने की कृपा करें ।

(3) क्या श्री रामनारायण पुत्र श्री रती-राम सुथार, सरपंच ग्राम पंचायत, घमडिया साकिन सरदारपुरा ने भाखरी क्षेत्र, तहसील सूरतगढ़ में कोई बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन करवाई है ?

(4) क्या श्री रामनारायण, पुत्र श्रीरती-राम, सुथार साकिन सरदारपुरा सरपंच ग्राम पंचायत घमडिया की औरत जिसके तीन

(श्री हरचन्दसिंह)
नाम हैं (रामेश्वरी, परमेश्वरी, रामप्यारी) के नाम से तहसील सूरतगढ़ के माखरा क्षेत्र में पुख्ता आवंटन हुआ है ?

(5) क्या श्री रामनारायण, पुत्र श्री रती राम को एल. एच. पी. चकों में तहसील पदमपुरा में भी कोई रकबा बतौर भूमिहीन पुख्ता आवंटन हुआ है ? अगर हां, तो किन-किन चकों में ? सूची सदन की मेज पर ब्यौरेवार रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(1) सूची संलग्न है ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) श्री रामनारायण पुत्र रतीराम ने बतौर भूमिहीन तहसील सूरतगढ़ में कोई भूमि आवंटन नहीं कराई है ।

(4) मु. रामेश्वरी पत्नी रामनारायण को तहसील सूरतगढ़ में आवंटित की गयी भूमि की सूची संलग्न है ।

(5) सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पाली जिले में राजस्व कर्मचारियों के स्थानान्तरण

813. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने पाली में राजस्व व अन्य कर्मचारियों के स्थानान्तरण किये हैं ? यदि हां तो दिनांक 1-4-78 से अब तक किन-किन कर्मचारियों का, कब-कब कहां से कहां स्थानान्तरण, किन-किन कारणों से किया गया ? जिला मुख्यालयों एवं तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) उक्त स्थानान्तरणों में क्या-क्या प्रक्रिया अपनाई गई ?

(3) उक्त स्थानान्तरण क्यों किये गये तथा किस अधिकारी द्वारा अंतिम आदेश दिये गये ?

(4) उक्त स्थानान्तरणों के संबंध में कोई एतराज पेश हुए हों तो किस प्रकार के और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(5) उक्त स्थानान्तरणों के करने से राज्य सरकार को कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ा ?

(6) उक्त स्थानान्तरणों के अतिरिक्त अब कितने स्थानान्तरण के मामले विचाराधीन हैं ?

(7) उक्त स्थानान्तरणों के अतिरिक्त पाली जिले में राज्य सरकार द्वारा किन-किन अधिकारियों के स्थानान्तरण दिनांक 1-4-78 से किये गये तथा किन-किन अधिकारियों को कार्यमुक्त नहीं किया तथा किस कारण से कार्य मुक्त नहीं किया गया और अगर कार्यमुक्ति व कार्य न मुक्त करने के अन्तिम आदेश किस अधिकारी द्वारा दिये गये ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राज्य सरकार ने पाली में राजस्व अधिकारियों के

(राजस्व मंत्री)

स्थानान्तरण किये हैं, परन्तु किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण राज्य सरकार ने नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1-4-78 से अब तक पाली में निम्न अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं :–

1. राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारी छः
2. तहसीलदार दो
3. नायब तहसीलदार सात

इन अधिकारियों के कब-कब, कहां से कहां स्थानान्तरण किये गये, विवरण संलग्न सूची में अंकित है। इनका प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण किया गया।

(2) प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया गया है।

(3) प्रशासनिक मामले के कारण बताना संभव नहीं है।

(4) कारण बताना सम्भव नहीं है।

(5) व्यय के आंकड़ों की सूचना एकत्रित करना संभव नहीं है।

(6) स्थानान्तरण का मामला विचाराधीन नहीं माना जाता।

(7) सूचना एकत्रित करने पर ही दिया जाना सम्भव है।

जमाबन्दी, मिसल बन्दोबस्त में नामान्तरकरण

815. **श्री खंगारसिंह चौधरी** (खारची) : राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जमाबन्दी मिसल बन्दोबस्त के आधार पर बनाई जाती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि जब तक कोई परिवर्तन जमाबन्दी में नामान्तरकरण के द्वारा नहीं हो जाता तब तक पुराना इन्द्राज ही दोहराया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि जमाबन्दी में पटवारी गलत इन्द्राज करदें तो उसे चैकिंग अधिकारी को तुरन्त दुरुस्त करना चाहिए ?

(4) क्या जमाबन्दी का इन्द्राज सही हो, इसका दायित्व राजस्व विभाग पर नहीं है व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानान्तर्गत क्लेरिकल मिस्टेक कभी भी दुरुस्त की जा सकती है ? यदि हां, तो ग्राम धीनावास तहसील सोजत में गत बन्दोबस्त की मिसल बन्दोबस्त के खाता सं. 200 व 202 का इन्द्राज जमाबन्दी में गलत किया जा रहा है जिसे बावजूद करने शिकायत, ठीक नहीं किया जा रहा है ? राज्य सरकार इस तरह की लापरवाही को रोकने के लिए क्या कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। नामान्तरकरण के आधार पर ही, जमाबन्दी के इन्द्राज परिवर्तित किये जाते हैं। अन्यथा पुराना इन्द्राज दोहराया जाता है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। तहसील सोजत, ग्राम धीनावास में गत बन्दोबस्त की खाता संख्या 200 व 202 का इन्द्राज सम्वत् 2018 से 2021 तक की जमाबन्दी में करते समय

(राजस्व मंत्री)

हिस्से दर्ज नहीं किये गये। इन्द्राज दुरुस्ती की कार्यवाही विचाराधीन है।

उप-खण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा निपटाये गये राजस्व मामले

816. श्री खगारसिंह चौधरी (खारची): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उप-खण्ड अधिकारी, सोजत एवं असिस्टेण्ट कलेक्टर, सोजत जिला पाली की अदालत से 1-3-67 से 31-7-78 तक कौन-कौन से राजस्व मुकदमें के फैसले हुए? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रश्न के भाग (1) में बताये मुकदमों में किन-किन मुकदमों में पटवारी के रिकार्ड्स दुरुस्ती आवश्यक थी व राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस मेन्यूअल पार्ट II के नियम 142 की पालना की जानी चाहिये थी व किन–किन मामलों में उक्त नियम की पालना नहीं की गई? पालना नहीं करने का क्या कारण है?

(3) प्रश्न के भाग (2) में जिन-जिन मामलों में रेवेन्यू कोर्टस मेन्युअल पार्ट II के नियम 142 की पालना की गई, उनमें से किन-किन मामलों में माफिक फैसला पटवारी के रेकार्ड में दुरुस्ती की गई व कब का गई व जिन मामलों में दुरुस्ती नहीं की गई, उसका क्या कारण है व उन मामलों में तहसीलदार व आर० आई० ने क्या कार्यवाही की अब उन फसलों का इन्द्राज कब तक राजस्व रेकार्ड में करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) प्रश्न के भाग 1 में बताये गये मुकदमों में से 25 मामलों में नियम 142, राजस्थान रेवेन्यू कोर्टस मन्यूल के अनुसार पालना आवश्यक थी, अतः उप-खण्ड अधिकारी, सोजत के न्यायालय द्वारा पालना करने हेतु सूचना-पत्र जारी किये जा चुके थे, 2 राजस्व वाद स० 36168 व 46171 को छोड़ कर, अन्य सभी मामलों में पालना की जा चुकी है, 255 मामलों की सूची संलग्न है।

(3) प्रश्न के भाग 2 में वर्णित राजस्व-वाद सं० 361682 4617 को छोड़कर, अन्य सभी 253 मामलों में माफिक फैसला पटवारी के रेकर्ड में दुरुस्ती करदी गई, इन मुकदमो में किन-किन तारीखों में पटवारी रेकार्ड में दुरुस्ती की गई, बताना सभव नहीं है क्योंकि फैसला शुदा पत्रावलियों का "डी' पार्ट नष्ट किया जा चुका है मगर वांछित पालना की जा चुकी है, जिन दो मामलों में रेकर्ड में दुरुस्ती नहीं हुई है उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है:—

(अ) राजस्व वाद सं० 36168 का निर्णय दिनांक 12-1-77 को, वादी जसा बनाम बुधा में सरपंच, ग्राम सवराड की गल्ती से दुरुस्ती नहीं हुई, अब तहसीलदार, खारची को इस सबंध में माफिक फैसला रेकार्ड में दुरुस्ती करवाने हेतु निर्देश दिये जा चुके हैं।

(ब) राजस्व वाद सं० 47171 का निर्णय दिनांक 26-4-72 को हुआ जिसकी पालना में पटवारी रेकार्ड में दुरुस्ती नहीं की गई है तहसीलदार, खारची को अब रेकर्ड में

(420)

(राजस्व मंत्री)

माफिक फैसला पालना करवाने हेतु निर्देश दे दिये गये हैं।

ग्राम बागोली के भू. पू. जागीरदार को भूमि का आवंटन

817. श्री नत्थोसिह (लक्ष्मणगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि श्री सूरजबक्ष सिह गांव बागोली, रघुनाथपुरा तथा भोजगढ़ तहसील उदयपुर जिला झुन्झुनूं के जागीरदार थे तथा जागीरदारी रिज्युम के समय उन्हें मुआवजे में 4411.28 पैसा मुआवजा तथा 25 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा आवन्टित कर दी गई थी ?

(2) क्या यह सही नहीं है कि उपरोक्त जागीरदारी के एवज में उपयुक्त मुआवजा जमीन मिलने के बावजूद श्री सूरजबक्ष सिह के पांचों पुत्रों को राज्य सरकार द्वारा अलग अलग जागीरदार घोषित करके उन्हें प्रत्येक को 25-25 बीघा जमीन तहसील नोहर, जिला गंगानगर में आवंटित की गई जिनमें उनके दो पुत्र एक श्री गुमानसिह वर्तमान जिलाधीश गंगानगर राज्य प्रशासनिक सेवा में थे तथा दूसरे श्री भागीरथ सिह सरकारी नौकर थे ? अगर हां, तो श्री गुमानसिह आर०ए०एस० के पद पर होते हुये धोखाधड़ी से पांचों भाइयों को जागीरदार घोषित करके राज्य सरकार की नहरी भूमि को हड़पा है ? अब तक राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है, अगर कार्यवाही नहीं की गई है तो राज्य सरकार क्या इरादा रखती है ?

(3) क्या राजस्थान उच्च न्यायालय ने सन् 1971 में जागीरदारों के अवैध भूमि के बेचान की स्वीकृति न देने का आदेश दिया था, बावजूद जिलाधीश, गंगानगर अवैध भूमि के बेचानों की स्वीकृति दे रहे हैं ? यही नहीं जिलाधीश ने श्री चिरजीव सिंह पुत्र श्री तुलसीसिंह निवासी झुन्झुनूं को जो कि उसके भाई के पास जमीन पर नौकर था, फर्जी जागीरदार बनाकर 25 बीघा का एलॉटमेंट कराया ? यदि हां, तो उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं तो राज्य सरकार क्या इरादा रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, श्री सूरजबक्स सिंह गांव बागोली रघुनाथपुरा तथा भोजगढ़ तहसील उदयपुर जिला झुन्झुनूं के भूतपूर्व जागीरदार थे तथा इन्हें मुआवजे के रुप में रुपये 4411 28 दिये गये थे। 25 बीघा भूमि राज्य सरकार द्वारा आवंटित नहीं की गई थी।

(2) श्री सूरजबक्स सिंह के पुत्र गुमानसिंह, श्री कल्याण सिंह, भागीरथ सिंह एंव लक्ष्मण सिंह जो भाखरा नहर जिला गंगानगर में एक मुरब्बा भूमि प्रति व्यक्ति आवंटित की गई थी। वह भूमि इन्होंने गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्राप्त की अथवा नहीं इस बारे में जांच जून 1976 से चल रही है तथा जागीरदार एक्ट की धारा 40ए के अन्तर्गत नोटिस दिये जाकर मामला सुनवाई में चल रहा है। आगामी सुनवाई की तारीख 16-12-78 निश्चित है।

(3) यह सही नहीं है कि वर्तमान में जिलाधीश गंगानगर अवैध भूमि के बेचानों की स्वीकृति दे रहे हैं। यह भी सही नहीं है

(श्री राजस्व मंत्री)
कि वर्तमान में जिलाधीश गंगानगर ने चिरंजीवसिंह पुत्र तुलसी सिंह नामक किसी व्यक्ति को भूमि आवंटित कराई हो ।

राजस्थान काश्तकारी कानून के अन्तर्गत की भूमि

818. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ख.नं. 64 व 66 मौजा गांव धाणता तहसील सांचोर जिला जालोर के बारे में राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 175 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर खातेदारी की भूमि राज्य सरकार में वेस्ट हो गई थी ? अगर हां, तो ऐसी कार्यवाही कब की जाकर उक्त भूमि राज्य सरकार में कब वेस्ट हो गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वेस्ट हुई जमीन का राज्य सरकार कब्जा लेकर भूमिहीन काश्तकारों को काश्त हेतु आवंटन कर दी गई थी ? अगर हां, तो कब एवं किस-किस को आवंटन की गयी थी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) क्या उक्त भूमि का आवंटन कर भूमिहीन काश्तकारों का कब्जा भी करा दिया गया था ? अगर हां, तो कब ? अब उक्त भूमि पर किस-किस का कब्जा है ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सरकार के कब्जे में लेकर आवंटन की हुई भूमि का फैसला ग्राम धाणता के श्री हेमराज एवं उसके लड़के बाला के नाम बिना राज्य सरकार को एवं आवंटियों को पार्टी बना कर दिया गया है ? अगर हां, तो कब और किस के द्वारा एवं क्यों ? क्या राज्य सरकार उक्त सरकार में वेस्ट हुई जमीन का उक्त फैसला रद्द करवाने की शीघ्र कार्यवाही करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? क्या राज्य सरकार मुसम्मी हेमराज एवं उसके लड़के बाला के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण करने की कार्यवाही रोकेगी ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(5) उक्त भूमि का फैसला मुसम्मी हेमराज एवं उनके लड़के बाला के नाम करने की जिम्मेवारी किसकी है ? उसके विरुद्ध राज्य सरकार कब तक क्या कार्यवाही करना उचित समझेगी ?

(6) क्या राज्य सरकार, उक्त सरकार में नियमानुसार वेस्ट हुई जमीन का विधिवत भूमिहीन काश्तकारों का आवंटन कायम रखने का आदेश जारी करेगी ? अगर हां, तो कब तक ? क्या उक्त भूमि का आवंटन अनुसूचित जाति के लोगों को किया गया था ? अगर हां, तो ऐसे लोगों का आवंटन राज्य सरकार कायम रखने की कार्यवाही करना उचित समझेगी ? अगर हां, तो किस प्रकार?

उत्तर

(1) मौजा धाणता, तहसील सांचोर की सरहद में ख. नं० 64 व 66 का मुकदमा राज० काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत दर्ज हुआ था । मगर ख० नं० 64 व 66 की भूमि राज्य सरकार में वेस्ट नहीं हुई । उक्त भूमि वेस्ट नहीं हुई तो आवंटन करने का प्रश्न ही नहीं रहता है ।

(2) उक्त आराजी राज्य सरकार में वेस्ट नहीं होने से आवंटन नहीं किया गया है ।

(राजस्व मंत्री)

(3) इसलिये किसी आवंटी को कब्जा कराने का प्रश्न ही नहीं रहता।

(4) उक्त जमीन राज्य सरकार में वेस्ट नहीं होने से आवंटियों व राज्य सरकार को पार्टी नहीं बनाया गया है। उक्त भूमि की खातेदारी इस्तकरारहक के दावे में सर्व श्री हेमराज व वाला के नाम सहायक जिलाधीश एवं कार्यपालक दण्डनायक, भीनमाल मुकाम सांचौर द्वारा डिक्री दी गई थी।

(5) उक्त भूमि का नामान्तरकरण भी सर्व श्री हेमराज वह वाला के नाम स्वीकृत हो चुका है। चूंकि इस भूमि का राज्य सरकार में वेस्ट नहीं होने एवं इसका आवंटन किसी व्यक्ति के नाम नहीं किये जाने से अन्य प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(6) उक्त खसरा नम्बरान की भूमि राज्य सरकार में वेस्ट नहीं हुई है तो आवंटन कायम रखने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

जोधपुर शहर में जहर देकर की गई गायों की हत्या

819. श्री **किशनसिंह भाटी** (जैसलमेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पिछले एक वर्ष में जोधपुर नगर में जहर देकर कितनी गायों की हत्या की गई ?

(2) क्या यह गौ हत्याय किसी षडयन्त्र का परिणाम थीं ? क्या सभी दोषी व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

(3) जहर से मरने वाली गायों में पहली गाय कब मरी व राज्य सरकार को इस षडयंत्र का कब पता लगा और गिरफ्तारियां कब हुईं ?

(4) गौ हत्या जसे जघन्य अपराधों को प्रारम्भ से ही रोकने के लिए राज्य सरकार क्या-क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) पिछले एक वर्ष में जोधपुर नगर में कितनी गायों की जहर देकर हत्या की गई, इस बारे में अभी जांच जारी है।

(2) दो अभियोगों में अभियुक्तों द्वारा अपराधिक षड़यंत्र कर गौ हत्या की गई। अब तक 7 अभियुक्त गिरफ्तार हो चके हैं बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

(3) पहली गाय कब मरी इसकी कोई जानकारी पुलिस को नहीं है। पुलिस को ऐसे अपराध की प्रथम सूचना दिनांक 10-7-78 को प्राप्त हुई है।

(4) जघन्य अपराधों को रोकने के सभी आवश्यक कदम, उठाए जा रहे हैं।

Population in lakh

APPENNDIX—"A"

Districtwise & Problemwise Breakup of Total Problem

S. No.	Name of District	No., source and Brackish I category		Diseased Category Fluoride 1.5 ppm and Gunaworm		Brackish II category		Difficult & inadequate category		No. problem category		TOTAL	
		Villages	Population in lakhs	Villages	Population	Vill-ages	Popu-lation	Villages	Population	Villages	Population	Vill-ages	Popu-lation
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ajmer	118	0.87	462	3.05	235	1.77	55	1.00	84	0.39	954	7.16
2	Alwar	329	2.22	844	2.34	308	2.09	270	2.15	618	3.84	1869	12.6
3	Banswara	17	0.10	1415	6.00	7	0.11	—	—	—	NIL	1439	6.21
4	Barmer	611	4.29	79	0.70	66	0.65	66	1.37	15	0.18	837	7.19
5	Bharatpur	436	2.83	475	1.80	361	2.02	53	1.37	543	3.83	1868	12.85
6	Bhilwara	141	0.70	616	2.96	313	1.69	81	2.39	357	1.65	1508	9.39
7	Bikaner	330	1.72	15	0.17	50	0.58	70	0.78	75	0.12	540	3.36
8	Bundi	52	0.26	324	1.43	92	0.49	98	0.52	163	1.13	729	3.83
9	Chittorgarh	140	0.45	285	1.12	202	0.74	205	1.94	1291	4.24	2123	8.47
10	Churu	540	3.88	52	0.37	73	0.59	107	1.00	78	0.32	850	6.16
11	Doongarpur	20	0.13	800	4.82	41	0.02	1	0.02	—	—	825	4.99
12	Ganganagar	1340	6.66	280	1.10	9	0.20	100	1.46	707	2.22	2386	11.64
13	Jaipur	443	2.87	595	3.63	385	1.70	837	5.80	423	3.97	2603	17.37
14	Jaisalmer	153	0.77	41	0.10	45	0.28	30	0.16	158	0.11	432	1.42
15	Jalore	343	3.34	101	0.75	58	0.72	60	1.08	33	0.29	595	5.38
16	Jhalawar	41	0.21	447	1.71	82	0.32	17	0.56	854	2.83	1441	6.63
17	Jhunjhunu	135	1.41	225	2.80	27	1.00	292	2.43	14	0.21	693	7.67
18	Jodhpur	351	3.32	124	1.64	88	1.07	141	1.77	4	0.05	702	7.85
19	Kota	39	0.18	244	1.13	154	0.70	93	1.45	1375	5.23	1905	8.69
20	Nagaur	557	4.16	454	3.84	76	0.66	107	2.06	22	0.35	1216	11.07
21	Pali	245	1.84	161	1.63	54	0.63	148	2.97	216	1.55	824	8.62
22	Sawaimadhopur	184	1.31	610	1.46	200	1.37	151	1.92	386	3.45	1531	10.51
23	Sikar	143	1.50	235	2.11	180	1.43	69	2.19	183	1.42	810	8.65
24	Sirohi	81	0.53	244	193	943	0.28	25	0.62	25	0.12	432	3.48
25	Tonk	140	0.87	224	1.04	195	0.96	64	0.68	383	1.62	1006	5.17
26	Udaipur	265	0.82	1077	3.69	433	2.28	80	3.54	1261	5.49	3116	15.82
	TOTAL ..	7199	47.24	9879	54.71	3739	24.35	3220	41.31	9268	44.61	33305	212.22